

और उसका निवारण किस प्रकार करना चाहिये। जो पाठक राष्ट्रभाषा की समस्या और हिन्दुस्तानी-वाद पर मेरे विचार जानना चाहे, उनसे निवेदन है कि वे मेरी पुस्तके 'राष्ट्रभाषा की समस्या और हिन्दुस्तानी आनंदोलन' तथा 'मौलाना गांधी ?' * (जो हिन्दुस्तानी प्रचार सभा के प्रधान मन्त्री श्री श्रीमन्नारायण के 'मौलाना गांधी' शीर्पक लेख के उत्तर में लिखी गई है) पढ़ लें।

परिशिष्ट में कुछ ऐसी सामग्री एकत्र की गई है जिसका पुस्तक के चित्रय से सम्बन्ध है, अर्थात् जिससे चित्रय के प्रतिपादन में सहायता मिलती है। परिशिष्टों का परिचय यथास्थान दे दिया गया है। परिशिष्ट १५ प० रामचन्द्र शुक्ल की पुस्तिका 'हिन्दुस्तानी का उद्गम' का मुख्याश है। इसे यहाँ प० सुन्दरलाल और डा० ताराचन्द्र जैसे युक्त-प्रान्त और विहार के हिन्दुस्तानी वालों के लाभार्थ दिया गया है जो उदूँ को ही वास्तविक हिन्दुस्तानी समझते हैं, उदूँ को हिन्दी से प्राचीन, हिन्दुओं और मुसलमानों की 'मुश्तरका जवान' और न जाने क्या क्या समझते हैं, और जिन्होंने बचपन में मौलवी से उदूँ सीखने के बाद शायद कभी उदूँ के इतिहास पर विचार करना आवश्यक नहीं समझा और जो शायद आज भी उससे अनभिज्ञ हैं। आशा है इसमें उन राजनीतिक नेताओं को भी विचार करने की सामग्री मिलेगी जिनका 'हिन्दुस्तानी'-प्रेम राजनीति पर निर्भर है और जिन्होंने अभी तक 'हिन्दुस्तानी' को किसी दूसरी दृष्टि से देखना, जॉचनापड़तालना आवश्यक नहीं समझा है। हमें विश्वास है, इससे गांधी जी, श्री राजगोपालाचारी और श्रीयुत् वी. जी. खेर जैसे अहिन्दियों को भी लाभ होगा जिन्हे हिन्दी-उदूँ सम्बन्धी वस्तुस्थिति का ज्ञान नहीं और जिनकी बहक का कारण बहुत कुछ यही है। हिन्दी-उदूँ-हिन्दुस्तानी के

* दोनों पुस्तके गगा पुस्तकमाला, लालूश रोड, लखनऊ से मिल सकती हैं।

भैंवरों में पढ़ कर गैंदली हो गई है। पलस्थरूप हिन्दी प्रेमी हिन्दी प्राने वाले सकट को भी स्पष्टतया नहीं देख पा रहे हैं। राजनीति के मैदान में जो धूल उड़ रही है उसमें इस सकट का आकार-प्रकार छिप सा गया है। पर वह सकट तो विद्यमान है ही। शुद्ध की गर्मी में राजनीतिज्ञों को इसकी पर्वाह नहीं रह गई है कि उनकी चालों का देश के दूर भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हिन्दी के दुर्भाग्य में हिन्दी के अधिकाश प्रेमी और समर्थक भी राजनीतिज्ञ ही हैं, और इस कारण वे भी हिन्दी-मसार का बैसा नेतृत्व नहीं कर पा रहे हैं जैसे नेतृत्व की उसे इस समय आवश्यकता है। वे स्वयम् राजनीति के शिक्कजे में जकड़े हुये हैं। उनके हाथ पैर राजनीति के उलझट्टे में उलझे हुये हैं और उनके मुँह पर राजनीति का ताला पड़ा हुआ है। शायद उनके दिमाग में भी राजनीति का घटाटोप छाया हुआ है। उनके पास हिन्दी को देने के लिये समय भी नहीं। उनसे अधिक आशा करना व्यर्थ है।

ऐसी स्थिति में राजनीति के कोलाहल से दूर बैठे हुये एक हिन्दी-प्रेमी का जो कर्त्तव्य हो जाता है, उसी को सामने रखकर मैंने इस पुस्तक को लिया है। मेरा दृष्टिकोण शुद्ध हिन्दी के हित का दृष्टिकोण है। मुझे राजनीति से कुछ लेना देना नहीं, राजनीतिक नेताओं में मेरी अन्ध-भक्ति नहीं। राजनीतिक नेता व्यक्तिगत रूप से कितनी ही ऊँची श्रेणी के व्यक्ति क्यों न हों, मैं उन्हें भाषा के विषय में चोलने का अधिकारी मानने को तैयार नहीं। भाषा के विषय में मैं किसी राजनीतिक संस्था, भले ही वह चयरूक मताधिकार के आधार पर बनी हो, का फेसला मानने को भी तैयार नहीं। इतिहास साक्षी है कि किसी देश का उद्धार केवल राजनीतिज्ञों द्वारा नहीं हुआ है। विशेष रूप से इस देश में देश का साहित्यिक और सास्कृतिक नेतृत्व राजनीतिज्ञों के हाथ में कभी नहीं रहा। भाषा और साहित्य की परपरायें हमें व्यास, वाल्मीकि, कालिदास और तुलसी में मिली हैं, अशो,

प्रकरण—सूची

प्रकरण

१. हिन्दी की अपनी समस्या		पृष्ठ
१. हिन्दी का द्वैतवाद	---	१
२. द्वैतवादियों के कुछ तर्क	---	१०
३. क्या करें ?	---	१८
४. कुछ आज्ञेयों के उत्तर	---	८१
५. क्या हिन्दी कृत्रिम है ?	---	८७
२. हिन्दुस्तानी की बला		१०५
१. हिन्दुस्तानी आनंदोलन का एकतरफा स्वरूप	---	१०६
२. हिन्दुस्तानी वालों की कारगुजारी	---	१२०
३. हिन्दुस्तानी वालों के हथकरडे	---	१२५
४. क्या करें ?	---	१५५

परिशिष्ट

परिशिष्ट १ (हिन्दी की कृतियों में मुसलमान पात्रों का उदौँ में कथोपकथन)	---	१६७
परिशिष्ट २ (The Vernacular of United Provinces)	---	२०४
परिशिष्ट ३ (हम हिन्दी बाले !)	---	२१५
परिशिष्ट ४ (बर्धा की हिन्दुस्तानी)	---	२२१
परिशिष्ट ४ पर टिप्पणी	---	२२६

उनमें से कुछ के मूल न्यातों के विषय ने मुझने भूल दी गई है। आशा है विजय पाठक इन भूलों को ज्ञान करेंगे। मैंने कापा में शब्दों के उदाहरण दूढ़ने की विलक्षण चेष्टा नहीं की है। जो शब्द नित्य मूलने और पढ़ने में आते हैं, उन्हीं को उदाहरण-चरूप पेश कर दिया है। एक नात और। हिन्दी की शुद्ध और स्ट्रैगर्ड झेली के विषय में मैंने जिन मिदान्तों का प्रतिपादन किया है, उनके अनुमान अपनी भाषा नुधारने का मैंने विलक्षण प्रयत्न नहीं किया है। पाठक मेरी भाषा को इन सिद्धान्तों की कमीटी पर न करें। मैंने अपनी स्वाभाविक शब्दी में ही लिया है, जिससे पाठों को आनंद कल की औसत दर्जे की हिन्दी अर्थात् आजकल के द्वितीय और तृतीय श्रेणी के हिन्दी लेखकों की हिन्दी, जिसमें नुधार की आवश्यकता मैंने बताई है, का नमूना दूढ़ने के लिये पुस्तक के बाहर न जाना पड़े। मैंने शुद्ध हिन्दी के विषय में जिन सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है उनके विवरण वातें पाठकों को पुस्तक के प्रत्येक पृष्ठ पर मिल जायेंगी। उनमें पाठकों को पता चलगा कि हिन्दी की बीमारी की जड़ कितनी गहरी है और उसे उखाइ कर फैक्टरों के लिये कितनी शक्ति और प्रयास की आवश्यकता है। प्रतिपादन मिदान्तों के अनुमान शुद्ध और अच्छी हिन्दी का ग्रादर्श तो चोटी के लेखक और साहित्यिक हो उपस्थित कर सकते हैं। मैं उन पर चल कर केवल अपनी शब्दी का अस्वाभाविक और अपने को उपहासास्पद बनाता। इन सिद्धान्तों का मेरी शैली पर अनजाने में जो प्रभाव पड़ गया हो, उसकी बात दूसरी है।

पुस्तक के दूसरे भाग में हिन्दुस्तानी की बला का निरूपण किया गया है। उसके विषय में यहाँ कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। यहाँ मैंने 'हिन्दुस्तानी' के समर्थकों के तर्कों का उत्तर देने का अवधा राष्ट्र-भाषा की समस्या का समाधान करने का प्रयत्न नहीं किया है। यहाँ मैंने केवल यह नतलाने की चेष्टा की है कि 'हिन्दुस्तानी' से हिन्दी को क्या खतरा है।

हिन्दी की अपनी समस्या

मरु-भूमि में एक जानवर होता है जो बालू की ओँधी चलने पर अपना सिर भूमि में गड़ा लेता है। हिन्दी सासार में भी कुछ ऐसे व्यक्ति हैं। वे स्वयम् तो सो ही रहे हैं, औरों को भी चादर ओड़े सोये रहने का उपदेश दे रहे हैं। यदि कोई उठने का उपक्रम करता भी है तो उसे थपकी देकर सुला देना चाहते हैं। ऐसे पलायनवादियाँ को छोड़कर शेष को मालूम है कि हिन्दी पर एक महान् संकट आया हुआ है। इस सकट का नाम है 'हिन्दुस्तानी'। बृहिंश सरकार तो उदूँ या हिन्दुस्तानी भाषाधारी उदूँ के नाम पर हिन्दी को मिटा डालने के लिये बहुत समय से प्रयत्नशील है ही, परन्तु हम समझते थे कि अपनी सरकार आने पर शायद यह आनानार बन्द हो जाय। अब वह आशा भी नष्ट होगई, वल्कि यह नया सकट उसी की ओर से आया है या आना चाहता है। यह हिन्दी को भीतर ही भाँतर समाप्त करना चाहता है अथवा उसे बैचल कविता की भाषा बनाना चाहता है। जब कोई संकट आता है तो सबसे पहले अपने घर की लिथिति देखी जाती है। देखें, आज हिन्दी की क्या हालत है।

१. हिन्दी का द्वैतवाद

हिन्दी के एक प्रसिद्ध मासिक पत्र का एक अक सामने है। इसके प्रथम ५० पृष्ठों में आये हुये अग्नी फारसी अर्थात् उदूँ के शब्द ये हैं—

मक्खद, मुवर्र, सूवा, खत, दोत, सुबह, फर्ज, वारिश, नफ्तल, सदारत,

तिकोने भगडे में जिन्हे सत्य की चिन्ता हो और जो वान्तपिकता का अधिक विन्तार में जानना चाहते हों, उनमें निवेदन है कि वे काशी नगरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित श्री चन्द्रबली पौटे की गोजपृष्ठ पुस्तकों 'उदू' का उद्गम', 'उदू' का रहस्य', 'भाषा का प्रश्न' 'कन्दरी की भाषा और लिपि', 'मुग्न वादणाटों की दिनी', 'विद्वार में हिन्दुस्तानी', आदि और सबके ग्रन्त में विद्यामण्डिग्र-प्रकाशन, मुग्न (ग्वालिशर) द्वारा प्रकाशित उनकी नवीन कृति 'नागरी का अभिशाप' अवश्य पढ़ें। इमें विश्वास है, इन पुस्तकों से उदू और 'हिन्दुस्तानी' के ईमानदार समर्थकों की ओर्नें खुल जायेंगी।

यह पुस्तक गत चर्प सितम्बर में पूर्ण हो गई थी, परन्तु कागज, आदि की कठिनता के कारण अब तक न छृप सकी। इस बीच में देश में ऐसी अनेक घटनायें घटी हैं जिनका भाषा के प्रश्न पर व्यापक प्रभाव पड़ा है। कुछ और वातें ऐसी हुई हैं जिनसे भाषा की समस्या पर तीव्र प्रकाश पड़ता है। परन्तु इस कारण मूल पुस्तक में कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं समझी गई। मूल पुस्तक में जो दो-एक वातें ऐसी आई हैं जो अब तक सुलभ चुकी हैं, पुस्तक में उनकी चर्चा इतिहास का काम देगी, और भविष्य के लिये पथ-प्रदर्शन करेगी। गत चर्प सितम्बर ने अब तक जो नई वातें हुई हैं उनका समावेश परिशिष्ट १७ और उत्तर परिशिष्ट २, ३ और ३ में कर दिया गया है, और मूल पुस्तक में उनका सम्बन्ध पुस्तक में पथाव्यान पाट-टिप्पणी देकर जोड़ दिया गया है। कहना न होगा, इस बीच की सबसे बड़ी घटना भारत का विभाजन है। परिशिष्ट १७ तथा उत्तर परिशिष्ट १, २ और ३ पर इसकी द्वाप्र प्रत्यक्ष है। इसका राष्ट्र-भाषा की समस्या पर जो गहरा और एक अर्थ में निर्णयात्मक प्रभाव पड़ता है उसका उत्तर-परिशिष्ट ३ में विशेष रूप से विवेचन किया गया है।

ऐसी धारणा थी कि राष्ट्र-भाषा का प्रश्न भारतीय विधान-परिषद के

में केवल उर्दू शब्द हो आवेंगे—इसे कोई तर्क या भाषा-प्रेम रोक नहीं सकता। यह बात प्रत्यक्ष देखी जा सकती है। उदाहरण के लिये, ऊपर जिन उर्दू शब्दों को एकत्र किया गया है उनके हिन्दी पर्याय उर्दू वाले भूलकर भी नहीं लिखते और परिणाम-स्वरूप हिन्दी प्रदेश की शिष्ट बोलचाल में इन हिन्दी शब्दों में से अधिकाश प्रायः नहीं चलते, जब कि उर्दू पर्याय बाजारों में, गलियों में, रेल के डिव्हरों में, आदि सब जगह सुनने को मिल जायेंगे। यदि कहीं पर हिन्दी पर्याय चलते भी हैं तो उनका प्रयोग करने वाले उर्दू पर्याय अवश्य जानते हैं, परन्तु उर्दू शब्दों का प्रयोग करने वालों में से अधिकाश हिन्दी पर्यायों को जानते ही नहीं, अर्थात् बोलचाल की कामन भाषा में ये ही उर्दू शब्द हैं, हिन्दी पर्याय नहीं हैं। इन हिन्दी पर्यायों को हिन्दी वाले आपस में बैठ कर या सभा सोसाइटियों में भले ही प्रयुक्त कर लें, परन्तु ये आम जनता में नहीं चलते, और जब तक लिखित हिन्दी में शब्दों का यह द्वैतवाद ऐसा ही रहेगा तब तक कभी नहीं चलेंगे। यह केवल हिन्दुस्तानी को कृत्रिम रूप से गढ़ने की बात नहीं है कि हिन्दी उर्दू दोनों में जो शब्द आते हैं उन्हें ले लो। बास्तव में ऐसे ही शब्द बोलचाल में प्रचलित हैं, और ऐसे ही शब्द आगे चलाकर भी बोलचाल में प्रचलित होंगे॥ १ विद्वानों के साहित्य में हिन्दी उर्दू अलग अलग रहेगी पर बोलचाल की हिन्दुस्तानी बन कर रहेगी, उसे बनाने का प्रयत्न कोई करे चाहे न करे। किमी भी स्थान की बोलचाल की

॥ ऐसा हाने में रेडियो और सिनेमा बहुत बड़ो सहायता पहुँचा रहे हैं और पहुँचायेंगे। आज हमें रेडियो से शिकायत है और शिकायत का पूरा नौका है। उसे जाने दीजिये। सिनेमा को लीजिये। सिनेमा तो शुद्ध व्यापारिक सिद्धान्तों पर चलता है; वह तो साम्राज्यिकता से श्रोत प्रोत अफवरों के हाथ में नहीं है, उसे तो जनता से काम है और इस कारण सिनेमा नो बता सकता है कि अधिकाधिक संख्या में जनता किन शब्दों को समझती है। आज हमें सिनेमा से क्यों शिकायत है? यदि सिनेमा 'अन्तर' के बजाए 'रुक्क', 'सहानु-

न होगी, तो हिन्दी प्रान्तों में भाषा की समस्या तो ज्यों की त्यों रहेगी ही, राष्ट्र-भाषा के पद और हिन्दी प्रान्तों में राज-भाषा के पद पर हिन्दी को प्रतिष्ठित करने का निर्णय भी वहुत हद तक निर्णयक और अप्रत्यात्मिक सिद्ध होगा। दूसरी बात जिस पर यान देना होगा यह है कि गेड़ियों में 'हिन्दुस्नानों' का पूर्ण वहिप्कार करके हिन्दी की उचित प्रतिष्ठा की जाय और अन्य सब सरकारी विभागों में, हिन्दी प्रान्तों में और देश गे, नेपल लिपि ही देव-नागरी न हो चरन् भाषा भी यथार्थ में हिन्दी हा, और इस द्वारा शासन सम्बन्धी और अदालती पारिभाषिक गव्हर्नर्स का एक स्टडर्ड हिन्दी कोप बनाया जाय।

यदि इस पुस्तक से हिन्दी-प्रेमियों को हिन्दी पर आये हुये 'हिन्दु स्नानों' स्पी सकट को पहचानने में सहायता मिली और उन्होंने समझ रहे सावधान हो कर उसका सामना करने के लिये उचित कदम उठाये तो मैं अपना प्रवत्तन भफल समझूँगा।

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी,
७ सितम्बर, १९४७ } }

रविशंकर शुक्ल

यी, परन्तु पाली उसी सम्यता और संस्कृति का बाहन थी और उसमें संस्कृत साहित्य स्वाभाविक रूप से उत्तरता चला आता था। पाली भी बदली, परन्तु स्वाभाविक रूप से। भारत पर यूनानियों के आक्रमण के फलावरूप ग्रीक के प्रभाष के कारण भारतीय भाषा के विकृत होने का भय उत्पन्न हुआ। परन्तु भारतीय समाज उस समय सजग था। उसने भाषा को विकृत होने से बचाने का पूरा प्रयत्न किया। समाज के नेताओं ने आदेश दिया, 'कएठेडपि प्राणे यावनीं न बदेत्'। क्यों? उन्हें शुद्ध संस्कृत या पाली लिखने से तो कोई रोकता न था। परन्तु नहीं, उन्होंने समझा कि यदि बोलचाल में ग्रीक शब्द भारतीय शब्दों को निकालकर छुस गये तो कालान्तर में उनका साहित्य में भी छुस जाना अनिवार्य है, और इससे संस्कृति की अवश्य हानि होगी। संस्कृत की इस अखण्ड पीढ़ी में आज हिन्दी है। आज हिन्दी को चही काम करना है जो संस्कृत ने, पाली ने और अपभ्रंश ने किया है। हिन्दी के संस्कृत शब्द हमें अपने अतीत से, अपने प्राचीन साहित्य से जोड़ते हैं। उनमें जाति का जीवन है, जाति को मर मिटने की प्रेरणा देने की शक्ति है। हिन्दी जानने वाले के लिये संस्कृत अपेक्षाकृत सुगम है। हिन्दी के संस्कृत शब्दों के कारण हिन्दी में संस्कृत साहित्य उतारना, उसका अनुवाद करना सरल है। अगर हम आज अपनी मूर्खता के कारण हिन्दी में अपने शब्दों के होते हुये अरबी फारसी के शब्द भरते चलेंगे तो परिस्थिति ऐसी है कि हमारे अपने शब्द हमसे सदा के लिये छूट जायेंगे और हम अपनी सारी पैतृक सम्पत्ति से हाथ धो बैठेंगे। आजकल के हजारों हिन्दी कवियों और लेखकों से भी हाथ धो बैठेंगे। हिन्दी में अनावश्यक अरबी फारसी शब्द भरने की जो प्रवृत्ति आज हम देख रहे हैं, उससे हमें यही खतरा है। जो हिन्दी लेवर एक प्रचलित हिन्दी शब्द के स्थान में उदौश शब्द का प्रयोग करता है, वह साउदे के शब्दों में अपनी मातृ-भाषा के प्रति अनुभ्य अराध ता करना ही है, परिस्थिति ऐसी है कि वह एक प्रकार से हिन्दी शब्द की कब्र तैयार करता है।

प्रकरण		पृष्ठ
परिशिष्ट ५ (हिन्दुस्तानी)	"	२३५
परिशिष्ट ६ ("हिन्दुस्तानी का प्रचार क्यों" पर एक दृष्टि)	२३६	
परिशिष्ट ७ (दक्षिण-भारत हिन्दी प्रचार सभा किंधर ?)	२४५	
परिशिष्ट ८ (महाराष्ट्र में हिन्दी-हिन्दुस्तानी का संवर्प क्यों ?)	२४६	
परिशिष्ट ९ (महाराष्ट्र में गाष्ट्र-भाषा का प्रचार)	२५२	
परिशिष्ट १० (महाराष्ट्र की राष्ट्र-भाषा समस्या)	२५७	
परिशिष्ट ११ (महाराष्ट्र की राष्ट्र-भाषा समस्या)	२६०	
परिशिष्ट १२ (भारत की राष्ट्र-भाषा की समस्या)	२६३	
परिशिष्ट १३ (हिन्दुस्तानी का वेदान्त)	२६६	
परिशिष्ट १४ ('हरिजनसेवक')	२७४	
परिशिष्ट १५ (हिन्दुस्तानी का उद्गम)	२८१	
परिशिष्ट १६ (युक्त-प्रान्त की अदालतों की भाषा)	२८७	
परिशिष्ट १७ (हिन्दी प्रान्तों में शिळा का माध्यम)	३०२	

उत्तर-परिशिष्ट (पृष्ठ ३२४)

उत्तर-परिशिष्ट १ (रोमन लिपि का जयजयकार)	---	१
उत्तर-परिशिष्ट २ ('राष्ट्रीय' सरकार की रेहियो की भाषा विषयक नीति)	---	१५
उत्तर-परिशिष्ट ३ ('हिन्दुस्तानी' का गहस्य — एक हिन्दी के मुख से)	३६	

कर सकती (यद्यपि वह इँगलिस्तानी में चलता भी है)। यही बात उर्दू शब्दों के साथ लागू होनी चाहिये। उर्दू हिन्दी की एक शैली है, इस कारण उर्दू शब्दों के साथ रियायत नहीं की जा सकती। यदि उर्दू के हिन्दी की एक 'शैली' होने के कारण हिन्दी में आने वाले अनावश्यक उर्दू शब्दों पर आपत्ति नहीं की जा सकती, तो उस 'शैली' की लिपि में हिन्दी लिखे जाने पर भी आपत्ति नहीं होनी चाहिये, अर्थात् आवश्यकता न होने पर भी एक अतिरिक्त लिपि, उर्दू लिपि, हिन्दी के लिये स्वीकृत हो जानी चाहिए। वर्धा से भी एक कदम आगे !

फिर इँगलिस्तानी भी हिन्दी की एक 'शैली' है, इसलिये हिन्दी में अनावश्यक, इँगलिस्तानी के अँगरेजी शब्दों पर भी आपत्ति नहीं होनी चाहिये, और रोमन लिपि स्वीकृत होने पर भी नहीं !

वास्तव में 'उर्दू' हिन्दी की एक शैली है, इसी कारण हिन्दी को उर्दू से सबसे अधिक खतरा है, और इसी कारण उर्दू हिन्दी का मैदान मार सकती है और मार रही है। यह शैलीवाद हिन्दी को बहुत हानि पहुँचा चुका। अब इसका अन्त होना चाहिये। जिस प्रकार हम उर्दू लिपि से द्वेष नहीं करते, परन्तु उसमें हिन्दी लिखने के लिये तैयार नहीं, उसी प्रकार हम उर्दू शब्दों से द्वेष नहीं करते, परन्तु अपने शब्द होते हुये हम उन्हें हिन्दी में स्थान देने के लिए तैयार नहीं। फिर, यह शैलीवाद एकतरफा नहीं चल सकता। उर्दू भी हिन्दी को अपनी एक 'शैली' मान कर हिन्दी शब्दों के साथ वैसा ही व्यवहार करने का तैयार है जैसा व्यवहार उर्दू शब्दों के साथ करने की सलाह हमें दी जाती है ?

यदि हिन्दी और उर्दू दोनों के लिखने वाले (और पढ़ने वाले) एक ही होते और दोनों में (और दोनों लिपियों में) हिन्दी उर्दू के शब्द एक समान आते होते तो भी विशेष हानि न थी, क्योंकि अन्त में सामाजिक रूप से छेंट छूँटाकर वे ही शब्द रहते जिन में जीवित

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
२१६	८	चन	चेन
२१६	२५	र्णतः	पूर्णतः
२१८	१४	का	की
२१८	१८	अतनी	अपनी
२२३	१०	उदारण	उदाहरण
२२६	१५	मथिली	मैथिली
२५०	२४	नने	नेने
२८७	२५	श्रुकी ति-रुचि	की श्रुति-रुचि

उत्तर-परिशिष्ट (पृष्ठ ३२४)

१२	२५	‘इङ्गलिस्तनी’	‘इङ्गलिस्तानी’
२३	२५	समाचा	समाचार
४१	फुटनोट	‘पुनर्लेख’	‘पुनरश्च’
४६	६	हिन्दी	हिन्दी तो
५२	२५	Persani	Persian
५४	५	or	of

निवेदन

४	१	प	पर
४	४	कोर	को
४	२५	अशो	अशोक
५	२१	सफलना	सफलता
५	२५	कसम्भव	सम्भव
१०	११	स्तानी	-स्तानी

ही शब्द कई अर्थों में रूढ़ कर सकते हैं जैसे कि तने ही शब्द इस समय भी कई कई अर्थों में रूढ़ हैं, हिन्दी में भी और उद्दू में भी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यदि अँगरेजी में एक एक शब्द के कई कई पर्याय हैं तो उनका प्रयोग, ध्वनि का अन्तर करके या ध्वनि का अन्तर किये विना, अँगरेजी के सभी लेखक करते हैं और उन्हें एक ही लिपि में लिखते हैं—न अँगरेजी के लेखक हिन्दी उद्दू के लेखकों की भाँति दो दलों में बँटे हुये हैं और न अँगरेजी 'हिन्दी उद्दू' की भाँति दो लिपियों में लिखी जाती है। स्पष्ट है, अँगरेजी की तुलना हिन्दी या हिन्दुस्तानी से नहीं की जा सकती, और न अँगरेजी कोष की तुलना 'हिन्दी कोष + उद्दू कोष' से की जा सकती है। यदि हम आज अपने शब्दों के साथ उद्दू पर्याय जोड़ भी लें, तो उद्दू लेखक हिन्दी पर्यायों को स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं। हम यदि 'speech', 'discourse', 'lecture', 'talk', 'address', आदि की ध्वनि को स्पष्ट करने के लिये 'भाषण', 'वक्तृता', 'व्याख्यान', 'प्रवचन', 'अभिभाषण', आदि के साथ 'तकरीर' को और जोड़ भी लें, तो भी उद्दू वालों को सिवा 'तकरीर' के और कोई शब्द स्वीकार न होगा (और होगा भी तो 'lecture', 'speech', 'talk', आदि, हिन्दी का शब्द नहीं), और फलतः सब अर्थ 'तकरीर' में ही रूढ़ हो जायेंगे, केवल 'तकरीर' ओलचाल में चलेगा और शेष सब मर जायेंगे।

हमसे प्रायः कहा जाता है, अरे, एक एक शब्द के अनेक हिन्दी पर्याय याद करते हो या नहीं (कितने शब्दों के !), एक उद्दू पर्याय (क्या वह सदैव एक ही होगा ?) और याद कर लो। उत्तर में इतना कहना काफी है—क्या उद्दू वाले भी उद्दू पर्यायों के साथ एक हिन्दी पर्याय याद करने को तैयार हैं ?

साराशा यह कि ध्वनि में अन्तर करके उद्दू शब्द ग्रहण करने वाला खेल एक हद तक ही—बहुत कम शब्दों के विषय में—खेलना सभव है, और

तरजुमा, मरीज, सजा, वेव रूफ़, नुमायन्टा, हुक्म, ग्रहम, बजीर, एतराज, मरहद, सदी, माहिर, तहजीव, महदूद, सघ, शुक्रिया, रकवा, इफरात, नज्जारा, दुश्मन, शाम, जख्म, मेहमान, किताब, मुलाकात, इन्तजाम, मुश्किल, आसमान, इन्सान, दिमाग, वक्त, मशहूर, ताढाड, ननखाह, खबाव, मिसाल, जिन्दगी, नजर, फैसला, तकलीफ़, भीजूट, खत्म, रोज, ताज्जुव, काश्त, जायका, इस्तहान, मदद, झायदा, जगह, फर्क, सिर्फ, एलान, खास, मुनासिव, मुताविक, मजा, चाकई, फस्ल, ईमानदारी, सतर, गिलाफ़, कोशिश, हमला, मुखालफ़त, सब्ज़ी, रोजाना, रिश्ता, कायदा, मुफ्त, आधाज, रोशनी, मुल्क, रुह, वेरहम, जुल्म, झीरन, शहशाह, बगैरह, कमजोर, जिम्मेदार, अलावा, वादशाह, सलाह, मशविरा, तारीफ़, पेगाम, वहस मुवाहिसा, तब्खा, कामयाव, मातहत, यकीन, खबाहिश, मिजाज, ग्विटमत, तमन्ना, हस्त, शगफ़त, आमदनी।

लगभग इन सब शब्दों के हिन्दी पर्याय भी इन्हीं ५० पृष्ठों में आवेदे हैं और विलकुल उन्हीं अर्थों में प्रयुक्त हुये हैं जिनमें उदूँ शब्द। प्रायः एक ही लेख में, वल्कि एक ही वाक्य में, हिन्दी और उदूँ के पर्यायवाची शब्द मौजूद हैं, और एक ही भाष या वस्तु के लिये एक बार हिन्दी का शब्द आया है और दूसरी बार उदूँ का शब्द। क्या आप बता सकते हैं कि ससार की किस भाषा में, हिन्दी को ल्होइकर, ऐसा देखने में आता है? उदूँ में तो अवश्य ही नहीं।

अँग्रेजी में ऊपर से पर्यायवाची जान पड़ने वाले कई कई शब्द होते हैं, परन्तु उनमें ध्वनि और अर्थ का सूच्चम अन्तर होता है, और अच्छी अँग्रेजी जानने वाला एक के स्थान में दूसरा शब्द प्रयुक्त करने की भूल नहीं करेगा। ‘Letter’ के स्थान में ‘Despatch’, ‘Able’ के स्थान में ‘Competent’, ‘Speech’ के स्थान में ‘Discourse’, ‘Hate’ के स्थान में ‘Contempt’ आदि, आदि कोई नहीं लिखेगा। फिर ऐसे सूच्चम अर्थ-भेद वाले कई कई शब्द प्रायः गम्भीर भावों को प्रकट करने के लिये होते हैं। नित्य

का कष्ट नहीं करते कि उधार मागने की आवश्यकता भी है या नहीं, और न यह सोचते हैं कि ऐसा करने का क्या परिणाम हो रहा है और अपने घर की दालत पर क्या गुजर रही है।

कहने का तात्पर्य यह है कि अरबी फारसी शब्दों की मर्यादा निश्चित होनी चाहिये, और जो अरबी फारसी शब्द आवश्यक हैं अथवा जिन्हें वरिस्थिति देखते हुये रखना अभीष्ट है उन्हें छोड़ कर शेष का बहिष्कार कर देना चाहिये और भविष्य के लिये भी बिना सोचे समझे अनावश्यक उर्दू शब्दों को हिन्दी में छुसेइने की बढ़ती हुई प्रवृत्ति का दमन कर उन सिद्धान्तों को स्थिर कर देना चाहिये जिनके अनुसार अरबी फारसी शब्द ग्रहण किये जा सकते हैं। हिन्दी के एक स्टैडर्ड कोष का निर्माण किया जाय जिसमें शब्द निश्चित किये हुये रूप, निश्चित की हुई स्पेलिंग में, निश्चित की हुई लिंग के सकेत, आदि के साथ तो छोड़ें ही, उसमें केवल उन्हीं अरबी फारसी (या अँगरेजी) शब्दों का समावेश किया जाय जो हिन्दी में ग्रहीत माने जायें। जिन उर्दू शब्दों का हिन्दी से बहिष्कार होना चाहिये उनकी एक तालिका अलग से भी सूचनार्थ प्रकाशित की जाय।

स्पष्ट है, यह स्टैडर्ड कोष हिन्दी-शब्द-सांगर से बहुत भिन्न होगा। हिन्दी-शब्द-सांगर में से वे सब अरबी फारसी शब्द निकालना पड़ेंगे जिनको हिन्दी में स्थान नहीं दिया जा सकता। यदि नागरी प्रचारिणी सभा को उर्दू शब्दों और 'उर्दू शैली' से विशेष प्रेम है, तो वह उस 'शैली' के शब्दों को अलग कोष-बद्ध करके उसी 'शैली' की लिपि में छाप दे, और उसे अप-हु-डेट रखने के लिये अपने कोष-फड़ का आधा रूपया इयरमार्क कर दे #।

* जब रूस, चीन, आदि विदेश 'हिन्दी' के स्टैडर्ड कोष की मांग करें, तो नागरी प्रचारिणी सभा चाहे तो केवल 'हिन्दी' शैली का स्टैडर्ड कोष भेज दें और चाहे तो उसके साथ उर्दू 'शैली' का उर्दू लिपि में छापा हुआ उर्दू-कोष भी भेज दे। नागरी हिन्दी-कोष में अंजुमन-तरक्की-उर्दू के पास से

शब्द हिन्दी लेखक और उर्दू लेखक दोनों प्रयुक्त करते हैं उनके आधार पर 'हिन्दुस्तानी' क्यों न बनाई जाय ? हिन्दी वाले कहेंगे (जैसा श्रीसमूर्णानन्द ने ही कहा है), वात तो ठीक है, परन्तु उन हिन्दी पर्यायों को कैसे छोड़ा जा सकता है जिनको भी हिन्दी लेखक प्रयुक्त करते हैं ? इस तर्क में विलकुल जान नहीं । हिन्दी वाले इन शब्दों को प्रयुक्त करते होंगे, परन्तु उर्दू वाले तो नहीं करते । हिन्दी पढ़ने वाले इन शब्दों को जानते होंगे, परन्तु उर्दू पढ़ने वाले तो नहीं जानते । फिर कामन भाषा में ये शब्द 'आम-फ़हम', कामन पर्यायवाची शब्दों के मौजूद होते हुये कैसे लिये जा सकते हैं ? हिन्दी वालों को हजारों शब्दों के दो दो पर्यायों को घोटने की, लिखने की और कोपन्वद्ध करने की फुरसत होगी, परन्तु कामन, आमफ़हम भाषा में यह शब्दावली नहीं चल सकता । है हिन्दी वालों के पास इसका कोई उत्तर ?

वात यहीं पर समाप्त नहीं हो जाती । भाषा एक सिद्धान्त नहीं, जो तर्क से सिद्ध किया जा सके । भाषा एक व्यवहार की, नित्य के काम की चीज है । भाषा में वे ही शब्द जीवित रहेंगे जो नित्य बोलचाल में आते हैं, और उन्हीं में भाषा के जीवन और शक्ति की अभिव्यक्ति होगी । और बोलचाल में वे ही शब्द अपने आप आवेंगे जिन्हें सब समझते हैं । यह प्राचीक नियम है कि जब दो व्यक्ति आपस में वात करते हैं तो उनी भाषा और उसी शब्दावली का प्रयोग करते हैं जिसे दोनों समझते हैं । इस नियम में कोई तर्क व्याघात नहीं डाल सकता । अब हिन्दी की परिस्थिति पर गौर काजियं । समस्त हिन्दी प्रदेश में हिन्दी के साथ साथ उर्दू चलती है और सब जगह हिन्दी पढ़ने वाले और उर्दू पढ़ने वाले द्विले मिले रहते हैं । ऐसी अवश्य में यदि हिन्दी वाले अपने हिन्दी शब्द जानते हैं और हिन्दी में प्रचलित उनके उर्दू पर्याय भी जानते हैं, परन्तु उर्दू वाले केवल उर्दू पर्याय जानते हैं, तो हिन्दी प्रदेश की बोलचाल

सुन पड़ते हैं) हो गया है। चूँकि इस समय राजनीतिक, साहित्यिक, सामाजिक, आर्थिक, सभी हळचलों में शहरबालों के हाथ में प्रभुत्व है, प्रत्येक बात शहरों के मापदंड से नापी जाती है। विदेशी शासन ने शहरों को गाँवों से और बुद्धिजीवी वर्ग को वास्तविक जनता से इतना दूर कर दिया है कि शहरबाले हर एक बात को अपने दृष्टिकोण से देखने के आदी हो गये हैं। भाषा के मामले में भी यही बात है। लखनऊ में हिन्दुस्तानीभाषी बड़े तपाक से पूछेंगे, म्याँ, यहाँ 'अतिथि' कौन बोलता है (बिलकुल ठीक), और 'मेहमान' को (‘गेस्ट’ को नहीं) 'हिन्दुस्तानी' की उपाधि दे देंगे, मानो लखनऊ से तीन कोस पर चारों ओर बसने वाले विशाल जन समुदाय में, जिनसे अबध आवाद है, चलने वाले 'पाहुन' शब्द का कोई महत्व ही न हो। हिन्दी वाले जब लिखने बैठेंगे तो या तो 'मेहमान' रहने देंगे या उसके स्थान पर 'अतिथि' घर देंगे जिसे कोई नहीं बोलता। 'पाहुन' उन्हें भी नहीं सूझेगा या रुचेगा।

तात्पर्य यह कि हिन्दी वाले, जो अपनी भाषा के लिये जनता की भाषा होने का दावा करते हैं, या तो एक ऐसे अल्पसंख्यक वर्ग में प्रचलित अरबी फारसी शब्दों को 'हजम' कर लेंगे जो दाल में नमक के बराबर भी नहीं है या उनके स्थान में अमर-कौप से शब्द चुन लायेंगे जिन्हें कोई नहीं बोलता—कथा कहते समय पड़ितजी भी नहीं बोलते।^५ अपने घर की दौलत—वास्तविक हिन्दी शब्द जो अधिकाश जनता और वास्तविक मातृ-भाषा में प्रचलित हैं—नहीं रुचनी। यह सत्य है कि हिन्दी में यह प्रवृत्ति उर्दू से आई है (उर्दू का फसाहत बाद), प्राचीन हिन्दी साहित्य में ऐसा नहीं है, उसमें देशज और तङ्ग शब्द निर्संकोच भाव से और घड़ल्ले से आते हैं और बाद ही को हम उर्दू के प्रवाह में वह गये। परन्तु यदि आज हिन्दी को उर्दू

^५ऐसे ही शब्दों के कारण 'हिन्दी' पर 'कृत्रिम' होने का लांछन लगाया जाता है। आगे देखिये।

भाषा सदेव एक रही है और एक रंगी, और उनमें रजारा शब्दों के दो ढो पर्याय न कभी चले हैं और न कभी चल नकते हैं। यदि एक 'मूर्ति' के बजाय 'हमदर्दी', 'मनुष्यता' के बजाय 'इन्सानियत', अर्थात् वे नमी उद्भव शब्द जो हिन्दी उद्भव दोनों में आते हैं और इस कारण जिन्हें टजरी भारत की (अर्थात् हिन्दी उद्भव प्रदेश की) सब जनता समझती है, प्रयुक्त करता है और उनके हिन्दी पर्यायों को कभी प्रयुक्त नहीं करता, तो वा वया दुरा करता है ? सिनेमा भाषा इस प्रेसी नहीं, लेकिं का प्रेसी डे। उन्हें स्नारे शब्दों से प्रेस क्यों हो, जब हमें ही उनमें प्रेस नहीं हम ही उनके उद्भव पर्यायों को धब्बल्जे से लिपते हैं (और बोलते तो कंचल उद्भव शब्द ही है) ? सिनेमा के पाव्र उन शब्दों को दरो बोलें जिन्हें हम ही नहीं बोलते, और उन शब्दों को क्यों न बोलें जिन्हें सब बोलते हैं ? जब कोई चित्रनिर्माता विंगेप कालणों से, विशेष कर वामिक चित्रों में, ऊपर बाले उद्भव शब्दों के बजाय हिन्दी शब्दों का प्रयोग करता है, तब हम उनकी प्रशंसा के पुल वीधि देते हैं और 'हिन्दी प्रेस' के लिये उसे बवाई देते हैं, परन्तु यह सोचकर गर्म महों आती कि हेसकी प्रशंसा करने की नीवत हो क्यों आई ? यह एक ऐसी साधारण बात क्यों नहीं है जिसकी प्रशंसा करने की आवश्यकता ही न हो और जिसे प्रत्येक चित्रनिर्माता स्वयम् अपने लाभ के लिये करना आवश्यक समझे ? बास्तव में हम अपनी कमज़ोरी की तरफ देखना नहीं चाहते। यह सोचने नहीं बैठते कि ऐसे चित्र कितने हैं जिनमें इन हिन्दी शब्दों का प्रयोग हुआ है (और क्यों हुआ है) और ऐसे चित्र कितने हैं जिनमें 'डनके उद्भव' पर्यायों का प्रयोग हुआ है, और इस व्यापारिक युग में ऐसे, हिन्दी शब्दों बाले, तो चार चित्र भी कर नक बन सकेंगे। ऐसा क्यों है कि कलकत्ता (अर्थात् बंगला प्रदेश) और बन्दरू (अर्थात् भराठी-गुजराती प्रदेश) में जो 'हिन्दुस्तानी' के चित्र बनते हैं उनमें भी यही उद्भव आते हैं। क्या इससे यह स्पष्ट नहीं हो जाता कि यह बात कि हमारे हिन्दी शब्द अन्य भाषाओं के अधिक निकट हैं विल्कुल बेकार है, बास्तव में हिन्दी प्रदेश में प्रचलित हिन्दी या हिन्दुस्तानी ही सुख्य है ?

सारांश यह है कि सिनेमा का मामला पुरु ऐसा मामला नहीं है जिसे हम आनंदलन चलाकर या केन्द्रीय धारा-समा में उठा कर लिकाने पर ला सके।

भाग में उस भाग विशेष के देशज शब्द खड़ी बोली में प्रयुक्त होते हैं। मान लीजिये कहीं अरबी फारसी शब्द भी प्रयुक्त होते हैं। हम प्रत्येक शब्द के दर्जनों पर्याय तो ले नहीं सकते। हमें भाषा को सार्वदेशिक रूप देने के लिए सबसे अधिक निकट पर्याय छाँट लेना है। क्यों न हम अरबी फारसी शब्द के बजाय उसका कोई देशज पर्याय छाँटें? हिन्दी सम्पूर्ण हिन्दी-प्रदेश की साहित्यिक भाषा इसीलिये है कि उसमें हिन्दी प्रदेश की सभी बोलियाँ अन्तर्निहित हैं। जब हिन्दी ब्रज, अवधी, बुन्देली, कन्नौजी, छत्तीसगढ़ी, आदि बोलियों से अपना घरेलू नाम जोड़ती है तो उसे इन बोलियों को अरबी फारसी की अपेक्षा प्राथमिक महत्व भी देना पड़ेगा, और विदेशी भाषाएँ आंखों से पहले इन बोलियों के शब्द-भाषाएँ से शब्द चयन करना होगा। इन हिन्दी बोलियों के बाद राजस्थानी और विहारी बोलियों की बारी आयगी जिनके बोलने वालों ने हिन्दी को अपनी साहित्यिक भाषा के रूप में स्वीकार किया है। इतना बड़ा देशी खजाना सामने होते हुये विदेशी शब्दों को अपनाना घोर मूर्खता और पागलपन है। (हाँ, अगर हिन्दी को केवल शहरों के थोड़े से लोगों की और उनमें से भी केवल पुरुषों की भाषा बनाना अर्मीष्ट है, तो बात दूसरी है।) यही देशज-शब्द-प्रधान हिन्दी चास्तविक हिन्दुस्तानी या जनता की भाषा होगी जो सब प्रकार से स्वदेशी, बोलचाल की, जीवित भाषा होगी। यदि कोई हिन्दुस्तानी वाला कहेगा कि अरबी फारसी शब्द बोलचाल में प्रचलित है इसे क्यों नहीं लेते, तो हम कह सकेंगे कि इसका यह देशज या तद्धव पर्याय भी बोलचाल में प्रचलित है इसलिये इसे ही क्यों न रहने दें। बोलचाल में प्रचलित एक एक शब्द के ढेढ़ दर्जन पर्यायों को रखना है तो वे अपनी हिन्दुस्तानी में रखकरें, हमें इस गङ्गाबङ्ग-धोटाले की आवश्यकता नहीं (और उर्दू को तो नहीं है ही—वह छोटे से बर्ग में प्रचलित केवल अरबी फारसी शब्दों को ही लेकर सहुष है)। यहाँ दो आक्षेपों का उत्तर देना असंगत न होगा। पहला आक्षेप यह

हमें पृथ्वी की जगह जमीन, आकाश की जगह आममान और अम्बास को जगह आदत कहने की आदत पढ़ गई है .." ('अन्धी हिन्दी', पृष्ठ ८५), उसी प्रकार नीस वर्ष वाट दूसरी पीढ़ी 'तकरीर', 'मकउद', 'स्यारी', 'बजरत', 'सदर', 'सदारत' .. को सरल और 'भापण', 'उद्देश्य', 'राजनीतिक', 'भंत्रि-मंडल', 'सभापति', 'सभापतित्व'----- को रुठिन समझेगी, और कि धीरे धीरे ललित हिन्दी से भी इन हिन्दी शब्दों का वर्दिकार हो जायगा, और इस सबके लिये वे हिन्दी लेखक ही उत्तरदायी होने जो आज उदूँ को प से ह्यॉट ह्यॉट कर उदूँ शब्दों को हिन्दी में बुमेझने में ही अपना पॉटित्व समझते हैं । कोई जीवित साहित्यिक भाषा, यदि उसे जीवित रहना है, वो लचाल की उपेक्षा नहीं कर सकती । यदि हिन्दी में साधारण लोलचाल में सब जगह प्रचलित उदूँ शब्दों के स्थान में हिन्दी शब्दों का जवर्दस्ती प्रयोग किया गया, तो वह संस्कृत के समान मृत-भाषा हो जायगी, और यदि हिन्दी में विना मर्यादा के और अनाषश्यक उदूँ शब्द बुमेझने की यही प्रवृत्ति रही और हिन्दी जीवन के साथ भी चली, तो कालान्तर में साहित्यिक हिन्दी मी उदूँ में परिणत हो जायगी, और जो हिन्दी शब्द आज अपने उदूँ पर्यायों के साथ साथ हिन्दी में दिखाई देते हैं वे एक एक करके विलकुल छुप हो जायेंगे । लोलचाल की बातचिक कामन भाषा तो उदूँ होगी ही, और उसी में सरकारी काम होगा, रेडियो बोलेगा और सिनेमा चित्र बनायेगा ।

इसका परिणाम भी समझ लेना चाहिये । अपने प्राचीन शब्दों के छूट जाने से अपना प्राचीन माहित्य भी हमसे दूर हो जायगा और हमारी सत्कृति तथा स्म्यता को एक जवर्दस्त धक्का लगेगा । भाषा सत्कृति और स्म्यता का जीता जागता प्रतीक होती है । भाषा का रक्षाभान्दक विभास या परिवर्तन होना और वात है, उसका विहृत और दूषित होना और वात । मध्यदेश की भाषा संस्कृत बुद्ध के समय में लोलचाल में पाली का रूप धारण कर चुकी

हैं उनके विषय में ऊपर जो सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये हैं उन्हीं के अनुसार हिन्दी में से उन अरबी फ़ारसी शब्दों को भी निकाल डालना चाहिये जिनके संस्कृत तत्सम और तद्भव पर्याय जनता की बोलचाल में प्रचलित हैं, भले ही वे अरबी फ़ारसी शब्द भी विशिष्ट बगों की अथवा जनता की ही बोलचाल में प्रचलित हों। ऐसे अरबी फ़ारसी शब्दों के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं—

इक (अधिकार), वेरहम (निर्दयी), वेशर्म (निर्लज्ज), संजीदा (गम्भीर), रुह (आत्मा), गुनाह (पाप), सवाव (पुराय), वदनसीध (अभाग), हुक्म (आज्ञा), कब्जा (अधिकार), रोजाना (नित्य), रोज (दिन), किला (गढ़), जहर (विष), ज़हरीला (विपैला), मर्ज (रोग), मरीज (रोगी), दरिया (नदी), वलगम (कफ), मुलाकात (मैट), यकीन (विश्वास), सजा (दड़), जुर्म (अपराध), मुजरिम (अपराधी), क़स्तूर (दोष), खिदमत (सेवा), वेवकूफ (मूर्ख), इन्साफ़ (न्याय), इन्साफ़-पसन्द (न्यायी), खैरियत (कुशल), खैर सल्ला (कुशल मगल), वेवा (विघ्ना), ख्वाहिश (इच्छा, अभिलापा), रज (दुख), तकलीफ (कष्ट), बारिश (बर्पा, बरखा), तफरीह (आनन्द), फौरन (तुरन्त), बदहज्मी (अपच, औरुन), शाम (सभा, सॉफ्ट), जिस्म (शरीर, देह), रोजगार (व्यापार), जमीन (धरती, भूमि, भू), शादी (विवाह, व्याह), मुल्क (देश), रिश्तेदार (सम्बन्धी), रिश्ता (सम्बन्ध), मुराद (इच्छा), औलाद (सन्तान), कदम (पग), कतार (पक्कि, पॉटी), ख्वाव (स्वप्न, सपना), जायका (स्वाद), बजीर (मन्त्री), हिस्सा (भाग), तजुरबा (अनुभव), तजुरवेकार (अनुभवी), एतवार (विश्वास), पनाह (शरण), दौलत (धन), बजह (कारण, कारन), उम्मीद (आशा, आस), बेफ़िक (निश्चन्त, निचन्त), फ़िक (चिन्ता), बादशाह (राजा), मिज़ाज (स्वभाव), खुश (प्रसन्न), हुक्मत (राज), सल्तनत (राज्य),

२. द्वैतवादियों के कुछ तर्क

हिन्दी की इस द्वैत की वीमारी को स्वास्थ्य सिद्ध करने के लिये कुछ तर्क भी उपस्थित किये जाते हैं। उन पर भी विचार कर लेना चाहिये।

(१) प्रचलित अरबी फारसी शब्दों को कंसे छोड़ा जा सकता है।

अवश्य नहीं छोड़ा जा सकता; इतना ही नहीं, प्रचलित शब्द छोड़ने से भी नहीं छूट सकते। चास्तब में इसीलिये हिन्दी वालों को सावधान करने की ज़रूरत है। परन्तु 'प्रचलित' से तात्पर्य क्या है? सासार की जीवित भाषाओं का ऐसा कौनसा शब्द है जो कहीं न कहीं प्रचलित नहीं है? जिस प्रदेश को हम 'हिन्दी प्रदेश' कहते हैं (अर्थात्, उक्त-प्रात, विदार, मध्य-प्रात और राजस्थान) उसमें प्रचलित अर्थात् उसकी विभिन्न बोलियों में प्रचलित सभी शब्द क्या हिन्दी में है अथवा लिये जा सकते हैं? यदि केवल खड़ीबोली (लिखित खड़ीबोली या बोली जाने वाली खड़ीबोली?) में प्रचलित शब्दों को 'प्रचलित' की उपाधि दी जा सकती है, तो उदूँ का ऐसा कौनसा शब्द है जो 'प्रचलित' नहीं है—और वह भी इसी हिन्दी प्रदेश में? फिर हिन्दी में केवल इतने ही उदूँ शब्दों को छुसेड़ कर करात क्यों कर ली जाती है? हिन्दी को उदूँ से भिन्न रखने की ही क्या ज़रूरत है? चूंकि मुसलमान उदूँ छोड़ नहीं सकते और न उसमें कोई परिवर्तन कर सकते हैं, हिन्दी बाले ही हिन्दी को उदूँ बना दें—कामन मापा भी बन जाय और हिन्दी उदूँ का भरग़ा भी यत्म हो जाय। सब उदूँ शब्द 'प्रचलित' ही होंगे। फिर, इँगलिस्तानी या वावू हिन्दुस्तानी भी तो नहीं बोली है। उसके 'प्रचलित' ऑग्रेजी शब्द क्यों छोड़ दिये जाते हैं? 'सन', 'तकरी', 'स्थासी', 'बजारत'—‘आदि, आदि ही क्यों? 'लेटर', 'स्वीच', 'पोलीटिकल', 'मिनिस्टरी' आदि, आदि भी क्यों नहीं?

ईमानदारो, ईमान, सुफ्त, परेशान, ताज़ा, मंसूख, मुअच्चल, तफतीश, शिनाख्त, मुआवजा ।

हमें कुछ अरबी फारसी शब्द ऐसे भी लेने पड़ेंगे जिनके हिन्दी पर्याय हैं तो, पर वे अरबी फारसी शब्दों के सब प्रयोगों और अर्थों में रुढ़ नहीं हैं । उदाहरणार्थ, ‘यह दिलचस्प कहानी है’ के बजाय यह तो कह सकते हैं ‘यह मनोरंजक कहानी है,’ परन्तु ‘इस मामले से मुझे दिलचस्पी है’ में ‘दिलचस्पी’ को नहीं बदला जा सकता । ‘इधर उधर से पूँजी जमा की’ की जगह ‘इधर उधर से पूँजी इकट्ठी की’ हो सकता है, परन्तु ‘डाकघर में रुपया जमा कर दो’ के बजाय ‘डाकघर में रुपया इकट्ठा कर दो’ नहीं हो सकता । ‘हिसाब सीखो’ में ‘हिसाब’ की जगह ‘गणित’ हो सकता है, परन्तु ‘खर्च का हिसाब यों है’ में ‘हिसाब’ की जगह ‘गणित’ भदा और मुहावरे के चिरुद्ध होगा (‘हिसाब’ ‘Mathematics’ और ‘Account’ दोनों के अर्थ में रुढ़ है, ‘गणित’ नहीं है) । ‘पत्र की प्रतिलिपि’ हो सकता है, परन्तु ‘ओंगरेजों की नकल’ कहना पड़ेगा । परन्तु ऐसे अरबी फारसी शब्दों को हमें तभी प्रयुक्त करना चाहिये जब उनके स्थान में अपने शब्द प्रयुक्त करना सम्भव न हो, अर्थात् जब मुहावरे, बोलचाल या रोजमर्रा का तकाजा हो । इन शब्दों से यही प्रकट होता है कि ज्यों ज्यों कोई शब्द अधिकाधिक व्यवहार में आता है त्यों त्यों वह अनेक अर्थों में रुढ़ होता चला जाता है । (‘मौसम’ का उदाहरण पहले दिया जा चुका है ।) हमने अपने स्वदेशी शब्दों की ओर से नज़र फेर ली, इसलिये उनके अर्थ संकुचित होते चले गये । हमें अब अपने शब्दों का अर्थ चिर्स्तृत करना चाहिये और उन्हे विभिन्न व्यनियों और अर्थों में रुढ़ करना चाहिये (उदाहरणार्थ, ‘यात्रा’ को केवल धार्मिक यात्रा के लिये रिज़र्व करने की आवश्यकता नहीं, रेल के ‘सफर’ को भी ‘यात्रा’ कहना चाहिये) । मुहावरों में जो अरबी फारसी शब्द पैठ गये हैं उन्हे भी केवल मुहावरों के साथ लेना होगा, परन्तु भविष्य में अपने ही शब्दों से मुहावरे बनाने चाहिये ।

के दो दो (बल्कि तीन तीन) पर्याय होना बड़े हुये हाजमे की निशानी है। यह तो वादी है। इसे छाँटना है, बढ़ाना नहीं है।

यह तो हाजमा बढ़ाने के चिप्य की बात हुई जो सदैव लागू है। परन्तु हिन्दी को तो परिविति ही दूसरी है। जैसा कर कहा जा चुका है, एक भी अनावश्यक उर्दू शब्द हजम करने का अर्थ है उसके हिन्दी पर्याय में सदैव के लिये हाथ धो बैठना। यदि हम इसी प्रकार उर्दू शब्द 'हजम' करते चलेंगे तो हिन्दी उर्दू को नहीं बरन् उर्दू हिन्दी को हजम कर जायगी, अर्थात् हिन्दी लुप्त हो जायगी और केवल उर्दू, अपने इसी रूप में, रहेगी। उर्दू ने जमाने से हिन्दी शब्दों का सफलता के साथ मतरुक कर रखा है और यह क्रम अब भी जारी है। यह नहीं हो सकता कि उर्दू वाले तो हजम किया हुआ उगलते जायें और हिन्दी वाले स्वदेशी माल छोड़कर चिदेशी माल निगलते जायें। यदि हिन्दी का समाप्त करना ही अभीष्ट हो तो बात दूसरी है, परन्तु यदि हिन्दी की रक्षा करनी है तो बहुत सोच समझ कर खाना होगा।

(३) सभी भाषायें अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करती हैं।

अवश्य ग्रहण करती हैं। परन्तु वे ही शब्द ग्रहण किये जाते हैं जो मापा की अभिज्ञना शक्ति के पूरक होने हैं और अपने भागडार में नहीं होने। आखिर उर्दू भी तो एक भाषा है जो हिन्दी के साथ साथ उसी प्रदेश में प्रचलित है। परन्तु उर्दू में तो हिन्दी जैसी धौधली देखने में नहीं आती। उर्दू भी हिन्दी से शब्द ग्रहण करती है, परन्तु आँख मीच कर, अनावश्यक शब्द नहीं। हिन्दी को ही 'समाप्ति' या 'अच्युत' होने हुए 'सदर' की क्या आवश्यकता पड़ गई? अँगरेजी ने भी हजारों शब्द चिदेशी भाषाओं से ग्रहण किये हैं परन्तु अपने शब्दों के होते हुये नहीं। 'Friend' होते हुये अँगरेजी 'मित्र' या 'दोस्त' कभी ग्रहण नहीं कर सकती। हिन्दी ने भी बगना, अँगरेजी, आदि भाषाओं से शब्द ग्रहण किये हैं और आगे भी करेगी, परन्तु केवल आवश्यक शब्द ही। 'मित्र' होते हुये हिन्दी 'Friend' ग्रहण नहीं

सलामत, मलका, उस्ताद, मग्नुर, मदुं मशुमाशी, ओहदा, अजोबो
ग्रीब, मुतफरिक, कुदरती, कुदरत, हमदर्दी, ज़रब, तरमीम, शाहंशाह,
वाजिब, तकरीबन, सेहत, करोब, अख्तियार, नाराज, नाखुश, ख़रीद-
फ़रोखत, अम्न, दरिन्दा, निजाम, शुक्रिया, सरहद, हैरतअंगेज,
वरखिलाफ, वेशकीमत, मुतलिक, हसीन, सदी, मुस्तकिल, लफ़ज़,
सज्जिश, बाक्या, बारदात, फेहरिस्त, तनहा, तनहाई, नुकताचीनी,
जावज़, इज़हार, शराफत, तमन्ना, नुस्ख, हस्फ़ ।

हिन्दी प्रदेश की अधिकाश साधारण जनता को अभी तक साधारण
बोलचाल के लिए इन शब्दों को आघश्यकता ही नहीं पड़ी । ये अरबी
फ़ारसी शब्द 'जनता' की बोलचाल में प्रचलित नहीं, और इसलिए इन्हे
हिन्दी में प्रयुक्त करना अपराध है । इनमें से कुछ शब्द या मधीं शब्द
विशिष्ट वर्गों की बोलचाल में प्रचलित माने जा सकते हैं, परन्तु ऐसे विशिष्ट
वर्गों की बोलचाल में इनके हिन्दी पर्याय भी प्रचलित हैं, और इसलिए
हम इन विदेशी शब्दों को नहीं ले सकते (इङ्ग्लिस्तानी के अँगरेजी शब्दों
की भौति) । यदि विशिष्ट वर्गों की बोलचाल में प्रचलित कुछ अरबी फ़ारसी
शब्द ऐसे भी हैं जिनके हिन्दी पर्याय विशिष्ट वर्गों की बोलचाल में भी प्रच-
लित नहीं, तो भी हम उन विदेशी शब्दों को नहीं ले सकते (इंगलिस्तानी-
में प्रचलित, कितने ही हिन्दी के अप्रचलित शब्दों के अँगरेजी पर्यायों की
भौति) । जैसा पहले कहा जा चुका है, हमें उनके हिन्दी पर्याय प्रचलित
करने का पूर्ण अधिकार है और हमें उन्हे अवश्य प्रचलित करना चाहिए ।
इस वर्ग के शब्दों के जो उदाहरण ऊपर दिये गये हैं, उनमें से जिन शब्दों
को हिन्दी में बुसेबना लेखक की राय में महापाप है, उन्हें मोटे अच्छरों में छाप
दिया गया है । वास्तव में हिन्दी के जो लेखक अमाध्यानी से या जान वूझ-
कर (या 'हिंदुस्तानी' के आग्रह से) इन शब्दों को और इस प्रकार के
अन्य शब्दों को हिन्दी में प्रयुक्त कर रहे हैं वे हिन्दी को हत्था कर रहे हैं,

रहने की नैमित्तिक शक्ति होती और जो समाज को भा जाते । यदि उद्दू न होती और मैदान में एकमात्र हिन्दी होती तब तो हिन्दी में अनावश्यक और आवश्यक अरवी फारसी शब्द आने से बिलकुल हानि न होती । जो शब्द अनावश्यक सिद्ध होते वे पुराने, जमे त्ये शब्दों के मुकाबले में अपने आप मर जाते और आवश्यक शब्द भाषा में खप जाते— किसी दल को यह आग्रह न होता कि नहीं, हमारी भाषा में तो केवल यही अरवी फारसी शब्द आयेंगे, और न किसी दल को एक भिन्न लिपि में लिख कर एक भिन्न शैली और एक भिन्न गाहित्य की सुष्टि करने का आग्रह होता । यदि आज अँगरेजी में सौ दो सौ अँगरेजी शब्दों के अरवी फारसी पर्याय जोड़ भी दिये जायें, तो चूँकि किसी अँगरेजी लेखक को इन अरवी फारसी शब्दों के प्रति कोई आग्रह न होगा, वे चलेंगे ही नहीं—अधिक से अधिक कोण में पड़े रहेंगे । स्थान है कि हिन्दी के अँगरेजी या किसी अन्य प्रदेश की एक लिपि में, एक सकृति चाले लेखकों द्वारा लिखी जाने वाली एकमात्र भाषा ने तुलना नहीं की जा सकती । हिन्दी की विशेष परिस्थिति है । हिन्दी का पाला उद्दू में पड़ा है जिससे उसका पग पग पर मुकाबला है । और उद्दू ने प्रण कर रखकर ही लेगी और वह अपना प्रण पूर्ण रूप ने निभा रही है । (उद्दू लिपि की अपूर्णता के कारण इस प्रण के निभाने में और भी सहायता मिल रही है ।) उद्दू चाले हिन्दी शब्दों का विधिकार करने पर तुले हुये हैं । फिर हिन्दी किस प्रकार सब कुछ भूल कर 'उदार' बन जाय ? यह 'उदारता' तो मौत का फन्दा प्रमाणित होगी ।

(४) हिन्दी में हिन्दी शब्दों के उद्दू पर्यायों को घनि का अन्तर करके लिया जा सकता है । 'आशार्य' और

परन्तु कितने शब्दों को लिया जा सकता है ? 'आशार्य' और

चाल में 'तकरीर' ही चलेगा, 'भाषण' पीछे पड़ता जायगा। किसी बह्ता या सिनेमावाले को भी 'भाषण' की ज़रूरत न रह जायगी। लिखित हिन्दी में भी फिर अधिकाधिक 'तकरीर' का ही प्रयोग होगा और एक पीढ़ी बाद डा० ताराचन्द और प० सुन्दरलाल के वशज पूछेंगे, अमॉ, यह 'भाषण' क्या चीज है? यह हिन्दुस्तानी तो मालूम नहीं देता। वास्तव में वह एक अजीब चीज होगा, और उसका उपयुक्त स्थान मुर्दा अजायबघर या अमरकोष होगा। 'समवन्य' (एक तरफा?), 'उदारता' (या आत्म-समर्पण?), 'राष्ट्रीयता' (या अराष्ट्रीय मूसलमानों की चापलूसी?), 'प्रचलितवाद' (या उर्दू की गुलामी?) आदि, आदि का नारा लगा कर आज जो हिन्दी लेखक 'तकरीर' और ऐसे ही अन्य अनावश्यक उर्दू शब्दों को हिन्दी में शुसेङ्ग रहे हैं, वे हिन्दी को जड़ से खोद रहे हैं।

साधारण श्रेणी के हिन्दी लेखकों को सक्षेप में वह सलाह निःसकोच दी जा सकती है कि वे किसी भी अरबी फारसी शब्द का प्रयोग करने से पहले यह सोच लें कि उसका हिन्दी पर्याय है या नहीं, और यदि है तो उससे काम चल सकता है या नहीं। यदि इस प्रकार वे एक बार हिन्दी में ग्रहीत या ग्रहण करने योग्य अरबी फारसी शब्द के वजाय भी अपना हिन्दी शब्द लिख जायें, तो वह गलती हिन्दी में अनावश्यक अरबी फारसी शब्द शुसेङ्गने की गलती से कहीं अधिक क्षम्य होगी। प्रथम श्रेणी के हिन्दी लेखकों से निवेदन है कि वे हिन्दी में किसी नवीन अरबी फारसी शब्द को प्रयुक्त करने से पहले यह सोच लें कि हिन्दी के अपने स्रोत उस शब्द का स्वदेशी पर्याय देने में समर्थ हैं या नहीं, और उस शब्द के कारण हिन्दी के किसी ग्राचीन या प्रचलित शब्द का जीवन तो खतरे में नहीं पड़ता। प्रत्येक अवस्था में, किसी भी अरबी फारसी शब्द को प्रयुक्त करने से पहले यह याद कर लेना लाभदायक सिद्ध होगा कि उसका हिन्दी पर्याय, यदि वह वर्तमान है, उर्दू में भूल कर भी प्रयुक्त नहीं होगा।

कोई 'I am sensible of it', कोई 'I have an understanding of it', कोई 'I have a knowledge of it', इसी प्रकार 'हिन्दुस्तानी' में हिन्दी उद्दू' के सभी शब्दों के लिये गुन्जाइश हो सकती है और इस प्रकार भाषा 'समृद्ध' हो जायगी (शायद गजा जी तामिल बालों को इस प्रकार तामिल को 'समृद्ध' बनाने की सलाह न देंगे)। प्रथम तो हिन्दी और उद्दू में क्रियाओं, विमक्तियों और थोड़े से देशज शब्दों को छोड़कर और सब शब्द भिन्न भिन्न हैं। आज भी भिन्न शब्दों की सख्त्या २० हजार से अधिक है, और दिन पर दिन बढ़ती जाती है। जिस भाषा की कुल शब्द-संख्या लगभग ५० हजार हो, उसमें २० हजार शब्दों के—और वह भी ज्यादा प्रयुक्त होने वाले शब्दों के—२० हजार और पर्याय जोड़ देना भाषा को उस बच्चे के समान बना देना होगा जिसकी टाँगें तो दो हों परन्तु दो मिर हों और लुड़े हुये दो पेट हों। वह भाषा काम की चीज़ नहीं रहेगी। वह नुमाइश में रखने की चीज़ हो जायगी। अँगरेजी में 'Friend', 'Difference', 'Sky' जैसे हजारों शब्दों के दर्जनों या दो दो पर्याय नहीं हैं और न इस प्रकार के हजारों शब्दों के दो दो पर्यायों में ध्वनि का अन्तर करना समव है। अँगरेजी में सब पारिभाषिक शब्द भी एक ही एक है और उनके अर्थ निश्चित हैं, परन्तु हिन्दी और उद्दू' के पारिभाषिक शब्द मर्घशा भिन्न हैं। पारिभाषिक शब्दों में ध्वनि का अतर करना किसी भी प्रकार समव नहीं, और न हजारों (शीघ्र ही लाखों) पारिभाषिक शब्दों के जोड़े रखकर भाषा से एक दिन भी काम चल सकता है, और न उन्हें प्रत्येक को सिखाया जा सकता है। दूसरे, उद्दू' लिपि में हिन्दी के हजारों शब्द लिखे ही नहीं जा सकते। तीसरे, यदि अँगरेजी में एक एक शब्द के दर्जनों पर्याय हैं तो एक एक शब्द के दर्जनों अर्थ भी हैं, और हमें अपनी भाषा का 'समृद्ध' बनाने के लिये अँगरेजी के सभी पर्याय-याची शब्दों के उतने ही पर्याय हूँ ढूने की जरूरत नहीं—हम भी अपना एक

(आ) सस्कृत के शब्द लेते समय या सस्कृत से शब्द गढ़ते समय इस वात का पूरा रुयाल रखना चाहिये कि वह शब्द हिन्दी की व्वनि-प्रणाली पर भार न हो। हमें उस शब्द को हिन्दी की ध्वनि-प्रणाली के अनुसार ढालकर ग्रहण करना चाहिये। वैगला वाले ऐसा ही करते हैं। वैगला में सस्कृत शब्द हिन्दी से भी अधिक हैं, परन्तु वे सब शब्द वैगला की ध्वनि-प्रणाली में ढाल लिये गये हैं। इसीलिये वैगला इतनी मधुर भाषा है। हमें भी ऐसा ही करना चाहिये। जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक हिन्दी की कक्षता दूर न होगी। ‘सान्निद्ध्य’, ‘नैकव्य’, ‘दौर्वल्य’, ‘गम्भीर्य’, ‘स्वातन्त्र्य’, आदि ‘सन्निद्धता’, ‘निकट्ता’, ‘दुर्बलता’, ‘गम्भीरता’, ‘स्वतन्त्रता’, आदि के मुकाबले में लिखने में ही नहीं, बोलने में भी कितने कठिन हैं। ऐसे शब्दों को बोलते समय वक्ता को ऐसे शब्दों के प्रति स्वाभाविकतया अरुचि उत्पन्न होती है, और वह उनके सरल पर्याय हूँ ढाता है। ऐसे समय प्रायः अख्यायकारसी शब्द आडे आते हैं और वक्ता भाषा-प्रेम को तिलाज़ाल देकर सीधी राह पकड़ता है। यह प्राकृतिक नियम है कि यदि एक शब्द बोलने में कठिन हो और उसका कोई पर्याय बोलने में सरल, तो सरल पर्याय ही चलेगा। अपने अपने प्रदेश में एकाधिपत्य और अखड़ राज राजने वाली भाषाओं की वात दूसरी है (उदाहरणार्थं तामिल प्रदेश में तामिल के कठिन से कठिन और लम्बे से लम्बे शब्द चल जायेंगे), परन्तु हिन्दी प्रदेश में हिन्दी शब्दों का उर्दू शब्दों से मुकाबला है। ‘आजादी’ के मुकाबले में ‘स्वतन्त्रता’ कहाँ चला ? हूँ, ‘सुर्ख फौज’ या ‘आजाद हिन्द फौज’ के बजाय ‘लाल सेना’ या ‘आजाद हिन्ट सेना’ (यदि हिन्दी वालों को इसकी चिन्ता हो तो) चल सकता है। ‘जग-ए आजादी’ के मुकाबले में ‘स्वातन्त्र्य-युद्ध’ नहीं चल सकता, हाँ, ‘स्वाधीनता-संग्राम’ चल सकता है। भाषा की व्वनि-प्रणाली सदेव एक अत्यन्त महत्वपूर्ण चीज है, हिन्दी वालों को तो हिन्दी की व्वनि-प्रणाली का व्यान रखना अन्य कारणों से और भी आवश्यक है। जो शब्द हिन्दी की व्वनि-

उस हटा तक भी अपने शब्दों के मृत हो जाने का प्रा भय है क्योंकि दूसरी पार्टी यह सेल हमारे साथ खेलने के लिये तैयार नहीं।

(५) उद्दू लेखक भाषा के मामले में सजग और जागरूक (language conscious) हैं, हिन्दी लेखक नहीं हैं।

इसी का तो रोना है। मुसलमानों ने जमाने से उद्दू के विषय में प्लूरिटन (विशुद्धतावादी) रख ग्रहण कर रखता है। वे अपनी भाषा और स्कृति के मामले में जागरूक और साबधान रहे हैं, और हैं। वे जान-बूझकर हिन्दी शब्दों का विष्णवार करते हैं। उनकी देखा देखी उद्दू के हिन्दू लेखकों ने भी ऐसा ही किया (और कर रहे हैं), परन्तु हिन्दी वालों ने भाषा का महत्व नहीं समझा, उन्होंने उसकी शुद्धता की ओर ध्यान नहीं दिया और बिना सकोच और सोच-भिचार के अपनी भाषा में अनावश्यक अरबी-फारसी शब्दों को छुसने दिया। इसी प्रवृत्ति को अब बदलना है। यदि इस प्रवृत्ति को नहीं बदला गया तो हिन्दी उद्दू में बदल जायगी। सदैव से इतिहास में दो भाषाओं (या दो शब्दों) की प्रतिद्वन्द्विता में उसी की भाषा (या शब्द) की विजय होती आई है जो उसका अपेक्षाकृत अधिक ध्यान रखता है और उससे अधिक ढढता के साथ चिपका रहता है।

३. क्या करें ?

अब प्रश्न उठता है कि हिन्दी के इस द्वैतवाद को किस प्रकार दूर किया जाय, और इससे हिन्दी को जो खतरा पैदा हो गया है, उससे हिन्दी की रक्षा किस प्रकार की जाय। यह हिन्दी के विद्वानों, हिन्दी-प्रेमियों, हिन्दी-हितैषियों और हिन्दी की संस्थाओं के लिये अत्यत विचारणीय और चितनीय विषय होना चाहिये। इस सम्बंध में शीघ्र ही कदम उठना चाहिये। विद्वानों के विचारार्थ कुछ सुझाव नीचे दिये जाते हैं।

(१) हिन्दी का स्वरूप निश्चित हो जाना चाहिये। हिन्दी में इस समय जो धौंधली चल रही है, उसे समाप्त कर हिन्दी का एक निश्चित,

हिन्दी को अदालतों, दफ्तरों और सरकारी काम काज एवं शासन (administration) में प्रयुक्त होने वाले शब्दों की भी विशेष आवश्यकता है, क्योंकि पिछली कई शताब्दियों से हँन्त स्थानों में या अखंकी फारसी के शब्द चले हैं या अँगरेजी के। हिन्दी का एक स्टैडर्ड अदालती और शासन-शब्द-संग्रह प्रकाशित किया जाय जिसमें उन अखंकी फारसी या अँगरेजी शब्दों को रकवा जाय जिन्हे हिन्दी में रखना मंजूर है और शेष के हिन्दी पर्याय देशी धातुओं से बना कर या प्राचीन ग्रन्थों को शोध कर कोप-बद्र किये जायें।

वैज्ञानिक, अदालती या शासन सम्बन्धी पारिभाषिक शब्दों के विषय में धार्घली और गडबड की विलकुल गुन्जाइश नहीं रहनी चाहिये। विद्वान् मिल कर पारिभाषिक शब्दों को अन्तिम रूप से तय करें, और फिर स्टैडर्ड कोप छपें। इस समय इस मामले में बड़ी गडबड दिखाई देती है। कोई 'त्रिकोण' लिखता है, कोई 'त्रिभुज', कोई 'धारा-सभा' लिखता है, कोई 'व्यवस्थापिका-सभा' (कोई 'असेम्बली' भी), कोई 'अदालत' लिखता है, कोई 'कोर्ट', कोई 'मुद्रई मुदालह' लिखता है, कोई 'वादी प्रतिवादी', कोई 'जज' लिखता है, कोई 'न्यायाधीश', इत्यादि, इत्यादि। हिन्दी के समाचार-पत्रों का तो बुरा हाल है। मालूम होता है उनके सामने कोई आदर्श है ही नहीं। खूब मनमानी चल रही है। चाहे कोई स्स्कूल का,

शब्दों और धातुओं से बनाये जा रहे हैं जिससे सब भारतीय, आर्य तथा द्रविड़, भाषाओं की पारिभाषिक वैज्ञानिक शब्दावली एक ही हो। इस अँगरेजी-हिन्दी (भारतीय) पारिभाषिक कोष का प्रत्येक शब्द देवनागरी, बँगला, तामिळ तथा कच्छ लिपियों में छापा जा रहा है। हिन्दी की साहित्यिक संस्थाओं का कर्तव्य है कि वे ढाठ रघुवीर से सम्पर्क स्थापित करे, उनके कार्य में सब प्रकार से पूर्ण सहयोग दें और इस महाकोष से पूरा लाभ उठायें तथा अदालती, शासन संबंधी, आदि शब्दावली को अक्तग से छाप कर हिन्दी संसार के सामने रखें और उन शब्दों को प्रचलित करें।

परन्तु यहाँ केवल अरबी फारसी शब्दों के विषय में हिन्दी के स्वरूप के निश्चयीकरण पर थोड़ा सा विचार किया जायगा । ।

जैसा पहले स्पष्ट किया जा चुका है, अरबी फारसी शब्दों के सबध में हमें प्रचलित-वाद से सहायता नहीं मिलती । हिन्दी-प्रदेश का ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ के कुछ लोग 'जुमा', 'जुमेरात' और 'पीर', न बोलते हों, परन्तु इस कारण वे हिन्दी में 'शुक्र', 'वृहस्पत' और 'सोमवार' के साथ साथ नहीं लिये जा सकते । और हिन्दी-प्रदेश में शिक्षित समाज का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो 'फाहड़े', 'थर्सड़े', 'मड़े', 'संड़े', आदि न बोलता हो (लड़ी बोली में ही), परन्तु इस कारण वे भी हिन्दी में नहीं लिये जा सकते । परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें सब अरबी फारसी शब्दों को हिन्दी में से निकाल देना चाहिये । हमें बहुत से अँगरेजी शब्दों को रखना है और आगे भी बहुत से अँगरेजी शब्दों को लेना है । इसी प्रकार हमें बहुत से अरबी फारसी शब्दों को रखना है और आगे भी बहुत से अरबी फारसी शब्दों को लेना है । क्या अँगरेजी और क्या अरबी फारसी, दोनों के विषय में हमारे सिद्धान्त एक से होने चाहिये । अन्तर केवल इस बात से पड़ता है कि खड़ी बोली लिखने वालों में, कम से कम अभी तक, ऐसा कोई दल नहीं जिसका अँगरेजी शब्दों अर्थात् 'हङ्गलिस्तानी' के प्रति आग्रह हो । फलत, अनावश्यक अँगरेजी शब्द साहित्य में प्रवेश नहीं करने पाते । सब खड़ी बोली लिखनेवाले—हिन्दीवाले और उर्दूवाले—लिखते समय अँगरेजी शब्दों से सर्तक रहते हैं, उन्हें बोलचाल में प्रचलित होते हुए भी नहीं लिखते यदि उनके अपने अपने पर्याय मौजूद हैं या बनाये जा सकते हैं, और प्रत्येक अँगरेजी शब्द को ठोक बजा कर और नितान्त आवश्यक समझ कर ही लिखते हैं । उर्दू वाले इसी प्रकार हिन्दी शब्दों से भी सर्तक रहते हैं, परन्तु हिन्दी वाले अरबी फारसी शब्दों को अपना ही माल समझते हैं और इच्छा-नुसार चाहे जिस अरबी फारसी शब्द को ला बैठालते हैं—कभी यह 'सोचने

त्यामना होगा। काग्रेस नेता जब अँगरेजी बोलते या लिखते हैं तब शुद्ध और अच्छी अँगरेजी बोलने या लिखने का शक्ति भर प्रयत्न करते हैं। इश्वर की कृपा से उन्हें अच्छी अँगरेजी आती भी है, इसलिये अँगरेजी पत्रों को उनके भाषण, वक्तव्य, लेख, आदि ज्यों के त्यों छापने में कोई उम्ह नहीं होता। परन्तु जब वे 'हिन्दुस्तानी' बोलते हैं तो हिन्दी या उर्दू की साहित्यिक परपरा और शुद्धता का ध्यान नहीं रखते (कुछ नेताओं को छोड़ कर किसी प्रकार की 'हिन्दुस्तानी', जिसके बे गुण गाते फिरते हैं, अच्छी तरह उन्हें आती ही नहो और न वे अच्छी तरह सीखने की आवश्यकता समझते हैं, कोई सा हिन्दी शब्द किसी भी उर्दू शब्द के साथ बैठाल दिया, होगाई काग्रेस मार्क 'हिन्दुस्तानी')। वे भाषा को जान बूझकर विकृत करने का प्रयत्न करते हैं। हिन्दी पत्र उनकी अनर्गत और अटपटी 'हिन्दुस्तानी' छाप कर अपनी भाषा की मट्टी पलीद नहीं कर सकते।

(आ) हिन्दी में निदेशियों या मुसलमानों का कथोपकथन उर्दू में नहीं होना चाहिये। यह एक अत्यन्त अस्वाभाविक और आपत्तिजनक बात है, इसलिये और भी कि बड़े बड़े साहित्यिक इस भ्रम में फँसे हुये मालूम पड़ते हैं कि निदेशियों और मुसलमानों से उर्दू में ही बातचीत कराना उचित है। इस विषय में कुछ समय पहले हिन्दी पत्रों में प्रकाशित 'हिन्दी कृतियों में मुसलमान पत्रों का उर्दू में कथोपकथन' शीर्षक लेख में (देखिये परिशिष्ट १) चिद्वान लेखक ने जो कहा है, उसके बाद कुछ और कहने की आवश्यकता नहीं रह जाती।

(इ) हिन्दी गद्य या पत्र में इस प्रकार के बाक्याश लिखना अत्यन्त मूर्खतापूर्ण और अनुचित है—'हिन्दी का चिद्वान्, उर्दू का माहिर,' 'हिन्दुओं की देशभक्ति, मुसलमानों की हुब्बुलबत्तनी,' 'हिन्दुओं का धर्म और मुसलमानों का मजहब,' 'श्री—ने कविता सुनाई, जनाव ने अपनी नज़म सुनाई' आदि, आदि। ये सब उदाहरण हिन्दी के प्रसिद्ध पत्रों से लिये गये हैं।

वेचारे हिन्दी के कोप-प्रकाशकों का कागज और रुपया और हिन्दी के कोप-वाठकों का समय नष्ट नहीं होना चाहिये।

उद्योगों ज्यों हिन्दी का शब्द-भाषार बढ़े त्थों त्थां हिन्दी के स्टैंटर्ड कोप का आकार भी बढ़े, परन्तु उसमें सदैय वे ही अखंकी फारसी शब्द समाविष्ट किये जायें जो स्टैंटर्ड हिन्दी में ग्रहीत सुमझे जायें। ऐसा नहीं होना चाहिये कि जिस किसी लेपक ने हिन्दी में जिस किसी उद्धृत शब्द का प्रयोग कर दिया, उसे हिन्दी कोप में उठा कर घर दिया।

अखंकी फारसी शब्दों की भर्ताइ। जिन मिदान्तों के अनुसार निश्चित होनी चाहिये, यहाँ उनका आभास देना अनुचित न होगा। इस समय हिन्दी में प्रचलित अखंकी फारसी शब्द निम्नलिखित वर्गों में वौटे जा सकते हैं। ऊपर जो अखंकी फारसी शब्द इकट्ठे किये गये हैं वे सब के सब इन वर्गों में विभक्त हो जाते हैं। इनके अतिरिक्त हिन्दी में प्रचलित कुछ अन्य अखंकी फारसी शब्द भी प्रत्येक वर्ग के शब्दों के उदाहरण-स्वरूप पेश किये गये हैं—

(अ) वे अखंकी फारसी शब्द जिनके देशज (या सस्कृत तद्धृष्ट) पर्याय बोलचाल में प्रचलित हैं और इसलिये जिन्हें हिन्दी में से तुरत निकाल देना चाहिये। उदाहरण—

तलाश (खोज), सूराख (छेद), सुर्व (लाल), बजनी (मारी, गरु), बजन (बोझ), बर्दाश्त करना (सहना), शोरगुल (दल्ला, दुन्द), तमरा (विल्ला), सहन (आँगन), वेशुमार (अनगिनती), स्याह (काला), जर्द (पीला), आवपाशी (सिंचाइ), काश्त (खेती), पैदावार (उपज), जरखेज (उपजाऊ), काश्तकार (किसान), जेबर (गहना), आये हुये सम्पूर्ण उद्दृक्तोप को समाया हुआ देख कर विदेशों को हैरानी तो न हो और हमें लज्जा और हानि तो न उठाना पड़े। जो भाषा अपने को एक अखंक स्वतंथ्र भाषा कहती है, अपना अलग नाम रखती है और अपने को अखंक लिपि में लिखती है, उसका अपना अलग कोप भी होना चाहिये जो केवल उसी का हो और उसे छोड़ कर और किसी का न हो।

रेजी के मूल अवतरण अँगरेजी की लिपि अर्थात् रोमन लिपि में दिये जाते हैं और देवनागरी में उनका हिन्दी अनुवाद दिया जाता है, उसी प्रकार यदि उद्दू' का अवतरण मूल रूप में देना आवश्यक हो तो उसे उद्दू' लिपि में दिया जाय और देवनागरी में उसका हिन्दी अनुवाद दिया जाय। जो पाठक उद्दू' जानता है और मूल समझ सकता है, वह उद्दू' लिपि में पढ़ भी ले गा— देवनागरी द्वारा हिन्दी पाठकों को उद्दू' क्यों सिखाई जाय? जब तक उद्दू' चाले देवनागरी को स्वीकार नहीं करते अर्थात् जब तक उद्दू' देवनागरी में नहीं लिखी जाती, और जब तक उद्दू'चाले एक पृथक लिपि में लिखकर उद्दू' नामक एक पृथक भाषा वा शैली की सृष्टि और विकास करना नहीं छोड़ते, तब तक देवनागरी में सदेव हिंदो ही होनी चाहिये, उद्दू' कभी नहीं। हिन्दी पत्र पत्रिकाओं को देवनागरी में उद्दू' के लेख, कवितायें भी नहीं छापनी चाहिये और न उद्दू' पुस्तकों की समालोचना करनी चाहिये।

हिन्दी में जब किसी अग्रहीत अरबी फारसी शब्द को किसी विशेष कारण से प्रयुक्त करना पड़े, तो उसे उसी प्रकार उल्टे कामाओं के बीच में और उसके आगे कोष्ठक में उस शब्द को फारसी लिपि में लिखकर प्रयुक्त करना चाहिये जिस प्रकार हिन्दी में अग्रहीत और अपरिचित अँगरेजी शब्द उल्टे कामाओं के बीच में लिखा जाता है और उसके आगे कोष्ठक में उसे रोमन लिपि में लिखा जाता है। इससे पाठक को मालूम हो जायगा कि यह शब्द विदेशी है, हिंदो का नहीं है और यहाँ किसी विशेष कारण से प्रयुक्त किया गया है। अँगरेजी में इस प्रकार के शब्दों को प्रायः इंटैलिक्स में लिखा जाता है।

(३) हिन्दी के कुछ लेखकों और कवियों ने हास-परिहास की परिभाषा अधिकाधिक उद्दू' शब्दों का प्रयोग ही मान रखती है। उनकी राय में परिहास की पराकाष्ठा यही है कि हिन्दी शब्दों के स्थान में ढूँढ ढूँढ कर ढूरूह अरबी फारसी शब्द धर दिये जायें। अपनी ही भाषा में अपने ही शब्दों

वह भूलना न चाहिये कि अग्नी फारसी और उर्दू का प्रभाष जनता—गाँधों में वसने वाली जनता जो मध्यूर्ण जन-सख्त्या का ६० प्रतिशत है और शहरों में भी निम्नवर्ग की जनता—की भाषा पर बहुत कम पढ़ा है। गहरों में हिंदूओं की भाषा अर्थात् वर के भीतर बोली जाने वाली भाषा—चान्तिक मातृ-भाषा—पर भी विदेशी प्रभाष बहुत कम पढ़ा है। अरबी पारसी शब्दों का बहुल्य तो अदालतों, कच्छरियां, टप्पतरों, पुलिस की चौकियों, मूनि-सपैलटियों, आदि के चारों तरफ बैडराने वाले लोगों की बोलचाल में मिलता है क्योंकि इन सब जगहों में विदेशी गासन ने पहले पारसी को और फिर उर्दू को बैठा रखा है। हमारी मानसिक गुलामी ने इन्हीं लोगों की भाषा को प्रधानता दे दी है। (जिस प्रकार आज इ-गलिस्तानी की नकल करना शिष्टता का ट्रॉट-मार्क बन गया है; कांग्रेस के नेता आपस में और बोलचाल में उस उर्दू उर्फ हिन्दुस्तानी का प्रयोग नहीं करते जिसे वे जनता के सामने जनता की भाषा कहकर मच्च से बोलते हैं, वरन् शुद्ध इ-गलिस्तानी बोलते हैं)। अपने को जनता का प्रतिनिधि कहने वाले, विदेशी शासन और विदेशियत के पीछे नोन सच्च वाँधकर चलने वाले, गाँधीवादी, राष्ट्र वादी, घोर राष्ट्रीयता और शुद्ध स्वदेशी के पुजारी कांग्रेसजनों को भी यही भाषा प्रिय है। उन्हें भाषा छोड़कर गेप सब स्वदेशी और जनता का प्रिय है। भाषा के सामने में अदालतों की भाषा ही उनका आदर्श है। (चाहे जब युक्त-प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में जाकर 'हिन्दुस्तानी' सुन लीजिये; उदाहरणार्थ, सबके मुँह से 'मुर्लक' सुन पड़ेगा—वैचारा देरा अपने ही देश में देशियों द्वारा देश से निर्वासित मिलेगा), सारांश यह कि 'आमफहम', 'बोलचाल', 'प्रचलित' का माप दड शहरों (और वह भी मुख्यत दिल्ली और लखनऊ के बीच के शहरों) के इसी कलमजीवी, अर्थ-भाजनीतिक अत्यन्त सख्त्यक वर्ग की बोलचाल (और वह भी घर के बाहर की बोलचाल—मुंशीजी वर में 'जौजे' नहीं, 'हमार मेहरास' ही कहते

है'। किसी अस्थिल भारतीय सभा में युक्त-प्रान्त वाले से पूछिये, 'आप कौन हैं, कहाँ के हैं?' उत्तर मिलेगा, 'हिन्दुस्तानी'। बगाली अपनी मातृ-भाषा बँगला बतायेगा, 'बँगला' में बोलने का आग्रह करेग और अपने आप को बगाली बतायेगा ('हिन्दुस्तानी' तो हिन्दुस्तान के सभी निवासी हैं)। इसी प्रकार बिहारी, पजाशी, गुजराती, मराठी, आदि अपनी अपनी मातृ-भाषा और अपना अपना प्रान्तीय नाम लेंगे, किन्तु अपनी मातृ-भाषा 'हिन्दी' और अपने आप को 'हिन्दी' बताने वाले विरले ही मिलेंगे।

सारांश यह कि इस 'हिन्दुस्तानी' नाम के कारण यह भावना दृढ़ होती जा रही है कि हिन्दी किसी प्रदेश की, किसी को मातृ-भाषा नहीं, उसे कोई नहीं बोलता और उसकी जगह जो कुछ है सो यह 'हिन्दुस्तानी' है। इससे हिन्दी को प्रान्त-भाषा की पदची से भी हटाने में (जैसे रेडियो में), और उसकी छाती पर उर्दू और उर्दू लिपि को बैठाने में बड़ी सहायता मिल रही है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये १९४१ की जन-गणना के समय लखनऊ रेडियो से और अन्य उपायों से जन-गणना से सम्बन्धित अफसरों ने युक्त-प्रान्त की जनता को सलाह दी कि वे अपनी मातृ-भाषा 'हिन्दुस्तानी' लिखावें (वे बोलते ब्रज, अवधी, आदि चाहे जो हो!), और जन गणना के फारम भरने वालों को सरकारी आदेश दिया गया कि वे मातृ-भाषा के नाम में किसी के हिन्दी या उर्दू बताने पर केवल 'हिन्दुस्तानी' लिखें। ये सब 'हिन्दी' का नाम निशान मिटाने की तैयारियाँ हैं। मजे की बात यह है कि सन् १९३१ की जन-गणना तक जन-गणना के फारमों और रिपोर्टों में युक्त-प्रान्त की मातृ-भाषा 'हिन्दी' लिखी गई है। उस वर्ष में हिन्दीबदलकर 'हिन्दुस्तानी' हो गई। यह है गांधी-कांग्रेस-चम्कार! गांधी-बादी, राष्ट्र-बादी कहेंगे, हिन्दी उर्दू के साथ समान व्यवहार किया गया, चलो हिन्दी उर्दू का भेद मिट गया (किन्तु आसानी से, जादू का डडा फिरा कर!), आदि, परन्तु वास्तव में हिन्दी का अस्तित्व मिट गया। उर्दू तो किसी प्रदेश की मातृ-भाषा है ही नहीं, उम्मका क्या विगङ्गा?

ने लोटा लेना है, बोलचाल की भाषा यनना है तो उन्हें इस प्रश्नति का सुन्नत त्याग कर भास्तव्य में जनता की भाषा यनना पड़ेगा। 'श्रद्धानय मिन्द' का मोह त्याग कर 'चिरंगी' को अपनाना पड़ेगा, नहीं तो शिष्ट बोलचाल में 'आग्जू मिन्नन' ही चलता रहेगा। नाम 'प्राणिता' निमित्त, शिष्ट बोलचाल में 'इन्तजार' ही चलेगा, परन्तु वहि नाइतियक हिन्दी 'दाट' अपना लेनी तो शिष्ट बोलचाल में भी 'दाट' चल जायगा और यदि ऐसा नहीं करेगी तो जो जनता आज 'दाट' बोलती है यह भी 'इन्तजार' लोलेगी, स्वोकि यह प्राकृतिक नियम है यि प्रत्येक आदमी अपनी ने ऊँची श्रेणी के आदमी की बोलचाल को अपनाना है। जब तक नाइतियक हिन्दी 'चिरीती', 'दाट' जैसे ठेट हिन्दी शब्दों को शिष्ट नाइतियक ने स्थान देनी नहीं, तब तक उभय श्रेणियों और गहरायाला की इन शब्दों के प्रति फिरफक दूर रहनी नहीं, और जब तक ये शब्द ऊँचों श्रेणियों और गहरायालों की बोलचाल ने स्थान पायेंगे नहीं, तब तक इन शब्दों को बोलने वाली जनता भी इन शब्दों को गँगार ममकेगी और इन्हें छोड़कर शिष्ट बोलचाल में प्रचलित अख्ती फारसी शब्द अपनानी जायगी। इस प्रकार इन शब्दों को न अपना कर उनके स्थान में यिदेशी शब्दों को प्रयुक्त करके एक और तो हिन्दी वाले साठदे के शब्दों में * अपनी भावृ-भाषा के प्रति अक्षम्य अपराध बरेंगे और दूसरी ओर अपने इन शब्दों की मौत का कारण बनेंगे।

* यदि तनिक ध्यान से देखा जाय तो हिन्दी में प्रचलित सैकड़ों अख्ती फारसी शब्दों के बोलचाल में प्रचलित ऐसे देशज और तद्रव पर्याय मिल

* "Ours is a noble language, a beautiful language. I can tolerate a Germanism for family sake, but he who uses a Latin or a French phrase where a pure old English word does as well, ought to be hung, drawn and quartered for high treason against his mother tongue."

(द) बोलचाल की भाषा का सुधार होना चाहिये ।

लिखते समय तो भाषा का कुछ ध्यान रखना भी जाता है, परन्तु बोलचाल में शिक्षित समाज भाषा का तनिक भी ध्यान नहीं रखता । परिणाम-स्वरूप शहरों के शिक्षित समाज की बोलचाल में एक और अनावश्यक (भाषा की दृष्टि से) ऑँगरेजी शब्दों की भरमार है—यहाँ तक कि उसका अलग नाम ‘इङ्ग्लिस्तानी’ या ‘वाबू हिंदुस्तानी’ रख दिया गया है, और दूसरी ओर अनावश्यक अरबी फारसी शब्दों की भरमार है । दोनों बातों के कारण एक ही प्रकार के हैं । पहले ‘इँग्लिस्तानी’ को लीजिये जिसका अभी साहित्य में प्रवेश नहीं हुआ है । इसके विषय में डा० रामकुमार चर्मा कहते हैं, “... मैं तो आज देखता हूँ कि भाषा के बोलने के सम्बन्ध में अधिक से अधिक लापरवाही वरती जाती है । मेरे विश्वविद्यालय ही में किन्हीं दो विद्यार्थियों की बातचीत सुन लीजिये । उनके सारे बातोंलाप में सम्भवतः एक भी वाक्य ऐसा न होगा जिसे अच्छी हिंदी कह सकें । उदाहरण के लिये मेरे एक विद्यार्थी ने एक दिन मुझसे कहा—डाक्टर साहब, आप उस मीटिंग में प्रेजेंट नहीं थे । बड़ा इन्टरेस्टिंग डिसकशन हुआ । मैं स्पीकर के प्वाइन्ट अच्छा था से ऐसी नहीं कर सका और मैंने ऐसी फोर्सफुल स्पीच डेलीवर की कि आडिएंस बाज मूँहड़ कम्पलीटली एड दि हाउस बाज इन माइ फ्रैंचर । मैंने उसे उसी समय रोककर कहा कि मैं नहीं समझा । जरा हिंदी में कहिये । वह लजित हुआ और ‘एक्सक्यूज मी’ कह कर चला गया । उसने ‘क्या कीजिये’ नहीं कहा ।..... यदि ऑँगरेजी की सजाओ, उसके विशेषणों और क्रिया विशेषणों के मिश्रण की यही प्रवृत्ति भाषा में रही तो आज से सौ वर्ष बाद हिंदी से सघर्ष लेने के लिये आज की हिंदुस्तानी की भाँति कोई इङ्ग्लिस्तानी भाषा खड़ी होगी और वही राष्ट्र-भाषा होने के लिये हिंदी से युद्ध करेगी । भाषा-सुधार सम्बन्ध में हमारा जो गम्भीर उत्तरदायित्व है, उसे अभी हम ऑँख खोलकर नहीं देख सकते, यह हमारा नैतिक पतन है ।”

अवस्था न सुधरे तो वेकार है उसका होना आर भूठ बात है उसे मातृ-भाषा बताना।

आज हिन्दी एक विशाल प्रदेश की साहित्यिक भाषा है। समझ में नहीं आता कि उसे 'आमफहम' बनाने के लिये एक छोटे से वर्ग में प्रचलित अखबारी फारसी शब्दों को द्विसङ्गना ही क्यों आवश्यक है। इस भाषा का आधार खड़ी बोली है, खड़ी बोली के प्रत्येक देशज शब्द को, किसी भी अखबारी फारसी शब्द के मुकाबले में, हिन्दी में होने का जन्मसिद्ध अधिकार तो है ही, हिन्दी-प्रदेश की किसी भी जनपदीय बोली के किसी देशज शब्द को भी अखबारी फारसी शब्द के मुकाबले में हिन्दी में होने का कहीं अधिक अधिकार है। दूसरे शब्दों में, हमें हिन्दी से उन सभी अखबारी फारसी शब्दों का बहिष्कार कर देना चाहिये जिनके देशज पर्याय हिन्दी-प्रदेश की किसी भी बोली में मौजूद हैं, और हिन्दी प्रदेश के किसी भी जनपद की बोलचाल में प्रचलित हैं। ये देशज शब्द अखबारी फारसी शब्दों की अपेक्षा हमारे कहीं अधिक निकट हैं, और ये शब्द जीवित हैं जब कि इन अखबारी फारसी शब्दों के स्थान पर्याय बोलचाल में प्रचलित नहीं है, इसलिये ये शब्द भाषा में जान पूँ कर देंगे और उसे वास्तव में आमफहम बना देंगे। इन शब्दों का कोई हिन्दुस्तानी मुकाबला न कर सकेगी। हिन्दुस्तानी का कोई समर्थक इन शब्दों का विरोध न कर सकेगा। जब बोलचाल ही भाषा के आमफहम होने का माप-दण्ड है तो हम एक अखबारी फारसी शब्द के बजाय हिन्दी-प्रदेश के किसी भी भाग की जनता की बोलचाल में प्रचलित उसका देशज पर्याय क्यों न लें, भले ही वह अखबारी फारसी शब्द भी कहीं बोलचाल में चलता हो। हम हिन्दी जनता के किसी विशेष वर्ग या हिन्दी प्रदेश के किसी विशेष भाग को प्रधानता क्यों दें? आज खड़ी बोली हिन्दी के बल खड़ी बोली जनपद में नहीं बोली जाती। वह सम्पूर्ण हिन्दी-प्रदेश में बोली जाती है, क्योंकि उसके बोलने वाले सम्पूर्ण हिन्दी प्रदेश में फैले हुये हैं। हिन्दी-प्रदेश के प्रत्येक

है। जब तक जैसी हिन्दी बोलना मज़ूर है वैसी ही नहीं लिखी जायगी, और जैसी लिखी जाय वैसी ही नहीं बोली जायगी, तब तक हिन्दी का उद्धार नहीं हो सकता। यह बिलकुल सीधी सी बात है कि जैसी हिन्दी बोलना मज़ूर है वैसी ही लिखो और जैसी लिखते हो वैसी बोलो। और बोलते समय भाषा का उसी प्रकार व्यान रखें जिस प्रकार लिखते समय रखता जाता है। इसके सिवा कोई दूसरा चारा नहीं। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो समय करके छोड़ेगा और फिर बाट को पछताने से कुछ हाथ न आवेगा। लिखित भाषा और बोलचाल की भाषा का सीधा और अटूट सबध है। दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं। कुनिम उपायों से दोनों में अन्तर अधिक समय तक कभी नहीं रखता जा सकता, इसलिये उनको साधानी से एक दूसरे के निकट लाने में ही वुद्धिमानी है। आज हिन्दी में इतने ज्यादा अनावश्यक अरबी फारसी शब्द (जिनके बिस्तर वह पुस्तक एक चिन्होह है) क्यों आते हैं? उदूर्में सैकड़ों उदूर्में शब्दों के साथ उनके हिन्दी पर्याय क्यों नहीं आते? इसका कारण यही है कि आज के हिन्दी लेखक जिस समाज के अग हैं और जिस समाज में उनका उठना बैठना होता है, उसकी बोलचाल में यही उदूर्में शब्द आते हैं, उनके हिन्दी पर्याय नहीं आते। इस लिये जब वे हिन्दी लिखने बैठते हैं तो वे हिन्दी शब्दों को तो प्रयत्न करके, आग्रह करके बैठाते हैं, परन्तु नजर बचते ही, व्यान बैठते ही उदूर्में के शब्द, जिन्हे वे चौबीसों घन्टे चारों ओर सुनते हैं और जो उनके दिमाग में चक्कर काटते होते हैं (और जिनमें शायद वे अपनी सोचाई भी करते हैं), अनायास कलम से निकल पड़ते हैं। इसलिये एक ही बाक्य में, एक ही अर्थ में हिन्दी और उदूर्में के पर्यायवाची शब्द दिखाई देते हैं। हिन्दी के द्वैतवाद का कारण बोलचाल की भाषा ही है। यदि बोलचाल का सुधार नहीं होगा और उसमें हिन्दी शब्द नहीं आयेंगे, तो हिन्दी लेखकों के लिये अप्रचलित हिन्दी शब्दों के प्रति आग्रह और प्रचलित उदूर्में शब्दों के बिस्तर चौकसी रखना अधिक समय तक समव न होगा, और जब तक लिखित हिन्दी की

हो सकता है कि इस प्रकार हिन्दी में स्थानिकता का दोष आ जायगा। उत्तर में इतना कहना यथेष्ट है कि छोटे से बर्ग में प्रचलित अखंकी फारसी शब्दों को लेना भी स्थानिकता के दोष में खाली नहीं है (और उनके अप्रचलित सस्कृत पर्यायों को रखना तो नितान्त दोषपूर्ण है, कृत्रिम है और, जैसा ऊपर चताया जा चुका है, व्यर्थ प्रयास है)। यह बात दूसरी है कि राजनीतिक कारणों से अदालतों और कच्चहसियों में बैठकर ये अखंकी फारसी शब्द हिन्दी-प्रदेश के शिक्षित समाज के विशिष्ट वर्गों से परिचित हो गये हैं (इस प्रकार अँगरेजी शब्द भी शिक्षित समाज से परिचित है)। हमारे देशज और तद्भव शब्द भी, जिन्हे हम छाँटेंगे, साहित्यिक हिन्दी के द्वारा सब जगह एक समान परिचित हो जायेंगे। इतना अनश्य है कि प्रत्येक लेखक को चाहे जिस देशज शब्द को प्रयुक्त करने की स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती, क्योंकि ऐसा करने से तो खड़ी बोली हिन्दी के इतने ही रूप हो जायेंगे जितनी हिन्दी प्रदेश में बोलियाँ हैं, और सम्पूर्ण प्रदेश को एक साहित्यिक भाषा के सूत्र में बाँधने के लिये सब जगह एक समान रूप बाली कोई भाषा न रहेगी। हमें हिन्दी की बोलियों से शब्द सावधानी और सोच-विचार के साथ ग्रहण करने होंगे, और तब उन्हें हिन्दी में, साहित्यिक हिन्दी में, स्थान मिलेगा। परन्तु यह बात इससे सम्बद्ध रखती है कि भाषा का स्वरूप किस प्रकार, किस ढंग से स्थिर किया जाय और कौन स्थिर करे, न कि इस सिद्धान्त से कि अखंकी फारसी शब्दों के स्थान में उनके देशज पर्याय लेने चाहिए अथवा नहीं। भाषा का स्वरूप किस ढंग से स्थिर किया जाय और कौन करे, इस पर आगे विचार किया जायगा।

दूसरा आक्षेप यह हो सकता है कि इस प्रकार हिन्दी राष्ट्र-भाषा होने के इतने उपयुक्त न रहेगी। परन्तु क्या इस समय अखंकी फारसी शब्दों के कारण वह राष्ट्र-भाषा होने के उससे अधिक उपयुक्त है ? जिन प्रान्तीय भाषाओं से हिन्दी अपना सामीक्ष्य जताती है उन भाषाओं के बोलने वालों

न आई तो लिखित हिन्दी की भी आत्मा मर जायगी । आज चारों ओर जो यह सुनने में आता है कि हिन्दी की प्रकृति मर रही है, उसमें जाति की आत्मा का प्रतिविम्ब नहीं दीख पड़ता, आदि, इसका कारण यही है कि हिन्दी लिखने वाले साधारण बोलचाल में या इन्हें लिखते हैं या उर्दू (और उसी में सोचते हैं) । फिर हिन्दी की प्रकृति सुरक्षित रहे तो कैसे रहे ? भाषा की प्रकृति बोलने से बनती है, बोलने से ही वह पहचानी जाती है, बोलने से ही मुहावरे बनते हैं, शब्दों के अर्थों का विस्तार होता है, उनमें अपेक्षित ध्वनि आती है, आदि । भाषा जब बोली जाती है तभी उसमें स्वाभाविकता, प्रौढ़ता, लचक व्यञ्जन-शीलता और जीवन तथा प्रवाह आता है । यदि बोलचाल में हिन्दी वाले उर्दू शब्द, उर्दू मुहावरे अपनाते चले जायेंगे तो हिन्दी में लिखते समय अपने शब्द और मुहावरे अपने आप अपरिचित से, कृत्रिम और वेजान मालूम पड़ेंगे ।

हिन्दी वालों को चाहिये कि वे सदैव—साधारण बोलचाल में, मित्रों की गोष्ठी में या मंच से—शुद्ध और स्टैडर्ड हिन्दी बोले और बोलते समय भाषा का उसी प्रकार और उतना ही ध्वनि रक्खें जितना लिखते समय रखते हों, या रखना आवश्यक है । वे हिन्दी प्रान्तों के निवासियों—हिन्दू, मुसलमान, सिख या ईसाई—से या उनके बीच में बोलते समय उर्दू में बोलने की या उर्दू शब्दों का व्यवहार करने की भयकर भूल कठापि न करें, क्योंकि ऐसा करके वे यही सिद्ध करेंगे कि हिन्दी प्रान्तों के सब निवासी हिन्दी नहीं समझते, बहुत से निवासी उर्दू ही बोलते और समझते हैं, और उर्दू ही इन प्रान्तों को कामन भाषा है । हमें हिन्दी मुसलमानों से बातचीत करते समय इस बात का विशेष रूप से ध्वनि रखना होगा कि हम हिन्दी

‘हिन्दुस्तानी’ किस प्रकार अपनाते हैं । हिन्दी का भविष्य हिन्दी वालों—हिन्दी के लेखकों, साहित्यिकों और हिन्दी भाषियों—के ही हाथ में है । (आगे दूसरा भाग देखिये ।)

हिन्दिया और हिन्दी प्रदेश की मातृ-भाषा या बोलचाल की भाषा ही हो सकती है। इसमें कोई काट लॉट नहीं की जा सकती। दों, हिन्दी को यदि नये शब्दों की आपश्यकता पढ़े और वे हिन्दी की प्रवृत्ति से अनुसार हिन्दी के देशज स्वोरों और हिन्दी की स्वामाधिक उपजीव्य भाषा सन्कृत ने न मिल सके तो उन्हें इधर उधर न जा कर राष्ट्र की अन्य भाषाओं ने ग्रहण करना चाहिये। 'राष्ट्र-भाषा' का यही अर्थ हो सकता है। राष्ट्र-भाषा बनाने के लिये किसी भाषा की प्रकृति नहीं बदली जा सकती और न उसकी निजी शब्दावली में परिवर्तन किया जा सकता है। सारांश यह कि पहले हिन्दी को अपनी बोलचाल की भाषा, अपने प्रदेश की मातृ-भाषा बनाना चाहिये। किसी भाषा का प्रचार अन्य भाषाओं के समीप होने के कारण नहीं होता, इसने प्रचार में आसानी भले ही हो जाय। किसी भाषा जो प्रचार तो उस भाषा के बोलने वालों की शक्ति पर निर्भर है। जब वे ही उस भाषा को उसके लिखित रूप में नहीं बोलेंगे तो उसे दूसरे कैसे बोल सकेंगे? जब हिन्दी बाले जैसी हिन्दी लिखेंगे वैसी बोलेंगे, और जैसी बोलेंगे वैसी लिखेंगे, अपना सारा काम काज उसमें करेंगे और उसमें उत्तम साहित्य की रचना करेंगे तब हिन्दी में शक्ति आयेगी, उसके उदाहरण, मुहावरों आदि का आदर्श स्थिर होगा और वह चारों ओर फैल कर राष्ट्र-भाषा का पद प्राप्त करेगी। हिन्दी को हिन्दी-प्रदेश की जनता की बोलचाल के निकट लाने के लिये हिन्दी के देशज शब्दों और धारुओं को पहला न्यान देना ही पड़ेगा। इसी प्रकार हिन्दी आमफृहम, जनता की भाषा, वात्तविक हिन्दु-ल्लानी बनेगी।

(आ) वे अखबारी फारसी शब्द जिनके सम्बूद्ध तत्सम या तद्भव पर्याय जनता की बोलचाल में प्रचलित हैं और इसलिये जिनका हिन्दी से वहिष्कार कर देना चाहिये।

हिन्दी में प्रचलित जिन अखबारी फारसी शब्दों के देशज पर्याय प्रचलित

वे अपनी बोलचाल की भाषा सुधारें, और शुद्ध हिन्दी बोलचाल का आदर्श उपस्थित करें, और मच से भी शुद्ध हिन्दी बोलें। ग्रामीण जनता की भाषा चिलकुल विकृत नहीं हुई है। जब गाँवों में शिक्षा का प्रसार और प्रचार होगा, और उनका शहरों से समर्क बढ़ेगा, तो ग्रामीण जनता शहरों के शिक्षित समाज की बोलचाल को अपनायेगी। हमें चाहिये कि हम उन्हें शुद्ध हिन्दी बोलचाल दें, नहीं तो वे भी इसी वर्तमान अँगरेजी और अंग्रेजी फारसी शब्दों से बोभिल बोलचाल को अपनायेंगे, और इस प्रकार जनता की भाषा का नहीं, शहरों के मुट्ठी भर आदमियों की विकृत भाषा का प्रसार-प्रचार होगा और वही बोलचाल की व्यापक भाषा होगी। फिर उसका बदलना या सुधार करना असम्भव हो जायगा।

४. कुछ आक्षेपों के उत्तर

ऊपर पेश किये गये सुझावों और उनमें प्रतिपादित सिद्धान्तों पर जो आक्षेप आमतौर से किये जाते हैं या किये जायेंगे, उनका उत्तर दिये विना सम्भव है कुछ लोगों को ये व्यर्थ और पोच जान पड़ें। इसलिये कुछ आम आक्षेपों (वर्तमान अथवा सभावित) का उत्तर नीचे दिया जाता है।

(१) कोई हिन्दी एकाडेमी भाषा पर किसी प्रकार का प्रतिवन्ध नहीं लगा सकती।

प्रश्न भाषा को बोधने का नहीं, उसकी मयांदा रखने का है। स्टैंडर्ड हिन्दी शब्द-कोष के सम्बन्ध में यह पहले कहा जा सका है (पृष्ठ २२) कि दिन प्रति दिन अधिकाधिक विदेशी शब्द हिन्दी में चढ़ीत होते ही रहेंगे और स्टैंडर्ड हिन्दी शब्द-कोष में स्थान पाते जायेंगे, परन्तु किसी भी समय यह कहा जा सकेगा कि अब तक की अर्थात् वर्तमान हिन्दी का यह कोष है। हिन्दी एकाडेमी भाषा सबधी प्रत्येक वात में समय और आवश्यकतानुसार अपनी नीति बदलेगी, परन्तु हर समय उच्छ्वसलता और धौंधली

गज), मेट्रवानी (रूपा), मोहन्यत (प्रेम), वमणोः (दुर्बल), दन्तवास (प्रभं), सुशिक्षा (विद्वन), नचना (वालक), मदद (दृष्टावता), माफ (चमा), जगत (जीभ), इन्तहान (पर्दीचा), मुख्य (स्थगन्ध), वटबू (दुर्गन्ध), वू देना (गधाना), जक (जन्देह), तालीग (गिरा, पढाई), अकूलमन्द (वुड्डिमान), फाटा (लाभ), नुकसान (आनि), तकदीर (भाग्य), जगह (रवान), मनन (देश), इत्तिकास् (नदींग), इत्तिकारन (मयोग मे), कर्ज (श्रृणु), पंगाम (मन्देश), तर्कीव (उपाय), काविल (व्रोग्य, जोग), तसल्ली (धीन्ज, सनोद), गङ्गद्वारत (सुन्दर), दोलतमन्द (धनी), मदद या दमटाद (सहायता) ।

(ह) हिन्दी प्रदेश को जनता की बोलचाल म प्रचलित अर्गवी फारसी शब्द जिनके देखज, तद्रव या न्तर्कृत नत्सम पर्याय जनता भी बोलचाल में प्रचलित नहीं है । ऐसे शब्दों को हिन्दी में नि. ६ कोच ले लेना चाहिये ।

यह पहले स्पष्ट किया जा चुका है कि हिन्दी प्रदेश की बोलचाल का मापन्दर हिन्दी प्रदेश के गाँवों, कसबों और शहरों में वस्त्रे काली ६५ प्रति शत जनता की बोलचाल है, शहरी मे न्तर्ने वाले विशिष्ट वर्गों की बोलचाल नहीं । यास्तव मे इन विशिष्ट वर्गों की कोई बोलचाल है ही नहीं । यह गजनीतिक परिस्थितियों के साथ बदलती चलती है । कभी यह हि दी थी, फिर उद्दु हुई, आज वह इङ्गित्वाना है । कल वह हिन्दी के राजभाषा होने पर फिर हिन्दी हो जायगी । इन विशिष्ट वर्गों का दोलचाल में प्रचलित विटेणी—अर्गवी फारसी या अँगरेजी—शब्दों को हिन्दी में लेने के लिये विलक्षण वाय्य नहीं । परन्तु जो विदेशी—अर्गवी फारसी या अँगरेजी—शब्द अपने स्वदेशी पर्यायों के साहित्यिक अस्तित्व के बावजूद हमारे टुर्भाग्य से, हमारी गजनीतिक परतन्त्रता के कारण जनता की बोलचाल में प्रचलित हो गये हैं, उन्हें हमें जनता की माया के नाते ले लेना चाहिये । हमारे सीमाग्य से ऐसे शब्दों की संख्या अधिक नहीं है । सिद्धान्तत हमें इन शब्दों

‘हिन्दी’ नाम से बोध होना है—मिट जायगी, और उसके साथ हमारी सस्कृति मिट जायगी, हमारा साहित्य मिट जायगा, हम अर्थात् वह सब कुछ जिसका ‘हम’ और ‘हमारा’ से बोध होता है, मिट जायगा, गहरी धार्मिक हानि होगी और आने वाली पीढ़ियाँ हमें कोसेगी। हमें आज हिन्दी की रक्षा करनी ही है, उसे चाहे प्रतिक्रिया कहा जाय, चाहे सकुचितहृदयता कहा जाय और चाहे रिचाइवलिज्म कहा जाय।

(४) साधारण जनता भाषा के प्रति जागरूक (language conscious) नहीं है।

नहीं है तो करना होगा। जनता तो भेड़ों के झुन्ड के समान है, उसे नेताओं ने जिधर हाँक दिया उधर चल दी। जनता किसी चीज से ‘काशस’ नहीं होती, उसे काशस’ किया जाता है। जनता को पेट भर खाने और तन भर कपड़े के सिवा किसी और चीज की चिन्ता नहीं होती। सस्कृति का निर्माण और उसकी रक्षा जनता नहीं, जननायक किया करते हैं। भाषा के मामले में भी नेतृत्व साहित्यिक और विद्वान् ही करते हैं, जनता केवल उनका अनुसरण करती है। भारतीय जनता भी न ‘लैंगुएज काशस’ है और न कभी थी। उसने सैकड़ों साल तक राजभाषा फारसी का पानी भरा फिर भी ‘लैंगुएज काशस’ नहीं हुई। परन्तु फारसी से जनता को जो व्यावहारिक और सास्कृतिक हानि हुई, वह जननायकों को मालूम है। भला हो अँगरेज वहाँदुर का जिसने फारसी को हटाकर प्रान्तीय भाषाओं को प्रतिष्ठित किया, वर्ना न ‘जनता’ ने फारसी को हटाने की माँग की और न उसे (कितने ही जननायकों को भी) फारसी लदे रहने पर कोई उत्तर या। आज ‘जनता’ को राजभाषा अँगरेजी से भी कोई शिकायत नहीं है—यह शिकायत तो उसमें अब नेता पैदा कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें उन्हीं को, मालूम है कि इस अँगरेजी से क्या हानि होगी। ‘जनता’ तो अब भी खुशी से पैसे देकर अँगरेजी में दरख्वास्त लिखाने के लिये तैयार है। हाँ, यदि कांग्रेस सरकार उससे उसकी भाषा में ही

उमर, रोजी, दधा, अन्दाजा, आसान, आदमी या इसान, खुशी, संवा, मुकर्रर, फर्ज, नफरत, आवहण, वायटा, जुल्म, मौका, असल में, कमजोरी, मजबूती, सबाल, बढ़नामी, नामकरी, मुमीश्वत, आजादी, ज़रूरत, मिर्फ, फरक, मिमाल, रफ्तार, मजूर, ऐलान, तबदीली, खजाना, चक्क, हट, जिन्दगी, दरखास्त, तनख्बाह, मशहूर, कोशिश, दिमाग, फौज, मेहनत, जवाब, हिम्मत, शहर, शुरू, खत्म, मौजूद, मर्द, कैद, कैदी, तसचीर, फेसला, रास्ता, नजर, याद, हिमाव, लायक, वरवाद, शामिल, आमदनी, खुद, पैदा, इस्तीफा, जाहिर, इच्छिला, वुखार, शुरुआद, मुनासिव, कीमत, कीमती, अक्सर, तन्दुरुस्ती, आखिरी, खबर, इशारा, खास, सब्र, आमदनी।

इन अरबी फारसी शब्दों के हिन्दी पर्यायों को सर्वत्र बोलचाल में प्रचलित करने का हमें अधिकार है क्योंकि वे कृत्रिम नहीं कहे ना सकते। अर्थात् ये अरबी फारसी शब्द हिन्दी और हिन्दी-कोष में रहें, परन्तु इनका प्रयोग विशेष अवसरों पर विशेष कारणों से ही किया जाय। साधारणतया अपने हिन्दी पर्यायों का ही प्रयोग होना चाहिए क्योंकि वे सर्वत्र बोलचाल में तभी प्रचलित हो सकते हैं।

(ई) वे अरबी फारसी शब्द जिनके हिन्दी पर्याय हमारे पास हैं ही नहीं या जिनके हिन्दी पर्याय अत्यन्त कठिन, दुरुह और भारी भरकम हैं। इन्हें ले लेना चाहिए और इनके हिन्दी पर्यायों को गढ़-गढ़ा कर प्रचलित करने का प्रयत्न करके हास्यास्पद नहीं बनना चाहिये।

उदाहरण—

कागज, इञ्जत, जवर्दस्ती, ज्यादती, जोर, जमाना, शिकायत, सिफारिश, खुशामद, भजा, तवियत, नवाब, कब्र, रुमी, गलती, शर्त, मौसम, रियायत, मामला, तखत, फसल, मसलदृत, कार्रवाई, मेज, तलाक्, दिलचस्पी, अरमान, फर्श, सफाई, जमानत, तगादा, तखमीना, उम्मीदबार, हिज्जे, कानून, मुहावरा, मसविदा, गलत, बकील, करार, माकूल, नागवार, मुखातिव्र,

कम प्रचलित अरबी फारसी शब्दों की भरमार है (हिन्दी का द्वैतवाद)। इस भरमार को दूर करना ही इस पुस्तक का उद्देश्य है। इस उद्देश्य के सफल होने पर हिन्दी आज की हिन्दी से अधिक स्स्कूत-निष्ठ ही होगी, और उसमें अरबी फारसी शब्दों की संख्या और कम होगी। जहाँ तक हिन्दी में प्रचलित स्स्कूत शब्दों का सम्बन्ध है वहाँ तक हिन्दी पर कृत्रिमता का आगेप बेचल उन स्स्कूत शब्दों के कारण किया जा सकता है जो हिन्दी प्रदेश की बोलचाल में कही—विशिष्ट शिक्षित बगों में या साधारण जनता में—प्रचलित नहीं हैं, परन्तु जिनमें से कुछ के देशज, कुछ के अरबी फारसी और कुछ के देशज और अरबी फारसी दोनों पर्याय बोलचाल में प्रचलित हैं। यदि, जैसा कि होना चाहिये, बोलचाल का माप-दण्ड विशिष्ट बगों की बोलचाल नहीं, चरन् हिन्दी प्रदेश की साधारण, वहुसंख्यक जनता की बोलचाल माना जाय, और इन स्स्कूत शब्दों में से उन शब्दों को निकाल दिया जाय जिनके किसी भी प्रकार के पर्याय बेचल विशिष्ट बगों की बोलचाल में प्रचलित हैं, साधारण जनता की बोलचाल में प्रचलित नहीं हैं क्योंकि उसे अपने नित्य के काम के लिये अभी तक उनकी आवश्यकता ही नहीं पड़ी, अर्थात् यदि इन स्स्कूत शब्दों में से उन स्स्कूत शब्दों को छोड़ दिया जाय जिन्हे, इंगलिस्तानी में प्रचलित अँगरेजी शब्दों की भाँति विशिष्ट बगों में उनके अरबी फारसी पर्यायों के प्रचलित होते हुए, प्रचलित करने का हमें अधिकार है, तो शेष स्स्कूत शब्दों की संख्या कुछ सौ से अधिक न होगी, क्योंकि दुर्भाग्यवश या सौभाग्यवश साधारण जनता के जीवन का स्तर इतना ऊँचा ही न हुआ कि उसे अपनी नित्य की बोलचाल के लिये एक लम्बी चौड़ी शब्दावली की आवश्यकता पड़ती। और यदि उसे कभी आवश्यकता पड़ी भी, तो वह अपने प्राचीन शब्दों और प्राचीन शब्द-स्त्रोतों को छोड़कर अरबी फारसी की शरण लेने के लिये उस प्रकार मजबूर न हुई जिस प्रकार शहरों का शिक्षिन समाज

हमें कुछ ऐसे ग्रंथी पारसी शब्द भी लेना पड़ेगे जिनके अर्थ में और जिनके हिन्दी पर्यायों के अर्थ में ध्वनि का अन्तर है। उदाहरणार्थ, 'अनुभव' में वह ध्वनि नहीं है जो 'महसूस' में है। 'भाग्य' और 'किस्मत', 'लज्जा' और 'शर्म' में व्यनि और अर्थ का अन्तर है। परन्तु ऐसे शब्दों की सख्त्या अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती। इस मामले में अत्यन्त भर्तकता से काम लेना पड़ेगा। कारणों का निर्देश पहले किया जा चुका है (देखिये पृष्ठ १५-१७)। हमें अपने शब्दों में ही यह ध्वनियाँ और अर्थ लट्ठ करने चाहिये। इन्हीं तीन शब्दों को लें, तो व्यवहार करने से 'अनुभव' में 'महसूस' की ध्वनि वही सरलता से आ सकती है, क्योंकि शब्द में विभिन्न ध्वनियाँ शब्द का प्रयोग करने से ही आया करती है। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो चूंकि उदूँ वाले 'अनुभव' नहीं अपनायेंगे और 'महसूस' में ही 'अनुभव' की ध्वनि भी रुट्ठ कर लेंगे, बोलचाल में केवल 'महसूस' रह जायगा और इस अर्थ में 'अनुभव' का व्यवहार विलक्षण बन्द हो जायगा। 'भाग्य' के बारे में, यदि अब तक भारत जैसे भाग्यवादी देश का 'भाग्य' और 'प्रारब्ध' से काम चल गया, तो अब 'Luck,' 'Fate,' 'Fortune' और 'Destiny' के अर्थों और ध्वनियों को स्पष्ट करने के लिये 'भाग्य' और 'प्रारब्ध' के अतिरिक्त 'किस्मत,' 'तकदीर,' 'नसीबा' और 'मुकद्दर' में से दो शब्द छाँटने की आवश्यकता नहीं—सब काम 'भाग्य' और 'प्रारब्ध' से अब भी चल सकता है और चलना चाहिये, नहीं तो चूंकि उदूँ वाले 'भाग्य' और 'प्रारब्ध' लेंगे नहीं, चारों ध्वनियाँ उन्हीं दो उदूँ शब्दों में रुट्ठ हो जायेंगी जिन्हें हम ग्रहण करेंगे (क्योंकि बोलचाल में वे ही दो शब्द हिन्दी उदूँ में कामन होने के कारण चलेंगे), और 'भाग्य' और 'प्रारब्ध' हमसे विदा हो जायेंगे। 'शर्म' और 'लज्जा' के विपर्य में, उदूँ वालों को 'लज्जा' की आवश्यकता नहीं। उन्होंने पहले से ही 'शर्म' को 'Shame' और 'Shyness' दोनों अर्थों में रुट्ठ कर लिया है—वे यह भी कहते हैं, 'शर्मिन्दा होना पड़ा,

है ही, तो हिंदी को सस्कृत और प्राचीन हिंदी साहित्य के पास जाने का एक हजार गुना अधिक अधिकार है। तथाकथित 'स्वाभाविकता' वा 'हिंदुस्तानी' का कोई भक्त इसके विरुद्ध चैर कर सकता है। हिन्दी में इस समय भी लगभग १५ हजार सस्कृत शब्द हैं जो उदूर्दू के अरवी फ़ारसी शब्दों ने सर्वथा भिन्न हैं और जिनके साथ साथ उनके उदूर्दू पर्याय हिंदी में कभी नहीं आते। १५ हजार ऐसे सस्कृत शब्दों के सामने एक हजार हिंदी शब्दों का, जिनके साथ साथ अरवी फ़ारसी पर्याय हिंदी में आते हैं, कोई विशेष महत्त्व नहीं। इन एक हजार शब्दों के विप्रय में चाहे जो कुछ निर्णय हो—चाहे सब के सब हिंदी शब्द निकाल दिये जायें और उनके स्थान में केवल अरवी फ़ारसी शब्द रखें जायें, चाहे थोड़े से हिन्दी शब्द निकाले जायें और चाहे हिंदी शब्द और अरवी फ़ारसी शब्द दोनों रखें जायें—इससे हिंदी के स्वतन्त्र अस्तित्व और उदूर्दू से पृथकत्व पर विलकुल ऑच नहीं आती। हमें बाजार, बोलचाल की नहीं, एक समृद्ध साहित्यिक भाषा की आवश्यकता है। हिंदी का भाग्य तो ऐसा फूटा है कि हिंदी के लेखक केवल बोलचाल—साधारण बोलचाल अथवा विशिष्ट वर्गों की बोलचाल—में प्रचलित अरवी फ़ारसी शब्दों को (बोलचाल में प्रचलित अथवा अप्रचलित अपने पर्यायों के होते हुए) लेकर ही सन्तुष्ट नहीं हैं वरन् वे उन शब्दों के मामले में भी जो कहीं बोलचाल में प्रचलित नहीं हैं, और इसलिये जिन्हें हिंदी और उदूर्दू दोनों को सस्कृत या अरवी फ़ारसी से उधार लेना है, हिंदी में द्वैतवाद फैला रहे हैं (हिंदुस्तानी-चालों और 'हिंदुस्तानी' के प्रताप से!), अर्थात् हिंदीवाले अप्रचलित और अनावश्यक उदूर्दू शब्द हिंदी में बुझें रहे हैं, और हिंदुस्तानीचालों की सिखाई हुई राष्ट्रीयता और साम्प्रदायिकता की परिभाषा की लपेत में आकर अपने बहुप्रचलित हिंदी शब्द बोलने से भी शर्मते हैं। लेखक को इसकी अधिक आशा नहीं कि हिन्दीवाले इस पुस्तक को पढ़कर हिंदी में बुझे हुये इन एक हजार अरवी फ़ारसी शब्दों को यहाँ प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार धटाने

आवश्यकता होती है तो अँगरेजी शब्द को अपनाते हुए सकुचाते हैं, वगले भाँकने लगते हैं और अन्त में अखी फ़ारसी को ही गले से लगाते हैं। उदाहरण के लिये, हिन्दी पत्रों में 'मुअर्रल' चलता है। कितने हिन्दी पाठक ऐसे हैं जो 'स्पैनेंड' नहीं समझते या पहले से नहीं जानते, परन्तु 'मुउर्रल' समझते और जानते हैं? दोनों में से किसी शब्द को न जानने वालों और अशिक्षितों के लिये दोनों शब्द एक समान अपरिचित हैं, फिर इस 'मुअर्रल' को 'स्पैनेंड' से प्रीफर (या 'तरजीह')! क्यों किया जाय? 'मुहर्या' के वजाय 'स्प्लाई' क्यों न कहा जाय? वही बात उन शब्दों के लिये कही जा सकती है जिन्हें ऊपर मोटे अक्षरों में छापा गया है।

(उ) वे अखी फ़ारसी शब्द जो ऊपर के किसी वर्ग में नहीं आते। इनका हिन्दी से व्यविधार होना चाहिये। उदाहरण—

मक्सद, सदर, सदारत, तरजुमा, ज़बान (भाषा के अर्थ में), चाकई, तलफ़कुस, वाशिन्दा, महदूद, मुख्तलिफ़, मुखालिफ़, मुखाल-फत, मुताविक, मुल्तवी, तुमायन्दा, तकरीर, रहनुमाई, सतर, अहम, अमूमन, गालवन, मुकम्मल, तब्खा, उसूल, महसूम, फ़स्त, इलज़ाम, ताकीद, इन्सानियत, हुक्मन, ज़वानी, याददाश्त, मौजूद, वहस, मुवाहसा, भातहत, टरअसल, हासिल, मिकटार, बज़ीफा, बगैरह, ईजाद, एतराज़, तोहमत, नाज, आयन्दा, अफसाना, फ़साना, राज़, सुदई, मुद्दालह, बालिग, नामजद, मेहनतकश, तबाह, जालिम, झर्रत, गैर-वाजिब, जमात, बावजूद, दाखिल, बागी, बगावत, लाजमी, कुर्बानी, कुर्बान, बफ़ादारी, एलची, रुख़सत, शुकगुज़ार, नज़ज़ारा, ऐशोआराम, गुरवत, मुफीद, निस्वत, रह्मवदल, यानी, वेजा, गुमगह, सुलह, कौमी, गैर-मुनासिब, उल्फत, माली हालत, गदार, अहलकार, असला, शरफत, तहज़ीब, माहिर, खाविन्द, मानी, रकवा, हामी, हिमायत, खिलाफ, दरियादिल, मामूया मामूजान, चचा या चचा जान, भाई जान, सिपहसालार, बादशाह

वे हिन्दुस्तानी को जिस प्रदेश की भाषा बनाना चाहते हैं उस सम्मुर्ण प्रदेश की बोलचाल में एक शब्द के प्रचलित विभिन्न पर्यायों में से उस पर्याय को हिन्दुस्तानी में लेंगे जिसे सब से अधिक व्यक्ति बोलते हाँ, और उन शब्दों के मामले में जिनकी अभी तक नित्य की साधारण बोलचाल में आवश्यकता ही नहीं पड़ी, अर्थात् जो बोलचाल में ही नहीं, वे हिन्दुस्तानी के लिये हिन्दुस्तान के अपने स्रोतों को शरण लेंगे। बोलचाल में प्रचलित सभी अरबी फ़ारसी शब्द हम लेते हैं (और एक बार को हम बोलचाल में प्रचलित उनके स्वदेशी पर्यायों को, चाहे वे अपेक्षाकृत कम प्रचलित हो अथवा अधिक, विलकुल छोड़ने को भी तैयार हैं), बोलचाल में अप्रचलित सभी आवश्यक शब्द उदौँचाले और हिन्दुस्तानीचाले हिन्दुस्तानी स्रोतों से लें। यही सीधी और सच्ची बात है, और 'बोलचाल की भाषा सबसे पहले', इस सिद्धात का यही अर्थ हो सकता है। यदि हिन्दुस्तानीचाले इस बात के लिये, अर्थात् बोलचाल में अनुपस्थित शब्दों के लिये हिन्दुस्तान के पुराने 'मुर्दा' स्रोतों को प्राथमिक महत्व देने को तैयार नहीं, तो हम कहते हैं कि बोलचाल में अनुपस्थित शब्द वे उस प्रदेश, जिसकी भाषा वे हिन्दुस्तानी बनाना चाहते हैं, में प्रचलित साहित्यिक भाषाओं से लें, और एक शब्द के विभिन्न पर्यायों में से उसको लें जिसे सबसे अधिक व्यक्ति लिखते हों। (उदाहरण के लिये यदि इन्तजार, बाट, प्रतीक्षा में से 'बाट' सब से अधिक व्यक्तियों की बोलचाल में आता है तो 'बाट' लें, आसमान, आकाश में से 'आसमान' अधिक चलता है तो 'आसमान' लें, एतराज, आपत्ति में से 'एतराज' बोलचाल में अधिक आता है तो 'एतराज' लें, तहजीब, सभ्यता में से 'सभ्यता' अधिक व्यक्तियों की बोलचाल में आता है तो 'सभ्यता' लें, और 'अन्तर्राष्ट्रीय' 'राजनीतिक,' 'दशमलव', 'बैनुलअकबामी', 'स्यासी', 'आशार्य' में से 'अन्तर्राष्ट्रीय', 'राजनीतिक', 'दशमलव' लें, क्योंकि ये शब्द या उनके उदौँपर्याय कहीं बोलचाल में नहीं आये, परन्तु साहित्य में इन शब्दों को उदौँपर्यायों की

और इस समय जब कि हिन्दी अपने जीवन के सबसे नाजुक दौर में से गुजर रही है और उस पर चारों ओर से प्रहार हो रहे हैं, ऐसे लेखकों को साहित्यिक दृष्टि देना अनुचित न होगा।

ऊपर प्रत्येक वर्ग के शब्दों के उदाहरण-स्वरूप जो शब्द पेश किये गये हैं, उनके विषय में विद्वानों में मतभेद हो सकता है। कुछ विद्वान् एक शब्द को निकालने की सलाह देंगे, कुछ उसको रखने की सलाह देंगे। कुछ विद्वान् एक शब्द को किसी वर्ग में रख़ देंगे, कुछ विद्वान् किसी दूसरे वर्ग में। ऊपर अरवी फारसी शब्दों के जिन वर्गों को वहिष्कार-व्याय बतलाया गया है, उनमें से प्रत्येक वर्ग के कुछ शब्दों को शायद सिद्धान्त के अवधार-स्वरूप लेना भी आवश्यक होगा। इन भवित्वातों के विषय में लेखक को अपनी ओर ने विलकुल आग्रह नहीं है। उसका उद्देश्य तो बेकल विद्वानों का व्यान इस बात की ओर आकर्षित करना है कि हिन्दी में प्रचलित अरवी फारसी शब्दों की मर्यादा निश्चित होनी चाहिये, और हिन्दी में नये नये अनावश्यक अरवी फारसी शब्दों की जो बाढ़ आ रही है, उसे रोकने का प्रयत्न होना चाहिए। कौन ना शब्द रखना चाहिये और कौन सा शब्द निकालना चाहिये (और किन सिद्धान्तों के अनुसार), इसका अन्तिम निर्णय तो हिन्दों के विद्वानों को एक समझ ही कर सकती है। परन्तु इतना फिर कहना पड़ेगा कि जिन शब्दों का वहिष्कार करना है, उनका प्रयोग कभी नहीं होना चाहिए। यदि हिन्दी पर्याय के साथ वहिष्कृत अरवी फारसी शब्द का भी प्रयोग होगा तो हिन्दी पर्याय बोलचाल में कदापि प्रचलित न हो सकेगा, और यदि पहले से प्रचलित होगा तो अप्रचलित हो जायगा। भारण पहले बतलाये जा चुके हैं। दूसरे शब्दों में, हिन्दी को एक दृष्टि नानि पर दृष्टता के साथ चलाना होगा। उसमें भूँठी 'उठारता', बातक 'हजम'-बाट वा शब्दों के द्वैतबाट के लिये कोई गुजारश नहीं रखसी जा सकती। वा तो सदैव हिन्दी शब्द, वह बोलचाल में चाहे अप्रचलित

अब रही मातृ-भाषा की बात । सो खड़ी बोली ही कितने व्यक्तियों की मातृ-भाषा है ? खड़ी बोली केवल डेढ़ जिलों की मातृ-भाषा है । वहाँ भी सब लोग एक ही प्रकार की खड़ी बोली नहीं बोलते और एक ही शब्दाचली का प्रयोग नहीं करते । कोई 'बोली' एक विशाल प्रदेश की और वहु-सख्तक जनता की मातृ-भाषा नहीं हो सकती । जो खड़ी बोली उत्तरी भारत के शहरों में बोली जाती है, वह उसके बोलने वालों की मातृ-भाषा तो नहीं है ही, उसका स्वरूप भी सब जगह एक सा नहीं है । फिर किस खड़ी बोली को आदर्श मानें, अर्थात् किस खड़ी बोलचाल को साहित्यिक हिन्दुस्तानी का आधार मानें ? यह कहना बिलकुल गलत और वेकार है कि किसी स्थान विशेष की हिन्दुस्तानी बोलचाल ऐसी है कि वह पेशावर से पटना तक के विशाल प्रदेश में सब जगह एक समान 'आमफहम' है, और इसलिये उसी को साहित्यिक हिन्दुस्तानी का आधार बनाया जाय । पेशावर से पटना तक के विस्तृत प्रदेश में स्थान स्थान पर भिन्न भिन्न प्रकार की खड़ी बोली जाती है, अर्थात् भिन्न भिन्न शब्दों का प्रयोग होता है । हाँ, हिन्दी और उदूँ का रूप सब जगह एक सा है, क्योंकि वे साहित्यिक, लिखित भाषायें हैं और सब जगह एक ही रूप में पढ़ाई जाती हैं, और उन्हें जो पढ़ते हैं, वे उन्हें समझते हैं—सब अपने आप नहीं समझने लगते । इसी प्रकार जो भी साहित्यिक हिन्दुस्तानी बनाई जायगी वह भी पटना से पेशावर तक सब जगह सबकी समझ में अपने आप नहीं आ जायगी । उसे भी हिन्दी उदूँ के समान पढ़ाना पड़ेगा । फिर किसी खास, क्षेत्र से स्थान या वर्ग की हिन्दुस्तानी बोलचाल को उस साहित्यिक हिन्दुस्तानी का आधार क्यों बनाया जाय ? यदि हिन्दुस्तानी या खड़ी बोली उत्तरी दोआव की मातृ-भाषा है और इसलिये उत्तरी दोआव का विशेष महत्त्व है, तो भी एक जिले की हिन्दुस्तानी बोलचाल को (जो स्वयं जले में भी सब जगह एक सी नहीं है) इतने विशाल प्रदेश या सभूर्ण

को गद्दी बोली में बोले जाने वाले हिन्दी समृद्ध शब्दों ने कोई मरोदार नहीं), अन्त में सही बोली में केवल उद्भू-कोप ही लक्षित होगा, और फिर लिपिम्‌हिन्दी में भी केवल वही दिखाई देगा। भिन्नेमा, ऐसियों, आदि ने भी जरी दिखाई देगा—कोई जाकर यह देखने का एष्ट नहीं करेगा कि हिन्दी-कोप में उन उद्भू शब्दों के, जो उद्भू कोप में हैं और सब लगाए जल रहे हैं, और जिन्हें सब समझ रहे हैं, और कौन कौन से पर्याय भी सँचोये हुए हैं । ‘तकरीर’ को ही लें। चूँकि उद्भू पाले ‘तकरीर’ द्वारा वर ‘भाषण’ स्मृति में भी नहीं लिखेंगे, हिन्दी में ‘भाषण’ के साथ साथ ‘तकरीर’ लुटेजने का रैपल यही परिणाम होगा कि हिन्दी पाले ‘तकरीर’ भी सीख जायेंगे और किर बोल-

॥ ४ ॥ रामनरेश प्रियादी पुक लगाए लिखते हैं ॥ १ ॥ हिन्दी के कितने ही शब्द, जो उद्भू में लिखे नहीं जा सकते, हमें के लिए हमसे दूर जायेंगे—जैसे भाष्य, सदिग्द, आवश्यक, प्रमाण, साहित्य और विद्वान के स्थान पर हमें क्रिस्मत, मशक्कू, ज़रूरी, स्वृत, अद्य और आलिम लेना पड़ेगा। लेने के हम विरोधी नहीं, क्योंकि नए शब्दों से हमारा शब्द-कोप बढ़ता ही है, घटता नहीं ॥ १ ॥ स्पष्ट है, इस प्रकार शब्द लेने से हिन्दी शब्द-कोप का बढ़ना तो अलग रहा, ‘हिन्दी शब्द-कोप’ नाम की कोई चीज़ ही न रह जायगी। उद्भू वाले स्वत्तन में भी क्रिस्मत, मशक्कू, ज़रूरी, स्वृत, अद्य और आलिम के रहते भाष्य, संदिग्द, आवश्यक, प्रमाण, साहित्य और विद्वान नहीं लिखेंगे—उनकी लिपि में लिखना सभव हो तो भी नहीं (वे क्तिखे भी क्यों ? पृक पृक शब्द के दो दो पर्यायों की ज़रूरत ?)। हिन्दी में क्रिस्मत, मशक्कू—आलिम लुटेजने से आज हिन्दी धालकों को दूना बोझ, कोप-प्रकाशकों को दूना कागज़ और छपाई का प्रचंच, आदि तो उठाना ही पड़ेगा, कल तक भाष्य, सदिग्द—विद्वान का हिन्दी से टिकट ही कट जायगा। क्रिस्मत, मशक्कू—आलिम ही कामन भाषा, राष्ट्र भाषा के शब्द कहे जायेंगे, और वास्तव में होंगे भी। भाष्य, सदिग्द—विद्वान उद्भू लिपि की अपूर्णता और अवैज्ञानिकता के कारण नहीं, अपने ही कमाँ (या ‘उदारता’, ‘हज़मवाद’ !) के कारण हमसे सदैव के लिये छूट जायेंगे ।

हिन्दुस्तानी की बला

अब तक हिन्दी के परिष्कार को, अर्थात् अपने घर की वात कही गई। जब किसी वाहरी शत्रु से मुकावला करना होता है, तो पहले अपने घर की स्थिति ही ठीक करनी होती है। आज हिन्दी को एक नये शत्रु 'हिन्दुस्तानी' का मुकावला करना है, इसलिये पहले इसी पर विचार किया गया कि हिन्दी को अन्दर से मजबूत बनाने के लिये हिन्दी में क्या क्या सुधार करने की आवश्यकता है। अब यह देखना होगा कि इस शत्रु का क्या स्वरूप है, उसकी क्या चाल है, उसमें कितनी शक्ति है, उसका क्या अभिप्राय है और उसका दमन किस प्रकार करना चाहिये।

जहाँ तक राष्ट्र-भाषा की समस्या और हिन्दुस्तानी-चाद के सैद्धान्तिक पहलुओं का सम्बन्ध है, वहाँ तक उनका विवेचन लेखक अपनी पुस्तक 'राष्ट्र-भाषा की समस्या और हिन्दुस्तानी आन्दोलन'^{५५} में कर चुका है। उस पुस्तक में हिन्दुस्तानी वालों के सब तर्कों का समुचित उत्तर दे दिया गया है, और उनके आन्दोलन की पोल भी खोल दी गई है। परन्तु यह शक्ति का युग है, तर्क का नहीं। जिसकी लाठी, उसकी भैस। इसी युग-धर्म को पहचान कर हिन्दुस्तानी वाले अपने हिन्दुस्तानी-चाद को तर्क-सगत और न्याय-सगत सिद्ध करने की चिंता किये दिन। एक ओर अपने विरोधियों—हिन्दी, और हिन्दी साहित्य सम्मेलन—को नेस्तनावूद करने में व्यस्त हैं और दूसरी ओर येन केन प्रकारेण जनता को झौंसा देकर, उसकी राष्ट्रीय भावना, गाधीजी और कांग्रेस के नाम से लाभ उठाकर शक्ति प्राप्त

^{५५} प्रकाशक, गंगा-पुस्तकमाला, लालूश रोड, लखनऊ।

एक बात और। अरबी फारसी का जो भी प्रचलित शब्द हिन्दी में लिया जाय, उसे तद्रव रूप में ही लिया जाय। जब एक ऐसे शब्द को ग्रहण करने का कारण वही है कि वह प्रचलित है, तो जिस रूप में वह प्रचलित है उसी रूप में उसे न लेने का कारण? हम एक ऐसे शब्द को इस लिये नहीं लेते कि वह अरबी फारसी का शब्द है, वरन् इसलिये लेते हैं कि हिन्दी भाषी जनता ने उसे अपना लिया है, हिन्दी ने उसे अपने में खपा लिया है और अपने साँचे में ढाल लिया है, वह चाहे जहाँ में आया हो। जब ऐसी बात है, तो उसे उसके हिन्दी रूप में ही लेना चाहिए और उसे उसका पुराना अरबी फारसी जामा पहनाने का प्रयत्न करके अपनी भाषा की हीनता प्रकट नहीं करनी चाहिए। सभी उन्नत भाषायें प्रकारीय शब्दों के साथ ऐसा करती हैं। उदूँ वाले भी जब किसी प्रचलित हिन्दी शब्द को ग्रहण करने पर मजबूर हो जाते हैं, तो उसे उसके चलते रूप में ही ग्रहण करते हैं (उदाहरण—‘वैपार’, ‘गाहक’, ‘समन्दर’, ‘देस’), परन्तु हिन्दा के लेखक या तो उदूँ की पुरानी गुलामी के कारण या अपना पाठेत्य दिखाने के लिये ‘ज्यादह’, ‘वेजह’, ‘दर्जह’, ‘तबीअत’, ‘मुआमला’ ‘मुआफी’, आदि भी लिखते देखे जाते हैं, ‘शुरुआद’, ‘कसूर’, ‘तगदीर’, ‘तगादा’, ‘जवाब’ आदि, आदि के बजाय ‘शुरुआत’, ‘तकदीर’, ‘कुसूर’, ‘तकाजा’, ‘जवाब’, आदि की तो कोई बात ही नहीं। शायद कोई हिन्दी लेखक हिन्दी में ‘टिकट’, ‘लालटैन’, या ‘अस्पताल’ छोड़ कर ‘टिकेट’, ‘लैन्टन’ या ‘टास्पिटल’ लिखने की घृण्णता न करेगा, परन्तु हिन्दी के बहुतरे लेखक द्वैंठ द्वैंठ कर, काप देख देप कर उदूँ शब्दों को उनके तत्सम अरबी फारसी स्वप में लिखने का प्रयत्न करते देखे जाते हैं। यह प्रवृत्ति घोर हीनता और दीनता को द्योतक है। ऊपर ग्रहण करने योग्य अरबी फारसी शब्दों के जो उदाहरण दिये गये हैं, (वर्ग (इ) और (ई) के शब्द) उन्हें उसी रूप में लिखा गया है जिस रूप में उन्हें लेना चाहिये।

(जिसकी वे अभी तक केवल कल्पना कर रहे हैं उसे ब्रिटिश सरकार ने प्रत्यक्ष कर दिखाया !)

रेडियो का मामला हमें हिन्दुस्तानी-आनंदोलन के दूसरे पहलू पर ले आता है। वह है इस 'हिन्दुस्तानी' का स्वरूप। आखिर वह 'हिन्दुस्तानी' जो सब जगह से—केन्द्र से और प्रान्तों से—हिन्दी को निकाल रही है और उसका स्थान लेना चाहती है, कैसी होगी ? रेडियो की हिन्दुस्तानी को हम जानते हैं। उसे काग्रेस और हिन्दुस्तानी वालों का पूर्ण समर्थन प्राप्त है। इसे सिद्ध करने के लिये हमें यह देखने की जरूरत नहीं कि काग्रेस वाले और हिन्दुस्तानी वाले क्या कहते हैं, वरन् यह देखने की जरूरत है कि वे क्या करते हैं। काग्रेस ने अपने उच्च आसन से क्या किया अथवा क्या करना चाहती है, इसकी चर्चा ऊपर हो चुकी है। अन्य हिन्दुस्तानी वालों ने क्या किया है, इसे सुन लीजिये। सम्मेलन द्वारा सचालित आदोलन में उन्होंने कभी सहायता तो नहीं दी ही, उन्होंने सम्मेलन के मार्ग में रोडे अटकाये हैं, और सम्मेलन की माँग को अराष्ट्रीय घोषित किया है। इस सम्बन्ध में प० सुन्दरलाल और डा० ताराचन्द जैसे हिन्दुस्तानी के दिग्पालों का नाम लेना काफी है। रेडियो वाले इन्हीं हिन्दुस्तानी वालों के बल पर कूद रहे हैं, और इन्हीं का सहारा पाकर अपनी नीति पर दृढ़ हैं। पिछले दिनों सर सुलतान अहमद ने अपनी नीति के समर्थन में गांधी जी का नाम लिया, परन्तु गांधी जी फिर भी चुप रहे। इस सबसे सिवाय इसके कि काग्रेस और हिन्दुस्तानी वालों को रेडियो की हिन्दुस्तानी मान्य है (ऊपरी मन से ईद बकरीद चाहे जो कुछ कह दिया करते हों) और क्या निष्कर्ष निकल सकता है ? अच्छा, यदि जरा

नहीं, वे ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि स्वयम् उनकी हिन्दुस्तानी के कोई सिद्धांत नहीं हैं। (यदि होते तो 'शिक्षा' के स्थान में 'तालीम' और 'साहित्य' के स्थान में 'शब्द' कैसे आ बैठता ?) वे रेडियो की 'हिन्दुस्तानी' को उदौँ तो केवल हिन्दी वालों को फुसबाने के लिये बताते हैं।

का प्रयोग करना लगभग उतना ही तुरा है जितना एक स्वदेशी शब्द के होने हुये एक विदेशी शब्द का प्रयोग करना। ऐसा करने से भाषा कठिन और जनसाधारण के लिये अपरिचित सी भी बनती है। देशज शब्दों के विषय में पहले बहुत कुछ कहा जा चुका है। उसे दोहराने की आवश्यकता नहीं। सोचने की वात है कि ऊपर जिन शब्दों को मोटे अक्षरों में छापा गया है, उनको क्या आवश्यकता थी? उनसे भाषा को क्या लाभ हुआ? संस्कृत हिन्दी की माता है, हिन्दी को संस्कृत से उधार लेने का अधिकार है, परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि हिन्दी को संस्कृत बना दिया जाय। हमें नये शब्द गढ़ते समय भी सबसे पहले देशज शब्दों और धातुओं पर नजर ढालनी चाहिये। यदि उनसे काम न चले, तभी संस्कृत या अन्य स्वदेशी और विदेशी भाषाओं को टटोलना चाहिये। तद्भव शब्द होते हुये तत्सम शब्द का प्रयोग भी अचाल्यनीय है और भाषा को कठिन बनाता है। अशाक्तों द्वारा विगड़े हुये शब्दों जैसे 'देस', 'लछमीनरायन', 'लच्छमी', 'गनेस', 'गाहक', 'वेपार', 'वैपरी', 'सकत' (शक्ति), 'समन्दर', आदि को उधारना और वात है, और सर्वमान्य 'नींद', 'लाख', 'जीम', 'रात', आदि के बजाय 'निद्रा', 'लक्ष', 'जिहा', 'रात्रि', आदि का लिखना और वात है। चामतक में देशज और तद्भव शब्द ही हिन्दी के निजी, असली हिन्दी शब्द हैं, शेष तो उधार लिये हुये ही कहे जायेंगे। हिन्दी अपनी निजी सम्पत्ति की उपेक्षा करके एक धनी और स्वतंत्र भाषा नहीं बन सकती। एक वात और है। संस्कृत के शब्द प्राय नुकीले और बोलने में कठिन होते हैं, परन्तु देशज और तद्भव शब्द हिन्दी की व्यनि प्रणाली में ढले हुये, बोलने में सरल, मधुर, छोटे और गोलमटोल होते हैं, क्योंकि असर्व ग्राहियों के मुख में तुलते तुलते उनके कोने भङ चुके होते हैं। भाषा पर ये शब्द भार स्वरूप नहीं मालूम देते। भास्तव में यही भाषा को गति और प्रगति प्रदान करते हैं।

वलिज्म है', आदि। वस, एक हजार साल से गुलामी का बोझा ढोने वाले हिन्दू चुपचाप सहन कर लेते हैं। वे भाषा का महत्व कैसे समझे? हिन्दु-स्तानी वाले तर्क भी बहुत मुन्द्र उपस्थित कर डेते हैं। एक प्रेस प्रतिनिधि के प्रश्न के उत्तर में प० सुन्दरलाल ने बताया, "अदालतों की भाषा ऐसी होनी चाहिये जिसे हिन्दू मुसलमान दोनों समझें, परन्तु दोनों लिपियों में काम करने की छूट होनी चाहिये" (क्योंकि अभाव्यवश उन्होंने कोई लिपि तो कामन बनाई नहीं !)। चूँकि अदालतों की भाषा पिछले सौ वर्षों से उर्दू है और इसलिये चूँकि जिन्हे—हिन्दू और मुसलमान—अदालतों से काम पड़ता है वे सब इसी को समझते हैं, प० सुन्दरलाल के कथन का सीधा अर्थ यह है कि वही भाषा बनी रहे। अदालतों की भाषा के विषय में एक हिन्दी वाले से बातचीत के सिलसिले में प० गोविन्दबल्लभ पत ने कहा, "आप 'अदालत' रखेंगे, 'मुकदमा', 'वकील', 'मुद्रई', 'मुदालह' रखेंगे या नहीं ? आपका सिद्धान्त तो ठोक है, परन्तु जब जनता के एक भाग की भावना प्रतिकूल हो तो क्या किया जाय ?" हिन्दीवाले यह श्रीशा त्याग दें कि पत का मन्त्रिमंडल अदालतों, दफ्तरों, पुलिस, म्यूनिसपैलटी, आदि की भाषा में कोई परिवर्तन करेगा *। काग्रेसी मन्त्रि-मंडल लीला

* पंत जी के राजनीतिक भाषा-शास्त्र का एक और नमूना देखिये। बातचीत के सिलसिले में उनसे कहा गया कि युक्तग्रान्त में एक भाषा और लिपि को कामन बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि जिन प्रांतों में एक से अधिक भाषायें और लिपियाँ हैं वहाँ सब की सब राजभाषा भी नहीं बनाई जा सकती, और प्रांतीय जीवन को एक सूत्र में बाँधने के लिये भी एक कामन भाषा और लिपि की आवश्यकता पड़ेगी ही, और वह प्रात की मुख्य भाषा और लिपि ही हो सकती है, जैसे हैदराबाद में तेलगू, मराठी, कन्नड़ और तामिल हैं, चारों भाषायें और लिपियाँ राजभाषा नहीं हो सकती, और यद्यपि प्रत्येक हैदराबादी को अपनी मातृ-भाषा के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा, हैदराबाद की राजभाषा और कामन भाषा वहाँ की मुख्य

प्रणाली में नहीं चलेंगे वा या तो बिलकुल नहीं चलेंगे वा, यदि उनके सुआथले पर दूसरे शब्द न हुए तो, हिन्दी को इनि-प्रणाली में स्पष्ट, दल बत्येंगे और लिपित भाषा और बोलचाल भी भाषा में भारी अन्तर पड़ जायगा। हिन्दी में 'टिकेट' नहीं या सहजा था, इसलिये वह 'टिकट' हो गया, 'हैन्टन' 'लाल-टेन' हो गया। जैगरेजी में 'घमड़ी' नहीं गयता था, इसलिये वह 'घाम्हे' हो गया, 'कलकत्ता' 'क्लक्टा' हो गया, 'मधुग' 'मट्टग' हो गया, इत्यादि। हिन्दीपालों को अपनी भाषा की इनि-प्रणाली पहचानना चाहिये और उसके अनुसार चलना चाहिये। तुलभी और हिन्दी के अन्य प्राचीन कवियों को इन-नाओं में सहकृत शब्दों को हिन्दी के नाँचे में दालफर ही लिया गया है। उनकी लोकप्रियता का एक प्रमुख कारण यही है। गाँधियां आनन्द के साथ कवीर को सारियाँ गाते हैं और गा पाते हैं। 'प्रसाद', पन्त वा 'निराला' की कविता का प्रचाहरण क्या उनके करठ ने इसी स्बद्धता के साथ निकल सकता है? सहकृत शब्दों की वर्थ की तोड़-मर्गोङ अच्छी नहीं (इस मामले में प्राचीन हिन्दी कवि भी निर्दोष नहीं रह जा सकते), परन्तु सहकृत शब्दों को सदैव अपने मूल तत्सम रूप में लेने का मोह भी अच्छा नहीं।

(इ) हिन्दी में यौगिक और समास-युक्त शब्दों का कम ते बहु प्रयोग होना चाहिये। यहाँ तक हो सके, शब्द लम्बे न हों।

(ई) कियर चाहे गम्भीर हो चाहे ऐल्का, भाषा सरल ने सरल होनी चाहिये। जो वात कम शब्दों में, सरल शब्दों में, और सीधी तरह कही जा सकती है, उसे शब्दाड्म्यर के साथ, कटिन शब्दों में, तुम। मिराकर कहने की प्रवृत्ति कभी अच्छी नहीं कही जा सकती। आधुनिक हिन्दी को 'ग्रामफहम' बनाने के लिये उसे काग्रेस की या चर्चा की हिन्दुस्तानी बनाने की जनरत नहीं और न वह इस प्रकार ग्रामफहम हो सकती है परन्तु उसे अभी और सरल अपश्य बनाया जा सकता है। सदैव सरल से सरन शैली का प्रयोग होना चाहिये।

को जहाँ होना चाहिये वहाँ तो उदूर रहेगी ही, वस जहाँ हिन्दी को होना चाहिये वहाँ ही 'हिन्दुस्तानी' होगी जो ६० प्रतिशत उदूर और कालान्तर में शुद्ध उदूर होगी, और होगी उनकी उदूर लिपि। 'हिन्दुस्तानी' केवल हिन्दी की जड़ काटेगी, भारत के कोने कोने में उदूर और उदूर लिपि को ले जायगी जहाँ उन्हे एक हजार वर्ष का सुस्तिम शासन भी न ले जा सका, और प्रत्येक हिन्दू को उदूर लिपि और उदूर सीखने के लिये विवश करेगी। भला ऐसा 'पैकट' उन्हें क्यों न भायेगा? बस, केवल हिन्दुओं के गले के नीचे इस पैकट को उतारना बाकी है। सो 'राष्ट्रीयता' में भली भाँति सान कर उतारा जा रहा है। बेचारे हिन्दू तो काग्रेस की जेव में हैं। भाषा तो भाषा है, यदि कल गाधीजी यह कहने लगें कि स्वराज्य-प्राप्ति का सबसे सरल उपाय यह है कि भारत में एक ही धर्म के अनुयायी हों और चूंकि मुसलमान हिन्दू हो नहीं सकते इसलिये सब हिन्दू मुसलमान हो जायें, तो जैसे आज काग्रेस वालों को उदूर पढ़ाने के लिये मौलवी ढूँढे नहीं मिलते, कल से हिन्दुओं को कलमा पढ़ाने के लिये मुज्जाओं की कमी पड़ जायगी। परन्तु फिर भी क्या स्वराज्य मिल जायगा? मिले या न मिले, गाधी-दर्शन के अनुसार विरोधी के हृदय को पिघलाने का शुद्ध अहिंसात्मक उपाय तो यही है, और भाषा के मामले में इसी का हिन्दुओं को उपदेश दिया जा रहा है। यदि वे उपदेश मानें तो 'राष्ट्रीय' हैं, यदि न मानें तो उन्हें "स्वराज्य की इच्छा नहीं है।"

४४ श्री श्रीमज्जारायण अपने हिन्दुस्तानी-वाद की सफाई यह कह कर देते हैं कि जिस प्रकार हिन्दी पत्रों में 'हिन्दुस्तानी' के विरुद्ध प्रचार हो रहा है, उसी प्रकार उदूर पत्र 'हिन्दुस्तानी' का विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यह धोखा है, हिन्दुस्तानी का अर्थ हिन्दी-प्रचार है, (कहाँ कहाँ?) आदि। ठीक है, उदूर पत्र ऐसा क्यों न कहें? उन्हे इस प्रकार कहते रहने में ही जाभ है। मुसलमानों को अपनी ब्लैकमेल की नीति से किस ज्ञेत्र में जाभ नहीं हुआ है?

का भी मार्ग-प्रदर्शन कर रुकता है। मासाध में हिन्दी के कवियों को अत्यन्त प्रशस्त और प्राचीन पश्पर्ये चिगमन में मिली है। यदि वे उसने लाम न उठायें, तो वह हिन्दी का दुर्भाग्य है। आधुनिक युग में वगान में रघीन्द्र ने जनता को जन-कपिना ढो, फलस्थन्प वगान के एक एक वचन की जवान पर टैगोर के गीत चिगजमान है। इस प्रकार फलोन्द्र रघोन्द्र ने साहित्य और जनता के बीच को गाँड़ को पाटा, परन्तु हिन्दी के कवि माहित्य और जनता के बीच की गाँड़ नो और चोदा कर रहे हैं। हिन्दी के कवियों को तुरन्त अपनी भाषा पर ध्यान देना चाहिए। उन्हें गढ़ भी कपिता का निर्माण करना है। यदि हिन्दी कपि अपनी भाषा को सख्त कर लें, तो कवि-सम्मेलना द्वारा हिन्दी-प्रचार में भी दृष्ट वही सहायता मिल सकती है। कवि-सम्मेलनों की लोकप्रियता भी दर्टगी और उनने जनता के सास्कृतिक जीवन का स्तर भी ऊँचा दोगा और जनता की जब दर्शानी दी जाएगी।

(३) उच्च विषयों के लिये पारिभाषिक शब्द बनाये जायें और उन्हें निश्चित (standardise) किया जाय। इन शब्दों की अन्य मारतीय भाषाओं को भी आवश्यकता है। अच्छा हो यदि सभी मारतीय भाषाओं के विद्वान् मिलकर पारिभाषिक शब्दों के एक 'स्टैण्डर्ड' कोप का निर्माण करें। उदूँ के प्रतिनिधि न बुलाये जायें, क्योंकि उदूँ पाले अपनी डेढ़ चाषल की पिचड़ी ग्रलग पकाने पर तुले हुये हैं। उन्हें बुलाने ने केवल व्यर्थ का विवाद होगा, और जो काम हो सकता है वह भी न होगा ॥

पारिभाषिक वैज्ञानिक शब्दावली गढ़ने के विषय में डा० रघुवीर के आधीन इंटरनेशनल एकांडमी आफ हॉडियन कल्चर, लाहौर, का प्रयत्न अत्यन्त सराहनीय है। डा० रघुवीर देश और विदेश के विद्वानों की सहायता और सहयोग से आधुनिक ज्ञान और विज्ञान की लगभग ६०० विशिष्ट शाखाओं के लगभग २० लाख थ्रैंगरेजी तथा अन्य पारचाल्य भाषाओं के पारिभाषिक शब्दों के स्वदेशी पर्याय गढ़ने से संकलन है। ये सब पर्याय सकून

यह है 'जनता की भाषा हिन्दुस्तानी', 'राष्ट्र भाषा हिन्दुस्तानी' की सेवा ! हिन्दुस्तानी वाले गाधीजी के नाम और उनके साथ अपने सम्पर्क से लाभ उठाकर सरकार द्वारा अपनी 'हिन्दुस्तानी' और उदू-लिपि अनिच्छुक जनता के ऊपर लाइना चाहते हैं—यह सब राष्ट्रीयता की ओट में । ऊपर से कहने यह है कि हिन्दुस्तानी का स्वरूप तो करोड़ों जनता निश्चिन्त करेगी ! उन्हे यह भी सह्य नहीं कि सम्मेलन की राष्ट्र-भाषा प्रचार समिति स्वतंत्रता-पूर्वक अपना काम करती रहे और वे अपना कार्य करे । उन्होंने साम दाम दरेड भेद से सम्मेलन के राष्ट्र-भाषा प्रचार के पूरे सगठन को अपनी मुद्दी में करने का और सम्मेलन के कार्य-कर्त्त्वांशों को फोड़ने का दृढ़ निश्चय कर लिया है । उन्हे भय है कि यदि राष्ट्र-भाषा प्रचार समिति भी मैदान में रही तो जनता हिन्दुस्तानी को पूछेगी ही नहीं, इसलिये उनका प्रथम ध्येय राष्ट्र-भाषा प्रचार समिति के सगठन को ध्वस्त करना है और इसकी पूर्ति में उन्होंने अपनी समस्त 'राष्ट्रीय' शक्ति लगा दी है । अस्तु, वे इस प्रकार गाधीजी के इस बाक्य का पालन कर रहे हैं कि "सम्मेलन के खिलाफ़ कुछ काम न होगा ।" कुछ लोग शायद कहेंगे कि स्वयम् गाधीजी को अपने अनुयायियों के ये ढग पसद नहीं आयेंगे । परन्तु क्या गाधीजी को अपने अनुयायियों की करतूतों का पता नहीं है ? और फिर क्या स्वयम् गाधीजी ने दक्षिण में हिन्दी प्रचार बन्द कराके हिन्दुस्तानी प्रचार कराने के लिये सब कुछ नहीं किया, अथवा क्या महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ वह उनके सामने नहीं हुआ ? रही सरकारों पर जोर डालने की बात, सो क्या स्वयम् गाधीजी ने कायेसी मन्त्रि मण्डलों पर अपने सिद्धान्तों पर चलने के लिये जोर नहीं डाला है ? मन्त्र-निपेध ही का उदाहरण दिया जा सकता है । अस्तु, काका कालेल कर ने आसाम में जो कुछ किया और करना चाहते हैं, वह हिन्दुस्तानीचालों की नीति का एक प्रमुख अग है । उनकी नीति में यह भी शामिल है कि यह सब हिन्दी और हिन्दू प्रान्तों में ही किया जाय । क्राका

अँगरेजी का या अखंकी फारसी का शब्द उटा कर घर दिया जाता है और फिर भी एक अर्थ में सदैव एक ही शब्द का प्रयोग नहीं होता। साधारण से साधारण शब्द के मामले में यही हाल है (उदाहरण के लिये 'Dead-lock' के लिये 'जिन्च', 'अडगा', 'गति-अवरोध' आदि, आदि चलते हैं जिनमें से कोई भी टीक अर्थ को व्यक्त नहीं करता)। इसमें समाचार-पत्रों का अधिक दोष नहीं। उनके सामने कोड स्टेंडर्ड और पूर्ण पारिभाषिक शब्दावली है ही नहीं। कारण जो भी हों, 'भाषा' की सत्रा का टाचा करने चाली किसी भाषा के लिये यह अत्यन्त लज्जा की बात है।

(४) एक हिन्दी एकाडेमी की स्थापना होनी चाहिये जो भाषा-विप्रयक सब विचारों का फैसला करे, ऊपर भाषा सबन्धी जिन सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया है उनके अनुसार भाषा में परिवर्तन, सशोधन करके भाषा का स्वरूप निश्चित करे और उसका आदर्श सामने रखे। यही हिन्दी हमारी 'आदर्श हिन्दी' या 'किंग्स हिन्दी' होगी। अब तक जो कार्य हिन्दी के कुछ लेखकों ने व्यक्तिगत रूप से किया है, वह अब एक हिन्दी एकाडेमी ही कर सकती है। अब एक हिन्दी एकाडेमी ही हिन्दी पर उचित नियंत्रण रख सकती है और हिन्दी लेखकों पर वयेष्ट और व्यापक प्रभाव डाल सकती है। यही एकाडेमी अखंकी फारसी शब्दों की मर्यादा निश्चित करे और हिन्दी का स्टेंडर्ड कोप प्रकाशित करे जिसमें केवल वे ही अखंकी फारसी शब्द हों जिन्हें हिन्दी में रखना है। इस कोप में सब शब्द अपने निश्चित रूपों में हों। इस स्टेंडर्ड कोप को अपडेट रखना अर्थात् भवय समय पर उसके परिवर्द्धित सस्करण प्रकाशित करना भी इसी एकाडेमी का काम होगा। इस एकाडेमी को एक स्टेंडर्ड और परिपूर्ण अँगरेजी-हिन्दी कोप भी प्रकाशित करना चाहिये। यह एकाडेमी उन अखंकी फारसी शब्दों की एक अलग तालिका भी प्रकाशित करे जिनका हिन्दी से विष्कार होना चाहिये, और आगे के लिये भी उचित कार्रवाई करे जिससे हिन्दी अखंकी-

हिन्दी ने राष्ट्रीय भावना और स्वातन्त्र्य प्रेम को जागृत करने में जो सहायता दी है और सम्मेलन के राष्ट्र-भाषा प्रचार ने अहिन्दी भाषियों को हिन्दी भाषियों के साथ भाषा के बन्धन में बौद्धकर देश में जो ऐक्य स्थापित किया है, वह कहने की नहीं, अनुभव करने की चीज़ है। और सम्मेलन के कार्यक्रम और सिद्धान्तों से देश को कोई हानि¹ तो पहुँची ही नहीं। फिर सम्मेलन अराष्ट्रीय कैसे हो सकता है? देखना यह है कि सम्मेलन को अराष्ट्रीय धोषित करने वाले कितने गहरे में हैं, उनका कार्यक्रम और उनके सिद्धान्त कहाँ तक राष्ट्रीय हैं। जहाँ तक उनके कार्यक्रम का सम्बन्ध है, वहाँ तक उनकी कारगुजारी पर पहले प्रकाश डाला जा चुका है। जो बात सबसे अधिक स्पष्ट है वह यह है कि जिनको खुश करने के लिये हिन्दी छोड़ 'हिन्दुस्तानी' का नारा बुलन्द किया गया है वे, अर्थात् मुसलमान, हिन्दुस्तानी के कार्यक्रम से रक्ती भर प्रभावित नहीं हुये हैं और न हो सकते हैं। हिन्दुस्तानी का प्रचार केवल हिन्दुओं और हिन्दू-प्रान्तों तक सीमित है और रहेगा। सोचने की बात है कि हिन्दुओं और हिन्दी प्रान्तों में तो भाषा-ऐक्य हिन्दी ही स्थापित कर सकती है, कहीं अच्छी तरह और आसानी से स्थापित कर सकती है और सफलता के साथ स्थापित कर ही रही थी। हिन्दुस्तानी आन्दोलन ने केवल हिन्दुओं में भी फूट डाल दी, और जो कार्य हिन्दी कर रही थी उसमें भी वाधा उपस्थित कर दी। हिन्दुस्तानी आन्दोलन का केवल इतना ही परिणाम हुआ है। 'हिन्दुस्तानी आन्दोलन केवल आर्य समाज, नागरी प्रचारिणी सभा और हिन्दी साहित्य सम्मेलन के करे कराये पर पानी फेर रहा है। यह कैसी 'राष्ट्रीयता' है? हिन्दुस्तानी वालों को चाहिये तो यह था कि वे यह कहते कि जो हिन्दी को राष्ट्र-भाषा मानकर हिन्दी पढ़ना चाहे वे हिन्दी पढ़ें, और जो उर्दू पढ़ना चाहें वे उर्दू पढ़ें। यह कदम हमें और आगे ले जाता। इसके बजाय उन्होंने हिन्दी उर्दू दोनों और दोनों लिपि अनिवार्य करके उनको भी राष्ट्र-भाषा पढ़ने से रोक दिया जो राष्ट्र-भाषा

(५) एक हिन्दी समाचार एजेंसी की स्थापना की जाय जो हिन्दी पत्रों को शुद्ध, आदर्श, स्टैडर्ड हिन्दी अर्थात् 'किंग्स हिन्दी' में समाचार सप्लाई करे। इससे भाषा का स्वरूप निश्चित करने में सहायता मिलेगी, भाषा विप्रयक धॉघलीवाजी दूर होगी, पत्रों का स्तर और स्टैडर्ड ऊँचा होगा, पत्रों के अनुवाद-सम्पादकों की कठिनाइयाँ दूर होंगी और हिन्दी पत्र अँगरेजी पत्रों का स्थान ले सकेंगे। पढ़ने में आया है कि कोई सज्जन देवनागरी का टेलीप्रिंटर बना रहे हैं जिससे हिन्दी में समाचार अँगरेजी में समाचारों की मार्तिमेजे जा सकेंगे, परन्तु जब तक वह नहीं बनता तब तक हिन्दी समाचार एजेंसी को डाक और तार से ही काम निकालना चाहिये। यह एजेंसी काग्रेस नेताओं के 'हिन्दुस्तानी' भाषण और वक्तव्य भी स्टैडर्ड हिन्दी में मेजे जिससे हिन्दी पत्रों द्वारा भाषा कल्पित न होने पावे। (आज-कल कितने ही पत्र काग्रेस नेताओं के हिन्दुस्तानी उर्फ उर्दू के भाषण ज्यों के त्यों छाप देते हैं; नेताओं को उपस्थित जनता के ६५ प्रतिशत के वजाय सुखलमानों को अपनी बात समझाने की ज्यादा चिन्ता होती है, पर हिन्दी पत्र तो हिन्दी का न सही, कम से कम हिन्दी पाठकों का ख्याल रखें।) जब आल इन्डिया रेडियो हमारी न्यायोचित माँग पूरी करने के लिये विवरण होगा, तो जिस प्रकार वी.वी सी. अँगरेजी भाषा का और उसके शुद्ध उच्चारण का आदर्श साथ के सामने रखता है, उसी प्रकार हिन्दी समाचारों के प्रसार द्वारा अच्छी हिन्दी का आदर्श सामने रखता जा सकेगा।

(६) हिन्दी और देवनागरी के माध्यम से उर्दू प्रचार विलकुल बन्द हो जाना चाहिये। कुछ विशेष वाते जिनकी ओर ध्यान दिलाना आवश्यक है, निम्नलिखित है—

(अ) पहला कर्तव्य हिन्दी पत्रों के सम्पादकों का है। उन्हें सब समाचार, वक्तव्य, आदि शुद्ध और अच्छी हिन्दी में छापना चाहिये। काग्रेस नेताओं की 'हिन्दुस्तानी' को ज्यों का त्यों छापने का मोह

“देशी नरेशों के प्रश्न की तरह सम्पादक सम्मेलन के कुछ लोग हिन्दुस्तानी नहीं जानते, यह प्रश्न भी सामने लाया गया”। क्या यह बात झूठ थी? अवश्य ही, क्या सम्मेलन में कोई ऐसा सम्पादक भी था जो अँगरेजी न जानता हो? अँगरेजी के माध्यण, अँगरेजी की कार्रवाई तो सम्मेलन में उपस्थित प्रत्येक सम्पादक ने समझ ली। अब प्रश्न यह है कि अखिल भारतीय सभाओं और सम्मेलनों में उपस्थित प्रत्येक भारतीय एक भारतीय भाषा समझ सके, यह परिस्थिति हिन्दी उदौ दोनों और दोनों लिपि अनिवार्य करने से शीघ्रतर उत्पन्न होगी या एक राष्ट्र-भाषा और एक राष्ट्रलिपि की शिक्षा अनिवार्य करने से? प्रस्ताव का विरोध ‘नेशनल हेरल्ड’ के सम्पादक श्रीरामा राव ने भी किया। उनके विषय में इदूरकरजी लिखते हैं, “आपने दूटी फूटी हिन्दुस्तानी में भाषण यह दिखाने के लिये ही किया कि हिन्दुस्तानी गभीर विचारों का प्रतिपादन नहीं कर सकती। आपने अन्त में यह भी कहा कि मैं हिन्दुस्तानी नहीं बोल सकता”। इस पर इदूरकर जी टिप्पणी करते हैं, “मेरी समझ में नहीं आया कि १० साल यू० पी० में रहने के बाद भी श्रीरामा राव हिन्दुस्तानी क्यों न सीख सके?” ठीक है, यदि कोई यू० पी० में रहने के कारण ही गभीर विचारों के प्रतिपादन करने योग्य ‘हिन्दुस्तानी’ सीख सकता होता तो यू० पी० में पैदा होने वाले किसी बालक को तो स्कूल में ‘हिन्दुस्तानी’ पढ़ाने की आवश्यकता ही न होती! जिन १८ करोड़ व्यक्तियों की ‘मातृ-भाषा’ गाधीजी ‘हिन्दुस्तानी’ बताते हैं, उनको भी ‘राष्ट्र-भाषा हिन्दुस्तानी’ में पारगत करने के लिये हिन्दुस्तानी प्रचार सभा को क्या ग और अलिफ बे के सिवा और कुछ पढ़ाने का कष्ट न करना पड़ता! और चिलायत का एक अपहृ देहाती दिना किसी स्कूल में अँग्रेजी पढ़े चचिल का भाषण समझ लेता और ऐटली के समान बोलकर पालमिन्ट को मुग्ध कर लेता! बास्तव में श्रीरामा राव के कथन से श्री इदूरकर को सोचना तो यह चाहिये था कि एक अहिन्दी

भाषा के हम पाकिस्तान और वर्षा-भेद के विषय में कुछ कहना अनावश्यक है। यह दोप बहुत हद तक ऊपरवाले दोष (आ) के अन्तर्गत है। यह उद्दू भी गुलामी के सिवा और कुछ नहीं। अँगरेजी में इस प्रकार लिख कर कोई नाम पैदा करना नहीं चाहेगा:—‘Patriotism of Christians, deshbhakti of Hindus, hubbulvatni of Muslims’, ‘Christian religion, Hindu dharma and Muslim mazhab’, ‘English poems, Hindi kavitas, Urdu nazms’. आदि।

दूसरे शब्दों में, हिंदी की एक निश्चित स्थिति होनी चाहिये। प्रत्येक भाषा की एक स्थिति होती है, अर्थात् प्रत्येक भाषा एक विशिष्ट स्थिति का प्रतीक होती है, और उसमें उसी स्थिति का बातावरण लक्षित होता है तथा उसी की विशिष्ट शब्दावली का प्रयोग होता है। अँगरेजी की स्थिति ईसाई अँगरेजों की स्थिति है। उसमें प्रत्येक धर्म का पात्र अँगरेजी में बात करता है, सब को ‘मिस्टर’ कहा जाता है (किसी को ‘श्री’ या ‘जनाव’ नहीं), सबके धर्म को ‘रेलीजन’, सब के पिता को ‘फादर’, सब की माता को ‘मदर’, इत्यादि कहा जाता है। हिन्दी की स्थिति क्या हो ? उद्दू की स्थिति मुसलमानी स्थिति है। तथाकथित ‘हिन्दुस्तानी’ की स्थिति भी वही है। डा० ताराचन्द और प० सुन्दरलाल की प्रयागवाली ‘हिन्दुस्तानी कलचर सोसाइटी’ की ‘हिन्दुस्तानी कलचर’ की परिभाषा है शिक्षित समाज के आदावश्रज्ज और पैजामा वाले वर्ग की स्थिति। उनके लिये वही हिन्दू-मुस्लिम सम्मिलित स्थिति का आदर्श है, और उसी वर्ग की भाषा आदर्श ‘हिन्दुस्तानी’ है। उनकी नजर में न नमस्ने और धोती वाले वर्ग की स्थिति का कोई महत्व है, और न शहरों और गाँवों में बसनेवाली करोड़ों हिन्दू और मुसलमान जनता की स्थिति का—जिस प्रकार उनकी नजर में इनकी ‘हिन्दुस्तानी’ का कोई महत्व नहीं। परन्तु हम तो आदावश्रज्ज और पैजामा वाले वर्ग की स्थिति को गुड मानिंग और पतलून वाले वर्ग की स्थिति से

सस्कृत निष्ठ और दूसरी ओर मुसलमानों ने फारसी-निष्ठ किया। यदि वे सच्ची बात अर्थात् यह कि सस्कृत-निष्ठ हिन्दुस्तानी अर्थात् हिन्दी को बाद में बदल कर मुसलमानों ने उसे फारसी-निष्ठ किया, कहने लगें, तो उनकी 'आम्प्रदायिक' ६५ प्रतिशत उर्दू + ५ प्रतिशत हिन्दी=हिन्दुस्तानी का आधार जो नष्ट हो जाय।

हिन्दुस्तानी बालों का साम्प्रदायिकता-प्रचार लिपि के नामके में और भी प्रत्यक्ष है। हम हिन्दी बाले तो चाहते हैं और प्रयत्न करते हैं कि गण्ड-भाषा ही नहीं, बरन् सारो भारतीय भाषायें एक ही लिपि देवनागरी में लिखी जायें (इस प्रयत्न में हमें ग्रहिनियों से भी सहयोग मिला है), परन्तु हिन्दुस्तानी बाले राष्ट्र-भाषा की भी दो लिपियाँ रखना चाहते हैं, और 'देवनागरी हिन्दुओं की लिपि है, फारसी लिपि मुसलमानों की', यह नारा लगा कर भारत के कोने कोने में लिपि-साम्प्रदायिकता का प्रचार कर रहे हैं, और सब जगह देवनागरी-फारसी लिपि का झगड़ा पैदा कर रहे हैं। वे शायद समझते हैं कि ऐसा करने से उनके 'हिन्दुस्तानी की दो लिपि' बाले सिद्धात के लिये रास्ता साफ हो जायगा। वे इस सिद्धात को स्वीकृत करने के लिये देवनागरी और फारसी लिपि को केवल साम्प्रदायिक लिपियाँ ही घोषित नहीं करते हैं, बरन् देवनागरी और फारसी लिपि को एक दूसरे के समकक्ष रख देते हैं। उन्हे स्व-देशी, पूर्ण और वैज्ञानिक लिपि देवनागरी और विदेशी, अपूर्ण और अवैज्ञानिक फारसी लिपि में कोई अन्तर नहीं दीखता। उनके लिये यह कहना फैशन हो गया है कि हिन्दुस्तानी की दो लिपियाँ हैं, इसलिये दोनों मान्य होनी चाहिये। यदि वे सच्ची बात अर्थात् यह कि हिन्दुस्तानी की लिपि केवल एक देवनागरी थी, और बाद में मुसलमानों ने उसे फारसी लिपि में लिखना शुरू किया, तो उनके दोनों लिपि बाले सिद्धान का साम्प्रदायिक आधार जो नष्ट हो जाय। आश्चर्य नहीं यदि दोनों लिपि के साम्प्रदायिक नारे के फल-स्वरूप प्रत्येक भारतीय भाषा की दो दो लिपियाँ

उदूँ प्रचार में सहायक तो है ही, हिंदीवालों की मूर्खता और हीनता और हिन्दी की अपमानजनक हितति का व्योतक भी है। इस पाकिस्तान को तुरत दूर करना चाहिये।

(ई) हिंदी में उदूँ के अवतरण, शेरै, दृत्यादि प्रायः इस प्रकार उद्धृत की जाती है मानो वे हिंदी की ही हो। कुछ और हिंदी लेखक हिंदी और देवनागरी द्वारा उदूँ प्रचार के पुण्य कार्य को पूर्ण करने के लिये उदूँ शब्दों के आगे कोष्ठकों में उनके हिंदी पर्याय लिख देते हैं जिससे हिंदी पाठकों को उदूँ सीखने में किसी प्रकार की असुविधा न हो। यह एक अत्यन्त शोचनीय अवस्था है जिसे तुरन्त दूर होना चाहिये। उदूँवाले उदूँ में हिंदी के अवतरण देवनागरी से उल्था करके उदूँ लिपि में ज्यों के त्यों धरने की मूर्खता करके उदूँ पाठकों के कोर-भाजन नहीं बनते और न अपनी मूर्खता को छिपाने के लिये (या उसे पूर्णतया सिद्ध करने के लिये!) फिर हिन्दी शब्दों के आगे कोष्ठकों में उदूँ शब्द लिखते हैं। यदि वे ऐसी मूर्खता करने की सोचें भी, तो उनकी लिपि उन्हें तुरन्त ठीक रास्ता दिखा देगी। ऑंगरेजी में जब किसी दूसरी भाषा का अवतरण उद्धृत किया जाता है तो उसका मून न देकर उसका ऑंगरेजी अनुवाद दिया जाता है। यदि मूल देना आवश्यक ही होता है, तो उसके साथ उसका ऑंगरेजी अनुवाद अवश्य दिया जाना है। ऐसा ही हिन्दी में होना चाहिये। उदूँ से हिंदी में अनुवाद करना तो फिर अपेक्षाकृत सरल है। जिस हिन्दी लेखक को उदूँ का अवतरण उद्धृत करना हो वह यदि मूल को उदूँ लिपि से ज्यों का त्यों देवनागरी में रखने के बजाय देवनागरी में उसका हिंदी अनुवाद लिखता चले, तो उसे तो कोई विशेष कष्ट नहीं होगा, परन्तु पाठक पर उसकी बड़ी कृपा होगी और हिन्दी की रक्षा भी हो जायगी। यदि मूल देना आवश्यक ही हो तो उसे उदूँ लिपि में दिया जाय। उदूँ हिंदी की एक शैली ही सही, परन्तु उसकी अपनी अलग लिपि भी तो है। जिस प्रकार हिन्दी में आवश्यकता पड़ने पर ऑंग-

के ज्ञान के अनुरूप शेली बदला ही करती है, परन्तु इस कारण न भाषा का नाम बदलता है और न उसकी शब्दावली। हिन्दी में भी ऐसा ही होता है। जिस प्रकार अँगरेजी का 'लिटरेचर' शब्द नहीं बदल जाता, उसी प्रकार हिन्दी में उच्च साहित्य में आने वाला शब्द 'साहित्य' समाचार पत्रों में जाकर 'अद्व' नहीं हो जाता। प्रचार के मामले में भी वही बात है। जो अँगरेजी अँगरेज वच्चों को पढ़ाई जाती है, वह अँगरेजी साहित्य वाली अँगरेजी से भिन्न नहीं होती, और जो अँगरेजी गैर-अँगरेज चच्चों को पढ़ाई जाती है, वह अँगरेज बच्चों को पढ़ाई जानेवाली अँगरेजी से भिन्न नहीं होती। जैसी अँगरेजी इङ्ग्लैंड की भाषा है वैसी वृटिश साम्राज्य की साम्राज्य-भाषा है, और वैसी ही सरार-भाषा है। इसी प्रकार हिन्दी प्रान्तों में पढ़ाई जानेवाली हिन्दी साहित्य की हिन्दी से भिन्न नहीं हो सकती, और अहिन्दी प्रान्तों में प्रचारित की जानेवाली हिन्दी हिन्दी प्रान्तों की हिन्दी से भिन्न नहीं हो सकती, अर्थात् राष्ट्र-भाषा हिन्दी प्रान्त-भाषा हिन्दी या मातृ-भाषा हिन्दी से भिन्न नहीं हो सकती (देखिये परिशिष्ट १२)। और, हिन्दी प्रान्तों की वह बोलचाल की भाषा क्या है, कैसी है, सब जगह एक सी है अथवा नहीं, उसका सबसे अधिक सुलभ स्वरूप क्या है, और वह किस लायक है, इन सब बातों पर पहले प्रकाश डाला जा चुका है। वास्तव में बात यह है कि हिन्दुस्तानी के समर्थक अन्य राजनीतिक नेताओं की भौति बाबू राजेन्द्रप्रसाद भी राष्ट्र-भाषा की समस्या पर अपने राजनीतिक दृष्टिकोण को अलग रखकर विचार करने में असमर्थ हैं।^५ इसका एक

^५ बाबू राजेन्द्रप्रसाद की राजनीतिक उल्लंघन के कुछ और नमूने देखिये—
(१) अपने भाषण में पहले उन्होंने कहा, “भाषा के स्वरूप निर्धारण पर विचार करते समय हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि भाषा बनाने की चीज़ नहीं है। वस्तु, काल, आदि से प्रभावित होकर वह स्वयं बनती है और स्वयं भू राष्ट्र-भाषा हो सकती है”, और आगे चलकर कहा, “आज इस बात की नितान्त आवश्यकता है कि बंगाल, पंजाब, मद्रास, आदि देश के विभिन्न

द्वारा हँसने हँसाने में उन्हें आनन्द नहीं आता। जब तक वे हास्य के स्तम्भ में 'हमारी न्यायशीला सरकार ने हमें न्याय प्राप्त करने की जो सुविधायें प्रदान की हैं' लिखने के बजाय 'हमारी इन्साफप्रसन्न सरकार ने इन्साफ हासिल करने की जो सहूलियतें हमें बख्शी हैं' न लिखेंगे, तब तक उनकी समझ में हस घाक्य में हास्य का पुट नहीं आ सकता। उदाहरण के लिये, हिंदी के प्रसिद्ध साप्ताहिक 'देशदूत' को लीजिये। उसके सबसे पहले पृष्ठ पर ही 'सीधी टेढ़ी खरी मजेदार' शीर्षक हास्य का स्तम्भ रहता है। ऐसा मालूम होता है कि इस स्तम्भ के लेखक को राय में, और सम्प्रादक की राय में भी, इस स्तम्भ की मुख्य विशेषता और आकर्षण अरवी फ़ारसी शब्दों का प्रयोग ही है। केवल एक ही अक में इस स्तम्भ के अन्तर्गत चुटकुलों में प्रयुक्त कुछ अरवी फ़ारसी शब्दों के नमूने देखिये—खसुसियत, शाया, तनज्जुली, जुर्रत, मुतफ़ज्जी, महरूम, इलहाम, निजात, फिरकापरस्ती, तरमीम, अखवारनबोस, बाशिन्दा, हुच्चुलबतनी, राज, पैगाम, मुखनलिफ़, मौजूँ, खाषिन्द, महदूद, बाकड़, शिगू़ा, हमदाद, हत्यादि।

हास्य के कवियों का भी यही हाल है। हास्य-जगत के दो प्रमुख कवियों 'वेधइक' और 'वेढव' बनारसी की हास्यपूर्ण कवितायें वा तुकबन्दियाँ प्रायः साप्ताहिक 'ससार' और 'देशदूत' में छपती हैं। इन कविताओं और तुकबदियों की एक विशेषता यह है कि इनकी भाषा में किसी अरवी फ़ारसी शब्द के प्रवेश करने पर कोई रोक-टोक नहीं—हिंदी के शब्दों की संख्या की अपेक्षा कहीं अधिक संख्या में अनाधिकारी अरवी फ़ारसी शब्द इन कविताओं और तुकबन्दियों में चिंगजमान रहते हैं।

हास्य की यह परिभाषा हिंदी को छोड़कर सार को किसी दूसरी भाषा में नहीं मिलेगी। उद्दूँ में तो कदापि नहीं।

(७) कायेस की ओर से देश भर में प्रचार किया जाता है कि युक्त-प्रान्त की भाषा 'हिंदुस्तानी' है जिसका अर्थ हुआ कि 'हिंदी' किसी प्रदेश

रहा है और नहीं विगड़ेगा, अथवा उसके स्वरूप को विकृत नहीं करेगा और उसकी प्राचीन परंपरा को नहीं तोड़ेगा । क्या 'हिन्दुस्तानी' हिन्दी की ही एक विकृत शैली नहीं है, और क्या 'हिन्दुस्तानी' लिखने, बोलने और प्रचार करने का प्रयास मिशनरियों द्वारा विकृत मराठी लिखे और बोले जाने के समान नहीं है ? जैसा घोर विरोध श्री काका कालेलकर के सहभाषियों ने मिशनरियों का किया, क्या हिन्दुस्तानी बालों का वैसा ही घोर विरोध करना हम हिन्दी बालों के लिये उचित नहीं, जिससे उनकी हिन्दी के प्रति ऐसा अपराध करने की फिर हिम्मत न हो ?

मामले के इस पहलू को अच्छी तरह से समझ लेना अति आवश्यक है । हिन्दी बालों के लिये तो आवश्यक है ही, उन हिन्दुस्तानी बालों के लिये भी आवश्यक है जिनके चित्त में वास्तव में यह धारणा जम गई हो कि हिन्दुस्तानी से हिन्दी को हानि नहीं पहुँचेगी, और जो इस प्रकार हिन्दी की ओर से निश्चन्त हो एक झूठी राष्ट्रीयता का लबादा ओढ़े हुये आन्दोलन के प्रभाव में आकर हिन्दुस्तानी बालों के गिरोह में जा मिले हो । 'हिन्दुस्तानी' हिन्दी से भिन्न कोई भाषा नहीं । यदि वह हिन्दी से उसी प्रकार एक भिन्न भाषा होती जिस ग्रकार बँगला या मराठी है, तो उसके प्रचार से हम हिन्दी बालों को उससे अधिक चिन्ता न होती जितनी बँगला या मराठी या गुजराती या अन्य स्थूल-निष्ठ भाषा-भाषियों को इस समय है । परन्तु 'हिन्दुस्तानी' हिन्दी की ही एक भ्रष्ट शैली है, और वह राजनी-तिक और साम्प्रदायिक हेतुओं को सिद्ध करने के लिये और एक झूठे राष्ट्र-धर्म का प्रचार करने के लिये हिन्दी की स्वाभाविक शैली को ही मनमाने तौर से विगड़ कर, परिवर्तित और तोड़-मरोड़ कर बनाई जा रही है । वह हिन्दी की 'सगी' दुश्मन है । हिन्दी पर 'हिन्दुस्तानी' का इमला दो प्रकार से हो रहा है, और होगा । एक का उद्देश्य हिन्दी के अस्तित्व को अर्थात् हिन्दी की स्वाभाविक शैली के अस्तित्व को एकदम मिटा

मुन्दरलाल खुशी के लड्डू वाँटे !) बँगला के आधार पर बगल, मराठी के आधार पर महाराष्ट्र, गुजराती के आधार पर गुजरात, तामिल के आधार पर तामिलनाडू, तेलगू के आधार पर आनंद्र और इसी प्रकार अपनी अपनी मातृ-भाषाओं के आधार पर अन्य प्रान्त वन जायेंगे जिनमें उनकी अपनी अपनी मातृ-भाषायें और मातृ-लिपियाँ राजभाषा और राजलिपि बनेंगी और फलेंगी-फूलेंगी (स्कॉलो में द्वितीय भाषा के रूप में अँगरेजी की भाँति 'हिन्दुस्तानी' या किसी दूसरी भाषा को भले ही पढ़ाया जाय), परन्तु हिन्दी के पल्ले पड़ेगा 'हिन्दुस्तानी भाषी प्रदेश' जहाँ हिन्दी को नहीं, 'हिन्दुस्तानी' को प्रतिष्ठित किया जायगा, अर्थात् उदू' को इसी प्रकार अखण्ड राज्य करने दिया जायगा। 'हिन्दी' का, 'हिन्दी भाषी' कोई प्रदेश या प्रान्त ही नहीं होगा, जिसका अर्थ होगा कि भारत में 'हिन्दी' कहीं बोली ही नहीं जाती। यह है युक्त-प्रान्त की भाषा को 'हिन्दुस्तानी' बताने का रहस्य। कांग्रेस के इस प्रचार का युक्त-प्रान्त के निवासियों पर भी प्रभाव पड़ा है। युक्त-प्रान्त के निवासी किसी शिक्षित व्यक्ति से पूछिये, 'आपकी मातृ-भाषा क्या है?', उत्तर मिलेगा, 'हिन्दुस्तानी'। अपनी मातृ-बोली गई, जिस भाषा की वह बोली है वह भी गई, रह गई वस 'हिन्दुस्तानी'। ब्रज-वासी भी 'हिन्दुस्तानी' बोलते हैं, अबध-निवासी भी 'हिन्दुस्तानी' बोलते हैं, काशी-वासी भी 'हिन्दुस्तानी' बोलते हैं। हिन्दी गई सो गई, 'ब्रज' और 'अबधी' भी उठ गई जिनके साहित्य का इस 'हिन्दुस्तानी' का साहित्य अभी सेकड़ों साल तक पानी भरे! जब तक 'हिन्दी' थी तब तक ब्रज और अबधी का भी अहितत्व था, 'हिन्दुस्तानी' में उन्हें स्थान कहाँ? कांग्रेस प्रचार के मारे हुये शिक्षित सज्जन कहते हुये मुनाई देंगे, 'अँगरेजी में नहीं, हिन्दुस्तानी में बात कीजिये'। अपने मुँह में 'हिन्दी' कहना उन्हें साम्प्रदायिकतापूर्ण और ओछा मालूम पड़ेगा क्योंकि कांग्रेस ने उन्हें यही सिखाया है कि हिन्दी का अर्थ है साम्प्रदायिकता, 'क्यां-कि हिन्दी साम्प्रदायिक भाषा है, विशुद्ध राष्ट्रीयता की हुगली तो 'हिन्दुस्तानी'

स्तानी' चल रही है, ऐसी अवस्था में हिंदी की स्वाभाविक शोली का क्या होगा ? यहाँ इतिहास से कुछ मदद मिल सकती है, यद्यपि आज के युग में राज्याश्रय पहले से भी अधिक महत्वपूर्ण है। जब तक फारसी राजभाषा रही, तब तक फारसी का बोलवाला रहा—उसी प्रकार जिस प्रकार आज अँगरेज़ी का है, 'पठे' फारसी वेचें तेल, यह देखो विधना के खेल', यह कहावत बनी*, तेल बैचने से बचनेवालों ने फारसी पढ़ी, सस्कृत और देशी भाषाओं की पूछ न रही, खूब फारसी का प्रचार हुआ और देशी भाषाओं पर फारसी का खूब प्रभाव पड़ा। फारसी का यह घटाटोप कब हटा ? जब १८३७ में फारसी से राज्याश्रय हटा। फारसी से राज्याश्रय हटाकर जब देशी भाषाओं को राज्याश्रय दिया गया, तब देशी भाषाओं की पूछ शुरू हुई—उससे पहले नहीं। हिन्दी प्रान्तों में तुर्मार्गवश उर्दू और उर्दू लिपि को राज्याश्रय मिला, हिन्दी और देवनागरी को नहीं। उसका जो परिणाम हुआ है, वह इस समय जीवित बहुत से हिंदीवालों ने अपने जीवन में ही अनुभव किया है। खूब उर्दू का प्रचार हुआ, वही शिष्ट-समाज की भाषा समझी जाने लगी, अँगरेजों और विदेशियों ने भी उर्दू ही सोखी, बिदेशों में उर्दू का ही प्रचार हुआ हिंदी गँचारू हो गई, उर्दू लिपि के कारण खूब शब्दों का उच्चारण भष्ट, हुआ, हिंदुओं ने हिंदी को त्यागा, हिंदी साहित्य को त्यागा, हिंदी साहित्य रचना त्यागा, अपने आचार विचार और वेश-भूपा को त्यागा, हिंदू अपनी सम्मता और सस्कृति से दूर होते चले गये, गमायण तक उर्दू में पढ़ने लगे, एक मामूली सा पत्र भी देवनागरी में लिखना भूल गये, और उर्दू का पडित होने में गर्व का अनुभव करने लगे। यह है राजभाषा और राज्याश्रय का प्रभाव ! उस पीढ़ी के

* उसी परिस्थिति में जिसमें आज अँगरेज़ी पास ग्रेजुएट को जूतों पर पालिश करते देखकर महान आश्चर्य होता है और हम धारोधार आँसू बहाते हैं, परन्तु एक हिंदी साहित्य रत्न को भूखों मरते देख कर हमें कुछ आश्चर्य नहीं होता ।

उर्द्दे 'हिन्दुस्तानी' के नाते उर्दू और उर्दू लिपि का युक्त-प्रान्त पर उतना हो अधिकार हो गया। जितना हिन्दी और देवनागरी का, और यह कहने की गुजाहश और यह बताने का साधन भी न रहा कि युक्त-प्रान्त में इतनों की मातृ-भाषा हिन्दी है और केवल इतने अपनी मातृ-भाषा उर्दू बताने हैं। सब प्रकार से हिन्दी की बोल हानि उर्दू, और इसी कारण नुस्लमान तांदिल ने युक्त-प्रान्त की भाषा को 'हिन्दी' के बजाय 'हिन्दुस्तानी' कहे जाने ले साय हैं।

हिन्दी की रचा के निमित्त इन बातों नी आवश्यकता है—

(अ) स्थष्ट शोणणा को नाय और प्रचार किया जाय नि १. युक्त-प्रान्त की प्रादेशिक या देशज भाषा अर्थात् मातृ-भाषा हिन्दी है, 'हिन्दुस्तानी' नहीं, क्योंकि यहाँ की विभिन्न जनपटीय बोलियाँ हिन्दी भाषा की बोलियाँ हैं। हिन्दुस्तानी या उड़ी बोली स्थष्ट हिन्दी की एक बोली है जो युक्त-प्रान्त के एक डेढ़ जिले में बोली जाती है, इसलिये युक्त-प्रान्त की भाषा का नाम 'हिन्दुस्तानी' कठापि नहीं हो सकता। 'लैंगुएज सरवे आफ इन्डिया' में युक्त-प्रान्त की भाषा को 'हिन्दी' ही बताया गया है और यही नाम अब तक वरावर जन-गणना की रिपोर्टों में प्रयुक्त होता आया है, २. युक्त-प्रान्त विणुड हिन्दी प्रान्त है, और यहाँ की जनता की मातृ-भाषा और बोलचाल की भाषा हिन्दी है, 'हिन्दुस्तानी' नहीं, इसलिये यहाँ हिन्दी का ही एकाधिकार हो सकता है। उर्दू किसी प्रदेश को जन-भाषा वा मातृ-भाषा नहीं। वह एक साहित्यिक भाषा है, और युक्त-प्रान्त में उर्दू पढ़ने पढ़ाने और उसमें काम करने की कूट उसी हृद तक और उसी प्रकार दी जा सकती है जिस प्रकार किसी अन्य साहित्यिक भाषा जैसे ऑंगरेजी, बैंगला, इन्डियन में, ३. साहित्यिक दृष्टि से भी आधुनिक, साहित्यिक खड़ी बोली हिन्दी ही युक्त प्रान्त की साहित्यिक भाषा हो सकती है, क्योंकि यहाँ की विभिन्न बोलियों के साहित्य की और लोक-साहित्य की आधुनिक हिन्दी साहित्य से एका-कागना और एकरूपता है, उर्दू साहित्य वा किसी 'हिन्दुस्तानी' साहित्य से नहीं।

चालो 'हिन्दुस्तानी' का क्या स्वरूप है और होगा, यह पहले बतलाया जा सकता है)।

हिन्दी पर 'हिन्दुस्तानी' के दूसरे प्रकार का हमला भी साधारण नहीं है। हिन्दुस्तानी की शैली हिन्दी की स्वाभाविक शैली पर अवश्य बीरे धीरे प्रभाव डालेगी और उसे विकृत करेगी। एक भाषा की दो शैलियों (वे परस्पर विरोधी ही क्यों न हो) का एक दूसरे पर प्रभाव पड़ना अनिवार्य है। नितान्त भिन्न भाषाये तक परस्पर सम्पर्क में आकर एक दूसरे पर प्रभाव डालती हैं (उदाहरण—फारसी का हिन्दी पर प्रभाव, अँगरेजी का सब देशी भाषाओं पर प्रभाव), फिर एक भाषा की दो शैलियों या दो रूपों का कहना ही क्या है। जो 'हिन्दुस्तानी' शैली वर्धा में, 'नया हिन्द' के सम्पादकीय क्षमताएँ ने और

* असल में 'एडीटोरियल', 'एडीटरी' या 'एडीटरीय' कमरा या 'कमरा ए-एडीटरान' होना चाहिये, क्योंकि 'नया हिन्द' के हिन्दुस्तानी विशेषज्ञों ने 'एडीटर' शब्द को हिन्दुस्तानी माना है, 'सम्पादक' को नहीं। पाठकों को शायद मालूम न हो, पुराय-तीर्थ प्रयाग की स्वनामधन्य 'हिन्दुस्तानी कल्चर सोसाइटी' ने 'हिन्दुस्तानी बोली' और 'दोनों लिखावटों' में एक 'माहवारी' 'नया हिन्द' निकालने का निश्चय किया है। 'एडीटर बोर्ड' के दो माननीय 'मेस्ट्रर' हैं १० सुन्दरलाल और ३० ताराचन्द। 'हिन्दुस्तानी बोली' में लिखी हुई 'हि० कल्चर सोसाइटी' के 'सेक्रेटरी' १० सुन्दरलाल की 'नया हिन्द' विषयक सूचना, जिसे ज्यों का त्यों छापकर हिन्दी पत्रों ने 'हिन्दुस्तानी बोली' के प्रचार का पुराय कमाया, से अनुमान होता है कि 'हिन्दुस्तानी बोली' से अभिग्राय है उदू०—उदू० की शैली, उदू० के मुहावरे, उदू० का वाक्य—जिसमें कहीं कहीं उदू० 'लिखावट' में लिखे जाने योग्य हिन्दी शब्द धर दिये जायें। नमूना देखिये: "... यह साहवारी हिन्दुस्तान की पूरी आज्ञादी का हासी होगा जिसे मुख्क की सभी पार्टियों हासिल करना चाहती हैं। साथ ही हिन्दुस्तानी कल्चर सोसाइटी के मङ्गसद को सामने रखते हुये यह पार्टियों के छोटे छोटे और दो दिन के आपसी मङ्गाहों से अक्तग रहने की कोशिश करेगा। गुरुत्थियों का सुखम्भाना भी इसका काम होगा सिर्फ इसकिये कि कुछ बने और

जिस प्रकार पञ्चाव में वह कहने का कोई साहस नहीं कर सकता कि पञ्चाव की मातृ-भाषा उदूँ है, पञ्चावी नहीं))। अन्य प्रातीय भाषाओं के समान हिन्दी की कम से कम एक प्रातीय भाषा की सी स्थिति होगी और केंद्रीय प्रकरणों में उसकी उपेक्षा करना समव न होगा। वगालियों, गुजरातियों, तामिलों, आदि की भाँति हिन्दियां को भी अनुभव होगा कि उनकी भी एक चिशिष्ट भाषा और स्कृति है, और उनमें ग्रातृ-भाषा, एक भाषा-भाषा उत्पन्न होगा और उनका अपनी मातृ-भाषा हिन्दी के प्रति प्रेम जाग्रत होगा। जिस प्रकार अन्य प्रातीयों अपनी अपनी मातृ-भाषा वा प्रातीयों से प्रेम करते हैं, उसी प्रकार हिन्दी-जन अपनी मातृ-भाषा और प्रातीयों से प्रेम करना सीखेंगे और उसको रक्षा के लिये कठिन होंगे। आज युक्त-ग्रात ने हिन्दी के प्रति जनता में जो उपेक्षा भाषा पाया जाता है उसका कारण यही है कि उन्हें अपनी मातृ-भाषा का असली नाम ही साफ साफ नहीं बताया जाता जिससे उनमें उसके प्रति प्रेम, उसकी उन्नति करने और उसके स्वरूप को विशुद्ध रखने की इच्छा उत्पन्न हो सके। उलटे उन्हें 'हिन्दुस्तानी' नाम द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में यह पाठ पढ़ाया जाता है कि उनकी भाषा गन्दी हुगली तो है ही, और यदि नहीं है तो उसे अब दनाया जाय। 'हिन्दुस्तानी' के चबूतर में फँस कर हिन्दी-जनता हिन्दी की उपेक्षा करती है। इस नाम के कारण उसे हिन्दी और उदूँ में अन्तर भी दिखाई नहीं देता, हिन्दी शब्द और उदूँ शब्द में अन्तर दिखाई नहीं देता और हिन्दी उदूँ दोनों एकसी जान पड़ती है। फलत 'हिन्द' में हिन्दी की कैसी प्रतिष्ठा नहीं हो पाती जैसी एक भाषा को अपने निजी प्रदेश में होनी चाहिये। 'हिंदी' नाम के बजाय 'हिन्दुस्तानी' नाम से यही अन्तर हो जाता है। 'हिंदी' नाम यदि शुद्धता की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है तो 'हिन्दुस्तानी' नाम वर्द्धस गन्दगी की ओर धकेलता है। जब तक 'हिंद' नाम और हिन्द की भाषा के नाम की प्रतिष्ठा नहीं होगी तब तक हिन्दी को युद्ध करने और शुद्ध रखने की स्वामानिक प्रेरणा उत्पन्न नहीं होगी।

दीक्षा दी जा रही है। एक हिन्दी पत्र 'विश्ववाणी' ने ही अपनी भाषा हिन्दी बदल कर डके की चोट 'हिन्दुस्तानी' कर दी। इत्यादि, इत्यादि।

"‘हिन्दुस्तानी’ का उद्देश्य हिन्दी की शैली को नष्ट करना या विकृत करना नहीं है," यह हिन्दी चालों को मोहनिद्रा में सुलाने के लिये एक अफीम की गोली है, अथवा यो कहिये, पीछे से हिन्दी का शिकार खेलने के लिये एक धोखे की टझी है। इस टट्टी को खड़ा करने वाले हिन्दुस्तानी के सेनानायक हिन्दी पर 'फ्राटल अटैक' न करके (या इतना साहस न होने के कारण) उसे 'फ्लैक मूचमेन्ट' द्वारा घेरना चाहते हैं।*

४. क्या करें ?

हिन्दुस्तानी की बला का स्वरूप भली भौति देख लिया। हिन्दी चालों को इस बला का अपनी पूरी शक्ति में मुकाबला करना ही है। परन्तु किस प्रकार ? यह बला साधारण नहीं है। इसने अपने पीछे राष्ट्रीय आन्दोलन की समस्त शक्ति को लगा लिया है, इसलिये विना किसी सगठन और योजना के 'हिन्दुस्तानी' का विरोध करना केवल शक्ति का अपव्यय सिद्ध होगा। शब्द जितना अधिक बलशाली हो, उतनी ही अधिक अपनी शक्ति को सगठित और केन्द्रित करने की आवश्यकता होती है। इस समय जरूरत इस बात की है कि सब हिन्दी-प्रेमी एकत्र होकर समस्या पर गहरा विचार करें, और 'हिन्दुस्तानी' का मुकाबला करने के लिये सगठित रूप से उचित कदम उठायें। ये कदम क्या होने चाहिये, इस विषय में लेखक अपने विचार अन्यत्र प्रकट कर चुका है। यहाँ केवल कुछ मुख्य बातों का उल्लेख करना यथोष्ट होगा।

*श्री श्रीमद्भारायण का यह कथन कि हिन्दी उदूँ वाले अपनी-अपनी भाषा को चाहे जैसा रखें पर उन्हें हिन्दुस्तानी रूपी एक मिली जुली शैली का विरोध करने की आवश्यकता नहीं, भी इसी कोटि का है और उसका भी यही उत्तर है।

(अ. भा. हिंदी साहित्य सम्मेलन के उठवपुर अधिवेशन में साहित्य-परिपद् के सभापति पद से दिये भाषण में) इसके बाद कुछ और कहने की आवश्यकता नहीं रह जाती । हमें इस हँगलिस्तानी से पीछा हुड़ाना ही होगा, और इसके लिये शिक्षित समाज में जोरदार आनंदोलन करना चाहिये । अब दूसरी बीमारी—अखंकी प्रारसी शब्दों की भग्गार—लीजिये जो अपेक्षाकृत अधिक पुरानी है और जो ‘उदू’ नाम से साहित्य में भी स्थान पा चुकी है और इस कारण जिसे बहुत से लोग अब बीमारी नहीं मानते (हँगलिस्तानी को अभी तक सब—हिंदुस्तानी बाले भी—बीमारी मानते हैं) । यह बीमारी कहीं अधिक भयकर है क्योंकि यह उदू साहित्य में और पुष्ट होती है और एक दल इसको (एक अलग लिपि में) लिख कर और बोल कर फैलाने में यत्नशील है जब कि इँगलिस्तानी को अपने किसी विशेष साहित्य का सहारा नहीं है और कोई दल उसका प्रचार नहीं चाहता । हिंदी बालों ने बोलचाल का महत्व विलक्षण नहीं समझा है । वे समझते हैं, लिखो हिंदी, बोलते रहो चाहे उदू । उदू के प्रसिद्ध लेखक और कवि श्री रघुपति सहाय ‘फिराक’ ने कुछ दिन हुये गोरखपुर में कहा, “उदू हिंदीकी अपेक्षा बोलचाल की भाषा। के अधिक निकट है । हिन्दी के लेखक और साहित्यिक स्वयं वह भाषा नहीं बोलते जिसे वे लिखते हैं ।” मियाँ वशीर अहमद का कथन है, “युक्त प्रान्त की लिखी जाने वाली भाषा हिन्दी है और बोली जाने वाली भाषा उदू है ।” यदि हम केवल शिक्षित समाज के विशिष्ट चर्चों की बोलचाल को लें, तो दोनों कथनों में बहुत कुछ सच्चाई है । यह बात तो सोलह आने सच है कि हिन्दी के लेखक और साहित्यिक नित्य बोलचाल में वह भाषा नहीं बोलते जिसे वे लिखते हैं । स्टेशन पर, रेल में, बाजार में—चाहे जहाँ उनकी बातचीत सुन लीजिये । पर उदू के लेखक और साहित्यिक वही भाषा बोलते हैं जिसे वे लिखते हैं । इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता—भले ही उदू बाले प्रयत्न करके ही ऐसा करते हों या कर

भी केन्द्र को 'हिंदुस्तानी' प्रान्तों की राजभाषा 'हिंदुस्तानी' (अर्थात् उद्दूँ) से भिन्न नहीं रही है) । ऐसी अवस्था में यदि हमारी हिन्दी में राष्ट्र और राष्ट्रीयता की अभिव्यक्ति हुई, और उसमें राष्ट्र-सुलभता भी हुई, तो वह मध्यदेश की भाषा होने के कारण अपने आप फैलते फैलते वास्तविक राष्ट्र-भाषा हो जायगी, हिंदुस्तानी वाले उसके विरुद्ध चाहे जितनी चिल्ल पांच मचावें । हमें भी हिंदुस्तानी पर 'फ्राटल अटेक' करने की जरूरत नहीं, बस 'फ्लैक मूबमेन्ट' को विफल कर अपने हिंदी-प्रान्तों में सर्वत्र हिंदी को प्रतिष्ठित करें, और केन्द्र में प्रान्त-भाषा के नाते हिंदी के लिये अन्य प्रान्तीय भाषाओं जैसे अधिकार प्राप्त करें (उदाहरण के लिये, रेडियो में, सरकारी फ़िल्मों में, आदि) । लेखक दावे से कह सकता है कि इतना होने पर हिंदुस्तानी वाले लाख सिर पटकने पर भी अपनी 'हिंदुस्तानी' को बाल भर भी आगे न बढ़ा सकेंगे—या तो राष्ट्र-भाषा केवल हिन्दी होगी, या हिन्दी और उद्दूँ दोनों राष्ट्र-भाषा होंगी ।

स्पष्ट है, सब प्रकार से हिंदी का भविष्य स्वयं हिन्दीवालों के हाथ में है । हमें राष्ट्र-भाषा हिन्दी के पचडे में पड़कर प्रान्त-भाषा हिन्दी को हाथ से नहीं जाने देना चाहिये । इस कड़ी के हाथ में रहते पूरी श्रखला अनायास खिंचती चली आयेगी, और यदि यह कड़ी हाथ से छूट गई तो सर्वनाश निश्चित है । यदि देश को हमारी हिन्दी राष्ट्र-भाषा के रूप में मान्य नहीं है, तो राष्ट्र-भाषा जाय भाड़ चूलहे में । हम अपनी हिन्दी क्यों विगड़े ? और कौन अपनी प्रान्तीय भाषा को विगड़ रहा है ? या तो देश हमारी हिन्दी को राष्ट्र-भाषा स्वीकार करे, हिन्दी की वर्तमान शैली (और केवल देवनागरी लिपि) से आरम्भ करे, काम होते-होते हिन्दी राष्ट्र की इष्टि से आवश्यक शब्द, धातु, मुहावरे, आदि अन्य भारतीय भाषाओं से अपने आप आत्मसात करती चली जायगी, और नहीं तो हम अहिन्दियों से प्रार्थना करेंगे कि खुदा के बास्ते वे हमारी हिन्दी को बरूश दें और किसी अन्य भाषा पर (मिसाल के

उक्ते शर्म आती है और इसलिये उद्दूँ की शरण लेते हैं। वे अपनी चेष्टाओं से सिढ़ करते हैं कि मुसलमानों की मातृ-भाषा तो उद्दूँ ही है और वे उद्दूँ के सिधा और कुछ नहीं बोलते या समझते। उद्दूँ वाले तिलकवारी पडित-जी से भी शुद्ध उद्दूँ में बोलेंगे। कोई समझे या न समझे, उनकी बला में। उन्हें जो आता है, जो वे लिखते हैं वही बोलेंगे, चाहे कोई मौजूद हो। उन्हें अपनी उद्दूँ में बोलने में कोई अस्वाभाविकता या किभीक प्रतीत नहीं होती। वे अपनी स्वाभाविक शैली छोड़कर क्यों इधर उधर ताकें? मौलाना आजाद (या प० नेहरू) किसी अखिल भारतीय सभा के सम्मुख शुद्ध उद्दूँ में बोलने के लिये किसी की क्षमा-याचना नहीं करते, परन्तु प० गोविन्द चल्लभ पन्त, टा० राजेन्द्रप्रसाद, यहाँ तक श्री ठड्डनजी भी या तो शुद्ध हिन्दी में बोलेंगे ही नहीं (विना आधे पैने उद्दूँ शब्दों को मिलाये वे अपने आप को 'विशुद्ध गण्डीयता से च्युत समझेंगे—गांधीजी का भी तो डर है कि कहीं कांग्रेस की 'इनर काउन्सेल्स' में वे 'साम्प्रदायिक,' 'सकुचित हृदय,' 'तग खयाल,' 'महासभाइट' न बोलित कर दिये जायें।), और यदि बोलेंगे तो चेहरे से मालूम होगा कि वही वहांहुरी तो की है, परन्तु अपराध हुआ, आशा है उपस्थित सजन क्षमा करेंगे। यह हिन्दी चालों की सभ्यते वही कमज़ोरी है जो उन्हें पग पर नीचा दिखाती है।*

शिक्षित समाज की साधारण बोलचाल का भी वही दाल है। उसके विषय में पहले चन्नलाया जा चुका है। नेताओं की देखा देखी कांग्रेस के छोटे भाई भी उद्दूँ में बोलना स्वराज्य-प्राप्ति का धीरा रास्ता समझते हैं।

अब प्रश्न होता है, बोलचाल का सुधार किस प्रकार होना चाहिये? सबसे पहली आवश्यकता है हिन्दी के परिमार्जन और सशोधन की। उसके चिपक्य में सभी आवश्यक बातें पहले कही जा चुकी हैं। जिन सिद्धान्तों के अनुमार हिन्दी का परिमार्जन सशोधन होना है, उनका निर्देशन भी किया जा चुका

*परिणिष्ट ३ भी देखिये।

मुसलमान होगे) किसी भिन्न भाषा के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता । कारण, १. ऐसा करना अव्यावहारिक होगा, २. जहाँ एक और प्रत्येक को मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, वहाँ किसी को अपनी मातृभाषा छोड़कर भिन्न भाषा की मौँग करने का भी अधिकार नहीं है (उदाहरण के लिये दक्षिण का मुसलमान नहीं कह सकता कि मैं तामिल के बजाय उर्दू के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करूँगा) । जन पद की सीमा वैज्ञानिक दृष्टि स अर्थात् भाषा-विज्ञान की दृष्टि से निर्धारित की जानी चाहिये ।

(३) व्यावहारिक दृष्टि से यह बाढ़नीय है कि प्राथमिक शिक्षा के माध्यमों को सख्त कम से कम हो । अत. यदि किसी जनपद या क्षेत्र का बहुमत जनपदीय बोली के बजाय हिन्दी या उर्दू में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करना चाहे, तो उस समस्त जनपद में हिन्दा तथा उर्दू प्राथमिक शिक्षा के माध्यम बनाये जायें । प्रत्येक स्कूल में, यदि हिन्दी या उर्दू माध्यम लेने वाले छात्रों को सख्त एक निश्चित सीमा से कम न हो, दोनों माध्यमों का प्रबन्ध होना चाहिये । हिन्दी स्कूल अलग और उर्दू स्कूल अलग भी खोले जा सकते हैं (जैसे वर्मई शहर में गुजराती स्कूल अलग और मराठी स्कूल अलग हैं) ।

(४) माध्यमिक और उच्च शिक्षा के माध्यम हिन्दी और उर्दू हो । जिन स्कूलों, कालेजों और विश्वविद्यालयों में दोनों माध्यमों का प्रबन्ध होगा, उनमें हिन्दी माध्यम वालों के अलग और उर्दू माध्यम वालों के अलग क्लास लेना पड़ेगे । इस व्यवस्था से छात्रों की सख्त के अनुसार प्रत्येक नगर में हिन्दी और उर्दू स्कूल या कालेज अलग अलग स्थापित करना कहीं श्रेयस्कर होगा । विश्वविद्यालयों के साथ भी यही बात लागू है । उदाहरण के लिये इस समय युक्त प्रान्त में लखनऊ और प्रयाग विश्वविद्यालय दोनों में दोनों माध्यमों का प्रबन्ध करने से यह कहीं अच्छा,

यही उशा रंगी तब तक हिन्दी के पाठक हिन्दी उर्दू बोलों के पर्याय मीखते रहेंगे और ऐसी अवस्था में हिन्दी पर्याय बोलचाल में कभी प्रचलित न हो सकेंगे। उर्दू बालों के साथ मामला मिलकुल उल्टा है। उन्होंने साहित्य से ही नहीं, अपनी बोलचाल से भी हिन्दी शब्दों को मतरुक कर दिया है, जब कि हिन्दी बाले साहित्य से तो उर्दू शब्दों को मतरुक करने का प्रयत्न करते हैं, परन्तु बोलचाल में वही उर्दू शब्द बोलते रहते हैं। उर्दू बालों को कुत्ते ने थोड़े ही काटा है जो वे उर्दू शब्दों को, जिन्हे वे स्वयम चौबीसों बन्टे बोलते हैं और दूसरों को बोलते सुनते हैं, छोड़ कर हिन्दी शब्द लिये। इसलिये उर्दू में शब्दों का द्वैतबाद दिखाई नहीं देता। हिन्दी बाले 'उद्देश्य' लिखते लिखते 'मकमट,' लिख जायेंगे क्योंकि वे स्वयम् 'मकसद' बोलते हैं, 'उद्देश्य' नहीं बोलते। उर्दू बाले 'मकसद' छोड़ कर 'उद्देश्य' क्यों लिखें? यह सच है कि उर्दू से कितने ही प्रचलित देशज और तद्रव शब्दों को मतरुक कर दिया गया है, परन्तु उर्दू बालों ने उन शब्दों को अपनी बोलचाल से भी मतरुक कर दिया है। जैसा पहले कहा जा चुका है, हिन्दी बालों ने उन उर्दू शब्दों के स्थान में संस्कृत शब्द धर दिये परन्तु बोलते रहे वही उर्दू शब्द। या वे अपनी बोलचाल से भी उन उर्दू शब्दों को मतरुक करें और अपने संस्कृत शब्द बोलें, या फिर प्रचलित देशज और तद्रव शब्द लिखें और वही बोलें, और जिन उर्दू शब्दों को लेना है उन्हें निश्चित रूप से अपना लें और उनके स्थान में संस्कृत शब्द लिखने या बोलने का प्रयत्न न करें। जिन प्रचलित संस्कृत तत्सम शब्दों को उर्दू बालों ने अपने साहित्य या बोलचाल से मतरुक कर दिया है, उन्हें बोलने में तो हिन्दी बालों को अवश्य ही गई अनुभव करना चाहिये और उनके उर्दू पर्यायों को भूलकर भी नहीं लिखना या बोलना चाहिये। जैसा पहले कहा जा चुका है, बोलचाल की एक कामन भाषा या हिन्दुस्तानी तो बन कर रहेगी। यदि हिन्दी बाले अपने हिन्दी शब्द बोलेंगे (उर्दू बाले

हिन्दियों को जिस बात पर ध्यान देने को आवश्यकता है वह यह है कि

उदूँ दोनों को राष्ट्रभाषा मानने को तैयार हैं, और प्रत्येक को स्वतंत्रता देना चाहते हैं कि वह इनमें से चाहे जिसको राष्ट्रभाषा के रूप में पढ़ने के लिये चुन ले, मगर शर्त यह है कि जो सुविधा हि दू प्रान्तों में सरकार की ओर से राष्ट्रभाषा उदूँ पढ़ने वालों को दी जाय, वही सुविधा सुख्लिम प्रान्तों—पंजाब, सीमाप्रान्त, सिन्ध, घलूचित्तान और बंगाल—में हमानदारी के साथ, राष्ट्रभाषा हिन्दी पढ़ने वालों को दी जाय। हमारी बात व्यावहारिक होगी, उसमें सब्ल होगा, धोखे की कोई गुजाइश नहीं होगी, और सभव है हमारा उदूँ वालों से समझौता हो जाय। हिन्दुस्तानी वालों से उनका या हमारा समझौता होना असंभव है। हिन्दुस्तानी वालों के आधारभूत सिद्धान्त गलत हैं, बनावटी और दिखाऊ हैं और वास्तविकता से बहुत दूर हैं। ‘हिन्दुस्तानी’ धोखे की टट्टी है। हिन्दुस्तानी प्रचार से हम जितने रुष्ट और असतुरा हैं, उतने ही उदूँ वाले उससे सर्वकित हैं। हिन्दी और उदूँ दोनों राष्ट्रभाषा मान ली जाने पर इनमें से जिसमें अधिक जान होगी, राष्ट्रीयता की अधिक अभिव्यक्ति होगी, अधिक राष्ट्र-सुलभता होगी, वह कालान्तर में अपने आप प्रधान हो जायगी और एक समय आ सकता है जब उदूँ वाले भी हिन्दी और देवनागरी को राष्ट्रभाषा और राष्ट्रलिपि के रूप में स्वीकार कर लें। विज्ञान और यथार्थ की उपेक्षा अधिक समय तक संभव नहीं। परन्तु इस समय हिन्दी और उदूँ दोनों को राष्ट्रभाषा मान लेना ही राष्ट्र-भाषा की समस्या के समाधान का एकमात्र सच्चा और हमानदारी का रास्ता है, अन्य कोई नहीं। प्रत्येक प्रान्त की एक कासन भाषा तो होगी ही, जिसके द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार संभव होगा। केवल अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार की ओर देन्द्रीय सरकार की दो भाषायें हिन्दी और उदूँ होंगी। जो चाहेगे जिन्हे फुरसत होगी अथवा जिन्हें आवश्यकता पड़ेगी, वे अपने आप हिन्दी और उदूँ दोनों सीख लेंगे।

(भारत के विभाजन से परिस्थिति बिलकुल बदल गई है। इसमें हिन्दी वालों और उदूँ वालों के बीच में समझौते का प्रश्न ही नहीं उठता। भारत के विभाजन का राष्ट्र-भाषा की समस्या पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसे उत्तर-परिशिष्ट २ (पृष्ठ ६६) में देखिये, और हिन्दी प्रान्तों में शिक्षा के माध्यम के प्रश्न पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसे परिशिष्ट १७ में देखिये।)

बोलकर केवल हास्याभ्युद बनेंगे । जो भाषा नव लोग खोलेंगे पहां कामन भाषा 'हिन्दुस्तानी' कहलायेगी, जिसा चाहं जो कुछ जाय । यदि बोलचाल में हिन्दी मित्र से (या याज्ञार में) खड़ी बोली में बात करने समय बोलेगा, 'खत्म', 'जिस्म', 'रिता', 'ज्ञान', 'फँज़', 'आदमी या शरण', 'तरजुमा', क्योंकि अपने चारों ओर की नवी बोलचाल में—हिन्दी वालों की अथवा उदूँ वालों की—बहु नियंत्रणी शब्दों को मुनता है, जिसित हिन्दी में 'शेष', 'शरीर', 'सम्बन्ध', 'भाषा', 'कर्त्तव्य', 'मनुष्य', 'अनुयाइ' उनमें भले ही देखे हैं । (भाषा के साथ स्वरूपि का भी यही हाल है । लघुनक में यसा हुआ एक हिन्दू वंगाली दूसरे हिन्दू वंगाली से सर्व 'नमस्कार' करेगा, परन्तु दूसरी ही सास में अपने जावनीश्चा हिन्दू मित्र से 'आदावश्चाज़' करेगा । कारण वही है ।) हो, यदि लघुनक की खट्टीबोली बोलचाल में उसे 'खत्म' 'जिस्म', 'रिता', 'ज्ञान', 'फँज़', आदि के साथ साथ 'शेष', 'शरीर', 'सम्बन्ध', 'भाषा', 'कर्त्तव्य', आदि भी—नि मन्देह हिन्दी वालों के मुख से—मुनने को मिलेंगे तो उसके मुँह से भी खड़ी बोली में यही हिन्दी शब्द अधिक सुगम और परिचित होने के कारण निकलेंगे (और जब वह हमें आपस में एक दूसरे को 'नमस्कार' करते देखेगा तब वह हमें भी 'नमस्कार' करेगा, जो भाषा हम स्वयम् नहीं बोलते, वह केवल लिखते, उसके लिये हम यह भाषा कैसे कर सकते हैं कि अन्य भाषा भाषी उसे—उस लिखित भाषा को—बोलें? पहले हम स्वयम् अपनी लिखित भाषा को इसी रूप में बोलकर आदर्श उपस्थित करें, फिर अहिन्दी भाषी उसे अपेक्षाकृत अधिक सुगम, परिचित और सरल होने के कारण अपने आप अपनायेंगे । उदूँ या वर्धा की हिन्दुस्तानी अपने आप धरी रह जायगी, क्योंकि प्रकृति का नियम है कि प्रत्येक प्राणी सबसे सरल मार्ग—(line of least resistance) अपनाता है । इस नियम की अवहेलना अधिक समय तक कदापि नहीं हो सकती, चाहे गाधीजी, काघेस और हिन्दुस्तानी प्रचार सभा एड़ी चाटी का जोर क्यों न लगा दें ।

(यही बात लिखित हिन्दी के साथ लागू है । हम सर्वैव शुद्ध हिन्दी लिखें, मूँझी राष्ट्रीयता और 'हिन्दुस्तानी' के चक्र में आकर उसमें उदूँ शब्द न भरें, फिर देखेंगे अहिन्दी भाषी इस हिन्दी को छोड़कर वर्धा को हिन्दी + उदूँ ।

हो सकेगा। हम हिन्दी प्रान्तों में उदूँ को जो स्थान देनेको तैयार हैं, वह उदारता की सीमा है, उदूँ के न्यायोचित प्राप्ति से कहीं अधिक है। उससे और आगे जाना हमारे लिये अत्यन्त हानिकारक है, हमारी उन्नति में बाधक है। हिन्दी की विशुद्धता और अवाध चिकास के लिये भी यह आवश्यक है कि वह अन्य प्रान्तीय भाषाओं के समान हिन्दी प्रान्तों में एकमात्र राजभाषा हो, और कामन भाषा हो, जिसका पढ़ना प्रत्येक के लिये अनिवार्य हो (जिस प्रकार पजाब में प्रत्येक के लिये उदूँ पढ़ना अनिवार्य है), अन्यथा वह दूषित और चिकृत होती चली जायगी, हिंदुस्तानी के रोलर के नीचे दबती चली जायगी और उन अधिकारों से भी बँड़िचत होती चली जायगी जो अन्य प्रातीय भाषाओं को प्राप्त हैं। उदूँ प्रान्तों में उदूँ का अखण्ड सम्भाज्य है, और वह विशुद्ध रहेगी, हिन्दी चाहे अपने आपको मिटा डाले।

हिन्दियों को इससे अधिक करना है। उदूँ प्रातों में, अन्य प्रातों में, मुस्लिम रियासतों में और केन्द्र में 'हिन्दुस्तानी' के नाम पर या बिना किसी आड़ के हिन्दी के साथ जो अन्याय हो रहा है, उसका भी प्रतिकार उन्हे करना है, और हिन्दी रियासतों पर ध्यान देना है। वर की राज्य-व्यवस्था सेभाल कर साम्राज्य की व्यवस्था ठीक करना है। इसके लिये हिन्दीबालों को उदूँ प्रातों, अन्य प्रातों और रियासतों में प्रवल आनंदोलन तो करना ही पड़ेगा, एक और उपाय का अवलम्बन करना पड़ेगा। जब तक उदूँ प्रान्त अपने यहाँ हिन्दी को न्यायोचित स्थान न दें, तब तक हमें भी हिन्दी-प्रान्तों में उदूँ के साथ वही व्यवहार करना पड़ेगा जो उदूँ प्रान्त हिन्दी के साथ करेंगे। हम कायरों को अहिंसा और दिल-पिघलाव-योग में विश्वास नहीं कर सकते। हम उदूँ प्रातों में मुसलमान आकाओं के सामने वहुत नाक रगड़ चुके, परन्तु बदले में मिला केवल तिरस्कार और अवज्ञा। मुसलमान केवल एक ही तर्क समझते हैं, और वह है शक्ति का। उदूँ प्रान्तों ने वहि अपनो हिन्दी-द्रोही नीति न त्यागी, तो हम भी युक्त-प्रान्त और विहार से उदूँ को

मे ही बोलें। यदि कोई हिन्दी मुमलमान किसी हिन्दी शब्द तो न समझे तो वह उसका अर्थ पूछ ले। यदि हिन्दी मुमलमान उद्दू में बोले (जैसा कि पह बोलता है), तो हम इन पर आपत्ति रखने की आपश्शकता नहीं, परन्तु हम भी उससे उद्दू में क्यों बोलें ? इन अपनी मातृ-भाषा, जो उसकी भी मातृ-भाषा है यद्यपि वह इसमें इन्कार करता है, क्यों लोडें ? जिस प्रकार हम उसकी उद्दू समझने का प्रयत्न करते हैं, उसी प्रकार पह हमारी हिन्दी समझने का प्रयत्न करे। यदि कोई हिन्दी भाषी उद्दू भी जानता है, तो इसका यह अर्थ नहीं कि वह किसी हिन्दी मुमलमान में उद्दू में बोले। वह अपनी उद्दू विंश्य अवसर और उपयोगों के लिये (जैसे सीमा-प्रान्त में भ्रमण करने समय) उठा रखें। गावीजी कहते हैं कि मैंने अपनी औंगरेजी औंगरेजों और विदेशियों के लिये रिजर्व कर रखी है, मग दिनुस्तानियों के लिये मेरे पास 'हिन्दुस्तानी' है। हिन्दी वाला को इसमें गिज्ञा लेनी चाहिये। वे अपना उद्दू-ज्ञान पाकिस्तान निवासियों के लिये रख लोडें, परन्तु सब हिन्दियों से, धर्म का कोई ऐसा भाव किये विना, हिन्दी में बोलें, जिन प्रकार एक बगाली या मगाटी या गुजराती किसी भी धर्म के अनुयायी बगाली या मराठी या गुजराती ने क्रमशः बगाला, मगाटी और गुजराती में बात करना है। ऐसा होने पर ही हिन्दी हिन्द-प्रान्त और हिन्दी प्रान्तों की वान्तविक मातृ-भाषा या प्रान्त-भाषा कहलाने की अविकासिणी होगी। हिन्दी बाले हिन्दी मुमलमानों से उद्दू में बोलकर स्वयम् हिन्दी की इस स्वभाष-सिद्ध व्यापकता में अविष्यास उत्पन्न करते हैं। उन्हें अपने प्रान्तों की सीमा के अन्तर और अपने प्रान्त-निवासियों के माध्य या उनके बीच में निसकोच, विना भिभक्त या हिन्द-किनाहट के हिन्दी में बोलना चाहिये। यदि वे चाहें तो इस मामले में अपने पढ़ोसी शिक्षित हिन्दी मुसलमान से ही, जो हिन्दी शब्द जानते हुये भी सदैव उद्दू में बोलता है या बोलने का प्रयत्न करता है, शिक्षा ले सकते हैं।

* भाषा के साथ संस्कृति का अद्वृट संबंध है। हिन्दी बोलचाल के साथ

उन्नति की मूल” भूल नहीं सकते। यदि हमारे मुकाबले में काग्रेस अपनी समस्त शक्ति से डट जाय तो भी हमें खम ठोक कर भिड़ जाना चाहिये। इस सघर्ष में यदि हम सफल हुये, तो हम केवल अपनी मातृभाषा के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, और यदि हम पीस ढाले गये तो आने वाली पीढ़ियाँ हमें कापुरुष न ठहरा सकेंगी—यह न कह सकेंगी कि उन्होंने बुद्धि होते हुये, भविष्य को जानते हुये भी बाप दादों की दी हुई भाषा को नष्ट होने से दचाने का प्रवत्तन नहीं किया। हो सकता है, हमें अन्त में गाधीजी के विरुद्ध उन्हीं के दिये हुये हथियार गत्याग्रह का प्रयोग करना पड़े। हमें इसके लिये भी तैयार हो जाना चाहिये। यह याद रखना चाहिये कि यदि अबकी हिन्दी छाँची तो फिर नहीं उत्तरने की। पीछे पछुताने से कुछ हाथ न आवेगा। यह समय चुप दैठे रहने का नहीं, मर मिटने का है। हमें वर्तमान काग्रेसी सरकारों से आशा लाग देनी चाहिये। शायद हमें इन्हीं का मुकाबला करना पड़े। अपनी भाषा की रक्षा स्वयं अपने हाथों से करनी होगी।

कुछ और कहने से पहले ‘हम’ से क्या अभिप्राय है, यह स्पष्ट करना उचित होगा। ‘हम’ से अभिप्राय समस्त हिन्दी प्रेमियों से है। निशेप रूप से ‘हम’ से अभिप्राय हिन्दी लेखकों और साहित्यिकों से है। हिन्दी का नेतृत्व सदैव हिन्दी के साहित्यिकों ही ने किया है। अब भी उन्हें ही करना है। अब तक उन्हें विदेशी सरकार के उदू-प्रचार से लड़ना पड़ा, अब उन्हें काग्रेस के ‘हिन्दुस्तानी’-प्रचार से लड़ना है। हिन्दी को राजनीतिक नेताओं से न कभी सहायता मिली, और न अध मिल सकती है। बास्तव में ‘हिन्दुस्तानी’ की जड़ में राजनीतिक नेता ही हैं जो हिन्दी को अपनी हिन्दू मुस्लिम राजनीतिक दौँच-पेंचों का शिकार बनाना चाहते हैं। ‘हम’ में अगर कोई शामिल नहीं है, तो बस यही राजनीतिक नेता।

हिन्दी प्रान्तों में कुछ खास काम जो हमें तुरत करने चाहिये ये हैं—

नाहित्य का बहुतेरा प्रचार हो चुका, हो रहा है और शिक्षा के प्रभार के साथ अपने आप होगा, अब हिन्दी वोलचाल के प्रचारकी आधश्वकता है जिसे गर-नरकागी तौर से ही किया जा सकता है। हिन्दी वोलचाल की स्थापना और प्रचार के बिना हिन्दी की दशा एक पहिये के रथ के भमान हा जायगी— वह आगे बढ़ ही न सकेगी और अन्त में वह मुद्दा समझ ली जायगी। हिन्दी वोलचाल को अँगरेजी और उर्दू दोनों के पजो से मुक्त करना है। अभी हाल में पत्रों में यह भमाचार छपा था कि प्रयाग के बकीलों ने एक 'हिन्दुस्तानी बोलो कलब' की स्थापना की है, और वह नियम बनाया है कि उस कलब का जो भदस्य वोलचाल में अनावश्यक अँगरेजी शब्द प्रयुक्त करेगा उन पर प्रति अँगरेजी शब्द एक पैसा जुर्माना किया जायगा। इन नहीं उस कलब का क्या हुआ, परन्तु उसकी राय में 'वाइफ', 'पालिटिक्स', 'मिनिस्टरी', 'रिटिन', 'प्लैटिफ', 'कल्पेश्विल होमीसाइट', 'मूवेश्विल प्रापर्टी', आदि बोलने पर जुर्माना किया जायगा, क्योंकि ये शब्द अँगरेजी के और 'चिदेशी' हैं पर 'बीबी', 'स्थान्त', 'बजारत', 'तहरीरी', 'मुद्दई', 'कल्ल इन्सान मुन्त्तलिज्म मजा', 'जायदाद मनकुला, आदि बोलना स्थानाचिक भमभा जायगा क्योंकि ये 'हिन्दुस्तानी' हैं। हिन्दी बोलो कलब 'वाइफ' और 'बीबी', 'पालिटिक्स' और 'स्थान्त', 'मिनिस्टरी' और 'बजारत', 'रिटिन' और 'तहरीरी', 'प्लैटिफ' और 'मुद्दई', 'कल्पेश्विल होमीसाइट' और 'कल्ल इन्सान मुन्त्तलिज्म मजा', 'मूवेश्विल प्रापर्टी' और 'जायदाद मनकुला' दोनों को चिदेशी और त्याज्य समझेगा। 'हिन्दुस्तानी बोलो कलब' का शर-संधान शिक्षितों की डैगलिस्तानी और उर्दू-हिन्दुस्तानी दोनों के विश्वष।

जो भाषा सभ्य-समाज बोलता है उसी का अनुकरण और लोग करते हैं। दसलिये हमारे नेताओं, राज-मन्त्रियों, शिक्षकों, समाज-व्यवस्थापकों, धारा-सभाओं के सदस्यों, आदि पर इस बात का विशेष उत्तरदायित्व है कि

सरकारी अधिकारियों के पास भेजना, उन जनता में और विशेष रूप से सरकारी अधिकारियों, धारा सभाओं के मदस्यों और नेताओं में 'हिंदी बोलो' प्रचार करना (देखिये पृष्ठ ६६-८१), उन जनता में, विशेष रूप से कायस्थों और काश्मीरियों में, यह आनंदोलन करना कि वह अपने वच्चों को स्कूलों में हिंदी ('वर्नाक्यूलर' के रूप में) डिलावे, १०. जनता में जोरदार आनंदोलन करना कि वह केवल हिंदी के चित्र देखे और उर्दू तथा 'हिंदुस्तानी' के चित्रों का, जो अधिकतर गन्दे और अश्लील भी होते हैं, बहिष्कार करे, आदि ।

हिंदी प्रान्तों के बाहर अन्य प्रान्तों में भी हिंदुस्तानी प्रचार के विरुद्ध नेतृत्व हिंदियों को ही ग्रहण करना पड़ेगा, क्योंकि हिंदुस्तानी से सबसे अधिक हानि हिंदियों को ही है । इस सम्बन्ध में कुछ खास खास बातें जो हमें करनी चाहिये ये हैं:—

(१) अहिंदियों को 'हिंदुस्तानी' का ऊँचनीच समझाया जाय, यह बतलाया जाय कि जैसा हिंदुस्तानी-प्रचार हो रहा है उसका परिणाम केवल यह होगा कि उर्दू और उर्दू लिपि वास्तविक राष्ट्र-भाषा और राष्ट्र-लिपि बन जायेगी । ऐसा होने पर हमसे कही अधिक असुविधा उन्हीं को होगी । उससे राष्ट्र का कल्याण कदापि न होगा ॥^५

(२) *अहिन्दियों को समझाया जाय कि ऐसी बात नहीं है कि हिन्दुस्तानी से केवल हिंदी को खतरा है । 'हिंदुस्तानी' से अन्य स्त्रृत-निष्ठ प्रातीय भाषाओं को भी घोर हानि पहुँचेगी । परस्पर सम्पर्क होने पर दो भाषाओं का एक दूसरे की शब्दाखती को प्रभावित करना अनिवार्य है । कालान्तर में राष्ट्र-भाषा का भारत की सबसे प्रमुख, शक्तिशाली और प्रभावशाली भाषा हो जाना भी अनिवार्य है । सब से ज्यादा साहित्य राष्ट्र-भाषा का ही होगा, और देश के सब बड़े बड़े काम राष्ट्र-भाषा में ही होंगे और उसका पठना व्यवहार में प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति के लिये अनिवार्य होगा (जैसे आज कल

^५ उत्तर-परिशिष्ट ३ भी देखिये ।

बाजी का दमन कर भाषा की मर्यादा रखेगी। उदाहरण के लिये, व्याकरण मदैव भाषा के बाद आता है और भाषा के पीछे पीछे लँगड़ाता हुआ चलता है, परन्तु प्रत्येक समय पर भाषा की मर्यादा बताने के लिये और भाषा को एक सीमा के भीतर रखने के लिये उस समय के व्याकरण की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार हिन्दी एकाडेमी प्रत्येक समय पर स्टैंडर्ड हिन्दी का आदर्श रखेगी, यद्यपि वह आदर्श स्वयम् समय के अनुसार बदल सकता है। दूसरे शब्दों में, हिन्दी एकाडेमी भाषा पर स्थिर नियंत्रण नहीं, गतिशील नियंत्रण रखेगी।

(२) ये सब बातें प्रतिक्रियाचारी हैं।

होगी। जर्वर्दस्ती विदेशी अरबी फारसी शब्द मिलाकर 'हिन्दुस्तानी' गढ़ने, देवनागरी की छाती पर विदेशी फारसी लिपि बैठाने और उसे देश पर लादने जैसे प्रतिक्रियाचारी कार्यों की प्रतिक्रिया अपने आप होगी। अगर एक और भाषा को 'हिन्दुस्तानी' के नाम से अरबी-फारसीमय बनाने का जोरदार और जानवूभ कर प्रयत्न किया जा रहा है, तो देश की भाषा और संस्कृति के अभिमानियों को हिन्दी के नाम से भाषा चिशुद्ध रखने और करने का प्रयत्न जानवूभ कर करना ही होगा। अगर 'हिन्दुस्तानी' की सर्वभक्ती दानवी ने जन्म न लिया होता, अथवा उसके जन्म के लिये बर्धा में यज न हो रहा होता, तो हिन्दी को किलेबन्दी करने की जरूरत न पड़ती। अगर 'हिन्दुस्तानी' की बाढ़ न आई होती, तो हिन्दी पर मेड़ बाँधने की आवश्यकता न होती। ऊपर जितनी बातें कही गई हैं उनके पीछे 'प्रतिक्रिया' और 'साप्रदायिकता' की भावना नहीं, आत्म-रक्षा की भावना है। अपने का बचाना हमारा धर्म है। भारत के इनिहास में एक समय संस्कृत को भी यावनी भाषा के प्रभाव से बचाने की जरूरत पड़ चुकी है। आज मराठी, 'मेंजिसका अपने प्रदेश में अखण्ड राज्य है, का अरबी फारसी शब्दों का बहिकार-कोष छप चुका है। आज अँगरेजी जैसी विकसित और शक्तिशाली

है कि मुसलमान मॉग करेंगे कि प्रान्तीय जीवन में भी प्रान्तीय भाषा की दोनों लिपियों को एक सा स्थान दिया जाय (जैसा आज मुसलमान हिन्दी प्रान्तों में कहते हैं, और दयालु काग्रेसी सरकार इस मॉग को ही पूरा नहीं करती, चरन् हिन्दुओं को भी 'अपनी मातृ-भाषा की दोनों लिपियों' सीखने के लिये मजबूर करती है)। इस सबके लिये भी स्वयं अहिन्दी जन जिम्मेदार होंगे जो आज गाधीजी के इशारे से अपने पैसे से उर्दू लिपि का प्रचार करना परम राष्ट्रीय कार्य समझते हैं। उर्दू लिपि के कारण प्रान्तीय भाषाओं में उच्चारण की भी जो दुर्दशा होगी, वह हम हिन्दी वाले प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हैं।

प्रान्तीय भाषाओं की लिपि का विभाजन होने के बाद उनकी शैली का विभाजन होना भी अनिवार्य है। प्रत्येक प्रान्तीय भाषा की दो टो शैलियाँ हो जायेंगी—एक 'हिन्दू शैली' और एक 'मुस्लिम शैली'—बिलकुल हिन्दी उर्दू की तरह (फिर क्या गाधीजी प्रत्येक प्रान्तीय भाषा की 'सरस्वती' प्रकट करने का भगीरथ प्रयत्न करेंगे?)। उर्दू शैली हिन्दी शैली से लिपि भिन्न होने के कारण ही भिन्न हुई, 'मुस्लिम बँगला' का आन्दोलन अब तक लिपि एक रहने के कारण ही सफल न हो सका है (आगे की राम जाने—सभवतः वगाल की लीगी सरकार अब 'मुस्लिम बँगला' फारसी लिपि में लिखेगी)। पारसियों की गुजराती रोमन लिपि में लिखी जाने के कारण ही हिन्दुओं की गुजराती से सर्वथा भिन्न है, और गोआ के ईराहियों की कोकणी रोमन लिपि में लिखी जाने के कारण ही हिन्दुओं की कोकणी (देवनागरी में लिखित) से सर्वथा भिन्न है। लिपि और भाषा का अटूट सम्बन्ध होता है। जिस प्रकार रोमन लिपि के प्रभाव से अँगरेजी शब्द पारसी गुजराती और ईसाई कोकणी में अनायास घर करते चले जाते हैं, उसी प्रकार फारसी लिपि के प्रभाव से उर्दू शब्द प्रान्तीय भाषाओं को मुस्लिम शैली में (फारसी लिपि में लिखित) अनायास घर करते चले जायेंगे। 'हिन्दुस्तानी' की शब्दावली

फारसी लिपि के प्रभाव से सिन्धी अरबी फारसी में ऐसी रँगी है और

रहे हैं। हम आज अँगरेजियत, अँगरेजी भाषा और कोट पतलून का ही विरोध क्यों करते हैं? क्या ये सब बातें समाज में, समाज की चोटी को श्रेणियों के जीवन में नहीं बुझ गई हैं, और उर्दू के समान नहीं लट गई हैं? राजभाषा अँगरेजी को ही निकालने की बात क्यों की जाती है? क्या अँगरेजी पिछले दो सौ वर्षों से राजभाषा नहीं है? क्या शिक्षित समाज के लिये आज अँगरेजी मातृ-भाषा से भी बढ़कर नहीं है? फिर उसकी जगह मातृ-भाषा को प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न क्यों किया जा रहा है? क्या अँगरेजी के शब्द शिक्षितों की भाषा में अखंकी फारसी के शब्दों के समान नहीं बुझ गये हैं? उन्हीं को मातृ-भाषा में क्यों बहिरकृत किया जाता है? जब मनुष्य चेतता है और 'त्वं' को पहचानने की योग्यता प्राप्त करता है, और अपने पिछले ऐश्वर्य को याद कर उने पुन ध्राम करना चाहता है, तभी उसमें कुछ करने की शक्ति आती है और तभी वह महानता की ओर अग्रसर होता है। "मैं बड़ा होता हूँ तो अपनी शक्तियों से।" मुझे प्रेरणा मिलती है, जावनी शक्ति मिलती है तो अपनी भाषा से, अपने शब्दों से, इसलिये मैं अपनी भाषा को शुद्ध करना और रखना चाहता हूँ। आज फारस तो फारसी में से बुले मिले अखंकी शब्द निकाल रहा है, और तुर्की अपनी भाषा में से बुले मिले अखंकी और फारसी शब्द निकाल रहा है। फिर यदि [हम हिन्दी में से उन विदेशी शब्दों को निकालना चाहते हैं जो उसमें जबर्दस्ती या अज्ञानतावश बुसेडे जा रहे या बुझ गये हैं, तो हमीं को दोप क्यों दिया जाता है? यह सकृति का प्रश्न है, और भाषा सकृति को प्रधान पोषक है। यदि हम आज हिन्दी की चिशुद्धता की रक्ता नहीं करेंगे तो हिन्दी—वह भाषा जिसका

झधी श्रीमज्जानारायण अग्रवाल लिखते हैं कि जब कोई गांधीजी से 'हिन्दुस्तानी' में बात करते समय किसी अँगरेजी शब्द का स्ववहार करता है तो वे उसका मज्जाक डाकते हैं। हिन्दू भुसलमानों में समान भाव से प्रचलित अँगरेजी शब्दों के प्रति हिन्दुस्तानी बालों का यह रुक्त है, परन्तु अखंकी फारसी शब्द घढ़ाये विना 'हिन्दुस्तानी' हिन्दुस्तानी नहीं कहला सकती!

साहित्य का सच्चा दिग्दर्शक होता चला जायगा। शुरुआत हिन्दी बालों को करनी है। उन्हे प्रान्तीय भाषाओं के साहित्यिकों से समर्पक बढ़ाना चाहिये, उनका सहयोग प्राप्त करना चाहिये। प० वनारसीदास चतुर्वेदी के शब्दों में उन्हे 'साहित्यिक सगाइयाँ' करनी चाहिये। हर्प का विप्रय है कि हिन्दी साहित्य सभा, नई दिल्ली ने इस दिशा में कदम उठाया है। परन्तु काम बहुत बड़ा है। सब हिन्दीबालों को मिलकर प्रान्तीय भाषाओं से साहित्यिक मेलजोल बढ़ाने की योजना बनानी चाहिये। एक काम जो हिन्दी बाले तुरन्त कर सकते हैं वह है भारतीय साहित्य परिपद की पुनः स्थापना और 'हस' जैसे पत्र का पुनः सचालन। हमारी हार्दिक अभिलाषा है कि श्रीमुन्शी की 'सर्व-भाषा-मंदिर योजना' शीघ्र कार्य रूप में परिणत हो।

ऊपर के काम से हिन्दी के राष्ट्र-भाषा-पद प्राप्त करने में भी वह सहायता मिलेगी जो किसी अन्य उपाय द्वारा सभव नहीं। अन्य भाषा-भाषियों पर हिन्दी का महत्व अपने आप प्रकट हो जायगा। 'हाथ कगन को आरसी क्या' ! वे देख लेंगे कि जो काम हिन्दी कर सकती है, वह न उर्दू कर सकती है और न 'दोनों लिपि' वाली 'हिन्दुस्तानी'।

(४) एक हिन्दी प्रचार विद्यालय खोलना चाहिये जो हिन्दी प्रचारक तैयार करे। इस विद्यालय में केवल वे ही लिये जायें जिनकी मातृ-भाषा हिन्दी हो। इस विद्यालय की परीक्षा पास करके प्रचारक विभिन्न अहिन्दी प्रान्तों में जाकर राष्ट्र-भाषा हिन्दी का सगठित रूप से प्रचार करें। अच्छा हो यदि वह विद्यालय सम्मेलन की राष्ट्र-भाषा प्रचार समिति के तत्वावधान में खोला जाय। (हिन्दुस्तानी प्रचार सभा, वर्धा भी हिन्दुस्तानी प्रचारक तैयार करने के लिये वर्धा में एक विद्यालय खोल रही है)। इस समय हिन्दियों का कर्तव्य है कि वे विभिन्न प्रान्तों में राष्ट्र-भाषा हिन्दी के प्रचार के काम में हाथ बटावें। राष्ट्र-भाषा प्रचार समिति के सगठन पर हिन्दुस्तानी बालों के जो प्रहार हो रहे हैं, उनका प्रतिकार हिन्दियों को करना होगा। राष्ट्र-भाषा प्रचार समिति

लिखी हुई दरखास्त मजूर कर ले तो उसे नुणी ग्रवण्य दोगी, परन्तु 'अँगरेजी निकालो' की जो और जैसी भावना गाधीजी या अन्य नेताओं के दिमाग में काम कर रही है, उसकी वू भी 'जनता' को नहीं छू गई है। उसे तो यह अब बताया जा रहा है कि अँगरेजी पिंडेजी है, उसका वहिप्कार करो, अँगरेजी में भाषण मत दो, पञ्चव्यवहार मत करो, आदि। यह सब जनता को 'लैंगुएन काशस' करना ही तो है। जनता को इँगलिस्तानी से भी कोई चिन्ह नहीं, वह खुशी खुशी अँगरेजी शब्द बालंग के लिये भी तंयार है, बल्कि वह उसे बढ़ापन का चिन्ह समझती है। चाहिये तो यह कि जनता से शिक्षित समाज की इँगलिस्तानी की नकल न करने के लिये भी न कहा जाय। अँगरेजी शब्दों के मामले में ही उसे 'काशस' क्यों किया जाय? यदि 'हिन्दी बोलो कलब' से माधारण जनता को दिलचस्पी नहीं हो सकती, तो प्रयास के 'हिन्दुस्तानी बोलो कलब' से भी उसे कोई दिलचस्पी नहीं हो सकती, ऐसा कलब भी नहीं स्थापित होना चाहिये। यदि 'हिन्दुस्तानी बोलो' का आनंदोलन हो सकता है, तो 'हिन्दी बोलो' का आनंदोलन भी हो सकता है। यदि हम जनता से अपनी प्राचीन मस्कृति और भाषा के अनुरूप अपनी भाषा सुधारने के लिये कहते हैं, तो इस पर किसी को क्यों आपत्ति होती है? जनता के लिये क्या अच्छा है, और भाषा की कौन सी प्रवृत्ति त्याज्य है और कौन सी ग्राम्य, इस पर तो जननायकों में मतभेद हो ही सकता है। यदि हम यह समझते हैं कि हिन्दी में 'हिन्दुस्तानी' के नाम से या किसी और नाम या 'वाद' की आँड में अरबी फारसी शब्द भरने को प्रवृत्ति उतनी ही बुरी है जितनी अँगरेजी शब्द भरने की, और भाषा में से अनावश्यक अरबी फारसी शब्द उसी प्रकार निकालना चाहिये जिस प्रकार अनावश्यक अँगरेजी शब्द, तो क्या गलत समझते हैं? इस पर तर्क हो सकता है और चिरोधियों को हम तर्क के लिये आमंत्रित करते हैं, परन्तु यह बात कि जनता 'लैंगुएन काशस' नहीं है फिर क्या महत्व रखती है?

देते हैं, जनता वेचारी जाकर उस 'हिन्दुस्तानी' को समझे चाहे न समझे। अब तक जितने तथाकथित 'हिन्दुस्तानी' चित्र बने हैं, उनमें से अधिकाश की भाषा 'अच्छी उदू', खराब उदू, भद्दी उदू, खराब हिन्दी या भद्दी हिन्दी' है, अच्छी हिन्दी के चित्र शायद ही कुछ बने हैं। यदि चित्र-समालोचक सब चित्रों की भाषा को इस 'हिन्दुस्तानी' का पासपोर्ट न देकर चित्र की भाषा को इन्हीं चिशेषणों से सम्बोधित करें, तो जनता का भी लाभ हो और फिल्म निर्माताओं का भी। हिन्दी जनता या तो एक 'उदू' चित्र देखने ही न जायगी (वे ही जायेंगे जो उदू समझ सकते हैं), और यदि जायगी भी तो उसे मालूम रहेगा कि वह किस भाषा का चित्र देख रही है। हिन्दी जनता को भी सभायें करके चित्रों की भाषा के विरुद्ध अपना असतोष प्रकट करना चाहिये। यह सब होने पर सिनेमा के मालिक पूँजीपतियों को हवा का रुख पहचानते देर न लगेगी। जब वे हमारे पैसे से ही मोटे होते हैं, तो उन्हे वह देना पड़ेगा जो हम चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं, यह हम बतलावें तो।

हिन्दी बालों को अधिकाधिक सख्त्या में सिनेमा कमनियों खोलनी चाहिये, जो चित्रों में हिन्दी और हिन्दी सस्कृति की रक्षा करे और सुरुचि का पूरा ध्यान रखें। जनता का सास्कृतिक स्तर उठने वाला है, जनता शीघ्र ऐसे चित्रों की मौग करेगी। हिन्दी साहित्यिकों और लेखकों को भी अधिकाधिक सख्त्या में सिनेमा में प्रवेश करना चाहिये, और सिनेमा की दुनिया पर अधिकार करना चाहिये। सिनेमा दुरहुराने से नहीं, अपनाने से सुधरेगा। सिनेमा का राष्ट्र की शिक्षा और सास्कृतिक उत्थान के कार्य-क्रम में इतना ऊँचा स्थान है कि वह अच्छे से अच्छे साहित्यिक के सर्वथा योग्य है, और यदि इस समय नहीं है तो अब हमें बनाना है। परन्तु सिनेमा के वर्तमान वा भविष्य के हिन्दी लेखकों से हमारा एक नम्र निवेदन है। वे अपनी कला को सिनेमा की टेक्नीक के अनुकूल अवश्य बनावें,

सलाह दी कि हिन्दी भाले जितने ही अधिक अरवी फारसी शब्दों का प्रयोग करेंगे उतना ही वे हिन्दी को अच्छा बनायेंगे। जो 'हिन्दुस्तानी' जैसी कृत्रिम भाषा गढ़ने चालों के एक अगुआ हैं, जिन्होंने कृत्रिम रूप से 'हिन्दुस्तानी' गढ़ने के लिये कमेटिवॉ बैटार्ड हैं और जो स्वयम् हिन्दुस्तानीगढ़भाषाओं के एक मुगिया हैं, उन्हें हिन्दी पर 'कृत्रिमता' का लाभुन लगाना शोभा नहीं देता। हम उनसे यह भी पूछना चाहेंगे कि जिस 'हिन्दुस्तानी' को उन्होंने विहार पर लड़वाया और अब फिर लड़वाना चाहते हैं, वह ही कितने विहारियों की 'मातृ-भाषा' है, और उन महमूद सीरीज और राजेन्द्र भीरीज की रीटंग की 'हिन्दुस्तानी' जिसने सीता को 'विगम' और चालमीकि को 'मौलवी' बना दिया, कहाँ तक अकृत्रिम और स्वाभाविक है, और फारसी लिपि जिसका सीखना वे सब विहारियों के लिये अनिवार्य करना चाहते हैं, कहाँ तक किसी 'हिन्दुस्तानी' की, और कितने विहारियों की स्वाभाविक लिपि है? यदि अधिकाधिक अरवी फारसी शब्दों का प्रयोग ही अकृत्रिमता लाने का सबमें सरल नुस्खा है, तो क्यों नहीं उन्होंने रवीन्द्र को अरवी-फारसीमय वँगला लिखने की सलाह दी, और क्यों नहीं वे गाथों जी में अरवी-फारसीमय गुजराती लिखने के लिये कहते? हिन्दी पर ही उनकी कृपा-दृष्टि क्यों है, उसी को वे अरवी-फारसीमय क्यों बनाना चाहते हैं? अस्तु, टा० गजेन्द्र प्रसाद के विचारों का तो उचित मूल्याङ्कन फिर होगा, परन्तु क्या हिन्दी वास्तव में कृत्रिम है?

हाँ, हिन्दी कृत्रिम है। वह कृत्रिम इसलिये नहीं है कि उसमें वहुत में अचाछनीय या बोलचाल में अप्रचलित स्फूर्त शब्द हैं—उदू० में अचाल्नीय या बोलचाल में अप्रचलित अरवी फारसी शब्दों की सख्ता और अन्य प्रातीय भाषाओं में अचाल्नीय या बोलचाल में अप्रचलित स्फूर्त शब्दों की सख्ता इससे कम नहीं है, चरन् वह कृत्रिम इसलिये है कि उसमें अनावश्यक, अचाल्नीय, या बोलचाल में अप्रचलित, या हिन्दी शब्दों की अपेक्षा

परिशिष्ट

मजबूर हुआ। ये वचों हुये कुछ सौ सस्कृत शब्द ऐसे हैं जो कहीं बोलचाल में प्रचलित नहीं हैं, परन्तु जिनके ऊपर का या अरवी फारसी पर्याय या दोनों प्रकार के पर्याय साधारण जनता की बोलचाल में प्रचलित हैं। इनमें से कुछ ऊपर के (२) (अ) वर्ग (पृष्ठ ४७) में आजाते हैं और शेष के अरवी फारसी पर्याय ऊपर के (१) (इ) (१) वर्ग (पृष्ठ ३५) में आ जाते हैं। इनके साथ क्या होना चाहिये, यह पहले बताया जा चुका है। यदि हिन्दी को कृत्रिमता या अकृत्रिमता की दृष्टि से नहीं, परन्तु शुद्ध जनता की सुविधा की दृष्टि से देखा जाय, तो इन कुछ सौ सस्कृत शब्दों में उन संस्कृत शब्दों को और जोड़ना पड़ेगा जो शिक्षित समाज की बोलचाल में तो प्रचलित हैं परन्तु जनता की बोलचाल में जिनके अरवी फारसी पर्याय प्रचलित हैं (इनके अरवी फारसी पर्याय ऊपर के (१) (इ) (ii) वर्ग (पृष्ठ ३५) में आ जाते हैं, इनके साथ क्या होना चाहिये, यह भी नहीं बताया जा चुका है)। इस प्रकार इन शब्दों की सख्त लगभग ५०० ही जायगी। यदि इन शब्दों में उन सस्कृत शब्दों को भी जोड़ ही दिया जाय जिन्हें छोड़ने के लिये ऊपर कहा गया है, अर्थात् उन सस्कृत शब्दों को भी जोड़ दिया जाय जो शिक्षित समाज की बोलचाल में भी प्रचलित नहीं हैं परन्तु जिनके अरवी फारसी पर्याय के बल शिक्षित समाज की साधारण बोलचाल में प्रचलित हैं—साधारण जनता को उनकी या उनके अरवी फारसी पर्यायों की अब तक जरूरत ही नहीं पड़ी (और इसलिये जिन्हे, जैसा ऊपर कहा जा चुका है, प्रचलित करने का और उनके अरवी फारसी पर्यायों का बहिष्कार करने का हमें अधिकार है), अर्थात् यदि, जहाँ तक बोलचाल का सवध है, हिन्दी के केवल वे ही सस्कृत शब्द सब प्रकार से अकृत्रिम और अधिकारी समझे जायें जो या तो साधारण जनता की बोलचाल में प्रचलित हैं या, यदि उनकी या उनके अरवी फारसी पर्यायों की आक्षेपकता जनता को महीं पड़ी—केवल शिक्षित समाज को पड़ी, तो

आश्चर्य तो इस बात का है कि इस 'लोकल-कलर' का सबसे अधिक रख्याल हिन्दी वालों को है। आज तक कोई अँगरेजी का लेखक अँगरेजी की कृतियों में अँगरेजी को छोड़कर हिन्दुस्तानी पात्रों से किसी भारतीय भाषा में या चीनियों से चीनी भाषा में वातचीत कराता हुआ देखने में नहीं आया। यही बात ससार की अन्य भाषाओं के विप्रय में कही जा सकती है। दूर जाने की जरूरत नहीं, उर्दू के लेखक भी ऐसी गलती नहीं करते कि हिन्दू पात्रों से हिन्दी में वातचीत करावें। कुछ ऐसे शब्दों की बात दूसरी है जो एक देश विशेष अथवा जाति विशेष से ही सम्बन्ध रखते हैं और किसी विशेष गुण या वस्तु को जताने के लिये प्रयुक्त किये जाते हैं और जिनका उनकी ध्वनि नष्ट किये विना सरलता से अनुवाद नहीं हो सकता। ऐसे शब्दों का अर्थ प्रायः कोष्ठकों में या पाद-टिप्पणियों में स्पष्ट कर दिया जाता है, और अँगरेजी में प्रायः ऐसे शब्दों को इटैलिक्स (italics) में यह जानने के लिये लिखा जाता है कि ये विदेशी शब्द हैं, और किसी विशेष कारण से ही प्रयुक्त किये गये हैं। लेकिन हिन्दी की कृतियों में सुसलमानों की वातचीत उर्दू में वेखटके और वेरोकटोक कराई जाती है, और उर्दू शब्दों के अर्थ को भी स्पष्ट नहीं किया जाता, बल्कि यह समझा जाता है कि यह तो हिन्दी ही है और हिन्दी-पाठक इसे समझते ही होगे, और यह लेखक की मेहरबानी है कि उसने आदि से अन्त तक सब जगह ऐसी हिन्दी नहीं लिखी।

इस सम्बन्ध में दो एक बातें और विचारणीय हैं। 'नई दुनिया' शीर्षक कहानी में चिरागी और गजरा समाज की बहुत ही निम्न श्रेणी के व्यक्ति हैं। इन निम्न श्रेणियों में गुद्ध, साहित्यिक, खड़ी बोली उर्दू नहीं बोली जाती, फिर इनका साहित्यिक उर्दू में बोलना ही कहाँ तक स्वाभाविक है और कहाँ तक वास्तविकता से सम्बन्ध रखता है? ये दोनों व्यक्ति वनारस के रहनेवाले दिखाये गये हैं। तो क्या इनसे पूर्वी या किसी और देहाती बोली में बुलचाना कहा

तियां को विश्वास दिलाते हैं कि इन सिद्धान्तों के अनुसार हिन्दी में से जितने सकृत शब्दों को निकालना पड़ेगा, उनमें उन अरवी फारसी शब्दों की सख्ती कई गुना अधिक होगी जिन्हे हिन्दी में भी इर्हा सिद्धान्तों के अनुसार निकालना पड़ेगा। यहाँ वह बता देना भी आवश्यक है कि हिन्दी में आने चाले जिन अरवी फारसी शब्दों के विषद् इस पुस्तक में आवाज उठाई गई है, उनकी सख्ती भी इस ममता एक हजार में अधिक नहीं है। इस पुस्तक को पढ़कर कोड़े यह कहन का माहस न करे कि हिन्दी कोई भाषा नहीं, उसमें तां उर्दू के सभी शब्द अति हैं। वे एक हजार अरवी फारसी शब्द वही हैं जिन्हे हिन्दी लेखक हिन्दी प्रदेश में अपने चारों ओर बोलचाल में सुनते हैं (डेशज, सकृत तत्त्वम वा तद्रव शब्दों के साथ साथ वा अनेक), और असावधानी के कारण हिन्दी में स्थान दे देते हैं अथवा, यो कहिये, लिख जाते हैं। बोलचाल में बहुत अधिक शब्द हैं ही नहीं। एक गुलाम और मिछड़े हुये देश के निवासियों की जिन पर पिछले एक हजार वर्षों से विदेशी शासकों ने सब गम्भीर कार्यों और व्यवहारों के लिये विदेशी भाषाओं का लाद रखा हो, बोलचाल की शब्दावली समुद्र ही ही वैसे सकती है। बोलचाल की शब्दावली से भध ही कितने काम सकते हैं ? यहि हिन्दी में आनेवाले बोलचाल में प्रचलित इन एक हजार अरवी फारसी शब्दों को रहने ही दिया जाय, और उनके डेशज और बोलचाल में प्रचलित अथवा अप्रचलित सकृत पर्यायों का हिन्दी से पूर्ण वहिष्कार कर भी दिया जाय, तो कौन सी समस्या हल हो जायगी ? यह प्रश्न तो फिर भी रह जायगा कि उन शब्दों को जिनकी गम्भीर कार्यों के लिये आवश्यकता है (और जिनकी सख्ती बहुत अधिक है और दिन प्रति दिन बढ़ती जाती है) परन्तु जो बोलचाल में कही नहीं पाये जाते, कहाँ में और किन सिद्धान्तों के अनुसार लाया जाय। ऐसे शब्दों के लिये उर्दू अरवी और फारसी, अरव और फारस की शरण क्यों लेती है ? यदि ऐसे शब्दों के लिये उर्दू को अरवी फारसी का टरबाजा खटखटाने का कोड़े अधिकार

पूर्ण और संसार की सभी भाषाओं के नियमों के विरुद्ध है। भाषा विचारों को प्रकट करने का एक साधन है, और भाषा यह तभी कर सकती है जब उसका एक प्रचलित, सर्वमान्य और निश्चित स्वरूप हो। जब हम किसी भाषा में अपने विचार प्रकट करने बैठते हैं तो हम काल के अनुसार या व्यक्ति के अनुसार भाषा नहीं बदलते चल सकते। बात चाहे आज की हो, चाहे हजार वर्ष पहले की, व्यक्ति चाहे किसी भी देश, जाति या धर्म का हो, भाषा का स्वरूप वही रहता है। फिर हिन्दी में ही मुसलमानों से या विदेशियों से उर्दू में कथोपकथन क्यों कराये जाते हैं? आशा है विद्वान् लेखक इस ओर ध्यान देंगे, और हिन्दी को इस दोष से बचायेंगे। कम से कम पत्रों के सम्पादक यह कर सकते हैं कि इस दोष से दूषित लेखों को लौटाने का कारण बताते हुये वापस कर दें, या उनके उर्दू सचादों को हिन्दी में अनुवाद करके छापे।

(सितम्बर, १९४५ की 'माधुरी' से)

रा प्रवल करेंगे। उसे फेपल थोड़ी भी आगा नह है कि हिन्दीयाले गारब आगे के निये सावधान हो जायें और अपने ही हाथों हिन्दी की कब तैयार करना चाहे दें। हिन्दुशासनीयाले इस पुस्तक को पढ़कर भड़के नहां।

जब हिन्दी की कृत्रिमता का माल उठा है तब उद्धू की हालत पर भी मरमरी नज़र डालना असम्भव न दोगा। उद्धू ऐदू सौ माल से अधिक भे हिन्दी शब्द मत्स्य करनी आवश्य है। उद्धू ने जनता की बोलचाल में प्रचलित मैफ़दों देशज, और स्वतंत्र के तत्त्वम और तद्देश शब्दों को मत्स्य कर दिया है और उनके स्थान में अखंकी फारसी शब्दों को भर लिया है। इन अखंकी फारसी शब्दों में से कुछ जनता की बोलचाल में प्रचलित हो गये हैं, कुछ नेपाल शिक्षिन समाज की बोलचाल में प्रचलित हैं, कुछ बिशिष्ट वर्गों की बोलचाल में प्रचलित हैं, और शेष कहीं बोलचाल में प्रचलित नहीं हैं। हिन्दी में बोलचाल में प्रचलित किसी देशज या स्वतंत्र तत्त्वम या तद्देश शब्द को मत्स्य करने का कभी प्रश्न ही नहीं उठा और न कभी उठ सकता है। इतना ही नहीं, हिन्दी में बोलचाल में प्रचलित सभी अखंकी फारसी शब्द भी, बोलचाल में प्रचलित हिन्दी शब्द, यदि बोलचाल में उनके उद्धू पर्याय प्रचलित हों तो, कभी नहीं आते। उद्धू के ऐसे अखंकी फारसी शब्दों की सख्ता भी जो साधारण बोलचाल में कहीं प्रचलित नहीं हैं परन्तु जिनके हिन्दी पर्याय बोलचाल में प्रचलित हैं, उन स्वतंत्र शब्दों की सख्ता से कहीं अधिक है जो बोलचाल में कहीं प्रचलित नहीं हैं परन्तु जिनके अखंकी फारसी पर्याय बोलचाल में प्रचलित हैं। हिन्दी में जहाँ ऐसे बोलचाल में अप्रचलित स्वतंत्र शब्दों के साथ उनके बोलचाल में प्रचलित अखंकी फारसी पर्याय भी आते हैं, वहाँ उद्धू में बोलचाल में अप्रचलित अखंकी फारसी शब्दों के साथ उनके बोलचाल में प्रचलित हिन्दी पर्याय कभी नहीं आते। हिन्दी के जितने स्वतंत्र शब्दों के बिशद्द हमें यह शिकायत है कि उनके देशज पर्याय प्रचलित होते हुए उन्हें क्यों

this province in the various dialects bears close affinities with modern Hindi literature and is a part and parcel of 'Hindi' literature and not of Urdu literature or of any 'Hindustani' literature

HIND AND HINDUSTAN

All the provinces or, more correctly, territorial divisions of India with the exception of U P, C P and N W F. P. have got their distinctive names which signify the spoken, indigenous mass language or 'vernacular' of the area as also the indigenous people inhabiting the area. For the Madras province has been recognised, particularly by the Congress, as consisting of Andhra, i.e. the Telugu speaking part, Tamil Nadu, i.e., the Tamil speaking part and Carnatic, i.e., the Kannada speaking part. Bombay province is similarly regarded as consisting of Gujarat, i.e., the Gujarati speaking part and Maharashtra, i.e., the Marathi speaking part. Even in C P, thanks to the efforts of Pt. Dwarka Prasad Misra, a Minister in the present as well as in the last Congress Ministry of C P, the old name of the Hindi speaking part, viz, Mahakoshal (Koshali or Eastern Hindi is the mass language of the Hindi speaking C P) has been officially recognised. The Marathi speaking part of the C P. is, linguistically speaking, a part of Maharashtra. 'N W F P' is more a political phrase than a name, and is bound to be appropriately renamed soon. So the U P is the only province which has no name signifying the distinctive language, culture and the people of the province. During the previous Congress regime the name 'Hind' was

हिन्दी शब्द—देशज, मस्कुन तामग या नदर—र्हा प्राप्ति, और यदि उद्दृढ़त
द्वेषशब्द को नहीं प्रयोग करती तो उसमें प्रविष्टादित विन मिडान्सों के
प्रत्युगार एवं अर्थी फारमी शब्द हिन्दी में स्वयं चाहते हैं कम से कम उच्ची
मिडान्सों पर अनुभाव उद्दृढ़ में हिन्दी मत्तून शब्द प्राप्ति—यह इमार उन
उद्दृढ़ जाती का ज्ञान है जो हिन्दी में अर्थी फारमी शब्द का वर्त्तकार
करने का। इसर प्रविष्टादित मिडान्स पर उच्ची उदाहरण नहीं। जिन
मिडान्सों प्रीर नियमों के अनुसार हिन्दी के मस्कुन गद्दी हैं। साधारण बोल-
चाल में प्रपञ्चित, परन्तु उनके अर्थी फारमी ना देश एवं पर्वतों से साधारण
बोलचाल में प्रचलित रहा। जाता है और जिन मिडान्स। और नियमों के
प्रत्युगार हिन्दी के मस्कुन शब्द। को उनके अर्थी फारमी ना देशज
पर्वतों से अपेक्षा साधारण बोलचाल में आ प्रचलित रहा। जाता
है उच्ची मिडान्स। और नियमों के अनुसार उद्दृढ़ प्रत्येक ऐसे अर्थी फारमी
गद्दी का त्याग करे जो साधारण बोलचाल में प्रचलित नहीं है परन्तु जिनके
महसूस ना देगज पर्वत साधारण बोलचाल में प्रचलित हैं। और तभी
अर्थी फारमी शब्दों का त्याग करे जो सम्भूत ना देगज पर्वतों की अपेक्षा
साधारण बोलचाल में कम प्रचलित हैं, और यदि उद्दृढ़ ऐसा नहीं कर सकती
तो कम ने कम यह अपने आपत्तिजनक अर्थी फारमी शब्दों के नाम बसा
व्यवहार करने के लिये ऊपर जोग दिया गया है—यह इमारी उन उद्दृढ़ जालों को
चुनौती है, जो हिन्दी को कृत्रिम बताते हैं।

अब ‘हिन्दुस्तानी’ की अकृतिमता (!) का लीजिये। ‘हिन्दुस्तानी’ के
मक्तों के सामने ठो हो रहते हैं। वे ‘हिन्दुस्तानी’ का ढाँचा सझी बोजी को
आधार मान कर वा तो बोलचाल की भाषा को दृष्टि से खड़ा कर सकते हैं
वा लिखित भाषा को दृष्टि से। पहले बोलचाल को लीजिये। हम
हिन्दुस्तानी जालों को आमत्रित करते हैं कि वे इस मिडान्स को रखते हैं कि

the teaching of Urdu It may even grant the same facilities to other language groups in the province, but let the vernacular of the province remain what it is, i. e. Hindi Truth must not be sacrificed. Urdu or Hindustani is certainly not the vernacular of this province A time may come when those who want Urdu and its script to-day may take kindly to the vernacular of this province, i. e., their real mother tongue, and to its natural script, thus ushering in the era of complete linguistic unity in this province; just as in the Punjab where Urdu too is medium of instruction, language of administration, etc., a time may come when adherents of Urdu, despite late Sir Sikandar Hayat Khan's frantic declaration regarding Urdu being the 'national language of Punjab', may take kindly to and adopt Punjabi, their mother tongue and the vernacular of Punjab, provided that Punjab remains 'Punjab' and Punjabi is not renamed 'Hindustani' or something like that Thus 'Hindi' has got seeds of unity in it. But 'Hindustani', besides being an untruth, will, with its shifty and shifting meaning and its concomitant, the 'two scripts' clause, never allow this province to be one in the matter of language and script, will be a permanent obstacle on the way of progress and thus defeat the very purpose for which this untruth is (probably) sought to be imposed on this province We appeal to the Congress that plumes itself in truth to do away with this palpable untruth, which seems to be inspired by political opportunism but which has infinite potentialities for permanent wrong-doing and injustice. It must give up its attempt to give a habitation to its concoction 'Hindustani' at the cost of

अपेक्षा अधिक व्यक्ति लिखते हैं।) यदि वे हिंदुस्तानी को हिंदी प्रदेश की भाषा बनाना चाहते हैं, तो वे इन सिद्धातों को, जो किसी स्वदेशी-भावना पर नहीं, चरन् शुद्ध प्रजातन्त्र या लोकतन्त्र पर अवलम्बित हैं, संपूर्ण हिंदी प्रदेश की बोलचाल और हिंदी प्रदेश की साहित्यिक भाषाओं अर्थात् हिंदी और उर्दू पर लागू करके हिंदुस्तानी गढ़े। यदि वे हिंदुस्तानी को सम्पूर्ण भारत की भाषा अर्थात् राष्ट्र-भाषा बनाना चाहते हैं, तो वे इन सिद्धान्तों को संपूर्ण भारत की बोलचाल और संपूर्ण भारत की साहित्यिक भाषाओं पर लागू करके हिंदुस्तानी गढ़ें। हम दाचा करते हैं कि इस प्रकार जो हिंदुस्तानी बनेगी वह दोनों ही प्रकरणों—हिंदी प्रदेश के अथवा समूचे राष्ट्र के—में आधुनिक हिंदी से केवल इतनी भिन्न होगी कि उसमें आधुनिक हिंदी की अपेक्षा अरबी फारसी शब्दों की सख्त। और भी कम होगी—वह बिलकुल वही होगी जो ऊपर प्रतिपादित सिद्धातों के अनुसार हिन्दी का परिष्कार करने के बाद हिंदी हो जायगी। यदि हिंदुस्तानीबाले दूसरे रास्ते से अर्थात् लिखित भाषा की दृष्टि से चलना चाहते हैं, तो वे हिंदी प्रदेश के प्रकरण में हिंदी प्रदेश की साहित्यिक भाषाओं अर्थात् आधुनिक हिंदी और आधुनिक उर्दू में से उन शब्दों को लें जिन्हें हिंदी प्रदेश में अधिक व्यक्ति लिखते हैं, और राष्ट्र-भाषा के प्रकरण में खड़ी बोली को आधार मान कर संपूर्ण भारत की साहित्यिक भाषाओं में से उन शब्दों को लें जिन्हें अधिक व्यक्ति लिखते हैं। हम दाचा करते हैं कि इस प्रकार जो हिंदुस्तानी बनेगी उसमें हिंदी प्रदेश के प्रकरण में आधुनिक हिंदी की अपेक्षा एक भी अरबी फारसी शब्द अधिक न होगा, और राष्ट्र-भाषा के प्रकरण में वे वह आधुनिक हिंदी से भी अधिक संस्कृत-निष्ठ होगी। परन्तु हिंदुस्तानीमाले कहीं ठहरे, अपने श्रीमुख से किसी सिद्धात का प्रतिपादन करें तब तो। सिद्धात का तो यह भी तकाजा है कि एक भाषा हिंदुस्तानी एक ही लिपि में लिखी जाय, और वह लिपि ऐसी हो

३० पं० राधेश्याम कथावाचक ने एक बार 'उर्दू' हिन्दी से अधिक बोली

कर बड़े बड़े भारतीय नेताओं और चिद्रानों तक को भ्राति में ढाल देनेवाले 'हिन्दुस्तानी' शब्द के छट्टम् रूप का भएडाफोड किया, लेकिन आल इ डिया रेडियो की नीति अब भी जहाँ को तहाँ है—उसके अधिकारियों ने हिन्दी-भाषा को वहिष्कृत करने का 'दीड़ा सा उठा लिया है। हिन्दुस्तानी के जाल में फैसे हुए लोग अभी स्वतंत्र हुये हैं कि नहीं, यह हमें अभी देखना है। उससे मुक्त होने का सबसे अच्छा उपाय है कि वे परिष्ठत रविशकरजी की पुस्तकों को पढ़ लें। मैं तो प्रत्येक हिन्दी प्रेमी और देश-भक्त का यह कर्तव्य समझता हूँ कि वह इन पुस्तकों को पढ़े और हिन्दुस्तानी के धोखे से शीघ्र से शीघ्र सावधान हो जाय।

परन्तु, क्या हम हिन्दीवालों ने कभी यह भी सोचा है कि हमारी भाषा पर होनेवाले इन अत्याचारों के लिये स्वयं हमारा उत्तरदायित्व कहाँ तक है? हमारे किन अपराधों और हमारी किन त्रुटियों और निर्वलताओं के कारण हिन्दी इस अपमानित स्थिति में आ पड़ी है? हमने हिन्दी का मन्तक ऊँचा करने के लिये अभी तक क्या किया है? इन गश्नों का उत्तर हिन्दी प्रदेशों के केन्द्र संयुक्त-प्रान्त पर ही नज़र ढालने से मिल जायगा—

(१) पॉच प्रचलित औँगरेजी के समाचार-पत्र—लेकिन क्या इनमें से किसी का भी सम्पादक हिन्दी की गोद में तुलाया और पला हुआ व्यक्ति है? यदि होतो तो 'आल इ डिया रेडियो की हिन्दी-विरोधी नीति एक पग भी आगे न बढ़ सकती। इनमें से किस समाचार पत्र ने किसी हिन्दी-विरोधी नीति के विरुद्ध 'आन्दोलन' किया है? यह विश्वास करने को मरा जो नहीं चाहता कि अब तक औँगरेजी समाचार-पत्रों के सम्पादन की योग्यता रखनेवाला कोई हिन्दी का लाइला पैटा ही नहीं हुआ।

(२) हमारे प्रात छे सबसे बड़े जगद्विख्यात नेता को हमारी प्रमुख प्रान्तीय भाषा हिन्दी के प्रति कोई विशेष सचि नहीं—शायद वह टूटी फ़टी ही हिन्दी लिख सकता हो। और उसकी इस उदासीनता ने हमारे अन्य

आरोप करनेवाले डा० राजेन्द्रप्रसाद ने विहार पर लाठा और अब फिर लादना चाहते हैं। यदि वे चास्तव में हिंदी को कृत्रिम भाषा समझते हैं, और उदूँ को अकृत्रिम भाषा समझते हैं, तो समझ में नहीं आता वे हिन्दुस्तानी क्यों गढ़ना चाहते हैं, उदूँ को ही वे चास्तविक हिन्दुस्तानी और विहार की भाषा क्यों नहीं धोषित कर देते ? यदि वे उदूँ को भी कृत्रिम समझते हैं, तो समझ में नहीं आता कि वे दो कृत्रिम भाषाओं हिंदी और उदूँ से कृत्रिम उपायों से एक अकृत्रिम हिन्दुस्तानी किस प्रकार मथ कर निकाल लेंगे । हाँ, यदि हिन्दुस्तानी, श्री आनन्द कौसल्यायन के शब्दों में, हिन्दू-मुस्लिम ऐकश की नहीं, हिन्दू-मुस्लिम पैकट की भाषा है, तो बात दूसरी है । और वह पैकट भी कैसा जिसकी नीच में पानी मरता है, जो बनावटी और अस्थाई है, और जिस पर एक फरीक् तो जान देने को तैयार है, दूसरा दस्तखत करने को भी तैयार नहीं—जिसे मान कर अपनी ईमानदारी दिखाने के लिये एक तो अपनी गर्दन काटने को तैयार है (वल्कि काट रहा है), दूसरा अपनी मँछें नीची करने को भी तैयार नहीं ! यह याद रहे कि विहार की कांग्रेस सरकार ने हिन्दुस्तानी गठ कमेटी बैठाई, और विहार पर हिन्दुस्तानी को लाठा, परन्तु सीमा-प्रात की कांग्रेस सरकार ने शुद्ध उदूँ और केवल उदूँ लिपि छोड़ कर किसी दूसरी हिन्दुस्तानी या लिपि से नाता नहीं जोड़ा * । यह भी याद रहे कि डा० राजेन्द्रप्रसाद की राय में, मालूम होता है, ‘हिन्दुस्तानी’ केवल विहार के हिन्दुओं की ‘स्वाभाविक’ भाषा है, क्योंकि राजेन्द्रप्रसाद-एक समझौते के अनुसार विहार के मुसलमान छात्र ‘हिन्दुस्तानी’ पढ़ने के लिये वाल्य नहीं किये गये—उन्हें ‘हिन्दुस्तानी’ के बजाय उदूँ पढ़ने का विकल्प दिया गया, परन्तु हिन्दू छात्रों को यह विकल्प नहीं दिया गया । यह है डा० राजेन्द्रप्रसाद की ‘अकृत्रिम’ हिन्दुस्तानी, और कांग्रेस की तथा-कथित कामन भाषा, राष्ट्र-भाषा का पोलखाता ।

* आगे ‘हिन्दुस्तानी की बला’ शीर्षक प्रकरण भी देखिये ।

कुछ सुमलमान सज्जनों ने भाषण दिये—उदूर्में, ठीक है ऐसा तो होता ही। अब उठे एक एक करके हमारे दो नेता—दोनों हिन्दी के वशस्त्री विद्वान् और लेखक। कुछ मनचले साहसी छोकरों ने आवाज लगाई ‘उदूर्म, उदूर्म’—और यह लीजिये उदूर्म। फिर क्या था, वे छोकरे विजय से फूल गए और हिन्दी वाले विद्यार्थी मुँह वाये, मुँह ताकते रह गये। हमने मौलाना अबुलकलाम आजाद, श्री रफी अहमद किदवई, आदि किसी भारतीय मुस्लिम नेता को हिन्दी में लिखते-बोलते न देखा है और न सुना है। क्यों? क्योंकि उदूर्म अपने नाम से अथवा हिन्दुस्तानी के नाम से उदूर्म ही रहना चाहती है, हिन्दी अपने को चाहे नष्ट कर डाले।

(३) लखनऊ की बड़ी प्रदर्शिनी (१९३६)—एक पड़ाल के नीचे ‘हिन्दुस्तानी ऐकेडमी’ की एक बैठक में हिन्दुस्तानी की समस्या हल हो रही थी। जा वैठा। देखता क्या हूँ कि ‘आमफहम जुवान’ हिन्दुस्तानी का ही समर्थन करते हुए उदूर्म वाले बड़े जोश खरोश से फारसी वृक्ष रहे थे—और दिलमिल हिन्दी वाले भी, जिनमें हिन्दी के कुछ दिग्गज विद्वान भी थे, (कदाचित तकल्लुफ में आकर) उदूर्म में ही भाषण देने का प्रयत्न कर रहे थे। हिन्दुस्तानी तो कुछ थी ही नहीं, हिन्दी भी न रही, रह गई केवल कोरी उदूर्म—न रहेगा बॉस और न बजेगी बॉसुरी। उठा, और इन हिन्दी वालों से कुछ कुपित, कुछ निराश, कुछ इन पर हँसता और कुछ इन अशुभ लक्षणों से हिन्दी पर आगे आने वाले सकट का अनुमान करता अपने घर चल दिया।

सारांश यह कि जब तक हिन्दी वाले स्वयं अपने ही इन अपराधों से मुक्त न होंगे, तब तक हिन्दी-माता अपने ऊपर दूसरों द्वारा किए हुये अत्याचारों पर कम रोकेगी, अपने ही पूतों की निष्क्रियता और कर्त्तव्यहीनता पर सिर पटकती रहेगी। यदि उसके ही बेटे ऐसे न होते तो कैसे कोई उसका अपमान कर सकता? अभी बहुत देर नहीं हुई है—क्या हम अपने

भारत की साहित्यिक हिन्दुस्तानी का आधार क्यों बनाया जाय ? (एक वार प० मुन्डरलाल ने फरमाया कि राष्ट्र भाषा हिन्दुस्तानी का आदर्श दिल्ली नगर की गलियों में बोली जाने वाली हिन्दुस्तानी है ।) यदि आज खड़ी बोली युक्त-प्रान्त, विहार, मव्य-प्रान्त और गजम्यान की साहित्यिक भाषा, या राष्ट्र भाषा का आधार मानी जा रही है, तो इसका कारण यह नहीं है कि खड़ी बोली एक या दो जिलों की मातृ-भाषा है, वरन् यह है कि खड़ी बोली दूर दूर तक फैल गई है, दूर दूर तक बोली जा रही है और सेकड़ों चप्पों के दौरान में खड़ी बोली का एक ऐसा स्वरूप तेयाग हो चुका है जो हिन्दी प्रान्तों में और सारे देश में अधिक से अधिक व्यक्तियों के लिये सुलभ है । तात्पर्य यह कि पेशावर से पटना तक के प्रदेश की साहित्यिक हिन्दुस्तानी का आधार किसी स्थान विशेष की हिन्दुस्तानी बोलचाल नहीं, वरन् खड़ी बोली का वही स्वरूप हो सकता है जो इस प्रदेश के अधिक से अधिक व्यक्तियों के लिये सुलभ हो, अर्थात् उसमें हिन्दी प्रदेश में सबसे अधिक प्रचलित शब्द ही रखें जा सकते हैं । देश की राष्ट्र-भाषा साहित्यिक हिन्दुस्तानी का आधार भी किसी स्थान विशेष की हिन्दुस्तानी बोलचाल नहीं, वरन् खड़ी बोली का वही स्वरूप हो सकता है जो देश के अधिक से अधिक व्यक्तियों के लिये सुलभ हो, अर्थात् उसमें देश में सबसे अधिक प्रचलित शब्द ही रखें जा सकते हैं । जैसा पहले कहा जा चुका है, दोनों ही दृष्टियों से यह आधार आधुनिक खड़ी बोली हिन्दी में अन्तर्निहित है, और यदि खड़ी बोली के इस सर्वाधिक सुलभ स्वरूप के आधार पर संर्वाधिक सुलभता के सिद्धान्त के अनुसार ही एक साहित्यिक हिन्दुस्तानी का निर्माण किया जाय, तो वह आधुनिक साहित्यिक हिन्दी से भिन्न न होगी । दूसरे शब्दों में, आधुनिक हिन्दी ही हिन्दी प्रदेश और सम्पूर्ण देश के लिये सबसे अधिक सुलभ और सबसे अधिक उपयुक्त हिन्दुस्तानी है । यदि हिन्दुस्तानी धारे हिन्दी उद्दृ की खिचड़ी किसी जनतन्त्रात्मक सिद्धान्त के अनुसार

शब्दों का भी वहिष्कार होकर उनके स्थान पर अरबी फारसी बहुल उदूर् शब्दों को इतनी भरभार हो जायगा कि वह वही हिन्दुस्तानी बन जायगा जो ऐंग्लो-प्रॅस्त्रम् गुट् को अभीष्ट है।

हम यह मानते हैं कि उच्चतिशाल भाषा पड़ासों भाषाओं के ही नहीं प्रत्युत विदेशी भाषाओं के शब्दों से भी अपने शब्द-भारणार का भरने में आगा-पीछा नहीं करती। पर इसका यह अभिप्राय कभी नहीं है कि अपने आत्मसात किये हुये शब्दों का या उपजोव्य भाषा के शब्दों का वहिष्कार करके दूसरी भाषा के शब्दों को अपनाया जाय, उनके पीछे दौड़ा जाय।

वर्धा की हिन्दुस्तानी कैसा सांहित्य निर्माण कर रही है, इसके कुछ उदारण देखिये :—

‘खेनी की शिक्का’—एक सौ तीन पृष्ठों की ग्यारह अध्यायों में विभक्त यह एक पुस्तक है। यह ‘खेनी शिक्काएँ’ नाम की मराठी पुस्तक का अनुचाद है। इसके प्रथम दो अध्यायों में ही उदूर् के शब्दों तथा वाक्याशों का प्रयोग किस प्रकार किया गया है, देखिये :—वाग वग चे, ताल्लुक, नज-दीकी सम्बन्ध, वगेरा, मौजू, मददगार सावित होग, कुदरत, जिन्दगी गुजारनी, इम्तहानों, वेमजा, बेहड ताकतवर, खुदा की शान, जिन्दगी की अज-मत, गुजरेग, कुदरत के ये एलची, होशियारी, चीज में खूबसूरती, तरक्की जरूर हाँगो, गौर करने को ताकृत, हासिल, चजह, बाकायादा सोचने का माद्दा पैदा होगा, वयान, ख्यालों को जाहिर करना, पावन्दी, एहसास, मुस-ब्बरी, आचाज, वारीफ, ज्यादा मज़रूत, खासकर, चूँकि ज्यादातर, कौमी फ़ायदा, शख्सी, कौमो निग ह, मुताविक, दस्तकारी के अरिये, बक्क, मादरी ज़ब्बान, नज्म, मुकद्दम धदे, मज़नूनों की तरह, जरूरी, शामिल, जमातों, मक्कमूद, गुजाइशा, और हालात मुआफिक हों, तनख्बाह, पैदावार का सचाल, गुलामो, वदनाम, नसोव, बदकिस्मती, आज़दा की तरफ, तालीम, शानदार, खास पहलुओं, खास मरकज, सिफ्फ, ज़रूरी पहलुओं पर खास व्यान, काम-

बोली में वही अन्तर होता है। किसी प्रदेश की साहित्यिक भाषा वही कहलाती है जिसमें उस प्रदेश की बोलियाँ अन्तर्निहित होती हैं। इस प्रकार आधुनिक हिन्दी हिन्दी प्रदेश की साहित्यिक भाषा है। यदि यह इसी रूप में अधिक मनुष्यों की मातृभाषा नहीं है, तो उद्भूत भी इसी रूप में अधिक मनुष्यों की मातृभाषा नहीं है, दर्ढी की दिनुस्तानी भी अधिक मनुष्यों की मातृभाषा नहीं है, कोड़ी भी साहित्यिक हिन्दुस्तानी उसी रूप में अधिक मनुष्यों की मातृभाषा नहीं हो सकती, आधुनिक साहित्यिक बँगला भी उसी रूप में अधिक बगलियों की मातृभाषा नहीं है, और आधुनिक साहित्यिक हुजराती, मराठी, नामिल या तेलगू भी उनीं लिखित रूपों में अधिक व्यक्तियों की मातृभाषायें नहीं हैं (और इन भाषाओं में भी हिन्दी की भाँति ऐसे सैकड़ों शब्द हैं जो बोलचाल में प्रचलित नहीं हैं, परन्तु उनके अन्य पर्याय बोलचाल में प्रचलित हैं, अर्थात् इन भाषाओं के भी लिखित रूपों और बोलचाल के रूपों में वही अन्तर है जो लिखित हिन्दी और बोलचाल की हिन्दी में है, और जो सर्वत्र लिखित भाषा और बोलचाल की भाषा में होता है), परन्तु इस कारण उन्हें कृत्रिम बताने का या उनमें अख्ती फारसी का पुट देने का साहस किसी ने नहीं किया।

परिशिष्ट ४ पर टिप्पणी

(लेखक—रविशकर शुक्ल)

वर्धा की हिन्दुस्तानी के पीछे जो मनोवृत्ति काम कर रही है वह तो ऊपर के लेख से प्रकट है ही, इस लेख से विहार की हिन्दुस्तानी पर भी भरपूर प्रकाश पड़ता है। यह है विहार जैसे हिन्दी प्रान्त की उस हिन्दुस्तानी का स्वरूप जो विहारी जनता पर 'राष्ट्रीय सरकार' द्वारा लादी जा रही है और विहारी बालकों के मस्तिष्क में प्रारम्भ से ही पैटाई जा रही है ! देवनागरी पुस्तकों में हिन्दुस्तानी के नाम पर भाषा की जो दुर्दशा की गई है उससे अधिक आश्चर्य फारसी लिपि की पुस्तकों की भाषा देख कर होता है। इन उद्दी पुस्तकों में हिन्दी के साधारण से साधारण देशज शब्द तक के लिये स्थान नहीं। उनके स्थान में भी ढूँढ ढूँढ कर अखबी फारसी शब्दों को ठेंसा गया है, और जहाँ यह सभव नहीं वहाँ अँगरेजी शब्द रखला गया है (जैसे 'अडीटर'—'सम्पादक' सह्य नहीं) और चस्तुनः कियाओं और विभक्तियों को छोड़ कर भाषा में कोई भी भारतीय तत्व न रहने दिया गया है। ऊपर से तुर्रा यह कि इस भाषा का नाम रखला गया है 'हिन्दुस्तानी' और उसे जनता की सरल भाषा कह कर लादा गया है विहारी जनता पर जिमकी (हिन्दू या मुसलमान) मातृ-भाषायें भोजपुरी, मथिली और मगाही हैं और जिसने अपनी बाणी चिदापति ऐसे कवि से पाई है ! यदि पंजाब, सिन्ध या सीमा-प्रान्त का मामला होता तो वहाँ तो वेसिक स्कूलों की 'हिन्दुस्तानी' बनाई जाती उद्दू और पुस्तकों को देवनागरी लिपि में भी न

करने में मन्त्रम है। हिन्दी वाला को तनिक विस्तार से बनाने की जरूरत है।

१. हिन्दुस्तानी आनंदोलन का एकत्रफा स्वरूप

हिन्दुस्तानी आनंदोलन एकत्रफा है। कहने के लिये तो हिन्दुस्तानी वाले हिन्दी और उर्दू के साथ एक समान व्यवहार करना चाहते हैं, परन्तु सत्य कुछ और ही है। हिन्दी का—और केवल हिन्दी का—अस्तित्व ही मिटाया जा रहा है, उस भारतीय भाषाओं की सूची में से ही निकाल बाहर किया जा रहा है। निम्नलिखित मत्त्यों पर गौर कीजिये—

१. कायेस वाले अर्थात् सब हिन्दू अपनी राष्ट्रीयता दर्शनि के लिये ‘हिन्दुस्तानी’ अर्थात् जवाहरदस्ती उर्दू शब्द मिला-मिला कर—कोई कोई सा शब्द, कोई काँइ सा शब्द—बोलें, सब मुसलमान—लीगी या कायेती या नेशनलिम्ट—फिर भी शुद्ध उर्दू बोलें। विभिन्न प्रान्तों वाले अपनी अपनी प्रान्तीय भाषायें बोलें। ‘हिन्दी’ कोई नहीं बोले।

२. आनंद प्रान्तीय कायेस कमेटी अपनी सभी कार्बाई तेलगू में करे, महाराष्ट्र कायेस कमेटी मराठी में, पंजाब कायेस कमेटी उर्दू में, युक्त-प्रान्तीय कायेस कमेटी, विहार कायेस कमेटी और मध्य-प्रान्तीय कायेस कमेटी ‘हिन्दुस्तानी’ में। ‘हिन्दी’ में कार्बाई कही नहीं।

३. विभिन्न प्रान्त अपनी अपनी प्रान्त-भाषा को राज-भाषा बनायें, पंजाब और सीमा-प्रान्त (जो कायेस के ही अधिकार में है) जहौं की मानृ-भाषा उर्दू नहीं है, उर्दू को राज-भाषा बनायें, हिन्दी प्रान्त अर्थात् युक्त-प्रान्त, विहार और मध्य-प्रान्त ‘हिन्दुस्तानी’ (और ‘दोनों लिपि’) को राज-भाषा बनायें। ‘हिन्दी’ कही की, किसी प्रान्त की राज-भाषा नहीं।

४ ‘वुनियादी तालीम’ (वेसिक एजूकेशन), ‘नड़ तालीम’, आदि वर्धा की गिज़ा-योजनाओं का माध्यम विभिन्न प्रान्तों में हो विभिन्न प्रान्तीय भाषायें, पंजाब में उर्दू, विहार और मध्य-प्रान्त (विद्या-मन्दिर योजना) में ‘हिन्दुस्तानी’ और ‘दोनों लिपि’। ‘हिन्दी’ माध्यम कहीं नहीं।

मेरे अधिक की भाषा हिन्दी है। इन प्रान्तों को हिन्दी को बनाये रखने की सजा दी जाती है। पजाव में जाकर 'हिन्दुस्तानी' चलाने की फिक्र कोई नहीं करता। वहाँ तो उदूँ ही सबकी 'हिन्दुस्तानी' होकर गहना चाहती है और कांग्रेस इससे सहमत है।

जहाँ एक और फारसी लिपि स्वयं राष्ट्रीय सरकारे द्वारा प्रचलित की जा रही है, वहाँ दूसरी और विहार और मध्य-प्रान्त में आदिचासियों, सथालों तथा अन्य पिछड़ी हुई और जगली जातियों में मिशनरी रोमन लिपि का प्रचार कर रहे हैं जो उनके ईसाई प्रचार का ही एक अंग है, क्योंकि इस प्रकार वे इन लोगों को अनायास भारतीय सम्यता और स्वतंत्रता के प्रभाव से दूर ले जाते हैं। इन प्रान्तों में रोमन लिपि को समस्या भी पर्ण रूप धारण करने वाली है, आर लिपि का एक और पाकिस्तान बनने वाला है। परन्तु राष्ट्रीय सरकार दुकुर-दुकुर देख ही नहीं रही है, रोमन लिपि के प्रचार में सहायता दे रही है ॥ १ ॥ वृटिश सरकार चाहती है कि इस देश की भाषा बने उदूँ और लिपि हो रोमन। इसी रोमन उदूँ को वह सेना में, सरकारी दफ्तरों में, रेडिओ, आदि में प्रचारित कर रही है। इसी कारण विहार और मध्य-प्रान्त में ही नहीं, आसाम, बगाल, आठि में भी पिछड़ी हुई जातियों में और ट्राइबल एरियाज में जो स्वयं बायसराय के आधीन हैं रोमन लिपि का जार शोर से प्रचार किया जा रहा है। इधर युक्त-प्रान्त की सरकार ने रोमन

१ विहार के पिछले कांग्रेसी मंत्रि-मडल के समय में विहार प्रान्तीय निरक्षरता निवारण सघ ने सथाल बच्चों की पाठ्य पुस्तके रोमन लिपि में छपाई। संथाल परगना में रोमन लिपि प्रचार को सरकार से पूरी सहायता मिल रही है। इधर विहार सरकार के शिक्षा विभाग ने एक सर्कुलर निकाल कर संथाली स्कूलों की आरभिक कक्षाओं में रोमन लिपि को अनिवार्य कर दिया है। इस सब में डा० सैयद महसूद का हाथ प्रत्यक्ष है। उनकी राय में जहाँ फारसी लिपि को अकेले या देवनागरी के साथ चलाना सभव नहीं, वहाँ रोमन लिपि का खेड़ा खड़ा हो जाय तो अच्छा।

एक शब्द नहीं निकला। वह तो 'साम्राज्यिकता' होती !) उनकी नई गण्डी-यता तो यह चाहती ही है कि हिन्दी की सुन्नत हो जाय जिससे 'हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य' स्थापित हो सकें। यदि सरकार ने 'हिन्दुस्तानी' को उदूँ से अभिन्न मान लिया तो उस पर भी कांग्रेसवालों को कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि वे जानते हैं कि मुसलमान इस 'हिन्दुस्तानी' के साथ तभी तक हैं जब तक 'हिन्दुस्तानी' उदूँ का ही दूसरा नाम है, और जिस दिन 'हिन्दुस्तानी' उदूँ से कुछ भिन्न हुई उस दिन उनका हिन्दुस्तानी और हिन्दुस्तानीवाली राष्ट्रीयता का ढको-सला एक घटा नहीं ठिक सकेगा। उन्हें अपना ढकोसला अधिक प्रिय है, इसलिये कुछ नहीं बोलते। मुसलमान तो अति सन्तुष्ट हैं ही—चलो उदूँ की उदूँ रही और 'हिन्दुस्तानी' नाम के प्रताप से हिन्दी की जड़ ही कट गई। हिन्दुस्तानीवाले क्यों बोलें ? उनकी तो मनचीती ही होरही है न । X

* यह निश्चित है कि केन्द्र में राष्ट्रीय सरकार भी इस अवस्था को नहीं बदलेगी। वह आज की भाँति इन्फर्मेशन फिल्म, न्यूज़ फ्रिल्म, आदि का निर्माण भी प्रान्तीय भाषाओं और 'हिन्दुस्तानी' में करेगी, हिन्दी में नहीं। (देखिये उत्तर-परिशिष्ट २)

X यदि कोई हिन्दुस्तानीवालों से पूछे कि हिन्दुस्तानी कहाँ है, तो वे उत्तर देंगे, फिल्माल हिन्दुस्तानी के दो प्रचलित रूप हैं—हिन्दी और उदूँ, परन्तु वे रेडियो से यह कहने को तैयार नहीं कि वे दोनों प्रचलित रूपों में खबरें ब्राड-कास्ट करे। वे रेडियो से यह कहने का भी कष्ट नहीं करते कि वह हमारी 'हिन्दुस्तानी' में ही ब्राडकास्ट करे। हाँ, कभी कभी यह सोचकर कि कहाँ हिन्दीवाले 'हिन्दुस्तानी' से बेतरह न भड़क उठें श्री श्रीमद्भारायण अग्रवाल यह अवश्य कह देते हैं कि रेडियो की 'हिन्दुस्तानी' उदूँ है। परन्तु क्या वे यह बताने का कष्ट करेंगे कि रेडियो की 'हिन्दुस्तानी' में ऐसे शब्द कौन से हैं जो उनके 'हिन्दुस्तानी अदब' (श्री श्रीमद्भारायण ने हाल में एक लेख में बताया है कि 'हिन्दुस्तानी' के नमूने रखने के लिये वर्धा में हि. प्र. सभा कुछ 'हिन्दुस्तानी अदब' तैयार करा रही है) में नहीं हैं, अर्थात् रेडियो की 'हिन्दुस्तानी' में प्रयुक्त होनेवाले ऐसे शब्द कौन से हैं जिन्हें वे गैर-हिन्दुस्तानी करार देंगे ?

गया है, मानों ये शब्द पहले सब शब्दों की अपेक्षा। सरल हो, ‘आमफहम’ हो, लेकिन तब भी क्या दोनों लिपियों में एक ही भाषा लिखी जा सकी ? देवनागरी में ‘कियाओं’ है, उर्दू में ‘इफआल’ है (‘फेन’ का बहुचक्तव्य ‘फ़ेलो’ हो जाता लेकिन तब तो वह हिन्दी व्याकरण के अनुसार होता !), देवनागरी में ‘पुल्लिंग’ है तो उर्दू में ‘मुजक्कर’ है, देवनागरी में ‘स्त्रीलिंग’ है तो उर्दू ‘मेरा मुवन्नस’ है ।

दूसरा उदाहरण लें—पृष्ठ १४ पर—“मुतकल्लम-हाजिर-गायब हालतो की मशक फेले-हाल के मुजक्कर मुवन्नस की सूस्तों में करा दी जाय ।” दोनों लिपियों में एक ही भाषा लिखने के इच्छुकों को देवनागरी में इसे यूँ लिखना पड़ता है—“उत्तम और मव्यम पुरुष की मशक वर्तमान-काल के पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के रूपों में करा दी जाय ।” दोनों वाक्यों में एक ‘मशक’ शब्द को छोड़कर कौन सा चिशेष शब्द समान है ? यदि ‘हम ‘अभ्यास’ की जगह इस ‘मशक’ शब्द को ही अपनी भाषा में जगह दें और हिन्दुस्तानी की खातिर ‘अ+यास’ को देश निकाला भी दे दें तब भी क्या इससे वह हिन्दी ‘हिन्दुस्तानी’ हो जाती है ?

‘ अभो अभी दक्षिण-भारत हिन्दो प्रचार सभा के १२वें-१३वें पदची-दान के अवसर पर जनाव सैयद अब्दुल्ला वरेलवा। साहब ने एक तकरीर फरमाई है । उसमें आपने दक्षिण-भारत हिन्दी प्रचार सभा को नेक सलाह दी कि वह अपना नाम ‘हिन्दी प्रचार सभा’ न रखकर ‘हिन्दुस्तानी प्रचार सभा’ में तबदील कर दे । आप फरमाते हैं—“हिन्दी नाम में पैटा होने वाले भ्रम को हटाने के लिये मैं अपनी अपील पर जोर दूँगा, खाम करके इसलिये कि मुझे यकीन है कि इस तबादले से मुसलमानों के मन पर अच्छा असर पड़ेगा ।” कुछ लोग कहा करते हैं कि नाम में क्या रक्खा है, लेकिन वरेलवा साहब नाम के तबादले से ही मुसलमानों के मन पर वहाँ अच्छा असर पैटा करने की उम्मीद करते हैं । आपने अपनी तकरीर में फरमाया है कि

देर के लिये रेडियो की हिन्दुस्तानी को छोड़ भी दिया जाय, तो क्या हिन्दुस्तानी वालों ने 'हिन्दुस्तानी' के नामकरण के विषय में कोई सिद्धान्त निश्चित किया है, क्या उन्होंने अपनी नीति प्रष्ट की है? नहीं। उनका गवर्नमेंट प्रत्येक हिन्दी शब्द और प्रत्येक उद्दू शब्द 'हिन्दुस्तानी' है, कोई शब्द गर्व-हिन्दुस्तानी नहीं, कोई शब्द ऐसा नहीं जो 'हिन्दुस्तानी' में न आ सकता हो। किंग 'हिन्दुस्तानी' क्या है? कोई व्यक्ति यह तो कह नहीं सकता कि जैसी हिन्दुस्तानी में लिप्तता हूँ यही 'हिन्दुस्तानी' है॥ ११। सिद्धांतों की अनुपस्थिति में कोई व्यक्ति अपनी हिन्दुस्तानी के नमूने में भाषा की सम्पूर्ण शब्दायली को रख भी नहीं सकता जिसने यह मिट जाय। परन्तु 'हिन्दुस्तानी' चाहिये अभी ही। सर्वस्तति कवि प्रकट होगी (और होगी भी या नहीं), कवि जनता 'हिन्दुस्तानी' का एक सर्वमान्य, निश्चित स्फुरण स्थिर करेगी—यह सब तो भविष्य की बातें हैं, परन्तु 'राष्ट्र भाषा हिन्दुस्तानी है', यह नारा लगानेवालों को और अपनी राष्ट्रीयता का ढोल पीटनेवालों को विभिन्न स्थलों पर प्रयुक्त करने के लिये एक 'राष्ट्र-भाषा हिन्दुस्तानी' चाहिये अभी ही। गावोजी, मौलाना आजाद, प० नेहरू, प० गोविन्द वल्लभ पत, श्रीमान्देहनलाल सक्सेना, आठि जैसी भी भाषा बोलें, उस सबको 'हिन्दुस्तानी' का नाम तो दे दिया, परन्तु इनने ने काम नहीं चलाना। सरकारी तीर ने प्रयुक्त करने के लिये भी तो एक हिन्दुस्तानी चाहिये। मौहसुके लिये हिन्दुस्तानी वालों ने एक अत्यन्त सरल और व्याप्तारिक फार्मूला तैयार कर लिया। यह यह कि जहाँ पहले से उदूँ नहीं बैठो हुईं

॥ इस मामले में हिन्दुस्तानी वाले गांधी जी की 'हिन्दुस्तानी' को भी आदर्श नहीं मान सकते। उन्हें गांधी जी का हिन्दुस्तानी-वाच प्रिय है, गांधी जी की 'हिन्दुस्तानी' नहीं। (और गांधी जी की हिन्दुस्तानी भी ऐसी हूँसक्ति है कि उन्हें अभी तक यथेष्ट उदूँ आती ही नहीं। वे उदूँ सीख रहे हैं, अभी उसमें पारंगत नहीं हुये।)

श्रीआनन्द कौसल्यायनजी ने कहा—

“फल और आज मैंने जो भाषण सुने, उनसे मुझे आशा की बनिस्वत निराशा ही अधिक हुई ।... ‘हिन्दी’ और ‘उदू’ शब्दों से तो मेरे दिमाग से कुछ अर्थ निकलता है, मगर ‘हिन्दुस्तानी’ क्या चीज़ है ?मुख्य प्रश्न लिपि का है ।..... मेरी समझ में नहीं आता कि एकता के नाम पर हम जो बात भाषा के नाम पर कहते हैं, वही लिपियों के बारे में क्यों न कहे ? एक भाषा की तरह एक लिपि का आग्रह हम क्यों न रखें ?”

श्रीसिद्धनाथजी पत ने कहा—

“लिपि के बारे में यह तय किया जाय कि जिसे जो लिपि पसन्द होजाय, उसे वह स्वीकार करे । दोनों लिपियों लाजिमी करने से प्रायदा न होगा । ‘राष्ट्रभाषा एक, राष्ट्रलिपि अनेक’ वाला नया नारा देश में काफ़ी गड़बड़ी करेगा । .. दक्षिण भारत में हमने पिछले २५-२६ वर्षों से देवनागरी के द्वारा प्रचार करते हुये वही सफलता पाई है, और हम देवनागरी के देशव्यापी प्रचार के कायल हो गये हैं । इसलिये हमें देवनागरी के द्वारा हिन्दुस्तानी का प्रचार करने को आजादी मिलनी चाहिये ।”

इस सम्मेलन में सौलाना सैयद सुलेमान नववी डा० जाफ़र हसन, श्रीसत्यनारायण, डा० अब्दुल हक और डा० नाराचन्द के बड़े लम्बे चौड़े भाषण हुये, जिनमें उन्होंने हिन्दुस्तानी भाषा की जवरदस्त बुलात की ।

इस सम्मेलन में दो ‘ठहराव’ पास हुये थे । पहला ठहराव प० सुन्दरलाल ने पेश किया—

“इस कान्फरेन्स की राय में हिन्दुस्तानी जबान को फैलाने और तरकी देने के लिये इस बात की जरूरत है कि हिन्दी जानेवाले उदू लिखावट को और उदू जानेवाले नागरी लिखावट को जल्दी से जल्दी सीख लें और जो लोग इन दोनों में से किसी को भी नहीं जानते, वह भी दोनों ही को सीखें, ताकि सब लोग हिन्दुस्तानी के रूपों—हिन्दी और उदू को—पढ़

प्रमिद्व है, बदल देगी। रेडियो के सर्वेसर्वा श्री ए० एम० बोकारी के सहोदर भ्राता श्री जट० ए० बोकारी ने (जो सेना की 'हिन्दुस्तानी' निर्मित करने के लिये नियुक्त हुये थे) भारतीय सेना की रोमन डर्दू का यथाविधि नमकरण 'रोमन हिन्दुस्तानी' कर दिया है, और अब यही नाम चलता है। यह सोचना बेघल दुगणा है कि केन्द्र की राष्ट्रीय सरकार इस 'हिन्दुस्तानी' में या बेन्द्र की सरकारी 'हिन्दुस्तानी' में कोई परिवर्तन करेगी। जिन्हें राष्ट्रीय सरकारों से बहुत आशा है, उनका स्वप्न भग करना आवश्यक है। युक्त-प्रान्त के पिछ्ले काग्रेसी मन्त्रिमंडल के समय में प्रान्तीय असेम्बली के एक सदस्य श्री चरणसिंह के एक प्रश्न के उत्तर में काग्रेसी पार्लामेन्टरी सेकेटरी ने फरमाया (७ फरवरी, १९३६), "अदालती भाषा हिन्दुस्तानी है, और सरकार दोनों लिपियों को समान महत्व देगी", अर्थात् काग्रेसी मन्त्रिमंडल ने अदालतों की भाषा में बेघल इतना 'सुधार' किया कि उसका नाम जो अभी तक उर्दू था बदलकर 'हिन्दुस्तानी' रख दिया, और गर्व के साथ युक्त-प्रान्त में उर्दू लिपि को अनन्त काल तक देवनागरी के समान महत्व देने की स्थिर धोषणा करके अपनी राष्ट्रीयता, निष्पक्षता एव न्याय-प्रियता का परिचय दिया। इन बातों में एक बड़ी गहरी चाल है। वह यह कि अगर नाम उर्दू रहेगा तो हिन्दी बाले माँग करेंगे कि हिन्दी क्यों नहीं, और इस प्रकार हिन्दुस्तानी बाली राष्ट्रीयता खटाई में पड़ जायगी, वस चट से नाम 'हिन्दुस्तानी' घर दो, कट गई हिन्दी बालों की माँग की जड़। और भाषा ? उसमें कोई परिवर्तन केसे किया जा सकता है ? मुसलमान जो रुष हो जायेंगे। और, हिन्दुओं में विरोध करने का साहस कहाँ। वे तो राष्ट्रीयता के शिक्कें में जकड़े हुये हैं (अगर कुछ कहे तो 'साम्प्रदायिक', 'तग-खयाल' न घोषित किये जायें ?)। और फिर हिन्दू तो इस भाषा को अब तक सहन करते ही आ रहे हैं, उन्हें अधिक से अधिक यह मालूम पड़ेगा कि कोई परिवर्तन नहीं हुआ, परन्तु मुसलमान तो कहेगे, 'यह हिन्दू राज है, हिन्दू रिकाइ-

परिशिष्ट ७

दक्षिण-भारत हिन्दी प्रचार सभा किधर ?

(लेखक—रविशंकर शुक्ल)

लगभग ३० वर्ष हुए, महात्मा गांधी ने एक राष्ट्र-भाषा और एक राष्ट्र-लिपि की आवश्यकता अनुभव की। उन्हें हिन्दी और देवनागरी क्रमशः राष्ट्र-भाषा और राष्ट्र-लिपि होने योग्य ज़र्ची। वे इस निष्कर्प पर देश की भाषा-स्थिति पर निष्पक्ष भाव से विचार करके पहुँचे। उस समय आज जैसा साम्प्रदायिकता का दौर दौरा नहीं था। गांधीजी ने दक्षिण को उत्तर से राष्ट्र-भाषा के बन्धन में बँधने के लिये दक्षिण-भारत हिन्दी प्रचार सभा की स्थापना की। इस सभा का उद्देश्य, जैसा कि इसके नाम से भी प्रकट है, दक्षिण भारत में राष्ट्र-भाषा हिन्दी और राष्ट्र-लिपि देवनागरी का प्रचार करना था। सभा अपने उद्देश्य में पूर्ण सफल रही है। अपनी रजत जयन्ती के अवसर पर आज दक्षिण-भारत हिन्दी प्रचार सभा अपनी जिन्दगी के पिछ्ले २५ वर्षों पर सन्तोष भरी दृष्टि डाल सकती है। अब सभा की जिन्दगी का दूसरा दौर—हिन्दुस्तानी बाला दौर—आरम्भ होना चाहता है, अर्थात् सभा अब गांधीजी की नई परिभाषा के अनुसार दक्षिण में हिन्दी और उद्दू दोनों और देवनागरी और फारसी लिपि दोनों का प्रचार करेगी, और राष्ट्र-भाषा सीखने के इच्छुक प्रत्येक दक्षिण-वासी को हिन्दी उद्दू दोनों और दोनों लिपियों सीखनी पड़ेंगी। इस दूसरे दौर के आरम्भ होने के अवसर पर सभा और हिन्दी के हितेपियों के विचार सभा के कार्य-कर्त्ताओं और सचिवालयों के सामने रखना अनुचित न होगा।

मुसलमानों को अप्रसन्न करने का साहस कर भी ले, परन्तु मौलाना आजाद, श्री आसफशर्ली और श्री रफीउद्दमद किंठवर्द्दे से किस प्रकार जिवटे ? ये लोग न कहने लगेंगे, “क्यों, क्या यही तुम्हारी असलियत है ?” काग्रेस में होने का वे इतना लाभ भी न उठावें ? पजात्र, सिन्ध, आदि में जो होना है सो तो ‘लीगी’ मुसलमान करते हैं, काग्रेस को तो ‘साम्प्रदायिक’ न होना चाहिये । उसे तो ‘नेशनलिस्ट’ मुसलमानों का “यान रखना ही चाहिये । वस, यही उदूँ वहाल रहेगी, केवल नाम ‘हिन्दुस्तानी’ घर दिया जायगा जिससे सदा के लिये ‘हिन्दी उदूँ’ का भगवान् खत्म हो जाय । सब जगह तक भी वही प० सुन्दरलाल या प० पत वाले दिये जायेंगे, अर्थात्, “कितने मुसलमान ऐसे हैं जो ‘धादी’, ‘प्रतिचादी’ समझते हैं, और कितने हिन्दू ऐसे हैं जो ‘मुद्र्द्देश’ ‘मुद्रालह’ नहीं समझते ? रेहियों का ऐसा कौन हिन्दू सुनने वाला है जो सुनते सुनते ‘आशार्या’, ‘स्यासी’ और ‘नामानिगर’ नहीं समझते लगा है, और ऐसे मुसलमान सुनने वाले कितने हैं जो ‘दशमलव’, ‘राजनीतिक’ और ‘रुचाद-दाता’ समझ लेंगे ? हिन्दी वालों की माँग ‘साम्प्रदायिक’ है, ‘अराष्ट्रीय’ है, फृट डालने वाली है, आदि ।” चलो छुट्टी हुई । अब तक चिदेशी सरकार ने उदूँ लाद रक्खी थी, किन्तु वही बड़ी आशायें थीं कि राष्ट्रीय सरकारें इस अन्याय को दूर कर जनता की हिन्दी को प्रतिष्ठित करेंगी । अब राष्ट्रीय सरकारें ही उदूँ का नाम ‘हिन्दुस्तानी’ घर कर, उस पर ‘राष्ट्रीयता’ की छाप लगा कर उसे जमी रहने देंगी । वोलो ‘राष्ट्र-भाषा हिन्दुस्तानी’ की जय ।

काग्रेस और हिन्दुस्तानी वालों की सरकारी नीति के अनुकरण पर और लोग भी ऐसा ही करते हैं । सब जगह लोग प्रायः यह प्रस्ताव करते

भाषा तेलगू, होगी, और उसकी शिक्षा प्रत्येक हैदरावादी के जिये उसी प्रकार अनिवार्य होनी चाहिये जिस प्रकार बृद्धिशा भारत में थ्रॅगरेज़ी की है । सट से उत्तर मिला, “क्या शुद्ध तेलगू, विना मराठी, तामिळ आदि मिलाये हुये ?”

परिशिष्ट ८

महाराष्ट्र में हिन्दी-हिन्दुस्तानी का संघर्ष वयों ?

(लेखक—ग० स० आपटे)

पिछले दिनों महात्मा गांधी के पूना में निवास करने तथा समय समय पर नेताओं के आगमन से राष्ट्रभाषा प्रचार कार्य में कुछ सशर्मी दिखाई देने लगी है। हिन्दी साहित्य सम्मेलन द्वारा सचालित राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति के हिन्दी प्रचार का कार्य यहाँ काफी अरसे से हो रहा है और पूना, तो उसका एक गढ़ सा बन गया है। राष्ट्रभाषा प्रचार की शिक्षाओं में महाराष्ट्र प्रात के काफी चिद्यार्थी परीक्षा देते और उत्तीर्ण होते आये हैं। महाराष्ट्र के अच्छे से अच्छे विद्वानों का इस कार्य में वरावर सहयोग रहा है, किन्तु जब से गांधी जी हिन्दी साहित्य सम्मेलन से अलग हुए हैं तब से हिन्दुस्तानी प्रचार सभा का भी काम यहाँ जोरो से शुरू हो गया है। महाराष्ट्र के काप्रेस नेता श्री शकरराव देव तथा ववई के भूतपूर्व प्रधान मन्त्री श्री वी० जी० खेर, श्री डत्तो वासन पोद्धार, आदि नेता और विद्वान हिन्दुस्तानी प्रचार सभा के काम में पूरा सहयोग दे रहे हैं, इससे इस ओर काफी प्रगति दिखाई दे रही है। पहले तो हिन्दुस्तानी प्रचार का काम यहाँ एकदम ठप्प सा हो गया था क्योंकि अकेले काका साहब कालेलकर कहाँ तक इसका भार बहन कर सकते थे, किन्तु जब से उसे देश की कुछ महान् शक्तियों का बल मिला है तब से हिन्दुस्तानी प्रचार के काम में चेतना आई है। इसका यह मतलब नहीं है कि राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के काम में किसी तरह की शिथिलता आ गई हो, किन्तु आज के बातावरण से वह

यह है उस हिन्दुस्तानी का स्वरूप जिसे गाढ़ीय अथवा चिटेशी, मरकारी, अर्ध सरकारी और गेर-मरकारी एजेन्सियों द्वारा हिन्दी प्रदेश पर बतौर मातृ-भाषा और प्रान्त-भाषा के और सारे देश पर बतौर राष्ट्र-भाषा के लादा जा रहा है। अखंकी फारसी का जो रेला 'हिन्दी' नाम ने रोक रखा था, वह गाधीजी, हिन्दुस्तानी वालों और कांग्रेस द्वारा खोले हुये 'हिन्दुस्तानी' के फाटक में से अर्हा कर हिन्दी सत्कृति और हिन्दी भाषा को गर्क करना चाहता है।

हमने ऊपर देखा कि किस प्रकार हिन्दुस्तानी आनंदोलन और 'हिन्दुस्तानी' वाली राष्ट्रीयता हिन्दी को राष्ट्रीय और प्रान्तीय जीवन के प्रत्येक विभाग से जड़ सहित निकाल रही है। उसके स्थान में या तो ६० प्रतिशत उर्दू वाली 'हिन्दुस्तानी' है (उदाहरण, घर्षा की हिन्दुस्तानी, विहार की हिन्दुस्तानी, युक्त-प्रान्त की हिन्दुस्तानी), या हिन्दुस्तानी नामधारी शुद्ध उर्दू है (उदाहरण, रेडियो, इन्फर्मेशन फिल्म्स, आदि की हिन्दुस्तानी)। उर्दू अपनी जगह पर वैसी ही स्थिर है। उसका वाल भी वॉका नहीं हुआ है और न हो सकता है। यह 'कामन भाषा', 'राष्ट्र-भाषा' केवल हिन्दी को चट कर जाना चाहती है। यह है हिन्दुस्तानी आनंदोलन का सच्चा स्वरूप। जो मुसलमान इस आनंदोलन के साथ हैं, वे इसलिये हैं कि उनकी उर्दू

की शिक्षा अनिवार्य कर दी। शीघ्र ही वह सब सिन्धी हिन्दुओं के लिये भी अनिवार्य कर दी जायगी। यह हिन्दुस्तानी कैसी है, यह घताने की ज़रूरत नहीं। परन्तु मज़े की बात यह है कि सिन्ध सरकार ने इस हिन्दुस्तानी के लिये केवल उर्दू लिपि रहाई। तर्क दिया, "क्योंकि यही लिपि सिन्धी लिपि से मिलती जूलती होने के कारण सिन्धियों के लिये सबसे चुगम है"। इस पर कांग्रेस वाले, हिन्दुस्तानी वाले सब चुप हैं। वे केवल विहार में कैथी जाननेवाले विहारियों के लिये या महाराष्ट्र में देवनागरी जानने वाले मराठियों के लिये हिन्दुस्तानी की लिपि केवल देवनागरी कभी न होने देंगे। घर्षों 'दोनों लिपि' अवश्य ढूँसी जायेंगी।

अराष्ट्रीय हो गया ! उनकी हिन्दुस्तानी की परिभाषा भी ‘कांग्रेस की परिभाषा’ हो गई ! क्या जोशीजी बतलाने को कृपा करेंगे कि कांग्रेस ने किस प्रस्ताव में राष्ट्रभाषा की परिभाषा ढी है, और क्या देश के पाकिस्तानी प्रान्त भी अब तक गांधी जी के कारण सम्मेलन को ‘खिराज’ देते रहे हैं और अब गांधी जी के हट जाने के कारण हिन्दुस्तानी प्रचार सभा को खिराज देने लगे हैं ? क्या जोशी जी को विश्वास है कि हिन्दुस्तानी की परिभाषा को पाकिस्तानी प्रान्तों ने मान लिया है, अथवा क्या उनके ‘सारे देश’ में ये प्रान्त और ये लोग शामिल हैं ही नहीं ?

जोशी जी कहते हैं कि महाराष्ट्र की राष्ट्रभाषा प्रचार समिति का हिन्दुस्तानी प्रचार सभा से सम्बन्ध नहीं है और उसकी परिभाषा भी अलग है। सम्बन्ध नहीं है तो हो जायगा । परिभाषा भी शीघ्र वही हो जायगी । इसीलिये तो वह सम्मेलन से अलग हुई है । परिभाषा में और पाठ्य-क्रम में परिवर्तन करते करते ही तो होगा । अभी तो पाठ आरम्भ हुआ है ।

विभिन्न प्रान्तों को राष्ट्रभाषा प्रचार समितियाँ अलग अलग होकर अलग अलग परिभाषा को मानकर चाहे जिस भाषा का अपने अपने प्रान्त में प्रचार करे, परन्तु वे उन्हें ‘राष्ट्रभाषा’ कैसे कह सकती हैं ? महाराष्ट्र की जोशी जी वालों राष्ट्रभाषा प्रचार समिति ही अपने आपको इस नाम से क्यों सम्बोधित करती है ? क्या उसे विश्वास है कि देश के हिन्दी प्रान्तों तथा अन्य प्रान्तों ने भी उसकी परिभाषा को मान लिया है ? जोशी जी के महाराष्ट्र ने यह कैसे समझ लिया कि हिन्दी प्रान्तों को अहिन्दी प्रान्त पर अपनी राष्ट्रभाषा लादने का अधिकार नहीं है लेकिन अहिन्दी प्रान्तों को हिन्दी प्रान्तों तथा अन्य प्रान्तों पर अपनी परिभाषा लादने का अधिकार है ?

हिन्दुस्तानी आन्दोलन से जो होना था सो हो रहा है । प्रत्येक प्रान्त की अलग अलग परिभाषा होगी, एक एक प्रान्त में दो-दो राष्ट्रभाषा प्रचार समितियाँ हो जायेंगी, और ‘हिन्दुस्थान’ की राष्ट्रभाषा खटाई में पड़ जायगी ।

२. हिन्दुस्तानी वालों की कारगुजारी

यह तो सबको मालूम ही है कि नियमित हिन्दुस्तानी चक्र-प्रवर्तनम् गाधीजी के फरवरी, १६४५ में वर्धा में हुये 'हिन्दुस्तानी प्रचार कान्फ़ेन्स' से हुआ। इस कान्फ़ेन्स का कुछ हाल परिशिष्ट ६ से मिल सकता है। इस कान्फ़ेन्स में गाधीजी ने यह विश्वास दिलाया कि "हिन्दी साहित्य सम्मेलन के खिलाफ़ कुछ काम न होगा", परन्तु शीघ्र ही स्वयम् गाधीजी ने 'मुखालफ़त' का श्रीगणेश सम्मेलन से त्याग-पत्र देकर कर दिया। वस, हिन्दुस्तानी वालों को शह मिली, और उन्होंने अपना प्रथम कर्तव्य अपने प्रतिद्वन्द्वी सम्मेलन को धराशायी करना समझ लिया। बडे बडे राष्ट्रकर्मी जो अब तक हिन्दी के प्रचारक और समर्थक थे रातों रात कलावाजी खाकर हिन्दुस्तानी के प्रचारक और समर्थक हो गये, और हिन्दुस्तानी के प्रति अपने नये उत्साह में हिन्दी के चिरोधी भी हो गये। सबसे पहला हमला दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा पर हुआ जिसकी अगवानी स्वयम् गाधीजी ने की। जो सभा पिछले २५ वर्षों से हिन्दी को राष्ट्रभाषा और देवनागरी को राष्ट्र-लिपि मान कर दक्षिण में हिन्दी और देवनागरी का प्रचार कर रही थी, २४ घटे के अन्दर अपनी २५ वर्ष पुरानी विचार-धारा त्यागने पर उतारू हो गई। अपनी रजत-जयन्ती के अवसर पर सभा ने अपने नये प्रोग्राम की नियमित घोषणा कर दी। इसी अवसर पर जयन्ती-समारोह के समाप्ति गाधीजी ने सभा को अपना पुराना नाम बदल कर 'दक्षिण भारत हिन्दुस्तानी प्रचार सभा' नाम धरने की सलाह दी। (श्रीयुत वरेलवी फूले न समाये होंगे!) हिन्दुस्तानी विचार-धारा के पीछे गाधीजी के अतिरिक्त लगभग आधे दर्जन व्यक्ति और हैं जिन्होंने देश पर हिन्दुस्तानी और दोनों लिपि लादने की जिद पकड़ ली है (इनमें प्रमुख हैं काका कालेलकर, प० सुन्दरलाल और डा० ताराचन्द)। जहाँ कहीं हिन्दुस्तानी की बकालत करने का मौका होता है, वहाँ ये सजन पहुँच जाते हैं और अपने विचारों से उपस्थित जनता को कृतार्थ करते हैं।

परिशिष्ट १०

महाराष्ट्र की राष्ट्रभाषा समस्या

(लेखक—श्रीगङ्गाधर इन्दूरकर)

“ हिंदुस्तानी प्रचार सभा के कार्यालय मन्त्री श्री श्रीपाद जोशी का एक पत्र ‘देशदूत’ के पिछले एक अक्तूबर में प्रकाशित हुआ था। उसमें जोशी जी ने महाराष्ट्र में इस समय होनेवाले राष्ट्रभाषा सम्बन्धी मतभेद की चर्चा करते हुये सम्मेलन को साम्प्रदायिकतापूर्ण कहने का प्रयत्न किया है। आपने जिस दृग से सम्मेलन के सम्बन्ध में अपने चिच्चार प्रकट किये थे उसके संबंध में मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता। हाल ही मेरे मैं अपने निजी काम से पूना गया था। रास्ते में चर्चा में भी रुका था। जब चर्चा में जोशीजी से मेरी मुलाकात हुई तब आपने कहा था कि हम लोगों ने अब यह निश्चय कर लिया है कि ‘सम्मेलन साम्प्रदायिक संस्था है’ इस बात का प्रचार किया जाय। क्या हम पूछ सकते हैं कि आप का यह निश्चय हिंदुस्तानी प्रचार सभा के किसी जिम्मेदार अधिकारी की अनुमति से हुआ है, या स्वयं उनके दिमाग की उपज है? आपके इस निश्चय से आपके कथन को कितना महत्व दिया जाय यह सोचने की बात है।

महाराष्ट्र में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा की परीक्षाओं द्वारा राष्ट्रभाषा हिंदी का काफी प्रचार हुआ है। प्रति वर्ष केवल महाराष्ट्र से राष्ट्रभाषा की परीक्षाओं में लगभग १४-१५ हजार विद्यार्थी बैठते हैं। महाराष्ट्र के कार्यकर्ता हिंदी का काम सम्मेलन के ही चिचारों के अनुसार करते हैं। महात्माजी के सम्मेलन से अलग होने के बाद भी महाराष्ट्र के लोग सम्मेलन के चिचारों

महान् यिद्वान् पोतदारजी को मराठी की रक्षा के विषय में और महाराष्ट्र के कांग्रेसी पत्रों की गण्डीयता की परिभाषा के विषय में कुछ गलतफहमी हुई हो, उनके लाभार्थ ३१-३-४६ के 'देशदूत' में प्रकाशित श्रीसूर्यप्रकाश के एक लेख का कुछ अश परिग्रह ११ में देख दिया गया है। अस्तु, हिन्दुस्तानी वालों ने महाराष्ट्र से सम्मेलन को निकाल बाहर करने में कुछ कसरनहीं उठा रखती है।

अब तीसरे हमले का हाल सुनिये जो लेखक को मालूम हुआ है। अभी हाल में लेखक ने आसाम गण्ट्र भाषा प्रचार समिति के मंत्री श्रीकमलनारायण ने एक पत्र लिखकर आसाम में हिन्दुस्तानी प्रचार का हाल पूछा था। उत्तर में उन्होंने लिखा कि आसाम की जनता हिन्दुस्तानी नहीं चाहती, वह हिन्दुस्तानी का विरोध भी करती है, परन्तु निष्क्रिय रूप से। उसके कुछ समय बाद लेखक ने उन्हें एक पत्र और लिखा। उसके उत्तर में श्रीकमलनारायण का जो पत्र आया (ता० १५-४-४६) वह आँखें रोलनेवाला है। उसका महत्वपूर्ण अश निम्नलिखित है—

“काका साहब ने श्रीगोविनाथ वरदले को ही अपना सिपहसालार बनाकर हमारी समिति पर बुरी तरह हिन्दुस्तानी का हमला चलाया। वे राष्ट्र-भाषा प्रचार समिति को हिन्दुस्तानी के चगुल में जकड़कर अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। वरदले उनके हाथों में कठपुतलों की तरह नाच रहे हैं। मेरे ऊपर राष्ट्रीयता के नाम पर तरह तरह के अत्याचार किये जा रहे हैं—फुसलाते हैं, धमकी भी देते हैं। काका साहब सरकार के साथ भी सॉथ-गॉथ जोड़ दुके हैं। मैं—सिर्फ़ मैं—अझा हूँ, नहीं तो यहाँ कव को लुटिया छब गई होनी। मैंने आज ही पू० आनन्दजी को तार दिया है।” “वे सरकारी ताकत का भय दिखाकर मुझमें हिन्दुस्तानी जैसी बोगस वॉर्भ भाषा का समर्थन कराना चाहते हैं। काका कालेलकर के इस अन्याय का मुकाबला तमें करना ही होगा।” “आप लोगों को मदद तो करनी हो है। कहिये किस तरह? मौका आ गया है।”

ओंगरेजों शब्द बुसते चले जा रहे हैं उस प्रकार जब हिन्दुस्तानी अर्थात् हिन्दी-उर्दू की लिंगव्हाड़ी के प्रभाव के कारण मराठी में उर्दू शब्दों का प्रवेश होगा, उस दिन पोतदारजी समझेंगे कि उन्होंने अपने हाथ से अपने पैर में कुल्हाड़ी मारी। जब महाराष्ट्र के लोग हिन्दुस्तानी के नाते देवनागरी और उर्दू लिपि दोनों सीख जायेंगे और महाराष्ट्र के मराठी भाषी मुसलमान उर्दू लिपि में मराठी लिखना आरभ्म करेंगे तब पोतदार जी के किये कुछ न होगा, और उनकी सन्तान उन्हीं को कोसेगी कि उन्होंने अपने हाथों हिन्दी-उर्दू का सा भगड़ा मराठी में उत्पन्न किया। पोतदार जी तथा मराठी के अन्य शुभचिन्तक भली भौति सोच देखें जिससे उन्हे बाद में पछताना न पड़े। हम हिन्दी वाले मराठी की परमोन्नति चाहते हैं और इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर महाराष्ट्र की हिन्दुस्तानी वाली राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति के कर्णधारों को यह चेतावनी देना अपना कर्तव्य समझते हैं। सस्कृत के द्वारा जिस प्रकार हमारे पुरुषों ने राष्ट्र की भाषा-एकता तथा सास्कृतिक एकता साधी थी, उसी प्रकार आज समेलन हिन्दी द्वारा भाषा तथा सास्कृतिकी एकता साधना चाहता है। यदि उनका यही विश्वास है कि राष्ट्रीय भाषा के अत्यधिक प्रचार से मराठी को हानि पहुँचेगी, तो इसके लिये हिन्दी का बाना उतार कर हिन्दुस्तानी का बाना धारण करने की जरूरत नहीं, और देवनागरी के साथ उर्दू लिपि का प्रचार करने की जरूरत नहीं। वे सरल हिन्दी का प्रचार करें। वही तांगे चालों की, और मजदूर किसानों की भाषा है। और देवनागरी तो वे मराठी की लिपि होने के कारण जानते ही हैं। यदि उनको उर्दू लिपि द्वारा विनाश का दीज बोना ही अभीष्ट है, तो उनकी इच्छा। इस लिपि-विभानन के फल को हम हिन्दी वाले तो भोग ही रहे हैं, वे भी चख देखें।”

महाराष्ट्र के काङ्रेसी पत्रों के चिपय में क्या कहा जाय? प्रत्येक पत्र का यह प्रमुख कर्तव्य होता है कि वह प्रत्येक घटना की खबर जनता को

कालेलकर श्रासाम गये और श्रीगोपीनाथ बरदले से मिलकर उन्होंने अपना चक्र चलाने का प्रयत्न किया। सीमा-प्रान्त में भी कांग्रेस सरकार है, परन्तु काका कालेलकर सीमा-प्रान्त जाफर डा० खान साहब के जरिये अपनी 'हिन्दुस्तानी' और देवनागरी का प्रचार कराने की बात कभी नहीं सोच सकते। वहाँ उन्हें क्या मिलना है! व्यवहार-कुशल और चतुर पटान एक भाषा और दो लिपियों के फौंने में आ ही कसे सकता है। यह गुण तो केवल हिन्दुओं में है कि राष्ट्रीयता में लपेटकर चाहे चिप की गोली दे दो, वे निगल जायेंगे। इसी कारण हिन्दुस्तानी प्रचार सभा, वर्धा की शाखायें भी पजाव, सीमा प्रान्त और सिन्ध में नहीं, काशी, प्रयाग, विहार, मध्य-प्रान्त, महाराष्ट्र और दक्षिण में स्थापित की जा रही हैं, और हिन्दू और हिन्दी प्रान्तों में ही हिन्दुओं के रूपये में हिन्दुओं द्वारा हिन्दुओं को उर्दू और उर्दू लिपि सिखाने का काम जोर शोर से हो रहा है। व्यवहार में हिन्दुस्तानी प्रचार केवल उर्दू और उर्दू लिपि का प्रचार है, क्योंकि जहाँ जहाँ हिन्दुस्तानी का जाल फैलाया जा रहा है वहाँ वहाँ हिन्दी और देवनागरी तो पहले ही ने है—केवल 'पूरी राष्ट्रीयता' का सार्टफिकेट लेने के लिये हिन्दी और देवनागरी जाननेवालों को उर्दू और फारसी लिपि सीखने के लिये उकसाया जा रहा है॥। जहाँ जहाँ उर्दू और फारसी लिपि पहले से हैं

॥ नवम्बर, १९४५ में बम्बई में बिड़ला-भवन में हिन्दुस्तानी प्रचार सभा के सदस्यों को आदेश देते हुए गांधीजी ने स्पष्ट कहा, वैसे तो सभा का उद्देश्य हिन्दी और उर्दू दोनों ही का प्रचार करके राष्ट्र-भाषा के रूप में हिन्दुस्तानी की स्थापना करना है, परन्तु जहाँ तक बम्बई, गुजरात और महाराष्ट्र, आठि प्रदेशों का सम्बन्ध है, नागरी लिपि का ज्ञान तो वहाँ के लोगों को ही ही, इसलिये उन प्रदेशों में उर्दू लिपि के अनिवार्य प्रचार का कार्य ही हिन्दुस्तानी प्रचार सभा के कार्य-कर्त्ताओं के सामने प्रमुख रूप से आता है। यह है हिन्दुस्तानी प्रचार सभा का वास्तविक, व्यावहारिक रूप और कार्य-क्रम, और यह है श्री श्रीमद्भारत्यग के इस कथन का अर्थ कि "गांधीजी का ज़ोर

हमारे इस प्रान्तीय सम्मेलन के द्वार पर आप सबने देखा होगा लिखा है 'जय हिन्द'। यह इस समय का हमारा राष्ट्रीय उद्घोष है। जिस प्रकार हम 'जय हिन्द' कहते हैं उसी प्रकार हमें 'जय हिन्दी' भी कहना चाहिये।

हम हिन्दी वाले वर्षों से प्रचार करते आये हैं कि चँकि हिन्दी राष्ट्रभाषा है इसलिए प्रत्येक हिन्दी को, प्रत्येक भारतवासी को इसे सीखना चाहिये। इस नई चिचारधारा ने जिससे हमें साधारण रहना चाहिये कहना शुरू किया है कि हिन्दी हिन्दुओं की भाषा है और उदूँ मुसलमानों की। यह ठीक है कि हिन्दी हिन्दुओं की भी भाषा है किन्तु हिन्दुओं की ही नहीं—और इसी प्रकार उदूँ भी मुसलमानों की ही नहीं। सर तेजवहादुर सप्त उदूँ के सुप्रसिद्ध समर्थक हैं। वे मुसलमान नहीं, काश्मीर के ब्राह्मण हैं। और अंजुमन तरकी-ए-उदूँ की मुख्य पत्रिका 'हमारी जवान' के सम्पादक भी श्री ब्रजमोहन ढत्तात्रेय हैं। उदूँ लिपि में आपका गोत्र ठीक ठीक लिखा ही नहीं जा सकता। कोई भी भाषा किसी धर्म की वृपौती नहीं। जो लोग हिन्दी को हिन्दुओं की भाषा कहकर और उसी प्रकार उदूँ को मुसलमानों की भाषा कह कहकर हिन्दुस्तानी के द्वारा हिन्दू मुसलिम ऐक्य के सम्पादन की बात करते हैं, मुझे भय है कि इतिहास ऐसे लोगों को माम्रदायिकता के असाधारण प्रचारक न सिद्ध करे।

'हिन्दी' के राष्ट्रभाषा होने पर एक और आपत्ति उठाई जा रही है। उसके गुण को उसका दोष कहा जा रहा है। वहा जाता है कि ऐसी भाषा ही राष्ट्रभाषा हो सकती है, जिसमें न स्कूल के शब्द हो, न अरबी फारसी के। यदि हमारी राष्ट्रभाषा को वह सब काम करने हैं जो आज दिन हम ऑंगरेजी के माव्यम से करते हैं तो ऐसी भाषा जिसमें 'न सत्कृत के शब्द हो न अरबी फारसी के, हमारे लिये तीन कौड़ी काम की भाषा होगी। हमें यह निर्णय करना ही होगा कि विशेष शब्द आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य होने पर कहाँ से लें? स्थाम में वैक को 'धनागार' कहते हैं और नोट को

इसका जिक्र पहले हो चुका है। कुछ हिन्दुस्तानी वाले साफ साफ ऐसा कहते हैं, और जो साफ साफ कहना नहीं चाहते (जैसे श्री श्रीमन्नारायण अग्रवाल) वे इशारे से कहते हैं। यह वोपरणा करके कि हमारा कार्यक्रम ही राष्ट्रीय है, हिन्दुस्तानी वाले अप्रत्यक्ष रूप से भी वह प्रदर्शित करते हैं कि जिनका कार्यक्रम इससे भिन्न है वे अराष्ट्रीय हैं। उनका लक्ष्य सम्मेलन होता है ॥। यह नारा कि सम्मेलन अराष्ट्रीय है, गाधीजी के भक्त तभी से लगाने लगे हैं जब से गाधी जी ने सम्मेलन से त्याग-पत्र दिया। उसी दिन से सम्मेलन 'अराष्ट्रीय' हो गया (गाधीजी की बात क्यों नहीं मानी ? यह क्या कम अपराध है ?), इससे पहले उन्हा सिद्धान्तों के होते हुये वह परम राष्ट्रीय था। यह याठ रखना चाहिये कि जब गाधीजी ने सम्मेलन से सहयोग करना आरम्भ किया, तब उन्होंने कहा था, "हिन्दी का काम मेरा अपना काम है। हिन्दी से स्वराज्य प्राप्ति में सहायता मिलेगी"। वे काफी लम्बी अवधि तक सम्मेलन के सदस्य रहे, अर्थात् तब तक उन्हें सम्मेलन के सिद्धान्त मान्य थे। वे सम्मेलन के समाप्ति भी हुये। उन्होंने ही इस चाक्याश को प्रचलित किया, "हिन्दी अथवा हिन्दुस्तानी"। उन्होंने दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा की स्थापना की। परन्तु विचार बदल जाने के कारण गाधीजी के सम्मेलन के त्याग-पत्र देते ही २४ घण्टे में सम्मेलन 'अराष्ट्रीय' हो गया। (गाधीजी के भारत के विभाजन और पाकिस्तान के विषय में भी विचार बदले हैं, परन्तु जिनके नहीं बदले हैं वे क्या अराष्ट्रीय हैं ?) अस्तु, यहाँ सम्मेलन की राष्ट्रीयता प्रमाणित करने को आवश्यकता नहीं। उसके लिये सम्मेलन के पिछले २५ वर्षों के सफल इतिहास की ओर इङ्गित करना यथेष्ट है। सम्मेलन के कारण हिन्दी का जो प्रचार हुआ है,

क्ष अंजुमन-ए-तरक्की-ए-उदौ^१ नहीं, जो उदौ^१ को राष्ट्र-भाषा मानता है। इस अंजुमन का कार्य ही तो हिन्दुस्तानी प्रचार सभा 'हिन्दुस्तानी' नाम से कर रही है। केवल सम्मेलन को गालियों सुनाई जाती है।

परिशिष्ट १३

‘हिन्दुस्तानी’ का वेदान्त

(लेखक—श्री सूर्य प्रकाश एम० ए०)

‘हिन्दुस्तानी’ के समर्थकों अथवा अर्ध-समर्थकों में एक दल ऐसे व्यक्तियों का है जो कल तक राष्ट्रभाषा हिन्दी के समर्थक थे, हिन्दी और देवनागरी छोड़ कर हिन्दुस्तानी या उदूँ लिपि का नाम नहीं लेते थे, शुद्ध हिन्दी और देवनागरी का प्रचार करते थे, परन्तु जिनका हृदय उनके मस्तिष्क से अधिक बलवान् था, और यदि उनका मस्तिष्क राष्ट्र और राष्ट्रीयता के साथ था तो हृदय गाधी के साथ था, और इस लिये जो आज अपने आप को हिन्दुस्तानी के कैम्प में खड़ा पाते हैं। परन्तु पुरानी आदतें जल्दी नहीं छूटतीं, और इसलिये वे अपने आप को नये वन्देवस्त में फिट करने में जरा दिक्कत महसूस करते हैं—हृदय और मस्तिष्क के बीच में एक सघर्ष का अनुभव करते हैं। इस सघर्ष को शान्त करने के लिये, अपने अतःकरण की आवाज को दवाने के लिये, अपने मन को सतोप देने के लिये अर्थात् अपने आप को धोखा देने के लिये उन्होंने एक ‘हिन्दुस्तानी वेदात’ की सृष्टि कर ली है। इस वेदात के अनुसार हिन्दी भी वही है, उदूँ भी वही है, हिन्दुस्तानी भी वही है—तीनों एक ही तत्व है अथवा एक ही व्रक्षन्तत्व के तीन नाम हैं, तीनों के उपासक एक ही गति को प्राप्त होते हैं, वस केवल आजकल हिन्दुस्तानी पूजा का अधिक माहात्म्य है और इस कारण उन्होंने अपने इष्ट-देवता (या आराध्य देवी ?) राष्ट्र भाषा का नाम भर ‘हिन्दुस्तानी’ रख लिया है। इस दर्शन का दर्शन कीजिये—

हिन्दी पढ़ रहे थे या पढ़ना चाहते हैं। उन्होंने अपनी हिन्दुस्तानी लादने का प्रयत्न केवल महाराष्ट्र, दक्षिण, बगाल, आसाम ऐसे प्रान्तों में ही किया जिनके निपासियों के लिये सबसे भरल हिन्दुस्तानी हिन्दी ही है और सबसे सुगम लिपि देखनागरी। यह 'राष्ट्रीयता' की कैसी परिभाषा है? हिन्दुस्तानी चालों को चाहिये तो यह था कि वे परपरागत हिन्दी का सौष्ठुद नष्ट करने का प्रयत्न न करते, और हिन्दी और उर्दू दोनों से काम लेते। इसके बजाय उन्होंने हिन्दी उर्दू में सौदा पटाकर 'हिन्दुस्तानी' गढ़ी जो न हिन्दी वालों को पगन्द है और न उर्दू वालों को, और चूँकि उनका उद्देश्य मुसलमानों को पटाना था, उन्होंने धीरे धीरे हिन्दुस्तानी को उर्दू का ही दूसरा रूप बना दिया और हिन्दी के मूल पर कुठाराघात किया। यह हिन्दुस्तानी चालों के कार्यक्रम की बात हुई। अब उनके सिद्धान्तों को लीजिये। प्राचीन, बहु-प्रचलित, स्वदेशी शब्दों को निकाल निकाल कर उनके स्थान में विदेशी शब्द भरना और उन्हें जनता पर लादना कहाँ की राष्ट्रीयता है? जनता में प्रचलित अरबी फारसी शब्द तो हिन्दी ने ले ही लिये है। प्राचीन, बहु-प्रचलित, वैज्ञानिक स्वदेशी लिपि के होते हुये उसकी छाती पर एक विदेशी लिपि बैठाना और उसे जनता पर लाडना कहाँ की राष्ट्रीयता है? एक निरक्षर देश में जहाँ की ६० प्रतिशत जनता को अपनी मातृ-भाषा का ज्ञान भी नहीं, प्रत्येक के लिये दो राष्ट्र-भाषाओं (हिन्दी और उर्दू) और दो राष्ट्र-लिपियों का ज्ञान अनिवार्य करना कैसी राष्ट्र-सेवा है? इससे तो केवल राष्ट्रभाषा-प्रचार का कार्य और कठिन हो रहा है, व्यावहारिक कठिनाइयाँ बढ़ रही हैं और गुस्तियाँ और उलझ रही हैं। यहाँ एक उदाहरण देना असगत न होगा। अखिल भारतीय सपादक मम्मेलन के पॉचवे अधिवेशन (फरवरी, १९४६) में एक सम्पादक ने प्रस्ताव पेश किया कि सम्मेलन की कार्वाई 'हिन्दुस्तानी' में होनी चाहिये। सम्मेलन में बहुमत 'राष्ट्रीय' पत्रों के सम्पादकों का ही था, परन्तु प्रस्ताव

अन्त में शर्मा जी लिखते हैं, “यही हिन्दी की खासियत है, उसका लोच है। वह काका जी की ‘सबकी बोली’ है, पू० बापू जी की हिन्दुस्तानी है, राष्ट्रपति आजाद साहब की कौमी जवान है और श्रद्धेय टडन जी की राष्ट्रभाषा है”, अर्थात् हिन्दी भी वही है, उदू० भी वही है (देखिये न ‘लोच’, ‘कौमी’ और ‘जवान’ वही तो दो शब्द हैं न जो ‘राष्ट्र’ और ‘भाषा’—जरा अन्त हृषि से देखिये !), और हिन्दुस्तानी भी वही है। यह है शुद्ध ‘हिन्दुस्तानी का वेदान्त’ (अफसोस, इसे श्रद्धेय टडन जी और राष्ट्रपति आजाद नहीं समझ पाते !)। इस वेदान्त की अन्तिम कड़ी शेष है—देवनागरी भी वही है, फारसी लिपि भी वही है। धैर्य धारणा कीजिये, इसको सिद्ध करने वाला शकराचार्य भी शीघ्र प्रकट हो जायगा।

(अक्टूबर, १९४६ की ‘सरस्वती’ से)

भी 'हिन्दुस्तानी' के पत्र में पढ़ लेता और समझ लेता ? स्पष्ट है कि यदि अँगरेजी का मफल विरोध करना है तो उसके बदले में एक ऐसी भारतीय भाषा देनी पड़ेगी जिसका स्वरूप अँगरेजी की भाँति काष्मीर में कन्या कुमारी तक और आसाम से सीमा-प्रान्त तक निश्चिन और एक हो, और इस भाषा का ऐसा नाम रखना पड़ेगा जिससे भारत के एक छोर से दूसरे छोर तक एक ही भाषा और उसके एक ही स्वरूप का बोध हो। वह भाषा 'हिन्दुस्तानी' नहीं है और चाहे जो हो।* अब प्रश्न यह होता है कि सम्मेलन में इस 'हिन्दुस्तानी' कार्बाई का रिकार्ड स्टेनोग्राफर किस लिपि में लेते, और सम्मेलन का अन्य कार्य किस लिपि में होता—देवनागरी में या फारसी लिपि में ? (और क्या फारसी लिपि में सब 'हिन्दुस्तानियों' का लिखना सभव होता ?) इससे क्या यह स्पष्ट नहीं है कि अँगरेजी की अकेली लिपि रोमन की भाँति अँगरेजी की जगह लेनेवाली भारतीय भाषा की भी केवल एक लिपि देवनागरी हो ! हन्दूरकरजी अपने लेख में आगे लिखते हैं,

* जितने हिन्दुस्तानीवाले हैं उतने प्रकार की हिन्दुस्तानियाँ हैं और उतने ही प्रकार की हिन्दुस्तानियों की कल्पना है। किसी हिन्दुस्तानीवाले ने कोई सा हिन्दी शब्द बदलकर उटूँ शब्द रख दिया और किसी ने कोई सा। वस्तुतः यदि सम्पूर्ण हिन्दी कोप और सम्पूर्ण उटूँ कोप मिलाकर रख दिया जाय तो वही प्रचलित 'हिन्दुस्तानियों' का कोप कहलाने का दावा कर सकेगा। एक अखिल भारतीय सम्मेलन में ऐसी 'हिन्दुस्तानी' अँगरेजी को केसे निकाल सकती है ?

। जिसमें रोमन की भाँति 'हिन्दुस्तानी' ही नहीं, सभी भारतीय भाषाओं के समाचार, आदि भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक भेजे जा सकें। अभी तो इस स्वेच्छा से रोमन को निकाल कर एक भारतीय लिपि को ही प्रतिष्ठित करना कठिन मालूम होता है। दोनों लिपि कैसे प्रतिष्ठित होंगी ? अथवा क्या हिन्दुस्तानी वाले विदेशी भाषा अँगरेजी को तो अपदस्थ करना चाहते हैं किन्तु विदेशी लिपि रोमन को नहीं ?

है ? इससे कौन सी समस्या हल होती है । हिन्दुस्तानी चाले स्वीकार करें या न करें, परन्तु इसमें सन्देह करने की अब कोई गुजाइश नहीं रही कि ‘हिन्दुस्तानी’ का उद्देश्य राजनीतिक दृष्टि से भाषा में साप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धात को छुसेड़ कर मुसलमानों को खुश करना है । परन्तु अफसोस ! यह उद्देश्य भी सफल नहीं हुआ, क्योंकि मुसलमान ‘हरिजनसेवक’ की ‘हिन्दुस्तानी’ को भी स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं । शायद अब १०० में ७५ शब्द उदूँ के रखवे जायें !—————और फिर पूरे १०० !!

‘हरिजनसेवक’ की ‘हिन्दुस्तानी’ में प्रायः हिन्दी शब्दों के आगे कोष्ठकों में उनके उदूँ पर्याय, और उदूँ शब्दों के आगे कोष्ठकों में उनके हिन्दी पर्याय दिये जाते हैं । इस प्रकार शब्दों के जोड़े दे कर हिन्दुस्तानी चालों ने स्वयं सिद्ध कर दिया है कि ‘हिन्दुस्तानी’ कोई अलग चीज नहीं, ऐसी कोई भाषा नहीं जो हिन्दी और उदूँ दोनों से भिन्न हो और सबकी समझ में आती हो, और ‘हिन्दुस्तानी’ कोई भाषा नहीं, वह हिन्दी और उदूँ सिखाने का सबक भले ही हो । उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि हिन्दुस्तान में ‘एतकाद’ ‘ताहरीक’ और ‘कफ्फारा’ जैसे शब्दों को कोषों में से छोट-छोट कर फिर उन्हें उनके पुराने, प्रचलित स्वदेशी पर्यायों द्वारा सिखाने का नाम ही ‘राष्ट्रीयता’ है ।

गांधीजी ने ‘उत्तर की बोलचाल’ का हवाला दिया । दक्षिण की बोलचाल क्यों छोड़ दी ? उत्तर में भी बगाल और आसाम को क्यों छोड़ दिया ? कौन सी भारतीय भाषा का ऐसा कौनसा शब्द है जो भारत के किसी न किसी भाग की बोलचाल में घर न कर चुका हो ? फिर भारत की राष्ट्र-भाषा में सब शब्दों को समान स्थान क्यों नहीं दिया जाता ? केवल ‘हिन्दी शब्द’ और ‘उदूँ शब्द’ ही क्यों ? कोष्ठक में केवल हिन्दी या उदूँ पर्याय ही क्यों दिया जाता है, सभी भारतीय पर्याय (जिनमें द्रविड़ पर्याय भी शामिल हैं) और अंगरेजी पर्याय भी (क्योंकि लाखों भारतीय, उत्तर में भी और दक्षिण

के लिये अकेली हिन्दी ही बोलना और सीखना कितना कठिन है। यू० पी० में दस साल रहने के बाद भी श्रीरामा राघ जैसे शिक्षित व्यक्ति के बल उतनी ही हिन्दी सीख सके जितनी उन्होंने यू० पी० के बाजारों और गलियों में सुनी, और वह भी दृटी फूटी। अहिन्दियों को राष्ट्र-भाषा के बधन में बँधने के लिये और उन्हें राष्ट्र-भाषा सीखने की प्रेरणा देने के लिये उन पर हिन्दी उद्दू दोनों या अपरिचित शब्दों से लटी हुई हिन्दुस्तानी, और दो लिपियाँ जिनमें से एक उनके लिये नितात अपरिचित हैं, लादना ज्यादा अच्छा होगा या केवल हिन्दी और देवनागरी ? किर इटूरकरजी लिखते हैं, “हिन्दु-स्तानी परिपूर्ण भाषा नहीं है, यह तर्क भी उपस्थित किया गया”। इस तर्क में क्या अत्युचित है ? साहित्य और समृद्धि की दृष्टि से अँगरेजी का सुकावला बेचारों हिन्दी भी नहीं कर सकती, हिन्दुस्तानी की जिसके साहित्य की कौन कहे, स्वरूप को भी रूप रेखा तैयार नहीं हुई है, क्या विसात है। अँगरेजी को निकालने के लिये अँगरेजी के समान समृद्ध भाषा देनी ही पड़ेगी। सोचना यह है कि अँगरेजी का सुकावला थोड़ी बहुत सफलता के साथ ही हिन्दी कर सकती है या ‘न अरवी फारसी न सस्कृन’ चाली ‘हिन्दु-स्तानी’ ? इन सब बातों के कारण यदि सम्पादक सम्मेलन के सभापति श्री तुपार कान्ति धोप ने कहा कि प्रस्ताव अव्यावहारिक है, बापस लिया जाय, तो अनुचित तो नहीं कहा। यह कठापि नहीं माना जा सकता कि सम्मेलन में ‘राष्ट्रीयता’ केवल प्रस्तावक और समर्थकों के पल्ले पड़ी थी, और जेव

छ जब मदरास के पिछ्के मंत्रि-मंडल ने स्कूलों में ‘हिन्दुस्तानी’ का विषय अनिवार्य किया तब उसी, के विस्तृ मदरासियों ने कठोर सत्याग्रह किया। वह हिन्दुस्तानी वर्धा की वर्तमान हिन्दुस्तानी की अपेक्षा हिन्दी अर्थात् तामिल और तेलगू के अधिक निकट थी। अब यदि वर्धा की हिन्दु-स्तानी और दोनों लिपियाँ अनिवार्य की गईं, तो उसका मदरास में और भी तीव्र विरोध होगा, इसमें संदेह नहीं। इस हिन्दुस्तानी-बाद से क्या राष्ट्र का हित होगा ?

परिशिष्ट १५

हिन्दुस्तानी का उद्गम

(लेखक—प० रामचन्द्र शुक्ल)

साहित्य जिसी जाति की रक्षित वाणी को वह अखंड परपरा है जो उसके जीवन के स्वतंत्र स्वरूप की रक्षा करती हुई जगत् की गति के अनुरूप उत्तरोत्तर उसका अतिरिक्तास करती चलती है। उसके भीतर प्राचीन के साथ नवीन का इस मात्रा में और इस सफाई के साथ मेल होता चलता है कि उसके दीर्घ इतिहास में कालगत विभिन्नताओं के रहते हुए भी वहाँ से वहाँ तक एक ही वस्तु के प्रसार की प्रतीति होती है। जब कि साहित्य व्यक्त वाणी या वार्गिकभूति का सचित भडार है तब पहले भाषा ही पर व्यान जाना स्वाभाविक है। व्यक्त वाणी का यह सचय असभ्य जातियों में तो केवल मौखिक रहता है, पर सभ्य जातियों में पुस्तकों के भीतर दिक्षाजत के साथ बद रखा जाता है। मौखिक अधिक समय तक स्थिर नहीं रह सकता, पर पुस्तकस्थ होकर हजारों वर्ष तक चला चलता है।

साहित्य की अखंड दीर्घ परपरा सम्यता का लक्षण है। यह परपरा शब्द की भी होती है और अर्थ की भी। शब्द परपरा भाषा को स्वरूप देती है और अर्थ परपरा साहित्य का स्वरूप निर्दिष्ट करती है। ये दोनों परपराएँ अभिन्न होती हैं। इन्हे एक ही परपरा के दो पक्ष समझिए। किसी देश की शब्द-परपरा अर्थात् भाषा कुछ काल तक चलकर जो अर्थ-विधान करती है वही उस देश का साहित्य कहलाता है। कुछ काल तक लगातार चलते रहने से शब्द-परपरा या भाषा को भी एक विशेष स्वरूप प्राप्त हो जाता है

को केवल मुसलमानों की। 'हिन्दी हिन्दुओं की भाषा है और उदू मुसलमानों की, यह प्रचार करने साम्प्रदायिकता तो हिन्दुस्तानी बाले फैला रहे हैं (देखिये परिशिष्ट १२)। वे शायद समझते हैं कि ऐसा करने से उनकी हिन्दुस्तानी की दीनइलाही के लिये रास्ता साफ़ हो जायगा। वे अपनी 'हिन्दुस्तानी' को आगे ठंलने के लिये हिन्दी और उदू को केवल साम्प्रदायिक भाषायें ही घोषित नहीं करते हैं, वरन् हिन्दी और उदू को एक दूसरे के समकक्ष रख देते हैं। जिस प्रकार राष्ट्रवादियों के लिये वह फैशन हो गया है कि वे अपनी गान्धीयता और निष्पक्षता प्रटर्णित करने के लिये एक ही साँस में मुस्लिम लीग और हिन्दू महासभा को कोर्स, दोनों को एक समान साम्प्रदायिक सम्प्रथायें घोषित करें, उसी प्रकार हिन्दुस्तानीबाले अपनी हिन्दुस्तानी के गुणों का व्यापार करने के लिये सस्कृत-निष्ठ हिन्दुस्तानी या हिन्दी और फारसी-निष्ठ हिन्दुस्तानी या उदू को एक ही साँस में कोसते हैं, और दोनों को एक समान साम्प्रदायिक करार देते हैं। जिस प्रकार कायेसी राष्ट्रवादियों को भारत को एक अखण्ड देश और भारतीयों को एक अखण्ड राष्ट्र माननेवाली हिन्दू महासभा और भारत के टुकडे टुकडे चाहनेवाली और भारतीयों को दो राष्ट्र मानने वाली मुस्लिम लीग में कोई अन्तर दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार हिन्दुस्तानी बालों को मुसलमानों के आगमन से भी पुरानी अपनी सस्कृत-निष्ठ परपरा पर आरूढ़ और अन्य भारतीय भाषाओं के समान सस्कृत-निष्ठ हिन्दी में, और जवर्दस्ती स्वदेशी शब्द निकाल कर अस्वाभाविक रूप से फारसी-निष्ठ की हुई हिन्दी अर्थात् उदू में कोई अन्तर नहीं दीखता। उनके लिये हिन्दी उदू दोनों एक समान दोषी हैं, और निर्दोष है उनकी ६५ प्रतिशत फारसी और ५ प्रतिशत सस्कृत वाली हिन्दुस्तानी (जो विभिन्न राष्ट्रीय प्रकरणों में चल रही है)। उनके लिये यह कहना फैशन हो गया है कि हिन्दुस्तानी वास्तव में पहले एक थी (कैसी थी यह नहीं बताया जाता), और वाद में एक और उसे हिन्दुओं ने

भी थी, जिसमें बहुत चलते स्वतंत्र शब्दों के साथ-साथ ठेठ घरेलू शब्द भी रहते थे।

यह तो हुई कविता और साहित्य की बत। सबसे अधिक ध्यान देने की बात यह है कि सर्वसाधारण मुसलमान जनता में इस्लाम के धार्मिक सिद्धान्तों के प्रचार के लिये चार सौ वर्ष पहले जिस भाषा का प्रयोग वे अपनी किताबों में करते थे, उसमें यहाँ के धार्मिक और राष्ट्रनिक पुस्तकों में आनेवाले इ द्रिय, विकार आदि शब्द तक भी कभी-कभी लाते थे—

(१) मराहना नेबाजना खुदा को बहुत कि घो पालनहारा है आलम का (शरह मरग बुल कल्लूब-शाह मीराँजी बीजापुरी सन् १४६५ के पहले) ।

(२) सवाल—यह तन अलाधा (अलहद.) वल्कि सततर (स्वतत्र) विकार रूप दिखता है। एक तिल क़रार नहीं ज्यां मरकट रूप।

जवाब—ऐ आरिक, जाहिर तन के फेल से गुजरया व नातिन करतव चिए ? दूसरा तन सो भी कि इस इन्द्रियन का विकार व चेष्टा करनहारा.. सुख-दुख भोगनहारा। जेता विकार रूप वही दूसरा तन .. । यह तन क़हम सूं गुज़रया तो गुन उसका क्यों रहे ?

(कलामतुल हक्कायक, शाह नुरहानुदीन बीजापुरी सन् १५८२)

उदूं के इतिहास-लेखक उदूं का उत्थान बीजापुर और गोलकुडा की दक्षिणी रियासतों से मानते हैं। वहाँ शीया मुसलमानों की अधिक वस्ती थी। इससे इमाम हुसैन की कथा को लेकर दक्षिणी उदूं के कवियों ने कई मसनवियों या प्रबन्ध-काव्यों की रचना की। इनमें से एक का नाम है ‘करबल-कथा’ (करबला की कथा)। यह ‘कथा’ शब्द भला आजकल उदूं में कभी जगह पा सकता है ? शृङ्गार की प्रेम-कहानियों की रचना भी दक्षिणी उदूं में बहुत कुछ हुई है। जैसे ‘वजही’ की ‘मसनवी कुतुब-मुश्तरी’ जिसकी पद्ध-रचना का रूप देखिए—

हो जायें—एक हिन्दुओं की और एक मुसलमानों को। इस साम्प्रदायिक कुपरिणाम का कुल उच्चरटायित हिन्दुस्तानी वालों पर होगा, ‘साम्प्रदायिक’ धोयित विये जाने वाले सम्मेलन पर नहीं।

(३) हिन्दी और हिन्दुस्तानी एक ही चीज़ हैं।

यदि ऐसा है, तो यह नव हिन्दुस्तानी की हाव तोवा क्या केवल नाम बदलने के लिये है ? वास्तविकता तो यह है कि हिन्दुस्तानी हिन्दी नहीं है, इसीलिये हिन्दुस्तानी की गट लगाई जा रही है। राष्ट्र-भाषा हिन्दी नहीं हो सकती (और राष्ट्र लिपि देवनागरी नहीं हो सकती), यह प्रदर्शित करने के लिये ही ‘राष्ट्र-भाषा हिन्दुस्तानी है’, यह नाम लगाया जा रहा है। ‘हिन्दी अथवा हिन्दुस्तानी’ को गाधी जी ने अब छोड़ दिया है (देखिये परिशिष्ट १२)। ‘जीवन-साहित्य’ में एक सम्पाठकीय लेख में श्री हरिभाऊ उपाध्याय राष्ट्र-भाषा हिन्दुस्तानी का समर्थन करते हुये लिखते हैं, “‘हिन्दी या हिन्दुस्तानी दोनों का एक ही मतलब है। जो माने आज हिन्दुस्तानी के किये जाते हैं वही किसी दिन हिन्दी के किये जाते थे। लेकिन आज, अगर हिन्दुस्तानी के नाम में ज्यादा सहूलियत है तो उसे मान लेने में क्या बुराई है ?” इस पर श्री भद्रन्त आनन्द कौसल्यापन ने ठीक ही आलोचना की है, “क्या सचमुच हिन्दी के स्थान पर ‘हिन्दुस्तानी’ स्वीकार करना नाम मात्र का ही परिवर्तन है ? क्या यह केवल सहूलियत की ही बात है ? आपने हिन्दुस्तानी पञ्च का जिस ढग से समर्थन किया है, हमें सन्देह है कि स्वयं यहात्मा जी को उस पर आपत्ति न हो”। वास्तव में बात यह है कि जो हिन्दुस्तानी वाले ‘हिन्दी और हिन्दुस्तानी एक ही चीज़ हैं’ का मत पढ़ते हैं, वे या तो हिन्दी वालों की अकृल बहुत कम कृतते हैं जो वे यह समझते हैं कि इस प्रकार हिन्दीवाले हिन्दुस्तानी के जाल में फँस जायेंगे या वे मुसलमानों की अकल बहुत कम कृतते हैं जो वे यह समझते हैं कि वे हिन्दी का नाम हिन्दुस्तानी रख कर उसे मुसलमानों से राष्ट्र भाषा के रूप में

सौदा की हिन्दी गजल—

निकल के चौखट से घर की प्यारे जो पट की ओभल ठिठक रहा है ,
 सिमट के घट से तेरे दरस को नयन में जी आ अटक रहा है ।
 अगिन ने तेरे विरह की जब से भुलस दिया है कलेजा मेरा ,
 हिये की घड़कन मैं क्या बताऊँ यूँ कोयला सा चटक रहा है ।
 जिन्हों की छाती से पार बरछी हुई है रन में वो सूरमा है ,
 पड़ा वो सावत मन मे जिसके विरह का काँटा खटक रहा है ।
 मुझे पसीना जो तेरे मुख पर दिखाई ढे है तो सोचता हूँ ,
 व क्योंकि सूरज की जोत आगे हर एक तारा छुटक रहा है ।
 हिलोरी यो लेती ओस की बूँद लग के फूलों की पखड़ी से ,
 तुम्हारे कानों मे जिस तरह से हर एक मोती लटक रहा है ।
 कहीं जो लग चलने साथ देता हो इस तरह का कठर है पापी ,
 न जानूँ पेड़ी की धूल मैं हूँ जो मुझ से मुल्ला भटक रहा है ।
 कभी लगा है न आते जाते जो बैठकर ढुक इसे निकालूँ ,
 सजन, जो काँटा है तुम्ह गली का सो पग में मेरे भटक रहा है ।
 कोई जो मुझमे य पूछता होय क्यों तू रोता है कह तो हमसे ,
 हर एक आँसू मेरे नयन का जगह जगह सिर पटक रहा है ।
 गुनी हो कैसा ही व्यान जिसका तेरे गुनों से लगा है प्यारे ,
 व्यान परवत भी है जो उसका तो छोड़ उसको सटक रहा है ।
 जो बाट मिलने की होय उसका पता बता दो मुझे मिरीजन ,
 तुम्हारी बटियों में आज वरसों से यह बटोही भटक रहा है ।
 जो मैंने 'सौदा' से जाके पूछा तुझे कुछ अपने भी मन की सुधबुध,
 य रोके मुझसे कहा किसी की लटक मे लट की लटक रहा है ।

सौदा के हिन्दी दोहे—

कारी रैन डरावनी, घर तें होई निरास ।

अभी हाल में विहार प्रान्तीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन के १६वें अधिवेशन के अवसर पर गण्डू-भाषा के स्वरूप के विषय में भाषण करते हुये वावू राजेन्द्रप्रसाद ने कहे थे कि उत्पन्न करने वाली वार्ता कही है। उन्होंने पहले कहा—“मैं इस बात को मानता हूँ कि हिन्दी ही भारत की गण्डू-भाषा है” (शायद ‘हिन्दी’ से उनका मतलब ‘खड़ी बोज़ी’ में था), और फिर उन्होंने हिन्दी को तीन चर्चाएँ—(१) साहित्य की भाषा, (२) समाचार पत्रों की भाषा, (३) बोलचाल की भाषा। उन्होंने कहा कि समाचार पत्रों की भाषा इच्छा साहित्य की भाषा से भिन्न होती है, और बोलचाल की भाषा एक तीमरे प्रकार की होती है, और अहिन्दी प्रान्तों में इसी तीसरी कोटि की भाषा राष्ट्र-भाषा के रूप में प्रचारित होगी। इस बोलचाल की भाषा को ही वे ‘हिन्दुस्तानी’ नाम से पुकारना चाहते हैं। इस प्रकार वावू राजेन्द्र-प्रसाद ने शुभा फिरा कर यही कहा कि हिन्दुस्तानी हिन्दी ही है। परन्तु जिन तीन कोटियों में उन्होंने हिन्दी को विभाजित किया, क्या वे केवल हिन्दी भाषा की विशेषताएँ हैं? विलायत के बाजारों में जो अँगरेजी बोली जाती है उसी में विलायत के अख्यार नहीं छृपते, और शेक्सपियर तथा मिल्टन ने उसी अँगरेजी में नहीं लिखा जिसमें अँगरेजी पत्र छृपते हैं, परन्तु क्या इस कारण किसी ने अँगरेजी को आधो दर्जन कोटियों में विभाजित किया अथवा क्या उनके भिन्न भिन्न नाम रखे? अँगरेजी बस अँगरेजी है। उसी प्रकार हिन्दी बस हिन्दी है और उसे विभिन्न कोटियों में नहीं बाँटा जा सकता, और न किसी कोटि की हिन्दी का ‘हिन्दी’ से भिन्न कोई नाम रखा जा सकता है। प्रत्येक भाषा में विषय और पाठकों

का सत्य हिन्दुस्तानी वाकों को न स्वेच्छा। भाषा के मामले में उनका युग-धर्म ‘हिन्दुस्तानी’ की त्रिवेणी खोद कर प्रकट करना है।

* देखिये अप्रैल, १९४६ की ‘राष्ट्र-भाषा’ और अप्रैल, १९४६ की ‘सरस्वती’।

होगी। मुहम्मदशाह के समय तक इस नई गढ़ी हुई भाषा का, जो पीछे उर्दू कहलाई, साहित्य-रचना के लिये प्रचार न हो सका था, इसका आभास हिंदी के सूझी कवि नूरमुहम्मद ने अपनी उस पुस्तक में दिया है जो उन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ 'इद्रावती' के पीछे लिखी। पुस्तक का नाम है 'अनुराग-बॉसुरी'।* नूरमुहम्मद के समय से मुसलमान देश की प्रचलित भाषा, हिंदी से किनारा खींचने लगे थे और मुसलमानों के लिये फारसी में रचना करना ही जायज समझने लगे थे। 'इद्रावती' लिखने पर उन्हें उनके मुसलमान भाइयाँ ने यह कहकर फटकारना शुरू किया कि 'तुम मुसलमान होकर हिंदी में क्यों लिखने गए।' इसी से बेचारे को 'अनुराग-बॉसुरी' में अपनी सफाई इन शब्दों में देनी पड़ी—

जानत है वह सिरजनहारा । जो किछु है मन मरम हमारा ॥

हिंदू-मग पर पाँव न राखेड़ । का जौ बहुतै हिंदी भाखेड़ ॥

जिसे उर्दू कहते हैं उसका उस समय साहित्य में कोई स्थान न था, यह नूरमुहम्मद के इस कथन से साफ भलकरता है—

† कामयाब कहै कौन जगावा । फिर हिंदी भाखै पर आवा ॥

छाँडि पारसी कट न बातै । अरुभाना हिंदी-रस-बातै ॥

जनता से अपने को विल्कुल अलग दिखाने के लिये मुसलमानों ने ही अपने लिये विदेशी ढाँचे की एक अलग भाषा, और साहित्य खड़ा किया, यह इतनी प्रत्यक्ष बात है कि किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। उर्दू की प्राचीनता दिखाने के लिये टक्किवनी शायरों की जो लवी सूची मानने लाई गई है उसमें कोई हिंदू भी है † शायद एक या दो। और जाने दीजिये, 'आवे हयात' ही उठा लीजिये। उसमें सब के सब शायर मुसलमान ही तो हैं। अब और सबूत क्या चाहिए? इतने पर भी न जाने किस मुँह से यह

* यह पुस्तक अप्रकाशित है।

† नूरमुहम्मद फारसी की रचनाओं में अपना तख्लुस 'कामयाब' रखते थे।

प्रमाण यह भी है कि श्रीहरिभाऊ उपाध्याय ने तो लिपि के मामले का जिक्र भी किया, परन्तु कुशल राजनीतिज्ञ वा० राजेन्द्रप्रभाट ने अपने भाषण में

भागों में समझी जानेवाली एक सरल राष्ट्र-भाषा का निर्माण किया जाय ।” वास्तव में भाषा-निर्माण ही तो हिन्दुस्तानी बालों का पेशा है—भाषा स्वयं बनती है यह तो कभी कहने की बात है। इसीलिये वर्धा की हिन्दुस्तानी-गढ़-कमेटी, विहार की हिन्दुस्तानी-गढ़ कमेटी, आदि हिन्दुस्तानी बालों ने स्वयं स्थापित की हैं, और इसीलिये वे रेडियो की हिन्दुस्तानी-गढ़-कमेटी में विराज रहे हैं। और चूँकि ‘स्वयभू’ राष्ट्र-लिपि नहीं हो सकती, इसलिये बगाल, पजाब (?), मद्रास, आदि देश के विभिन्न भागों में सबके गजे के नीचे दो लिपियाँ उतारी जा रही हैं। (२) उन्होंने कहा कि अगर मैं हिन्दुस्तानी का पक्षपाती हूँ तो मेरी हिन्दुस्तानी का स्वरूप कठिन दुरुह उदूँ नहीं और न कठिन सस्कृतमय हिंदी है। परन्तु क्या विशेषण ‘कठिन’ हटा देने से उदूँ उदूँ नहीं रहेगी और हिंदी हिंदी नहीं रहेगी और दोनों एक चीज़ ‘हिन्दुस्तानी’ हो जायेगी, अथवा क्या इस विशेषण के न रहने से उदूँ अफारसीमयी और हिंदी अस-स्कृतमयी हो जायगी? सीधा भी बात तो यह है कि उनकी हिन्दुस्तानी है हिंदी+उदूँ। (३) “राष्ट्र-भाषा का सुगम होना ज़रूरी है। दुरुह और कठिन हिन्दी को मैं हिन्दुस्तानी नहीं मानता”। हम तो दुरुह और अनावश्यक रूप से कठिन हिंदी को केवल भ्राष्ट हिंदी मानते हैं। ‘साहित्य’ के स्थान में ‘अद्वय’ और ‘राजनीति’ के स्थान में ‘स्यासत’ धर देने से कठिन और दुरुह हिन्दी सरल राष्ट्र-भाषा थोड़े ही हो जायगी। कठिन और सरल हिंदी के बीच में कहीं रेखा नो नहीं खींची जा सकती, फिर भी क्या जैसी हिंदी वे चाहते हैं, उसे वे हिन्दी के पहले विशेषण ‘सरल’ लगाकर नहीं पुकार सकते? ‘हिन्दुस्तानी’ नाम धरके क्यों अंति और मगड़ा पैदा करते हैं? जो कुछ भी हो, जैसी हिन्दी को वे ‘हिन्दुस्तानी’ पुकारना चाहते हैं, क्या उसी को सुसलमान स्वीकार करने को तैयार हैं? (४) “तेक्कगृ और फांटियर के भाई भी जिसे समझ सके वही भाषा राष्ट्र-भाषा है। साहित्य सम्मेलन की ओर से इस राष्ट्र-भाषा का जब विरोध होता है तो मुझे बड़ा अक्सोस होता है”। यदि कोई ऐसी राष्ट्र-भाषा होती तो मगड़ा ही क्यों होता? मद्रास और

परिशिष्ट १६

युक्त-प्रान्त की अदालतों की भाषा

(लेखक—रविशकर शुक्ल)

कुछ दिन हुए, लखनऊ विश्वविद्यालय की इंगलिश लिटरेरी सोसाइटी के सामने भापण करते हुये युक्त-प्रान्त के न्यायमन्त्री डा० काटजू ने कहा। “If I had the power to enact laws I would prohibit the use of even a syllable of English in the Courts.” (“यदि मेरे हाथ में कानून बनाने की शक्ति हो तो मैं अदालतों में अँगरेजी के एक शब्दाश के भी प्रयोग का निपेध कर दूँ।”) यदि यह शक्ति अभी उनके हाथ में नहीं है तो शीघ्र ही आने वाली है, और हमें आशा तथा विश्वास है कि वे यथासम्भव अर्थात् जहाँ तक हमारी अपनी भाषा से काम चल सकता है वहाँ तक अँगरेजी, अँगरजी शब्दों और गोमन लिपि को अदालतों से निकालने में कसर न उठा रखेंगे। परन्तु क्या हम पूछ सकते हैं कि अदालतों में फ़ारसी और अरबी शब्द, फ़ारसी मुहावरे और गेली और फारसी लिपि निकालने के विषय में उनके क्या चिनार हैं और इस विषय में वे क्या करने का इरादा रखते हैं? अँगरेजी, अँगरेजी शब्दों और गोमन लिपि को यिदेशी और इसलिये बहिष्कारन्योग्य और उनके प्रयोग को ‘symbol of our slavery’ (उनके भापण से उद्युत) बताने परन्तु अरबी-फ़ारसी शब्दों और लिपि को स्वदेशी और उनके प्रयोग को ‘symbol of our freedom’ बताने की चेष्टा तो शायद वे न करेंगे। उन्होंने अपने उसी भापण में आगे कहा, “The Englishman’s love

करना नहीं है। वह तो केवल राष्ट्र-भाषा होगी। हिन्दी वाले शुद्ध हिन्दी में लिखने और बोलने के लिये स्वतंत्र होंगे।

‘लोकभाषी’ में एक लेख में (दिसम्बर, १९४५ की ‘हिन्दी’ में उद्धृत) श्रीकाका कालेलकर लिखते हैं, “हम जो राष्ट्र-भाषा का प्रचार करने वाले हैं हमारी भी अपनी अपनी जन्मभाषा यानी स्वभाषा है। उसे शुद्ध रखने का, उसकी परपरा संभालने का और उसका साहित्य समृद्ध करने का हम भी प्रयत्न करते रहते हैं। मराठी का ही उदाहरण लीजिये। वृषभ-राज के प्रारम्भ के दिनों में जब मिशनरियों ने मराठी द्वारा अपना धर्म प्रचार करने के लिये उस भाषा में बोलना और लिखना शुरू कर दिया तब उन्होंने मराठी का स्वरूप बहुत कुछ विगाड़ा। उस समय हम लोगों ने मिशनरियों का ऐसा धोर विरोध किया कि उन्होंने फिर मेराठी का वैसा अपराध करने की हिम्मत नहीं की। गुजराती में भी जब कभी किसी ने गुजराती की शैली विगाड़ी है तब गुजरात के लोगों ने अपनी भाषा शुद्धि के लिये कुछ न कुछ आवाज उठाई है। अत. हम लोग हिन्दी की स्वाभाविक शैली को विगाड़ने का प्रस्ताव हरगिज नहीं करेंगे। हिन्दी साहित्य की जो परपरा तुलसीदास, सूरदास, कबीर, भूपण, रसखान, रहिमन, आदि लेखकों द्वारा प्रवृत्त हुई है, उसे तोड़ने का प्रयत्न हमसे कभी भी नहीं होगा। भाषा हर एक जाति का आत्मिक धन है। भाषा-शुद्धि का आग्रह चरित्र-शुद्धि के आग्रह के समान ही है।”

विचार तो बहुत ठीक है*, परन्तु क्या उनके अनुसार कार्य हो रहा है? क्या वास्तव में ‘राष्ट्र-भाषा हिन्दुस्तानी’ का आनंदोलन हिन्दी, जो हमारी जन्मभाषा यानी स्वभाषा है, को स्वाभाविक शैली को नहीं विगाड़

* चलो, काका जी को इस पुस्तक के प्रथम खण्ड में हिन्दी की शैली को परिष्कृत और शुद्ध करने के विषय में जो कुछ कहा गया है, उसके विरुद्ध कुछ कहने की गुजाइश नहीं रही।

ये सब जनता के करने की नहीं, सरकार के करने की वातें हैं। जनता को यह कहकर धोखा नहीं दिया जा सकता कि सरकार ने तो हिन्दी को उट्ठूँ के समकक्ष रख दिया है, हिन्दी में काम करने की छूट दे दी है, फिर जनता हिन्दी में काम क्यों नहीं करती? सोचने की वात यह है कि जनता हिन्दी में अधिक सुविधा का अनुभव करते हुए भी अदालती काम हिन्दी में क्यों, किस कारण, नहीं करती अर्थात् नहीं कर पाती और जनता की सरकार का क्या कर्तव्य है। यदि हमारे माननीय मंत्री आये दिन ऑगरेजी का मौखिक चिरोध और किसी अनजानी और अज्ञात 'हिन्दुस्तानी' की चकालत करके सस्ती नामचरी हासिल करने के बजाय शोड़ी साझे दिमागी से काम लें, स्पष्ट बोलें, स्वयं आदर्श रखें और अपने करने का काम पूरा करें, तो ऑगरेजी और भूठी हिन्दुस्तानी को हटाकर सच्ची हिन्दुस्तानी को अपना पद प्राप्त करने में ज्यादा आसानी हो।

दालना है, और दुसरे का उद्देश्य हिन्दी का धीरे धीरे जहर देकर मारना है। पहले पहले हमले को लीजिये। यह पहले बतलाया जा चुका है कि किस प्रकार 'हिन्दुस्तानी' हिन्दी को अपने घर से ही निकाल रही है, और किस प्रकार हिन्दी का नाम प्रातीय भाषाओं की सूनी में से ही काटा जा रहा है, और उसका न्याय 'हिन्दस्तानी' का दिया जा रहा है। यह सब इसी कारण सभज है कि 'हिन्दुस्तानी' हिन्दी की ही एक शैली है। उटाहरण के लिये, यदि 'हिन्दुस्तानी' हिन्दी से भिन्न कोई भाषा होती, तो रेटियो के लिये हिन्दी ने एक दिन भी समाचार ब्राइकास्ट न करना असम्भव हो जाता—उसी प्रकार जिस प्रकार 'हिन्दुस्तानी' में समाचार ब्राइकास्ट होने पर भी उसके लिये बंगला में समाचार ब्राइकास्ट न करना असम्भव है। अब यह कौन कह सकता है कि हिन्दी प्रान्तों में और केन्द्रीय प्रकरणों में हिन्दी को स्वाभाविक शैली का अस्तित्व है? (और यह कौन कह सकता है कि हिन्दी चाला को इस 'हिन्दुस्तानी' को छुनने के लिये मजबूर करके हिन्दी की स्वाभाविक शैली को नहीं बिगड़ा जा रहा है—वहाँ पर भी जहाँ उसका अस्तित्व शेष है?) अपने अपने प्रान्त में अपनी अपनी जन्म भाषा यानी स्वभाषा का बोल वाला है, वेचारे हिन्दी चालों के प्रात में 'राष्ट्र-भाषा हिन्दुस्तानी' का बोलवाजा है। केन्द्र में भी सबकी जन्मभाषायें यानी स्वभाषायें हैं, वस केवल हिन्दीचालों की हिन्दी नदारद है॥ । इस हमले की वारीजी को समझ लेना चाहिये। यह हमला फ़िलटाल सब कामकाज में हिन्दी को निकाल, 'हिन्दुस्तानी' बैठा कर

॥ क्या काका कालेलकरजी और उनके साथी हिन्दुस्तानी वाले हम हिन्दी चालों से मिलकर रेडियो से यह कहने को भी तैयार हैं कि वह 'हिन्दुस्तानी' में जो कुछ ब्राइकास्ट करके हिन्दी की स्वाभाविक शैली को बिगड़े सो बिगड़े, परतु हिन्दी की स्वाभाविक शैली में भी समाचार ब्राइकास्ट करे? देखें, इसी कसाई पर काका कालेलकरजी का 'तुजसीदास, सूरदास, कबीर, भूपण, रसखान, रहिमन द्वारा प्रवृत्त हिन्दी की स्वाभाविक शैली और परम्परा' के प्रति प्रेम खरा उत्तरता है या नहीं।

दर्शन, इतिहास) की तो हिन्दी और उर्दू को उच्च से उच्च पारिभाषिक शब्दावलियों इस समय भी मौजूद हैं, और एक दूसरे से सर्वथा भिन्न हैं। और लिपियाँ तो भिन्न हैं ही। साराश यह कि शिक्षा-मन्त्री की योजना के सफल हो जाने के बाट भी हिन्दी और उर्दू की पाठ्य पुस्तकें उच्च पारिभाषिक और वैज्ञानिक शब्दों को छोड़कर वास्तव में हिन्दी और उर्दू में ही होंगी। इन सब बातों की रोशनी में लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रत्तावं का यह अर्थ निकलता है - शिक्षा के माध्यम दो हों हिन्दी और उर्दू, लिपि दो हों, पाठ्य-पुस्तकें हिन्दी और उर्दू में छोपें, परन्तु कलास एक हो और अध्यापक एक हो, शेष अव्यापक पर छोड़ दियो जाय—जिस तरह उसे एक ही कलास में एक ही घन्टे में दोनों माध्यम बालों को पढ़ा मिले उस तरह वह पढ़ावे, अर्थात् वह केवल खड़ी बोली की क्रियायें बोलने के लिये बाव्य हो, उनके साथ वह चाहे हिन्दी शब्दों का प्रयोग करे चाहे उर्दू शब्दों का — चाहे वह 'अनुचाद' कहे, चाहे 'तरजुमा', चाहे 'विज्ञान', चाहे 'साइंस', चाहे 'राजनीति', चाहे 'स्थासत' चाहे 'दशमलव' चाहे 'आशारिया', आदि, और बोर्ड पर चाहे जिस लिपि में—देवनागरी या फ़रसी लिपि—में लिखे ('हिन्दुस्तानी') के अँगरेजी शब्दों की कानूनी सीमा बोधने के बाट और रोमन लिपि का कानूनन बहिष्कार करने के बाट सहस्रों शब्दों के दो दो पर्याय और दो लिपियों तो पिर भी बच नहेंगी न) । ॥

* सयुक्त-प्रान्त के शिक्षा-मन्त्री श्रीसम्पूर्णनन्द जी द्वारा संयोजित संयुक्त-प्रान्त के विश्वविद्यालयों के बहस-चांसलरों की यह काफरेन्स २ अगस्त, १९४७ को हो गई। इस काफरेन्स को बुक्काने की घोषणा शिक्षा मन्त्री ने मार्च में की थी, हुई यह अगस्त में और इस बीच में भारत का विभाजन हो चुका था और उसके बाद यह भी सुनाई पड़ने लगा था कि सयुक्त-प्रान्त की सरकार ने हिन्दी को राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित करने का निश्चय किया है, अतः आशा की जाती थी कि यह काफरेन्स अब 'हिन्दुस्तानी' का बजेडा समाप्त कर हिन्दी को प्रान्त के विश्वविद्यालयों की शिक्षा का माध्यम बनाने

विना हिन्दियों के सहयोग के नहीं फल फूल सकता, इसलिये 'हिन्दुस्तानी' की सफलता के लिये वे उसे प्रथम हिंदी प्रान्तों की राजभाषा बनाना चाहते हैं*। अब कल्पना कीजिये—हिंदी प्रान्तों में राज-व्यवहार में सब तरफ 'हिंदु-

* इसी कारण वे केन्द्र में, जैसे रेडियो में, हिन्दुस्तानी को प्रान्तीय भाषाओं (जिनमें हिन्दी उदूँ भी शामिल हैं) के अतिरिक्त बत्तौर राष्ट्रभाषा के नहीं बरन् बत्तौर एक प्रदेश अर्थात् हिंदी प्रान्तों की भाषा के प्रयुक्त करना चाहते हैं। रेडियो से अन्य प्रालीय भाषाओं में खबरें होती हैं, हिंदी और उदूँ में नहीं। उनकी जगह 'हिन्दुस्तानी' है। क्यों? इसलिये कि आज आज हिन्दी और उदूँ में भी खबरे होने लगें तो 'हिन्दुस्तानी' की खबरें कौन सुनेगा, उन्हें सुननेवाला कौन रह जायगा? इसी कारण सर अकबर हैदरी की रेडियो कमेटी में डा० ताराचन्द ने 'हिन्दुस्तानी' के 'Experiment' (प्रयोग) की सफलता के लिये हिन्दी और उदूँ में खबरें न देना आवश्यक करार दिया। वे 'हिन्दुस्तानी' को पहले एक प्रान्तीय भाषा मनवाना चाहते हैं ताकि उसकी जड़ जम जाय। यह बात दूसरी है कि सरकार ने भी लाखों व्यक्तियों द्वारा निश्चित हिन्दी और उदूँ गैलियों का जन्मसिद्ध अधिकार छीनकर डा० ताराचन्द और उनके आधे दर्जन साथियों की अभीष्ट 'हिन्दुस्तानी' को प्रतिष्ठित करना उचित समझा, अथवा लाखों व्यक्तियों की माँग से डा० ताराचन्द की माँग को अधिक महत्व दिया। इसमें सरकार का खुद अपना स्वार्थ है। क्या है, यह रेडियो की नीति से परिचित हिन्दीवाले भलीभांति जानते हैं। केन्द्र में हिन्दुस्तानीवालों की आज चल रही है; हिन्दी प्रान्तों में अब धावा बोला जा रहा है। आज कहा जा रहा है, हिन्दी उदूँ में खबरें और अन्य सरकारी प्रोग्राम बाढ़कास्ट नहीं हो सकते (हाँ, वज्रील ताराचन्दी रेडियो कमेटी के, उनका उद्देश्य 'हिन्दी उदूँ' के साहित्यिक प्रोग्राम जैसे कविता-पाठ, आदि बन्द करना नहीं है'—देखिये न!), कोई केन्द्रीय व्यवहार हिन्दी उदूँ में नहीं हो सकता—केवल 'हिन्दुस्तानी' और प्रान्तीय भाषाओं में होगा; कल कहा जायगा कि युक्त-प्रांत, बिहार, आदि में हिन्दी या हिन्दी उदूँ दोनों को राज-व्यवहार में कोई स्थान नहीं मिल सकता, केवल 'हिन्दुस्तानी' चलेगी, हाँ, हिंदी उदूँ में साहित्य रचना और कविता पाठ नहीं रोका जायगा।

(उदाहरण के लिये गणित के सबाल को पहले देवनागरी में हल करके फिर उसे उदूर्दि लिपि में हल करना पड़ेगा), और पढ़ाना लगभग असम्भव हो जायगा, (४) यदि शिक्षा-विभाग की ओर से बोलते हुये (Talkie) शिक्षा-फिल्म तैयार किये जायें, तो या तो प्रत्येक फिल्म अलग अलग हिन्दी और उदूर्दि में बनाया जाय (या फिर प्रत्येक हिन्दी शब्द के साथ उदूर्दि पर्याय और प्रत्येक उदूर्दि शब्द के साथ हिन्दी पर्याय बोला जाय जो लगभग असम्भव है), या किसी निश्चित अनुपात में कुछ फिल्म हिन्दी में तैयार किये जायें और कुछ उदूर्दि में, इत्यादि, इत्यादि।

इन सब बातों का क्या अर्थ है और उनका क्या परिणाम होगा, अब इस पर हिन्दी बालों के दृष्टि-कोण से विचार कीजिये। इनका अर्थ है कि चूंकि हिन्दी प्रान्तों में कुछ लोग ऐसे हैं जो उदूर्दि माध्यम की मौँग करते हैं, इतना ही नहीं कि हिन्दी बालों के पैसे से ही उनके लिये अलग उदूर्दि माध्यम का प्रबन्ध कर दिया जाय, बल्कि हिन्दी बालों को यह भी अविकार नहीं रहा कि उनके बच्चे अन्यभाषा-भाषियों की भाँति शुद्ध हिन्दी के माव्यम द्वारा सीधी-सादी तौर से शिक्षा प्राप्त कर सकें—इतना ही नहीं कि उदूर्दि को भी वही अधिकार दे दिये जायें जो हिन्दी को दिये जायें, बल्कि हिन्दी चिकुत की जाय, उसकी 'हिन्दुस्तानी' की जाय, और 'हिन्दुस्तानी' के नाम पर इ-गलिस्तानी प्रतिष्ठित की जाय (हिन्दी-उदूर्दि के द्वन्द्व से बचने के लिये अँगरेजी से शब्द लेकर, जबकि इनमें से अधिकाश शब्द अन्य प्रान्तीय भाषाओं में देशी स्त्रोतों से बनाये जायेंगे, और 'हिन्दुस्तानी' की बला सिर पर सचार न होती तो हिन्दी में भी देशी स्त्रोतों से बनाये जाते), और सम्भवत हिन्दी की वर्तमान शब्दावली की भी काट-छोट करके उदूर्दि शब्दों को मिलाकर ('समझौते' के लिये) एक कामन शब्दावली बनाई जाय। और उदूर्दि लिपि के कारण हिन्दी शब्दों का उच्चारण भ्रष्ट किया जाय। जबकि अन्य प्रान्तों के बालक के बल अपनी अपनी प्रान्तीय भाषायें मीखकर उच्च से उच्च

हिन्दू अब भी कच्चटरियों और ढफ्टरों में भरे हुये हैं। कुछ अपनी अवस्था का अनुभव कर अब पश्चात्ताप कर रहे हैं और अपने वाप-टार्डों को कोस रहे हैं, और कुछ हिन्दुस्तानी बालों के मुखिया बन बैठे हैं (कारण स्पष्ट है)। बास्तव में उद्दू के पिछले सौ वर्ष लम्बे अखरड़ राज्य में हिन्दी प्रातों (मुख्यतः युक्त-प्रात) के हिन्दूओं और हिन्दू-सस्कृति का जो घोर पतन हुआ है, वह कई सौ वर्ष लम्बे मुस्लिम-शासन और फारसी के राज्य में भी नहीं हुआ था। क्यों? इसीलिये कि उद्दू हिन्दी की ही एक विकृत शैली होने के कारण हिन्दी का नाश करने में फारसी की अपेक्षा कहीं अधिक समर्थ थी। जनता को वह इतनी दुरुह नहीं मालूम पड़ी जितनी फारसी, उसका विदेशीपन धीरे धीरे भूलने लगा और अन्त में बहुत में उमे ही बास्तविक हिन्दी मानने लगे। आज भी उद्दू को ही बास्तविक हिन्दी वा हिन्दुस्तानी मानने वाले मौजूद हैं, और वे ही युक्त-प्रात में हिन्दुस्तानी बालों के ढल का सचालन कर रहे हैं। अच्छा, हिन्दी का उत्थान कब से आरम्भ हुआ? जब से उस पर योड़ी बहुत राज-कृपा हुई और वह स्कूलों में पढाई जाने लगी। और देवनागरी का प्रचार तब से बढ़ा जब महामना मालबीव जी के उद्योग में राजमार्या उद्दू को पाजामा के साथ साय धोती भी पहनाने का हुक्म हुआ (उसका भी कितना विरोध हुआ—डा० ताराचन्द और प० सुन्दरलाल के पूर्वजों की ओर से ही!) किर भी वीस-पचीस वर्ष पहले तक स्कूलों में हिन्दी पढ़नेवाले छात्रों की सख्ता उज्जलियों पर गिनी जा सकती थी। कक्षा में हिन्दी बाले छात्रों की सख्ता होती थी पॉच्च, और उद्दू बाले छात्रों की सख्ता होती थी पचास जिनमें से चालीस हिन्दू होते थे और उस मुसलमान। यह सब उद्दू के राज्याश्रय के कारण हुआ। आज भी जो कायस्थ बच्चे स्कूलों में प्रथम भाषा उद्दू पढ़ते देखे जाते हैं, वह केवल उद्दू के राज्याश्रय के ही कारण, क्योंकि वैसे एक हिन्दू बच्चे के लिये हिन्दी के मुक्काबले उद्दू में रत्ती-

अपनाया था और वह जिस रास्ते पर चल रही थी, उससे प्रकट था कि 'हिन्दुस्तानी' माध्यम के दूसरे अर्थ पर जोर दिया जाता; और काग्रेसी सरकारें 'हिन्दुस्तानी' माध्यम के नाम पर हिन्दी की सुन्नत करके उसे दोनों लिपियों में हिन्दी प्रातों में शिक्षा के माध्यम के पठ पर प्रतिष्ठित करती। श्री सम्पूर्णनिन्द का 'हिन्दुस्तानी' की पारिभाषिक शब्दावली गढ़ने के लिये संयुक्त-प्रान्त के विश्वविद्यालयों के बाइस-चान्सलरों की कान्फ्रेंस का आयोजन करना इस और एक कदम था। विभिन्न प्रातों में विभिन्न प्रातीय भाषायें शिक्षा का माध्यम होतीं, पजाब, झीमा-प्रात और सिन्ध में उदूँ शिक्षा का माध्यम होती परतु हिन्दी कही शिक्षा का माध्यम नहीं होती—हिन्दी प्रातों में भी नहीं। इस ज्ञेत्र से हिन्दी का अस्तित्व उठ जाने के बाद अन्य सब ज्ञेत्रों से हिन्दी का अस्तित्व रचत उठ जाता क्योंकि जब जड़ ही सूख जाती तो पत्ते हरे कैसे रह सकते थे।

२

परन्तु अब परिस्थिति बिलकुल बदल चुकी है। देश के विभाजन के बाद कांग्रेस के हिन्दुस्तानीबाद के लिये कोई गु जाइश नहीं रह गई है। अधिक कहने की जरूरत नहीं। भारतीय विधान-न्यायिपद की कांग्रेस पार्टी ने हिन्दी और देवनागरी को राष्ट्र भाषा और राष्ट्र-लिपि बनाने के पक्ष में फैसला देकर इस मत्य को स्वीकार कर लिया है। हमें खेड़ अवश्य है कि कांग्रेस की आँखें खोलने के लिये देश के विभाजन जैसी हृदय को बिटीर्ण करने वाली और कलेज ममोमने वाली घटना की जरूरत पड़ी। अस्तु, अब हिन्दुस्तानी-बाद का सर्वथा अन्त हो जाना चाहिये। इसके बाद अब हिन्दी प्रान्तों में शिक्षा के माध्यम के रूप में केवल हिन्दी और उदूँ पर विचार करना। ऐप रह जाना है। परन्तु हिन्दी प्रांतों में माध्यमिक और उच्च शिक्षा के लिये हिन्दी और उदूँ दोनों माध्यम के रूप में स्वीकृत नहीं का जा सकती। कारणों की ओर ऊपर इशारा किया जा चुका है। चाहे दोनों माध्यम बाज़ों

फेसले, सरकारी सूचनायें, इत्यादि 'अद्व' सुना सुनाकर उसे प्रचलित कर देंगी, तब हिन्दी की स्वाभाविक शैली में ही क्या 'साहित्य' के स्थान में 'अद्व' न आ बेठेगा ? अर्थात् जिस प्रकार राजभाषा उर्दू ने हिन्दी में विदेशी शब्द छुसेड़े, बोलचाल में विदेशी शब्द छुसेड़े (यहाँ तक कि दिल्ली और लखनऊ की शिक्षित वर्ग की बोलचाल ही उर्दू हो गई), और अब राजभाषा अँगरेजी एक नितान्त भिन्न भाषा होते हुये हिन्दी में विदेशी शब्द छुसेड़ रही है, बोलचाल में विदेशी शब्द छुसेड़ रही है (यहाँ तक कि शिक्षित वर्ग की बोलचाल ही आधी हिन्दी आधी अँगरेजी या इंग्लिस्तानी हो गई है), क्या उसी प्रकार राजभाषा 'हिन्दुस्तानी' शिष्ट समाज की बोलचाल की भाषा नहीं हो जायगी, और हिन्दी की स्वाभाविक शैली को नहीं ले छवेगी ? कहने का तात्पर्य यह है कि हिन्दी प्रान्तों में राज-व्यवहार की भाषा 'हिन्दुस्तानी' होने पर साहित्य में भी हिन्दी नहीं रह सकती । हिन्दी पर 'हिन्दुस्तानी' के पहले प्रकार के आक्रमण का यही रहस्य है । इस आक्रमण का अन्तिम सर्ग होगा हिन्दी प्रान्तों में शिक्षा का माध्यम 'हिन्दुस्तानी' बनाना (आरम्भ हो चुका है—देखिये परिशिष्ट १७) । उस सर्ग की समाप्ति पर केवल कुछ शोध-विद्यार्थी प्राचीन हिन्दी साहित्य का स्वकृत साहित्य की भाँति अध्ययन करेंगे । हिन्दी भाषा का विषय ही न रहेगा, और यदि रहेगा भी तो 'हिन्दुस्तानी' भाषा के विषय को, यदि वह अनिवार्य न हुआ तो भी (यद्यपि राष्ट्रभाषा के नाते वह सबके लिये अनिवार्य होगा), प्रथम भाषा के रूप में लेने वाले विद्यार्थियों की सख्त्य के मुकाबले में हिन्दी भाषा के विषय को लेने वाले विद्यार्थियों की सख्त्य उँगलियों पर गिनने लायक होगी—उसी प्रकार जिस प्रकार बीस-पचीस वर्ष पहले तक उर्दू लेने वालों के मुकाबले में हिन्दी लेने वालों की सख्त्य नगण्य थी । वस, हिन्दी की स्वाभाविक शैली का इतना ही अस्तित्व शेष रहेगा । (और इस स्वाभाविक शैली का स्थान लेने

इ जोनियरों, मुसलमान वैज्ञानिकों और अन्य मुसलमान टेक्निकल व्यक्तियों की सूची बनाने का काम सौंपा है जो पाकिस्तान की सेवा करने को तैयार है) ने स्पष्टता प्रोपित कर दिया है कि पाकिस्तान के सब विश्वविद्यालयों (अर्थात् ढाका विश्वविद्यालय का भी) की शिक्षा का माध्यम उदूँ होगा, और यह भी कहा है कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय का भी माध्यम उदूँ होगा । सिन्ध के शिक्षा-मंत्री ने बताया है कि कराची विश्वविद्यालय की शिक्षा का माध्यम तो उदूँ होगा हो, सिन्ध में, और पाकिस्तान भर में, माध्यमिक शिक्षा का भी माध्यम उदूँ होगा और उदूँ का विषय प्राथमिक स्टेज से ही सबके लिये अनिवार्य होगा, अलवत्ता प्राथमिक शिक्षा मातृ-भाषा के माध्यम से टी जायगी (यह देखना बाकी है कि प्राथमिक शिक्षा के लिये ही हिन्दी भी माध्यम के रूप में स्वीकृत की जाती है या नहीं) । सिन्ध सरकार ने हिन्दुओं की शिक्षा-संस्थाओं को, जो सभव था हिन्दी को शिक्षा का माध्यम बनाती, स्पष्ट धमकी दी है कि यदि उन्होंने माध्यम के विषय में सरकारी नीति का अनुकरण न किया तो सरकारी मदद बिलकुल बन्द कर दी जायगी, और यह भी घोषित कर दिया गया है कि सिन्ध की जो भी शिक्षा संस्था, चाहे उसे सरकार एक पैसे की भी मदद न देती हो, कराची विश्वविद्यालय से अपना सम्बन्ध नहीं जोड़ेगी, (अर्थात् जो उदूँ को शिक्षा का माध्यम नहीं बनावेगी), उसे सरकारी स्वीकृति (recognition) प्राप्त नहीं होगी । यहाँ यह बताना जरूरी है कि पाकिस्तान ने उच्च शिक्षा का माध्यम केवल एक रखकर अनुचित नहीं किया है । सभी उन्नति-शील और प्रजातात्त्विक देशों में जहाँ एक अत्यस्तुत्यक दल को खुश करने के लिये उसके साथ विशेष व्यवहार करना और उसे भिर पर चैठाना राष्ट्रीयता नहीं समझा जाता, ऐसा हो होता है । अमरीका की 'ही मिसाल दी जा सकती है, जहाँ जर्मन, डच, फ्रांसीसी, अँगरेज़ आदि सभी नागरिकों की शिक्षा का माध्यम केवल एक, अँगरेजी, है । राष्ट्रीय

अन्य वाग्म्यामों में तैयार की जा रही है, उससे हिन्दी की स्वाभाविक शैली को बेसा ही खतरा है जैसा मिशनरियों की मराठी में मराठी की स्वाभाविक शैली को उत्पन्न होगया था। इसका जिक पहले किया जा चुका है। प्रश्न किया जा सकता है कि उदूँ भी तो हिन्दी की एक शैली है, उसके प्रभाव से हिन्दी की स्वाभाविक शैली को बचाने के लिये क्या किया जा रहा है। ठीक है, हिन्दी पर उदूँ का भी तुरा प्रभाव पढ़ा है और आगे और पड़ेगा। हम उससे भी हिन्दी को बचाने के लिये प्रयत्नशील रहते हैं। इस पुस्तक का प्रथम भाग इसी दिशा में एक कदम है। इस उदूँ को भी हिन्दी की एक अस्वाभाविक शैली मानते हैं (जो विणिप्ट जनों में प्रचलित है), और हम उसका प्रचार नहीं करते। परन्तु उदूँ और 'हिन्दुस्तानी' में बड़ा भारी अन्तर है। उदूँ शैली अपनी भिन्न लिपि के कारण आगे बढ़ी। यदि हिन्दी एक भिन्न लिपि में न लिखी जाती तो भाषा भी भिन्न न होती। परन्तु जहाँ के भिन्न लिपि ने एक भिन्न शैली को जन्म दिया, वहाँ उसने उस शैली को हिन्दी की स्वाभाविक शैली से पृथक् भी रखा। जिन्होंने उदूँ शैली में लिखना चाहा उन्होंने उसे फारसी लिपि में लिखा, यहाँ तक कि फारसी लिपि 'उदूँ लिपि' कहलाने लगी। लिपि ने एक पार्थिव वाघा का कास किया। लिपि के कारण हिन्दी उदूँ के अत्यधिक प्रभाव से बच गई, और

रूप ले। 'जिन बातों में सब जमातों और फिर्कों के लोग एक राय हैं उन्हें चमकाने की कोशिश करेगा'। पता नहीं, 'नया हिन्द' की विभिन्नजाह—'हिन्दुस्तानी वोली और दोनों लिखावट'—पर ही 'सब जमातों और फिर्कों के लोग' प्रक्रमत हैं या नहीं, हाँ, प्रयाग में हिन्दुस्तानी वालों का एक लाउड-स्पीकर अवश्य लग गया।

('नया हिन्द' का प्रकाशन आरम्भ हो गया है और उक्त अनुमान की पुष्टि भी हो गई है। इसकी 'हिन्दुस्तानी' है उदूँ जिसमें, श्रीमद्बन्धुश्रावनन्द कौसल्यायन के शब्दों में, '‘दीच दीच में कुछ हिन्दी वाक्य हैं जो देवनागरी से शुद्ध और उदूँ लिपि में शुद्ध नहीं लिखे जा सके हैं’।)

और लिपि-समस्या (जो 'हिन्दुस्तानी' के भग्नेते के बाट भी ज्यों की त्यों रहती है) का एक मात्र व्यावहारिक और राष्ट्रीय हल, तथा देश के विभाजन से उत्पन्न होने वाली परिस्थिति का तकाजा यह है कि हिन्दी प्रान्तों में माध्यमिक और उच्च शिक्षा का माध्यम केवल हिन्दी होनी चाहिये। जो गैर-सरकारी शिक्षा-संस्था ऐसा करना स्वीकार न करे, उसे न सरकार मदद दे और न उसे सरकार स्वीकृत (recognise) करे।

(२) माध्यमिक स्टेज से हिन्दी के शिक्षा का माध्यम होने का अर्थ है कि हिन्दी भाषा का विषय प्राथमिक (primary) स्टेज से ही सबके लिये अनिवार्य हो (अन्यथा माध्यमिक स्टेज में हिन्दी के माध्यम से शिक्षा कैसे दी जायगी?), और कम से कम माध्यमिक स्टेज के अन्त तक (आजकल के इन्टरमीजिएट तक) सबके लिये अनिवार्य रहे, और तदपुरान्त आजकल की 'जेनरल इंजिलिश' का भौति 'साधारण हिन्दी' का विषय सब के लिये अनिवार्य हो।

(३) विशेष परिस्थितियों में प्राथमिक शिक्षा के लिये उदूँ, बंगला, आदि के माध्यम का भी प्रबन्ध किया जा सकता है। परन्तु हिन्दी भाषा का विषय फिर भी सबके लिये अनिवार्य होगा। अवश्य ही यह उदूँ, बंगला, आठि के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों पर एक अतिरिक्त बोझा होगा, और परिणामस्वरूप अधिक से अधिक विद्यार्थी हिन्दी माध्यम से ही प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करना चाहेगे। यह बाल्कनीय है।

(४) उदूँ भाषा और संहित्य का विषय माध्यमिक स्टेज से वैकल्पिक विषयों को सूची में रखा जाय। बंगला, पंजाबी या अन्य प्रान्तीय भाषायें भी माध्यमिक स्टेज से वैकल्पिक विषयों की सूची में रखी जायें।

(५) रेडियो के स्कूली प्रोग्राम, शिक्षा-फिल्म, आदि सब 'हिन्दी' में हो और वर्तें।

(६) आजकल संयुक्त-प्राप्त में ऐंगलो-चर्नाक्यूलर स्कूलों में छात्रों के लिये

गलत है कि 'हिन्दुस्तानी' में उर्दू की मी वही हानि होगी जो हिन्दी की। यह पहले कहा जा चुका है कि गण्ड-भाषा 'हिन्दुस्तानी' केवल हिन्दी को खा जाना चाहती है। उर्दू 'हिन्दुस्तानी' के दोनों प्रकार के हमलों में इसलिये सुरक्षित है कि ऐसा कोई माईं का लाल नहीं जो पजाब, सीमा-प्रान्त, आदि उर्दू प्रान्तों में उर्दू के स्थान में 'हिन्दुस्तानी' (और दोनों लिपि) को गजभाषा बनाए सके, और दूसरे प्रकार के हमले से उर्दू अपनी लिपि के कारण सुरक्षित है क्योंकि उर्दू-लिपि में हिन्दी के अधिकांश संस्कृत शब्द लिखे ही नहीं जा सकते। यह पहले बतलाया जा चुका है कि जो 'हिन्दुस्तानी' उर्दू लिपि में प्रकट होती है, वह शुद्ध उर्दू से भिन्न नहीं होती। इसका कारण बहुत हद तक उर्दू लिपि है। उर्दू में कुछ भिन्न हिन्दुस्तानी केवल देवनागरी में प्रकट होती है, क्योंकि उसी में प्रकट हो सकती है। उर्दू वाले एक तो वेसे ही हिन्दी नहीं जानते और न जानने की पर्याप्ति करते हैं (वरन् उससे वृगणा करते हैं), दूसरे उनकी लिपि की अपूर्णता एवं अवैज्ञानिकता हिन्दी के विरुद्ध एक अतिरिक्त किले का काम करती है। हिन्दी के साहित्यिक ही उर्दू सीखते हैं और वे ही 'हिन्दुस्तानी' की धुन में हिन्दी में उर्दू शब्द भरकर हिन्दी को विकृत कर सकते हैं। अतः सब प्रकार में 'हिन्दुस्तानी' केवल हिन्दी की दुश्मन है। इसका प्रमाण दिया जा सकता है। 'हिन्दुस्तानी' के प्रभाव से केवल हिन्दी उर्दू शब्दों से लड़ती जा रही है, जब कि उर्दू पहले की भौति विशुद्ध है। 'हिन्दुस्तानी' ने हिन्दी के साहित्यिक ही हिन्दी में छीने हैं, उर्दू के नहीं (आज 'हिन्दुस्तानी' लिखने वालों में किनने उर्दू लेखक दिखाई देते हैं ! और जो दिखाई देते हैं उनकी हिन्दुस्तानी कथा उर्दू से भिन्न है !), हिन्दी के साहित्यिकों पर ही हिन्दुस्तानी वाले टबाघ ढाल रहे हैं। सम्मेलन त्याग कर कितने ही हिन्दी वाले 'हिन्दुस्तानी' की नेना में भरती हो गये, परन्तु अजुमन-तरकी-उर्दू से किमी ने त्याग-पत्र नहीं दिया। हिन्दी प्रचारकों को ही पकड़-पकड़ कर 'हिन्दुस्तानी' की

उत्तर-परिशिष्ट १

रोमन लिपि का जयजयकार

(लेखक—रविशंकर शुक्ल)

हिन्दुस्तानी-बाद पर दृष्टिपात करते हुए प्रसिद्ध भाषा-वेत्ता डा० सुनीति कुमार चट्टर्जी ने एक बार कहा था, “गांधी जी के ‘दोनों लिपि’-बाद के परिणाम-स्वरूप वे बल रोमन लिपि वा जयजयकार होने वाला है।” मालूम पड़ता है कि उनकी भविष्यवाणी सत्य होने जा रही है। इन पक्षियों का लेखक पाठकों का ध्यान दो बातों की ओर प्रभुत्व रूप से खींचना चाहता है—पाठक स्वयं उनसे निष्कर्ष निकाल लें।

. १

यह सबको मालूम है कि हमारी वर्तमान ‘राष्ट्रीय’ सरकार में मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा सदस्य हैं। इस निरक्षर देश की केन्द्रीय सरकार में शिक्षा सदस्य का पद संभालने के बाद मौलाना साहब को जो सबसे पहला और सदसे आवश्यक काम जैंचा है वह है रोमन लिपि का प्रचार। १८ फरवरी, १९४७ को एक प्रेस कानफ्रेन्स में उन्होंने रोमन लिपि की जोरदार बकालत की। इन पक्षियों के लेखक से न रहा गया। उसने यह अनुभव करते हुए भी कि नक्कारखाने में तृती की कोई नहीं सुनेगा, मौलाना आजाद को एक पत्र लिखा। मौलाना आजाद कितने पानी में हैं, रोमन लिपि के विषय में उनके क्या विचार हैं और उनका क्या कार्य-क्रम है, और सत्य क्या है तथा उसकी किस प्रकार हत्या की जा रही है, यह सब उस पत्र व्यवहार से भली भाँति स्पष्ट हो जाता है जो वर्तमान लेखक और केन्द्रीय

किसी भी शत्रु का मुकाबला करने के लिये पहले एक 'बेस' (base) की, या कहिये एक किले की, आवश्यकता होती है। हिन्दी को भी हिन्दुस्तानी का मुकाबला करने के लिये एक गढ़ की जरूरत है। यह गढ़ हिन्दी का अपना घर ही हो सकता है। हिन्दी को पहले अपने घर पर पूर्ण रूप से अधिकार करना चाहिये। यदि हिन्दी अपने घर में ही अपने पैर न जमा सकी, तो किसी बाहरी शत्रु का मुकाबला कैसे करेगी ? हिन्दी का घर मध्य-देश है जिसमें सुक्त-प्रान्ति, मध्य-प्रान्ति, विहार और राजस्थान स्थित हैं। हिन्दी के साम्राज्य की यही राजधानी है, यही से हिन्दी के कार्य का उचालन हो सकता है। साम्राज्य की सीमाओं पर कुछ भी हो जाय, जब तक राजधानी सुरक्षित है तब तक आशा है। यदि हिन्दी अपनी राजधानी में से ही निकाल दी गई, तो समझ लीजिये इस ससार से हिन्दी उठ गई। जैसा पहले बतलाया जा चुका है, हिन्दी को अपने घर में ही अपदस्थ करने का पूरा प्रयत्न किया जा रहा है। हिन्दी को पहले इस प्रयत्न को विफल करना होगा, हिन्दुस्तानी की परछाई तक को अपने घर से दूर भगाना होगा। पहले हिन्दी का अपने घर में अखण्ड राज्य स्थापित होना चाहिये। यह कार्य भी साधारण नहीं रह गया, और जितनी देर की जायगी उतना ही कठिनतर होता जायगा। एक पल भी देर करने का समय नहीं है। सबसे पहले हिन्दी को हिन्दी प्रान्तों में राजभाषा अर्थात् असेम्बली की, दफ्तरों, कच्चहरियों, पुस्तिकारों, खुनिसपेलटी, आदि की भाषा बनाना होगा।—व्यवहार में और कानून में। हम कानून में 'हिन्दुस्तानी' शब्द तक नहीं रहने दे सकते। यह सब करना हमारे हाथ में है, और हमें करना ही होगा। हिन्दी प्रान्तों में हिन्दी के लिये राज्याश्रय प्राप्त करना ही होगा। कुछ हिन्दी-प्रेमी कहते हुये सुने जाते हैं कि हिन्दी बिना राज्याश्रय के आगे बढ़ी है और उसे राज्याश्रय की आवश्यकता नहीं, परन्तु शायद इससे बढ़कर कोई दूसरी मूर्खता की और हिन्दी के हित में धातक बात नहीं हो सकती। क्या हम उन्नति में

literate during their service in the Army are not to lapse into illiteracy, they must be provided with suitable literature in Roman Hindustani. It will take time for every person to learn both Devnagri and Urdu scripts and till this is achieved, it would be worth considering whether the use of Roman as a supplementary script may not be a temporary expedient. There are millions of Bengalees, Madrasis, Oriyas, Assamese and men speaking other languages who can understand Hindustani and pick it up quickly but for the impediment in their progress because of the script. It is the case of these people that Hon'ble Member had in mind when he referred to the use of the Roman script for Hindustani."

(वाक्य रेखाक्रित लेखक ने किये हैं)

(३) लेखक का श्री टी. यस. कुमारमूर्ति को पत्र, ता० ६-३-४७
प्रिय महोदय,

आपका १-३-४७ का पत्र मिला। धन्यवाद। अपना पत्र लिखने से पूर्व मैंने १८-२-४७ की प्रेस कान्फ्रेन्स का विवरण भली माँति पढ़ लिया था। आपको मेरे पिछ्ले पत्र में उन सब तर्कों का उत्तर मिलेगा जो माननीय शिक्षा-सदस्य ने रोमन लिपि के पक्ष में उपस्थित किये थे और जिन्हे आपने अपने पत्र में दोहराया है।

सैनिकों के लाभार्थ अस्थायी रूप में रोमन लिपि को प्रयुक्त करने के अतिरिक्त और उसमें विलकुल अलग शिक्षा-सदस्य रोमन लिपि को बटाना

वचित नहीं किया जा सकता। जब तक हिन्दी-प्रान्तों में अधिकाश जनता की भाषा हिन्दी है, तब तक राज-व्यवहार में उसका स्थान किसी दूसरी भाषा या शैली को नहीं दिया जा सकता। किसी सरकार को एक नई भाषा या शैली गढ़कर जनता पर लादने का अधिकार नहीं, और न वह एक नई लिपि लाद सकती है। आगे चलकर जनता हिन्दी शैली को चाहे बिगड़े चाहे बनावें, उसमें चाहे जो परिवर्तन करे, परन्तु इस समय जनता ने हिन्दी की जो शैली निश्चित कर रखी है अर्थात् जिस शैली में अधिकाश लेखक लिखते हैं, आज वही शैली राजभाषा की शैली हो सकती है। कोई सरकार उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकती। जो 'हिन्दुस्तानी' शैली की रूप-रेखा निश्चित करने की बात कहते हैं, उन्हे बता देना चाहिये कि जनता आज तक बैठी नहीं रही, उसने अपनी हिन्दुस्तानी की शैली या शैलियाँ निश्चित कर ली हैं—और वे हैं हिन्दी और उर्दू। आज एक दर्जन आदमियों की गढ़ी हुई 'हिन्दुस्तानी' शैली आधे दर्जन आदमियों की जिद के कारण किसी भी प्रकरण में इन दो शैलियों को अपदस्थ नहीं कर सकती। हिन्दी प्रान्तों में उर्दू शैली को भी स्थान मिल सकता है, परन्तु कोई 'हिन्दुस्तानी' शैली हिन्दी का स्थान नहीं ले सकती।

यह बात याद रखनी चाहिये कि यदि हिन्दी-प्रान्तों में हिन्दी का बोल-वाला रहा, और वह राजभाषा हुई (अकेली या उर्दू के साथ साय), तो राष्ट्र-भाषा भी 'हिन्दुस्तानी' नहीं हो सकती। इस तथ्य पर पहले प्रकाश डाला जा चुका है। राष्ट्र-भाषा की शैली प्रान्त-भाषा की शैली से भिन्न रह ही नहीं सकती। 'हिन्दुस्तानी' का जन्म ही न होगा। अहिन्दी लोग हिन्दुस्तानी को गढ़ कर उसे जीवित रख ही नहीं सकते। जो खड़ी बोली हिन्दी प्रान्तों में चलेगी, अन्त में वही राष्ट्र-भाषा होगी। यदि हम हिन्दी बाले अपने प्रान्तों में हिन्दुस्तानी को डुकरा कर हिन्दी को प्रतिष्ठित कर लेते हैं, तो उससे भिन्न हिन्दी राष्ट्र में चल ही नहीं सकेगी (आज तक

देवनागरी मात्र सिखाने के बाट शिक्षा-विभाग को और ध्यान देने की आवश्यकता न रह जायगी और इसलिये वह देश का स्थायी लाभ होगा। रोमन लिपि में हिन्दुस्तानी साहित्य सुलभ होने पर सैनिक किसी दूसरी लिपि सीखने के प्रति उदासीन भी हो जायेंगे और इसलिये रोमन लिपि में हिन्दुस्तानी साहित्य के निर्माण की सगत शिक्षा-सदस्य की इस इच्छा से नहीं बैठती कि सब हिन्दुस्तानी शीघ्र से शीघ्र देवनागरी और उर्दू लिपि सीख लें। फिर, सेना के बीस लाख सैनिक अब एक ही छत्र तले नहीं ह। उनमें में अधिकाश अलग किये जा चुके हैं और उन्होंने अन्य नागरिकों की भाँति विभिन्न नागरिक पेशे अखित्यार कर लिये हैं। स्वाभाविक रूप से अब उनका आकर्षण अपनी अपनी प्रान्तीय भाषा और साहित्य के प्रति है उन्हे अब रोमन लिपि में प्रकाशित सरकारी हिन्दुस्तानी साहित्य की पर्वाह नहीं, जो उन्हे केवल अपने सहनागरिकों से और देश में प्रचलित हिन्दुस्तानी साहित्य से भी दूर रखने में सहायक सिद्ध होगा। माननीय शिक्षा-सदस्य ने स्वयं कहा है कि लाखों बगाली, मद्रासी, आसामी, महाराष्ट्री ऐसे हैं जो हिन्दुस्तानी समझते हैं। उनकी साक्षरता जिस तरह भी हो उस तरह कायम रखने का सवाल ही नहीं उठता। केन्द्रीय शिक्षा-विभाग को चाहिए कि वह उन्हें देवनागरी सिखाने के लिये कदम उठाये। शेष सब अपने आप हो जायगा। यह रोमन लिपि में हिन्दुस्तानी साहित्य के निर्माण की अपेक्षा साक्षरता और हिन्दुस्तानी प्रचार की कहीं बड़ी, स्थायी और अत्यधिक सापेक्ष सेवा होगी। जब हम भारत की भारती के लिये एक कामन लिपि के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये जी तोड़ प्रयत्न कर रहे हैं, अवश्य ही माननीय शिक्षा-सदस्य का यह इरादा नहीं हो सकता कि कृत्रिम उपायों से और जान वृक्ष कर एक तीसरी लिपि ब्रूमेड कर—और वह भी करदाताओं के खत्ते पर—समस्या को और जटिल बना दिया जाय और हिन्दुस्तानी जानने वाली जनता तथा हिन्दुस्तानी साहित्य को तीन भागों में बॉट दिया

लिये गान्धीजी अपनी गुजराती पर) अपने गजनीतिक प्रयोग करें । यदि उन्होंने हमारी हिन्दी को विगाहने का प्रयत्न किया ही, तो गहरा भगवान् द्वोगा । जिसी भी भाषा को चिकूत करने या उसे अपने अधिकारों ने बन्धित करने का प्रथत्न मजाक नहीं है । हम राष्ट्र-भाषा की बेटी पर अपनी हिन्दी की बलि ढेने के लिये तैयार नहीं । हम ‘हिन्दुस्तानी’ की खातिर किसी भी प्रान्तीय वा केन्द्रीय प्रकरण में हिन्दी—जैसी भी हमारी हिन्दी आज है अर्थात् जिस भाषा का आज ‘हिन्दी’ नाम से बोल होता है—छोड़ नहीं सकते । यदि अहिन्दियाँ को हिन्दी की किसी भी गैली को गढ़कर राष्ट्र-भाषा के रूप में ग्रहण करने का अधिकार है, तो हम भी अधिकार है कि हम उमेर राष्ट्र-भाषा न मानें, अपने घर में उसे न शुमने दें, उसे न पढ़े और न अपने बच्चों को पढ़ने दें और उसका भरपूर विरोध भी करें । रखें वे अपनी ‘हिन्दुस्तानी’ अपने पास, और यदि रख मिले तो उसे जीवित रखें । (परन्तु उन्हें जीवित रख नहीं मिलेगी*) ।) हिन्दी केवल हिन्दीवालों के हाथ में है ।

* अगर उन्हें अपनी ‘हिन्दुस्तानी’ जीवित रख भी मिली, तो कम से कम अन्य प्रान्तीय भाषाओं के समान हमारी अपनी विशिष्ट संस्कृति का प्रतीक हिन्दी भी तो अपने ज्ञेय में रहेगी । यदि हिन्दी राष्ट्र-भाषा नहीं हो सकती, तो अन्य प्रान्तीय संस्कृतियों और भाषाओं की भौति हमारी विशिष्ट संस्कृति और उसका प्रतीक हमारी विशिष्ट भाषा हिन्दी तो रहनी ही चाहिये, और उसे अन्य प्रान्तीय नस्कृतियों प्रोत्त भाषाओं के समान अपने ज्ञेय में और केन्द्र में वही स्थान तो मिलना ही चाहिये ।

यदि आज कोई ‘किंगस हङ्गलिश’ छोटकर एक ससार-भाषा गढ़ने के निमित्त संसार की पाँच छै तरह की अङ्गरेज़ियों जैसे अङ्गरेज़ों की अङ्गरेज़ी, अमरीकन अङ्गरेज़ी, बाबू अङ्गरेज़ी, पिजिन (Pidgin) अङ्गरेज़ी, आदि को मिला कर तुक्कों, चीनी और जापानी का छौंक देकर और अङ्गरेज़ी के शाधे ग्रीक और लैटिन शब्द निकाल कर उनके स्थान में संस्कृत और अरबी शब्द धरकर एक ‘मिली जुली’ अङ्गरेज़ी शैली गढ़े (और उसे पाँच छै लिपियों में लिखे), तो कम से कम अङ्गरेज़ तो उसे ससार-भाषा न मानेंगे, उसे इंग्लैंड में किसी रूप

दर्जे में किस लिपि मे पढ़ाया जाता ? इस भीषण कठिनाई का अनुभव 'हिन्दुस्तानी' वाली राष्ट्रीयता के ठेकेदारों ने भी किया, अतः लखनऊ विश्वविद्यालय के उसी प्रस्ताव में जिस में 'हिन्दुस्तानी' को माध्यम बनाना स्वीकार किया गया है, 'हिन्दुस्तानी' के लिये तीन लिपियाँ स्वीकार की गई हैं—देवनागरी, फारसी लिपि और रोमन। और मालूम हुआ है कि इस समय लखनऊ विश्वविद्यालय में जितनी पढ़ाई 'हिन्दुस्तानी' में हो रही है, और जितना अन्य काम (जैसे विश्वविद्यालय के नोटिस, आज्ञा-पत्र, आदि) 'हिन्दुस्तानी' में हो रहा है, उस सब में अकेली और केवल रोमन लिपि का प्रयोग हो रहा है। ऐसा होना अनिवार्य है। 'दोनों लिपि' वाद के रहते जो इस विधि को बदलने की आशा रखता है उसे पहले मनव-प्रकृति को बदलना पड़ेगा। जो लखनऊ विश्वविद्यालय में हो रहा है वही 'हिन्दुस्तानी' को माध्यम घोषित करके नाम लूटने वाले अन्य विश्वविद्यालयों में होगा। 'हिन्दुस्तानी' की यही हिन्दुस्तानी पोशाक होगी !

पाठ्वाँ का व्याप एक और तीसरी बात की ओर भी खीचना उचित जान पूँछता है। कुछ दिन हुये (अगस्त, १९४७), पत्रों में आया था कि विधान परिषद की अल्पसंख्यक-परामर्श समिति (Advisory Committee for Minorities) ने क्वाँ तौर पर यह तथा किया है कि भारत की राष्ट्र-भाषा 'हिन्दुस्तानी' हो जो देवनागरी या फारसी लिपि में लिखी जाय, तथा इस पर यह सुभाष ऐश किया गया है कि 'हिन्दुस्तानी' की लिपि रोमन हो क्योंकि 'इसे अभारतीयों द्वारा भारतीय मामले समझने में आसानी होगी', और समिति ने अभी तक इस सुभाष को ऐश करने वाले कौन हैं। उनकी राय में भारतीयों की अपेक्षा अभारतीयों द्वारा भारतीय मामले समझना ज्यादा जरूरी है, और चाहे करोड़ों भारतीयों को एक नई विदेशी लिपि सीखना पड़े परन्तु थोड़े से विदेशियों को एक भारतीय

चालों को चाल को विफल करें और अपनी हिन्दी को राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित करें। वस, यही हिन्दुस्तानी-मानक ग्रमोन्म अस्त्र है।

अब प्रश्न उठता है कि हिन्दी प्रान्तों में उर्दू का क्या स्थान होता चाहिये? इस प्रश्न का उत्तर सरल नहीं, परन्तु हस सम्बन्ध में दो बातें विलकुल स्पष्ट हैं। पहली वह कि हिन्दी प्रान्तों में उर्दू को उससे अधिक स्थान कदापि नहीं मिल सकता जो अन्य प्रान्तों में अल्पमत की भाषाओं को दिया जायगा, और दूसरी यह कि वह स्थान भी उर्दू को तभी मिल सकता है जब उर्दू प्रान्तों में, गास तौर से पजाव में, हिन्दी को वही स्थान दिया जाय। पहली बात के सम्बन्ध में न्याय का तकाजा है कि व्यावहारिक दृष्टि से जहाँ तक सभव हो सरकार प्रत्येक को कम से कम आरथिक शिक्षा अपनी मातृ-भाषा के माध्यम द्वारा प्राप्त करने की सुविधा दे, परन्तु साथ ही साथ प्रान्त की एक कामन भाषा और लिपि हो (जो उस प्रान्त की मुख्य भाषा और लिपि हो) जिसे उस प्रान्त की राज-भाषा बनाया जाय और जिसका पढ़ना प्रत्येक के लिये अनिवार्य किया जाय। इन सिद्धान्तों को हिन्दी प्रान्तों पर लागू करने से यह निष्कर्ष निकलता है (जनपद आन्दोलन को व्यान में रखते हुये) —

(१) युक्त-प्रान्त में ब्रज, अवधी, बुन्देली, आदि मुख्य बोलियों में, विहार में भोजपुरी, मैथिली और मगाही में, और मध्य-प्रान्त में कोशली में प्राथमिक शिक्षा दी जा सकती है। हिन्दी और विहारी की सब बोलियों की लिपि बेचल एक, देवनागरी, होगी।

(२) यदि किसी पर्यास विशाल जनपद का वहुमत जनपदीय बोली में प्राथमिक शिक्षा की माँग करता है, तो उस जनपद के उसी बोली को बोलने वाले किसी अल्पमत सम्प्रदाय को (जिसमें सम्भवतः अधिकतर

* देखिये 'राष्ट्र-भाषा की समस्या और हिन्दुस्तानी-आन्दोलन', पृष्ठ १४१-४६ और पृष्ठ १६०।

इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि 'हिन्दुस्तानी' के नाम पर चब भारतीय भाषाओं में से केवल हिन्दी के साथ अन्याय किया जायगा। सब मारतीय भाषाओं में खबरें होंगी, यहाँ तक पजाबी और पश्तो में भी खबरें होंगी, परन्तु हिन्दी में खबरें नहीं होंगी। सब प्रान्तीय भाषाओं में स्त्रियों, वालकों, आदि के प्रोग्राम अवाध रूप से होंगे, परन्तु हिन्दी के प्रोग्रामों का 'बड़ा भाग' 'हिन्दुस्तानी' में होगा। इस घोषणा का सबसे भयकर भाग यह है जिसमें 'हिन्दुस्तानी' के समर्थन में तर्क दिये गये हैं। प्रत्येक हिन्दी प्रेमी दिल पर हाथ रखकर सोचे कि इन तर्कों का क्या मतलब है और ये तर्क हिन्दी के कैसे भविष्य की ओर संकेत करते हैं। मुख्य तर्कों पर व्यान दीजिये :

(१) 'हिन्दुस्तानी' उत्तरी भारत में आम तौर से बोली जाने वाली और समझी जाने वाली भाषा है जो देवनागरी या उदूँ लिपि में लिखी जाती है। (उदूँ लिपि किर 'उदूँ लिपि' क्यों कहलाई !) अपने दिल के चोर को न छिपा सकने के कारण घोषणा के अन्त में सरकार कहती है, "हिन्दुस्तानी की यह परिभाषा दोनों रेडियो-कमेटियों ने की है।"

(२) सरकार अनुभव करती है कि बहुत से सुनने वाले यह नहीं चाहते कि ऐसी ('यह' नहीं !) भाषा हिन्दीवालों और उदूँवालों के विवाद में पिस जाय।

(३) अतः सरकार चाहती है कि आम जनता और आम सुनने वालों के लिये, साहित्यिक हिन्दी और साहित्यिक उदूँ के अतिरिक्त और उनसे अलग, 'सरल हिन्दुस्तानी' में प्रोग्राम हों, तथा साहित्यिक रुचि वालों के लिये हिन्दी और उदूँ में प्रोग्राम हों।

(४) सरकार को आशा है कि उसके निर्णय आम जनता को पर्यावरण संभव है उनसे उन दो दलों को पूर्ण सतोप न हो जिनके बीच में विवाद है।

इन तर्कों का स्पष्ट अर्थ यह है कि सरकार की दृष्टि में हिन्दी उत्तरी

गुरुभिषणनक और स्वता होगा दिक्षनज्ञ विश्वविद्यालय में दोनों भाष्यों का प्रदर्श हो और प्रयाग विश्वविद्यालय पा. माध्यम ऐसा हिन्दी हो। युक्ति-प्रान्त में हिन्दी माध्यम पाले और उर्दू मा यम पाले छात्रों में एसा अनुसारा है कि प्रयाग विश्वविद्यालय के छात्रों की मम्मा तारनज्ञ विश्वविद्यालय के मुल छात्रों ने यह भी अपिक ही होगा। आख्ययदनालुमान प्रथम विश्व-भिगानय के य याररो ना तारनज्ञ विश्वविद्यालय को और लगनज्ञ विश्व-विद्यालय के प्रध्यानकों न। इनामामार हो त्वारला हिंसा च नकरा है। (‘यामन विश्वविद्यालय रेखा दीदा विश्वविद्यालय हे और दूसिये उन विश्वविद्यालय की नमस्या जानाम हे रेखा उसरे प्रबन्धन दावेड़ों नी मगस्या है। अलीगढ़ विश्वविद्यालय का माध्यम उर्दू और दिल्ली विश्वविद्यालय का माध्यम हिन्दी ना होगा ही।)०

(५) तीनों हिन्दी प्रान्तों— युक्ति-प्रान्त, दिल्ली और मध्य प्रान्त—की नामन भाषा और राजभाषा इन प्रान्तों की सुख्य साहित्यिक भाषा नामगी हिन्दी होगी और इन प्रान्तों के प्रत्येक जिवासी के लिये हिन्दी भाषा का विषय अनिवार्य होगा (जिस प्रयाग आजकल औँगरेजी भाषा का विषय सबके लिये अनिवार्य है)। स्पष्ट है, हिन्दी माध्यम लेने वालों को हिन्दी विषय ग्रलग ने नहीं पटना पड़ेगा, परन्तु उर्दू माध्यम वालों को पटना पड़ेगा। उनके लिये हिन्दी भाषा का विषय माध्यमिक स्टेज ने रक्खा जाय, और उसका स्टेटर्ड कम ने उम इतना हो कि माध्यमिक पढाई समाप्त होने तक हिन्दी में इतनी वोयता आ जाय जितनी आज प्रथम भाषा हिन्दी होने वाले छात्र को हाई स्कूल पास करने तक आती है। पढाई का बोझ सब पर समान करने के लिये हिन्दी माध्यम वाले छात्रों के लिये माध्यमिक स्टेज

छ भारत के विभाजन से जो नई परिस्थिति उन्पन्न हो गई है, उसमें हिन्दी प्रान्तों में उर्दू को भी माध्यमिक और उच्च शिक्षा का माध्यम स्वीकृत नहीं किया जा सकता। देखिये परिशिष्ट १७।

सम्मेलन का प्रतिनिधि लिया गया था, के सामने ‘हिन्दुस्तानी’ पर राय देने का सवाल ही नहीं था। उसे तो केवल ‘हिन्दुस्तानी’ की शब्दावली गढ़ने का आदेश दिया गया था, और वह यह कार्य न कर सकी। उसमें अजुमन तरक्की उदौँ के प्रतिनिधि ने स्पष्ट कहा कि ‘हिन्दुस्तानी’ का किसी खत्म किया जाय और हिन्दी और उदौँ में अलग अलग समाचार हों, तथा सम्मेलन के प्रतिनिधि ने इसका अनुमोदन किया। सरकार ने इस बात को क्यों छिपा लिया ? दो सदस्यों की एक राय होते हुये अकेले सदस्य अर्थात् हिन्दुस्तानी प्रचार सभा के प्रतिनिधि की बात सरकार ने क्यों मानी ? ऊपर से तुरा यह है कि सरकार ने हिन्दी और उदौँ के समर्थकों को विवादी दल ठहराया है और आप निष्पक्ष मध्यस्थ बनने का दावा किया है। भगड़ा केवल दो दलों—हिन्दी बालों और उदौँ बालों—के बीच में नहीं है। भगड़े में हिन्दुस्तानी बालों की पार्टी भी उतनी ही शामिल है। परन्तु सरकार ने इस तीसरे भगड़ालू दल का नाम नहीं लिया। उस्टे वह इसके साथ एकाकार हो गई है। वह निष्पक्ष जज नहीं रही बरन् इस तीसरी पार्टी का बकील बन गई है। सरकार के ‘हिन्दुस्तानी’ के साथ घोर पक्षपात का एक और सबूत है। सरकार घोषणा में स्वयं कहती है कि पञ्च-पत्रिकाओं के सर्कुलेशन के आधार पर प्रत्येक स्टेशन में हिन्दी और उदौँ प्रोग्रामों का अनुपात निर्धारित किया गया है। हम जानना चाहते हैं कि वे ‘हिन्दुस्तानी’ की पञ्च-पत्रिकायें कौन सी हैं जिनके सर्कुलेशन के आधार पर सरकार ने सब स्टेशनों में ‘हिन्दुस्तानी’ को पृथक प्रतिनिधित्व दिया है, यहा तक कि दिल्ली में २० प्रतिशत दिया है ! हम तो ‘हिन्दुस्तानी’ की एक भी पत्रिका का नाम नहीं जानते॥। फिर, दूसरी रेडियो कमेटी ने वह कहीं नहीं कहा

॥ केवल नाम रखने से भाषा ‘हिन्दुस्तानी’ नहीं हो जाती। गांधी जी के ‘हरिजनसेवक’ या पं० सुन्दरकृत की ‘विश्ववाणी’ या डा० ताराचन्द के ‘नया हिन्द’ की भाषा हिन्दुस्तानी की किसी भी परिभाषा पर खरी नहीं उतरती। वह है स्वराव उदौँ, रेडियो की ‘हिन्दुस्तानी’ से भी वक्तर।

स्कूलें, कालेज और विश्वविद्यालय में, यदि हिन्दी माध्यम वाले छात्रों की सख्त्या एक निश्चित सीमा से कम न हो, यामनव में, व्यवहार में हिन्दी माध्यम का प्रबन्ध हो। (यह हो सकता है कि किसी ज्ञेत्र में वटुमत के मौगने पर शिक्षा का बेचल एक माध्यम पजावी या पश्तो या मिथ्यी स्पीक्ट के हो, तब वहाँ न उद्द माध्यम होगा न हिन्दी माध्यम।)॥

ऊपर की योजना दार्शनिक और नार्किक दृष्टि से आदर्श और निर्दोष नहीं कही जा सकती। इसकी समालोचना करना आसान है। परन्तु मनुष्य का जीवन भी पूर्ण और निर्दोष नहीं है। परिस्थितियों और व्यावहारिक कठिनाइयों को देखते हुये, गहरा विचार करने के बाद लेखक निश्चित रूपमें कह सकता है कि इस योजना में मूलत भिन्न कीई दूसरी योजना सम्भव नहीं।

५ पाकिस्तान दन जाने के बाद पाकिस्तान के अधिकारियों ने जो घोषणायें की हैं उनसे यह स्पष्ट हो गया है कि उदूँ प्रान्तों में माध्यमिक और उच्च शिक्षा का माध्यम केवल उदूँ होगी। यद्यपि सिंध के शिक्षा-मंत्री ने यह कहा है कि प्राथमिक शिक्षा मातृ-भाषा के माध्यम से दी जायगी, इसकी कोई आशा प्रतीत नहीं होती कि पाकिस्तान सरकार पजाव, सिंध और सीमा-प्रान्त में हिन्दी भाषियों के लिये हिन्दी द्वारा प्राथमिक शिक्षा ही देने का प्रयंग करेगी। देखिये परिशिष्ट १७।

६ अच्छा हो यदि हिन्दी वाले और उदूँ वाले मिल कर बैठें और आपस में हिन्दी तथा उदूँ प्रान्तों के लिये एक समान व्यवस्था तय कर डालें, जिसमें हिन्दी और उदूँ के साथ, एक भाषा के दो रूप होने के नाते, समान व्यवहार किया जाय, और फिर हिन्दी तथा उदूँ प्रान्तों में ईमानदारी के साथ प्रत्येक विभाग में हिन्दी और उदूँ को अपना अपना तय पाया हुआ स्थान दे दिया जाय। हिन्दी उदूँ के व्यर्थ के झगड़े को मिया डालने का यही एक मात्र उपाय है। यदि ऐसा कर लिया गया तो हिन्दुस्तानी वाले टापते रह जायेंगे। वे हिन्दी उदूँ के झगड़े से लाभ उठाते हैं। हमें उदूँ वालों से कहना चाहिये कि इस हिन्दुस्तानी से हिन्दी और उदूँ दोनों को खतरा है, हम हिन्दी और

हिन्दी नहीं चाहता, हिन्दी नहीं समझता, ‘हिन्दुस्तानी’ चाहता और समझता है, कल सरकार कहेरी कि हिन्दी प्रदेश का ‘कामन मैन’ तुलसी और सूर को नहीं समझता, रामचरित-मानस पढ़ना नहीं चाहता वरन् उसका ‘हिन्दुस्तानी’ में सरकारी अनुचाद पढ़ना चाहता है ! जिस प्रकार सरकार ने हिन्दी के प्रोग्रामों को ‘साहित्यिक रुचि’ वालों के निमित्त बताकर हिन्दी को एक किनारे कर दिया है उसका तो यही अर्थ निकलता है कि सरकार की राय में जो भी व्यक्ति हिन्दी पढ़ता है वह ‘साहित्यिक रुचि’ वाला है और सिवा ‘साहित्यिक रुचिवालों’ के कोई और हिन्दी नहीं समझता ! जो भी हो, जब सरकार ने स्वयं हिन्दी, उर्दू और ‘हिन्दुस्तानी’ का पृथक पृथक अस्तित्व स्वीकार किया है और तीनों को पृथक प्रतिनिधित्व दिया है, तो सरकार तीनों में पृथक समाचार भी क्यों नहीं देगी ? जब सरकार बँगला जाननेवालों के लिये (साहित्यिक) बँगला में, गुजराती जाननेवालों के लिये (साहित्यिक) गुजराती में यहाँ तक कि अँगरेजी जाननेवालों के लिये (साहित्यिक) अँगरेजों में खबरें देगी और दे रही है, तो हिन्दी जाननेवालों के लिये हिन्दी में खबरें क्यों नहीं देगी ? हिन्दी के साथ ही चिशेप व्यवहार क्यों ? क्या हिन्दी समझनेवालों की सख्त्या अँगरेजी समझनेवालों की सख्त्या से भी कम है ? क्या ‘कामन मैन’ और ‘कामन लिसनर’ उस अँगरेजी को समझता है जिसमें खबरें होती हैं, परन्तु हिन्दी नहीं समझता ? यदि सरदार पटेल को ‘कामन मैन’ की इतनी चिन्ता है तो वे अँगरेजी की खबरें और अँगरेजी के प्रोग्राम क्यों नहीं बन्द करते ? लखनऊ से, उदाहरण के लिये, अँगरेजी में भी खबरे होती हैं। क्या सरकार कोई कारण बता सकती है कि इन अँगरेजी की खबरों के स्थान में हिन्दी की खबरें ब्राइकास्ट करने से ‘कामन मैन’ का अधिक लाभ क्यों न होगा ? स्पष्ट है, सरकार हिन्दी के साथ भारत की अन्य भाषाओं के साथ किये गये व्यवहार से भिन्न व्यवहार नहीं कर सकती। जिस प्रकार सरकार बगालियों, गुजरातियों, आदि

यह योजना तो ठंडक है, और हिन्दी प्रान्तों में इसको कार्यान्वयन करना भी उनके हाथ में है, परन्तु यदि उदूँ प्रान्त इस योजना के अनुसार अपने यहाँ हिन्दी को स्थान न दे, तो क्या किया जायगा? यह प्रान्तीय स्वायत्त शासन (प्राधिशिवल आदानप्रदान) का जमाना है, शिक्षा का विषय न केन्द्रीय सरकार के पास है और न कभी होगा, अर्थात् केन्द्रीय सरकार राष्ट्रभाषा या प्रान्तों की भाषा के मामले में अपना फँसला प्रान्तों पर लादने में असमर्थ है (केन्द्रीय सरकार अधिक से अधिक यह तय कर सकती है कि केन्द्र का सरकारी व्यवहार किस भाषा में हो), और प्रत्येक प्रान्त भाषा के विषय में अपने यहाँ मनचाही व्यवस्था करने में पूर्ण स्वतन्त्र है। हिन्दियों को भूलना नहा चाहिये कि लचणों में मालूम होना है कि उदूँ प्रान्त उदूँ लिपि के सिवा किसी दूसरी लिपि को, और उदूँ के सिवा किसी दूसरी हिन्दुस्तानी को, बतौर राष्ट्रभाषा के या बतौर अपने यहाँ की जनता के एक भाग की भाषा के, कोई स्थान देने को तैयार नहीं। उदूँ प्रान्तों में इस मामले में हस्तक्षेप करने में काग्रेस भी असमर्थ है—केन्द्रीय सरकार द्वारा अथवा उदूँ प्रान्तों की प्रान्तीय सरकारों द्वारा, और असमर्थ रहेगी। कहने का मतलब यह है कि जिस प्रकार उदूँ प्रान्त गांधी जी की हिन्दुस्तानी के मार्ग में बाधक है, उभी प्रकार ये प्रान्त ऊपर बाली योजना के मार्ग में भी बाधक हैं। उदूँ प्रान्त इस योजना के अनुसार हिन्दी को स्थान आसानी से कभी न ढैंगे। इतना ही नहीं, उल्टे उदूँ बाले हिन्दी प्रान्तों में वहे जोर शोर में यह आन्दोलन करेंगे कि उदूँ का सब जगह हिन्दी के समकल स्थान दिया जाय, अर्थात् हिन्दी के साथ साथ उदूँ भी राजभाषा बनाई जाय, उदूँ माध्यम बालों के लिये हिन्दी भाषा का विषय अनिवार्य न किया जाय, और यदि किया जाय तो हिन्दी माध्यम बालों के लिये उदूँ भाषा का विषय अनिवार्य किया जाय, आदि। अपनी 'अपीज्जमेन्ट पालिसो' के कारण काग्रेस इस आन्दोलन से सहयोग करेगी। हिन्दियों को अपने रात्ने में

अलावा कोई दूसरा स्टेशन नहीं पहुँचता। और देश में अथवा इन हिन्दी-प्रधान ज्ञेयों में हिन्दी का प्रचार उदूँ के प्रचार से कई गुना है। ऐसी स्थिति में दिल्ली में हिन्दी और उदूँ को वरावर प्रतिनिधित्व क्यों दिया गया? लाहौर और पेशावर में हिन्दी को वेटेज देना तो दूर रहा, सरकार ने हिन्दी को उसके प्राप्त सभी कम दिया है। पजाव में सब हिन्दू वालिकायें और स्त्रियाँ हिन्दी पढ़ती और जानती हैं। लाहौर में हिन्दी को १५ प्रतिशत तो वेवल इसी आधार पर मिलना चाहिये, परन्तु सच यह है कि वालों के मामले में भी पजाव विश्वविद्यालय की हिन्दी की परीक्षाओं में बैठने वालों की सख्त्या उदूँ की परीक्षाओं में बैठने वालों से अधिक है। ऐसी स्थिति में लाहौर में हिन्दी को क्या उदूँ के मुकाबिले दूँ मिलना चाहिये था? और पेशावर में हिन्दी बिलकुल नदारद है, यद्यपि सीमा-प्रान्त में अनेक हिन्दी स्कूल हैं और वहाँ की सब हिन्दू वालिकायें और स्त्रियाँ हिन्दी ही पढ़ती और जानती हैं और वहुत से हिन्दू वालक भी हिन्दी पढ़ते और जानते हैं। लखनऊ में भी हिन्दी को उसके प्राप्त से कम दिया गया है, और ‘हिन्दुस्तानी’ का पूरा भाग हिन्दी के हिस्से में से छीना गया है। यह है सरदार पटेल का ‘राष्ट्रीय न्याय’! एक हिन्दू के लिए हिन्दी का गला काट कर उदूँ का घर भरना और हिन्दी के भाग को कम करके उदूँ के साथ उदारता दिखाना उससे भी निकृष्ट साम्प्रदायिकता है जितनी हिन्दी को उसके प्राप्त से अधिक देना होती।

घोपणा की कुछ अन्य उल्लेखनीय बातें ये हैं (१) घोपणा में कहा गया है कि ‘हिन्दुस्तानी’ के प्रोग्रामों की व्यवस्था हेडक्टर का स्टाफ करेगा, परन्तु यह नहीं बताया गया कि किस प्रकार करेगा। ‘हिन्दुस्तानी’ का कोई निश्चित स्वरूप नहीं, ‘हिन्दुस्तानी’ के लेखक नहीं, फिर लेखकों को ‘हिन्दुस्तानी’ की चीजें सरकारी हिन्दुस्तानी में लिखने के लिये कैसे विवश किया जायगा? यदि इस दिशा में कुछ न किया गया और लेखकों को अपनी

मही हिन्दी भी निकाल केरें ? उक्त-प्राप्ति और यिहार की चर्चान कामेगी राज्यकार्यों की नीति इसी बात की चर्चा ने ही है ।

‘निकाल का आने पर्यवेक्षण का बान और अपने कार्य के गुरुत्व का प्रत्युभाव हा गया होगा । एक प्राप्ति उन्हें अपने प्राप्तियों ने हिन्दुस्तानी योगी काल भगाना है, और दूसरी ओर उन्हें उद्योगानों की अनुचित नहीं हो गयी है और उनके अन्याय का निरोध करना है । हम दोनों बातों में ने फिरी ने नई साझे नई सकृत । पहली दास तो कहुत साझे हो चुकी है, दूसरी भी कम मरम्मतियाँ लाई हैं । अब १३ प्रतिगति^X मुमलजगतों के दारण, जिनमें ते व्रभिकाग हिन्दी बोलत या समझते हैं, न हिन्दी की सुन्नत रखने को त्यार है और न हम हिन्दी प्राप्तियों की दो दो गवर्भापायें और नज़ारियों वनाकर अपने प्राप्तियों की गालों उन्हीं पर नई ये देखिये कृठागयत कर सकते हैं— इस का ग और भी नहीं कि उद्योगप्राप्ति नींसा करने को तैयार नहीं है । अब कदाचि नहीं हा सकता कि उद्योगप्राप्ति की एक कामन भाषा उद्योग और एक दारण लिपि पास्टो लिपि है, अन्य प्राप्तियों की कामन भाषायें अपनी अपनी प्राप्तियों भाषायें हीं, पास्टु हिन्दी प्राप्तियों की या तो कामन भाषा हो ‘हिन्दुस्तानी’ या कोट कामन भाषा न हो, और लिपि दूर हालत में बोड कामन न हो । ऐसी प्रति में हमारे हिन्दी प्राप्ति अन्य प्राप्तियों के सुकावले में पिछड़ जायेंगे, और हमारे प्राप्तियों जीवन का समूचित साकृतिक चिकाम और सगड़न न

४ प्रजाय के काप्रेसो संयुक्त मविमडक्स ने या सीमाप्रात की काप्रेसो सरकार ने हिन्दी के लिये न डॉगलो उठाई है और न उठायेगी । सिन्ध का तो ज़िक्र करना ही बेकार है । बहुत हुआ तो लाठ ज्ञान साहब कह देंगे कि वे तो सीमा-प्रात की जनता के नौकर हैं, जनता का बहुमत चाहेगा तो हिन्दी होगी । हो, प० गोविन्दचलभ पत, श्रीकृष्ण सिन्हा और प० रविशक्तर शुक्र वह करेंगे जो काप्रेस हाउस कमाड, जौलाना आज्ञाद और गांधीजी चाहेंगे ।

^X उक्त-प्राप्ति, यिहार और मध्य-प्रांत में कुल मिलाकर ६ करोड़ ४० लाख (६४ मिलियन) हिन्दू हैं और १ करोड़ ४० लाख (१४ मिलियन) सुस-लमान हैं । (देखिये उत्तर-परिशिष्ट ३)

(दिल्ली से वह भी नहीं) 'मजलिस' शब्द निकाल दिया गया है, परन्तु चौंकि हिन्दुस्तानी 'सभा' नहीं समझ सकते, उसके स्थान में 'सुभू का प्रोग्राम', 'दोपहर का प्रोग्राम' और 'शाम का प्रोग्राम' धर दिया गया है। 'हिन्दुस्तानी' की चीजें पूर्ववत् उदूँ वालों और मुसलमानों को दी जा रही हैं और उनकी भाषा पूर्ववत् शुद्ध उदूँ है जिसका अर्थ यह है कि उदूँ पेशावर, लाहौर, दिल्ली, और लखनऊ में ४५, ५६^३, ४० और २० प्रतिशत नहीं, ५०, ६३^४, ६० और ३० प्रतिशत हैं, और बम्बई, कलकत्ता और ढाका में हिन्दी के बराबर नहीं, दूनी है, और स्त्रियों, बालकों, आदि के तथाकथित हिन्दी प्रोग्रामों का दो-तिहाई भाग उदूँ में होता है। पेशावर और बम्बई में स्त्रियों, बालकों, आदि के प्रोग्रामों को हिन्दी में अलग किया ही नहीं गया है, अर्थात् वहाँ वे पूर्ववत् केवल 'हिन्दुस्तानी' अर्थात् उदूँ में हो रहे हैं। इसी प्रकार सैनिकों के प्रोग्राम, प्रवासी भारतीयों के प्रोग्राम, आदि भी हिन्दी में अलग नहीं किये गये हैं और पूर्ववत् केवल 'हिन्दुस्तानी' अर्थात् उदूँ में हो रहे हैं। हिन्दी वालों को उनके पत्रों के उत्तर भी 'प्यामी', 'जवाही' गण पूर्ववत् अपनी 'हिन्दुस्तानी' अर्थात् उदूँ में सुना रहे हैं। रेडियो की किसी पत्रिका से यह भी पता नहीं चल सकता कि कौन सा स्त्रियों या बालकों का प्रोग्राम हिन्दी का है, और कौन सा उदूँ का। रेडियो वालों की गय में दोनों प्रोग्राम सब स्त्रियों या बच्चों के लिये एक समान उपयुक्त हैं और सरकार ने महज मजाक के लिये इन प्रोग्रामों को अलग-अलग हिन्दी और उदूँ में करने के लिये कहा है, और इसीलिये सप्ताह के दोनों स्त्रियों (या बालकों) के प्रोग्रामों में कोई अन्तर नहीं—दोनों के सचालक वही पुराने उर्दूदौँ लोग ('आप', 'बाजी', आदि) हैं जो हिन्दी के पत्रों के उत्तर भी पहले दफ्तर से उनकी उदूँ में नकल करा कर देते हैं, दोनों में वही 'आदादअर्ज' चलता है और दोनों में हिन्दी और उदूँ की चीजें मिली-जुली होती हैं, अर्थात् केवल एक बार के बजाय दो बार प्रोग्राम होता है, और कुछ नहीं। प्रत्येक

मिटा देंगे। हम नहीं चाहते कि उर्दू, यद्यपि वह विरेशियत ने औत-प्रेत है, के साथ अन्याय हो, हम उर्दू के साथ न्याय ने नहीं, उदागता में पेग आना चाहते हैं, परन्तु हिन्दी के साथ अन्याय हो, वह हमें असत्य है। हिन्दी-प्रान्तों में उर्दू को अपने प्राप्त से कठी अधिक ल्यान प्राप्त है, अब यदि कलह और सघरपे होता है तो उसकी कुल जिम्मेदारी उर्दू प्रान्तों पर और उनके पृष्ठ पोपकों पर होगी। मुस्लिम शियासतों जैसे काश्मीर (काश्मीर में हिन्दू राजा के होते हुये भी चलती श्रीगुलामसंयदेन की ही है) भोपाल और हटरागढ़, आदि में हिन्दी के साथ लो घोर अन्याय हो रहा है, और हिन्दू जनता के हृपये से उर्दू का जो अनर्गल पोपण हो रहा है उसका भी यही इलाज है। हिन्दी प्रान्तों की भाँति हिन्दी शियासतों में हिन्दियों को हिन्दी की प्रतिष्ठा करनी चाहिये, और जब तक मुस्लिम रियासतें हिन्दी के साथ न्याय न करें, तब तक उर्दू के साथ वही व्यवहार करना चाहिये जो मुस्लिम रियासतों में हिन्दी के साथ किया जाता है। अन्य हिन्दू प्रान्तों में यद्यपि उर्दू के साथ वही व्यवहार करना हमारे हाथ में नहीं है जैसा बंगाल में लीगी सरकार हिन्दी के साथ वरतो है, x

छद्मेश्विये 'राष्ट्रभाषा की समस्या और हिन्दुस्तानी आन्दोखन परिशिष्ट ४।

> बंगाल की लीगी सरकार के सेकंडरी प्रजूकेशन विल का असली उद्देश्य यंगाल में उर्दू और 'मुस्लिम बंगला' प्रचार के सिवा और कुछ नहीं है। उर्दू प्रान्तों में मुसलमान जो चाहते थे सो कर चुके, सिन्ध में भी जो चाहते थे सो कर चुके (सिन्धी का अरबीकरण), अब केवल बंगाल वाकी है, इस लिये वहाँ भी भाषा को प्रकटम उर्दू में बदल देने का या कम से कम उसका मुस्लिम संस्करण बनाने का आयोजन लीगी सरकार कर रही है। बंगाल की समस्त हिन्दू जनता, जो वहाँ ४५ प्रतिशत से अधिक है, के विरोध के बाबजूद लीगी सरकार अपनी चन्द अधिक घोटों के बल पर सेकंडरी प्रजूकेशन विल पास कराने पर तुली हुई है। ऐसा क्यों न हो ! मुसलमान भाषा का महत्व समझते हैं, वे जानते हैं कि मुस्लिम-संस्कृति-प्रचार की पहली सीढ़ी भाषा का इस्लामी करण है। आश्चर्य तो इस बात का है कि यह सब देस सुनकर भी

उड़ीसा, बगाल, आसाम, आदि—के मुसलमानों द्वारा पेश की जायेंगी। इन मॉंगों का अर्थ भी तमभ लेना चाहिये। आन्ध्र को ही लीजिये। आन्ध्र के मुसलमानों की मॉंग का सीधा-सादा अर्थ यह है कि आन्ध्र के सामाजिक, सास्कृतिक और राजनीतिक जीवन को बीच से दोट्टक कर दिया जाय, साम्राज्यिक अलगाव और कटुता के बीज बोये जायें, करदाताओं का रूपया (जो हिन्दुओं की जेव से ही आवेग) अलग उर्दू स्कूल और कालेज खोलने में फूँका जाय, शिक्षा के व्यय को व्यर्थ ढूना किया जाय और शासन की कठिनाईयों सहस्र गुना बढ़ाई जायें, क्योंकि यह निश्चिन है कि इस मॉंग के बाद यह मॉंग पेश की जायगी कि राजकार्य में उर्दू को तेलगू के समकक्ष स्थान दिया जाय। एक और तो भाषा के आधार पर प्रान्तों के गुनर्निर्माण की चर्चा ज़ोरों से चल रही है, दूसरी ओर गाधीजी हिन्दी की 'हिन्दुस्तानी' करने और उर्दू लिपि के प्रचार में इस उद्देश्य से जुटे हुये हैं कि मुसलमान खुश हो जायें और भाषा की 'एकता' स्थापित हो जाय, और इधर मुसलमान एक ऐसे प्रान्त में ही भाषा का पाकिस्तान बनाने की मॉंग कर रहे हैं जो अब तक भाषा और सकृति की दृष्टि से एक रहा है! पता नहीं, डॉ पट्टमिं सीतारमैय्या को, जो तेलगू भाषी आन्ध्र की भाषा के आधार पर एक पृथक प्रान्त बनाने के लिये यत्नशील हैं, आन्ध्र के भीतर ही एक अलग उर्दुस्तान बनाने की मॉंग कहाँ तक रुचेगी, और गाधीजी, जो प्रान्तीय प्रकरणों में प्रान्तीय भाषा के प्रयोग पर और राष्ट्रीय प्रकरणों में राष्ट्र-भाषा (अर्थात् अपनी 'हिन्दुस्तानी') के प्रयोग पर जोर देते हैं, अहिन्दी प्रान्तों के मुसलमानों की इस प्रकार की मॉंगों का कहाँ तक समर्थन करेंगे।

कहना कठिन है कि चिभिन्न अहिन्दी प्रातों (बगाल को छोड़कर, जहाँ की लीगी सरकार 'हिन्दुई भाषा' बँगला को निकाल कर उर्दू की प्रतिष्ठा करने में कोई कसर नहीं उठा रखेगी) की कांग्रेसी सरकारें इस

उदूँ का विरोध नहीं करते, केवल हिन्दी का स्थान माँगते हैं, उसी प्रकार यदि हम रंडिया में हिन्दुस्तानी के प्रयोग का सफल विरोध करने में असमर्थ हैं, तो भी हम अपनी प्रान्तीय भाषा हिन्दी की माँग तो कर ही सकते हैं॥ १ फिर 'हिन्दुस्तानी' किसके लिये हो, यह केन्द्र सोचे—हम 'हिन्दुस्तानी' के लिये जिम्मेवार नहीं। यदि आज युक्त-प्रात को सरकार केन्द्रीय सरकार को यह लिख कर भेजे कि लखनऊ से प्रोग्राम केवल युक्त-प्रान्त की जनता के लिये होते हैं, उनसे किसी दूसरे का कोई सम्बन्ध नहीं, इसलिये कम से कम लखनऊ स्टेशन की भाषा-नीति युक्त-प्रान्त की सरकार के सलाह मशाविर से तय होनी चाहिये, तो क्या केन्द्रीय सरकार इन्कार कर सकती है ?

सारांश यह कि सब प्रकार से हिन्दी की रक्षा और हिन्दी का भविष्य इस बात पर निर्भर है कि हिन्दी-जन स्वयं अपने प्रान्तों में हिन्दी की कैसी प्रतिष्ठा करते हैं, और हिन्दी प्रान्तों की सरकारें भाषा के विषय में हिन्दियों को मान्यता का किम हठ तक प्रतिनिधित्व करती है और हिन्दी के लिये क्या कुछ करने को तैयार है। अतः हमारा कार्यक्रम क्या होना चाहिये, यह स्पष्ट है। हमें हिन्दियों को जागृत करना चाहिये, उनमें हिन्दुस्तानी-बाद के चिरुद्ध ऐसे तीव्र विरोध का सचार करना चाहिये कि हिन्दुस्तानी बालों की अकल ठिकाने आ जाय। हमें हिन्दी प्रान्तों में आग लगा देनी चाहिये। हमें हिन्दियों को खोलकर स्पष्ट शब्दों में बताना चाहिये कि हिन्दुस्तानी हिन्दी और केवल हिन्दी के अस्तित्व पर कुठाराधात है। इतिहास में किसी भी भाषा को नष्ट या विकृत करने के प्रयत्न से इस भाषा-भाषी जाति में सदैव घोर असन्तोष फैला है। हिन्दुस्तानी से हिन्दी को क्या खनरा है, हिन्दियों को वह बताना हमारा काम है। हिन्दी में हमारा क्या है, यह भी हमें सोई हुई जनता को बताना होगा। हम सूर और तुलसी की देन को छोड़ नहीं सकते। हम भारतेन्दु का उपदेश “निज भाषा उन्नति अहै, सब

मुसलमानों की मनोवृत्ति और उदूँ के प्रति उनके अनुचित आकर्षण के इतने सबूत मिल चुके हैं कि इसमें सन्देह करने की कोई गुजाइश नहीं कि विभिन्न अहिन्दी प्रान्तों के मुसलमान प्रान्तीय भाषाये त्याग कर उदूँ अपनायगे, और इसके वही परिणाम होंगे जो ऊपर बतलाये गये हैं। उदूँ और उदूँ लिपि के स्टीमरोलर के नीचे काश्मीर, पजाब और हैदराबाद की देशी भाषायें और लिपियों पिस चुकी हैं। पजाबी पर उदूँ का इतना ज्वरदस्त प्रभाव पड़ा है कि उसका मूल सूस्कृत-बहुल रूप विलकुल बदल गया है। पजाबी मुसलमान जब पंजाबी लिखते ही हैं तो उसे उसकी स्वाभाविक लिपि गुरुमुखी के 'वजाय उदूँ' लिपि में लिखते हैं, और पजाब विश्व-विद्यालय को पजाबी के लिये गुरुमुखी और उदूँ लिपि दोनों को स्वीकार करना पड़ा है। सीमा-प्रात में पश्तो पर उदूँ छाती जा रही है। सिन्ध में मुसलमानों को सिन्धी तभी सह्य हुई जब उन्होंने उसमें जी भर कर अरबी और फारसी ठँस ली और उसकी मूल लिपि देवनागरी हटा कर फारसी लिपि धर ली। सिन्धी का अरबीकरण अब भी जारी है, और चूँकि सिन्ध में मुसलमानों का बहुत बड़ा बहुमत है, उन्होंने सिन्धी हिन्दुओं को भी अपनी अरबी फारसी-मर्यी सिन्धी और फारसी लिपि स्वीकार, करने पर मजबूर कर दिया है। तिस पर भी सिन्ध में उदूँ को खूब प्रोत्साहन दिया जा रहा है।* यह कहना विलकुल यथार्थ होगा कि गांधीजी की 'हिन्दुस्तानी' नहीं 'बरन् उदूँ, और दोनों लिपि' नहीं, बरन् वेवल उदूँ लिपि इस समय भी पूरे पश्चिमी पाकिस्तान की और उसके अलग अलग भागों—पजाब, काश्मीर, सीमा-प्रान्त, वलूचिस्तान—की भी, कामन भाषा और लिपि बन चुकी है। उदूँ पृष्ठे हैदराबाद की भी डीफैक्टो कामन भाषा और साहित्यिक भाषा है। उदूँ के प्रभाव के कारण हैदराबाद की देशी भाषाओं मराठी और तेलगू का

* अब तो सिन्धी का विलकुल अहिन्दीकरण किया जा रहा है और उसके स्थान में उदूँ की प्रतिष्ठा की जा रही है। आगे 'पुनर्लेख' देखिये।

(१) प्रत्येक जिले में एक हिन्दी-रक्षा-सघ स्थापित किया जाय, जिसका उद्देश्य विहार (मुजफ्फरपुर) के सुहृत्त-सघ की भाँति सब उपायों से 'हिन्दुस्तानी' का विरोध और हिन्दी की रक्षा करना हो । एक शब्द में, ये हिन्दी-रक्षा-सघ ही हमारे हिन्दी आन्दोलन के हाथ पैर होंगे । इन सघों की नीति को सगठित रूप से सचालित करने के लिये प्रत्येक हिन्दी प्रान्त में एक प्रान्तीय हिन्दी-रक्षा-सघ स्थापित किया जाय जिसमें प्रान्त के सब सघों के प्रतिनिधि हों ।

(२) हिन्दी जनता में प्रवल आन्दोलन किया जाय कि वह अपने बच्चों को 'हिन्दुस्तानी' या उर्दू और उर्दू लिपि पढ़ाने से साफ़ इन्कार कर दे । जिन सरकारी स्कूलों में मात्यम 'हिन्दुस्तानी' हो, उनमें हिन्दी जनता अपने बच्चों को न भेजे । यदि सरकार 'हिन्दुस्तानी' या उर्दू की शिक्षा अनिवार्य करे, तो उसके विरुद्ध सत्याग्रह करने के लिये हिन्दी जनता को तैयार किया जाय । हम न अपने बच्चों के कोमल मस्तिष्क पर किसी को उर्दू का अतिरिक्त और अनावश्यक बोझ डालने दे सकते हैं (अँगरेज बच्चों को देखिये—उन्हें एक ही भाषा और लिपि सोखनी पड़ती है) और न उन्हें 'हिन्दुस्तानी' पढ़ने दे सकते हैं ।

(३) अगले प्रातीय चुनाव के लिये हिन्दी जनता को अभी से तैयार करना आरम्भ कर देना चाहिये । हिन्दी को चुनाव को एक मुद्दा (issue) बना देना चाहिये । हमें हिन्दी जनता में ऐसी भावना भरनी चाहिये कि वह अगले चुनाव में प्रातीय असेम्बलियों में ऐसे प्रतिनिधियों को चुनकर मेंजे जो हिन्दी प्रातों से 'हिन्दुस्तानी' को समूल निकालने की प्रतिज्ञा करें, हिन्दी को हिन्दी-प्रातों की एकमात्र राजभाषा एवं कामन लिपि बनाये, उर्दू को उससे अधिक स्थान न दे जो उर्दू प्रातों में हिन्दी को दिया जाय, और दफ्तरों, पुलिस, कंचहरियों आदि में अँगरेजी के साथ उर्दू को भी निकाल कर शीघ्र से

फारस और अरब की ओर, केवल शब्दों में ही नहीं बल्कि प्रत्येक महत्व-पूर्ण बात में—शब्दों के रूपों में, अलकारों में, उपमाओं में, छन्दों में, व्याकरण में, स्स्कृति में और लिपि में। जब तक दोनों की दिशा एक न हो, तब तक उनका एक होना और गाधीजी की सरस्वती का प्रकट होना असंभव है। और वात यह है कि हिन्दी की दिशा या प्रवृत्ति वही है जो अन्य प्रान्तीय भाषाओं की। प्रत्येक प्रान्तीय भाषा और उदूँ में सधर्ष का यही मूल कारण है। 'यह हिन्दी—उदूँ' की समस्या' नहीं, भाषा के क्षेत्र में हमारी वही चिर-परिचित हिन्दू—मुसलिम समस्या है। अभी यह हिन्दी—उदूँ के सधर्ष के रूप में दिखाई द्रेती है, शीघ्र ही वह उदूँ—बँगला सधर्ष, उर्दू—तेलगू सधर्ष, उर्दू—तामिल सधर्ष, उदूँ—मराठी सधर्ष, उर्दू—गुजराती सधर्ष, आदि के रूप में दिखाई पड़ने लगेगी। वर्मई में उदूँ—मराठी और उदूँ—गुजराती युद्ध अपनी मव्यम अवस्था में पहुँच चुका है, बँगला में उदूँ और बँगला का युद्ध आरम्भ हो गया है और मद्रास में उदूँ—तेलगू और उदूँ—तामिल युद्ध आरम्भ होने जा रहा है। गाधी जी ने बीमारी की जड़ तक न पहुँच कर बीमारी के एक चिन्हमात्र की चिकित्सा करनी चाही है, और उनका इलाज—५०-५० प्रतिशतवाली 'हिन्दुस्तानी' और 'दोनों लिपि'-बीमारी से भी अधिक भयकर है। जैसा ऊपर बताया जा चुका है, उससे बीमारी और बढ़ेगी। गाधी जी का हिन्दुस्तानी-बाद उदूँ और विभिन्न प्रातीय भाषाओं के युद्ध में सभी प्रान्तीय भाषाओं के परास्त और पददलित होने का कारण बनेगा। वह केवल हिन्दी की अखड़ता, शुद्धता और अस्तित्व पर ही नहीं, बरन् सभी प्रान्तीय भाषाओं की अखड़ता, शुद्धता और अस्तित्व पर कुठाराधात है। हिन्दुओं की शक्ति विभिन्न प्रातीय भाषाओं के बीच में, उनके पृथक पृथक चिकास और साहित्य की अभिवृद्धि करने में वैसे ही बँटी हुई थी, आज गाधी जी ने हिन्दी के केम्ब में जो फूट डाली है और जिस बाद को 'राष्ट्रीयता' का जामा पहनाया है, उसका

दोग करके सर्वत्र हिंदी का प्रचार करें। इन प्रचारकों के कुछ विशेष काम ये होंगे:— १. जनता में यह आन्दोलन करना कि जनना अपने दैनिक जीवन में हिंदी का व्यवहार करे, अपना कुल निजी काम, वही-खाते, कारोबारी काम, पत्र-व्यवहार, आदि हिंदी में करे और व्यापारी-गण अपनी दूकानों पर साइनबोर्ड के पल हिंदी में लगावें, मोटरों और लाग्नियों पर केवल हिंदी में लिखवावें, सिनेमा के इश्तिहार, साइनबोर्ड हिंदी में निकालें आदि, आदि, २. शिक्षित समाज में यह आन्दोलन करना कि प्रत्येक शिक्षित परिवार में कम से कम हिंदी का एक पत्र या पत्रिका अवश्य आवें, ३. सरकार ने इस समय भी हिंदी के लिये जो सुविधायें दे रखती हैं उनसे पूरा लाभ उठाने के देतु पुलिस, म्यूनिसिपेलटी, रेलवे, मालगुजारी के दफ्तर, कोर्ट आफ बार्डस् के दफ्तर तथा अन्य दफ्तरों और मटकमों में हिंदी की स्थिति की पूरी जानकारी प्राप्त करके उसे प्रमाण सहित अधिकारियों के सामने पेश करना और उन पर उचित कार्रवाई करने के लिये जोर डालना (हमारा उद्देश्य यह है कि केवल लिपि ही देचनागरी न हो भरन् भाषा भी हिंदी हो), ४ चकीलों में यह आन्दोलन करना कि वे सब अदालती काम हिंदी में करें, और उनकी सुविधा के लिये हिंदी का अदालती शब्द-कोष, फ़ारम, आदि प्रस्तुत करना, ५ घारा सभाओं के सदस्यों से मिलकर उनसे घारा-सभाओं में हिंदी के विषय में प्रश्न पुछवाना और सरकार पर यह जोर डलवाना कि वह एक हिंदी जॉच-कमेटी की नियुक्ति करे जो राज-व्यवहार और राज-काज में हिंदी की स्थिति की जॉच करके यह बतावे कि हिंदी को उचित स्थान देने के लिये सरकार को क्या क्या करना उचित है, और इस विषय में अपनी सिफारिशें पेश करे, ६. शिष्ट-मण्डल बनाकर सरकारी अधिकारियों से मिलना और उन पर हिंदी के रास्ते की रुकावें दूर करने के लिये और हिंदी को सर्वत्र उचित स्थान देने के लिये जोर डालना, ७. सार्वजनिक सभाओं में हिंदी के समर्थन में प्रस्ताव पास कराना और उनकी नकलें तथा अखबारों की कतरनें

भाषा के क्षेत्र में अपीजमेन्ट पालिसी—'हिन्दुस्तानी' और 'दोनों लिपि'-वाद अपीजमेन्ट के सिवा और कुछ नहीं—की भी वही गति होगी। उसमें केवल समस्या और दुर्लाल होगी (पहले बतलाया जा चुका है) और देश को वास्तविक राष्ट्र-भाषा हिन्दी का बोर अहिन होगा। मुसलमान, जिनके लिये हो यह सब खेड़ा खड़ा किया जा रहा है, हिन्दुस्तानी-वाद से रक्ती भर प्रभावित नहीं। उनकी मातृ-भाषा चाहे हिन्दी हो, चाहे बंगला, तेलगू, तामिल, मराठी, या गुजराती, उन्हें उदूँ छोड़कर किसी दूसरी हिन्दुस्तानी से और उदूँ लिपि छोड़कर किसी दूसरी लिपि से कोई मतलब नहीं। वे 'दोनों लिपि' और गाधीजी के 'हरिजनसेवक' की हिन्दुस्तानी भी कदापि स्वीकार नहीं करेंगे। 'हिन्दुस्तानी' का रहस्य उसी दिन खुल गया जिस दिन रेडियो हिन्दी उदूँ सलोहकार कमेटी में अजुमन-तरक्की-उदूँ के ग्रतिनिर्वि ने घोषित किया कि उसकी और अंजुमन की राय है कि 'हिन्दुस्तानी' के प्रयोग में समय नष्ट न किया जाय। इस मामले में कांग्रेसी मुसलमान और 'नेशनलिस्ट' मुसलमान लीगी मुसलमानों के साथ हैं। यह पढ़ते कहा जा चुका है कि मौलाना आजाद ने आन्त्र के मुसलमानों की ग्रतिक्रियाबादी मौंग का समर्थन किया। जब सब से बड़े कांग्रेसी मुसलमान का यह हाल है तो दूसरे मुसलमानों का क्या कहना। एक दूसरा सबूत यह है कि यद्यपि हिन्दू कांग्रेसी नेता अपने भापणों में निश्चिता, उदारहृदयता, 'एकता'-ग्रियता और न जाने क्या क्या दिखाने को उदूँ शब्द जान रेख कर भरते हैं, कांग्रेस के मुसलमान नेता सदेव शुद्ध उदूँ में बोलते हैं (लीगी मुसलमानों के मुकाबले में कांग्रेसी मुसलमानों का कोई विशेष महत्व नहीं, यह बात अलग है।) फलतः राष्ट्रीय प्रकरणों में या चर्चा की 'हिन्दुस्तानी' चलती है या उदूँ। हिन्दी कहीं दिल्लाई नहीं देती। आज की अन्तर्कालीन सरकार को ही देख लीजिये। उसमें या उदूँ पर जान देनेवाले हैं या 'हिन्दुस्तानी' पर मरने वाले अर्थात् आवे उदूँ शब्द और देवनागरी के साथ साथ उदूँ लिपि का प्रचार करने वाले और चाहने

अँगरेजी का है)। ऐसी अवस्था में यदि राष्ट्र-भाषा यह 'हिन्दुस्तानी' हुई, तो जिस प्रकार आज सार्वदेशिक भाषा अँगरेजी के सैकड़ों अनावश्यक शब्द प्रातीय भाषाओं में बुसते चले जा रहे हैं, प्रातीय भाषाओं और अँगरेजी के मेल से खिचड़ी भाषाओं की ('वायू हिन्दुस्तानी' या इङ्ग्लिस्तानी की भौति) सृष्टि हो रही है, और ये खिचड़ी भाषाएँ ही शिक्षित ममाज की बोलचाल की भाषाएँ होती जा रही हैं और अँगरेजी शब्दों का निकालना अत्यन्त कठिन साधित हो रहा है, उसी प्रकार सार्वदेशिक भाषा 'हिन्दुस्तानी' के प्रभाव के कारण 'हिन्दुस्तानी' द्वारा 'हिन्दुस्तानी' के सैकड़ों अनावश्यक अरबी फारसी शब्द प्रातीय भाषाओं में उनके अपने शब्दों को निकाल कर उनके स्थान में जा देंगे (मुख्लमान आग्रह के साथ बैठायेंगे), और इस प्रकार हिन्दी के समान मस्कुत-निष्ठ अन्य भाषाएँ जैसे बँगला, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी, तेलगू, तामिल, कन्नड़ और मलयालम, आदि भी विकृत होती चली जायेंगी, और उनका पुराना साहित्य आने वाली पीढ़ियाँ के लिये अपरिचित और दुर्लभ होता चला जायगा। राजभाषा फारसी के समय में छोर की भाषाओं बँगला और तामिल तक में अनेक अरबी फारसी शब्द बुझे, राजभाषा अँगरेजी के प्रभाव के कारण प्रातीय भाषाओं की दुर्दशा आज हम अपनी ओँखों से देख रहे हैं, आगे राष्ट्र-भाषा 'हिन्दुस्तानी' के समय में प्रातीय भाषाओं में हजारों अनावश्यक विदेशी अरबी फारसी शब्दों का शुक्लना अनिवार्य है। इसी आने वाले खतरे की कल्पना करके श्रीयुत के० एम० मुशी ने कहा है कि 'हिन्दुस्तानी' से गुजराती को हानि पहुँचेगी, और दा० सुनीतिकुमार चटर्जी ने कहा है कि 'हिन्दुस्तानी' का बँगला पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। अहिन्दी लोग जरा सोच समझ कर काम करें। गाधी जी के कहने से मानवेश में आकर अपने पैर में अपने हाथों से कुर्हाई न मारें। (देखिये परिशिष्ट ११)

'हिन्दुस्तानी' और हिन्दुस्तानी-चाद से प्रातीय भाषाओं को एक और

कुछ परिवर्तित रूपों में जानते या मानते हों, के समान स्थान देना कहाँ तक राष्ट्रीय, जनतंत्रात्मक या विजान-सम्मत ही है ? क्या राष्ट्रीय-भाषा के निमित्त दो लिपि के सिद्धान्त को मान कर केवल तात्कालिक कठिनाई को दूर करने के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय धाती, अ-जनतंत्रात्मक समझौता नहीं किया जा रहा है, और क्या वह अव्यावहारिक होने के अतिरिक्त राष्ट्रीयता, जनतंत्र और एकता के मूल पर कुठाराधात नहीं करता और क्या इसे मानने से, यदि देश को ऐसी मुसीकों से बचाना है जिनका अत कभी न होगा, हमें साफ इन्कार न कर देना चाहिये ?

३

'हिन्दुस्तानी' का रहस्य

—भाषा-त्रेताओं के मुख से—

हिन्दी के प्रसिद्ध विद्वान् श्रीचन्द्रबली पाडे अपने 'True Genesis of Hindusthani' शीर्षक लेख में लिखते हैं :—

"It is generally alleged that the question of high Hindi first sprang up from the establishment of Fort William College (1800) under the patronage of Dr. Gilchrist. But the policy as regards Hindi, Urdu and Hindustani followed by the Fort William College, as it has been explained by Gilchrist himself was that— "In the Hindustani, as in other tongues, we might enumerate a great diversity of styles, but for brevity's sake, I shall only notice three here, leaving their sub-divisions to be discussed along, with the history of the language which has been reserved for the second volume First, the High Court or Persani

(यदौं तक कि आधुनिक पंजाबी ने अपना प्राचीन सस्कृत-बहुल स्वरूप विलकुल त्याग कर अपने को अरबी फारसी के गग में रँग लिया है) ।

यदि मुसलमानों ने मातृ-भाषा छोड़ कर उदूँ को न अपनाया, तो भी इतना तो निश्चित है कि वे राष्ट्र-लिपि फारसी सीखने के बाद अपनी अपनी मातृ-भाषायें प्रातीय लिपियाँ छोड़ कर फारसी लिपि में लिखना आरम्भ करेंगे, प्रत्येक प्रातीय भाषा की दो दो लिपियाँ हो जायेंगी (एक 'हिन्दू लिपि' और एक 'मुस्लिम लिपि') और प्रत्येक प्रात में हिन्दी लिपि-उदूँ लिपि जैसा भगड़ा पैदा हो जायगा ॥ । मुसलमानों को कहने का बहाना मिलेगा कि इससे एक राष्ट्र-लिपि फारसी का प्रचार बढ़ता ही तो है, क्यों न हिन्दू भी अपनी अपनी मातृ-भाषा देवनागरी में लिखें जिसमें देश में केवल दो लिपियाँ देवनागरी और फारसी लिपि रह जायें ॥ अहिन्दी स्वयं सोच देखें, वे अपनी अपनी मातृ-लिपि छोड़ना चाहते हैं या नहीं, और प्रत्येक प्रान्तीय भाषा की दो दो लिपियों का हो जाना चाहते हैं या नहीं । लिपि-विभाजन के बाद यह निश्चित

क्य यह कोरी कल्पना नहीं है । सिन्ध में मुसलमानों ने सिन्धी को देवनागरी छोड़कर फारसी लिपि में लिखना आरम्भ किया, और जब सिन्ध में उनका बहुमत हो गया तो उन्होंने हिन्दू सिन्धियों को भी देवनागरी छोड़कर फारसी लिपि अहण करने पर मजबूर किया । इसको केवल सौ घर्ष बीते हैं । फलतः सिन्धी की लिपि फारसी हो गई, और किसी को अब याद भी न रहा कि उसकी पुरानी लिपि क्या थी, यद्यपि पुरानी सिन्धी पुस्तकें देवनागरी में अब भी मिलती हैं । विभिन्न हिन्दू प्रान्तों में चूँकि मुसलमानों का अल्पमत होगा, प्रान्तीय भाषाओं की लिपि अकेली फारसी लिपि तो नहीं होगी वरन् दो दो लिपियाँ होंगी—एक वर्तमान लिपि और एक फारसी लिपि । पंजाब में मुसलमान पंजाबी फारसी लिपि में लिखते हैं, यद्यपि सिव्य अपने धर्म के कारण अभी तक गुरुमुखी से चिपके हुये हैं । पंजाब विश्वविद्यालय ने पंजाबी की दोनों लिपियों को स्वीकार कर लिया है । गुरुमुखी आज ही केवल सिक्खों की धार्मिक लिपि कहलाती है, आश्चर्य नहीं यदि कुछ समय बाद पंजाबी की सांसारिक लिपि केवल एक, फारसी लिपि, मानी जाय । (देखिये उत्तर—परिशिष्ट ३) ।

भूत बोली के अर्थ में प्रयुक्त करने का प्रयत्न हृत्रा है, परन्तु इन कोशिशों के वाचजूद लगभग सब ऑगरेज और अन्य विदेशी लोग अब भी ‘हिन्दुस्तानी’ और ‘उदू’ दोनों शब्दों को हिन्दी भाषा की एक ही शैली अर्थात् उस शैली का वोधक समझते हैं जो फारसी लिपि में लिखी जाय और जिसमें अरबी फारसी शब्दावली प्रयुक्त की जाय।”

काग्रेस की हिन्दुस्तानी के विषय में डा० चटर्जी उसी पुस्तक में आगे फिर लिखते हैं—

“अब काग्रेस हिन्दुस्तानी के ठेठ आधार अर्थात् खड़ी बोली, जिस पर साहित्यिक हिन्दी और उदू दोनों की नींव रखकी हुई है, के आधार पर एक नई भाषा वा साहित्यिक शैली गढ़ने का विचार इस कथित हरादे के साथ कर रही है कि विदेशी अरबी-फारसी शब्दों, जिन पर मुस्लमान नेता ज़ोर देते हैं, और देशज हिन्दी और स्कृत शब्दों, जिन पर हिन्दुस्तानी-भाषी ज्ञेत्र के तथा शेष भारत के हिन्दू ज़ोर देते हैं, के बीच में एक उचित और न्याय सन्तुलन रखना जाय। परन्तु व्यक्तिर में यह फारसी-नियाँ हिन्दुस्तानी बन रही है जिसे गुजराती, बगाली, महाराष्ट्री, उडिया और दक्षिण के लोग नहीं समझ पाते (परन्तु फिर भी उनसे हिन्दुस्तानी के इस रूप को गण्डू भाषा के रूप में ग्रहण करने के लिये कहा जाता है) + और जिसमें विदार और

+ उदाहरण के लिये बी० बी० सी०, मास्को रेडियो, अकारा रेडियो और अन्य विदेशी रेडियो रेशनों की ‘हिन्दुस्तानी’ सुन कीजिये, जो शुद्ध उदू है—आल इडिया रेडियो की ‘हिन्दुस्तानी’ नामधारी अपेक्षाकृत पतलां चाशनी वाली उदू भी नहीं।

+अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी के गुजराती, महाराष्ट्री, बगाली, आसामी, उडिया और दक्षिण भारतीय सदस्य प्रायः यह शिकायत करते सुने जाते हैं कि हम पं० बालकृष्ण शर्मा और श्री टण्डनजी के हिन्दी भाषण तो काफी अच्छी तरह समझ लेते हैं परन्तु पं० नेहरू, सौजाना आज्ञाद और आचार्य छपलानी की ‘हिन्दुस्तानी’ ढीक ढीक हमारी समझ में नहीं आती।

इसमें सहायक होगी। मुस्लिम शैलियों के बनने के बाद प्रत्येक प्रान्तीय भाषा में हिन्दी उद्दृ का सा कलह आरम्भ होगा, और मुसलमान मौंग करेंगे कि प्रान्तीय जीवन में उनकी शैली हिन्दू शैली के समकक्ष रखनी जाय। (उस समय गाधीजी हिन्दुओं के ओर पोलेंगे, और काका कालेलकरजी कहेंगे कि भारत ने मुसलमान भी तो है, उनकी भाषा और स्वत्ति को कैसे छोड़ा जा सकता है !)

अहिन्दवों को ये सब बातें खोलकर समझानी चाहिये। उन्हें दूसरी ओर हिन्दी का महत्व भी समझा देना चाहिये। हिन्दी और देवनागरी के प्रचार से किसी प्रान्तीय भाषा को कोई खतरा नहीं, हिन्दी और देवनागरी के राष्ट्रभाषा और राष्ट्र-लिपि होने पर प्रान्तीय भाषाओं को उल्टे और मठद मिलेगी। क्यों ? हिन्दी और देवनागरी पर मुसलमान मोहित नहीं, विभिन्न प्रान्तों के मुसलमान अपनी अपनी मातृ-भाषा छोड़कर हिन्दी अपनाना कभी न चाहेंगे, और न कभी अपनी अपनी मातृ-लिपि छोड़कर अपनी अपनी मातृ-भाषा देवनागरी में लिखना पसन्द करेंगे, और हिन्दुओं को तो अपनी अपनी मातृ-भाषा और मातृ-लिपि में अगाध प्रेम है ही (होना ही चाहिये), हिन्दुओं का काउं जाग तो अपनी मातृ-भाषा या मातृ-लिपि छोड़ने की कल्पना भी नहीं कर सकता। हिन्दी और विभिन्न प्रान्तीय भाषाओं का हृदय एक है, आत्मा एक है और सद्बृति एक है। सब सत्कृत के बातावरण में रँगती जा रही है कि न जाननेवाले समझने लगे हैं कि वह संस्कृत परिवार की भाषा ही नहीं है। फारसी लिपि के प्रभाव से मुस्लिम पंजाबी और उद्दृ में केवल क्रियाओं और विभक्तियों का अन्तर रह गया है। सिन्ध में सिन्धी की हिन्दू शैली हिन्दुओं के अल्पमत में होने के कारण गँड़ हो गई, सिक्खों की पंजाबी अभी तक जीवित है, विभिन्न प्रान्तों में प्रान्तीय भाषाओं की हिन्दू शैलियाँ गँड़ तो न होंगी, बस प्रत्येक प्रान्तीय भाषा की दो दो शैलियाँ हो जायँगी। (देखिये उत्तर—परिशिष्ट ३) ।

जिसे सब भारतीय जानते और सीखते हों” का लच्चा ही अष्ट हो जायगा या ग्रूप ‘ए’ के हिन्दू अमल में उदूर्चुनने पर वाध्य होंगे या किये जायेंगे और वही सारे राष्ट्र की डी पैकटो कामन भाषा या राष्ट्र-भाषा होंगी।

प्रत्यक्ष है, परिस्थिति ऐसी है कि काग्रेस के हिन्दुस्तानी-वाद का अर्थ है उदूर्चु और उदूर्चु लिपि को पिछुबाड़े के रास्ते से प्रविष्ट कर राष्ट्र पर राष्ट्र-भाषा और राष्ट्र-लिपि के रूप में लाद देना।

यह भली माँति समझ लेना चाहिये कि ऊपर जो कुछ कहा गया है उसके सत्य होने के लिये कैबीनेट मिशन की योजनानुसार ग्रूपों का बनना आवश्यक नहीं है। ग्रूप ‘बी’ में वही प्रान्त ही तो हैं जिन्होंने न आज तक वर्धा के हिन्दुस्तानी वाद से बोस्ता रक्खा है, और न कभी रक्खेंगे, चाहे वे अलग अलग रहें और चाहे एक ग्रूप में आवद्ध हो जायें। और ग्रूप ‘ए’ में वही प्रान्त हैं जिनकी पृथक पृथक सरकार काग्रेसी होने के नाते उसी नीति का अनुसरण करेंगी जो उन सब की एक काग्रेसी, सम्मिलित केन्द्रीय सरकार की हो सकती है। कैबीनेट मिशन की ग्रूप-योजना ने केवल उसी बात को स्पष्ट-तर कर दिया है जो भाषा के मामले में उसके बिना ही काफी स्पष्ट थी और है। इसके अतिरिक्त, यदि मन के लड्डू फोड़ना छोड़ दिया जाय तो इसका कोई चिन्ह दृष्टिगोचर नहीं होता कि प्रान्तों के ग्रूप नहीं बनेंगे, अथवा यदि बनेंगे तो वे भाषा और स्वस्कृति का विषय केन्द्रीय सरकार को सौप देंगे। कम से कम ग्रूप ‘बी’ का बनना निश्चित है, और इतना काफी है। कोई यह भी न समझे कि इस ग्रूप वाजी के बाद काग्रेस ५०-५० प्रतिशत वाली ‘हिन्दुस्तानी’ और ‘दोनों लिपि’ (अथवा हिन्दी और उदूर्चु दोनों) को ग्रूप ‘ए’ की कामन भाषा और लिपि, और इसलिये शिक्षा का अनिवार्य विषय, घोषित करने की मुख्यता नहीं करेगी। जो काग्रेस (अर्थात् विभिन्न काग्रेसी प्रान्तीय सरकारे) सन् १९३८ ई के अपने अल्प राज्य-काल में यह भली माँति जानते हुये भी कि मुस्लिम प्रान्त वर्धा की ‘हिन्दुस्तानी’ और ‘दोनों

उत्तमोत्तम भव्या का हिन्दी ने अनुपाद करना चाहिये, उन ने भगवान् और हिन्दी की व्यजना-शक्ति के पूरक शब्द ग्रहण करना चाहिये, और इस प्रकार हिन्दी को वास्तविक गण्डू-भाषा बनाना चाहिये। हिन्दी वाले कहते किरने हैं कि हिन्दी अन्य प्रातीय भाषाओं के निकट है, इसलिये वही गण्डू-भाषा है, परन्तु इन भाषाओं के गत्तन अपनी हिन्दी के गजाने में लाकर नहीं भगते। व औरां से अपनी भाषा हिन्दी पढ़ने के लिये कहते हैं, परन्तु न्यू उर्दू के गिरा कोई अन्य प्रातीय भाषा नहीं पढ़ते। जिस प्रकार हिन्दी के साहित्यिक उर्दू पढ़ते हैं, उर्दू की अच्छी वाँत, आवश्यक शब्द और प्रवृत्तियाँ हिन्दी में लाने हैं, उसी प्रकार क्यों न वे अन्य प्रातीय भाषायें भी पढ़ें और उनकी ढौलत ने हिन्दी के गजाने को भरें ? हिन्दी अन्य प्रातीय भाषाओं के निकट है, वही उन्हें एक सूत्र ने विरो मकती है, वही सास्कृतिक एकता स्थापित कर मकती है—ये वाँतें काहने की नहीं, कर दिखाने की हैं। जिस प्रकार यदि आज फोड़ वैवल एक भाषा सीख कर संसार की सब भाषाओं के अमर नाहित्य का अनुशीलन करना चाहे, तो वह अँगरेजी सीखेगा, उसी प्रकार हिन्दी में कम से कम समस्त भारतीय—प्राचीन अथवा अर्वाचीन, मस्तूत और प्राकृत का, अथवा आत्मिक भारतीय भाषाओं का—साहित्य तो लभ्य हो। जिस में एक भारतीय अथवा अभारतीय केवल हिंदी पढ़ कर समस्त भारतीय साहित्य की उत्तमोत्तम कृतियों का रसास्थान कर सके। ऐसा होने से हिन्दी का लाभ ही लाभ है। ज्ञोभ का विषय है कि हिन्दी वाले अँगरेजी की उत्तम पुस्तकों का तो हिन्दी में अनुवाद करते हैं, परन्तु प्रातीय भाषाओं को उत्तम पुस्तकों का अनुवाद नहीं करते। वे प्रातीय भाषायें जानते ही नहीं। यदि हिन्दी-जन प्रातीय भाषाओं की और व्यान ठेंगे, तो एक और लाभ होगा—अन्य प्रान्तीय भाषा-भाषी भी जब अपनी भाषा के टावरे से बाहर अपनी सुनवाई करना चाहेंगे, तो अँगरेजी के वजाय (जिसमें वे ब्राज लिखते हैं) हिन्दी में लिखेंगे। हम प्रकार हिन्दी वाङ्मय उच्चरोत्तर समृद्ध और भारतीय

की रक्षा और आठर करेगी। कांग्रेस अपनी इस धोषणा का पालन करे। कम से कम हिन्दी के अपने निजी प्रदेश में अर्थात् सयुक्त-प्रान्त, बिहार और मध्य-प्रान्त, इन हिन्दी प्रान्तों में हिन्दी का अखण्ड राज्य रहना चाहिये और इनमें सारा काम-काज जैसे राज्य-व्यवहार, शिक्षा का काम और सार्वजनिक व्यवहार परंपरागत शुद्ध हिन्दी में होना चाहिये। कांग्रेस इन हिन्दी प्रान्तों पर अपनी 'हिन्दुस्तानी'-उसकी अन्तिम रूपरेखा कांग्रेस चाहे जो भी निश्चित करे—प्रान्तीय भाषा के तौर पर न लादे। इन प्रान्तों की जनता ने विगत शताब्दियों में हिन्दी को रूप दिया है और उसकी वाणी हिन्दी साहित्य के रूप में प्रस्फुटित हुई है, इनलिये इन प्रान्तों में हिन्दी को छोड़कर प्रादेशिक भाषा के बतौर किसी दूसरी हिन्दुस्तानी का कोई अधिकार नहीं, उसी प्रकार जिस प्रकार अन्य प्रान्तों में परंपरागत प्रान्तीय भाषा को छोड़कर किसी दूसरी भाषा का प्रान्तीय प्रकरण में कोई स्थान नहीं। कांग्रेस वी धोषणा का यही अर्थ निकलता है और इसी प्रकार हिन्दी, परंपरागत हिन्दी, के हितों की रक्षा हो सकती है। राष्ट्र को, यदि वह ऐसा करना ही चाहे तो, राष्ट्र-भाषा निर्माण करने का अधिकार हो सकता है परंतु उसे राष्ट्र के किसी भाग या राष्ट्र की जनता के किसी भाग पर उसकी निजी परंपरागत भाषा हटा कर उसके स्थान में राष्ट्र-भाषा लादने का कोई अधिकार नहीं। यदि राष्ट्र-भाषा को ऐसा और वैसा होना चाहिये, ऐसी और वैसी स्थृति का प्रतीक होना चाहिये, तो खुशी से राष्ट्र उसे हच्छानुसार गढ़े, परन्तु, हमारी निजी भाषा हिन्दी और हमारी निजी स्थृति के प्रतीक हिन्दी का भी तो अपने प्रदेश में पूर्ण अधिकार रहना चाहिये। हम कांग्रेस से अपील करते हैं कि वह हिन्दी को अपने घरमें से निकाल कर 'हिन्दुस्तानी' को बसाने का प्रयत्न करना छोड़ दे।

केन्द्र में भी (जैसे आल इन्डिया रेडियो, सरकारी फिल्म, केन्द्रीय सूचना विभाग, आदि) हिन्दी, परंपरागत शुद्ध हिन्दी, को कम से कम वह स्थान दिया जाय जो अन्य प्रान्तीय भाषाओं को दिया जाय। हम कांग्रेस से, जिसके

को शासनाप्रो को गिरती हुड़ हालत को उन्हें मुधारना होगा । यदि अहिन्दी गाथी की आँधी में पथ-भ्रष्ट हो गये हैं, तो हिन्दियों का कर्तव्य है कि वे इस आँधी के बेंग को मैंभालें, और अपने पथ-भ्रष्ट भाइयों जे रिक्त स्थान की पूर्ति करें । उन्हीं को हिन्दी को सबने अधिक नवाग है, इसलिये उन्हीं को सबमें अधिक कियाशील होना चाहिये । आँधी निकल जाने के बाद सत्य की विजय निश्चित है, परन्तु हिन्दी बाले मैटान में ढटे रहे तब तो । यदि मैटान में हिन्दी का भरडा फहराता रहेगा तभी तो आशा है कि नेना उसके तले फिर एकत्र हो सकेगी । हिन्दी प्रचार का क्षेत्र कितना ही मकुचित क्यों न हो जाए, हिन्दी के अहिन्दी प्रचारक किनने ही कम क्यों न हो जायें, परन्तु “न देन्यम् न पलायनम्” । हम गजनीति में गाथों जी के अनुयायी ही तो हैं न ? हमें लडाई के तमय उन्हीं की मिसाल सामने खेनी चाहिये । यदि हमने सत्तर का बल दियाया तो, श्रीयुत मुशी के शब्दोंमें, “हम गाथी जी को जीत लेने में डेर न लगेगी” । उदयपुर में श्री मु गी ने हिन्दी बालों से पृष्ठा था, “क्या सम्मेलन इन शक्तियों को प्राप्त करेगा ? ” हने हिन्दियों के इस प्रचारक विद्यालय वा एक हिन्दी प्राप्त में डोलकर उन्हें इन प्रश्न का उत्तर देना चाहिये । यदि हमने अपने आकान्त वा प्रमाण के कागज राष्ट्रमापा प्रचार नमिनि दे भवन को गिरने दिया, तो हमसे बढ़कर अभागा और पारी कोई दूसरा न होगा । हम उठन जी के सामने नुँह दिनाने थोग्य न रहेंगे । अहिन्दी प्राप्तों के हिन्दी-प्रेमी जन इस गाढे समय में हमारी ओर निहार रहे हैं, हममें सहायता जी आस लगाये वैठे हैं । क्या हम उन्हें निराश करेंगे और वह भी अपनी ही भाषा के प्रचार के विषय में ?

(५) रेडियो और सिनेमा पर अधिकार करना चाहिए । रेडियो के विषय में पहले कहा जा चुका है । रेडियो स्वदेश में ही नहीं, विदेश में भी हिन्दी-प्रचार का कितना जवर्दस्त साधन हो सकता है, वह बताने की जरूरत नहीं । विदेशों तक तो रेडियो ही हिंदी और हिन्दी सस्कृति का सदेश पहुँचा

जैसा कि मध्य-प्राति के प्रधान-मंत्री ने कहा है, हिन्दुस्तान राष्ट्र की नागरिकता के अधिकार न दिये जायें। पूरे भारत के मुसलमानों ने अपने आप को एक पृथक राष्ट्र बताते हुये एक पृथक धास-भूमि की माँग की है, और उन्हें अब यह मिल चुकी है और स्पष्टतः भारत का बैटचारा धर्म के आधार पर हुआ है, अतः इस्लाम धर्म के किसी अनुयायी को हिन्दुस्तान में नागरिकता के अधिकार नहीं मिल सकते। चित और पट दोनों मुसलमानों की नहीं हो सकती। गाधी जी के कहने पर पाकिस्तान जैसे स्थूल सत्य को नजरअन्दाज नहीं किया जा सकता। ‘अल्पसख्यक’ के किसी भूठे नाम पर पाकिस्तान के फिफ्थ कालम को स्वच्छन्द नहीं छोड़ा जा सकता। जहाँ तक नाम का सम्बन्ध है, ‘हन्डिया’ प० नेहरू की, जो मौलाना आजाद की साढ़यानुसार स्वप्न भी अँगरेजी में देखते हैं, स्व-भाषा का शब्द होगा, परन्तु ६६६ प्रतिशत भारतीयों की मातृ-भाषा का शब्द नहीं है। प० नेहरू की सनक पूरी करने के लिये इतिहास नहीं बदला जा सकता। नाम में केवल एक परिवर्तन हो सकता है और अवश्य होना चाहिये। वह यह कि फारसी ‘स्तान’ बदल कर ‘स्थान’ अथोत् ‘हिन्दुस्तान’ अब ‘हिन्दुस्थान’ कर दिया जाय।

‘हिन्दुस्तानी’ की टोय-टोय फिस

इन बातों को छोड़कर अब मूल विषय पर आइये। हिन्दुस्थान की राष्ट्र भाषा क्या हो ? स्पष्ट है, हिन्दुस्थान की राष्ट्र-भाषा हिन्दी हो। ‘हिन्दुस्तानी’ और ‘दोनों लिपि’ के मुकाबले में हिन्दी और देवनागरी का पक्ष शाश्वत तकों और सिद्धान्तों पर आधारित है और उसका राजनीतिक लौट-पौट से कोई लगाव नहीं रहा है, परन्तु अब तो हिन्दुस्तानी-चाद की काई जड़ ही नहीं रह गई। जिन प्रदेशों और जिन लोगों को फॉसने के लिये कांग्रेस ने हिन्दुस्तानी-चाद अपनाया था अब वे ही अलग हो गये। कांग्रेस ने ५०-५० प्रतिशत भाली ‘हिन्दुस्तानी’ और ‘दोनों लिपि’ का बखेड़ा मुसलमानों को राष्ट्र-

रेडियो-आनंदोलन के विषय में एक बात और स्पष्ट कर देनी चाहिये। सम्मेलन ने रेडियो से सहयोग करनेवाले साहित्यिकों का वहिप्कार किया सो तो ठीक, परन्तु इससे भी अधिक आवश्यकता उन हिन्दी साहित्यिकों का वहिप्कार करने की है जो रेडियो में जाकर रेडियो वालों के समझाने फुसलाने से, डराने धमकाने से या पैसे के लालच से या रेडियो वालों को खुश करने के इरादे से अपनी स्वामाधिक हिन्दी शैली छोड़कर रेडियो की 'हिन्दुस्तानी' बूँकने लगते हैं। वे हिन्दी पर शर्म का ऐसा वोझ लादते हैं जो किसी के उठाये नहीं उठ सकता। जिन स्वाभिमानी हिन्दी वक्ताओं या लेखकों से रेडियो वाले अपनी शैली में परिवर्तन करने के लिये कहें, उन्हें उचित है कि वे पाहुलिपि रेडियो वालों के सिर पर पटक कर पत्रों में खबर दें, और रेडियो वालों की नीति का भरणाफोड़ करें। किसी अँगरेजी वाले से तो रेडियो वाले कुछ कहने का साहस न करेंगे। हमारे ही देश में हमारी भाषा का यह अपमान !

रेडियो के बाद सिनेमा का नम्बर है। जो जो बातें रेडियो के लिये कही जा सकती हैं, वही सिनेमा के लिये कही जा सकती हैं। अन्तर केवल इतना है कि जहाँ रेडियो सरकार द्वारा संचालित है, वहाँ सिनेमा आदर्शहीन पूँजीपतियों द्वारा संचालित है, जहाँ हिन्दी पत्र रेडियो की नीति का विरोध करना अपना कर्तव्य समझते हैं, वहाँ वे सिनेमा की भाषानीति के विरुद्ध एक शब्द कहना नहीं चाहते। क्यों, यह राम जाने।

यदि हिन्दी पत्र पैसे और विज्ञापन के लालच में न आकर चित्रों की भाषा की निष्पक्ष और मुँहफट समालोचना करें, तो कोई कारण नहीं उनकी भाषा क्यों न सुवरे। ऐसा करने के बजाय वे वैधे हुये लेखकों की समालोचनाएँ छाप देते हैं जिन्हें 'हिन्दुस्तानी' के सिवा कोई दूसरा शब्द नहीं मालूम, जो चित्र की भाषा की ओर ध्यान देना आवश्यक ही नहीं समझते, और यदि ध्यान देते हैं, तो 'हुमायूँ' की भाषा को भी 'हिन्दुस्तानी' लिख

परन्तु कृपा करके वे अपनी भाषा को हत्या न करें। उन्ह सदैव अच्छी हिन्दी में लिखने का प्रण करना चाहिये। जब उनकी हिन्दी-प्रदेश की वहुसंख्यक जनता की भाषा और वास्तविक राष्ट्र-भाषा है तो उन्हें डर क्या, हिन्दी लिखने में सकोन्न क्यों? उन्हें किसी भी परिस्थिति में अपनी हिन्दी विगाहना स्वीकार न करना चाहिये। उन पर वहुत कुछ हद तक हिन्दी का भविष्य निर्भर है, फिर वे हिन्दी की अवहेलना कैसे कर सकते हैं? चित्रों में हिन्दी शब्दों के साथ-साथ लगे हुये किञ्चित कर्ण-कटु अरवी फारमी शब्दों को सुनकर हृदय में शूल सा चुभता है। ‘रामशास्त्री’, ‘चित्राचली’, ‘हमराही’ जैसे चित्रों की भाषा सुनकर अत्यन्त क्लेप होता है। यह बात नहीं है कि हिन्दी लेखकों को अपनी भाषा से प्रेम न हो, परन्तु वे वहुत जल्दी, जरा से इशारे पर अपने शब्द छोड़ देते हैं और विदेशी शब्द झट अपना लेते हैं—लिखने में भी और बोलचाल में भी। उन्हें इस मामले में उर्दू लेखकों से शिक्षा लेनी चाहिये जो सरल से सरल उर्दू लिखना मज़ूर कर लेंगे, परन्तु लिखेंगे उर्दू ही—एक भी हिन्दी शब्द नहीं अपना सकते।

(६) हिन्दी प्रान्तों के अथवा अहिन्दी प्रान्तों के हिन्दी पत्रों को हिन्दुस्तानी प्रचार और हिन्दुस्तानी वालों के विचारों के प्रचार का साधन कठापि न बनने देना चाहिये। हिन्दुस्तानी वालों के पास वैसे ही अपरिमित साधन हैं, कम से कम हिन्दी पत्र तो उन्हें योग न दें और हिन्दी का व्यान रखें। उन्हें हिन्दुस्तानी-प्रचार से सम्बन्धित सब समाचार तो निष्पक्ष होकर देना चाहिये (यह समाचार पत्रों का प्रथम कर्तव्य है), परन्तु उन्हें ‘हिन्दुस्तानी’ की बकालत न करना चाहिये, और ‘हिन्दुस्तानी’ को बकालत करने वाले लेख, ‘हिन्दुस्तानी’ में लिखे हुये लेख, सूचनायें, आदि न छापना चाहिये। महाराष्ट्र के काग्रेसी पत्रों ने सम्मेलन की राष्ट्र-भाषा प्रचार समिति के समाचार ही छापना बन्द कर दिया, इतना ही नहीं,

उन्होंने उसे बदनाम करने का प्रयत्न किया (देखिये परिशिष्ट १०) । हिंदी पत्रों को इसका कम से कम इनना जबाब तो देना चाहिये । हिन्दी पत्रों को अपने हाथ से अपने गले में मौत का फन्दा न डालना चाहिये ॥

हिंदी पत्रों को इससे अधिक करना है । उन्हें हिंदी की वकालत करना चाहिये, हिंदुस्तानी-चाद का विरोध करना चाहिये (इस प्रकार नहीं कि उसका और विज्ञापन हो), हिंदुस्तानी वालों की कारगुजारी से, उनके इथकड़ों से और कार्यकलाप से हिंदी जनता को परिचित करना चाहिये, हिंदी जनता को 'हिंदुस्तानी' के खतरे से सूचित करना चाहिये, हिंदों की रक्षा में पूर्ण सहयोग देना चाहिये, 'हरिजनसेवक'x और 'नया हिन्द'+ जैसे 'हिन्दुस्तानी' के पत्रों से हिन्दी जनता को साधारण करना चाहिये, और हिन्दी प्रान्तों में कांग्रेसी सरकारों की 'हिंदुस्तानी' विपयक नीति का तीव्र विरोध करना चाहिये । आधुनिक युग में प्रेस की बहुत बड़ी शक्ति है । हमें हिंदी प्रेस से पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिये ।

हिन्दियों, उठो, जागो, अपनी शक्ति एकत्र करो और हिन्दी की रक्षा में, हिन्दी की सेवा में जुट जाओ । तुम हिंदी माता की उपेक्षा करके एक शताब्दी तक अपमानित हुये, लज्जित हुये और पतन के गर्त में और

* यदि थ्रॅंगरेज़ी पत्रों को कोई स्वराव थ्रॅंगरेज़ी में लेख या सूचना लिख कर भेजे, तो थ्रॅंगरेज़ी पत्र तो उसे न छापेंगे, और यदि छापेंगे तो उसकी भाषा शुद्ध करके छापेंगे । हिन्दी पत्र ही स्वराव हिन्दी, जानवृक्ष कर स्वराव की हुई हिन्दी अर्थात् 'हिन्दुस्तानी' के लोक, आदि क्यों छापें ? हिन्दी पत्रों को भी अपनी भाषा का उत्तरांश ही ध्यान रखना चाहिये । चूंकि उस स्वराव हिन्दी के लिखने वाले कोई पं० सुन्दरलाल या ढा० ताराचंद हैं, इस कारण वह ग्राम थोड़े ही हो जायगी । (देखिये पृष्ठ २६-२७)

x देखिये परिशिष्ट १४ ।

+ पं० सुन्दरलाल और ढा० ताराचंद द्वारा सम्पादित 'हिन्दुस्तानी' का एक नया मासिक (देखिये पृष्ठ १२१) ।

गहरे गिरते गये। अब तुम फिर हिंदी नहीं छोड़ सकते, उसकी हिन्दुस्तानी नहीं कर सकते। प्राचोन काल में संस्कृत ने तुम्हें सर्वोच्च स्थान पर बैठायाथा, आज तुम हिन्दी को भी बिकृत नहीं होने दे सकते। “संस्कृत के स्वर्ग का संचय आज गिरते गिरते तुम्हारी हिंदी की आधारशिला पर रुका है।” हिंदी, शुद्ध हिंदी तुम्हारी कम से कम आवश्यकता है—तुम शुद्ध हिंदी से कम कुछ स्वीकार नहीं कर सकते। यदि तुमने हिंदी को बिकृत होने दिया, तो अन्य प्रान्तों के बासी तो अपनी अपनी शुद्ध सस्कारी भाषाओं से प्रेरणा प्राप्त करेंगे, केवल तुम्हीं एक अभागे होगे। तुम हिंदी की गोद में पलकर बड़े हुये हो, हिंदी के अचल में तुम्हारे पूर्वजों के वैभव का शुगार छिपा हुआ है, तुम उसे भुलाकर जीवित नहीं रह सकते। इतना ही नहीं, हिंदी के साथ, उसकी शुद्धता के साथ सम्पूर्ण भारत की, विशेष रूप से सम्पूर्ण हिन्दू भारत की संस्कृति जुटी हुई है। हिंदी पर हिन्दुत्व और हिन्दुस्तान का भविष्य निर्भर है। यदि आज कुछ अहिंदी भाईं इसे भूल बैठें हैं तो तुम्हें तो न भूलना चाहिये, तुम्हें तो अपने और अपनी भाषा के ऐतिहासिक महत्व का ध्यान रखना चाहिये।

X

X -

X

हिंदी पर खतरा आना चाहता है और वह भी राष्ट्रीयता का जामा पहन कर। खतरे की घटी बज रही है। शिकोहावाद में सुक्रमान्तीय हिन्दी माहित्य सम्मेलन के अविवेशन का उद्घाटन करते हुये श्रीसम्पूर्णनन्दजी ने व्यर्थ ही नहीं कहा, “हिंदी खतरे में है। वह सहायता के लिये पुकार रही है।” हिन्दी वालों, सावधान !

परिशिष्ट

परिशिष्ट १

हिन्दी की कृतियों में मुसलमान पात्रों का उद्दू में कथोपकथन

(लेखक—श्री शान्तिकुमार एम० एस० सी०)

हिन्दी में कहानियों, उपन्यासों, इत्यादि में मुसलमान पात्रों से उद्दू में वातचीत कराने की एक परिपाठी सी हो गई है। हिन्दी के कितने ही प्रतिष्ठित लेखक ऐसा करते हैं। प्रेमचन्द को जाने दीजिये। आजकल के लेखकों में उदाहरण के लिये राय कृष्णदास के कहानी-संग्रह “आँखों की थाह” की ‘नई दुनिया’ शीर्षक कहानी को लीजिये। इस कहानी में दो ही पात्र हैं—चिरागी और गजरा। दोनों मुसलमान हैं। कहानी के आरम्भ से लेकर अत तक उन दोनों का कथोपकथन चलता रहता है। एक प्रकार से यह कथोपकथन ही कहानी का विषय है। लेखक बीच बीच में वर्णन, टीका टिप्पणी, इत्यादि तो शुद्ध हिन्दी में करता है, परन्तु चिरागी और गजरा की वातचीत ठेठ उद्दू में होती है। इस वातचीत में प्रयुक्त शब्दों के कुछ नमूने ये हैं—

“निसार, रहस्त, खसलत, इज्हार, मुवित्ला, तलव, दोजखी, मेजचानी, मिन्नत, जहस्त, गुमराह, वेखुदी, दयानतदारी, आमालनामा”, इत्यादि इत्यादि। चिरागी और गजरा के कथोपकथन को छोड़ कर कहानी में बहुत कम बच रहता है। ऐसी अवस्था में यह सोचने की वात है कि इस कहानी को हिन्दी की कहानियों के संग्रह में क्यों स्थान दिया गया। केवल हिन्दी लिपि में छाप देने से तो कहानी हिन्दी की हो नहीं जायगी। किसी भी पत्र,

पत्रिका या पुस्तक को उठा कर देखिये, जहाँ कहीं भी मुसलमान पात्र आ जाते हैं, वहाँ उनका चार्टलाप प्रायः उदूर्द में कराया जाता है। कहीं कहीं तो ऐसा मालूम होता है कि लेखक अपना उदूर्द का पाठित्य दिखाने के लिये ही ऐसा कर रहा है, क्योंकि सुगम, मुसलमानों में भी प्रचलित हिन्दी शब्दों के होते हुये भी अरवी फारसी शब्दों को प्रयुक्त किया जाता है।

इस परिपाठी के बचाव में लेखक ने केवल एक ही उक्ति सुनी है। वह यह कि ऐसा स्थाभाविकता और वास्तविकता (local colour) लाने के लिये किया जाता है। यह उक्ति विलकुल सारहीन है। इसका मतलब तो यह होगा कि हिन्दी की कृतियों में अँगरेजी पात्रों से अँगरेजी में वातचीत कराइ जाय, चीनी पात्रों से चीनी में, अरबों से अरबी में, या कम से कम हिन्दी में क्रमशः अँगरेजी, चीनी, और अरबी के खूब शब्द छुसेडे जायें। किन्तु वास्तविकता के ये भक्त ऐसा करते तो नहीं देखे जाते। इन्होंने तो केवल मुसलमानों के लिये ही वास्तविकता रिजर्व कर रखी है, मानों सब मुसलमान उदूर्द ही बोलते हैं, और कोई हिन्दू उदूर्द नहीं बोलता। इस उक्ति का मतलब यह भी होगा कि या तो हिन्दी के पाठक और लेखक दोनों ही सासार भर की भाषाओं के पडित हों या हिन्दी वाले हिन्दी प्रदेशों और हिन्दी भाषियों को छोड़कर सासार के किसी अन्य देश या जाति के चिपय में जान प्राप्त करने की आशा ही छोड़ दें। कम से कम मुसलमानों को तो तभी लाया जा सकेगा जब हिन्दी के पाठक और लेखक दोनों उदूर्द के भी पडित हों। और, यगाली हिन्दुओं को भी तभी रखा जा सकेगा जब बँगला का पूरा इशान हो, और मद्रासी हिन्दुओं को रखने के लिये तामिल और तेलगू के जान की आवश्यकता पड़ेगी। ऐतिहासिक पात्रों से कथोपकथन कराना तो विलकुल असम्भव हो जायगा, क्योंकि अभाग्यवश यह मालूम करने का कोई साधन नहीं है कि ये पात्र उदूर्द-ए-मुअरल्ला बोलते थे, या खङ्गी बोली हिन्दी या कुछ और।

आश्चर्य तो इस बात का है कि इस 'लोकल-कलर' का सबसे अधिक रुपाल हिन्दी वालों को है। आज तक कोई अँगरेजी का लेखक अँगरेजी की कृतियों में अँगरेजी को छोड़कर हिन्दुस्तानी पात्रों से किसी भारतीय भाषा में या चीनियों से चीनी भाषा में बातचीत कराता हुआ देखने में नहीं आया। यही बात ससार की अन्य भाषाओं के विप्रय में कही जा सकती है। दूर जाने की जरूरत नहीं, उर्दू के लेखक भी ऐसी गलती नहीं करते कि हिन्दू पात्रों से हिन्दी में बातचीत करावें। कुछ ऐसे शब्दों की बात दूसरी है जो एक देश विशेष अथवा जाति विशेष से ही सम्बन्ध रखते हैं और किसी विशेष गुण या वस्तु को जताने के लिये प्रयुक्त किये जाते हैं और जिनका उनकी ध्वनि नष्ट किये बिना सरलता से अनुबाद नहीं हो सकता। ऐसे शब्दों का अर्थ प्रायः कोष्ठकों में या पाद-टिप्पणियों में स्पष्ट कर दिया जाता है, और अँगरेजी में प्रायः ऐसे शब्दों को इटैलिक्स (italics) में वह जानने के लिये लिखा जाता है कि ये विदेशी शब्द हैं, और किसी विशेष कारण से ही प्रयुक्त किये गये हैं। लेकिन हिन्दी की कृतियों में सुसलमानों की बातचीत उर्दू में बेखटके और बेरोकटोक कराई जाती है, और उर्दू शब्दों के अर्थ को भी स्पष्ट नहीं किया जाता, बल्कि यह समझा जाता है कि यह तो हिन्दी ही है और हिन्दी-पाठक इसे समझते ही होंगे, और यह लेखक की मेहरबानी है कि उसने आदि से अन्त तक सब जगह ऐसी हिन्दी नहीं लिखी।

इस सम्बन्ध में दो एक बातें और विचारणीय हैं। 'नई हुनिया' शीर्षक कहानी में चिरागी और गजरा समाज की बहुत ही निम्न श्रेणी के व्यक्ति हैं। इन निम्न श्रेणियों में गुद्द, साहित्यिक, खड़ी बोली उर्दू नहीं बोली जाती, फिर इनका साहित्यिक उर्दू में बोलना ही कहाँ तक स्वाभाविक है और कहाँ तक बास्तविकता से सम्बन्ध रखता है? ये दोनों व्यक्ति बनारस के रहनेवाले दिखाये गये हैं। तो क्या इनसे पूर्वी या किसी और देहाती बोली में बुलवाना कहीं

ज्यादा स्पाभाविक न होता ? सही बोली बोली ही कितने द्वेष में जाती है ? यदि 'लोकल कलर' देने के यही माने हैं कि पात्र वास्तविक भाषा में बोले तो सही बोली के प्रदेश के बाहर के सब पात्रों का कथोपकथन यही बोली में न होकर देहाती शैलियों में होना चाहिये । ऐसा क्यों नहीं किया जाता ? अप्रैल, १९४८ की 'माहुरी' में श्रीयुत शैल लिपित एक कहानी 'मिलन' हुपी है । इस कहानी के पात्र युनिवर्सिटी के तीन छात्र सुरेश, जमीला और रफीक हैं । जमीला और रफीक को बातें ठेट उदूँ में होती हैं । युनिवर्सिटी के छात्र कर्ता ठेट उदूँ या ठेट हिन्दी में बात करते नहीं देख जाते । इनके कथोपकथन में तो 'लोकल कलर' तब होता जब श्रीयुत शैलजी इनमें बातचीत आवी और गरेजी आधी हिन्दी यानी 'इन्हेलिस्टानी' नामक भाषा में कराते । आजकल के शिक्षित वर्ग की तो यही भाषा है ।

यह तर्क भी कि उदूँ हिन्दी की एक शैली विशेष ही है और इसलिये वे की कृतियाँ में मुसलमान पात्रों से उदूँ का प्रयोग कराना कम्य है, कुछ भी नहीं रखता । भाषा-विज्ञान की टृष्णि से चाहे यह ठोक हो, परन्तु व्यवहार में आज उदूँ हिन्दी की शैली विशेष नहीं कही जा सकती । एक भाषा की दो शैलियाँ सगार के किसी देश में टो लिपियों में नहीं लिखी जातीं और न उनकी आपस में गुट्टवन्टी होती है, न उनके लेखक अलग-अलग होते हैं और न उनकी पढाई की व्यवस्था अलग-अलग होती है, और न ऐसा होता है कि जो पाठक भाषा की एक शैली समझ सकता हो वह कोई दूसरी शैली न समझे । आज हिन्दी और उदूँ में तो इतना अन्तर है (लिपिभेद तथा कुछ अन्य छोटी बातों को छोड़कर भी) कि क्रियाओं, क्रियाविशेषण, विभक्तियों तथा थोड़े से अन्य शब्दों को छोड़कर हिन्दी और उदूँ को शब्दावलियाँ बिलकुल भिन्न हैं । एक भाषा की दो शैलियों में कर्ता ऐसा अन्तर नहीं होता, और न दो शैलियों में इस प्रकार धर्म की भित्ति पर भेद किया जाता है । मुसलमानों से उदूँ और हिन्दुओं से हिन्दी बुलवाने

के माने तो यही हैं कि ये दो शैलियाँ दो धर्मों के अनुयायियों के लिये रिजर्व हैं, और हम सहमत हैं कि हिन्दी के बल हिन्दुओं की भाषा है और उर्दू मुसलमानों की, और हिन्दी के पाठक तथा लेखक हिन्दी और उर्दू दोनों जानते और समझते हैं।

एक चिकट कठिनाई और है। अगर एक हिन्दू पात्र की मुसलमान पात्र से बातचीत कराना पड़े तो किस भाषा में कराई जाय? अगर हिन्दू पात्र हिन्दी में बोले और मुसलमान पात्र उर्दू में जवाब दे तब तो अत्यन्त हास्यास्पद होगा। पढ़ने वाले या सुनने वाले को अत्यन्त भद्दा भी लगेगा। दुनिया भर में सब जगह दो मनुष्य एक ही भाषा में बात करते हैं और एक ही शब्दावली प्रयुक्त करते हैं। भाषा है ही आपस में भाव प्रकट करने के माध्यम का नाम। यदि यही माध्यम दो व्यक्तियों का भिन्न-भिन्न है, तो उनकी आपस में बातचीत 'किसी? गलत सिडान्त पर चलने से यह कठिनाई अवश्य पड़ेगी। इस सिडान्त को माननेवाले कुछ लेखकों ने इस कठिनाई को ऐसे अवसरों पर हिन्दू पात्र और मुसलमान पात्र दोनों से उर्दू बुलबा कर दिल किया है। 'मिलन' कहानों में सुरेश जमीला या रफीक से उर्दू में बात करता है। इसके माने यह हुये कि हिन्दू जव आपस में बात करें तब तो हिन्दी में, लेकिन जव मुसलमानों से बात करें तब उर्दू में, और मुसलमान आपस में भी उर्दू में बात करें, अर्थात् उर्दू ही राष्ट्र-भाषा या काभन भाषा है क्योंकि इसे हिन्दू भी बोल सकते हैं, मुसलमान तो बोलते हो हैं और हिन्दी को मुसलमान बोल नहीं सकते। ऐसी दशा में राष्ट्र-भाषा के प्रश्न पर हिन्दी उर्दू को लेकर हाय तोबा मचाना व्यर्थ है, क्योंकि हिन्दी उर्दू एक ही भाषा की दो शैलियाँ हैं जिनमें से उर्दू शैली हिन्दू मुसलमान दोनों ही समझते हैं। आश्चर्य तो यह है कि फिर भी हिन्दी उर्दू का अलग अलग दोल पीटा जाता है, यू० पी० शिक्षा विभाग द्वारा लड़कियों के लिये उर्दू अनिवार्य रूप से द्वितीय भाषा बनाये जाने पर हिन्दी पत्रों में बवडर उठाया

जाता है, और महासमा डेढ़ हजार वालियर उर्दू का बिरोध करने के लिये जवापुर भेजती है।

हिन्दी के ऐतिहासिक लेखां तथा पुस्तकों में भी यही बात देखने में आती है। हिन्दू या भारतीय पात्र तो हिन्दी में बोलते हैं लेकिन सब चिदेशी पात्र, वे चाहे यूनानी हों, चाहे ह्रण चाहे अँगरेज, उर्दू में बालते हैं। उदाहरण-म्बरूप श्रीशुकदेवविहारी मिश्र कृत 'पुष्य मित्र' का नाम लेना काफ़ी होगा। ऐसे लेखों तथा पुस्तकों में भी जब हिन्दू या भारतीय पात्र किसी चिदेशी पात्र से बात करता है तो दोनों उर्दू में बोलते हैं। यह भी भुला दिया जाता है कि सदैव विजित विजेता की भाषा अपनाना है, विजेता विजित की नहीं। हिन्दी में तो ऐसा अन्वेर है कि जब यूनानी सेनापति सेल्यूक्स चन्द्रगुप्त के दर्वार में पकड़ कर लाया जाता है तब चन्द्रगुप्त और सेल्यूक्स का संवाद उर्दू में होना है—दोनों उर्दू बोलते हैं। हट हो गई! साराश यह कि हिन्दी के ऐतिहासिक चिपयां (मुसलमान पात्रों से रहित अथवा सहित) पर लिखने के लिये और उन्हें समझने के लिये भी हिन्दी के लेखकों तथा पाठकों को उर्दू का पड़ित होना आवश्यक है। ये सब बातें करके हिन्दी बाले सबके सामने अपनी मूर्खता तो प्रकट करते ही हैं, अपने मुँह से हिन्दी के मुकाबले उर्दू को महानता देते हैं और यह सिद्ध करते हैं कि हिन्दी तो केवल हिन्दू भारतीयों की भाषा है, उर्दू दुनिया भर के सब चिदेशियों की भाषा है, और भारतीयों तथा चिदेशियों की 'कामन भाषा' भी है (जिसे हिन्दी के सब पाठक और लेखक सदैव जानते और समझते रहे हैं और अब भी जानते और समझते हैं!)।

मैं समझता हूँ कि जिन कारणों का ऊपर निर्देश किया गया है, वे यह दिखलाने के लिये पर्याप्त हैं कि हिन्दी कृतियों में मुसलमान या चिदेशी पात्रों से आपस में, या हिन्दुओं और मुसलमानों, अथवा भारतीयों और चिदेशियों के बीच में उर्दू में बार्दालाप कराना, बिलकुल अनुचित, मूर्खता-

पूर्ण और संसार की सभी भाषाओं के नियमों के विरुद्ध है। भाषा चिचारों को प्रकट करने का एक साधन है, और भाषा यह तभी कर सकती है जब उसका एक प्रचलित, सर्वमान्य और निश्चित स्वरूप हो। जब हम किसी भाषा में अपने चिचार प्रकट करने वैठते हैं तो हम काल के अनुसार या व्यक्ति के अनुसार भाषा नहीं बदलते चल सकते। बात चाहे आज की हो, चाहे हजार चर्प पहले को, व्यक्ति चाहे किसी भी देश, जाति या धर्म का हो, भाषा का स्वरूप वही रहता है। फिर हिन्दी में ही मुसलमानों से या विदेशियों से उर्दू में कथोपकथन क्यों कराये जाने हैं? आशा है विद्वान् लेखक इस ओर ध्यान देंगे, और हिन्दी को इस दोष से बचायेंगे। कम से कम पत्रों के सम्पादक यह कर सकते हैं कि इस दोष से दूषित लेखाँ को लौटाने का कारण बताते हुये वापस कर दें, या उनके उर्दू सवादों को हिन्दी में अनुवाद करके छापे।

(सितम्बर, १९४५ की 'माझी' से)

परिशिष्ट २

THE 'VERNACULAR' OF UNITED PROVINCES

(By Ravi Shankar Shukla)

The Government of the United Provinces has reminded its subordinates of the order that the use of the obnoxious term 'vernacular' should be abandoned. So far so good. But what is the 'vernacular' of the U.P., i.e. which name is to take the place of the term 'vernacular' when applied to the language of this province? The Government has suggested the name 'Hindustani'. But 'Hindustani' is not the vernacular or the mass language of the U.P. The vernacular or the mass language of this province can only be called by the name 'Hindi'—a name which Muslims gave to it many centuries ago and which has superseded its old name 'Bhasha' or 'Bhakha'. Hindustani, also called by the names 'Dehlavi' and 'Khariboli', is a dialect of Western Hindi and is spoken in the Upper Gangetic Doab. Hindustani is thus the vernacular or mass language of only a few districts round Delhi. In other districts of the U.P. various dialects of Western Hindi like Braj, Bundeli, Kannauji and Eastern Hindi, Avadhi or Kosali, are spoken. The vernacular or the mass language of the province is therefore Hindi. Any linguist will say that In the Language Survey of India the language of this province has

been identified as Western and Eastern Hindi and these terms have since been consistently used in the census reports for the indigenous mass language of this province. It is indeed preposterous to call the vernacular of this province by the name 'Hindustani', the name of a single spoken dialect of the U. P. and itself a dialect of Hindi.

URDU NOT INDEPENDENT LANGUAGE

As for Urdu, it is only a literary form of Khariboli Hindi. It is not an independent language and cannot be said to be the mass language of any district. The name 'Urdu' does not appear anywhere on the language map of India. At the most it can claim as its own the Khariboli Hindi districts, and there too it will have to share its place with High Hindi, i.e., modern literary Khariboli Hindi. Speakers of Hindustani or Khariboli can indeed be found all over the province, specially in the towns and cities, but so can also the speakers of other dialects of Hindi. It is only a consequence of the modern means of communication and economic forces. In our polygot towns speakers of even extra-provincial languages like Bengali, Punjabi, English, etc., can also be found. All this does not alter the mass language or the vernacular of any place. Hindustani is the mother tongue or home language, i.e., the vernacular of very few families outside Khariboli districts. No doubt High Hindi and Urdu are used as literary languages for purposes of education, public life and administration all over the province, but this fact has nothing to do with the mass language or the vernacular of the province. English

also is used as a literary language for purposes of education, public life and administration all over the province. The Bengali, Marathi and Punjabi communities residing in the province use their own literary languages for many of their purposes. High Hindi and Urdu are used as literary languages for many purposes even in such provinces as Bombay, Punjab, Bengal, etc., where they cannot be described as vernaculars of the area by any stretch of the imagination. High Hindi and Urdu are exclusively used as literary languages for purposes of education, public life and administration in Bihar, C P. and Rajasthan, but it will be preposterous to call the vernacular of Bihar, C P or of Rajasthan by the name 'Hindustani'. A literary language in use at any place does not necessarily become the vernacular of that place. In the context of literary languages in the U P, the fact that has, however, to be noted is that several spoken dialects of Hindi, notably Braj and Avadhi, have led centuries of rich literary existence and possess very considerable literatures of great beauty and richness. All these literatures have very close affinities in respect of culture, construction and vocabulary with modern Hindi literature, i.e., High Hindi literature, and not with Urdu literature. These literatures in fact have the same affinities and likenesses with modern Hindi literature as the literature of a dialect is bound to have with the literature of another dialect of the same language, and they are part and parcel of 'Hindi' literature and not of Urdu literature or of any 'Hindustani' literature. Similarly, folk literature of

thus province in the various dialects bears close affinities with modern Hindi literature and is a part and parcel of 'Hindi' literature and not of Urdu literature or of any 'Hindustani' literature.

HIND AND HINDUSTAN

All the provinces or, more correctly, territorial divisions of India with the exception of U P, C P and N W F. P. have got their distinctive names which signify the spoken, indigenous mass language or 'vernacular' of the area as also the indigenous people inhabiting the area. For the Madras province has been recognised, particularly by the Congress, as consisting of Andhra, i.e., the Telugu speaking part, Tamil Nadu, i.e., the Tamil speaking part and Carnatic, i.e., the Kannada speaking part. Bombay province is similarly regarded as consisting of Gujarat, i.e., the Gujarati speaking part and Maharashtra, i.e., the Marathi speaking part. Even in C P, thanks to the efforts of Pt. Dwarka Prasad Misra, a Minister in the present as well as in the last Congress Ministry of C P, the old name of the Hindi speaking part, viz., Mahakoshal (Koshali or Eastern Hindi is the mass language of the Hindi speaking C P) has been officially recognised. The Marathi speaking part of the C P is, linguistically speaking, a part of Maharashtra. 'N W F P' is more a political phrase than a name, and is bound to be appropriately renamed soon. So the U P is the only province which has no name signifying the distinctive language, culture and the people of the province. During the previous Congress regime the name 'Hind' was

proposed for this province (whether officially or non-officially I cannot say) This name is not only most appropriate but has actually been in use to a greater or lesser extent since the old name, Madhyadesha, of this part of India fell into disuse The vernacular of the province is Hindi, the name of the province will be 'Hind', and its people will be known as 'Hindis'—so it is all right The same cannot be said for 'Hindustani', for 'Hindustan' is to-day in much greater use than 'Hind' for the whole of India, the name 'Hindustani' is sought to be applied to the language of Hindustan, i e, to the *lingua franca* of India (whatever shape it might ultimately take) rather than to the language of any particular province, and surely the people of the U P cannot reserve the name 'Hindustanis' for themselves The name 'Hindi' alone can and does signify the distinctive language, culture and the people of this province

EVERYTHING IN A NAME

There is one more reason why the term 'Hindustani' must not be used for the language of this province Some might be inclined to ask What is there in a name? But often there is everything in a name, as in this case To-day the term 'Hindustani' is the subject of a great controversy which is more political than linguistic in nature This term is sometimes applied to High Hindi, sometimes to Urdu, sometimes to High Hindi plus Urdu (as, for example, by the Hindustani Academy, U P. and the Lucknow University), and now it is increasingly sought to be applied to a curious (or political) mixture of Hindi and Urdu,

the veritable 'third stream', being evolved by some bodies. The vernacular of this province has never been, is not and can never be so ambiguous, dual, and shifty as the name 'Hindustani' would imply. The name of the vernacular of the U P cannot be made the subject of a controversy, as it is not controversial. It is quite definite. It is 'Hindi'. The result of the substitution of the true name 'Hindi' by the name 'Hindustani' would be that the artificial mixture of Hindi and Urdu (and possibly of other Indian languages) called 'Hindustani', which is being made to suit various tastes—the tastes of the different provinces and of the different communities—so as to be acceptable as lingua Indica to the 400 millions of India speaking widely different languages, will automatically be thrust upon this province as the 'vernacular', the language of the province, and will be used, in the name of 'unity' and so forth, as the language of education and administration of the province, so that the real vernacular of the province Hindi, as also Urdu, will greatly suffer and may even be swamped by 'Hindustani'.

WHAT OF HINDI ?

Hindi is the indigenous language, the vernacular of U P and U. P. alone (barring a part of C P and of Punjab). When U P. will be described as 'Hindustani speaking area' (as has already been started in certain so called nationalist contexts, to make confusion worse confounded, even Bihari and C. P. are often included in this 'Hindustani speaking area'), which province, which region of India will be des-

cribed as 'Hindi speaking' ? When the people of U. P. will be described as 'Hindustani speaking', who in India will be described as 'Hindi speaking' ? Will a language as old as Hindi disappear overnight by a mere stroke of the pen of the U. P. Government? Will the territory that has so long been marked 'Hindi' in the language map of India be now marked 'Hindustani', and Hindi, of all Indian languages, become conspicuous by absence after having been there for the past so many centuries ? It is a pity that while the Marathi speaking people of India are holding Maharashtra Unity Conferences with a view to unite together the Marathi speaking parts, and are giving a mandate to the Marathi speaking members of the Constituent Assembly to work for an united Maharashtra, the Hindi speaking Ministers of the U. P. Government should think of effacing Hindi from Hind whose undisputed vernacular it has been for the past thousand years. One might have rather thought that they would convene a Hind Unity Conference to agitate for cession of the Hindi speaking parts of the Punjab and C. P. to U. P. But strange things happen in this province where everybody, from Congress Ministers downwards, seems to view everything through a haze of politics-cum-communalism.

UNITY THROUGH HINDI

It must be made absolutely clear that there is no intention to harm the interests of Urdu in U. P., Urdu is a form of Hindi, and the U. P. Government is at liberty to allow those in U. P. who want Urdu, and its script to cultivate Urdu and to give facilities for

the teaching of Urdu It may even grant the same facilities to other language groups in the province, but let the vernacular of the province remain what it is, i. e. Hindi Truth must not be sacrificed. Urdu or Hindustani is certainly not the vernacular of this province A time may come when those who want Urdu and its script to-day may take kindly to the vernacular of this province, i. e., their real mother tongue, and to its natural script, thus ushering in the era of complete linguistic unity in this province; just as in the Punjab where Urdu too is medium of instruction, language of administration, etc., a time may come when adherents of Urdu, despite late Sir Sikandar Hayat Khan's frantic declaration regarding Urdu being the 'national language of Puujab', may take kindly to and adopt Punjabi, their mother tongue and the vernacular of Punjab, provided that Punjab remains 'Punjab' and Punjabi is not renamed 'Hindustani' or something like that Thus 'Hindi' has got seeds of unity in it. But 'Hindustani', besides being an untruth, will, with its shifty and shifting meaning and its concomitant, the 'two scripts' clause, never allow this province to be one in the matter of language and script, will be a permanent obstacle on the way of progress and thus defeat the very purpose for which this untruth is (probably) sought to be imposed on this province We appeal to the Congress that plumes itself in truth to do away with this palpable untruth, which seems to be inspired by political opportunism but which has infinite potentialities for permanent wrong-doing and injustice. It must give up its attempt to give a habitation to its concoction 'Hindustani' at the cost of

Hindi. It must desist from dealing a death blow to the existence of Hindi even as a provincial language in its mad desire to appease reactionaries and communists, if it attaches any importance to the solemn pledges given in its election manifesto regarding the protection of the language and culture of every linguistic group and of every linguistic area. No Government, popular or unpopular, Congress or non-Congress, has a right to alter the old name of the vernacular of this province, specially when the new name suggested for it has already a definite meaning, denotes a definite and a mere spoken dialect of the province and has unfortunately gathered and is gathering about it new associations which are not only unpleasant but positively dangerous to the unity and welfare of the province.

APPEAL TO HINDIS

Lovers of the language and culture of this province, the various literary and cultural institutions of the province, specially the premier literary institution of the province, the All India Hindi Sahitya Sammelan, the Hindi speaking people generally, specially those who have been returned to the provincial Assembly by the votes of the masses, who know no 'Hindustani', nothing, except their rustic Hindi, are requested to take up the matter with the Government, and to see that the vernacular of this province is called by its proper name Hindi in official papers, correspondence, census reports and other official publications, etc. The mischief must be nipped in the bud. It will be a poor consolation if this hated term 'vernacular' is

replaced by the controversial, wrong, misleading and dangerous term 'Hindustani', wiping Hindi off the language map of India. Agitation should also be started for securing official recognition for the name 'Hind' for this province in the place of 'United Provinces' which is no name at all. Unofficial bodies and nationalist newspapers should invariably refer to the vernacular of this province by the name 'Hindi', and they should also start using the name 'Hind' for U.P. without waiting for its official recognition.

परिशिष्ट ३

हम हिन्दी वाले !

(लेखक—श्रीमदनगोपाल मिश्र)

त्रिपुरा सरकार और भारतीय राष्ट्रीय कामें दोनों का ही यह वोपित सिद्धात रहा है कि उनके प्रभुत्व में प्रत्येक भारतीय जन-समुदाय की भाषा सुरक्षित रहेगी। लेकिन इधर कुछ समय से ऐसा जान पड़ता है कि हिन्दी, जो हमारे देश की सबसे बड़ी जन-समुदाय की भाषा है और जो प्रत्येक दृष्टिकोण से निष्पक्ष विचार करने पर राष्ट्र-भाषा बनने के योग्य एक मात्र भाषा सिद्ध होती है, इस सिद्धात का अपचाव हो गई है। इधर लगभग दस चर्चों से हिन्दी पर अनेक कठोर प्रहार हुये हैं। सीमा प्रदेश, पंजाब, काश्मीर, सिन्ध और हैदराबाद में हिन्दी के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, वह पाठकों को चिदित ही होगा। लेकिन हिन्दी पर इधर जो सबसे भयानक आकर्षण हो रहा है वह है 'आल इ डिया रेडियो' का। 'हिन्दुस्तानी' शब्द की ढाल की आड़ में वह हिन्दी की हस्ती तक को ससार की आँखों के सामने से मिटा देना चाहता है। हिन्दीवालों की ओर से आल इ डिया रेडियो की इस नीति का विरोध हुआ, यहाँ तक कि पटित रविशकर शुक्ल ने जहाँ एक और 'लंगवेज पालिसी आफ आल इ डिया रेडियो' नामक पुस्तक लिख कर आल इ डिया रेडियो की धींगा-धींगी पर से परदा उठाया, वहाँ दूसरी ओर 'राष्ट्र-भाषा की समस्या और हिन्दुस्तानी आन्दोलन' नामक पुस्तक लिख

कर बड़े बड़े भारतीय नेताओं और चिद्वानों तक को भ्राति में डाल देनेवाले 'हिन्दुस्तानी' शब्द के छद्म रूप का भरडाफोड़ किया, लेकिन आल ह डिया रेडियो की नीति 'अब भी जहाँ की तहाँ है—उसके अधिकारियों ने हिन्दी-भाषा को बहिष्कृत करने का बीङा सा उठा लिया है। हिन्दुस्तानी के जाल में फँसे हुए लोग अभी स्वतंत्र हुये हैं कि नहीं, यह हमें अभी देखना है। उससे मुक्त होने का सबसे अच्छा उपाय है कि वे परिहत रविशकरजी की पुस्तकों को पढ़ लें। मैं तो प्रत्येक हिन्दी प्रेमी और देश-भक्त का यह कर्तव्य समझता हूँ कि वह इन पुस्तकों को पढ़े और हिन्दुस्तानी के घोखे से शीघ्र से शीघ्र सावधान हो जाय।

परन्तु, क्या हम हिन्दीवालों ने कभी यह भी सोचा है कि हमारी भाषा पर होनेवाले इन अत्याचारों के लिये स्वयं हमारा उत्तरदायित्व कहाँ तक है ? हमारे किन अपराधों और हमारी किन त्रुटियों और निर्वलताओं के कारण हिन्दी इस अपमानित स्थिति में आ पड़ी है ? हमने हिन्दी का मन्तक ऊँचा करने के लिये अभी तक क्या किया है ? इन ग्रन्थों का उत्तर हिन्दी प्रदेशों के केन्द्र संयुक्त-प्रान्त पर ही नज़र ढालने से मिल जायगा—

(१) पॉच प्रचलित औँगरेजी के समाचार-पत्र—लेकिन क्या इनमें से किसी का भी सम्पादक हिन्दी की गोद में तुलाया और पला हुआ व्यक्ति है ? यदि होता तो 'आगल ह डिया रेडियो की हिन्दी-चिरोधी नीति एक पग भी आगे न बढ़ सकती। इनमें से किस समाचार पत्र ने किसी हिन्दी-चिरोधी नीति के विरुद्ध 'आन्दोलन' किया है ? यह विश्वास करने को मंत्रा जो नहीं चाहता कि अब तक औँगरेजी समाचार-पत्रों के सम्पादन की योग्यता रखनेवाला कोई हिन्दी का लाइला पैदा ही नहीं हुआ।

(२) हमारे प्रात के सबसे बड़े जगद्विष्वात नेता को हमारी प्रमुख प्रान्तीय भाषा हिन्दी के प्रति कोई विशेष रुचि नहीं—शायद वह दूरी फ़री ही हिन्दी लिख सकता हो। और उसकी इस उदासीनता ने हमारे अन्य

प्रान्तीय नेताओं को अपनी भाषा के प्रति कहाँ तक उदासीन न बना दिया होगा ? फिर हिन्दी को दरों न ठोकरें लगाई जायें ?

(३) हमारी कन्हारियों और पुलीस के चिमागों में हिन्दी पड़े-लिखे चक्रील और अफसर अपनी और जनता की भाषा को छोड़कर एक ऐसी भाषा को निलंबनोच अपना लेते हैं जिसे सुनकर किसी भी साधारण नागरिक को आश्चर्य हो सकता है । उठाहरणार्थ, ‘प्रथम’, ‘द्वितीय’ और ‘तृतीय’ तो दूर गहे, ‘पहले’, ‘दूसरे’ और ‘तीसरे’ के स्थान पर जब तक वे ‘अव्वन’, ‘टोयम’ और ‘सोयम’ नहीं लिख लेते, उन्हें चन नहीं पड़ता—कितना कलण दृश्य !

(४) हमारे प्रान्त के सबसे बड़े बेरिटर, जो अपनी बोध्यता के लिये इसी प्रान्त में नहीं, सारे भारतवर्ष में और लन्दन में भी विख्यात हैं, एक बार एक महाशय से एक सभा में, जिसके बै समाप्ति थे, ‘समाप्ति’ शब्द से सम्बोधित किये जाने पर बेतरह विगड़ उठे थे ! संस्कृत और हिन्दी उनके लिये कितनी असहनीय है ! प्रान्त की जनता की भाषा के प्रति उनका यह व्यवहार ! इस प्रान्त के एक दूधरे नेता और ऐडब्ल्यूकेट गांधीजी के शब्दों में हिन्दी कठिनता से लिख सकते हैं । तो फिर हिन्दी का तिरस्कार क्यों न हो ? यद्यपि हम गांधीजी को यह सूचित कर देना चाहते हैं कि हमारे वापदादो ने प्रतिकूल परिस्थितियों के प्रभाव में भले ही हिन्दी न पढ़ी हो, परन्तु उनके बच्चे अपने जीवन और देश से सामजस्य रखने वाली हिन्दी ही पढ़ते हैं और पढ़ेंगे । चारों ओर से हिन्दी पर किये जाने वाले प्रहर उनकी ओरें और भी खोल देंगे ।

(५) भागतवर्ष में सिनेमा-कम्पनियों एक बड़ी सख्त्या में खुल गई हैं, लेकिन हिन्दी-प्रान्तों में हिन्दी बालों द्वारा कोई कम्पनी क्या अभी तक खुली है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यों यही कारण है कि हिन्दी की आत्मा की गतः रक्षा करने वाले चित्र बहुत कम बने हैं, यद्यपि सबसे उत्कृष्ट चित्र वे ही

समझे गये हैं जिनमें इस रक्ता का ध्यान रखा गया है। ग्रामोफोनरिकार्ड-कम्पनियों के साथ भी यही बात लागू है।

(६) हमारे प्रान्त के बड़े-बड़े शहरों में सिनेमा-भवनों के मालिक शायद ही कोई हिन्दी वाले मिलें। सिनेमा के पोस्टरी, आदि की भाषा अथवा उनमें किया जाने वाला हिन्दी का तिरस्कार हमें बराबर इसी बात का स्मरण दिलाते हैं। इस तिरस्कार की ओर हम दुकुर-दुकुर देखते हैं—उसका विरोध करने का भी बल हममें नहीं रह गया है।

(७) इस प्रान्त की शिक्षा-संस्थाओं तथा अन्य चिभागों में हमारे अन्य प्रान्तीय भाई विभिन्न पटों पर एक बड़ी सख्ता में विद्यमान हैं। इनमें से कुछ ने हिन्दी को बहुमूल्य सेवा की है और अब भी कर रहे हैं, इस बात का हमें गर्व है। हिन्दी अब हमारी ही नहीं, प्रत्येक सच्चे भारतीय की है, और फिर उन व्यक्तियों के, जिनकी भाषा हिन्दी की ही सगी बहिन हो और जो हिन्दी प्रान्तों में जीवकोपार्जन करते हां, हिन्दी के प्रति अनेक दृष्टि विन्दुओं से विशेष कर्त्तव्य हैं—(१) हिन्दी पर सकट का अर्थ है मस्कृत पर घोर सकट, फिर क्या सस्कृत की पुत्रियाँ—हिन्दी की अन्य बहनें—उसमें बच सकती हैं ? (२) हिन्दी प्रान्त में, हिन्दी वालों के बीच, उन्हीं के निमित्त, और उन्हीं के सहयोग से रह कर उनका यह धर्म हो जाता है कि वे अपनी भाषा के साथ-साथ हिन्दी को भी अपनाये। (३) केवल यही नहो, भारतीयता के नाते उनका यह भी कर्त्तव्य हो जाता है कि वे हिन्दी के सन्देश को अपने अपने प्रान्तों में पहुँचायें और उसके प्रति जनमत को जाग्रत करें। हमें स्वेद है, उनमें से बहुतां का पूर्ण सहयोग हिन्दी को प्राप्त नहीं है, बहुत से उसके विरुद्ध उदासीन हैं, कुछ उसमें स्वर्वा भी ख्यते हैं, यहाँ तक कि कुछ हिन्दी वालों को ही हिन्दी के प्रति निरुत्साहित करने में भी सकोच नहीं करते। हिन्दी वालों का कर्त्तव्य है कि वे अपने इन पथ-भ्रष्ट भाष्यों को रास्ते पर लावें, और उन्हें हिन्दी के सन्देश की सत्यता में विश्वास

दिलावें। यदि वे ऐसा नहीं करते, तो उन्हीं का अपराध है। अन्य प्रान्तों की कोई भी भाषा अपने ही घर में इस प्रकार की अपमानित परिस्थिति में नहीं है। वर फूँक तमाशा देखने की नीति हिन्दी वालों को ही सख्त हो सकती है, औरों को नहीं।

(८) इस प्रान्त के अनेक ईसाइयों और अंग्रेजों की शिक्षा संस्थाओं में केवल उर्दू ही पढाई जाती है, हिन्दी को उनमें स्थान नहीं। फिर भी हिन्दी वाले अपने बच्चों को उनमें पढाते हैं, विना इस बात का आनंदोलन किये हुये कि वहाँ हिन्दी पढाने का भी प्रबन्ध होना चाहिये। इस प्रकार हिन्दी वालों के ही बच्चे अपनी मातृ-भाषा और अपनो सद्कृति से बच्चित हो जाते हैं। आगे चलकर इन्हीं बच्चों के कर्मों पर मैंने उनके माता-पिता आंशिकों को भी कृत दुष्ये भी देखा है—परन्तु अपराध किनका?

अब कुछ आंशिकों देखे दृश्यों पर भी विचार कीजिये—

(९.) जनता की सरकार के समय की सयुक्त प्रान्तीय असेम्बली के अधिवेशन का एक बैठक। एक सदस्य जी उठे, हिन्दी में बोलना चाहा, हिन्दी के विरोधियों ने आपत्ति की और उनकी भाषा बिगड़ गई। एक हिन्दी वाले ही 'पार्लामेंटरी' सचिव उठे और उन्होंने बड़े जोश के साथ फारसी में लटा हुआ एक ऐसा भाषण दे डाला कि अधिकतर श्रोता मुँह बाए ही रह गये। हिन्दी के विरोधी तो अतनी भाषा में बोले ही—किसका साहस था कि चूँ कर जाय। उनके हिन्दी के विरोध का शायद सम्मान हुआ, और यदि कोई हिन्दी जाला आपत्ति कर देता तो उसी क्षण उस पर शायद साम्प्रदायिकता, अराष्ट्रीयता, आदि के अपराध लगा दिये जाते। उर्दू तो ठीक, अगरेजी तो भी ठीक, और हिन्दी तो राम राम!—क्या खूब!!

(१०) साक्षरता-दिवस (कांग्रेस सरकार के समय में)—एक पार्क में एक नगर की सारी शिक्षा संस्थाओं के चिन्हार्थी। अधिकतर हिन्दी वाले।

कुछ मुमलमान सज्जनों ने भाषण दिये—उद्दू में, ठीक है ऐसा तो होता ही। अब उठे एक एक करके हमारे दो नेता—दोनों हिन्दी के वशस्त्री विद्वान् और लेखक। कुछ मनचले साहसी छोकरों ने आवाज लगाई ‘उद्दू, उद्दू’—और यह लीजिये उद्दू। फिर क्या था, वे छोकरे विजय से फूल गए और हिन्दी चाले विद्यार्थी मुँह चाये, मुँह ताकते रह गये। हमने मौलाना अबुलकलाम आजाद, श्री रफी अहमद किदर्बई, आदि किसी भारतीय मुस्लिम नेता को हिन्दी में लिखते-बोलते न देखा है और न सुना है। क्यों? क्योंकि उद्दू अपने नाम से अथवा हिन्दुस्तानी के नाम से उद्दू ही रहना चाहती है, हिन्दी अपने को चाहे नष्ट कर डाले।

(३) लखनऊ की बड़ी प्रदर्शिनी (१६३६)—एक पडाल के नीचे ‘हिन्दुस्तानी ऐकेडमी’ की एक बैठक में हिन्दुस्तानी की समस्या हल हो रही थी। जा वैठा। देखता क्या हूँ कि ‘आमफहम जुबान’ हिन्दुस्तानी का ही समर्थन करते हुए उद्दू चाले बडे जोश खरोश से फारसी वृक्त रहे थे—और फिलमिल हिन्दी चाले भी, जिनमें हिन्दी के कुछ दिग्गज विद्वान भी थे, (कदाचित तकल्लुफ में आकर) उद्दू में ही भाषण देने का प्रयत्न कर रहे थे। हिन्दुस्तानी तो कुछ भी ही नहीं, हिन्दी भी न रही, रह गई केवल कोरी उद्दू—न रहेगा बॉस और न बजेगी बॉसुरी। उठा, और इन हिन्दी चालों से कुछ कुपित, कुछ निराश, कुछ इन पर हँसता और कुछ इन अशुभ लक्षणों से हिन्दी पर आगे आने चाले सकट का अनुमान करता अपने घर चल दिया।

सारांश यह कि जब तक हिन्दी चाले स्वयं अपने ही इन अपराधों से मुक्त न होंगे, तब तक हिन्दी-माता अपने ऊपर दूसरों द्वारा किए हुये अत्यधिकारों पर कम रोकेगी, अपने ही पूतों की निष्क्रियता और कर्त्तव्यहीनता पर सिर पटकती रहेगी। यदि उसके ही बेटे ऐसे न होते तो कैसे कोई उसका अपमान कर सकता? अभी बहुत देर नहीं हुई है—क्या हम अपने

हिन्दी चाले भाइयों और भारत-भक्तों में आशा करें कि वे अपनी मातृ-भाषा अथवा राष्ट्र-भाषा का मस्तक ऊँचा उठाने में अपना तन, मन, धन अर्पित कर देंगे ?

(मई, १९४६ की 'सरस्वती' से)

परिशिष्ट ४

वर्धा की हिन्दुस्तानी

(लेखक—श्रीभूदेव विद्यालंकार)

हिन्दी की राष्ट्रीयता पर इस समय ढो ओर से प्रबल आकमण हो रहे हैं। एक आकमण बाहर की ओर से हो रहा है, और उस समुदाय की ओर से होरहा है जो हिंदू स्स्कृति, हिंदू सभ्यता तथा हिंदू आचार-विचार का बिद्वेषी है और जिसे हिंदुओं की उन्नति फूटी आँखों भी नहीं सुहाती है। इस आकमण का करनेवाला ऐज़लो-मुस्लिम सरकारी गुट् है जिसकी एक शाखा केन्द्रीय भारत सरकार का सूचना तथा प्रचार विभाग है। इसके सर्वेसर्वा वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य सर अकबर हैदरी हैं। इनसे पहले सर मुलतान अहमद थे। यह विभाग अपने लेखों, तथा प्रचार के सर्वाधिक शक्ति-शाली साधन आकाश-बाणी (रेडियो) द्वारा अरबी-फारसी-बहुल उर्दू भाषा को 'हिन्दुस्तानी' का नाम देकर उसके प्रचार और प्रसार में प्राणपण से जुटा हुआ है। सरकारी विभाग की इस उर्दू पत्तपातिनो तथा हिन्दी विरोधिनी नीति के बिसद्द एक प्रबल आन्दोलन हिंदी साहित्य सम्मेलन तथा हिंदी साहित्य सेवियों द्वारा कई बष्ठों से चल रहा है। यह आन्दोलन अब तक सफल होगया होता यदि 'हिन्दुस्तानी' का पोषक एक दूसरा आन्दोलन हिंदुओं के ही भीतर खड़ा न होगया होता। इस दूसरे आन्दोलन के कारण हिंदी निरोधी सरकारी दल के काँपते हुये हाथ और लडखड़ाते हुये पैर फिर से

दृढ़ हो गये हैं, और हिंदी की राष्ट्रीयता के प्रचार में कुछ समय के लिये वाघायें और बढ़ गई हैं।

यह खेट और दुख की बात है कि यह दूसरा हिन्दी विरोधी हिन्दुस्तानी का आन्दोलन एक ऐसे व्यक्ति द्वारा उठाया जा रहा है जो किसी समय हिन्दी की राष्ट्रीयता का प्रबन्ध समर्थक, प्रचारक और पोषक था। इस हिन्दुस्तानी का बेन्द्र है वर्धा और वहाँ के महात्मा ही इसके प्रवर्तक, पोषक, प्रचारक, प्रभारक और प्रेरक हैं। वर्धा से होने वाला हिन्दी पर यह आक्रमण मरकारी गुट्ट के आक्रमण से कहीं अधिक धानक है क्योंकि यह प्राथमिक और माध्यमिक श्रेणियों से ही हिन्दुस्तानी का प्रचार हमारे बालक-बालिकाओं में करने का उपकरण कर रहा है। सरकारी विभाग की 'हिन्दुस्तानी' और वर्धा की 'हिन्दुस्तानी' में बेवल नाम साम्य ही नहीं है, प्रत्युन हिन्दी में प्रचलित सरल और सुवोध सन्कृत शब्दों के भी वहिष्मार तथा अरबी फारसी वहुल उदूर शब्दों के विशेष व्यवहार और प्रयोग में भी दोनों में आश्चर्यजनक साम्य है।

वर्धा की हिन्दुस्तानी क्या है ? कैसी है ? इसे समझने के लिये वर्धा-शिक्षा-योजना से सम्बन्ध रखने वाली तथा वहाँ से प्रकाशित पुस्तकों में से दो-चार का अध्ययन ही पर्याप्त है। इस सम्बन्ध में १-शिक्षा में अहिंसक क्राति, २-एक कदम आगे, ३-वृन्दायादी तालीम के दो साल, ४-गते का काम, भाग पहना, ५-खेती शिक्षा, ६-ओटना, तुनना व धुनना, ७-नई किताब (हिन्दी), ८-कतार्ड गणित (हिन्दी), ९-तकली (हिन्दी), १०-नई किताब (उदूर), ११-कतार्ड का विसाव (उदूर), १२-तकली (उदूर), इन बारह पुस्तकों का अध्ययन करने के बाद मैं इस परिणाम पर पहुँचा हूँ कि यदि वर्धा की हिन्दुस्तानी का विराध न किया गया और वह सफल हो गई-तो हिन्दी का स्वरूप इनना बहुत हा जायगा। कि उसे पहच नना भा कठिन हो जायगा, यहाँ तक कि हिन्दी की उपजीव्य सस्कृत के सरल और सुवोध-

शब्दों का भी वहिष्कार होकर उनके स्थान पर अरबी फारसी बहुल उदूर् शब्दों को इननी भरमार हो जायगो कि नह वही हिन्दुस्तानी बन जायगो जो ऐंग्लो-प्रस्त्रिम गुट्ट को अभीष्ट है ।

इम यह मानते हैं कि उच्चतिशाल भाषा पड़ासो भाषाओं के ही नहीं प्रत्युत विदेशी भाषाओं के शब्दों से भी अपने शब्द-भाण्डार का भरने में आगा-पीछा नहीं करती । पर इसका यह अभिप्राय कभी नहीं है कि अपने आत्मसात किये हुये शब्दों का या उपजोव्य भाषा के शब्दों का वहिष्कार करके दूसरी भाषा के शब्दों को आरनाया जाय, उनके पीछे दौड़ा जाय ।

बर्धी को हिन्दुस्तानी कैसा साहित्य निर्माण कर रही है, इसके कुछ उदारण देखिये :—

‘खेनी की शिक्का’—एक सौ तीस पृष्ठों की ग्यारह अध्यायों में विभक्त यह एक पुस्तक है । यह ‘खेनी शिक्कण’ नाम की मराठी पुस्तक का अनुवाद है । इसके प्रथम दो अध्यायों में ही उदूर् के शब्दों तथा चाक्याशों का प्रयोग किस प्रकार किया गया है, देखिये :—वाग वग चे, ताल्लुक, नजदीकी सम्बन्ध, वगेरा, मौजू, मददगार सावित होग, कुदरत, जिन्दगी गुजारनी, इमतहानों, वेमजा, वेहड ताकतवर, खुदा की शान, जिन्दगों की अजमत, गुजरेग, कुदरत के ये एलची, होशियारी, चौज में खूबसूरती, तरक्की जरूर हाँगो, गौर करने को ताकृत, हासिल, वजह, बाकायादा सोचने का मादा पैदा होगा, वयान, ख्यालों को जाहिर करना, पावन्दी, एहसास, मुसब्बरी, आवाज, बारीक, ज्यादा मज़ूत, खासकर, चूंकि ज्यादातर, कौमी फ़ायदा, शख्सी, कौमो निग ह, मुतावेक, दस्तकारी के जरिये, चक्कन, मादरी ज़बान, नज़म, मुकद्दम घदे, मज़नूनों की तरह, ज़रूरी, शामिल, जमातों, मक़्मद, गुजाइश, और हालात मुआफिक हों, तनख्वाह, पैदावार का सबाल, गुलामो, बदनाम, नसोव, बदकिस्मती, आज़दा की तरफ़, तालीम, शानदार, खास पहलुओं, खास मरकज, सिफ़, ज़रूरी पहलुओं पर खास व्यान, काम-

लिपि में जाते ही इसकी पक्षी मुसलमानी हो जानी है। इस पर तुम्हारा चड़ जाता है और विगुद्ध उदूँ हो जाती है। इस 'नई किताब' को नामगी नथा उदूँ में प्रकाशित संस्करणों को देखने से यह बात स्पष्ट हो जानी है —

पहले पन्ने से ही देखते चलिये—

नागरी

१—

- २—नागरी-प्रकाशक
- ३—पहला संस्करण
- ४—(नोट नहीं है)

प्र.—निवेदन

६—बुनियादी स्कूलों के तीसरे दर्जे के बच्चों के हाथों में इस नई किताब को रखते हुये मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है।

७—यह किताब खास करके

८—पर मुझे आशा है

९—जब से बुनियादी तालीम का प्रयोग शुरू हुआ

१०—एक नये साहत्य की आवश्यकता अनुभव कर रहे हैं

उदूँ

१—लिटरेचर कमेटी मुकर्रणुठह मिनजानिव वेसिक एजूकेशन बोर्ड, विहार।

२—उदूँ-नाइर

३—तलव अब्बल

४—(नोट) अर्ज अडीटर—मैं निहायत मसर्रत के साथ इस बात का अयतराफ़ करता हूँ—इत्यादि।

५—अर्ज हाल

६—मुझे बुनियादी स्कूलों के तीसरे दर्जे के हाथों में इस 'नई किताब' को देते हुये वैहद मसर्रत हो रही है।

७—यह किताब मखसूस तौर पर

८—लेकिन मुझे उम्मीद है

९—जब से बुनियादी तालीम का तजरब्बह शुरू हुआ

१०—एक नये अद्व की जरूरत महसूस कर रहे हैं

- ११—क्या वच्चों के लिये और
क्या शिक्षकों के लिये
- १२—सच्चे शिक्षा साहित्य का
अभाव है
- १३—विषय सूची
- १४—प्रार्थना
- १५—यही चाहता हूँ मैं ईश्वर
- १६—वाद तुम्हारे ईश्वर, इसका
ही व्रद्धम कहलाऊँ मैं
- १७—तकली की गति (चाल) के
अनुसार (मुताविक) ही सूत
- १८—यह सूत कितना समान
(एकसाँ) है
- १९—प्रणाम, मामाजी

२०—सूत की समानता (एकसा-
नियत) पर वह ध्यान नहीं
दे रहा था।

ये उद्घरण ‘निवेदन’ या ‘अर्ज हाल’ को केवल प्रथम ८-१० पक्षियों
के हैं। वस इतने से ही समझ लीजिये कैसी ‘हिन्दुस्तानी’ है।
लेख का कलेचर वह रहा है इसलिये इसे यही समाप्त करता हूँ। अन्य
पुरतकों के सम्बन्ध में फिर लिखूँगा। अन्त में इतना अवश्य लिखूँगा कि

- ११—क्या वच्चों के लिये और
क्या मौलिकियों के लिये
- १२—सच्चे तालीमी अद्व का
फकदान है
- १३—फेहरिस्त मजामीन
- १४—दुआ
- १५—यही चाहता हूँ मैं या रब्ब
- १६—वाद तुम्हारे या रब इसका
एक खाद्यम कहलाऊँ मैं
- १७—तकली की रफ्तार के
मुताविक ही सूत
- १८—यह सूत कितना एकसाँ है
- १९—आदाव, मामूजान
(यहाँ ध्यान देने की बात
है कि कहने वाला केदार
हिन्दू है और अपने मामा
से कह रहा है)
- २०—सूत इसका एकसाँ नहीं
हो रहा था।

ये उद्धरण स्पष्ट कह रहे हैं कि वर्धा को हिन्दुस्तानी की भाषा एक नहीं है। नागरी लिपि में जिस प्रकार हिन्दी शब्दों के उद्दू पर्याय कोष्ठों में लिख कर उद्दू के शब्दों का परिचय, व्यवहार तथा प्रयोग बढ़ाने का प्रयत्न किया गया है, उद्दू लिपि के संस्करणों में इस प्रथा को क्यों नहीं अपनाया गया ? क्यों नहीं उद्दू शब्दों के स्फूत प्रयायों से उद्दू पढ़ने वालों को परिचित कराने का प्रयत्न किया गया ? क्या यह उद्दू के साथ पञ्चपात तथा स्फूत के बहिष्कार का योतक नहीं है ? क्या इस हिन्दुस्तानी द्वाग हिन्दी के साथ न्याय हो रहा है ? क्या यह प्रथा हिन्दी के सर्वनाश का कारण न होगी ? क्या इसका उद्देश्य स्पष्ट रूप से उद्दू शब्दों का व्यवहार बढ़ाना, उद्दू का प्रचार करना नहीं है ?

(जनवरी, १९४६ को 'हिन्दी' से)

(आगे टिप्पणी देखिये)

परिशिष्ट ४ पर टिप्पणी

(लेखक—रविशंकर शुक्ल)

बधी की हिन्दुस्तानी के पीछे जो मनोवृत्ति काम कर रही है वह तो ऊपर के लेख से प्रकट है ही, इस लेख से विहार की हिन्दुस्तानी पर भी भरपूर प्रकाश पड़ता है। यह है विहार जैसे हिन्दी प्रान्त की उस हिन्दुस्तानी का स्वरूप जो बिहारी जनता पर 'राष्ट्रीय सरकार' द्वारा लादी जा रही है और बिहारी बालकों के मस्तिष्क में प्रारम्भ से ही पैटाई जा रही है ! देवनागरी पुस्तकों में हिन्दुस्तानी के नाम पर भाषा की जो दुर्दशा की गई है उससे अधिक आश्चर्य फारसी लिपि की पुस्तकों की भाषा देख कर होता है। इन उद्भू पुस्तकों में हिन्दी के साधारण से साधारण देशज शब्द तक के लिये स्थान नहीं। उनके स्थान में भी ढूँढ ढूँढ कर अरबी फारसी शब्दों को ठँसा गया है, और जहाँ यह सभव नहीं वहाँ अँगरेजी शब्द रखा गया है (जैसे 'अडीटर'—'सम्पादक' सह्य नहीं) और वस्तुनः क्रियाओं और विभक्तियों को छोड़ कर भाषा में कोई भी भारतीय तत्व न रहने दिया गया है। ऊपर से तुर्रा यह कि इस भाषा का नाम रखा गया है 'हिन्दुस्तानी' और उसे जनता की सरल भाषा कह कर लादा गया है बिहारी जनता पर जिमकी (हिन्दू या मुसलमान) मातृ-भाषायें भोजपुरी, मथिली और मगाही हैं और जिसने अपनी बाणी विद्यापति ऐसे कवि से पाई है ! यदि पंजाब, सिन्ध या सीमा-प्रान्त का ममला होता तो वहाँ तो वेसिक स्कूलों की 'हिन्दुस्तानी' बनाई जाती उट्टू और पुस्तकों को देवनागरी लिपि में भी न

चापा जाता (उदाहरण के लिये पजाव के वेसिक स्कूलों में प्रचलित 'हिन्दुस्तान' की पुस्तकें देख लीजिये), परन्तु विहार में प्राथमिक शिक्षा से भी एक दर्जा नीचे वेसिक शिक्षा के लिये मैथिली और मगाही बोलने वाले मुसलमान वालकों के हाथ में ऐसी पुस्तकें दी जानी हैं जिन की उर्दू को बे क्या, युक्त-प्रान्त और पजाव में भी मुसलमान वालक नहीं समझ सकते। यह है 'भारू-भाषाओं द्वारा शिक्षा' वाले नारे का व्याप्तिकारिक रूप ! जेसी उर्दू की विहारी मुसलमान स्वयं न मोग करते उससे अधिक क्लिए उर्दू उन पर थोपी जा रही है, और विहारी जनता को भाषा और लिपि के पाकिस्तानों में बाँटा जा रहा है, और वह सब 'हिन्दुस्तानी' के नाम पर ! ऐसा क्यों न हो ? विहार की 'राष्ट्रीय सरकार' में डा० सैयद महमूद शिक्षा-मन्त्री क्या व्यर्थ के लिये बने थे, और इस बार शिक्षा का पोर्टफोलियो दबोचे रहने का जीतोड़ प्रयत्न उन्होंने क्या तकल्लुफ़ में आकर किया था ? सासार भर में भारत ही तो एक ऐसा अभागा देश है जहाँ विहार जेसे हिंदी प्रान्त वा शिक्षा-मन्त्री एक ऐसे व्यक्ति को बनाना सम्भव है जो अपनी मानूषभाषा हिंदी न बताता हो, जिसे हिंदी का ज्ञान न हो, हिंदी से प्रेम न हो चरन् जिसे हिंदी से छोप हो—और वह भी एक ऐसी सरकार द्वारा जो राष्ट्रीयता का दम भरती हो, जनता की सरकार होने का दावा करती हो ! इ गलैंड की प्रतिगामी से प्रतिगामी सरकार भी एक ऐसे व्यक्ति को इ गलैंड का शिक्षा-मन्त्री बनाने का साहस न करेगी जो ऑंगरेजी का विद्वान न हो और जिसे ऑंगरेजी से प्रेम न हो, परन्तु भारत में तो कांग्रेसी राष्ट्र-वादियों को कांग्रेसी मुसलमानों के सहयोग का मूल्य हिंदुओं की जेव से चुकाना ही है ।

क्या हम विहार की नई सरकार से वह निवेदन कर सकते हैं कि वह विहार में भाषा और लिपि का पाकिस्तान, जिससे वह अभी तक बचा रहा है, खड़ा करके, विहार की जनता के ढुकडे ढुकडे न करे और उसकी भाषी उन्नति

मेरे भयकर वांधा न डाले ? यदि उसने^१ ऐसा किया तो विहार की अगली पीढ़ियों उसे इस महान् अपराध के लिये कभी क्षमा नहीं करेगी। विहार प्रात में श्रातीय बोलियों के बाद हिंदी के सिवा किसी अन्य हिंदुस्तानी का कोई अधिकार नहीं, और देवनागरी के सिवा किसी दूसरी लिपि का कोई स्थान नहीं, चाहे मुसलमानों का भासला हो, चाहे ईसाइयों का और चाहे किसी और का। विहार की हिंदुस्तानी हिंदी है। विहार के १४ प्रतिशत मुसलमानों, जो हिंदी समझते हैं, के दुराय्रह के कारण विहार में शिक्षा या राजकाज में उदूँ और उदूँ लिपि को हिंदी और देवनागरी के समकक्ष स्थान देफर या हिंदी से भिन्न किसी हिन्दुस्तानी और दोनों लिपि को स्थान देकर बुद्धि का दिचालियापन प्रकट करना है। दुख की बात है कि जब पजाव (जिसके कई जिलों की मातृभाषा ही हिन्दी है) की सरकार ३० प्रति शत जनता के कहने पर भी राजकाज, कच्छहरियों, आदि में उदूँ के सिवा किसी दूसरी हिंदुस्तानी और फारसी लिपि के सिवा किसी दूसरी लिपि को कोई स्थान देने को तैयार नहीं, विहार की सरकार गिने चुने मुसलमानों को खुश करने के लिये अपनी राजभाषा और राजलिपि को दो दो में विभक्त चाहती है^२, और हिंदी की सुन्नत करना चाहती है। जोभ का विषय है कि जब शारदा लिपि के देश काश्मीर और गुरुमुखी के देश पजाव में मुसलमान केवल एक लिपि फारसी यह कहकर रखना चाहते हैं कि दो लिपियों में जनता दो भागों में बँट जायगी और मिलकर कभी एक न हो सकेगी, और

* कुछ वर्ष हुये विहार की इन्टरिम (मध्यकालीन) गवर्नर्मेंट के समय में (१९३२ के विधान के लागू होने से पूर्व) अपनी तीन महीने की सुलतानी में सर सुलतान अहमद ने जौका पाकर उदूँ को भी विहार की राजभाषा, कच्छहरियों की भाषा, आदि घोषित कर दिया। इस बात का कोई चिन्ह नज़र नहीं आता कि विहार की राष्ट्रीय सरकार एक कठपुतली सरकार की इस प्रतिक्रियावादी आज्ञा को, जिसको केवल दस वर्ष हुये हैं, रद्द करके विहार को दुभाषी भाषा से मुक्त कर देगी। उसकी 'राष्ट्रीयता' में इतना दृष्टि कहाँ ?

जब मिन्ध की सरकार सेन्ध में 'हिंदुस्तानी' की केवल एक लिपि फारसी यह कहकर रखती है कि सिन्धी लिपि से मिलती जुलती होने के कारण वही सिन्धियों के लिये उपयुक्त है, विहार की राष्ट्रीय सरकार देवनागरी के देश विहार में कैथी जाननेवाले विहारियों पर देवनागरी के साथ एक दूसरी लिपि जवर्दस्ती योग्या चाहती है, और जो जनता आज एक है उसे अब दो मारों में बाँटना चाहती है। गण्ड-भाषा हिंदुस्तानी की दो लिपियाँ होंगी, परन्तु विहार की भाषा की दो लिपियाँ क्यों हों ? राष्ट्र-भाषा हिंदुस्तानी की दो शैलियाँ होंगी, वर्धा द्वारा उसका स्वरूप निश्चित किया जायगा, उसमें उद्भूत प्रान्तों को शिखन दी जायगो अदि, परन्तु विहार को प्रान्तीय हिंदुस्तानी हिंदी से भिन्न क्यों हो ? क्या अन्य प्रान्त अपने अपने वहाँ राष्ट्र-भाषा के बजाय अपनी अपनी प्रान्त-भाषा और प्रान्त-लिपि की स्थापना न करेंगे ? विहार की ही प्रान्त-भाषा और प्रान्त-लिपि का आदर्श वर्धा की राष्ट्र-भाषा क्यों हो ? जो बात विहार के साथ लागू है, वह महाकोशल, जिसकी मातृ-भाषा ही कोशली अर्थात् पूर्वी हिंदी है, के साथ और भी दृढ़ता के साथ लागू है। वहाँ केवल ६ प्रति शत मुसलमान हैं, उनकी मातभाषा भी हिन्दी है, परन्तु वहाँ भी हिंदुस्तानी के नाम पर भाषा और लिपि का पाकिस्तान गढ़ा किया जा रहा है और हिंदी को चिकूत किया जा रहा है (देखिये विनामन्दिर योजना)। जो प्रान्त अब तक भाषा की दृष्टि से एक रहे हैं, उनमें अब हिंदुस्तानी के नाम पर भाषा और लिपि की फूट ढाली जा रही है, और अपने हाथों समस्या को जानवृक्ष कर जटिल बनाया जा रहा है। वह बुद्धि का दिवालियापन है। इवर युक्त-प्रान्त में 'हिन्दुस्तानी बोलचाल' नाम से हिंदुस्तानी की जो पुस्तकें स्कूलों में जारी की गई हैं, उनकी भाषा भी विहार की गजेन्द्र सीरीज और महमूद सीरीज की 'हिन्दुस्तानी' पुस्तकों की भाषा ने भिन्न नहीं है। आश्चर्य तो इस बात का है कि कामन भाषा 'हिन्दुस्तानी' चलाने की फिल्ह हिन्दी प्रान्तों में की जाती है जहाँ ६० प्रतिशत

मेरे अधिक की भाषा हिन्दी है। इन प्रान्तों को हिन्दी को बनाये रखने की सजा दी जाती है। पजाव में जाकर 'हिन्दुस्तानी' चलाने की फिक्र कोई नहीं करता। वहाँ तो उदूँ ही सबको 'हिन्दुस्तानी' होकर रहना चाहती है और काग्रेस इससे सहमत है।

जहाँ एक और फारसी लिपि स्वयं राष्ट्रीय सरकारों द्वारा प्रचलित की जा रही है, वहाँ दूसरी और विहार और मध्य-प्रान्त में आदिवासियों, सथालों तथा अन्य पिछड़ी हुड़ी और जगली जातियों में मिशनरी रोमन लिपि का प्रचार कर रहे हैं जो उनके ईसाहत प्रचार का ही एक अंग है, क्योंकि इस प्रकार वे इन लोगों को अनायास भारतीय सभ्यता और मस्तुकि के प्रभाव से दूर ले जाते हैं। इन प्रान्तों में रोमन लिपि को समस्या भीपण रूप धारण करने वाली है, आर लिपि का एक और पाकिस्तान वनने वाला है। परन्तु राष्ट्रीय सरकार दुकुर-दुकुर देख ही नहीं रही है, रोमन लिपि के प्रचार में सहायता दे रही है ॥ १ ॥ वृटिश सरकार चाहती है कि इस देश की भाषा बने उदूँ और लिपि हो रोमन। इसी रोमन उदूँ को वह सेना में, सरकारी दफ्तरों में, रेडियो, आदि में प्रचारित कर रही है। इसी कारण विहार और मध्य-प्रान्त में ही नहीं, आसाम, बगाल, आठि में भी पिछड़ी हुड़ी जातियों में और ट्राइबल एरियाज में जो स्वयं ब्रायसराय के आधोन हैं रोमन लिपि का जार शोर से प्रचार किया जा रहा है। इधर युक्त-प्रान्त की सरकार ने रोमन

३४ विहार के पिछले कांग्रेसी मंत्रि-मडल के समय में विहार प्रान्तीय निरक्षरता निवारण सघ ने सथाल बच्चों की पात्र्य पुस्तके रोमन लिपि में छपाई। संथाल परगना में रोमन लिपि प्रचार को सरकार से पूरी सहायता मिल रही है। इधर विहार सरकार के शिक्षा विभाग ने एक सर्कुलर निकाल कर संथाली स्कूलों की आरभिक कक्षाओं में रोमन लिपि को अनिवार्य कर दिया है। इस सब में ढां लैयद महसूद का हाथ प्रत्यक्ष है। उनकी राय में जहाँ फारसी लिपि को अकेले या देवनागरी के साथ चलाना सभव नहीं, वहाँ रोमन लिपि का खेड़ा खड़ा हो जाय तो अच्छा।

लिपि प्रचार का उपक्रम किया है और रोमन लिपि में युस्तकँ छृपा कर कुछ स्कूलों में जारी करा भी दो हैं। वृटिश सरकार की इस दुरभिसन्धि में मुस्लिम गुट मिला हुआ है। हिन्दुस्तानी वालों के तर्फ 'दोनों लिपि' के कारण राष्ट्रीय सरकार भी कुछ करना नहीं चाहती या कर नहीं सकती। चाहे एक चिदेशी ईसाई आकर जनता में भाषा और लिपि की फूट डाले, चाहे एक स्वदेशी मुसलमान राष्ट्रीय सरकार की नाक तले ऐसा करे, राष्ट्रीय सरकार की 'राष्ट्रीयता' दोनों के सामने पंगु है। जनता की भाषा और लिपि के प्रति अन्याय को दूर करना तो दूर रहा, वह उसमें योग देती है। जनता के शत्रु मौका पाते ही उसकी भाषा और लिपि पर प्रहार करने से नहीं चूरुते, परन्तु जनता के प्रतिनिधि उनके प्रहारों का प्रतिकार करने में असमर्य है। एक चिदेशी सरकार एक चिदेशी लिपि को हुक्म निकाल कर अनिवार्य करार दे सकती है, परन्तु स्वदेशी सरकार एक स्वदेशी लिपि को अनिवार्य करार नहीं दे सकती। उसमें उसकी 'राष्ट्रीयता' वाधक है। परन्तु ऐसी राष्ट्रीयता से न किसी राष्ट्र का उड़ार हुआ है और न हो सकता है।

परिशिष्ट ५

हिन्दुस्तानी

(लेखक—श्री भद्रन्त आनन्द कौसल्यायन)

“—हिन्दुस्तानी हिन्दू-मुस्लिम पैकट की भाषा है, हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य की नहीं—एकदम बनावटी। उसका उद्देश्य है—ऐसी भाषा लिखने का प्रयत्न करना, जिसमें न स्कृत के शब्द हों न अरवी फारसी के, और जो दोनों लिपियों में लिखी जा सके। उत्तर-भारत में काफी आर्य समाजी साहित्य प्रचलित है जो ठेठ हिन्दी है, लेकिन उसे उर्दू लिपि में लिखकर छाप दिया गया है—यहाँ तक कि आर्य समाज को स्कृत सव्या को भी। उर्दू लिपि में लिखा होने मात्र से क्या वह सारा साहित्य “हिन्दुस्तानी” समझा जायगा ? यदि नहीं, तो इधर जो कुछ साहित्य पैदा होने लगा है, जो ठेठ उर्दू है, लेकिन जिसे देवनागरी अक्षरों में भी छाप दिया जाता है वह कैसे हिन्दुस्तानी कहला सकता है ? मेरे एक आदरणीय मित्र हैं। उन्होंने एक किताब लिखी है जो देवनागरी अक्षरों तथा उर्दू हरफ़ दोनों में छपी है। मैंने उस किताब को हस्तलिपि के रूप में देखा। वह उर्दू में लिखी गई थी और एक दिन उन्होंने मुझसे पूछा कि अब वताओं उसमें कहाँ-कहाँ कौन-कौन शब्द काटकर बदल दिये जायें जिससे वह देवनागरी में भी छप सके। मैंने कहा, मुझे यह अत्यन्त अस्वाभाविक मालूम होता है ; इससे उर्दू शैली का प्रभाव नष्ट होता है और हिन्दी का तो आ ही

नहीं सकता। तो भी हुआ जही जो बट चाहते थे। बहाँ तर्हँ कुछ शब्द।
मी जगह 'हिन्दी' शब्द लिये गये और का पुनर देवनागरी अक्षरों
में भी हृषि गई।

एक और उदाहरण—

दक्षिण-भारत हिन्दी प्रचार मभा ने "हिन्दुस्तानी" नाम में एक पुस्तक
प्रकाशित की है। उसमें गीलाना अवृत्त रूलाम आजाद का उद्देर्जने से लिखा
हुआ एह 'दीवाना' है जो देवनागरी अक्षरों में भी उद्याँ का तरो 'दीवाना' ही
है। 'दीवाना' शब्द पारंपरी का है, उसे पारंपरी में जग है और हिन्दुस्तान
की उद्देर्जने में भी, लेकिन हिन्दुस्तान दी जिनका जन्म-गूम्ह है ऐसे ये दो
शब्द, 'प्रतापना' और 'भूमिका', आप कृपया कहें कि अब कर्त्ता गण्डा
दूँटे ? हिन्दुस्तान में तो अब उनको गण्डा निलेगी नहीं, क्योंकि वे 'हिन्दु-
स्तानी' नहीं हैं।

और क्वा यह 'न मन्का, न अखो फारमी' माया लिखते का प्रबल
मफन होता है ? वटि आपको नारे साहित्य में "म जाता हूँ, मैं स्थाना हूँ"
जसे दो दो शब्दों के बाक्यों में ही काम लेना हो तो वात दृसरी है, अन्यथा
आप जरा गत्तराई में उतरें तो आप को अपनी 'न मस्कृत, न अखो फारमी'
चाली वात तुरत लाव देनी होगी। मैं इस 'हिन्दुस्तानी' किताब से ही, जो
एकदम वच्चों के लिये लिखी गई है, दो उदाहरण देता हूँ। एक जगह
फुटनोट है—"मुजकर मुचन्नस की बजह से इफगाल में जो फर्क पैदा होता
है उत्ताद उसे समझाये और मश्क कराये।" हिन्दुस्तानी ग्रादर्शकाटियों
ने उसे देवनागरी अक्षरों में कैसे लिखा है—'पुर्लिंग और स्त्रीलिंग की
बजह में क्रियाओं में जो फर्क पेटा होता है उत्ताद उसे समझाये और मश्क
कराये।' दोनों लिपियों में लिखी जाने योग्य भाषा बनाने के फेर में देव-
नागरी में भी 'काग्जा' न लिप्तकर 'बजह' लिखा गया है, 'अभ्यास' न
लिखकर 'मश्क' लिखा गया है, 'अ-यापक' न लिखकर 'उत्ताद' लिखा

गया है, मानों ये शब्द पहले सब शब्दों की अपेक्षा सरल हों, ‘आमफहम’ हो, लेकिन तब भी क्या दोनों लिपियों में एक ही भाषा लिखी जा सकी ? देवनागरी में ‘कियाओ’ है, उद्दू में ‘इफआल’ है (‘फेन’ का बहुचत ‘फ़्लो’ हो जाता लेकिन तब तो वह हिन्दी व्याकरण के अनुसार होता !), देवनागरी में ‘पुलिंग’ है तो उद्दू में ‘मुजक्कर’ है, देवनागरी में ‘स्त्रीलिंग’ है तो उद्दू में ‘मुवन्नस’ है ।

दूसरा उदाहरण लें—पृष्ठ १४ पर—“मुतकल्लम-हाजिर-गायब हालतो की मशक फेले-हाल के मुजक्कर मुवन्नस की सूख्तों में करा दी जाय ।” दोनों लिपियों में एक ही भाषा लिखने के इच्छुकों को देवनागरी में इसे यूँ लिखना पड़ता है—“उत्तम और मव्यम पुरुष की मशक चर्तमान-काल के पुलिंग और स्त्रीलिंग के रूपों में करा दी जाय ।” दोनों वाक्यों में एक ‘मशक’ शब्द को छोड़कर कौन सा त्रिशेष शब्द समान है ? यदि ‘हम ‘अभ्यास’ की जगह इस ‘मशक’ शब्द को ही अपनी भाषा में जगह दें और हिन्दुस्तानी की खातिर ‘अभ्यास’ को देश निकाला मी दे दें तब भी क्या इससे वह हिन्दी ‘हिन्दुस्तानी’ हो जाती है ।

‘ अमो अभी दक्षिण-भारत हिन्दी प्रचार सभा के १२वें-१३वें पदबी-दान के अवसर पर जनाव सैयद अब्दुल्ला वरेलवा साहब ने एक तकरीर फरमाई है । उसमें आपने दक्षिण-भारत हिन्दी प्रचार सभा को नेक सलाह दी कि वह अपना नाम ‘हिन्दी प्रचार सभा’ न रखकर ‘हिन्दुस्तानी प्रचार सभा’ में तबदील कर दे । आप फरमाते हैं—“हिन्दी नाम में पैदा होने वाले अम को हटाने के लिये मैं अपनी अपील पर जोर दूँगा, खाम करके इसलिये कि मुझे यकीन है कि इस तबादले से मुसलमानों के मन पर अच्छा असर पड़ेगा ।” कुछ लोग कहा करते हैं कि नाम में क्या रक्खा है, लेकिन वरेलवी साहब नाम के तबादले से ही मुसलमानों के मन पर बड़ा अच्छा असर पैदा करने की उम्मीद करते हैं । आपने अपनी तकरीर में फरमाया है कि

कोमी जगत को उसके जो तीन नाम मिले हैं—हिन्दी, उर्दू, हिन्दुस्तानी—वे तीनों मुसलमानों के दिये हुये हैं। यदि यह बात ठीक है तो ‘हिन्दुस्तानी’ नाम में वह कौन सी सामियत है जिसकी वजह ने मुगलमान भाई ‘हिन्दी’ और ‘उर्दू’ दानों नामों पर उसे नरबीह देंगे? आज आप मुगलमानों पर ‘अच्छा असर पड़ेगा’ को बात कहार राधूभाषा को ‘हिन्दुस्तानी’ कहने की सलाह दे रहे हैं, कल आप उन्हें उर्दू टा कहने वा सलाह भी दे दी सकते हैं। १९४२ में गाघीजी ने जब ‘हिन्दुस्तानी सभा’ की नीम टाली तब उसके ३८ नुनियादी मेम्बरों में कितने मुगलमान भाई मेम्बर थे? स्वयं वरेलवी साहब तो खेर उसमें थे ही नहीं, कसम ज्ञाने के लिये तीन नाम दिखाइ देने हैं, लेकिन ऐसे जिन १ से कोई भी भाषा सम्बन्धी शोधों के लिये प्रसिद्ध नहीं—न आजाद हैं, न जाफिरहुसेन हैं, न मौलाना अब्दुलहकुम हैं।

हमें ज्ञामा किया जाय, यह ‘हिन्दुस्तानी’ आन्दोजन हमारे मान्य राजनीतिक नेताओं की सूझ है और किसी राजनीतिक आवश्यकता का ही परिणाम भी। लेकिन शर्तों पर आश्रित एकता—वनावटी एकता—स्थायी नहीं होती।”

(वभई हिन्दी विद्यापीठ के प्रमाणपत्र-वितरणोत्सव के अवसर पर १९४४ में दिये दीक्षान्त भाषण से)

परिशिष्ट ६

“हिन्दुस्तानी का प्रचार क्यों ?”

हिन्दुस्तानी प्रचार सभा की रिपोर्ट पर एक व्यष्टि

(लेखक—श्रीप्रभुदयाल मीतल, प्रधान मन्त्री, ब्रज-साहित्य-मडल)

हिन्दुस्तानी प्रचार सभा की ओर से पिछले वर्ष ता० २६ फरवरी, १९४५ को वर्धा में ‘अविल भारत हिन्दुस्तानी-प्रचार सम्मेलन’ हुआ था। महात्मा गांधी उसके सभापति थे। इस सम्मेलन की रिपोर्ट ‘हिन्दुस्तानी-प्रचार क्यों ?’ नाम से अब पुस्तकाकार प्रकाशित हुई है। इस रिपोर्ट से हिन्दुस्तानी-प्रचार के सम्बन्ध में आवश्यक बातें ज्ञात हो सकती हैं।

इस सम्मेलन को करने का उद्देश्य बतलाते हुये मन्त्री श्री मन्नारायण जी अग्रवाल ने कहा—

“हमने यह महसूस किया कि हिन्दुस्तानी भाषा का रूप तय करने और हिन्दुस्तानी में जरूरी साहित्य तैयार करने के लिये सभा के मेम्बरों के अलावा हिन्दी और उर्दू के दूसरे विद्वानों और माहिरों की जरूरत है। इस चिनार को मैंने पुज्य गान्धीजी के सामने रखा। उन्होंने भी उसे पसन्द किया। इसलिये यह कान्फरेंस बुलाने का फैसला किया।”

सम्मेलन के प्रथम दिन उसके सभापति महात्मा गांधी का मौन-दिवस था, अतः उनका निश्चित सदेश पढ़ने पर कार्रवाई प्रारम्भ हुई। अपने सदेश में महात्माजी ने आगत सज्जनों की उपस्थिति पर प्रसन्नता प्रकट करते हुये दो सज्जनों की अनुपस्थिति का विशेष रूप से उल्लेख किया। पहले सज्जन

टाकड़ा ग्रन्थकुल हक्क थे, जो दूसरे दिन सम्मेलन में उपनिधन हो गये थे। दूसरे सज्जन श्रीपुरुषोत्तमदास टड़न थे, जो वीभार होजाने के कारण उपतिथत नहीं हो सके।

सम्मेलन की कार्रवाई आरम्भ करते हुये डॉ० सैयद मद्दूर ने हिन्दुस्तानी के धिपव में अपने चिन्चार प्रकट किये। उसके नामकरण के सम्बन्ध में आपने कहा—

“मैं खुट तो काँसी जगान के लिये ‘हिन्दी’ नाम को ही प्रसन्न करूँगा कराकि वह वहा आमान और गृहस्थल लफज है। मगर चौकि यह नाम अब सकृत शब्दों से भरी हुई जगान के मानी रखता है, इसलिये उसको होड़कर ‘हिन्दुस्तानी’ नाम को अपनाना पढ़ रहा है।”

‘उदू०’ शब्द की उत्पत्ति के धिपव में आपने कहा—

“ओंगरेजों ने हमको बताया है कि ‘उदू०’ लफज के मानी ‘बाजार’ या ‘छावनी’ के हैं और वह तुर्की लफज है। मगर मैंने एक जगह पढ़ा है कि उदू० सम्कृत का एक लफज है, जिसके मानी मिले हुये या मिक्कचर या कम्पाउन्ड के हैं और वह यहां का लफज है। शायद यादा खोज तलाश करने के बाद यह मालूम होजायगा कि वह लफज उदू० इसी लफज ‘उदू०’ ने निकला है।”

इस सम्मेलन में जो भी भाषण हुये उन सबमें हिन्दुस्तानी का समर्थन किया गया। भाषणकर्ता चाहे वे हिन्दू थे, चाहे मुसलमान, चाहे वे हिन्दी के विद्वान थे और चाहे उदू० के माहिर, उन सबने उदू० शब्दों की भरपार की थी। सभी वक्ताओं ने हिन्दुस्तानी को फ़ारसी और नागरी दोनों लिपियों में लिखे जाने का समर्थन किया। केवल राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा के प्रधान मंत्री श्रीभट्टन्त आनन्द कौसल्यायन और धारचाङ्क के श्रीसिद्धनाथ पते ने दोनों लिपियों का विरोध करते हुये नागरी के समर्थन में अपने विचार प्रकट किये।

श्रीआनन्द कौसल्यायनजी ने कहा—

“कल और आज मैंने जो भाषण सुने, उनसे मुझे आशा की बनिस्वत निराशा ही अधिक हुई ।... ‘हिन्दी’ और ‘उदू’ शब्दों से तो मेरे दिमाग में कुछ अर्थ निकलता है, मगर ‘हिन्दुस्तानी’ क्या चीज़ है ?मुख्य प्रश्न लिपि का है ।..... मेरी समझ में नहीं आता कि एकता के नाम पर हम जो बात भाषा के नाम पर कहते हैं, वही लिपियों के बारे में क्यों न कहे ? एक भाषा की तरह एक लिपि का आग्रह हम क्यों न रखें ?”

श्रीसिद्धनाथजी पत ने कहा—

“लिपि के बारे में यह तय किया जाय कि जिसे जो लिपि पसन्द होजाय, उसे वह स्वीकार करे । दोनों लिपियों लाजिमी करने से प्रायदा न होगा । ‘राष्ट्रभाषा’ एक, राष्ट्रलिपि अनेक वाला नया नारा देश में काफी गड़बड़ी करेगा । ..दक्षिण भारत में हमने पिछले २५-२६ वर्षों से देवनागरी के द्वारा प्रचार करते हुये बड़ी सफलता पाई है, और हम देवनागरी के देशव्यापी प्रचार के कायल हो गये हैं । इसलिये हमें देवनागरी के द्वारा हिन्दुस्तानी का प्रचार करने की आजादी मिलनी चाहिये ।”

इस सम्मेलन में सौलाना सैयद सुलेमान नठवी डा० जाफर हसन, श्रीसत्यनारायण, डा० अब्दुल हक और डा० नाराचन्द के बड़े लम्बे चौड़े भाषण हुये, जिनमें उन्होंने हिन्दुस्तानी भाषा की जबरदस्त बकालन की ।

इस सम्मेलन में दो ‘ठहराव’ पास हुये थे । पहला ठहराव प० सुन्दरलाल ने पेश किया—

“इस कान्फरेन्स की राय में हिन्दुस्तानी ज्ञान को फैलाने और तरकी देने के लिये इस बात की जरूरत है कि हिन्दी जाननेवाले उदू लिखावट को और उदू जाननेवाले नागरी लिखावट को जल्दी से जल्दी सीख लें और जो लोग इन दोनों में से किसी को भी नहीं जानते, वह भी दोनों ही को सीखें, ताकि सब लोग हिन्दुस्तानी के रूपों—हिन्दी और उदू को—पढ़

और समझ में और इस तरीके से हिन्दुस्तानी का विकास और प्रचार हो सके।”

इस प्रस्ताव पर थोलते हुये प० सुन्दरलालजी ने कहा—

“मैं देख रहा हूँ कि हमारे साथ पूरे दिल में न ‘अजुमन-तरकी-ए-उर्दू’ है, न ‘हिन्दी साहित्य मम्मेलन’, पर इसने मुझे प्रचरण नहीं होता। अचरण तो इस बात का है कि इतने लोग भी हमारे साथ बैठते हैं।”

इस प्रस्ताव के समर्थन में कई भाषण हुये। श्रीभटन्त आनन्द कौसल्यावन ने फिर इसके विरोध में अपने विचार प्रकट किये। उन्होंने कहा—

“बोला। जानेवाली जवान में तो लिपि का मवाल ही नहीं उठता, मैं वह पूछना चाहता हूँ कि राष्ट्रभाषा सीखने के लिये यह जरूरी है कि दो लिपियाँ सीखनी ही चाहिये? ... मैं यह कहूँगा कि दोनों लिपियाँ को लाजिमी तौर पर सीखने की बात को हवा दिया जाय तो अच्छा होगा।”

श्री सियारामशरण जी गुप्त ने उन्हीं जवान में पृष्ठा—

“इस सभा के कार्य में हिन्दी या उर्दू का विरोध तो नहीं होगा।”

इसके उत्तर में महात्मा गांधी जी ने कहा—

“इसका जवाव बाद में देंगा। श्री आनन्द जी ने जो कहा वह मैं समझ गया। उसको भी समझने की कोशिश करूँगा।”

अत में राय लेने पर प्रस्ताव पास हो गया।

डा० ताराचन्द जी ने दूसरा ‘ठहराव’ पेश किया—

“देश के सब लोग इस बात को मानते और समझते हैं कि हमारे कौमी जीवन को मजबूत करने और अलग अलग सूबों के लोगों में मेल-जोल और व्यवहार की एक भाषा बनाने के लिये चाहिये कि हिन्दुस्तानी जवान को तरकी दी जावे और उसकी रूप रेखा ठीक की जावे, क्योंकि इस बात के लिये यही भाषा सब से उद्यादा काम की है।

यह कान्फरेन्स फैसला करती है कि पन्द्रह तक मेम्ब्रों की एक कमेटी

चनाई जावे, जो हिन्दुस्तानी भाषा की डिक्शनरियों तैयार करे, भाषा के कायदे तय करे, उसके लफजों का भएड़ार बढ़ावे, उनके रूप वॉधे, और उसमें अच्छी-अच्छी और काम की कितावें लिखवावे।”

यह प्रस्ताव भी पास हो गया।

अन्त में महात्मा जी ने अपना भाषण दिया—

“मैं नहीं चाहता कि हिन्दी मिट जाय या उदू नष्ट हो जाय। मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूँ कि दोनों हमारे नाम की हो जाय। .. आनन्द जी कहते हैं कि सबको दो लिपियाँ सीखने में बड़ी मुसीबत उठानी पड़ेगी। मैं कहता हूँ कि उसमें कुछ भी मुसीबत नहीं है। और अगर हो भी तो उसे पार करना ही होगा। मैं हिन्दू मुस्लिम एकता के लिये जीता हूँ। मैं जानता हूँ कि हिन्दुस्तानी के प्रचार से हिन्दू मुस्लिम एकता होगी, मगर इस बक्त में आपको यह लालच नहीं दे रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि हिन्दी और उदू दोनों का भला हो। इन दोनों से मुझे काम लेना है। हिन्दी वाले चाहते हैं कि मैं हिन्दी की ही नौवत बजाता रहूँ, उदू का नाम न लूँ। मगर मैं तो अहिंसा का माननेवाला सत्याग्रही हूँ। मैं यह कैसे कर सकता हूँ। मैं यह कहना चाहता हूँ कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन के खिलाफ़ कोई काम न होगा। पर दोनों लिपियाँ सीखने की नकलीफ़ तो गवारा करनी ही होगी। मैं तो आनन्द जी से भी काम लेना चाहता हूँ।”

सबके अन्त में उदू भाषा के प्रबल समर्थक प० ब्रजमोहन दत्तात्रेय ‘कैझी’ ने अपनी ‘नज़म’ पढ़ कर सुनाई। नज़म का कुछ भाग इस प्रकार है—

“जो उलटी समझ है तो है काम उलटा,
कि वह सीधी बातों को उलझा रहे हैं।
नई उलझनें और पढ़ती हैं आकर,
यह क्या गुत्थियाँ आप सुलझा रहे हैं।

‘ किधर जा रहे हैं, नहीं इसकी सुध-वुध,
जो है अपनी धुन में चले जा रहे हैं।’

इस सम्मेलन के पश्चात् हिन्दुस्तानी प्रचार का जितना कार्य हुआ, यह तो हमको ज्ञात नहीं है, किन्तु इस सम्मेलन के बाद ही महात्मा जी ने हिन्दी साहित्य सम्मेलन से त्याग-पत्र दिया और उनके अनुकरण पर अन्य कई सज्जनों ने भी त्याग-पत्र देकर हिन्दी प्रचार के कार्य से वैराग्य ले लिया। हिन्दी साहित्य सम्मेलन के अर्तर्गत राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति, जो अहिन्दी प्रान्तों में राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रचार का महत्वपूर्ण कार्य कर रही थी, अब इस हिन्दुस्तानी आनंदोलन के कारण अपना कार्य सफलतापूर्वक कर सकने की स्थिति में नहीं है। दक्षिण-भारत हिन्दी प्रचार सभा, जो पिछले २८ वर्ष से दक्षिण में हिन्दी प्रचार का प्रशसनीय कार्य कर रही थी, अब अपना नाम ‘दक्षिण-भारत हिन्दुस्तानी प्रचार सभा’ में बदल कर दोनों लिपियों वाली हिन्दुस्तानी का कार्य करने का सकल्प कर चुकी है। अब तक हिन्दी का कार्य एक राष्ट्रीय कार्य समझा जाता था, किन्तु अब उसे साम्प्रदायिक कह कर उसका महत्व कम किया जा रहा है। समस्त हिन्दी हितैषियों को हिन्दी पर आये हुये इस महान् स्कट का दूर करने का उपाय सोचना चाहिये।

(१७ फरवरी, १९४६ के ‘देशदूत’ से)

परिशिष्ट ७

दक्षिण-भारत हिन्दी प्रचार सभा किधर ?

(लेखक—रविशंकर शुक्ल)

लगभग ३० वर्ष हुए, महात्मा गांधी ने एक राष्ट्र-भाषा और एक राष्ट्र-लिपि की आवश्यकता अनुभव की। उन्हें हिन्दी और देवनागरी क्रमशः राष्ट्र-भाषा और राष्ट्र-लिपि होने योग्य जैर्ची। वे इस निष्कर्ष पर देश की भाषा-स्थिति पर निष्पक्ष भाव से विचार करके पहुँचे। उस समय आज जैसा साम्प्रदायिकता का दौर दौरा नहीं था। गांधीजी ने दक्षिण को उत्तर से राष्ट्र-भाषा के वन्धन में बोधने के लिये दक्षिण-भारत हिन्दी प्रचार सभा की स्थापना की। इस सभा का उद्देश्य, जैसा कि इसके नाम से भी प्रकट है, दक्षिण भारत में राष्ट्र-भाषा हिन्दी और राष्ट्र-लिपि देवनागरी का प्रचार करना था। सभा अपने उद्देश्य में पूर्ण सफल रही है। अपनी रजत जयन्ती के अवसर पर आज दक्षिण-भारत हिन्दी प्रचार सभा अपनी जिन्दगी के पिछ्ले २५ वर्षों पर सन्तोष भरी दृष्टि डाल सकती है। अब सभा की जिन्दगी का दूसरा दौर—हिन्दुस्तानी वाला दौर—आरम्भ होना चाहता है, अर्थात् सभा अब गांधीजी की नई परिभाषा के अनुसार दक्षिण में हिन्दी और उद्दू दोनों और देवनागरी और फारसी लिपि दोनों का प्रचार करेगी, और राष्ट्र-भाषा सीखने के इच्छुक प्रत्येक दक्षिण-वासी को हिन्दी उद्दू दोनों और दोनों लिपियों सीखनी पड़ेगी। इस दूसरे दौर के आरम्भ होने के अवसर पर सभा और हिन्दी के हितेपियों के विचार सभा के कार्य-कर्त्ताओं और सचिवालकों के सामने रखना अनुचित न होगा।

वह तो स्पष्ट ही है कि गांधीजी ने राष्ट्र-भाषा की अपनी पहली परिभाषा अर्थात् हिन्दी मुसलमानों द्वारा मान्य न होने के कारण ही दूसरी परिभाषा अर्थात् हिन्दुस्तानी की है। परन्तु क्या यह नई परिभाषा मुसलमानों को मान्य है? उत्तर है—‘नहीं।’ हिन्दुस्तानी केवल हिन्दू रट रहे हैं, हिन्दू ही आपस में हिन्दी और हिन्दुस्तानी के मसले को लेकर वाद-चिवाद कर रहे हैं, और हिन्दुस्तानी प्रचारकों की फौज में सब हिन्दू ही हिन्दू हैं। मुसलमानों को इस हिन्दुस्तानी से भी कोई सरोकार नहीं। हिन्दुस्तानी की धूम हिन्दी और हिन्दू प्रान्तों में ही सुन पड़ती है। जहाँ जहाँ मुसलमानों के हाथ में शक्ति है, अर्थात् काश्मीर, पंजाब, सीमा-प्रान्त, सिन्ध और हैदराबाद में, वहाँ सब शान्त है, या यों कहिये, वहाँ उन्होंने उर्दू-हिन्दुस्तानी और उर्दू-लिपि को पहले से ही राष्ट्र-भाषा और राष्ट्र-लिपि—डीफैक्टो राष्ट्र-भाषा और राष्ट्र-लिपि—बना रखा है, और उनमें उन्हें हिन्दी और देवनागरी जोड़ने की न जरूरत है और न यह उन्हें पसन्द है। यह त्रु ब सत्य है कि दून पाकिस्तानी प्रान्तों और रियासतों में राष्ट्र-भाषा के रूप में हिन्दी और देवनागरी को उर्दू और उर्दू लिपि के समकक्ष स्थान कभी नहीं मिलेगा, और न वहाँ उर्दू और उर्दू लिपि के साथ साथ हिन्दी और देवनागरी का सोन्वना किसी के लिये अनिवार्य किया जायगा। गांधी जी का हिन्दुस्तानी प्रचार भी महाराष्ट्र, विहार, डक्षिण, आदि हिन्दी और हिन्दू प्रान्तों तक ही सीमित है, और रहेगा।

ऐसी स्थिति में हिन्दुस्तानी आनंदोलन का केवल एक ही परिणाम होगा। वह है—असलियत में अर्थात् व्यवहार में केवल उर्दू का राष्ट्र-भाषा और केवल उर्दू लिपि का राष्ट्र-लिपि हो जाना। क्योंकि जब पाकिस्तान के सब निवासी केवल उर्दू और उर्दू लिपि और ‘हिन्दुस्तान’ के सब निवासी हिन्दुस्तानी प्रचार की बढ़ोलत हिंदी उर्दू दोनों और दोनों लिपियों जानते होंगे, तो कामन भाषा और कामन लिपि अपने आप उर्दू और उर्दू-लिपि

हाँगी। एक अखिल भारतीय सभा में जो वक्ता सवको अपने विचार समझाना चाहेगा वह अपने आप उदूँ में बोलेगा, और जो लेखक अपनी पुस्तक समस्त भारत के लिये सुलभ करना चाहेगा वह अपने आप उदूँ और उदूँ-लिपि में लिखेगा। एक राजनीतिक आन्दोलन के कारण उदूँ और उदूँ-लिपि का इस देश की राष्ट्र भाषा और राष्ट्र-लिपि हो जाना कितना अस्वाभाविक, अप्राकृतिक एवं अन्याय पूर्ण होगा यह बतलाने की जरूरत नहीं। और उदूँ के राज्य में प्रान्तीय भाषाओं की और भारतीय सम्कृति की क्या दशा होगी, यह समझने के लिये आज ऑगरेजी के राज्य के कारण प्रान्तीय भाषाओं और भारतीय सम्कृति पर जो गुजर रही है, उसे जान लेना काफी होगा। यदि दक्षिण-भारत हिन्दी प्रचार सभा को यही अभीष्ट है तो वह ‘दक्षिण-भारत हिन्दुस्तानी प्रचार-सभा’ (सभा का गाधी जी द्वारा प्रस्तावित नया नाम) बने, और हिन्दी के प्रचारक हिन्दी का बाना उतार कर हिन्दुस्तानी का बाना धारण करे, और दक्षिण वालों को उन्हीं के रूपये से उदूँ और उदूँ लिपि सिखावें।

ताली एक हाथ से नहीं बजती। एकता और मेल दो व्यक्तियों में होता है। जब तक मुसलमानों को एकता अभीष्ट नहीं, तब तक केवल हिन्दुओं के हिन्दी और हिन्दुस्तानी वाले दो दलों का आपस में कोई समझौता कुछ अर्थ नहीं रखता। जब तक उदूँ प्रान्तों की सरकारें उदूँ के स्थान में अपनी दो लिपियों सहित ‘हिन्दुस्तानी’ को प्रतिष्ठित करने के लिये तैयार नहीं, तब तक हिन्दी प्रान्तों में हिन्दी उदूँ के समन्वय का अर्थ है बेघल हिन्दी का नाश और उसका उदूँ में परिवर्तित हो जाना, और जब तक मुसलमानों को हिन्दुस्तानी का मूल मंत्र—दोनों ‘शैलियों’ और दोनों लिपियों—मान्य नहीं, तब तक हिन्दी और हिन्दू प्रान्तों में दोनों शैलियों और दोनों लिपियों के प्रचार का अर्थ है उदूँ और उदूँ लिपि को डीफैक्टो राष्ट्र-भाषा और राष्ट्र-लिपि बनाना।

गांधीजी की नई परिभाषा कितनी अव्यावहारिक—विशेषकर इस निरन्तर देश के लिये—और अवैज्ञानिक भी है, इसके विषय में कुछ नहीं कहूँगा। वह कहने की भी जरूरत नहीं कि दक्षिण-भारत हिन्दी प्रचार सभा दक्षिण बालों पर हिन्दी और देवनागरी, जो उनके लिये अपेक्षाकृत मुगम हैं, के साथ साथ उद्धृ और उद्धृ लिपि का बोझ डालकर उनके साथ विणेप अन्याय करेगी, और उतनी सफलता भी कदापि प्राप्त न कर सकेगी जो उसने गत २५ वर्षों में प्राप्त की है। वह कदाचित् उतनी लोक-प्रिय भी न रहेगी। एक बहुत बड़े नेता की बात भी प्रकृति से ज्यादा देर तक नहीं लड़ सकती। दक्षिण-भारत हिन्दी प्रचार सभा अपना कलेवर बदलने में पहले एक बार टड़े दिल से फिर विचार कर ले।

परिशिष्ट ८

महाराष्ट्र में हिन्दी-हिन्दुस्तानी का संघर्ष क्यों ?

(लेखक—ग० स० आपटे)

पिछले दिनों महात्मा गांधी के पूना में निवास करने तथा समय समय पर नेताओं के आगमन से राष्ट्रभाषा प्रचार कार्य में कुछ सरगर्मी दिखाई देने लगी है। हिन्दी साहित्य सम्मेलन द्वारा सञ्चालित राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति के हिन्दी प्रचार का कार्य यहाँ काफी अरसे से हो रहा है और पूना, तो उसका एक गढ़ सा बन गया है। राष्ट्रभाषा प्रचार की शिक्षाओं में महाराष्ट्र प्रात के काङी चिद्यार्थी परीक्षा देते और उत्तीर्ण होते आये हैं। महाराष्ट्र के अच्छे से अच्छे विद्वानों का इस कार्य में वरावर सहयोग रहा है, किन्तु जब से गांधी जी हिन्दी साहित्य सम्मेलन से अलग हुए हैं तब से हिन्दुस्तानी प्रचार सभा का भी काम यहाँ जोरो से शुरू हो गया है। महाराष्ट्र के कायेस नेता श्री शक्तराव देव तथा वर्वई के भूतपूर्व प्रधान मन्त्री श्री वी० जी० खेर, श्री दत्तो वामन पोदार, आदि नेता और विद्वान हिन्दुस्तानी प्रचार सभा के काम में पूरा सहयोग दे रहे हैं, इससे इस और काफी प्रगति दिखाई दे रही है। पहले तो हिन्दुस्तानी प्रचार का काम यहाँ एकदम टप्प सा हो गया था क्योंकि अकेले काका साहव कालेलकर कहाँ तक इसका भार बहन कर सकते थे, किन्तु जब से उसे देश की कुछ महान् शक्तियों का बल मिला है तब से हिन्दुस्तानी प्रचार के काम में चेतना आयी है। इसका यह मतलब नहीं है कि राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के काम में किसी तरह की शिथिलता आ गई हो, किन्तु आज के बातावरण से यह

माफ़ जाहिर हो गया है कि महाराष्ट्र में राष्ट्रभाषा प्रचार आनंदोलन के कार्य में एक किस्म का सर्वप्र आरम्भ हो गया है। एक और हिन्दुस्तानी प्रचार सभा और दूसरी और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति अपने अपने उस्कूलों के अनुसार राष्ट्रभाषा के काम में लगी हुई हैं। पूना में अब दो दल स्पष्ट डिवाई ढे रहे हैं। एक हिन्दुस्तानी प्रचार सभा के कार्यों में सहयोग देने लगा है, और दूसरा राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के सिद्धान्तों के अनुमार कार्य कर रहा है।

मुझे तो आश्चर्य होता है कि हिन्दी के पत्रकारों को यह पता भी नहीं है कि महाराष्ट्र में इस समय राष्ट्रभाषा सबधी प्रगति किधर जा रही है। हिन्दी पत्रकार केवल हिन्दी के नाम पर धारोधार औसू वहा सकते हैं या आपसी तृतीय-में-में पत्रों के कालम रेंग सकते हैं, किन्तु वे शायट यह नहीं जानते हैं कि इस बक्त महाराष्ट्र में हिन्दी आनंदोलन का मुहड़ा थामने की वही आवश्यकता है। हिन्दी बालों को यह पता नहीं है कि राष्ट्रभाषा प्रचार समिति को परीक्षाओं के समान ही हिन्दुस्तानी प्रचार सभा ने भी महाराष्ट्र में प्रचारक परीक्षायें प्रारम्भ कर दी हैं। दोनों की परीक्षाओं के नाम भी एक ही से हैं। हाँ, हिन्दुस्तानी प्रचार सभा की परीक्षाओं के फार्मों के नामों में परिवर्तन है। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति द्वारा सगठित महाराष्ट्र की प्रचार समिति के कई घिराने और प्रचारक हिन्दुस्तानी प्रचार सभा के कार्य में शारीक हो गये हैं। आचार्य दत्तों वामन पोद्दार इसके प्रधान हैं।

पिछले दिनों श्री भद्रन्त कौसल्यायन पूना आये थे और एक समान परीक्षाओं की प्रतिद्विता देखकर उन्हें वहा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पुरानी की जगह एक नई समिति सगठित की है जो राष्ट्रभाषा प्रचार समिति द्वारा होने वाली परीक्षाओं का सचालन और सम्मेलन की नीति के अनुसार राष्ट्रभाषा प्रचार का काम करेगी। श्रीयुत नने पहले राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की ओर से काम करते थे, किन्तु अब वह हिन्दुस्तानी प्रचार समिति में

शरीक हो गये हैं। उनके स्थान पर श्री सोनू तार्द काले की नियुक्ति हुई है। नूतन मराठी विद्यालय के कुछ प्रमुख अधिकारी भी राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के कार्य में सहयोग दे रहे हैं।

राष्ट्रभाषा प्रचार समिति और हिन्दुस्तानी प्रचार समिति के आदर्शों में चूँकि भिन्नता है, इसलिये सघर्ष होना अनिवार्य भी है। हिन्दुस्तानी प्रचार समिति के पास धन की कमी नहीं, और राष्ट्र तथा महाराष्ट्र के नेता उसके साथ हैं। दूसरी ओर राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के पास धन तो नहीं है, किन्तु श्रेष्ठ कार्यकर्त्ताओं का उसमें अभाव नहीं है। इन संस्थाओं के वर्तमान सघर्ष का क्या फल होगा, इस पर कोई भविष्यवाणी तो नहीं की जा सकती, किन्तु हिन्दी-पत्रकार और हिन्दी के धनी-धोरी अगर अपनी कुलहड़ में गुड़ फोड़ने की नीति को त्याग कर सचेत न हुए तो एक न एक दिन मद्रास की भाँति महाराष्ट्र भी राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के प्रचार-क्षेत्र से अपने को स्वतन्त्र बना लेगा। क्योंकि वेचारे भदत जी अकेले कहाँ कहाँ प्राण देते किरेंगे ?

मैंने यह विचार आपके पत्र द्वारा इसलिये व्यक्त किये हैं कि 'देशदूत' हिन्दी जनता में हिन्दी का प्रबल समर्थन और व्यापक प्रचार करता आया है। उसके द्वारा हिन्दी संसार को यह जात हो कि महाराष्ट्र में राष्ट्रभाषा की प्रगति आज किधर जा रही है, हिन्दी वालों के कानों तक यह समाचार पहुँचे तो !

(२ दिसम्बर, १९४५ के 'देशदूत' से)

परिशिष्ट ६

महाराष्ट्र में राष्ट्रभाषा का प्रचार

(लेपरु—वी नवप्रकाश प्रग ० ए०)

गत १६ दिसम्बर के 'देशदृष्ट' में श्रीयुत श्रीगांड जोशी ना पन पट्टकर खेड़ भी हुआ और ग्लानि भी । न मान्यम् वेचारे सम्मेलन ने कथा अध्यराष्ट्र किया है कि हर किसी ने उसे गाली भुजाना अपना जन्मसिद्धि अधिकार समझ लिया है । जोशी जी पूछते हैं, "हिन्दो साहित्य सम्मेलन राष्ट्रभाषा के सम्बन्ध में अपनी टाँग भया अड़ाना है ?" जोशी जी ना टाँग अडाने का अधिकार है, उनकी महाराष्ट्र प्रचार गमिति का अधिकार है, परन्तु करोड़ों हिन्दी भाषी जनता का प्रतिनिधित्व वर्गे वाले हिन्दी साहित्य सम्मेलन को नहीं ! मानो हिन्दी का ज्ञेत्र देश म है तो नहीं, और उस ज्ञेत्र के निवासियों का राष्ट्रभाषा में कोई सम्बन्ध नहीं ! हिन्दुस्तानी प्रचार सभा का काम केवल 'हिन्दुस्तानी साहित्य' की उन्नति और विकास करना न होकर राष्ट्रभाषा के मामले में इस्तेजेप करना हो सकता है, परन्तु हिन्दी साहित्य सम्मेलन अपना चर्चमान नाम रहते हस मामले में नहीं बोल सकता ! हिन्दुस्तानी प्रचार सभा अपनी परिभाषा की राष्ट्रभाषा का प्रचार ममूर्ण भारत में कर सकती है, परन्तु सम्मेलन को अपनी परिभाषा की राष्ट्रभाषा का अहिन्दी प्रान्त में प्रचार करने का अधिकार नहीं ! ऐसा करना उसके लिये 'जिट' है ।

सम्मेलन आज भी वही कर रहा है जो २५ वर्षों से करता आ रहा है । महात्मा गांधी को भी उसकी भीति मान्य रही है । गांधी जी के सम्मेलन में त्याग-पत्र देते ही गांधीजी के भक्तों की दुनिया एकदम बदल गई, और सम्मेलन

अराष्ट्रीय हो गया ! उनकी हिन्दुस्तानी की परिभाषा भी ‘कांग्रेस की परिभाषा’ हो गई ! क्या जोशीजी वतलाने को कृपा करेगे कि कांग्रेस ने किस प्रस्ताव में राष्ट्रभाषा की परिभाषा दी है, और क्या देश के पाकिस्तानी प्रान्त भी अब तक गांधी जी के कारण सम्मेलन को ‘खिराज’ देते रहे हैं और अब गांधी जी के हट जाने के कारण हिन्दुस्तानी प्रचार सभा को खिराज देने लगे हैं ? क्या जोशी जी को विश्वास है कि हिन्दुस्तानी की परिभाषा को पाकिस्तानी प्रान्तों ने मान लिया है, अथवा क्या उनके ‘सारे देश’ में ये प्रान्त और ये लोग शामिल हैं ही नहीं ?

जोशी जी कहते हैं कि महाराष्ट्र की राष्ट्रभाषा प्रचार समिति का हिन्दुस्तानी प्रचार सभा से सम्बन्ध नहीं है और उसकी परिभाषा भी अलग है। सम्बन्ध नहीं है तो हो जायगा । परिभाषा भी शीघ्र वही हो जायगी । इसीलिये तो वह सम्मेलन से अलग हुई है । परिभाषा में और पाठ्य-क्रम में परिवर्तन करते करते ही तो होगा । अभी तो पाठ आरम्भ हुआ है ।

विभिन्न प्रान्तों की राष्ट्रभाषा प्रचार समितियाँ अलग अलग होकर अलग अलग परिभाषा को मानकर चाहे जिस भाषा का अपने अपने प्रान्त में प्रचार करें, परन्तु वे उन्हे ‘राष्ट्रभाषा’ कैस कह सकती हैं ? महाराष्ट्र की जोशी जी वालो राष्ट्रभाषा प्रचार समिति ही अपने आपको इस नाम से क्यों सम्मोधित बरती है ? क्या उसे विश्वास है कि देश के हिन्दौ प्रान्तों तथा अन्य प्रान्तों ने भी उसकी परिभाषा को मान लिया है ? जोशी जी के महाराष्ट्र ने यह कैसे समझ लिया कि हिन्दी प्रान्तों को अहिन्दी प्रान्त पर अपनी राष्ट्रभाषा लादने का अधिकार नहीं है लेकिन अहिन्दी प्रान्तों को हिन्दी प्रान्तों तथा अन्य प्रान्तों पर अपनी परिभाषा लादने का अधिकार है ?

हिन्दुस्तानी आनदोलन से जो होना था सो हो रहा है । प्रत्येक प्रान्त की अलग अलग परिभाषा होगी, एक एक प्रान्त में दो-दो राष्ट्रभाषा प्रचार समितियाँ हो जायेंगी, और ‘हिन्दुस्थान’ की राष्ट्रभाषा खटाई में पड़ जायगी।

इसके वरक्स ज़रा पाकिस्तान पर नजर डालिये । उसने अपनी राष्ट्रभाषा उदूँ पहले से ही बना ली है । वहाँ न किसी ने उदूँ के मामले में ची-चपड़ की (वल्कि कहिये उन्होंने आग्रह दिखलाया), और न पाकिस्तानियों में आपस में राष्ट्रभाषा के मसले को लेकर झगड़ा हुआ । पाकिस्तानियों ने न गाधी जी की पहले बाली राष्ट्रभाषा को माना था और न उन्हे गाधी जी की नई परिभाषा से कोई सरोकार है और न होगा—उन्हे ज़रूरत ही क्या है ? (यदि जोशीजी को इसमें सन्देह है तो वे पजाव, सीमा-प्रान्त और सिंध की सरकारों से अब या कभी भविष्य में देवनागरी लिपि भी, और अपनी ५०-५० प्रतिशत बाली अथवा 'आमफहम' हिन्दुस्तानी मनवा देखें) । 'हिन्दुस्थान' में अल्लवत्ता 'राष्ट्रवादी' राष्ट्र-भाषा के ढुकडे ढुकडे कर डालें, उदूँ और उदूँ-लिपि की प्रतिष्ठा करें, 'काग्रेस परिभाषा में निवास करने वाले' मराठे प्रतिवर्ष हजारों रुपये देकर महाराष्ट्र में उदूँ और उदूँ-लिपि का प्रचार करें, और 'हिन्दुस्थान' की राष्ट्रभाषा भी उदूँ बनावें, क्योंकि वह तभी पाकिस्तान और 'हिन्दुस्थान' दोनों की कामन 'आमफहम' हिन्दुस्तानी होगी, अन्य कोई उपाय नहीं । ईश्वर हिन्दुओं को शीघ्र सद्बुद्धि प्रदान करे !

जोशीजी अच्छी तरह समझ लें कि महाराष्ट्र के जिन व्यक्तियों ने गाधीजी के पीछे ओख मूट कर, राष्ट्रीयता की दुहाई देते हुये चलना ही अपना वर्म नहीं समझ लिया है, उन्हे सम्मेलन से सहयोग पाने का अधिकार है, और उन व्यक्तियों को अपना सहयोग देना सम्मेलन तथा हिन्दी भाषी जनता का कर्त्तव्य है । जोशीजी यह भी समझ लें कि यदि उनकी प्रचार-समिति को भी खड़ी बोली, जिसको वे हिन्दुस्तानी कहते हैं, के ही आधार पर राष्ट्रभाषा बनाना है तो उसे भी खख मार कर हिन्दी भाषियों की भाषा और साहित्य को आदर्श मानना पड़ेगा—यदि उसे एक जीवित राष्ट्रभाषा और एक जीवित साहित्य अभीष्ट है तो । जोशीजी यह विश्वास रखें कि महाराष्ट्र में सम्मेलन की परिभाषा बाली राष्ट्रभाषा का प्रचार पहले भी

महाराष्ट्रों ने किया था और अब भी वे ही करेंगे। सभावाद और काग्रेसवाद का भेद करना व्यर्थ है। 'राष्ट्रीयता' केवल जोशीजी और उनकी प्रचार-समिति के ही पल्ले नहीं पड़ी है। यदि मौलाना आजाद सरीखे नेता अजुमन-तरक्की-उद्दू, जो उद्दू को राष्ट्रभाषा मानता है, के सदस्य होते हुये काग्रेस में रह सकते हैं तो परम राष्ट्रीय वृत्ति के व्यक्ति सम्मेलन में रह सकते हैं। 'राष्ट्रीयता' हिन्दुस्तानी प्रचार सभा वालों की वर्पीती नहीं है। गांधीजी ने भी सम्मेलन को अराष्ट्रीय बतलाने का साहस नहीं किया है। श्री मुशी के कथनानुसार जिसके सिद्धान्त में सत्य होगा अन्त में उसी की विजय होगा। श्री जोशीजी धैर्य धारण करें। उन्हें जो अच्छा लगे, वह अवश्य करें, परन्तु दूसरे जो करना चाहे उसे यदि वे परोक्ष अथवा अपरोक्ष रूप से अराष्ट्रीय कहकर सवय बड़े बनने का लोभ सवरण कर सकें तो अच्छा हो। वे यह भी याद रखें कि वे जिस ओज और शक्ति से बाते करते हैं वह उनकी अपनी नहीं बल्कि उधार ली हुई है।

अन्त में हम जोशीजी से इतना और पूछना चाहेंगे कि जिस भाषा में उन्होंने अपना पत्र लिखा है वह 'साहित्यिक हिन्दी' है अथवा 'आमफहम हिन्दुस्तानी'? यदि वह 'आमफहम हिन्दुस्तानी' है तो उनकी और हमारी परिभाषा में कोई अन्तर नहीं, केवल नाम का भेद है जो कोई बड़ी बात नहीं, इसलिये महाराष्ट्र की दोनों प्रचार समितियों को हाथ मिला लेना चाहिये। यदि वह 'साहित्यिक हिन्दी' है, तो अच्छा होता यदि वे उसे 'आमफहम हिन्दुस्तानी' में लिखते। 'सारे देश' को मालूम तो हो जाता कि वह अब किस 'आमफहम हिन्दुस्तानी' को राष्ट्रभाषा मानने लगा है, देश के ४० करोड़ में से कितनों के लिये वह 'आमफहम' है, अथवा 'साहित्यिक हिन्दी' समझने वालों से कितने अधिक नर नारियों के लिये वह 'आमफहम' है, और वह किस लायक है? (परन्तु गांधीजी तो कहते हैं कि 'सरस्वती' अभी प्रकट होने को है। प्रकट होने से पहले ही वह 'आमफहम' कैसे हो गई?)

परिशिष्ट १०

महाराष्ट्र की राष्ट्रभाषा समस्या

(लेखक—श्रीगङ्गाधर इन्दूरकर)

हिन्दुस्तानी प्रचार सभा के कार्यालय मन्त्री श्री श्रीपाद जोशी का एक पत्र 'देशदूत' के पिछले एक अक्ष मे प्रकाशित हुआ था। उसमे जोशी जी ने महाराष्ट्र में इस समय होनेवाले राष्ट्रभाषा सम्बन्धी मतभेद की चर्चा करते हुये सम्मेलन को साम्प्रदायिकतापूर्ण कहने का प्रयत्न किया है। आपने जिस ढंग से सम्मेलन के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट किये थे उसके संबंध में मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता। हाल ही मे मैं अपने निजी काम से पूना गया था। रास्ते में चर्धा मे भी रुका था। जब चर्धा में जोशीजी से मेरी मुलाकात हुई तब आपने कहा था कि हम लोगों ने अब यह निश्चय कर लिया है कि 'सम्मेलन साम्प्रदायिक संस्था है' इस बात का प्रचार किया जाय। क्या हम पूछ सकते हैं कि आप का यह निश्चय हिन्दुस्तानी प्रचार सभा के किसी जिम्मेदार अधिकारी की अनुमति से हुआ है, या स्वयं उनके दिमाग की उपज है? आपके इस निश्चय से आपके कथन को कितना महत्व दिया जाय यह सोचने की बात है।

महाराष्ट्र मे राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, चर्धा की परीक्षाओं द्वारा राष्ट्रभाषा हिंदी का काफी प्रचार हुआ है। प्रति चर्द केवल महाराष्ट्र से राष्ट्रभाषा की परीक्षाओं में लगभग १४-१५ हजार विद्यार्थी बैठते हैं। महाराष्ट्र के कार्यकर्ता हिंदी का काम सम्मेलन के ही विचारों के अनुसार करते हैं। महात्माजी के सम्मेलन से अलग होने के बाद भी महाराष्ट्र के लोग सम्मेलन के विचारों

ने महमत रखे हैं। इस प्रकार महाराष्ट्र में सम्मेलन की ग्रन्थी काँड़ी गति है। हिंदुस्तानी का प्रचार करने वाले कार्यकर्ताओं का सदृश नहा जाने तो यह असम्भव हो गया है, और उन्होंने मतभेद के धीन बोने शुरू कर दिये हैं। दर्भाग्य से वे महाराष्ट्र सम्मेलन के कार्यकर्ताओं को फोड़ने में भी मण्डल हुये हैं। हमारी समझ में महाराष्ट्र की विचारधारा हिंदुस्तानी को न्यौकार नहा कर सकती। महाराष्ट्र को राष्ट्रभाषा प्रचार समिति का वर्धी समिति में अपना सम्बन्ध बिच्छेद करने का यही रहन्य है। सम्मेलन की गति महाराष्ट्र में नष्ट करने के बाद हिंदुस्तानी प्रचार का कार्य सरल ही जाएगा। हिंदुस्तानी के पृष्ठपोषकों का और कार्यकर्ताओं का इसमें पट्टवन्त्र है। इसमें मेरे पास अनेक प्रामाणिक सबूत हैं। केवल दुख इस बात का है कि महाराष्ट्र के अनेक प्रामाणिक कार्यकर्ता इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। सम्मेलन से अलग हुई महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के आध्यक्ष श्रीदत्तोचामन पोतदार अत्यन्त प्रामाणिक व्यक्ति हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि राष्ट्रभाषा केवल बोलचाल की भाषा है। उन्हीं के शब्दों में तॉगेवालों की भाषा समझने के लिये ही राष्ट्रभाषा की ग्रावश्यकता है यदि राष्ट्रभाषा का अधिक प्रचार होगा तो मराठी भाषा के अस्तित्व पर खतरा आयेगा। पातदारजी मराठी के एक प्रमुख माहित्यिक होने के नाते मराठी की रक्षा के लिये जी जान से प्रयत्न करना चाहते हैं। महाराष्ट्र में श्रीपोतदारजी का एक विशेष स्थान है। श्रीपोतदार के नाम का उपयोग करके महाराष्ट्र के लोगों को वह काने में परदे की आइ से हिंदुस्तानी के प्रचारक इस समय अवश्य सफल हो रहे हैं। जब परदे की जमरत न समझी जायगी, और महाराष्ट्र से सम्मेलन की शक्ति यदि कम होगी तो श्रीपोतदारजी की क्षमा स्थिति होगी, इसे विधाता ही जाने।

जिन्हें सिद्धान्त का विशेष आकर्पण नहीं है, उन्हें विशेष लोभ देकर सम्मेलन के सम्बन्ध से अलग करने का प्रयत्न हो रहा है। भारतवर्ष की

वर्तमान ग्रनीवी में पैसे का बड़ा महत्व है। किसी घर में अधिक पैसा देखकर बाप-बेटे या भाई-भाई को लड़ाने के लिये जो चालें चली जाती हैं, उन्हीं सद्वको पुनरावृत्ति महाराष्ट्र में की जा रही है। इस काम के लिये हिन्दुस्तानी के समर्थकों को हिंदी का मोहरा मिल गया है। राष्ट्रभाषा प्रचार के कार्य में बनारस से गये हुये श्री गो० प० नेने विशेष क्रियाशील हैं।

महाराष्ट्र के काग्रेसी पत्रों ने पोतदार समिति को राष्ट्रीय और सम्मेलन के प्रयत्नों को अराष्ट्रीय कहना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, सम्मेलन को हिन्दू-सभावादी संस्था बनाया जा रहा है। जिनको राष्ट्रभाषा के कार्य की जानकरो नहीं, जो राष्ट्रभाषा बोल नहीं सकते, जिन्हें वर्तमान मतभेदों से कुछ लेना देना नहीं, ऐसे काग्रेसी नेताओं के हस्ताक्षर से एक विज्ञप्ति निकाली जाती है जिसमें राष्ट्रीयता की दुहाई देकर पोतदार समिति को सहायता देने की मौग की जाती है। इसका तात्पर्य महाराष्ट्र के राष्ट्रभाषा हिन्दी के कार्यकर्ताओं में बुद्धि-भेद पैदा करना नहीं तो और क्या है?

सम्मेलन की ओर से इस समय महाराष्ट्र में जो राष्ट्रभाषा प्रचार समिति काम कर रही है, उसके समाचार छापना काग्रेसवादी पत्रों ने बन्द कर दिया है। ऐसी स्थिति में महाराष्ट्र के हिन्दू-सभावादी पत्र यदि उसके समाचारों को छापते हैं, तो यह कहा जाता है कि सम्मेलन हिन्दू सभावादी संस्था है, नहीं तो उसके समाचार हिन्दू सभावादी पत्र क्यों छापते?— वास्तव में राष्ट्र में राष्ट्रभाषा प्रचार की समस्या विकट रूप धारण करती जा रही है। इस पर हिन्दी साहित्य सम्मेलन क्या कर रहा है, हमें पता नहीं। केवल कार्य समिति अथवा राष्ट्रभाषा प्रचार समिति द्वारा किसी प्रकार के प्रस्ताव पास कर देने से ही काम न चलेगा।”

(३ फरवरी, १९४६ के 'देशदूत' से)

परिशिष्ट ११

महाराष्ट्र की राष्ट्र-भाषा समस्या

(लेखक—श्री नूरप्रसाद एम० ए०)

“—महात्माजी वगाल, मद्रास और गढ़वाळ के निपासियों तो उद्दृ लिपि सीखने का उपदेश देते हैं, परन्तु मिथ्य, वजाव और सीमा-प्रान्त के निपासियों का देवनागरी सीखने के लिये नहीं कहते। मराठाश्वर और मद्रास में हिंदी जानने वालों का उद्दृ निपासने के लिये इटुस्तानी प्रचार नभाग्यों की स्थापना होती है, परन्तु मिथ्य वजाव, आदि में उद्दृ जानने वालों को हिन्दी सिखाने के लिये कुछ बरना आवश्यक नहीं नमभाजा जाना। हिन्दु-तानी वाले चाहे वह चाहते हा वा न चाहते हा, इनका फल बेघल वही होगा कि वास्तविक राष्ट्र-भाषा होगी उद्दृ और वास्तविक राष्ट्र-लिपि होगी फारसी लिपि। उस समय पोतदार जी मराठी की ज्ञान के लिये ज्ञान रखेंगे ?

एक बात महाराष्ट्र की इन्दुस्तानी वाजी गाड़-भाषा। प्रचार नमिति के अध्यक्ष श्री पोतदार में भी कहना चाहता हूँ। मराठी भाषा के अल्पत्व पर हिन्दी से नहीं बरन् हिन्दुस्तानी ने खतरा है। हिन्दी और मराठी तो सर्वोच्च हैं। हिन्दी और मराठी की कियाओं और विभक्तियों का सम्मिश्रण तो ही नहीं सकता, अधिक से अधिक हिन्दी की शब्दावली का मराठी पर प्रभाव पड़ सकता है। परन्तु हिन्दी और मराठी की शब्दावली समान है और दोनों का एक ही स्त्रोत है। यदि मराठी के कुछ शब्दों में अदल-नदल हो भी जाय तो इससे मराठी के स्वरूप और स्वकृति में कोई अन्तर नहीं आवेगा। परन्तु आज जिस प्रकार अँगरेजी के प्रभाव के कारण भारतीय भाषाओं में

ओंगरेजों शब्द बुसते चले जा रहे हैं उस प्रकार जब हिन्दुस्तानी अर्थात् हिन्दी-उदूँ की खिचड़ी के प्रभाव के कारण मराठी में उदूँ शब्दों का प्रवेश होगा, उस दिन पोतदारजी समझेंगे कि उन्होंने अपने हाथ से अपने पैर में कुल्हाड़ी मारी। जब महाराष्ट्र के लोग हिन्दुस्तानी के नाते देवनागरी और उदूँ लिपि दोनों सीख जायेंगे और महाराष्ट्र के मराठी भाषी मुसलमान उदूँ लिपि में मराठी लिखना आरभ्म करेंगे तब पोतदार जी के किये कुछ न होगा, और उनकी सन्तान उन्हीं को कोसेगी कि उन्होंने अपने हाथों हिन्दी-उदूँ का सा झगड़ा मराठी में उत्पन्न किया। पोतदार जी तथा मराठी के अन्य शुभचिन्तक भली भौति सोच देखें जिससे उन्हे बाद में पछताना न पड़े। हम हिन्दी बाले मराठी की परमोन्नति चाहते हैं और इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर महाराष्ट्र की हिन्दुस्तानी बाली राष्ट्र-भाषा प्रचार समिति के कर्णधारों को यह चेतावनी देना अपना कर्तव्य समझते हैं। सस्कृत के द्वारा जिस प्रकार हमारे पुरुषों ने राष्ट्र की भाषा-एकता तथा सास्कृतिक एकता साधी थी, उसी प्रकार आज सम्मेलन हिन्दी द्वारा भाषा तथा सस्कृति-की एकता साधना चाहता है। यदि उनका यही विश्वास है कि राष्ट्र-भाषा के अत्यधिक प्रचार से मराठी को हानि पहुँचेगी, तो इसके लिये हिन्दी का बाना उतार कर हिन्दुस्तानी का बाना धारण करने की जरूरत नहीं, और देवनागरी के साथ उदूँ लिपि का प्रचार करने की जरूरत नहीं। वे सरल हिन्दी का प्रचार करें। वही ताँगे बालों की, और भजदूर किसानों की भाषा है। और देवनागरी तो वे मराठी की लिपि होने के कारण जानते ही हैं। यदि उनको उदूँ लिपि द्वारा विनाश का दीज बोना ही अभीष्ट है, तो उनकी इच्छा। इस लिपि-विभानन के फल को हम हिन्दी बाले तो भोग ही रहे हैं, वे भी चख देखें।”

महाराष्ट्र के कांग्रेसी पत्रों के चिपय में क्या कहा जाय? प्रत्येक पत्र का यह प्रमुख कर्तव्य होता है कि वह प्रत्येक घटना की खबर जनता को

निष्पक्ष हो कर दे, उसके बाद उस पर चाहे जेसी टिप्पणी अपनी ओर से करे। परन्तु महाराष्ट्र के कांग्रेसी पत्रों ने सम्मेलन की राष्ट्र-भाषा प्रचार-समिति के समाचार छापना ही बन्द कर दिया है। यह खुलेआम फैसिल्म है जो अपने विरोधी का अस्तित्व तक सहन नहीं कर सकता। ये पत्र हिन्दू महासभा और मुस्लिम लीग के समाचार छापना निपिढ़ नहीं समझते, परन्तु राष्ट्र-भाषा प्रचार समिति के समाचार नहीं छाप सकते। इसका कारण शायद यह है कि वे हिन्दू महासभा को कमज़ोर समझते हैं, उससे नहीं डरते, परन्तु सम्मेलन की राष्ट्र-भाषा प्रचार समिति से डरते हैं। परन्तु अपने वलवान प्रतिद्वन्द्वी को धराशायी करने का यह तरीका कांग्रेस और हिन्दू-स्थानी-बाद का नाम किसी प्रकार उज्ज्वल नहीं कर सकता। इन पत्रों की इस मनोवृत्ति के विरुद्ध और उनके पड़यन्त्र का भएडाफोइ करने के लिये तथा हिन्दी की मानन्त्रज्ञा के लिये हिन्दी भाषियों, हिन्दी पत्रों तथा हिन्दी प्रान्तों के पत्रों का क्या कर्तव्य है, इसे वे ही सोच देखें।

(३१ मार्च, १९४६ के 'देशदूत' से)

परिशिष्ट १२

भारत की राष्ट्रभाषा की समस्या

(लेखक—श्री भद्रन्त आनन्द कौमल्यायन)

अन्य किसी भी प्लेटफार्म की अपेक्षा मुझे हिन्दी साहित्य सम्मेलन के प्लेटफार्म से कुछ भी कहने मे अधिक प्रसन्नता होती है। इस प्लेटफार्म पर खड़े होकर बोलते समय मैं अनुभव करता हूँ कि बोलने वाले के पैरों मे न किसी धार्मिक सम्प्रदायवाद की वेढ़ी पड़ी है और न किसी राजनीतिक सम्प्रदाय की।

हिन्दी साहित्य सम्मेलन कुछ विचारों का नाम है और एक विशिष्ट सगठन का। किसी खेत का और उसकी कोटेदार बाड़ का जो सम्बन्ध है वही किसी संस्था के विचारों और उसके संस्थान का। खेत के गिर्द यदि बाड़ न हो तो उसे कोई भी चर जा सकता है—और यदि खेत की उपज इस योग्य ही न हो कि उसके गिर्द बाड़ लगाई जाय तो बाड़ बेकार है। उसी प्रकार यदि विचार-विशेष की रक्षा करने वाला कोई मजबूत सगठन न हो तो विचार छिन्न भिन्न हो जाता है, और यदि विचार ही दो कोई का हो तो उसकी रक्षा करने वाले सगठन का कोई मूल्य नहीं।

हिन्दी साहित्य सम्मेलन अपने स्थापना-दिवस से, जिसे आज पूरे पर्त सर्व पर्य हो गये हैं, राष्ट्रभाषा हिन्दी और राष्ट्रलिपि देवनागरी का प्रचारक रहा है। उसकी प्रथम नियमावली में ही ‘राष्ट्रभाषा हिन्दी’ और ‘राष्ट्रलिपि नागरी’ शब्द आये हैं। उसके इस कथन का चिरोध अँगरेजी ने करना चाहा, लोकन उसने बता दिया कि जब तक विदेशी हुक्मन है तब तक अँगरेजी भले ही शासन की भाषा अथवा राजभाषा बनी रहे किन्तु वह

हिन्द की राष्ट्रभाषा नहीं हो सकती। उदू' की ओर से भी यह आवाज़ बुलन्द हुई कि उदू' ही इस देश की कौमी जवान है। हिन्दी का उदू' से काँइ चिरोध नहीं, विरोध हो ही नहीं सकता। हिन्दी उदू' के सर्वनाम, प्रत्यय, क्रियायें सब कुछ एक हैं। हिन्दी अपनी ही एक शैली उदू' का चिरोध कैसे कर ? परन्तु पिछले वर्षों हिन्दी का जो राष्ट्रव्यापी प्रचार हुआ है उसने हिन्दी का देश में जो स्थान है वह निश्चित कर दिया और उसके साथ उदू' का भी। भारतवर्ष में ही नहीं, में तो कहता हूँ सासार के इतिहास में यह एक असाधारण वात है कि दक्षिण और शेष भारत के लाखों अटिंदी भाषा भाषी किंवद्दी राष्ट्रभाषा हिन्दी के अव्ययन में लगे हुये हैं और उसकी परीक्षायें पास कर रहे हैं और ऐसी परीक्षायें कि जिनके पास करने के साथ किसी सरकारी नौकरी, आदि मिलने का लालच नहीं जु़हा हुआ है। राष्ट्रभाषा हिन्दी की इस प्रगति को उसके आज तक के समर्थक भी यदि चाहें तो अब नहीं रोक सकते।

वह सब सही है लेकिन ग्रॅंगरेजी और उदू' के बाद इधर दो तीन वर्ष से एक नई विचार धारा ने अपना सिर उठाया है। उसका नाम है हिन्दुस्तानी विचार-धारा। जिस प्रकार किसी वोतल पर लगा हुआ लेविल वना रहे लेकिन उसके अन्दर की चीज बदल जाय वही हाल हिन्दुस्तानी लेविल का है। इस शब्द को हिन्दी के साथ-साथ काम में लाने रहे हैं—जैसे ‘हिन्दी हिन्दुस्तानी’, और वह हिन्दी का पर्यायिकाची भी रहा है, जैसे “हिन्दी ‘अथवा’ हिन्दुस्तानी”। लेकिन इधर इस ‘अथवा’ में आमूल परिवर्तन हो गया है। पहले इसका मतलब या कि चाहे हिन्दी कहो, चाहे हिन्दुस्तानी कहो, वान एक हो है। लेकिन अब इस ‘अथवा’ का अर्थ किया जा रहा है कि हिन्दी और हिन्दुस्तानी दोनों में से किसी एक का चुनाव करना होगा। यदि हिन्दी का, तो हिन्दुस्तानी का नहीं, और यदि हिन्दुस्तानी का, तो हिन्दी का नहीं।

हमारे इस प्रान्तीय सम्मेलन के द्वार पर आप सबने देखा होगा लिखा है 'जय हिन्द'। यह इस समय का हमारा राष्ट्रीय उद्घोष है। जिस प्रकार हम 'जय हिन्द' कहते हैं उसी प्रकार हमें 'जय हिन्दी' भी कहना चाहिये।

हम हिन्दी बाले वर्षों से प्रचार करते आये हैं कि चूँकि हिन्दी राष्ट्रभाषा है इसलिए प्रत्येक हिन्दी को, प्रत्येक भारतवासी को इसे सीखना चाहिये। इस नई चिचार-धारा ने जिससे हमें सावधान रहना चाहिये कहना शुरू किया है कि हिन्दी हिन्दुओं की भाषा है और उदूँ मुसलमानों की। यह ठीक है कि हिन्दी हिन्दुओं की भी भाषा है किन्तु हिन्दुओं की ही नहीं—और इसी प्रकार उदूँ भी मुसलमानों की ही नहीं। सर तेजवहादुर सप्त उदूँ के सुप्रसिद्ध समर्थक हैं। वे मुसलमान नहीं, काश्मीर के ब्राह्मण हैं। और अंजुमन तरकी-ए-उदूँ की मुख्य पत्रिका 'हमारी जवान' के सम्पादक भी श्री ब्रजमोहन दत्तात्रेय हैं। उदूँ लिपि में आपका गोत्र ठीक ठीक लिखा ही नहीं जा सकता। कोई भी भाषा किसी धर्म की वपौती नहीं। जो लोग हिन्दी को हिन्दुओं की भाषा कहकर और उसी प्रकार उदूँ को मुसलमानों की भाषा कह कहकर हिन्दुस्तानी के द्वारा हिन्दू मुसलिम ऐक्य के सम्पादन की बात करते हैं, मुझे भय है कि इतिहास ऐसे लोगों को माप्रदायिकता के असाधारण प्रचारक न सिद्ध करे।

'हिन्दी' के राष्ट्रभाषा होने पर एक और आपत्ति उठाई जा रही है। उसके गुण को उसका दोष कहा जा रहा है। वहा जाता है कि ऐसी भाषा ही राष्ट्रभाषा हो सकती है, जिसमें न स्कृत के शब्द हो, न अरबी फारसी के। यदि हमारी राष्ट्रभाषा को वह सब काम करने हैं जो आज दिन हम अँगरेजी के माव्यम से करते हैं तो ऐसी भाषा जिसमें 'न सत्कृत' के शब्द हो न अरबी फारसी के, हमारे लिये तीन कौड़ी काम की भाषा होगी। हमें यह निर्णय करना ही होगा कि विशेष शब्द आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य होने पर कहाँ से लें? स्याम में वैक को 'धनागार' कहते हैं और नोट को

'धन-पत्र'। हम भारत में यदि उमी प्रकार बोले और लिखें तो किसी की क्या आपत्ति हो सकती है?

एक और मजे की आपत्ति यह है कि लोगों की मातृभाषा हिन्दी ने और लोगों की राष्ट्रभाषा हिन्दी में अन्तर होना चाहिये। अर्थात् जो हिन्दी किसी की मातृभाषा है वह राष्ट्रभाषा नहीं हो सकता। स्काटलैंड और वेल्स के लोगों का अँगरेजी से वही सम्बन्ध कहा जा सकता है जो गण्डा भाषा-भाषी अथवा गुजराती भाषा-भाषी लोगों का हिन्दी में है। इसलिए इस गलैंड के लोगों की मातृभाषा होते हुये भी मारे ग्रिटेन की राज्य-भाषा है और सारे विटिश साम्राज्य की साम्राज्य-भाषा। अब क्या एक तरह की अँगरेजी अँगरेजों की मातृभाषा और दूसरी तरह की अँगरेजी ग्रिटेन की राष्ट्रभाषा और तीसरी तरह की अँगरेजी विटिश साम्राज्य की साम्राज्यभाषा है? अँगरेजी अँगरेजी है। आप उसे चाहे मातृभाषा मानकर सीखें, चाहे राष्ट्रभाषा मानकर सीखें चाहे साम्राज्यभाषा मानकर सीखें। किन्तु हम पराधीन हिन्दुओं को सुझाया जाता है कि हिन्दी के दो रूप होने चाहिये—एक मातृभाषा चाला रूप, एक राष्ट्रभाषा चाला रूप। सच्ची दात यह है कि मातृभाषा के अर्थ में तो हिन्दी भारत के कुल चार-पाँच जिलों की भाषा होगी, शेष समस्त भारत की तो हिन्दी राष्ट्रभाषा ही है। और उसका स्वरूप निश्चित है। हमें आज उसका प्रचार करना है, उसमें नये आवश्यक ग्रन्थों का निर्माण करना है और जो काम हमें नहीं करने वैठना है वह है उसके स्वरूप की चर्चा।

फिर यह भी कहा जाने लगा है कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन को क्या अधिकार है कि वह देश की राष्ट्रभाषा का निर्णय करे—यह काम तो हमारी राष्ट्रीय सरकार का है और जब तक उसकी स्थापना नहीं होती तब तक राष्ट्रीय महासभा का है। सरकार, चाहे फिर वह राष्ट्रीय ही क्यों न हो, किसी पर कोई भाषा लाद नहीं सकती। श्रीशिवप्रसाद गुप्त ने जब

काशी विद्यापीठ जैसी राष्ट्रीय संस्था के लिये दस लाख रुपये का दान दिया तो उस दान की शर्तों में एक शर्त यह थी कि यह विद्यापीठ स्वराज्य सरकार से भी कभी किसी प्रकार की सहायता न लेगा। विदेशों में अनेक संस्थाएँ अपने आपको सरकारी सहायता के दुष्परिणाम से बचाये रखने के लिये प्रयत्नशील रहती हैं। जिस प्रकार शिक्षा को सरकारी प्रभाव से स्वतन्त्र रखने की आवश्यकता है वैसे ही भाषा को भी। कोई सरकार, भले ही वह राष्ट्रीय क्यों न हो, हमें यह नहीं बता सकती कि यह तुम्हारी मातृभाषा है और यह राष्ट्रभाषा। जहाँ तक आज की काग्रेस की बात है, काग्रेस ने कभी भी महात्मा गांधीजी की 'हिन्दुस्तानी' की कल्पना—दोनों शैलियों और दोनों लिपियों के अनिवार्य शिक्षण—का समर्थन नहीं किया। काग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुलकलाम आजाद तक इस 'हिन्दुस्तानी' की नड़ कल्पना के साथ नहीं है। इतना होते हुये भी जिस बात के साथ महात्मा गांधी का व्यक्तित्व जुङ जाता है उस पर हम सबको चिनार करना अनिवार्य हो ही जाता है। क्योंकि गांधीजी गांधीजी हैं। कौन है जो स्वीकार नहीं करेगा कि पिछले पच्चीस वर्षों का इतिहास महात्मा गांधी का जीवन चरित्रमात्र है।

यूँ भाषा ही मुख्य बस्तु है, किन्तु इस नये हिन्दुस्तानी आन्दोलन ने भाषा की अपेक्षा लिपियों की ही प्रधानता बढ़ा दी है। हमारे देश की सभी भाषाओं की लिपियाँ नागरी लिपि ही है, केवल उर्दू लिपि या फारसी लिपि एक अपचाद है। राष्ट्रीय एकता के कार्यक्रम में जहाँ एक भाषा की बात की जाती है, वहाँ एक की लिपि नहीं। लिपियों के बारे में कहा जाता है कि बिना दोनों लिपियों के ज्ञान के हम एक कदम आगे बढ़ ही नहीं सकते, और दोनों लिपियों के ज्ञान के प्रसार का मतलब व्यवहार में उर्दू लिपि प्रचार-मात्र ही-दिखाई दे रहा है। पिछले दिनों महात्मा गांधी ने यहाँ तक कहा कि "जो उर्दू लिपि को पसन्द नहीं करता वह स्वराज्य नहीं चाहता।" अब महात्माजी के इस कथन को कोई क्या कहे!

हिन्दुस्तानी की इस नई परिभाषा और कार्यक्रम के पीछे जो भावना है वह निस्सन्देह राष्ट्र-हित की ही है, किन्तु किसी कार्यक्रम का दिक्कर व अहितकर होना भावना पर ही निर्भर नहीं करता, कुछ उस कार्यक्रम पर भी निर्भर करता है। हिन्दुस्तानी भाषा के बारे में कहा जाता है कि जब हिन्दी बाले उदूँ और उदूँ बाले हिन्दी सीख लेंगे, तब दोनों के मेल से एक नई 'सरस्वती' पैदा होगी। कलियुग में तो आप जानते हैं 'सरस्वती' के पैदा होने की आशा नहीं। मेरा तो जी चाहता है कि यदि किसी का जीन दुर्जे तो हिन्दुस्तानी की नई विचारधारा की उपमा प्रह्लाद के पिता हिरण्यकश्यप से दूँ। उसे वरदान प्राप्त था कि न दिन में मरूँ, न रात में मरूँ, न अन्दर मरूँ, न बाहर मरूँ, न आटमी के हाथ से मरूँ, न किसी पशु के हाथ से मरूँ। उसका क्या हाल हुआ? उसी की तरह हिन्दुस्तानी भाषा का भी कहना है कि 'मैं वह भाषा हूँ जिसमें न सस्कृत के शब्द रहते हैं, न अरबी-फारसी के, जो न हिन्दुओं की भाषा है, न सुसलमानों की, और न देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, न उदूँ लिपि में ही।' यह सब हिरण्यकश्यप स्वी हिन्दुस्तानी के प्रचार के प्रयत्नों का जो प्रभाव देखने में आया है वह इतना ही कि अनेक कार्यकर्त्ताओं में बुद्धि-मेट पैदा हो गया है, और इतना निश्चय से कहा जा सकता है कि यदि हिन्दुस्तानी किसी को कुछ पढ़ा नहीं सकेगी तो अहिन्दों प्रान्तों में कुछ न कुछ लोगों को राष्ट्र-भाषा हिन्दी पढ़ने से रोक अवश्य सकेगी।

जिनके लिये राष्ट्र-भाषा हिन्दी का प्रचार-कार्य एक जीवन प्रत है उनके लिये वह चिन्तन का ही विषय नहीं, कुछ करने का आहान है।
 (२० जनवरी, १९५६ के 'देशदूत' में प्रकाशित, मध्यप्रातीय विदर्भ हिन्दी साहित्य सम्मेलन के नाम पर अधिवेशन के अवसर पर किये हुये भाषण से)

परिशिष्ट १३

‘हिन्दुस्तानी’ का वेदान्त

(लेखक—श्री सूर्य प्रकाश एम० ए०)

‘हिन्दुस्तानी’ के समर्थकों अथवा अर्ध-समर्थकों में एक दल ऐसे व्यक्तियों का है जो कल तक राष्ट्रभाषा हिन्दी के समर्थक थे, हिन्दी और देवनागरी छोड़ कर हिन्दुस्तानी या उदूँ लिपि का नाम नहीं लेते थे, शुद्ध हिन्दी और देवनागरी का प्रचार करते थे, परन्तु जिनका हृदय उनके मस्तिष्क से अधिक बलवान् था, और यदि उनका मस्तिष्क राष्ट्र और राष्ट्रीयता के साथ था तो हृदय गाधी के साथ था, और इस लिये जो आज अपने आप को हिन्दुस्तानी के कैम्प में खड़ा पाते हैं। परन्तु पुरानी आदतें जल्दी नहीं छूटतीं, और इसलिये वे अपने आप को नये वन्दोवस्त में फिट करने में जरा दिक्कत महसूस करते हैं—हृदय और मस्तिष्क के बीच में एक सघर्ष का अनुभव करते हैं। इस सघर्ष को शान्त करने के लिये, अपने अतःकरण की आवाज को दबाने के लिये, अपने मन को सतोप देने के लिये अर्थात् अपने आप को धोखा देने के लिये उन्होंने एक ‘हिन्दुस्तानी वेदात्’ की सृष्टि कर ली है। इस वेदात् के अनुसार हिन्दों भी वही हैं, उदूँ भी वही है, हिन्दुस्तानी भी वही है—तीनों एक ही तत्त्व है अथवा एक ही व्रह्म-तत्त्व के तीन नाम हैं, तीनों के उपासक एक ही गति को प्राप्त होते हैं, बस केवल आजकल हिन्दुस्तानी पूजा का अधिक माहात्म्य है और इस कारण उन्होंने अपने इष्ट-देवता (या आराध्य देवी ?) राष्ट्र माषा का नाम भर ‘हिन्दुस्तानी’ रख लिया है। इस दर्शन का दर्शन कीजिये—

मई, '१९४६ की 'राष्ट्रभाषा' में श्री आनन्द दादा वर्माद्वारा लिखते हैं—“राष्ट्रभाषा का अर्थ जो दीम पञ्चीस वर्ग से पहले था पहले आज नहीं है। पहले राष्ट्रभाषा निकट “हिन्दी” नाम से पहचानी जानी थी, फिर उसका ‘हिन्दा हिन्दुस्तानी’ नामकरण हुआ और अब हिन्दुस्तानी ! एक ही राष्ट्रभाषा का भिन्न भिन्न नामकरण इन ५० सालों में हुआ, इसका कारण क्या है ? जीवन प्रगतिशील है—वह नित्य गतिमान है। इसकी गति का लक्ष्य है पूर्णता अथवा मृत्यु। राष्ट्रभाषा भी अपने जीवन में प्रगतिशील रही है। यही कारण है कि वह उत्तरोत्तर अधिक शक्तिशाली होती जा रही है। जिसका परिचय हमें उसके बदलते हुए नामों से मिल रहा है ।”

इस ‘प्रगतिशीलता’ का क्या कहना ! न मालूम इगलेंट-भाषा, साम्राज्य-भाषा, ससार-भाषा ‘ऑरेंजी’ का नाम उत्तोगेत्तर अधिक शक्तिशाली होने पर भी क्यों नहीं बदला ! और एक ही राष्ट्रभाषा’ का भिन्न भिन्न नामकरण कैसा कि, बकँल श्री भटन्त जी, अब या ‘हिन्दी’ चुन लो या ‘हिन्दुस्तानी’ चुन लो, या हिन्दी साहित्य सम्मेलन में रह लो या हिन्दुस्तानी प्रचार सभा में ! यह तो स्पष्ट ही है कि ‘राष्ट्रभाषा’ का जो अर्थ बोम-पञ्चीस वरस पहले था वह आज नहीं है । उस राष्ट्र का भी तो, जिसकी राष्ट्रभाषा से मतलब है, अब वह अर्थ नहीं है । पहले उस राष्ट्र का नाम ‘हिन्दुस्तान’ था, फिर एक ‘फीडरेशन’ हुआ और अब एक ‘कानफीडरेशन’ है । उसमें रहने वाले पहले ‘हिन्दुस्तानी’ नाम से पहचाने जाते थे, फिर वे ‘हिन्दू-मुसलमान’ कहलाये और अब ‘हिन्दू’ और ‘मुसलमान’ । यह सब ‘प्रगतिशीलता’, ‘पूर्ण राष्ट्रीयता’ के लक्ष्य की प्राप्ति का ही द्वातक तो है ! इसी कारण ‘राष्ट्र’ भी उत्तरोत्तर अधिक शक्तिशाली होता जा रहा है ! राष्ट्रभाषा के प्रगतिशील, पूर्णता-नामों और उत्तरोत्तर अधिक शक्तिशाली होने की एक और पहचान है । पहले उसकी लिपि केवल

एक थो, अब दो हैं (अथवा क्या ‘देवतागरी’ और ‘फारसी’ ‘एक ही राष्ट्र-लिपि’ का भिन्न भिन्न नामकरण है ?), शीघ्र ही तीन (रोमन भी) हो जायेंगी। तब वह और ‘शक्तिशालिनी’ हो जायगी। न मालूम अँगरेजी एक ही लिपि से क्यों सतुष्ट है। शायद वह गतिशील नहीं, और मृत्यु को प्राप्त हो रही है।

धर्माधिकारी जी आगे लिखते हैं : “अगर हिन्दुस्तान का हिन्दू कहने लगे कि हम उदूँ नहीं बोलेंगे और हिन्दुस्तान का मुसलमान कहे कि हम हिन्दी नहीं बोलेंगे, तब इन दोनों को एक दूसरे को वह बताने के लिये कि हम तुम्हारी भाषा नहीं बोलेंगे किसी तीसरी भाषा की सहायता लेनी पड़ेगी और वह होगी अँगरेजी।”

अरे, क्या ‘हिन्दी’ और ‘उदूँ’ एक ही भाषा के दो नाम नहीं रहे ? जो भी हो, अगर हिन्दू कहे हम फारसी लिपि में नहीं लिखेंगे और मुसल-मान कहे हम देवनागरी में नहीं लिखेंगे तो एक दूसरे को पत्र लिखने के लिये किसी तीसरी लिपि को सहायता लेनी पड़ेगी और वह होगी रोमन ! (प्रत्येक से कहते हो दोनों लिपि सीखो, प्रत्येक से यह भी क्यों न कहो हिन्दी उदूँ दोनों सीखो ? यह ‘हिन्दुस्तानी’ का खटराग क्या है ? जैसे देवनागरी और फ़ारसी लिपि दोनों राष्ट्र-लिपि, वैसे हिन्दी और उदूँ दोनों राष्ट्र-भाषा सही। क्या मुसलमान वर्धी की इस ‘हिन्दुस्तानी’ बोलने को ही तैयार हैं ?)

मई, १९४६ की ‘राष्ट्र-भाषा’ में श्री हृषीकेश शर्मा दक्षिण-भारत हिन्दी प्रचार सभा के रजत-जयन्ती उत्सव का वर्णन करते हुये लिखते हैं, “हिन्दी के नाम को, जिसे यह नाम सदियों पहले मुसलमान मुगलों ने हांदिया था, छोड़कर यहॉ ‘हिन्दुस्तानी’ नया नाम मात्र दे दिया गया है”, और उसके बाद रजत-जयन्ती में हुए भाषणों में से कुछ हिन्दी चाक्याश चुनकर उदाहरण-स्वरूप पेश करते हैं और किर तपाक से कहते हैं, “इसे हिन्दो कह

एक या, अब दो हैं (अथवा क्या 'देवतागरी' और 'फारमी' 'एक दो राष्ट्र-लिपि' का मिल नामकरण है ?), शीघ्र दी तीन (रोमन भी) हो जाएंगी। तभ वह और 'शक्तिशास्त्रिनी' हो जाएंगी। न मालूम ऑगरेजी एक दो लिपि के रूप सतुर है। आयद बहु गतिशील नहीं, और मृत्यु हो प्राप्त हो रही है !

धर्माभिहारी जी प्राचे लिखते हैं : “अगर हिन्दुस्तान का दिन्दू करने लगे कि हम उद्दू नहीं बोलेंग और हिन्दुस्तान का मुगलमान करे कि हम हिन्दी नहीं बोलेंग, तब इन दोनों को एक दूसरे को यह बताने के लिये कि हम तुम्हारी भाषा नहीं बोलेंग किसी तीमरी भाषा की सहायता लेनी पड़ेगी और वह होगी ओगरेजी।”

अरे, क्या 'हिन्दी' और 'उद्दू' एक ही भाषा के दो नाम नहीं रहे ? जा भी हों, अगर दिन्दू करे हम आरम्भ लिपि ने नहीं लिखेंगे और मुसलमान करे हम देवनागरी में नहीं लिखेंगे तो एक दूसरे को पन लिखने के लिये किसी तीमरी लिपि का सहायता लेनी पड़ेगी और वह होगी रोमन ! (प्रत्येक से कहते हों दोनों लिपि सीखो, प्रत्येक से यह भी क्यों न कहो हिन्दी उद्दू दोनों सीखो ? यह 'हिन्दुस्तानी' का खटराग क्या है ? जोसे देवनागरी और प्राची लिपि दोनों राष्ट्र-लिपि, वैसे हिन्दी और उद्दू दोनों राष्ट्र-भाषा सही। क्या मुसलमान बर्धा की इस 'हिन्दुस्तानी' बोलने को ही तेवार है ?)

मई, १९४६ की 'राष्ट्र-भाषा' में श्री हृषीकेश शर्मा दक्षिण-भारत हिन्दी प्रचार सभा के रजत-जयन्तो उत्सव का वर्णन करते हुये लिखते हैं, “हिन्दी के नाम का, जिसे यह नाम सदियों पहले मुसलमान मुगलों ने हा दिया था, छोटकर यहाँ 'हिन्दुस्तानी' नवा नाम मात्र दे दिया गया है”, और उसके बाद रजत-जयन्ती में हुए भाषणों में से कुछ हिन्दी वाक्याश चुनकर उदाहरण-स्वरूप पेश करते हैं और फिर तपाक से कहते हैं, “इसे हिन्दो कह

अन्त में शर्मा जी लिखते हैं, “यही हिन्दी की खासियत है, उसका लोच है। वह काका जी की ‘सबकी बोली’ है, पू० बापू जी की हिन्दुस्तानी है, राष्ट्रपति आजाद साहब की कौमी ज़वान है और श्रद्धेय टड़न जी की राष्ट्रभाषा है”, अर्थात् हिन्दी भी वही है, उदू० भी वही है (देखिये न ‘लोच’, ‘कौमी’ और ‘ज़वान’ वही तो दो शब्द हैं न जो ‘राष्ट्र’ और ‘भाषा’—जरा अन्तर्दृष्टि से देखिये !), और हिन्दुस्तानी भी वही है। यह है शुद्ध ‘हिन्दुस्तानी का वेदान्त’ (अफसोस, इसे श्रद्धेय टड़न जी और राष्ट्रपति आजाद नहीं समझ पाते !)। इस वेदान्त की अन्तिम कड़ी शेष है—देवनागरी भी वही है, फ़ारसी लिपि भी वही है। वैर्य धारणा कीजिये, इसको सिद्ध करने वाला शकराचार्य भी शीघ्र प्रकट हो जायगा।

(अक्टूबर, १९४६ की ‘सरस्वती’ से)

लीजिये, चाहे हिन्दुस्ताना।” आखिर किर पुराना, परिचित, मुसलमानों का ही दिया हुआ नाम ‘हिन्दो’ छोड़कर ‘हिन्दुस्तानी’ नाम क्यों रखा गया? इसका कोई विशेष कारण तो होगा ही। क्या शर्माजी की समझ में अभी तक नहीं आया कि हिन्दी में हिन्दुस्तानी का फाटक किनके प्रवेश करने के लिये खोला गया है? दक्षिण में अभी प० सुन्दरलाल और काका कालेलकर जो हिन्दो वाक्याश न बोलें तो उनकी बकालत समझे कौन? अभी जरा ठहरिये, अभी तो हिन्दुस्तानी का पाठ आरभ्म हुआ है, उदूँ की पाठ्य-पुस्तकें छपना शुरू हुई हैं। विश्वास न हो तो अभी ही पंडित सुन्दरलाल को पजाव या युक्त-प्रान्त में ‘हिन्दो’ कह लीजिये चाहे हिन्दुस्तानी’ बोलते हुए जुन ले (या उनकी ‘विश्व-वाणी’ का सम्पादकीय या ‘नया हिन्द’ का अग्रलेख पढ़ लें)। और क्या “दोनों लिपियों का आप प्रयोग करें”, यह भी नाम मात्र के लिये कहा गया, और दक्षिण भारत हि प्र सभा दोनों लिपियों की शिक्षा क्या नाम मात्र के लिये ही अनिवार्य कर रही है?

शर्मा जी आगे लिखते हैं, “‘हिन्दी’ ने उदूँ के लोकोपयोगी सैकड़ों मुहावरों और हजारों प्रचलित सरल शब्दों को सदियों से अपने कुदुम्ब कर्वाले में ऐसा मिला लिया है कि वे किसी के हटाने से हट नहीं सकते और किसी की मेहरवानी या रहम के बल पर वे रह नहीं सकते।”

शायद इसीलिये हिन्दो को उदूँ की एक और खूराक जवरदस्ती पिला कर ‘हिन्दुस्तानी’ बनाया जा रहा है, और अनुपयोगी शब्दों ‘साहित्य’ और ‘शिक्षा’ को निकाल कर लोकोपयोगी सरल शब्दों ‘अदव’ और ‘तालीम’ को बैठाया जा रहा है, और दक्षिण वासियों को उदूँ के हजारों पारिभाषिक शब्दों से परन्ति कराया जा रहा है! शर्मा जो कहते हैं, “हिन्दो ने न कभी भाषा का पाकिस्तान बनाया और न बनने देगी।” वह तो ठीक, परन्तु लिपि का पाकिस्तान कौन बना रहा है? ‘उदूँ शैली’ प्रत्येक पर अलग से कौन लाद रहा है?

की भी नहीं वरन् हिन्दी और उदूँ दोनों के ज्ञान की आवश्यकता है, अर्थात् वह हिन्दी या उदूँ से दूनी कठिन है। बारण स्पष्ट हैं। ‘हरिजन-सेवक’ की भाषा के कोई मिद्धान्त, नियम या आदर्श तो हैं नहीं, अतः सब कुछ सम्पादक या लेखक की इच्छा पर निर्भर है। वह चाहे कोई हिन्दी शब्द और चाहे कोई उदूँ शब्द उठाकर धर सकता है। ‘हरिजनसेवक’ की ‘हिन्दुस्तानी’ में प्रत्येक हिन्दो शब्द और प्रत्येक उदूँ शब्द आ सकता है और आता है। एक बार एक पाठक ने गाधी जो से प्रश्न किया कि ‘हरिजनसेवक’ की भाषा में ‘एतकाद’, ‘तहरीक’ और ‘कफारा’ क्यों आये, ‘श्रद्धा’, ‘आनंदोलन’ और ‘प्रायश्चित्त’ क्यों नहीं ? गाधी जी ने उत्तर दिया कि ‘एतकाद’, ‘तहरीक’ और ‘कफारा’ तीनों शब्द ‘उत्तर के लोगों की बोलचाल’ में धर कर चुके हैं। (गाधी जी ने वह नहीं बतलाया कि फिर भी स्वयं न का, जिन्होंने उत्तर के दौरों में आधा जीवन व्यतीत किया है, इन शब्दों से कितना पुराना परिचय है !) अस्तु, चूँकि हिन्दी का या उदूँ का ऐसा कोई शब्द नहीं जिसके बारे में कहा जा सके कि उत्तर के लोग उसे नहीं बोलते, और चूँकि खड़ी बोली की क्रियाओं का प्रत्येक जानकार ‘उत्तर की बोलचाल’ का ठेकेदार बन सकता है, गाधी जी के उत्तर का संघा सदा अर्थ है कि ‘हिन्दुस्तानी’ में हिन्दी और उदूँ का प्रत्येक शब्द आ सकता है, ‘हिन्दुस्तानी’ समझने के लिए हिन्दी-कोष और उदूँ-कोष दोनों को घोटने की आवश्यकता है, ‘हिन्दुस्तानी’ का कोप हिन्दी-कोष+उदूँ-कोष है। फिर ‘हिन्दुस्तानी’ न हिन्दी न उदूँ या ‘न सस्कृत, न अरबी-फारसी’ मर्यादा कैसे हो सकती है ? ‘हरिजनसेवक’ की भाषा में वही हिन्दी के सस्कृत शब्द वर्तमान हैं और उनीं उदूँ के अरबी-फारसी शब्द दिखाई देते हैं, वस, वेवल १०० सस्कृत या १०० अरबी-फारसी शब्दों के स्थान में ५० सस्कृत और ५० अरबी-फारसी शब्द हैं, और कौन से सस्कृत और कौन से अरबी-फारसी, इसकी कोई ठीक नहीं। लेखक को केवल यह आदेश है

कि हिन्दी का और उदूँ का पलड़ा वरावर रहे। यदि दो तीन हिन्दी शब्द आ गये तो उनके बाद दो तीन उदूँ शब्दों का आना आवश्यक है, अन्यथा 'राष्ट्र-भाषा' की सील नहीं लगेगी और 'राष्ट्र-भाषा-विगारड' का सार्टफिकेट छिन जायगा। जरा चूँके कि 'अग्रस्त्रीयता' के खट्ट में भिरे और आपकी भाषा 'सच्ची राष्ट्र-भाषा' के बजाय हिन्दी या उदूँ कहलाएं ! जो एक हाथ में हिन्दी-कोप और एक हाथ में उदूँ-कोप ले कर मीधा मंतुलन करता हुआ तलवार की धार पर नहीं चल सकता, वह राष्ट्र-भाषा 'हिन्दुस्तानी' का लेखक नहीं हो सकता। इसके बाद भी वर्धा का सार्टफिकेट लेना जरूरी है। 'हिन्दुस्तानी' का रहस्य कोई कोई जानते हैं (परन्तु वह है किर मी 'राष्ट्र-भाषा'—सार राष्ट्र की भाषा), और ऐसे महात्माओं का प्रधान आश्रम वर्धा में ही है। वह सार्टफिकेट भी सब प्रार्थियों को नहीं मिलता। तपस्या करनी पड़ती है। 'हरिजनसेवक' के सम्पादक ही सच्ची 'राष्ट्र-भाषा' लिखने के अयोग्य सावित होने के कारण कई बार बदले जा चुके हैं। 'सरस्वती' वर्धा में प्रकट होती है और वहाँ लुप्त हो जाती है।

'हरिजन सेवक' का 'हिन्दुस्ताना' कृत्रिम है या अकृत्रिम, अब इस विषय में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं रह जानी। वह उतनी ही कृत्रिम है जितनी उदूँ। उदूँ दिल्ली के दरवार में गढ़ी गई थी, 'हिन्दुस्तानी' वर्धा में गढ़ी जा रही है। इसकी कृत्रिमता का भी कोई ठिकाना है ! यदि वह अकृत्रिम, स्वाभाविक भाषा होती तो साहित्य-शैल्य क्यों होती और उस पर इतनी वन्दिशें क्यों लगाई जाती ? यदि हिन्दी अपने लिखित रूप में कहीं बोलचाल में प्रयुक्त नहीं होती, तो 'हरिजनसेवक' की 'हिन्दुस्तानी' भी इसी रूप में कहीं बोलचाल में प्रयुक्त नहीं होती। रही बोधगम्यता की बात, सो क्या हिन्दुस्तानी बाले सावित कर सकते हैं कि 'हरिजनसेवक' की 'हिन्दुस्तानी' को ही फ्राइर के पठान और तेलगू भाड़ दोनों समझते हैं, अर्थात् यह कि वह देहातियों के लिये हिन्दी की अपेक्षा अधिक सरल

है ? इससे कौन सी समस्या हल होती है ? हिन्दुस्तानी वाले स्वीकार करें या न करें, परन्तु इसमें सन्देह करने की अब कोई गुजाइश नहीं रही कि ‘हिन्दुस्तानी’ का उद्देश्य राजनीतिक दृष्टि से भाषा में साप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धात को छुसेड़ कर मुसलमानों को खुश करना है । परन्तु अफ़सोस ! यह उद्देश्य भी सफल नहीं हुआ, क्योंकि मुसलमान ‘हरिजनसेवक’ की ‘हिन्दुस्तानी’ को भी स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं । शायद अब १०० में ७५ शब्द उदूँ के रखें जायें !—————और फिर पूरे १०० !!

‘हरिजनसेवक’ की ‘हिन्दुस्तानी’ में प्रायः हिन्दी शब्दों के आगे कोष्ठकों में उनके उदूँ पर्याय, और उदूँ शब्दों के आगे कोष्ठकों में उनके हिन्दी पर्याय दिये जाते हैं । इस प्रकार शब्दों के जोड़े दे कर हिन्दुस्तानी वालों ने स्वयं सिद्ध कर दिया है कि ‘हिन्दुस्तानी’ कोई अलग चीज़ नहीं, ऐसी कोई भाषा नहीं जो हिन्दी और उदूँ दोनों से भिन्न हो और सबकी समझ में आती हो, और ‘हिन्दुस्तानी’ कोई भाषा नहीं, वह हिन्दी और उदूँ सिखाने का सबक भले ही हो । उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि हिन्दुस्तान में ‘एतकाद’ ‘तहरीक’ और ‘कफ़कारा’ जैसे शब्दों को क्यों मैं से छॉट-छॉट कर फिर उन्हें उनके पुराने, प्रचलित स्वदेशी पर्यायों द्वारा सिखाने का नाम ही ‘राष्ट्रीयता’ है ।

गाधीजी ने ‘उत्तर की बोलचाल’ का हवाला दिया । दक्षिण की बोलचाल क्यों छोड़ दी ? उत्तर में भी बगाल और आसाम को क्यों छोड़ दिया ? कौन सी भारतीय भाषा का ऐसा कौनसा शब्द है जो भारत के किसी न किसी भाग की बोलचाल में घर न कर चुका हो ? फिर भारत की राष्ट्र-भाषा में सब शब्दों को समान स्थान क्यों नहीं दिया जाता ? केवल ‘हिन्दी शब्द’ और ‘उदूँ शब्द’ ही क्यों ? कोष्ठक में केवल हिन्दी या उदूँ पर्याय ही क्यों दिया जाता है, सभी भारतीय पर्याय (जिनमें द्रविड़ पर्याय भी शामिल हैं) और ओंगरेजी पर्याय भी (क्योंकि लाखों भारतीय, उत्तर में भी और दक्षिण

में भी, अँगरेजी मी बोलते हैं और इङ्ग्लिस्तानी में खड़ी बोली ही की कियाओं के साथ अँगरेजी शब्दों का प्रयोग करते हैं) क्यों नहीं दिये जाते ? साफ़-साफ़ यह धोपित करो नहीं कर दिया जाता कि 'हिन्दुस्तानी' से तात्पर्य केवल खड़ी बोली की क्रियाओं और विभक्तियों में है, जेप शब्द चाहे जो हों ? हमें बोर दूख है, राष्ट्र-भाषा यज्ञ को पूर्ण होने से पृच्छ उसे उसे आरम्भ करने वाले ने ही भ्रष्ट कर दिया !

'हरिजनसेवक' के उद्दू-लिपि वाले सस्करण के विषय में इतना और कहना पर्याप्त होगा कि उमे पढ़ना भी सरल नहीं, समझना तो बाद की बात है । जो पाठक सस्कृत या हिन्दी पढ़ा हुआ नहीं है, वह इसे नहीं पढ़ सकता । इसमें आवे हुये हिन्दी सस्कृत शब्दों को पारखी ही पहचान सकते हैं । पहचानने पर भी उनका शुद्ध रूप उन्हें तक तक नहीं मालूम हो सकता जब तक उन्हें अलग से न चताया जात या वे पहले से न जानते हों । यह है इस 'राष्ट्र-लिपि' में 'राष्ट्र-भाषा' का हाल ।

'हरिजनसेवक' एक बात और स्पष्ट कर रहा है । वह यह कि हिन्दु-स्तानी वाले हिन्दी का (और उद्दू का भी) अस्तित्व मिटाना चाहते हैं । उनका यह कहना कि हिन्दी (और उद्दू) प्रान्तीय भाषा के बतौर अपने ज्ञेय में फल फूल सकती है, झूठ और मुलाका मात्र है । यह हससे जाना जा सकता है कि गाधीजी अपना पत्र 'हरिजन' अँगरेजी के अतिरिक्त गुजराती, मराठी, आदि प्रान्तीय भाषाओं में तो (प्रत्येक भाषा के अपने अपने परम्परागत शुद्ध रूप में) निकालते हैं, परन्तु 'हिन्दी' में नहीं निकालते । 'हिन्दी' के स्थान में निकालते हैं देवनागरी-'हिन्दुस्तानी' में जिसका हाल ऊपर चतलाया गया है । यदि 'हिन्दुस्तानी' का उद्देश्य, जैसा कि गाधीजी ने स्वयं कहा है, हिन्दी (और उद्दू) को मिटाना नहीं है और यदि यह सत्य है कि 'हिन्दुस्तानी' में केवल अन्तर्प्रान्तीय व्यवहार होगा और वह किसी प्रान्तीय भाषा का स्वान नहीं लेगी, तो या तो 'हरिजन' को केवल

'राष्ट्र-भाषा हिन्दुस्तानी' मे (और किसी भी प्रान्तीय भाषा में नहीं) निकालता चाहिये था और वा उसे अन्य प्रान्तीय भाषाओं की भाँति हिन्दी में भी निकालना चाहिये था, हिन्दी के अतिरिक्त 'हिन्दुस्तानी' में निकाला जाता अथवा न निकाला जाता । यदि गाधीजी यही समझते हैं कि 'हरिजन-सेवक' की 'हिन्दुस्तानी' हिन्दी मे अधिक व्यापक है, तो वे 'हरिजनसेवक' को हिन्दी मे भी निकाल कर हिन्दी 'हरिजन सेवक' की और देवनागरी- 'हिन्दुस्तानी' 'हरिजनसेवक' की विकने वाली प्रतियों की राख्याओं का मुकाबला करके देख ले । (उर्दू के साथ भी यह कर के देन लें ।) सत्य के पुजारी को हमारी यह सत्य की चुनौती है । वे हमारी चुनौती स्वीकार करें, नहीं तो हम 'हरिजनसेवक' की 'हिन्दुस्तानी' को गाधीजी की व्यक्तिगत जिद और हिन्दी के प्रति अन्याय, हिन्दी के अस्तित्व पर कुठारावात, माहित्यिक अत्याचार एवं अनाचार मानने के लिये वाद्य होंगे । एक अमन्य के लिये आग्रह 'सत्य-आग्रह' नहीं कहा जा सकता ।

×

×

×

×

हिन्दी पत्रों से एक विशेष निवेदन करना आवश्यक जान पड़ता है । हिन्दी पत्र-पत्रिकायें प्राय 'हरिजनसेवक' से अचतरण, लेख, आर्ट इयों की त्यों उद्धृत करती हुई देखी जाती हैं । वे ऐसा शायद उसके गाधी जी के पत्र होने के कारण करती हैं । 'हरिजनसेवक' के लेखों का अवश्य विशेष महत्व है, परन्तु उन्हें रयों का त्यों अर्थात् मूल 'हिन्दुस्तानी' मे क्यों उद्धृत किया जाता है ? 'हिन्दुस्तानी' यदि हिन्दी से भिन्न कही और बतलाई जाती है, और 'हरिजनसेवक' की 'हिन्दुस्तानी' हिन्दी से भिन्न है भी, तो वह हिन्दी के पत्र मे कैमे स्थान पा सकती है ? हिन्दी पत्रों को जदैव 'हरिजनसेवक' के लेखों, आटि को हिन्दी मे स्पान्तरित करके देना चाहिये । उन्हे शायद यह लालच होगा कि वे गाधी जी के विचार उन्हीं के शब्दों मे, उन्हीं की भाषा मे (वा उन्हीं की 'हिन्दुस्तानी' मे) दे रहे हैं, परन्तु वात ऐसी

भी नहीं है। गांधी जी अपने अधिकाश मूल लेख गुजराती या अँगरेजी में लिखते हैं। 'हरिजनसेवक' में उनका 'हिन्दुस्तानी' विशेषज्ञों द्वारा किया हुआ 'हिन्दुस्तानी' अनुवाद भर रहता है (लेखों के नीचे इसका उल्लेख भी रहता है) ॥। ऐसी स्थिति में हिन्दी पत्रों के सम्पादक गांधी जी के मूल लेख में अपनी हिन्दी में अनुवाद करके क्यों नहीं छापते ? यदि वे मूल लेख तक जाना नहीं चाहते या मूल लेख से अनुवाद नहीं कर सकते, तो 'हरिजनसेवक' में दिये हुये 'हिन्दुस्तानी' अनुवाद से ही अपनी हिन्दी में अनुवाद करके दें। वे किसी दूसरे की 'हिन्दुस्तानी' को अपनी हिन्दी पर तरजीह क्यों देते हैं ? जग सी आरामतलवी में आकर वे हिन्दी को चिकूत करने में योग न दें। हिन्दी पत्रों में 'हिन्दुस्तानी' के लेख, अवतरण, आदि देने के विषय में बहुत कुछ पहले कहा जा चुका है ।

'हरिजनसेवक' में गांधीजी के अतिरिक्त अधिकाश अन्य लेखकों के मूल लेख भी 'हिन्दुस्तानी' में लिखे हुये नहीं होते चलिक मूल लेखों का 'हिन्दुस्तानी' अनुवाद होता है ।

+ देखिये पृष्ठ ५६-५७ और १६२-१६३ ।

परिशिष्ट १५

हिन्दुस्तानी का उद्गम

(लेखक—प० रामचन्द्र शुक्ल)

माहित्य किसी जाति की रक्षित वाणी को वह अखंड परपरा है जो उसके जीवन के स्वतंत्र स्वरूप की रक्षा करती हुई जगत् की गति के अनुरूप उत्तरोत्तर उसका अतिरिक्तास करती चलती है। उसके भीतर प्राचीन के साथ नवीन का इस मात्रा में और इस सफाई के साथ मेल होता चलता है कि उसके दीर्घ इतिहास में कालगत विभिन्नताओं के रहते हुए भी यहाँ से वहाँ तक एक ही वस्तु के प्रसार की प्रतीति होती है। जब कि साहित्य व्यक्त वाणी या वाचिकभूति का सचित भडार है नव पहले भाषा ही पर व्यान जाना स्वाभाविक है। व्यक्त वाणी का यह सचय असभ्य जातियों में तो केवल मौखिक रहता है, पर सभ्य जातियों में पुस्तकों के भीतर विफाजत के साथ बद रखा जाता है। मौखिक अधिक समय तक स्थिर नहीं रह सकता, पर पुस्तकस्थ होकर हजारों वर्ष तक चला चलता है।

साहित्य की अखंड दीर्घ परपरा सम्यता का लक्षण है। यह परपरा शब्द की भी होती है और अर्थ की भी। शब्द परपरा भाषा को स्वरूप देती है और अर्थ परपरा साहित्य का स्वरूप निर्दिष्ट करती है। ये दोनों परपराएँ अभिन्न होती हैं। इन्हे एक ही परपरा के दो पक्ष समझिए। किमी देश की शब्द-परपरा अर्थात् भाषा कुछ काल तक चलकर जो अर्थ-विधान करती है वही उस देश का साहित्य कहलाता है। कुछ काल तक लगातार चलते रहने से शब्द-परपरा या भाषा को भी एक विशेष स्वरूप प्राप्त हो जाता है

और अर्थ-परपरा या साहित्य को भी। इस प्रकार टोनों के स्वरूपों का माम-जन्य रहता है। इस मामजन्य में यदि बाधा पड़ी तो साहित्य देश की प्राकृतिक जीवन-धारा में विच्छिन्न हो जायगा और जनता के हृदय का न्यर्शन कर सकेगा। यदि अर्थ-परपरा का स्वरूप बनाए रखकर शब्द-परपरा का स्वरूप बदला जायगा तो परिणाम होगा “कोशल का नगमा” और “महात्मा जी के अलप्राज”। यदि शब्द-परपरा स्थिर रखकर अर्थ-परपरा या वस्तु-परपरा बदली जायगी तो आप के सामने “स्वर्ण अवसर” आएगा, “हृदय के छाले” फूटेंगे और “दुमट्टे फाडे जायेंगे।”

भाषा या साहित्य के विशिष्ट स्वरूप प्राप्त करने का अभिप्राय यह नहीं है कि उसमें बाहर से आए हुए नए शब्द और नई नई वस्तुएँ न मिलें। उसमें नए नए शब्द भी बराबर मिलते जाते हैं और नए नए अर्थों या वस्तुओं की योजना भी होती जाती है, पर इस मात्रा में और इस द्वे में कि उसका स्वरूप अपनी विशिष्टता बनाए रहता है। हम यह बराबर कह सकते हैं कि वह इस देश का, इस जाति का और इस भाषा का साहित्य है। गंगा एक जीण धारा के रूप में गगोचरी से चलती है मार्ग में न जाने कितने नाले, न जाने कितनी नदियाँ उसमें मिलती जाती हैं, पर सागर-सगरम तक वह ‘धगा’ ही कहलाती है, उसका ‘गंगापन’ बना रहता है।

हमारे व्यावहारिक और भावात्मक जीवन से जिस भाषा का सबध सदा में चला आ रहा है वह पहले चाहे जो कुछ कही जाती रही हो, अब हिन्दी कही जाती है। इसका एक एक शब्द हमारी सत्ता का व्यजक है, हमारी सस्कृति का सपुट है, हमारी जन्मभूमि का स्मारक है, हमारे हृदय का प्रतिविव है, हमारी बुद्धि का बैमब है। देश की जिस प्रकृति ने हमारे हृदय में रूप-रग भरा है उसी ने हमारी भाषा का भी रूप रग खड़ा किया है। यहाँ के बन, र्वत, नटी, नाले, बूँद, लता, पशु, पक्षी सब इसी हमारी बोली में अपना परिचय देते हैं और अपनी और हमें खीचते हैं। इनकी सारी रूप-

छटा, सारी भावभगी हमारी भाषा में और हमारे साहित्य में समाई हुई है। यह वही भाषा है जिसकी धारा कभी संस्कृत के रूप में वहती थी, फिर प्राकृत और अपभ्रंश के रूप में और इवर हजार वर्ष से इस वर्त्तमान रूप में—जिसे हिंदी कहते हैं—लगातार वहती चली आ रही है। यह वही भाषा है जिसमें सारे उत्तरीय भारत के बीच चढ़ और जगन्नाक ने बीरता की उमग उठाई, वीर, सर और तुलसी ने भक्ति की धारा वहाँ, विहारी, देव और पद्माकर ने शृगार रस की वर्षा की, भारतेनु हरिश्चन्द्र, प्रतापनारायण मिश्र ने आधुनिक युग का आपास दिया और आज आप व्यापक हृषि फैलाकर संपूर्ण मानव-जगत् के मेल में लानेवाली भावनाएँ भर रहे हैं। हजारों वर्ष से यह टीर्थ परम्परा अखड़ चली आ रही है। ऐसी भव्य परपरा का गर्व जिसे न हो वह भागतीय नहीं।

हमारा गर्व वह सोचकर और भी वह जाता है कि यह परपरा इतनी प्रबल और शक्तिशालिनी सिद्ध हुई कि इधर भी वर्ष से—अर्थात् अँगरेजों राज्य के पूर्णतया प्रतिष्ठित हो जाने के पीछे—इसे बढ़ करने के तरह तरह के श्रव्यन्त्र कुछ लोगों के द्वारा समय समय पर होते आ रहे हैं, पर वह अपना मार्ग निकालती चली आ रही है। इस विरोध का मूल हमारे उन मुसलमान भाइयों की निर्मूल आशका है जो अपनी भाषा और अपने साहित्य को विदेशी सौचे में दाल कर अपने लिये अलग रखना चाहते हैं। यदि वे अपनी भाषा और अपने साहित्य की एक अलग परपरा रखना चाहते हैं तो हमारे लिये वह प्रसन्नता की वात है। इधर अपनी भाषा की छटा, अपने साहित्य की विभूति हमारे सामने रहेगी, उधर उनके साहित्य के चमत्कार से भी हम अपना मनोरजन करेंगे। यही मौका उन्हे भी रहेगा। मनोरजन के क्षेत्र एक से दो रहें तो और अच्छी वात है। यही स्थिति मुसलमानी अमलदारी में रही है। दिल्ली और दक्षिण के बादशाह फारसी कविता का भी आनंद लेते थे और परपरागत हिंदी कविता का भी। फारसी के स्थान पर जब उर्दू की शावरी होने लगी तब भी यही वात रही। अनेक-

स्वपता का नाम ही सप्ताह है। सौंदर्य की विभूति अनेक रूपों में प्रकट होत है। महादय उन सब में आनन्द का अनुभव करते हैं। अकवर की बात छोड़ दीजिये जो आप कभी-कभी हिंदी में कविता करता था, श्रीरामजेव तक के दरवार में जाकर हिंदी कवियों का कविता मुनामा प्रसिद्ध है। रहीम, रसखान, गुलाम नवी इत्यादि का नाम हिंदी के ग्रन्थों कवियों में है।

यहीं तक नहीं, अपनी धार्मिक भाषनाओं की व्यजना के लिये भी मुसलमान यहाँ की परपरागत भाषा को वरावर काम में लाते थे। हमारे हिन्दी काव्य के इनिहास में सफ़ी कवियों का एक वर्ग ही अलग है, जिसके अन्तर्गत कुतबन, जावसी, उसमान, नूरमुहम्मद इत्यादि दर्जनों कवि हुये हैं। उन्होंने हमारी ही प्यारी दोली में हमारे ही काव्यों की पदावली में, जिसमें सम्कृत का पुट वरावर रहता आया है, प्रेम-कहानियाँ लिखी हैं।

यह देखना चाहिये कि हमारी भाषा और हमारे साहित्य में वह कौन-सी वस्तु है, जो अब हमारे मुसलमान भाइयों को नापसंद है। इधर उनकी ओर से जो लेख आदि निकल रहे हैं उनसे पता चलता है कि भाषा में न पसंद अनेकांची वस्तु है सम्कृत के शब्द और साहित्य में भारतीय दर्श, भारतीय रीति-नीति और भारतीय इतिहास-पुराणों के प्रसंग। इस सबध में हमारा नम्र निवेदन यह है कि जिस देश का साहित्य होगा उस देश की परपरागत भाषा, उस देश के प्राकृतिक स्वरूप, रीति-नीति, कथा-प्रसंग आदि से वह कैसे दूर रह सकता है?

अब योड़ा यह भी देखिये कि पुराने मुसलमान भाइयों ने अपने वर्ग के लिये एक अलग साहित्य निर्माण करने में उसका क्या स्वरूप रखा था, और कितने दिनों तक वह स्वरूप वे बनाए रहे। हिंदी में योड़े से अरबी, फ़ारसी शब्द मिलाकर अपने साहित्य के लिये जो भाषा उन्होंने ग्रहण की, वह 'रेखता' कहलाती थी। जो हिंदी उन्होंने ली थी वह केवल व्यवहार और बोलचाल की हिंदी न थी, परपरागत काव्यों और गीतों की हिंदी

भी थी, जिसमें बहुत चलते स्थृत शब्दों के साथ-साथ ठेठ घरेलू शब्द भी रहते थे।

यह तो हुई कविता और साहित्य की बात। सबसे अधिक ध्यान देने की बात यह है कि सर्वसाधारण मुसलमान जनता में इसलाम के धार्मिक सिद्धान्तों के प्रचार के लिये चार सौ वर्ष पहले जिस भाषा का प्रयोग वे अपनी किताबों में करते थे, उसमें यहाँ के धार्मिक और दार्शनिक पुस्तकों में आनेवाले इ द्रिय, विकार आदि शब्द तक भी कभी-कभी लाते थे—

(१) मराहना नेवाजना खुदा को बहुत कि खो पालनहारा है आलम का (शरह मरग बुल कलूब-शाह मीराँजी बीजापुरी सन् १४६५ के पहले) ।

(२) सचाल—यह तन अलाधा (अलहद.) वल्कि सततर (स्वतत्र) विकार रूप दिखता है। एक तिल कुरार नहीं ज्यां मरकट रूप।

जवाब—ऐ आरिफ, जाहिर तन के फेल से गुजरया व नातिन करतव चिधे ? दूसरा तन सो भी कि इस इन्द्रियन का विकार व चेष्टा करनहारा.. सुख-दुख भोगनहारा। जेता विकार रूप वही दूसरा तन .. । यह तन फ़हम सू गुजरया तो गुन उसका क्यों रहे ?

(कलामतुल हक्कायक, शाह नुरहानुदीन बीजापुरी सन् १५८२)

उदू' के इतिहास-लेखक उदू' का उत्थान बीजापुर और गोलकुडा की दक्षिणी रियासतों से मानते हैं। वहाँ शीया मुसलमानों की अधिक वस्ती थी। इससे इमाम हुसैन की कथा को लेकर दक्षिणी उदू' के कवियों ने कई मसनेवियों या प्रबन्ध-काव्यों की रचना की। इनमें से एक का नाम है 'करबल-कथा' (करबला की कथा)। यह 'कथा' शब्द भला आजकल उदू' में कभी जगह पा सकता है ? शृङ्गार की प्रेम-कहानियों की रचना भी दक्षिणी उदू' में बहुत कुछ हुई है। जैसे 'बजही' की 'मसनवी कुतुब-मुश्तरी' जिसकी पद्य-रचना का रूप देखिए—

न सुहृं पर वसे वह न अममान में ।
 रहा शाह उमी नार के व्यान में ॥
 भुलाई चचल धन व थो शाह केँ ।
 कि लुभवाए ज्यां कहश्वा काह केँ ॥
 लग्या शाह उसासाँ भरन आह मार ।
 कि नजदीक ना है व गुनवत नार ॥

‘बजही’ की गजल का नमूना यह है—

पित अपने केँ आज मैं निस सपने देखी सोयकर ।

जब पित चलिया सेति सेज तब सोते उटी रोयकर ॥

ना पूछूँ वहमन जोयसी कव मिलना पित सो होयसी ।

‘बजही’ का रचना काल सन् १६०० से १६३५ तक माना जाता है।

इसके उपरात सन् १६५० के लगभग ‘नसरती’ का समय आता है, जो कुछ दिनों तक तो दक्षिणी शायरी की उपर्युक्त परम्परा पर चला पर आगे चल कर वह ‘हिन्दवीपन’ को बहुत कुछ दूर हटाकर फारसी रूप देने में लगा। अपना यह प्रयत्न उसने स्पाट स्वीकार किया है और कहा है—“दस्तिन के शायरों की मैं रविश पर शेर बोल्या नहीं।” एक स्थान पर और कहता है—

“मआनी की सूरत की है आरसी ।
 दखिन का किया शेर जूँ फारसी ।
 झसाहत में गर फारसी खुश कलाम ॥
 वरे झख हिन्दी वचन पर मुदाम ।
 मैं इस दो हुनर के खुनामों को पा ॥
 किया शेर ताज दोनों झन मिला ॥”

‘नसरती’ ने जो रास्ता ठिखलाया उस पर कुछ लोग धीरे धीरे चलने लगे, पर दक्षिणी शायरी की देशी परम्परा कुछ दिनों तक चलती रही।

सन् १६६१ ई० में अफ़ज़ल ने हिन्दी-गीतकाव्य-परम्परा के अनुसार 'वारह-मासा' लिखा जिसकी भाषा इस ढंग की है—

सखी रे, चैत रितु आई सुहाई । अजहुँ उम्मीद मेरी वर न आई ।

रहे हैं भैवर फूलों के गले लाग । मेरे सीनः जुदाई की लगी आग ।

सखी दिन रैन मुझ नागिन डसत है । फिरूँ दौरी तमामै जग हँसत है ।

सन् १७०० के पीछे वली ने और दक्खिनी शायरों के समान कुछ दिना तक हिन्दीपन को रहने दिया । उसकी उन रचनाओं में हिन्दी-काव्य-परम्परा के कुछ शब्द, भारतीय कथा-प्रसंगों के कुछ सकेत, प्रेम-व्यापार में स्त्री पुरुष का भेद आदि कुछ बातें बनी रही । जैसे—

इस रैन औरेरी मे मत भूल पड़ू तिससू ।

दुक पॉव के विछुवां की आवाज़ सुनाती जा ॥

मुझ दिल के कवूतर कौपकड़ा ह तेरी लट ने ।

यह काम धरम का है दुक इसको छुड़ाती जा ॥

तुझ मुख को परस्तिश मे गड़ उम्र मेरी सारा ।

ऐ बुत का पुजनहारा इस बुत को पुजाती जा ॥

मुख बात बोलता हूँ शिकच, तेरे कपट का ।

तुझ नैन देखने को दिल ठांठ कर चुका था ॥

पीछे शाह सादुल्लाह गुलशन ने 'बल्ला' को १६८५ की कि "ये इतने फ़ारसी व मजमून जा वेकार पडे हैं, इन्हे काम मे ला" । फिर तो वली ने अपना रुख ही पलट दिया और वे इस तरह के कलाम सामने लाने लगे—

जब सनम को ख्याले बाग हुआ । तालिवे नश्शए फ़राग हुआ ।

झोज उश्शाक देख हर जानिव । नाज़री साहवे दिमाग हुआ ।

अश्क सूँ तुझ लबौ की सुरखी के । जिगर लालः दाग दाग हुआ ।

पहले के दक्खिनी शायर तो देश श्रुकों ति-रुचि के अनुसार जगह को

‘जावा’ और ‘अलहूदः’ को ‘अलाधा’ तक लियते थे। फारमी शब्दों ने वहुचन आदि हिंटी व्याकरण के अनुग्राम रखते थे, पर बली ने ‘आणिक’ का वहुचन अरवी के काव्यदे पर ‘उश्शाक’ म्या है और फारसी गमाम के द्वय पर ‘नशए-फराग’ और ‘जाहवे दिमाग’। बली सन् १७०० ई० में दिल्ली आए। बायम ने सन् १७२० ई० में बली के दीनान का दिल्ली पहुँचना लिया है।

यहाँ से अब दिल्ली के शायरों की परपरा उर्दू साहित्य में चली है। सन् १७०० ई० में दिल्ली में हातिम नाम के एक शायर थे। इन्होने फिर हिंटी के शब्दों की हँटाई की, जिसका वर्णन उन्होने आप ही इस प्रकार किया है—

“लस्सान अरवी व जगान फारसी के करीबुलफ्हम व कसीरुल इस्तश्यमाल बाशद व गोजमर्रा देहली कि मिर्जायाने हिंद व फ़सीहाने रिट दर महापर दारट मंजूर दाश्त”। मिखाए आँ जवान हिंटची कि आँग भाषा गोपद मौकूफ़ करद”।

तात्पर्य यह कि हातिम ने अरवी फारसी के शब्द ला लाकर रखे और हिंटी या भाषा के शब्दों को निकाल फेंका। अरवी-फारसी के बीच हिंटी के बीच ही शब्द और मुहावरे रहने पाये जिन्हे शाहजादे और सरटार लोग दरवार में बोलते थे। इस प्रकार उर्दू एक दरवारी भाषा भर रह गई। इतना होने पर भी इनको कविताओं में भारतीय कथा-प्रसंगों के सकेत पाए जाते हैं—

खुदा के नूर का मथकर समुन्दर। यही चौदह रनन काटे हैं बाहर।

अगर फ़हमीद हिकमत आशना है। इसीनुसखे में चौदह विद्या है॥

हातिम ही के समय में उर्दू के महाकवि ‘सौदा’ हुए हैं, जो पहले हिन्दैपन से सटी हुई शायरी ही नहीं सर्व-साधारण मेप्रचलित हिन्दी भाषा की कविता भी करते थे और अच्छी करने थे। कुछ उद्धृत किए विना आगे नहीं बढ़ते बनता।

सौदा की हिन्दी गजल—

निकल के चौखट से घर की प्यारे जो पट की ओभल ठिठक रहा है,
 सिमट के घट से तेरे दरस को नयन में जी आ अटक रहा है।
 अगिन ने तेरे बिंगह की जब से भुलस दिया है कलेजा मेरा,
 हिये की धड़कन मैं क्या बताऊँ यूँ कोयला सा चटक रहा है।
 जिन्हों की छाती से पार बरछी हुई है रन में वो सूरमा है,
 पढ़ा वो सावत मन मे जिसके चिरह का काँटा खटक रहा है।
 मुझे पसीना जो तेरे मुख पर दिखाई डे है तो सोचता हूँ,
 व क्योंकि सूरज की जोत आगे हर एक तारा छटक रहा है।
 हिलोरी यो लेती ओस की बूँद लग के फूलों की पखड़ी से,
 तुम्हारे कानों मे जिस तरह से हर एक मोती लटक रहा है।
 कहीं जो लग चलने साथ देता हो इस तरह का कटर है पापी,
 न जानूँ पेढ़ी की धूल मैं हूँ जो मुझ से मुल्ला भटक रहा है।
 कभू लगा है न आते जाते जो वैठकर ढुक इसे निकालूँ,
 सजन, जो काँटा है तुम्ह गली का सो पग में मेरे भटक रहा है।
 कोई जो मुझमे य पूछता होय क्यो नू रोता है कह तो हमसे,
 हर एक आँखू मेरे नयन का जगह जगह सिर पटक रहा है।
 गुनी हो कैसा ही व्यान जिसका तेरे गुनों से लगा है प्यारे,
 व्यान परवत भी है जो उसका तो होइ उसको सटक रहा है।
 जो बाट मिलने की होय उसका पता बता दो मुझे मिरीजन,
 तुम्हारी बटियों मैं आज बरसों से यह बटोही भटक रहा है।
 जो मैंने 'सौदा' से जाके पूछा तुम्ह कुछ अपने भी मन की सुधबुध,
 य रोके मुझसे कहा किसी की लटक मे लट की लटक रहा है।

सौदा के हिन्दी दोहे—

कारी रैन डरावनी, घर तै होई निरास।

जगल में जा सो रहे, कोऊ आम न पास ॥
 तेरी पहुँचे आइके, तेरी देहली पास ।
 वेग सवर लो या नवी । अब पत की नहिं आस ॥
 खीझ खीझ चहुँ और से, पडे वह जालिम दूट ।
 वेवों को टरपाय के, ले गए घर को लूट ॥
 कहे हरम सर पीट कर, खोकर अपनी लाज ।
 माटी में तू रल गयो, टीन दुनी के लाज ॥
 खोयी तैने नीर बिन, नवी के मन को चैन ।
 जालिम तेरे हाथ से, प्यासी गयो हुसैन ॥

उक्त दोहे मरसियों में आ गए हैं । उन्हीं में से अलग किए गए हैं ।
 सौदा की पहेलियों की भाषा हिन्दी है । पर उनकी और सब रचनाएँ हातिम की ही सरणी पर चलती हैं । उदूँ की शायरी में जो थोड़ा बहुत हिन्दीपन लुका छिपा था, वह लखनऊ जाने पर नासिख के हाथ से दूर किया गया ।
 किर तो वह हिन्दी से ऐसी हटी कि उसने अपना एक दायरा ही अलग कर लिया । उस दायरे से जगत, चचल, नार, गुन, अकास, घरम, घन, करम, दया, वीर, बली ऐसे शब्द एकदम निकाल बाहर हुए । इसी प्रकार बस्तुओं में न कमल और न भूंचरे रह गए, न चसत और कोकिल, न वर्षा झूंतु रह गई न साचन की हरियाली, न भीम और अर्जुन रह गए, न कर्ण और भोज । इस प्रकार यहाँ की परम्परागत भाषा के आधे हिस्से से और परम्परागत साहित्य के सर्वांश से अर्थात् देश के सामान्य जीवन से उदूँ दूर हटा दी गई । जबरदस्तों जान बूझकर हटाइ गई, आप से आप नहीं हटी ।

उदूँ के इस रूप में आने का परिणाम यह हुआ, कि अपना प्रसार करने की स्वाभाविक शक्ति उसमें न रह गई । वह अपने को बनाये रखने के लिये मकतदों और सरकारी दफ्तरों की मुहताज हो गई । यह बात ऑगरेजी अमजदारी के प्रतिष्ठित हो जाने पर हमारे नवशिद्धि मुसलमान भाष्यों का

स्पष्ट दिखलाई पड़ने लगी और वे उसकी रक्षा और प्रसार के कृत्रिम साधनों का अवलम्बन करने में लगे। मुसलमानी अमलदारी में सरकारी दफ्तर फारसी में थे। अतः ईस्ट इण्डिया कंपनी ने भी कुछ दिनों तक सरकारी दफ्तरों की जबान फारसी हीं रहने दी। पर पीछे अधिकारियों को यह बात खटकने लगी कि दफ्तरों की भाषा सर्वसाधारण की भाषा से विलक्षण अलग है। उनका व्यान देश की प्रचलित भाषा की ओर गया। १८३६ ई० में हमारे सयुक्त प्रदेश के सदर बोर्ड से एक इश्तहारनामा निकला, जो इस प्रकार था—

इश्तहारनामा बोर्ड सदर—

पञ्चाँह के सदर बोर्ड के साहबों ने यह व्यान किया है, कि कच्चहरी के सब काम पारसी जबान में लिखा पढ़ा होने से सब लोगों को बहुत हर्ज पड़ता है और बहुत कलप होता है, और जब कोई अपनी अर्जी अपनी भाषा में लिख के सरकार में दाखिल करने पावे तो वही बात होगी। सब को चैन आराम होगा। इसलिये हुक्म दिया गया है कि सन् १८४४ की कुवार बदी प्रथम से जिसका जो मामला सदर बोर्ड में हो सो अपना अपना सबाल अपनी हिन्दी की बोली में और पारसी के नागरी अच्छरन में लिखा के दाखिल करे कि डाक पर भेजे और सबाल जौन अच्छरन में लिखा हो ताने अच्छरन में और हिन्दी बोली में उसपर हुक्म लिखा जायगा। मिति २६ जुलाई सन् १८३६ ई०।

खेद की बात है कि यह व्यवस्था चलने न पाई। मुसलमान भाइयों की ओर से इस बात का घोर प्रयत्न हुआ कि दफ्तरों में हिंदी बुसने न पाये, उर्दू चलाई जाय। अन्त में सन् १८३७ ई० से उर्दू दफ्तरों की भाषा कर दी गई। इसके उपरान जब सर्वसाधारण की शिक्षा के लिये सरकार की ओर से जगह जगह मदरसे खुलने की बात उठी और सरकार ने यह निश्चय किया कि स्कूल की कक्षाएँ तोड़ दी जाय और हिन्दी भाषा का पढ़ना सब विद्यार्थियों

के लिये आघश्यक कर दिया जाय, तब भी मुसलमान भाइयों की ओर ने विरोध व्यवहा किया गया और मन् १८८८ में उनकी प्रेरणा से कपनी की सरकार ने यह आत्मा निकाली कि “ऐसी जवान का इत्तम तमाम तुलवा के लिये लाजिम कगर देना जो मुल्क की सरकारी और टफतरी जवान नहीं है, हमारी गय में दुर्स्त नहीं। अलाव, इसके मुसलमान तुलवा जिनकी ताटाद इस देहली कालेज में वही है, इसे अच्छी नजर से नहीं देखेंगे।” हिंदी के विरोध की यह चेष्टा वरावर बढ़ती गई। यहाँ तक कोशिश की गई कि बर्नाबियूलर स्कूलों में उसकी शिक्षा जारी ही न होने पाये। हिंदी की रक्षा के लिये गजा शिवप्रसाद को कितना यत्न करना पड़ा था, यह हिंदी प्रेमी मात्र जानते हैं। उकार की ओर से जान की बृद्धि के लिये एक संस्था (Society for the promotion of knowledge in India through the medium of vernacular language) स्थापित हुई थी, जिसका उद्देश्य था अंगरेजी, फारसी, संस्कृत आदि की पुस्तकों का देशी भाषा में अर्थात् हिंदी, उर्दू और वङ्गभाषा में अनुवाद करना। पर उर्दू को छोड़कर न हिंदी में कोई अनुवाद होने पाया, न बङ्गला में।

सर मैथेड अहमद साहब वास्तव में उर्दू को क्या समझते थे, वह उन्हीं की जवान से सुनिये। वे फरमाते हैं—“न्यूक यह जवान खास बादशाही बाजारों में मुरब्बज भी इस बासने इसको जवान उर्दू कहा करते थे। और बादशाही अमीर-उमरा इसको बोलते थे। गोया हिन्दुस्तान के मुसलमानों की यह जवान थी।” इस प्रकार उर्दू को उन्होंने केवल दरवारी अमीर-उमरा और मुसलमानों की जवान तसलीम किया है।

मुसलमान किस तरह पहले अपने मजहब की तालीम के लिये थोड़ी अरबी-फारसी मिली एक खास डग की हिंदी काम में लाए, फिर धीरे-धीरे हिंदीपन निकालते निकालते विल्कुल एक बिंदेशी ढाँचे की भाषा गढ़कर अपने लिखने की भाषा एकदम अलग करली, यह बात अब स्पष्ट हो गई।

होगी। मुहम्मदशाह के समय तक इस नई गढ़ी हुई भाषा का, जो पीछे उर्दू कहलाई, साहित्य-रचना के लिये प्रचार न हो सका था, इसका आभास हिंदी के सूझी कथि नूरमुहम्मद ने अपनी उस पुस्तक में दिया है जो उन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ 'इ द्रावती' के पीछे लिखी। पुस्तक का नाम है 'अनुराग-बॉसुरी'।^{*} नूरमुहम्मद के समय से मुसलमान देश की प्रचलित भाषा, हिंदी से किनारा खींचने लगे थे और मुसलमानों के लिये फारसी में रचना करना ही जायज समझने लगे थे। 'इ द्रावती' लिखने पर उन्हें उनके मुसलमान भाइयाँ ने यह कहकर फटकारना शुरू किया कि 'तुम मुसलमान होकर हिंदी में क्यों लिखने गए।' इसी से बेचारे को 'अनुराग-बॉसुरी' में अपनी सफाई इन शब्दों में देनी पड़ी—

जानत है वह सिरजनहारा । जो किछु है मन मरम हमारा ॥

हिंदू-मग पर पाँव न रखेड़ । का जौ बहुतै हिंदी भाखेड़ ॥

जिसे उर्दू कहते हैं उसका उस समय साहित्य में कोई स्थान न था, यह नूरमुहम्मद के इस कथन से साफ भलकता है—

† कामयाब कहै कौन जगावा । फिर हिंदी भाखै पर आवा ॥

छोड़ि पारसी कट न बातै । अरसभाना हिंदी-स-बातै ॥

जनता से अपने को विल्कुल अलग दिखाने के लिये मुसलमानों ने ही अपने लिये विदेशी ढाँचे की एक अलग भाषा, और साहित्य खड़ा किया, यह इतनी प्रत्यक्ष बात है कि किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। उर्दू की प्राचीनता दिखाने के लिये टक्किनी शायरों की जो लबी सूनी मामने लाड़ गई है उसमें कोई हिंदू भी है। शायद एक या दो। और जाने दीजिये, 'आवे हयात' ही उठा लीजिये। उसमें सब के सब शायर मुसलमान ही तो हैं। अब और सबूत क्या चाहिए? इतने पर भी न जाने किस मुँह से यह

* यह पुस्तक अप्रकाशित है।

† नूरमुहम्मद फारसी की रचनाओं में अपना तख्लुस 'कामयाब' रखते थे।

कहा जाता है कि हिंदुओं और गुमलमानों के मेल से उर्दू पैदा हुई। मेल से पैदा हुई चीज की यही सूत होती है ?

आज सब से बढ़कर खेट तो नव होता है जब कोई कानून-पेशा हिंदू, पेट के पीछे, जिसके वराने का लगाव देश की परपरगत स्थिति और साहित्य से विल्कुल टूट गया हो, जिसकी प्रारंभिक शिक्षा के बल फारसी तथा अदालती भाषा उर्दू की हुई हो, किसी जलसे या मुशायरे में उर्दू को हिन्दू-मुसलिम कलचर के मेल से बजूद में आई हुई एक मुश्तरक. जवान बताने लगता है। हम पूछते हैं कि जब तुम 'हिन्दूकलचर' में कोमों दूर पड़ गए हो तब उसका मेल कहाँ और कितना है, यह क्या पहचान सकते हो ? बगाल, महाराष्ट्र, गुजरात इत्यादि के साहित्य की तुम्हें कुछ खबर है ? जब तुम ऐसे कूप-मङ्गङ्क हो कि अपने तग धेरे के बाहर नवर ही नहीं फैला सकते, तब इस रोशनी के जमाने में चुप क्यों नहीं रहते ? साहित्य की जो देश-व्यापक परपरा बगाल, महाराष्ट्र, गुजरात आदि और प्रातों में चली आ रही है, वही परपरा तो हिन्दी की भी है—अर्थ-परपरा भी और गच्छ परपरा भी। इसी अर्थ-परपरा और शब्द-परपरा से इस देश की दस बारह कोई जनता परिचित है। इसी को वह अपना समझती आई है। जिसने उर्दू नहीं पढ़ी है उसे जरा अपनी 'मुश्तरक आमफहम' में कोई 'सयासी तकरीर' सुनाइए तो पता लगे। हमें सबसे बढ़कर ज्ञोभ उस समय हुआ था जब हिंदुस्तानी के किसी जलसे में एक साहब यह फरमा गए थे कि "मैं तुलसी और कवीर को तो समझ लेता हूँ। पर आज कल की हिन्दी बहुत कम समझ पाता हूँ।" इस प्रलाप का भी कहीं ठिकाना है ? जो आजकल के साहित्य की मापा नहीं समझता वह भला तुलसी की भाषा क्या समझेगा ? सस्कृत गच्छों की जो परपरा सूर, तुलसी आदि को रचनाओं में चली आई थी वही आजकल भी चली आ रही है।

जिस प्रकार 'हिन्दूधर्मपन' निकाल निकालकर एक विदेशी द्वांचे की

भाषा खड़ो करने का क्रमबद्ध इतिहास है उसी प्रकार उस भाषा को सबके गले मढ़ने के लिये हिन्दी को दूर रखने के घोर प्रयत्न का भी खासा इतिहास है, जो उस समय से शुरू होता है जब देश का पूरा शासन औंगरेजों के हाथ में आया। इन दोनों इतिहासों का सङ्क्षेप में उल्लेख करके अब मैं वर्तमान परिस्थिति पर आता हूँ। अब तक शिक्षा का लक्ष्य अधिकतर सरकारी नौकरी रहा है। अत इस बात का प्रयत्न बराबर होता रहा है कि दफ्तरों में हिन्दी न बुझने पाए। दफ्तरों की भाषा जब तक उदूँ रहेगी तब तक भख मार कर लोगों को अपने बच्चों को उदूँ की शिक्षा देनी पड़ेगी और यह कहने का मौका रहेगा कि उदूँ पढ़े लिखे लोगों की भाषा है। अगर दफ्तरों की भाषा होना ही प्रचलित भाषा होने का प्रमाण है तब तो फरमी भी, जो कई सौ वर्ष तक दफ्तरों की भाषा रही है, देश की प्रचलित भाषा मानी जानी चाहिए।

जिस समय उदूँ के साथ साथ—उसे हटाकर नहीं—हिन्दी को भी स्थान दिलाने के लिये सर एटनी मैकडानल के समय में आदोलन उठा उस समय भी मुसलमानों की ओर से पूरा विरोध खड़ा किया गया। अदालतों से ही नहीं शिक्षा पद्धति से भी हिन्दी को हटाने के प्रयत्न बराबर होते रहे हैं, यह दिखाया जा चुका है। अब आज कल की परिस्थिति देखिए। जो लोग राजनीतिक दृष्टि से हिन्दू-मुसलिम एकता अत्यन्त आवश्यक समझते हैं वे एक बीच का गास्ता पकड़कर ‘हिन्दुस्तानी’ लेकर उठे हैं। इस हिन्दुस्तानी का समर्थन कुछ उदार समझे जानेवाले मुसलमान और उदूँ की गोद में पले हिन्दू भी कर रहे हैं। हम भोली भाला जनता को इस ‘हिन्दुस्तानी’ से सावधान करना अत्यत आवश्यक समझते हैं। जो हिन्दुस्तानी इन लोगों के ध्यान में है वह योड़ी छनी हुई उदूँ के मिचा और कुछ नहीं है। उदूँ के सब लक्षण—जैसे वाक्य-रचना की फारमी शैली, अर्थी फारसी के अप्रचलित मुशी-फहम गद्द, अर्थी-फारसी कावदे

के वहु-वचन—उसमें वर्तमान रहेंगे तब तो यह 'हिन्दुस्तानी कहलाएंगी, अन्यथा नहीं। -----

(काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित
इसी नाम को पुस्तिका से)

परिशिष्ट १६

युक्त-प्रान्त की अदालतों की भाषा

(लेखक—रविशकर शुक्ल)

कुछ दिन हुए, लखनऊ विश्वविद्यालय की इंगलिश लिटरेरी सोसाइटी के सामने भाषण करते हुये युक्त-प्रान्त के न्यायमन्त्री डा० काटजू ने कहा, “If I had the power to enact laws I would prohibit the use of even a syllable of English in the Courts.” (“यदि मेरे हाथ में कानून बनाने की शक्ति हो तो मैं अदालतों में अँगरेजी के एक शब्दाश के भी प्रयोग का निपेध कर दूँ।”) यदि यह शक्ति अभी उनके हाथ में नहीं है तो शीघ्र ही आने वाली है, और हमें आशा तथा विश्वास है कि वे यथासम्भव अर्थात् जहाँ तक हमारी अपनी भाषा में काम चल सकता है वहाँ तक अँगरेजी, अँगरजी शब्दों और गोमन लिपि को अदालतों से निकालने में कसर न उठा रखेंगे। परन्तु क्या हम पूछ सकते हैं कि अदालतों में फ़ारसी और अरबी शब्द, फ़ारसी मुहावरे और शेली और फारसी लिपि निकालने के विषय में उनके क्या विचार हैं और इस विषय में वे क्या करने का इरादा रखते हैं? अँगरेजी, अँगरेजी शब्दों और गोमन लिपि को बिदेशी और इसलिये बहिष्कारन्योग्य और उनके प्रयोग को ‘symbol of our slavery’ (उनके भाषण से उद्भूत) बताने परन्तु अरबी-फ़ारसी शब्दों और लिपि को स्वदेशी और उनके प्रयोग को ‘symbol of our freedom’ बताने की चेष्टा तो शायद वे न करेंगे। उन्होंने अपने उसी भाषण से आगे कहा, “The Englishman’s love

of liberty and love of all things English runs through all English literature. This is something which we must emulate.' अदालतों के प्रकरण में वे स्थय 'love of all things Indian' के आदर्श को किस प्रकार और उद्दृढ़ तरु निभाने का इरादा रखते हैं ?

डॉ. काटबू ने अपने उसी भाषण में विद्यार्थियों पर "to study, master and use Hindustani as the vehicle of expression" के लिये जोग दिया। हम इस 'हिन्दुस्तानी' की परिभाषा चाहते हैं। क्या यह वही 'हिन्दुस्तानी' है जो युक्त-प्रान्त की अदालतों में सरकारी भाषा के तौर पर व्यवहृत हो रही है ? यदि नहीं, तो उस वर्तमान 'हिन्दुस्तानी' को निकाल कर अपनी मनचीती हिन्दुस्तानी, वह जो भी हो, को प्रतिष्ठित करने के विषय में उनका क्या विचार है, क्या इरादा है और क्या कार्य-क्रम है ? इस 'हिन्दुस्तानी' का क्या स्वरूप होगा, उद्दृतक वह वास्तव में हिन्दुस्तानी होगी, उसे कौन गडेगा और उसके पीछे क्या संकेशन होगा और उसकी लिपि क्या होगी, वह भी बताने की कृपा करें। इस प्रश्न को पूछने का कारण यह है कि हम युक्त-प्रान्त में किसी एसी 'हिन्दुस्तानी' से परिचित नहीं जो मूलों और कालेजों में पढ़ाई जाती हो और जिसे 'study' और 'master' करके हम उनके आदेश का पालन कर सकें और अपने को बन्य मानें। यदि 'हिन्दुस्तानी' में उनका मतलब युक्त प्रान्त के गली-झुंचों, हाट बाजारों, चौराहों और चौपालों में बोली जाने चाली बोली में है, तो उसे तो हम बोलते ही हैं और उसे 'study' और 'master' करने का सबाल ही नहीं उठता। दूसरे, हम साधारण व्यक्तियों की तुच्छ बुड़ि में यह भी नहीं आता कि अँगरेजी, जो 'symbol of our slavery' है, के स्थान में इस बोली का प्रयोग कैसे और क्योंकर करें, और माननीय मन्त्रियों से भी इस दिशा में हमें कोई सहायता नहीं

मिलती, कुछ पथ-प्रदर्शन नहीं होता। यदि 'हिन्दुस्तानी' से उनका तात्पर्य 'हिन्दी और / या उदू' ही है, तो चिरपरिचित और पुराने शब्दों 'हिन्दी' और 'उदू' के बजाय इस एक शब्द 'हिन्दुस्तानी' का प्रयोग क्या उन्होंने महज अपने आप को और औरों को धोखे और सुलावे में डालने के लिये किया था और करते हैं? फिर, ऑंगरेजी के स्थान में किसका प्रयोग करें—हिन्दी का या उदू का या दोनों का एक साथ, और किस लिपि का व्यवहार करें? हिन्दी और उदू के कान पकड़ कर उन्हें एक करने की शक्ति तो उनमें या उनके आचार्य गांधी जी में है नहीं, और देवनागरी और फारसी लिपि को एक ही लिपि सांवित करना अथवा 'फारसी' लिपि को हिन्दुस्तानी होने का सार्टीफिकेट दिलाना बड़े से बड़े कानूनी दिमाग की पहुँच के बाहर है। तीसरे, युक्त प्रान्त के लोग फिर किस 'हिन्दुस्तानी' के माव्यम से अपने विचार एक दूसरे के सामने रखेंगे और किस 'हिन्दुस्तानी लिपि' से एक दूसरे को लिखेंगे? और किस 'हिन्दुस्तानी' और किस लिपि में अदालतों में सरकारी और गैर-सरकारी काम होगा? यदि हिन्दुस्तानी और गैर-हिन्दुस्तानी का ख्याल न करके हिन्दी और उदू दोनों और 'दोनों लिपियों' में ही काम होगा, तो वह शुभ दिन कब आवेगा जब

(१) अदालतों के जजों से लेकर छोटे से छोटे कर्मचारियों के लिये हिन्दी जानना और नियुक्ति से पहले उदू की परीक्षा के समान स्टैडर्ड की हिन्दी विभागीय परीक्षा पास करना अनिवार्य करार दिया जायगा और चर्तमान कर्मचारियों को एक निश्चित अवधि के भीतर हिन्दी की इस परीक्षा को पास करने का आदेश दिया जायगा, जिस आदेश को भग करने के दड़स्वरूप उनकी पदोन्नति और बेनन वृद्धि रोक दी जायगी;

(२) अदालतों के सब रेकार्ड कानून हिन्दी में भी—केवल देवनागरी लिपि में नहीं बरन् हिन्दी भाषा में—रखें जायेंगे, और सब अदालती नोटिस हिन्दी में भी दिए जायेंगे तथा अन्य काम हिन्दी में भी होगा।

(‘लीडर’ में देवनागरी में कुछ हये ‘Court Notices’ की भाषा तो न्याय-मत्री ने देखी ही होगी—यह भी क्या बेचारी ‘जनता’ का ठोप है और जनता के करने की चीज है ?”),

(३) टिप्पियाँ, अन्य अदालती कागज़ा, ग्राहि की सब नफले दिना हील-हुज्जत, रोक-टोक या वाधा के हिन्दी में सरलतापूर्वक मिल सकेंगी ,

(४) सरकार की ओर से कानूनी पटितों के एक बोर्ड द्वारा अँगरेजी तथा उदूँ की सब कानूनी पुस्तकों नथा कानूनों का हिन्दी में अधिकृत ग्रन्तियाद कराया जायगा , और

(५) अदालत के सब कागजों, पचों, हुक्मनामों, सम्मनों और फार्मों, ग्राहि में देवनागरी लिपि में हिन्दी भाषा का प्रयोग किया जायगा ?

^{२८} उठाहरण के लिये १५ अक्टूबर, १९४६ के ‘लीडर’ से देवनागरी में कुछ हुये कोर्ट नोटिस की कुछ पंक्तियाँ उद्धृत की जाती हैं ।

“— “वाजेह हो कि सुर्दह ने आपके नाम पृक नालिश दफा ४६/६१ दायर की है, लिहाज्ञा आपको हुक्म होता है कि आप बतारीख १७ माह अक्टूबर सन् १९४६ बन्वक्त १० बजे बुक्साम बलिया असालतन या मारफत बकील के जो सुक्रदमा के हालात से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुछ अमूर अहम सुतल्लका सुक्रदमा का जवाब दे सके या जिसके साथ कोई और शर्खस हो कि जवाब ऐसे सवालात का वे सके हाजिर हूजिये और जवाबदेही दावा की कीजिये—और हरगाह वही तारीख जो आपकी हाजिरी के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल क्रतहै सुक्रदमा के तजवीज हुई है । पस आपको जाजिम है कि उस रोज़ अपने जुमला गवाहों को जिनकी शहादत पर नीज़ जुमला दस्तावेज जिन पर आप बताई अपनी जवाबदेही के इस्तदलाल करना चाहते हैं उसी रोज़ पेश कीजिये । और आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर वरोज़ मज़फूर आप हाजिर न होंगे तो सुक्रदमा घैर हाजिरी आपके मससूथ और फैसल होगा ।

बसबत मेरे दस्तख्त और मोहर अदालत के आज बतारीख २८ माह द सन १९४६ ई० जारी किया गया ।”

ये सब जनता के करने की नहीं, सरकार के करने की बातें हैं। जनता को यह कहकर धोखा नहीं दिया जा सकता कि सरकार ने तो हिन्दी को उदूँ के समकक्ष रख दिया है, हिन्दी में काम करने की छूट दे दी है, फिर जनता हिन्दी में काम क्यों नहीं करती? सोचने की बात यह है कि जनता हिन्दी में अधिक सुविधा का अनुभव करते हुए भी अदालती काम हिन्दी में क्यों, किस कारण, नहीं करती अर्थात् नहीं कर पाती और जनता की सरकार का क्या कर्तव्य है। यदि हमारे माननीय मंत्री आये दिन अँगरेजी का मौखिक चिरोध और किसी अनजानी और अज्ञात 'हिन्दुस्तानी' की व्यापालत करके सस्ती नामचरी हासिल करने के बजाय शोड़ी साफ़ दिमागी से काम लें, स्पष्ट बोलें, स्वयं आदर्श रखें और अपने करने का काम पूरा करें, तो अँगरेजी और झूठी हिन्दुस्तानी को हटाकर सच्ची हिन्दुस्तानी को अपना पद प्राप्त करने में ज्यादा आसानी हो।

परिशिष्ट १७

हिन्दी प्रान्तों में शिक्षा का माध्यम

(लेखक—रविशंकर गुक्ज)

१

गत चर्पे लखनऊ विश्वविद्यालय ने 'हिन्दुस्तानी' को शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय किया। उसकी देसा-देसी पटना विश्वविद्यालय ने भी यही निर्णय किया। यह 'हिन्दुस्तानी' क्या चीज है? वह कहों पढ़ाई जाती है? क्या एक ऐसी भाषा जो स्कूलों और कालेजों में कही नहीं पढ़ाई जाती विश्वविद्यालय की शिक्षा का माध्यम हो सकती है? दोनों में से किसी विश्वविद्यालय ने हन प्रश्ना का उत्तर स्पष्ट करने का कष्ट नहीं किया। जरूरत भी क्या थी! 'हिन्दुस्तानी' का दम भर कर यूनीवर्सिटी कोर्ट के 'राष्ट्रीय' सदस्यों को कांग्रेसी नेताओं से चाहवाही लूटनी थी, वह उन्हें मिल गई, शेष यूनीवर्सिटी के अध्यापक जानें और जानें यूनीवर्सिटी के छात्र। अत उनके प्रस्ताव से 'हिन्दुस्तानी' का अर्थ प्रकट होने की आशा करना वेकार है। प्रस्ताव से केवल वह पता चलता है कि 'हिन्दुस्तानी' हिन्दी नहीं है और वह उदौ भी नहीं है, और वह दोनों लिपियों में लिखी जाती है। याद रहे, लखनऊ विश्वविद्यालय ने 'हिन्दुस्तानी' के लिये रोमन लिपि भी स्वीकृत की, अत कहना पड़ेगा कि इन प्रस्तावों से 'हिन्दुस्तानी' के विषय में केवल इतना पता चलता है कि 'हिन्दुस्तानी' में और कुछ आता हो या न आता हो, खड़ी बोली की क्रियायें और विभक्तियाँ अवश्य रहती हैं, और वह देवनागरी, फारसी लिपि या रोमन लिपि में लिखी जाती है।

अध्यापक-गण भी केवल इतने से वाय्य हो सकते थे, अतः लखनऊ विश्वविद्यालय में इस समय जो पढाई 'हिन्दुस्तानी' में हो रही है उसका नमूना यह है: "अगर एक बाड़ी पर दो ईकुञ्चल फोर्सेंज आपोजिट डाइरेक्शन्स में ऐकट करें तो वह एट रेस्ट हो जाता है"। और इस समय लखनऊ विश्वविद्यालय में जो कुछ काम 'हिन्दुस्तानी' में हो रहा है वह सब रोमन लिपि में हो रहा है। अव्यापकों या छात्रों को दोप देना वैकार है। 'हिन्दुस्तानी' की दोरथी माया में फँस कर वे इसके सिवा कुछ और कर ही नहीं सकते। हिन्दुस्तानी वालों की खोखली राष्ट्रीयता और हिन्दी और उदूँ का अन्तर न देखने की उनकी ज़िद का एक ही परिणाम हो सकता है—इगलिस्तानी और रोमन लिपि का जयजयकार। और यही लखनऊ विश्वविद्यालय में हो रहा है, और जब तक 'हिन्दुस्तानी' रहेगी तब तक होता रहेगा। इसे कोई रोक नहीं सकता।

कुछ लोग कहेंगे कि लखनऊ विश्वविद्यालय ने अपने प्रस्ताव में पाठ्य-पुस्तके हिन्दी और उदूँ में तैयार करने का आदेश भी तो दिया है, और इसलिये इगलिस्तानी के लिये कोई गु जाइश नहीं है। टीक है, पर तो फिर 'हिन्दुस्तानी' क्या है? प्रस्ताव में पाठ्य-पुस्तकों के विषय में जो कहा गया है, उसका तो यही अर्थ निकल सकता है कि 'हिन्दुस्तानी' से अभिप्राय हिन्दी+उदूँ से है। अगर यही वात है तो 'हिन्दुस्तानी' का ढकोसला किस लिये? सुपरिचित और अर्थ-युक्त नामों 'हिन्दी' और 'उदूँ' के बजाय 'हिन्दुस्तानी' नाम का प्रयोग करने की जरूरत? 'हिन्दी' और 'उदूँ' एक ही चीज तो हैं नहीं, फिर 'हिन्दुस्तानी', 'हिन्दुस्तानी' रट कर एकता का स्वर्ग भरने का कारण? फिर एक ही विश्वविद्यालय में एक ही दरजे में दो माध्यमों हिन्दी और उदूँ के द्वारा पढाई कैसे होगी?

शायद लखनऊ विश्वविद्यालय के 'हिन्दुस्तानी' माध्यम वाले प्रस्ताव की इसी चिन्हिता का अनुभव करके संयुक्त-प्रान्त के शिक्षा-मंत्री ने कुछ दिन

दुःख (मार्च, १९४० में) प्रारंभिक अवस्थाली में था। कि वे 'हिन्दु-जन,' जो कामन उच्च पारिभाषिक और वैज्ञानिक शब्दों की गतिरेते पर विनाश हरन के लिये प्राप्त के विश्वासियालय के पाइल-नामगारी की एक अवधि न बढ़ा सका रहा है। प्रस्ताव ये प्रश्न 'हिन्दुस्तानी' शब्द का यह गद्दान्त क्या अपद्धता हो गा। परन्तु आज तक वे 'हिन्दुस्तानी' इन न वापी। शाहगंज चामलग वी कान्फ्रैंस का गद्दान्त मिल जाती, इसी आगामी दो जा सकती है ? हिन्दी के पारिभाषिक शब्दों के न्यौता अलग, उर्दू के अलग। 'हिन्दुस्तानी' के पारिभाषिक गद्द विनाशों ने और किन विद्यालयों के ग्रन्थालय जाये ? न्याट है, हिन्दी मालों और उर्दू मालों के दोनों में आज तक कोई स्मरणीय हो नका है और न प्रद हो सकता है। यह जब्ता है कि इस कान्फ्रैंस में भाँति गौंत्रि के तरं देहर का प्रस्ताव देंग दिया जायगा कि 'हिन्दुस्तानी' के लिये उच्च पारिभाषिक और वैज्ञानिक शब्द महसून और ग्रन्थो-फारसी के धारुप्राने गटने के दबाव और गेजी भेले लिये जायें, और वही प्रस्ताव स्वीकृत हो जायगा। अर्थात् वो 'इगलिस्तानी' लग्ननक विश्वविद्यालय में चल गी है उस पर मरकारी न्यौति नी नहर लग जायगी। चैकि उच्च पारिभाषिक शब्दों और प्रारिभाषिक शब्दों के दर्ज में कोई वेलाग रेखा नहीं खोनी जा सकती, दूसरे शब्दों में, चैकि नह नहीं कहा जा सकता कि 'वाडी' और 'कोस' भी उच्च पारिभाषिक शब्द हैं या नहीं, वह इगलिस्तानी वर्तमान इगलिस्तानी ने कोई विशेष मिन्न नहीं हो सकती। परन्तु कठोर सत्य यह है कि नमस्या पिर भी इल नहीं होती। उच्च पारिभाषिक और वैज्ञानिक शब्दावली के ग्रैंगरेजी से लिये जाने पर भी हिन्दी और उर्दू का वर्तमान अन्तर तो रहेगा ही। एक सीमा तक हिन्दी और उर्दू की उच्च पारिभाषिक और वैज्ञानिक शब्दावलियाँ भी या पहले से मौजूद हैं या अलग-अलग बन जुकी हैं, और यह सीमा दिन पर दिन आगे ही बढ़ेगी और बढ़ रही है। कुछ विषयों (जैसे धर्म,

दर्शन, इतिहास) की तो हिन्दी और उर्दू को उच्च से उच्च पारिभाषिक शब्दावलियाँ इस समय भी मौजूद हैं, और एक दूसरे से सर्वथा भिन्न हैं। और लिपियाँ तो भिन्न हैं ही। सारांश यह कि शिक्षा-मन्त्री की योजना के सफल हो जाने के बाद भी हिन्दी और उर्दू की पाठ्य पुस्तकें उच्च पारिभाषिक और वैज्ञानिक शब्दों को छोड़कर वास्तव में हिन्दी और उर्दू में ही होंगी। इन सब बातों की रोशनी में लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रस्ताव का यह अर्थ निकलता है - शिक्षा के माध्यम दो हों हिन्दी और उर्दू, लिपि दो हों, पाठ्य-पुस्तकें हिन्दी और उर्दू में छ्रें, परन्तु कलास एक हो और अध्यापक एक हो, शेष अव्यापक पर छोड़ दिया जाय—जिस तरह उसे एक ही कलास में एक ही धन्ते में दोनों माध्यम बालों को पढ़ा मिले उस तरह वह पढ़ावे, अर्थात् वह केवल खड़ी बोली की क्रियायें बोलने के लिये वाव्य हो, उनके साथ वह चाहे हिन्दी शब्दों का प्रयोग करे चाहे उर्दू शब्दों का — चाहे वह 'अनुवाद' कहे, चाहे 'तरज्जुमा', चाहे 'विज्ञान', चाहे 'साइंस', चाहे 'राजनीति', चाहे 'स्यासत' चाहे 'दशमलव' चाहे 'आशारिया', आठि, और बोर्ड पर चाहे जिस लिपि में—देवनागरी या फारसी लिपि—में लिखे ('हिन्दुस्तानी') के अँगरेजी शब्दों की कानूनों सीमा बोधने के बाद और रोमन लिपि का कानूनन दहिष्कार करने के बाद सहस्रों शब्दों के दो दो पर्याय और दो लिपियाँ तो पिर भी बच रहेंगी न) । *

* सयुक्त-प्रान्त के शिक्षा-मन्त्री श्रीसम्पूर्णनन्द जी द्वारा संयोजित संयुक्त-प्रान्त के विश्वविद्यालयों के बाह्स-चांसलरों की यह काफरेन्स २ अगस्त, १९४७ को हो गई। इस काफरेन्स को बुक्साने की घोषणा शिक्षा मन्त्री ने मार्च में की थी, हुई यह अगस्त में और इस बीच में भारत का विभाजन हो चुका था और उसके बाद यह भी सुनाई पड़ने लगा था कि सयुक्त-प्रान्त की सरकार ने हिन्दी को राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित करने का निश्चय किया है, अतः आशा की जाती थी कि यह कांफरेन्स अब 'हिन्दुस्तानी' का बखेदा समाप्त कर हिन्दी को प्रान्त के विश्वविद्यालयों की शिक्षा का माध्यम बनाने

ऊपर के विवेचन में स्पष्ट है कि 'हिन्दुस्तानी' के गिर्जा का मान्यम होने का यह भी अर्थ निकलता है कि—(?) प्रोफेसरों के लिये हिन्दी और उद्दू' डोनों का पुर्ण पड़ित होना अनिवाय कगर टिया जाव, अर्थात् वह एक प्रोफेसर एम० एस ली० (M. Sc) क्लास को हिन्दी में भौतिकशास्त्र पढ़ा सकता है तो उसमें एम० एस सी० क्लास को उद्दू' में भी भौतिकशास्त्र पढ़ाने की योग्यता का होना आवश्यक होगा—२० वर्ष तक भौतिकशास्त्र में गोध-कार्य करने के बाद अब वह उद्दू' सार्वे, उद्दू' का पड़ित बने, अन्यथा प्रोफेसरी की आशा त्याग दे। विश्वविद्यालयों के प्रोफेसरों और

का निर्णय करेगी। परन्तु इस कांफरेन्स में हुये निर्णयों के विषय में सरकार की ओर से जो प्रेस विज़सि निकली है, उसमें हिन्दी का नाम तक नहीं है। विज़सि में कहा गया है कि इस काफरेन्स में यह तथ्य हुआ कि "मातृ-भाषा की वर्तमान पारिभाषिक शब्दावली तुरन्त प्रणा ली जाय"। चूँकि यह स्पष्ट नहीं किया गया है (शायद जानकूक कर) कि "मातृ-भाषा" से अभिप्राय किस भाषा से है, और चूँकि स्पष्टतः यह कांफरेन्स शिक्षा-मन्त्री की उम्मी घोषणा के आधीन हुई जो उन्होंने मार्च में की थी, मानना पड़ेगा कि "मातृ-भाषा" से अभिप्राय "हिन्दुस्तानी" अर्थात् हिन्दी+उद्दू' से है (वैसे भी, इस प्रान्त के जो लोग उद्दू' को अपनी "मातृ-भाषा" बताते हैं—और सरकार यह मानती रही है कि उनकी मातृ-भाषा उद्दू' है—, उन्हें कांफरेन्स का यह निर्णय हिन्दी की "वर्तमान पारिभाषिक शब्दावली" को संजूर करने के लिये कैसे बाध्य कर सकता है? और $\frac{\text{हिन्दी}+\text{उद्दू'}}{2}$ वाली 'हिन्दुस्तानी' की कोई 'वर्तमान पारिभाषिक शब्दावली' है ही नहीं)। विज़सि में आगे कहा गया है कि काफरेन्स में यह भी तथ्य हुआ कि 'मातृ-भाषा की वर्तमान पारिभाषिक शब्दावली' के अलावा जिन पारिभाषिक शब्दों की आवश्यकता है उनमें से ऐसे शब्द जिनका अन्तर्राष्ट्रीय प्रचलन है 'अपनी भाषा की प्रकृति और ध्वनि-ग्रणात्मकी' के अनुसूप ढालकर ग्रहण कर लिये जायें (यहाँ भी 'अपनी भाषा' से किस भाषा से अभिप्राय है, यह स्पष्ट नहीं किया गया है, हिन्दी और उद्दू' की ध्वनि-ग्रणात्मियों में अधिक नहीं तो क्र, ख, ग, फ की ध्वनियों का अन्तर तो है

लेकचरारों को नियुक्ति की यह एक शर्त होगी कि वे हिन्दी और उदूँ दोनों के पूर्ण जाता हों और अपना विषय हिन्दी और उदूँ दोनों में पढ़ाने की योग्यता रखते हों (उन्हें हिन्दी वालों और उदूँ वालों दोनों को पढ़ाना होगा न, और दोनों की कापियों जॉचनी और देखनी होगी, दोनों लिपियों में ढक्का होना तो परमावश्यक होगा)। थोड़े दिन हुये, भ्रातों में छुपा था कि लखनऊ विश्वविद्यालय के कोर्ट में शीघ्र ही यह प्रस्ताव पेश होने वाला है कि विश्वविद्यालय के प्रत्येक अव्यापक के लिये 'प्रात की दोनों वर्नाक्युलरों' का जानना आवश्यक करार दिया जाय। स्पष्ट है यह प्रस्ताव बात को पक्की ही), और शेष शब्दों के "भारतीय पर्याय" गढ़े जायें। चूँकि उदूँ अभारतीय भाषा नहीं कही जा सकती, "भारतीय पर्यायों" में अरबी-फ़ारसी पर्यायों के लिये गुंजाइश रहती ही है, परन्तु ज़रा देर के लिये मान लीजिए कि 'भारतीय पर्यायों' में अरबी-फ़ारसी के लिये गुंजाइश नहीं है और "मातृ-भाषा की वर्तमान पारिभाषिक शब्दावली" को छोड़कर शेष पारिभाषिक शब्दावली एक ही और भारतीय होगी। पर मातृ-भाषा हिन्दी और मातृ-भाषा उदूँ की वर्तमान पारिभाषिक शब्दावलियों, जो सर्वथा भिन्न हैं, पर तो स्वीकृति की सुहर लग ही गई। और लिपि के विषय में विज्ञसि में कुछ नहीं कहा गया है, जिसका अर्थ है कि 'हिन्दुस्तानी' की 'दोनों लिपियों' ज्यों की त्यों बहाल रहती हैं (वैसे भी 'मातृ-भाषा की वर्तमान पारिभाषिक शब्दावली' के साथ 'मातृ-भाषा की वर्तमान लिपि' आवेगी ही, और यह कौन नहीं जानता कि मातृ-भाषा उदूँ की लिपि 'उदूँ लिपि' है)। दूसरे शब्दों में, इस कांफरेन्स से 'हिन्दुस्तानी' की दोरथी समस्या का समाधान नहीं होता, और परिस्थिति ज्यों की त्यों अर्थात् वही रहती है जिसका विवेचन ऊपर लेख में किया गया है। ऊपर जो अनुमान किये गए थे उनकी पुष्टि भी हो गई।

(लेखक ने उक्त विज्ञसि के प्रकाशित होने के बाद संयुक्त-प्रान्त के शिक्षा-विभाग के सेक्रेटरी को एक पत्र लिखकर यह पूछा था कि विज्ञसि में आये हुए शब्दों 'मातृ-भाषा' और 'अपनी भाषा' से किस भाषा से अभिप्राय है। उस पत्र का उत्तर अभी तक नहीं आया। और न अब आने की आशा है। शायद यह सामला 'high policy' का और गोपनीय है। लेखक का

करने के लिये पेश किया जा रहा है, (२) ट्रोनिंग कालेज में अध्यापकों को हिन्दी और उदू' दोनों के मायम से शिक्षा देने की ट्रोनिंग दी जाय, (३) विद्यार्थियों के लिये आरभ से ही हिन्दी और उदू' दोनों अनिवार्य चिपय कर दिये जायें, और दोनों की समान स्टडर्ड की गिर्जा दी जाय, ताकि वे सब अध्यापकों के लेक्चर, चाहे कोई अध्यापक हिन्दी में लेक्चर दे और चाहे कोई उदू' में, समझ सकें। यदि ऐसा न किया गया तो अध्यापकों को अपने लेक्चर में आने वाले प्रत्येक हिन्दी शब्द का उदू' पर्याप्त और प्रत्येक उदू' शब्द का हिन्दी पर्याप्त बताना पड़ेगा, और बोर्ड पर पहले देवनागरी में लिख कर फिर उसीको उदू' लिपि में लिखना पड़ेगा।

विश्वास है कि यह काग्रेस की छिलमिल नीति का एक और उदाहरण है—
तुष्टीकरण की नीति में पर्याप्त बलहीन काग्रेसी सरकार हिन्दुस्तानी छोड़ना नहीं चाहती, 'हिन्दुस्तानी' से डिग नहीं सकती, परन्तु साथ ही यह अनुभव करती है कि इधर जनता की तीव्र भावना हिन्दी के पश्च में हो गई है, इसलिए जनता को धोखे में रखने के लिए और 'हिन्दुस्तानी' नाम से जो बखेवा पैटा होगा उससे बचने के लिए गोल-मोल शब्द 'मानू-मापा' की शरण ली गई है। बाद को कुछ जनता की ओर बचाकर, कुछ काग्रेसी 'राष्ट्रीयता' और गांधीजी की जय बोलकर धीरे धीरे 'हिन्दुस्तानी' प्रतिष्ठित कर दी जायगी। नाम लेकर इस समय मगदा क्यों मोल लिया जाय?—ऐसा सरकार सोचती है। इसी कारण सयुक्त-प्रान्त की असेम्बली के अगले अधिवेशन में पेश होने वाले शिक्षा के पुनर्संगठन विषयक बिल का जो भासविदा अभी अभी छपा है, उसमें कहा गया है कि शिक्षा का माध्यम "प्रान्त की भाषा" होगा। क्या सरकार को इस प्रान्त की भाषा का नाम नहीं मालूम, अथवा व्या हस प्रान्त की भाषा का कोई नाम है ही नहीं? परन्तु नहीं, सरकार पहले ही बोपरणा कर चुकी है कि इस प्रान्त की 'वर्नाक्युलर' को 'हिन्दुस्तानी' नाम से पुकारा जाय। सरकार सोचती है, फिर बिल में 'हिन्दुस्तानी' नाम लेकर सोने वालों को क्यों जगाया जाय, और जागने वालों को क्यों व्यर्थ और भड़काया जाय? और इस 'प्रान्त की भाषा' की लिपि क्या होगी, पूर्वयोजनानुसार इसका ज़िक्र ही नदारढ़ है। कैसी दृयनीय अवस्था है!

(उदाहरण के लिये गणित के सवाल को पहले देवनागरी में हल करके फिर उसे उद्दूर्दि लिपि में हल करना पड़ेगा), और पढ़ाना लगभग असम्भव हो जायगा, (४) यदि शिक्षा-विभाग की ओर से बोलते हुये (Talkie) शिक्षा-फिल्म तैयार किये जायें, तो या तो प्रत्येक फिल्म अलग अलग हिन्दी और उद्दूर्दि में बनाया जाय (या फिर प्रत्येक हिन्दी शब्द के साथ उद्दूर्दि पर्याय और प्रत्येक उद्दूर्दि शब्द के साथ हिन्दी पर्याय बोला जाय जो लगभग असम्भव है), या किसी निश्चित अनुपात में कुछ फिल्म हिन्दी में तैयार किये जायें और कुछ उद्दूर्दि में, इत्यादि, इत्यादि ।

इन सब बातों का क्या अर्थ है और उनका क्या परिणाम होगा, अब इस पर हिन्दी बालों के दृष्टि-कोण से विचार कीजिये । इनका अर्थ है कि चूंकि हिन्दी प्रान्तों में कुछ लोग ऐसे हैं जो उद्दूर्दि माध्यम की मौग करते हैं, इतना ही नहीं कि हिन्दी बालों के पैसे से ही उनके लिये अलग उद्दूर्दि माध्यम का प्रबन्ध कर दिया जाए, बल्कि हिन्दी बालों को यह भी अधिकार नहीं रहा कि उनके बच्चे अन्यभाषा-भाषियों की भाँति शुद्ध हिन्दी के माध्यम द्वारा सीधी-सादी तौर से शिक्षा प्राप्त कर सकें—इतना ही नहीं कि उद्दूर्दि को भी वही अधिकार दे दिये जायें जो हिन्दी को दिये जायें, बल्कि हिन्दी विकृत की जाय, उसकी ‘हिन्दुस्तानी’ की जाय, और ‘हिन्दुस्तानी’ के नाम पर इ गलिस्तानी प्रतिष्ठित की जाय (हिन्दी-उद्दूर्दि के द्वन्द्व से बचने के लिये अँगरेजी से शब्द लेकर, जबकि इनमें से अधिकाश शब्द अन्य प्रान्तीय भाषाओं में देशी स्त्रोतों से बनाये जायेंगे, और ‘हिन्दुस्तानी’ की बला सिर पर सचार न होती तो हिन्दी में भी देशी स्त्रोतों से बनाये जाते), और सम्भवत हिन्दी की वर्तमान शब्दावली की भी काट-छाँट करके उद्दूर्दि शब्दों को मिलाकर (‘समझौते’ के लिये) एक कामन शब्दावली बनाई जाय । और उद्दूर्दि लिपि के कारण हिन्दी शब्दों का उच्चारण अष्ट किया जाय । जबकि अन्य प्रान्तों के बालक के बल अपनी अपनी प्रान्तीय भाषाएँ सीखकर उच्च से उच्च

शिक्षा प्राप्त करेंगे, हिन्दी प्रान्तों में हिन्दी वालकों पर उद्दृ का अनिरिक्त वोभा ढालकर उनके समय, शक्ति और पैसे का घोर अपव्यय किया जायगा, और उनके कोमल मस्तिष्क को व्यर्थ कमज़ोर किया जायगा, अरथात् कलाम में उद्दृ वाले चिद्वार्थियों के कारण अध्यापकों से हिन्दी शब्दों के साथ साथ उद्दृ पर्याय बुलवाकर और देवनागरी के साथ साथ उद्दृ लिपि में लिखना कर उनका समय नष्ट किया जायगा, और उनकी भाषा को चिकूत किया जायगा। जबकि अन्य प्रान्तों में अध्यापक केवल प्रान्तीय भाषा द्वारा अपना चिपय पढ़ाने की योग्यता प्राप्त वर्तमान और वेवल प्रान्तीय भाषा का ज्ञान प्राप्त कर अपना शेष समय और शक्ति अपने निपय में पारगत होने में लगायेंगे, हिन्दी प्रान्तों में अध्यापकों पर हिन्दी और उद्दृ दोनों का वोभा ढालकर उनके समय, शक्ति और पैसे का घोर अपव्यय किया जायगा। दो लिपियों और दो माध्यमों के कारण पढ़ाड़ में, प्रयोगशालाओं में, दफ्तर के कार्य में और अन्य कार्यों में जो घोर असुविधा और पैसे का अपव्यय होगा सो अलग। इन सब वातों का परिणाम यह होगा कि हिन्दी प्रान्त अन्य प्रान्तों, जो एकभाषा-भाषी होंगे, के मुकादले में पिछड़ जायेंगे, हिन्दी वालक चिद्वा और बुद्धि की दौड़ में अन्यभाषा-भाषी वालकों के मुकादले में पिछड़ जायेंगे, और प्रान्त का जीवन भी दो टूक हो जायगा तथा प्रान्त की एकता भग हो जायगी। शिक्षा के माध्यम के रूप में लिपि और भाषा का जो द्वेष पैलेगा वह धीरे धीरे राजभाषा के रूप में, सामाजिक, सास्कृतिक और राजनीतिक जीवन में—प्रान्तीय जीवन के प्रत्येक पहलू में—व्याप्त हो जायगा। प्रान्त में शिक्षा का ग्वर्च व्यर्य बढ़ जायगा। प्रान्त में चेजानिक अनुसंधान के कार्य में तथा टेक्निकल उन्ननि में चिकट बाधा पड़ जायगी। हिन्दी भाषा और सस्कृति की दुर्गति हो जायगी। हिन्दी वैसी उन्नति कभी न कर सकेगी जैसी अपने अपने प्रान्तों में अखट राज्य करने वाली प्रान्तीय भाषायें करेंगी। आदि, आदि।

अब प्रश्न होता है कि इस 'हिन्दुस्तानी' के ढोंग से क्या लाभ हागा ? इस 'हिन्दुस्तानी' माध्यम ने तो कही श्रेयस्कर यह है कि हिन्दी प्रान्तों में हिन्दी और उर्दू दोनों को साफ-माफ शिक्षा का माध्यम स्वीकृत कर लिया जाय, और दोनों का अलग-अलग प्रवन्ध किया जाय—शहरों में आवश्यकतानुसार कुछ शिक्षा संस्थाओं का साध्यम उर्दू हो, शेष का हिन्दी, गाँवों में यदि एक स्कूल में उर्दू माध्यम की माँग करने वाले छात्रों की सख्ता एक निश्चित अनुपात (मान लीजिये १५ प्रतिशत) से बढ़ जाय तो उसमें उर्दू माध्यम का भी अलग प्रवन्ध किया जाय, और अखिल प्रान्तीय शिक्षा-संस्थाओं (जैसे विश्वविद्यालयों) में आवश्यकतानुसार कुछ का माध्यम उर्दू हो, शेष का हिन्दी (यद्यपि आवश्यकतानुसार एक ही शिक्षा-संस्था में दोनों माध्यमों का प्रवन्ध किया जा सकता है)। क्योंकि वही दो लिपियों रहेगी, वही हिन्दी और उर्दू में पाठ्य पुस्तकें छापेगी, शिक्षा-प्रकाशन का वही खर्च रहेगा—सब वात वही रहेगी, परन्तु छात्रों और अध्यापकों दोनों की 'हिन्दुस्तानी' माध्यम के ढोंग से पैदा होने वाली अनीम मुश्किलें और मुमीवतें टल जायेगी। हिन्दी की शुद्धता की रक्ता और हिन्दी भाषियों के अधिकारों की आशिक रक्ता भी हो जायगी। यदि इससे शिक्षा का व्यय कुछ बढ़ जायगा—जैसे मान लीजिये कि एक शिक्षा-संस्था में 'हिन्दुस्तानी' के एक प्रोफेसर के बजाय उसी विषय को पढ़ाने के लिये दो प्रोफेसरों, एक हिन्दी जानने वाला और एक उर्दू जानने वाला, की नियुक्त करनी पड़ेगी, तो यह नहीं भूलना चाहिये कि 'हिन्दुस्तानी' माध्यम के सिलसिले में हिन्दी और उर्दू दोनों के दोनों के कारण छात्रों तथा अध्यापकों के समय और शक्ति का जा अवधार होगा। उसका भी रख्या आना पाई में मूल्य कृता जा सकता है। फिर यदि एक 'हिन्दुस्तानी' का प्रोफेसर हिन्दी और उर्दू दोनों के माध्यम ने पटाने की योग्यता रखता है (या रख सकता है) तो वही एक प्रोफेसर हिन्दी याते छात्रों और उर्दू वाले छात्रों दोनों को एक ही क्लास में एक ही बढ़े में

पढ़ाने के बजाय उन्हें अलग अलग पढ़ा गकता है। जारी रखा गया हैं तो नष्ट किया जाय ? वह भी नहीं भूलता चाहिए कि शिक्षा का प्रमाण जिसे वह क्षात्रों की नव्या वही नहीं गठेगी और प्रत्यक्ष विज्ञान के लियार्थियों को तो सेस्शनों में बॉट वर पढ़ाना परेगा (जैसे आजपल भी नक्तों व प्रत्येक फना के दो टोमेक्शन होते हैं)। प्रत्येक मेक्शन में हिन्दी चाल। और उद्दृचालों दोनों को एक साथ पढ़ाने के बजाय हिन्दी चालों द्वारा एवं वर्तने वाले सेक्शनों में इकट्ठा करके अलग और उद्दृचालों को एक वा अनेक मेक्शनों में इकट्ठा करके अलग पढ़ाया जा सकता है। हिन्दी और उद्दृचालों द्वारा स्पष्ट रूप ने शिक्षा का माध्यम स्वीकृत करने में एक ताम वह भी होगा कि उद्दृचालों जैसे पजाप, गीमा-प्रान्त और सिंधु ने भी हिन्दी, जो अलग शिक्षा का माध्यम स्वीकृत कर लिया जाएगा वा उसने का अधिकरण होगा, अन्यथा इन प्रान्तों में हिन्दी प्रान्तों का दबाला देकर कागज पर 'हिन्दुस्तानी' को माध्यम घोषित किया जायगा परन्तु व्यवहार में उसे गुद्र उद्दृचाल में अभिन्न बना दिया जायगा, और 'दोनों लिपि' को अव्याख्यातारिक बता वर देखनागरी को उड़ा दिया जायगा, और उस प्रकार हिन्दी की विलकुल जड़ बाट दी जायगी।

माना श वह कि लखनऊ विश्वविद्यालय का 'हिन्दुस्तानी' को शिक्षा का माध्यम घोषित करना एकता का ढकोसला मात्र है क्योंकि 'हिन्दुस्तानी' में मतलब किसी एक ही सुनिश्चित भाषा और एक ही लिपि में नहीं है, और इन 'हिन्दुस्तानी' को माध्यम स्वीकृत करना हिन्दी और उद्दृचालों को माध्यम स्वीकृत करने से किसी भी वात में थ्रेयस्कर नहीं है। और जहाँ तक 'हिन्दुस्तानी' माध्यम से तात्पर्य किसी वर्तमान वा भविष्य में गढ़ी जाने वाली हिन्दी, उद्दृचाल और औरंगजेबी की सिच्चड़ी भाषा से है, वहाँ तक वह हिन्दी प्रातों व हिन्दी पर और हिन्दी भाषियों के अधिकारों पर कुरु कुठाराधात व। कहना न होगा कि राष्ट्रभाषा के प्रकरण में काय्रेस ने जिस बाट को

अपनाया था और वह जिस रास्ते पर चल रही थी, उससे प्रकट था कि 'हिन्दुस्तानी' माध्यम के दूसरे अर्थ पर जोर दिया जाता; और क्रांतेसी सरकारें 'हिन्दुस्तानी' माध्यम के नाम पर हिन्दी की सुन्नत करके उसे दोनों लिपियों में हिन्दी प्रातों में शिक्षा के माध्यम के पद पर प्रतिष्ठित करती। श्री सम्पूर्णनन्द का 'हिन्दुस्तानी' की पारिभाषिक शब्दावली गढ़ने के लिये स्युक्त-प्रान्त के विश्वविद्यालयों के बाइस-चान्सलरों की कान्फ्रेंस का आयोजन करना इस ओर एक कदम था। विभिन्न प्रातों में विभिन्न प्रातीय भाषायें शिक्षा का माध्यम होतीं, पञ्चाब, मीमांप्रात और सिन्ध में उदूँ शिक्षा का माध्यम होती परतु हिन्दी कही शिक्षा का माध्यम नहीं होती—हिन्दी प्रातों में भी नहीं। इस क्षेत्र से हिन्दी का अमित्त्व उठ जाने के बाद अन्य सब क्षेत्रों से हिन्दी का अस्तित्व रुक्त उठ जाता क्योंकि जब जड़ ही सूख जाती तो पत्ते हरे कैसे रह सकते थे।

२

परन्तु अब परिस्थिति विलकुल बदल चुकी है। देश के विभाजन के बाद कांग्रेस के हिन्दुस्तानीबाद के लिये कोई गु जाइश नहीं रह गई है। अधिक कहने की जरूरत नहीं। भारतीय विधान-परिषद की कांग्रेस पार्टी ने हिन्दी और देवनागरी को राष्ट्र भाषा और राष्ट्र-लिपि बनाने के पक्ष में फैसला देकर इस मत्य को स्वीकार कर लिया है। हमें खेड अवश्य है कि कांग्रेस की आँगने खोलने के लिये देश के विभाजन जैसी हृदय को विटीर्ण करने वाली और कलेज। ममोजने वाली घटना की जरूरत पड़ी। अस्तु, अब हिन्दुस्तानी-बाद का सर्वथा अन्त हो जाना चाहिये। इसके बाद अब हिन्दी प्रान्तों में शिक्षा के माध्यम के रूप में केवल हिन्दी और उदूँ पर विचार करना शेष रह जाता है। परन्तु हिन्दी प्रांतों में गाध्यमिक और उच्च शिक्षा के लिये हिन्दी और उदूँ दोनों माध्यम के रूप में स्वीकृत नहीं का जा सकती। कागणों की ओर ऊपर इशारा किया जा चुका है। चाहे दोनों माध्यम बानों

को 'हिन्दुस्तानी' के नाम पर एक ही कक्षास में पढ़ाया जाय (जैसा लग्ननऊ चिकित्सालय ने सोचा है) और जाहे हिन्दी माध्यम और उदू माध्यम का अलग अलग प्रबन्ध किया जाय ॥, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के हिन्दी और उदू, दो माध्यम होने से प्रात की एकता भग हो जाएगी, प्रात वी उन्नति रक्षा जाएगी, प्रान्त पिछङ्ग जायगा, प्रान्त पर शिक्षा के व्यव का भार बढ़ जायगा, आदि, आदि । विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं । हिन्दी प्रान्तों के लिये शिक्षा के दो माध्यमों के होने में बढ़कर बुरी और बातक बात कोई दूसरी नहीं हो सकती । यह गाश्वत सत्य है, अर्थात् यह पहले भी सत्य था । परन्तु बदली हुई राजनीतिक परिस्थिति में तो हिन्दी प्रान्तों में हिन्दी और उदू दोनों को माध्यमिक और उच्च शिक्षा का माध्यम कुदापि, किसी भी हालत में स्वीकृत नहीं किया जा सकता । देश के विभाजन से हिन्दी प्रान्तों में उदू को शिक्षा का माध्यम स्वीकृत न करने के जो विशेष कारण उत्पन्न हो गये हैं, उनमें से एक लेखक के निजी अनुभव पर आधारित है । कुछ दिन हुए, लेखक ने एक मुमलमान रगसाज से, जो उसके यहाँ काम करने आया

* ऊपर के विवेचन से यह तो स्पष्ट हो ही चुका है कि हिन्दी बालों और उदू बालों दोनों को एक ही कक्षास में पढ़ाना संभव नहीं—विशेष रूप से माध्यमिक और ऊँचे स्टेजों में । इसके अतिरिक्त छात्रों और अध्यापकों पर हिन्दी और उदू दोनों सीखने का बोझ नहीं डाला जा सकता, और न कक्षास में उदू बाले छात्रों की उपस्थिति के कारण उदू शब्दों को भी बोल-बोल कर और उदू लिपि में भी लिख-लिख कर हिन्दी छात्रों का समय नष्ट किया जा सकता है । बदली हुई राजनीतिक परिस्थिति में यह सब और भी अमर्ष है । दूसरे शब्दों में, हिन्दी और उदू दोनों को शिक्षा का माध्यम स्वीकृत करने का यही अर्थ है कि हिन्दी माध्यम का अलग और उदू माध्यम का अलग प्रबंध करना होगा, और शिक्षा पर विलकृत दूना व्यय होगा । इस व्यय का अधिकाश हिन्दी करदाताओं की जेव से ही शावेगा, अर्थात् हिन्दी करदाताओं के झर्वें से उदू माध्यम का अलग प्रबंध करना पड़ेगा ।

था, पूछा कि तुम यहाँ रहेगे या पाकिस्तान जाओगे ? उसने कहा, हम तो यहाँ रहेगे, पाकिस्तान में रोजगार जमाने के लिये स्थपया कहाँ से लावें ? लेखक ने कहा कि इसमें कठिनता नहीं होगी क्योंकि पाकिस्तान में व्यापारियों और कारीगरों की कमी है। उसने जवाब दिया कि हाँ साहब, यह तो ठीक है कि बड़े बड़े शहर सब निकल गये। यह एक गगेब, अपढ़ मुसलमान की मनोवृत्ति है जो स्वयं कहता है कि मुझे यहाँ रहना है ! वह दिल में अपने को यहाँ का नहीं बरन् पाकिस्तान का नागरिक मानता है, और उसकी सहानुभूति, प्रेम तथा देशभक्ति पाकिस्तान के साथ हैं। लेखक ने उससे फिर पूछा, तो फिर जिज्ञा साहब ने पाकिस्तान लिया क्यों ? उसका उत्तर सुनकर लेखक तो स्तम्भित रह गया। उसने कहा, बल्कि यो कहिये उसके मुँह से वेसाख्ता निकल गया, हमें तो पूरे हिन्दुस्तान पर कब्जा करना है ! प्रश्न होता है कि इस मुसलमान की मनोवृत्ति में अन्तर क्या आप उद्दू माध्यम का प्रबन्ध करके डाल सकते हैं ? कदापि नहीं। वह तो बेबल उसकी महत्वाकान्त्रियों को और प्रबल करने में, उसे अपने को अन्य प्रान्त-वासियों से पृथक अनुभव कराने में, देश के बिरुद्ध पट्ट्यन्त्र रचाने में और पाकिस्तान से चलने वाले सकें और कुचकों को सफलीभूत कराने में सहायक होगा। उद्दू माध्यम वाले स्कूल और कालेज (अर्थात् उद्दू माध्यम वाले क्लास) फिफ्थ कालम वालों के स्रोत, उनके शिक्षा-ग्रह, उनके अड्डे और दिमाग बन जायेंगे। उद्दू माध्यम का प्रबन्ध करना अपने हाथ में अपने पेर में कुल्हाही मारना होगा। अगर हम इन मुसलमानों को अपने में मिलाना और खपाना चाहते हैं और अगर हम चाहते हैं कि हिन्दी प्रान्तों का जीवन साम्रदायिकता और द्वैत से मुक्त हो जाय, तो उसका एक ही उपाय है—प्रान्त भर के लिये, सबके लिये केवल हिन्दी माध्यम स्वीकृत किया जाय। इसी प्रकार प्रान्त में राष्ट्रीय और एकरस जीवन का निर्माण हो सकता है, एकता की नींव इसी आधार पर रखी जा सकती है, इसी प्रकार प्रान्त

दो-दो भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाने के हुष्परिणाम, अनन्त खेड़े, परेशानियों और किलूल खर्च में बच सकता है, इसी प्रकार हिन्दी और हिन्दी सस्कृति की शुद्धता की रक्षा हो सकती है, इसी प्रकार हिन्दी अपने अपने प्रदेश में अखण्ड राज्य करने वाली प्रान्तीय भाषाओं की भाँति अवाध उन्नति कर सकती है, और इसी प्रकार हिन्दी प्रान्त अन्य एकभाषा-भाषी प्रान्तों की भाँति उन्नति कर सकते हैं। विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं। शहरों में रहने वाले थोड़े से मुसलमान। (और थोड़े से हिन्दुओं) के कागज हिन्दी प्रान्तों का भविष्य नहीं विगड़ा जा सकता और हिंदू करदाताओं का रूपया नहीं लुटारा जा सकता। अल्पसंख्यकों के साथ न्याय अथवा उनके धर्म और सस्कृति को रक्षा का अर्थ यह नहीं है कि प्रान्त का जीवन दो टूक कर दिया जाय और प्रान्त के लिये असीम कठिनाइयाँ पेदा कर दी जायें। हिन्दी प्रान्तों में मुसलमानों को सस्कृति और भाषा (उनकी मातृ-भाषा क्या है !) की रक्षा का अर्थ यहो हा भक्ता है कि पाठ्य-क्रम में उर्दू वैकल्पिक विषय रहे ताकि जो विद्यार्थी चाहे वह उर्दू भाषा और साहित्य का विषय ले सके। अधिक में अधिक यह हा सकता है कि विशेष परिस्थितियों म, जैसे एक स्कूल में एक निश्चित अनुपात से अधिक सख्त्या में विद्यार्थियों के माँगने पर, प्राथमिक शिक्षा उर्दू के माध्यम से भी देने की सुविधा दे दी जाय (यह सुविधा भी तभी दी जा सकती है जब पाकिस्तान में हिन्दी वालों को हिन्दी के माध्यम में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा दी जाय)। पाकिस्तान की सरकार भी, यह अल्पसंख्यकों के प्रति वहुत उदार हुई और उसने उनकी सस्कृति की रक्षा करने के विषय में टिक्के हुये अपने आज्ञायनों को पूरा किया तो, वह नै हठ यह करेगा कि पाठ्य-क्रम में हिन्दी भाषा और साहित्य का विषय वैकल्पिक विषय के रूप में रख देगी, परन्तु वहाँ शिक्षा का माध्यम उर्दू ही होगा। अलीगढ़ विश्वविद्यालय के वाहस-चामलर हा० जियाउद्दीन (जिन्हें पाकिस्तान सरकार ने ऐसे मुसलमान

इ जीनियरों, मुसलमान वैज्ञानिकों और अन्य मुसलमान टेक्निकल व्यक्तियों की सूची बनाने का काम सौंपा है जो पाकिस्तान की सेवा करने को तैयार है) ने स्पष्टता घोषित कर दिया है कि पाकिस्तान के सब विश्वविद्यालयों (अर्थात् ढाका विश्वविद्यालय का भी) की शिक्षा का माध्यम उदूँ होगा, और यह भी कहा है कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय का भी माध्यम उदूँ होगा । सिन्ध के शिक्षा-मंत्री ने बताया है कि कराची विश्वविद्यालय की शिक्षा का माध्यम तो उदूँ होगा हो, सिन्ध में, और पाकिस्तान भर में, माध्यमिक शिक्षा का भी माध्यम उदूँ होगा और उदूँ का विपय प्राथमिक स्टेज से ही सबके लिये अनिवार्य होगा, अलवत्ता प्राथमिक शिक्षा मातृ-भाषा के माध्यम से टी जायगी (यह देखना बाकी है कि प्राथमिक शिक्षा के लिये ही हिन्दी भी माध्यम के रूप में स्वीकृत की जाती है या नहीं) । सिन्ध सरकार ने हिन्दुओं की शिक्षा-संस्थाओं को, जो सभव था हिन्दी को शिक्षा का माध्यम बनाती, स्पष्ट धमकी दी है कि यदि उन्होंने माध्यम के विपय में सरकारी नीति का अनुकरण न किया तो सरकारी मदद विलकुल बन्द कर दी जायगी, और यह भी घोषित कर दिया गया है कि सिन्ध की जो भी शिक्षा संस्था, चाहे उसे सरकार एक पैसे की भी मदद न देती हो, कराची विश्वविद्यालय से अपना सम्बन्ध नहीं जोडेगी, (अर्थात् जो उदूँ को शिक्षा का माध्यम नहीं बनावेगी), उसे सरकारी स्वीकृति (recognition) प्राप्त नहीं होगी । यहाँ यह बताना जरूरी है कि पाकिस्तान ने उच्च शिक्षा का माध्यम केवल एक रखकर अनुचित नहीं किया है । सभी उन्नति-शील और प्रजातात्त्विक देशों में जहाँ एक अत्यस्तुत दल को खुश करने के लिये उसके साथ विशेष व्यवहार करना और उसे भिर पर चैटाना राष्ट्रीयता नहीं समझा जाता, ऐसा ही होता है । अमरीका की 'ही मिसाल दी जा सकती है, जहाँ जर्मन, डच, फ्रांसीसी, अँगरेज़ आदि सभी नागरिकों की शिक्षा का माध्यम केवल एक, अँगरेजी, है । राष्ट्रीय

जीवन का निर्माण और गढ़ वा निर्माण इसी प्रकार होता है, और आधुनिक युग में किसी देश में या दिमी प्रान्त या शासन न्यून (administrative area) में उच्च शिक्षा का काम, पंजानिक और टेक्निकल अनुसंधान, पंजानिक, टेक्निकल और वैदिक उन्नति तथा अन्य आधुनिक आवश्यकताओं को पूर्ण इसी प्रकार हा नहीं है। किंतु, यदि इम आज हिन्दी प्रान्तों में सुमलमानों के लिये उद्दृ भावम स्वीकृत कर लेते हैं, तो क्या कल हमें नरकारी वर्च पर ही प्रान्त में वस हुये वगालियों के लिये बैंगला मायम, पजाविया और भिसों के लिये पंजाबी माव्यम, ग्राहि स्वीकृत नहीं करने पड़ेंग ? इसका अन्त कहाँ होगा ? हिन्दुस्थान के किन दूसरे प्रान्तों में ऐसा भर्मला पाना जायगा (पाकिस्तान में तो नहीं पाला जायगा हा) ? वह उदारता, ग्राहि का सपाल नहीं है। यह व्याख्यारिकता, राष्ट्रीयता और आत्म-रक्षा का नयाल है। व्याख्यारिकता और राष्ट्रीयता की बात पहले कही जा चुकी है। ग्रात्म-रक्षा के विषय में दूर न जाकर अपने पटोसी पाकिस्तान तर नजर डालना काफी है। अभी हाल में (८ जूलाई, १९४७) श्री क० मा० मुश्ही ने एक सार्वजनिक सभा में एक भाषण करने हुये कहा, “—For the sake of a worn-out and discredited nationalism of yesterday we cannot sacrifice homogeneity, otherwise we shall not be able to withstand the religious nationalism of a neighbouring nation” ये शब्द बार बार पिचार करने योग्य हैं। ‘Homogeneity (एकरसता) के लिये सबने अधिक आवश्यक है शिक्षा के माव्यम का एक ही होना। स्पाद है, जिस परिस्थिति में सयुक्त-प्रान्त की पिछली काग्रेसी सरकार द्वारा बेठाई हुई नरेन्द्रटेव बमेटी ने सयुक्त-प्रान्त के लिये हिन्दी और उद्दू दो माव्यमों की सिफारिश की थी (अन्य हिन्दी प्रान्तों में भी इसी सिफारिश पर चला जाता), अब वह नहीं

रही। इस सिफारिश को मानना अव्यावहारिक और राष्ट्र-धानक और प्रान्त-धानक तो होगा ही, आज की परिस्थिति में आत्म-हत्या होगा।

हिन्दी प्रान्तों में शिक्षा के माध्यम के प्रसग में एक और बात ध्यान देने योग्य है। हिन्दी और उदूँ दोनों के शिक्षा के माध्यम स्वीकृत होने के बाद स्वाभाविकतया यह माँग पेश की जायगी कि हिन्दी और उदूँ दोनों प्रान्त की राज-भाषा, कचहरियों, दफ्तरों की भाषा, आदि के रूप में स्वीकृत की जायें। इससे कितनी कठिनाइयाँ उत्पन्न होगी, इसका सहज में अनुमान किया जा सकता है। प्रान्त का काम चलना असम्भव-प्राय हो जायगा (क्योंकि आडे आने के लिये आज की भाँति अँगरेजी तो होगी नहीं)। इसके बरकरास यदि हिन्दी प्रान्तों में हमें केवल हिन्दी को राजभाषा, कचहरियों, दफ्तरों, असेम्बली, आदि की भाषा बनाना है (सयुक्त-प्रान्त की सरकार ने तो यह निर्णय कर भी लिया है), तो इसकी एक कारोलरी यह है कि हिन्दी प्रान्तों में माध्यमिक और उच्च शिक्षा का माध्यम केवल हिन्दी हो, क्योंकि तभी राजकार्य चल सकता है, कचहरियों, दफ्तरों आदि के लिये योग्य कर्मचारी, कलर्क आदि (हिन्दू और मुसलमान) मिल सकते हैं और प्रान्त के जीवन में सब समान रूप से भाग ले सकते हैं। यदि सबकी माध्यमिक और उच्च शिक्षा का माध्यम हिन्दी को न भी बनाया गया, तो कम से कम हिन्दी भाषा का विषय तो सबके लिये आरम से ही अनिवार्य करना ही पड़ेगा। फिर माध्यमिक स्टेज में पहुँच कर सबको हिन्दों के माध्यम से ही शिक्षा क्यों न दी जाय? उसमें क्या कठिनाई होगी? वहाँ उदूँ को अलग माध्यम बनाकर अनन्त परेशानियाँ और कठिनाइयाँ क्यों मोल ली जायें? एक बात और है। हिन्दी हिन्दुस्थान की राष्ट्र-भाषा होने जा रही है। इस नाते भी हिन्दी का महत्व कम न होगा। देश भर से सबके लिये हिन्दों भाषा का विषय अनिवार्य होगा (जिस प्रकार आज अँगरेजी का विषय अनिवार्य है)। देश का सब केन्द्रीय काम और अन्तर्प्रान्तीय

व्यवहार हिन्दी में होंगा। अन्तः सोचना तो यह है कि सब प्रान्तों में हिन्दी का उच्च गिना का माध्यम बनाना कहाँ तक वाघनीय और आवश्यक है। एक ही प्रत्यक्ष म उच्च शिक्षा के दो माध्यमों के होने की तो कल्पना ही नहीं की जा सकती।

अन्त में एक बात और स्पष्ट करने की आवश्यकता मालूम होती है। शायद यह कहा जाय कि 'हिन्दुस्तानी' नाम रहने दिया जाय, वह होगी हिन्दी ही। पर इसकी आवश्यकता ? यह तो हट ढंग की कमज़ोरी का प्रदर्शन और धोखा देना होगा। हिन्दी के लिये 'हिन्दुस्तानी' नाम कभी स्वीकृत नहीं किया जा सकता। कारण ऐतिहासिक और साहित्यिक दोनों हैं। कोई कारण नहीं यह नाम परिवर्तन क्यों किया जाय। पर, 'हिन्दुस्तानी' नाम रहने हिन्दी भाषा कभी आ ही नहीं सकती (शायद इसीलिये 'हिन्दुस्तानी' पर इतना जोर दिया जाना है)। चूंकि 'हिन्दुस्तानी' ब-जात-ए-न्युट कोई चीज नहीं, उसका कोई हृतिहास या निजी शानी नहीं, उसका अर्थ तो या हिन्दी+उदू^२ लगाया जायगा या हिन्दी+उदू^२। संयुक्त-प्रान्त में 'हिन्दुस्तानी' साहित्य की उन्नति के लिये स्वीकृत ५०,०००० के विद्युत में जो संग्रहालय बोगणा हुई है, उसमें नव्य सरकार ने 'हिन्दुस्तानी' का यह अर्थ लगाया है ('हिन्दी' और 'उदू' साफ साफ रक्खी गई हैं और हिन्दी+उदू^२ के लिये

"—and what is recognised as Hindustani" कह कर गुजाइश रक्खी गई है)। और फिर लिपि के सामले में तो 'हिन्दुस्तानी' का अर्थ अवश्य ही देवनागरी+फ़ारसी लिपि लगाया जायगा। यह सब अब नितान्त असह्य है। हिन्दुस्तानी-चाट के साथ साथ अब 'हिन्दुस्तानी' नाम का भी सर्वथा अन्त हो जाना चाहिये।

गज्जेप मे—

(?) हिन्दी प्रान्तों की भाषा-समस्या (जो जवरठस्ती पेदा की गई है)

और लिपि-समस्या (जो 'हिन्दुस्तानी' के भग्नेले के बाट भी ज्यों की त्यो रहती है) का एक मात्र व्यावहारिक और राष्ट्रीय हल, तथा देश के चिभाजन से उत्तन्न होने वाली परिस्थिति का तकाजा यह है कि हिन्दी प्रान्तों में माध्यमिक और उच्च शिक्षा का माध्यम केवल हिन्दी होनी चाहिये। जो गैर-सरकारी शिक्षा-संस्था ऐसा करना स्वीकार न करे, उसे न सरकार मदद दे और न उसे सरकार स्वीकृत (recognise) करे।

(२) माध्यमिक स्टेज से हिन्दी के शिक्षा का माध्यम होने का अर्थ है कि हिन्दी भाषा का विषय प्राथमिक (primary) स्टेज से ही सबके लिये अनिवार्य हो (अन्यथा माध्यमिक स्टेज में हिन्दी के माध्यम से शिक्षा कैसे दी जायगी?), और कम से कम माध्यमिक स्टेज के अन्त तक (आजकल के इन्टरमीजिएट तक) सबके लिये अनिवार्य रहे, और तदपुरान्त आजकल की 'जेनरल इंग्लिश' का भौति 'साधारण हिन्दी' का विषय सब के लिये अनिवार्य हो।

(३) विशेष परिस्थितियों में प्राथमिक शिक्षा के लिये उदूँ, बैंगला, आदि के माध्यम का भी प्रबन्ध किया जा सकता है। परन्तु हिन्दी भाषा का विषय फिर भी सबके लिये अनिवार्य होगा। अवश्य ही यह उदूँ, बैंगला, आदि के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों पर एक अतिरिक्त बोझा होगा, और परिणामस्वरूप अधिक से अधिक विद्यार्थी हिन्दी माध्यम से ही प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करना चाहेंगे। यह बाल्यनीय है।

(४) उदूँ भाषा और सहित्य का विषय माध्यमिक स्टेज से वैकल्पिक विषयों को सूची में रखवा जाय। बैंगला, पंजाबी या अन्य प्रान्तीय भाषाये भी माध्यमिक स्टेज से वैकल्पिक विषयों की सूची में रखवी जायें।

(५) रेडियो के स्कूली प्रोग्राम, शिक्षा-फिल्म, आदि सब 'हिन्दी' में हो और वर्तें।

(६) आजकल सयुक्त-ग्रात में ऐंगलो-चर्नाक्यूलर स्कूलों में छात्रों के लिये

आठर्थी कहा तक हिन्दो और उर्दू दोनों पढ़ने की, और अध्यापकों के लिये हिन्दी और उर्दू दोनों की विभागीय परीक्षाएँ पास करने की जो अनियार्थना है यह तुरन्त हट जानी चाहिये। वह हिन्दी बालों के माथ नगमर अन्याम है। हिन्दी प्रातों में कुछ लड़के उर्दू पढ़ते हैं, यह हिन्दी बालों का कसर नहीं है जिसके दस्तस्तप उन पर (यहाँ तक कि हिन्दी बालिकाओं पर भी) उर्दू का भी बोझ डाला जाय। इसी दृमर्ज प्रान्त में ऐसा नहीं होता (यहाँ तक कि पजाव में उर्दू लेने वालों पर यहाँ की अमिश्य मानृभाषा पचावी का भी बोझ नहीं डाला जाता)। जब उर्दू प्रातों में उर्दू बालों के लिये हिन्दी अनियार्थ नहीं है, तब हिन्दी प्रातों में हिन्दी बालों के लिये उर्दू अनियार्थ करके उर्दू का अनर्गत प्रचार नहीं किया जा सकता। पहले (अर्थात् जब गजदर्वार में उर्दू का बोजवाला था) उर्दू की चाहे जो ग्रामश्यकता रही हो, अब हिन्दी प्रातों में हिन्दी बालों को उर्दू की फोड़ आवश्यकता भी नहीं रह गई। हिन्दी राष्ट्रभाषा है अत मवको पढ़ना पड़ेगी और मवको कामन भाषा होगी। हिन्दी प्रातों में हिन्दी गजभाषा, शिक्षा का माध्यम, आदि और इस कारण सबके लिये अनियार्थ विषय और सबकी कामन भाषा होगी ही। उर्दू बालों को हिन्दी पढ़नी पड़ेगी, हिन्दी बालों को उर्दू नहीं पढ़नी पड़ेगी। हिन्दी बाले अपनी बच्ची हुई शक्ति अन्य विषयों में क्यों न लगाएँ? और शिक्षा का मा यम हिन्दी होने पर अध्यापकों के लिये हिन्दी और उर्दू दोनों की विभागीय परीक्षाएँ पास करने की कोड़ आवश्यकता ही नहीं रह जाती।

(७) हिन्दुस्तानी-वाद और 'हिन्दुस्तानी' नाम का तुरन्त अन्त हो जाना चाहिये। लखनऊ और पटना चिश्वरियालय तुरन्त अपना पारसाल बाला निर्णय बदलकर देवनागरी में हिन्दी को शिक्षा का माध्यम बनाने की घोषणा करें। स्कूलों से 'हिन्दुस्तानी बोलचाल', 'महमूद नीरीज', 'राजेन्द्र सीरीज', आदि की 'हिन्दुस्तानी' की पुस्तकों का विलक्षण विष्कार हो जाना

चाहिये। 'एंग्लो-हिन्दुस्तानी' स्कूलों का नामकरण 'एंग्लो-हिन्दी स्कूल' और अँगरेजी के हटने पर 'हिन्दी स्कूल' होना चाहिए। स युक्त-प्रान्त की 'वर्ना-क्युलर' सब जगह 'हिन्दी' लिखी व बताई जाय, 'हिन्दुस्तानी' नहीं। सयुक्त-प्रान्त की सरकार को अपना वह आर्डर बापस ले लेना चाहिये जिसमें सयुक्त-प्रान्त की 'वर्नाक्युलर' को 'हिन्दुस्तानी' नाम से पुकारने का आदेश दिया गया है, और 'हिन्दुस्तानी' साहित्य की उन्नति के लिए स्वीकृत ५०,०००) हिन्दी साहित्य की उन्नति के लिए दे देना चाहिये। अच्छा हो यदि सयुक्त-प्रान्त का नाम हिन्द-प्रान्त या हिन्द रखा जाय।

(d) इस पर विचार किया जाय कि देश भर में उच्च शिक्षा अर्थात् विश्वविद्यालयों की शिक्षा का माध्यम केवल एक (जो हिन्दी ही होगी) होना कहों तक वाढ़नीय, आवश्यक और व्यावहारिक है। यह नहीं भूलना चाहिये कि अमरीका और रूस में ऐसा ही है और पाकिस्तान में भी ऐसा ही होगा। कम से कम यह तो नितान्त आवश्यक है कि देश भर में विज्ञान तथा अन्य विषयों की उच्च पारिभाषिक शब्दावली एक ही और कामन हो। यह शब्दावली हिन्दी की ही हो सकती है। इसके निर्माण में नेतृत्व हिन्दी वालों को ही ग्रहण करना है। इस विषय में लाहौर की इश्टरनेशनल एकाडेमी आफ इण्डियन कलेज के अन्तर्गत डॉक्टर रघुवीर का कार्य अत्यन्त सहायक सिद्ध होगा। सयुक्त-प्रान्त के शिक्षा-मन्त्री को चाहिये कि वे अपनी पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण में केवल पटना, दिल्ली और सौगोर विश्वविद्यालयों का ही नहीं बरन् देश के सब विश्वविद्यालयों का सहयोग प्राप्त करें ताकि देश भर के लिए एक सर्वसम्मत, कामन शब्दावली का निर्माण हो सके। यह शब्दावली देश भर के विश्वविद्यालयों में हिन्दी को शिक्षा का माध्यम स्वीकृत कराने की ओर पहला कदम होगी। इस काम में केन्द्रीय सरकार को भी हाथ बैठाना चाहिए।

उत्तर—परिशिष्ट १

रोमन लिपि का जयजयकार

(लेखक—रविशंकर शुक्ल)

हिन्दुस्तानी-चाद पर हषिपात करते हुए प्रसिद्ध भाषा-वेत्ता छां सुनीति कुमार चट्ठी ने एक बार कहा था, “गांधी जी के ‘दोनों लिपि’-चाद के परिणाम-स्वरूप वेचल रोमन लिपि वा जयजयकार होने वाला है।” मालूम पड़ता है कि उनकी भविष्यवाणी सत्य होने जा रही है। इन पक्षियों का लेखक पाठकों का ध्यान दो बातों की ओर प्रभुख रूप से खींचना चाहता है—पाठक सब्य उनसे निष्कर्ष निकाल लें।

. १

यह सबको मालूम है कि हमारी वर्तमान ‘राष्ट्रीय’ सरकार में मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा सदस्य हैं। इस निरक्षर देश की केन्द्रीय सरकार में शिक्षा सदस्य का पद सेभालने के बाद मौलाना साहब को जो सबसे पहला और सदसे आवश्यक काम जँचा है वह है रोमन लिपि का प्रचार। १८ फरवरी, १९४७ को एक प्रेस कान्फ्रेन्स में उन्होंने रोमन लिपि की जोरदार बालत की। इन पक्षियों के लेखक से न रहा गया। उसने यह अनुभव करते हुए मी कि नकारखाने में तृती की कोई नहीं सुनेगा, मौलाना आजाद को एक पत्र लिखा। मौलाना आजाद कितने पानी में हैं, रोमन लिपि के विषय में उनके क्या विचार हैं और उनका क्या कार्यक्रम है, और सत्य क्या है तथा उसकी किस प्रकार हत्या की जा रही है, यह सब उस पत्र व्यवहार से भली भाँति स्पष्ट हो जाता है जो वर्तमान लेखक और केन्द्रीय

शिक्षा-विभग के वीच में हुआ। मुख्य पत्रों का सारांश नीचे दिया जाए। १

(१) लेखक का गीलाना आजार को पत्र, ता० २२-२४७

“प्रिय गीलाना साहब,

आप की जमी वोधता के व्यक्ति के मुँह से रोमन लिपि की मुकालव ,
सुन रर मुझे मष्टन् ग्राश्चर्य हुआ। रोमन लिपि में ‘हिन्दुस्तानी’ अवैज्ञानिक
कितनी सरलता ने सीधी जा सकती है, इस गिरावं में आपने जो हृष्ट रहा
वह उद्दू लिपि के मुकालव में सत्य हो चकता है, परन्तु देवनागरी, जो सभार
की सबसे अधिक वैज्ञानिक और पूर्ण लिपि है, वे मुकालव में नहीं। यदि
‘हिन्दुस्तानी’ रोमन लिपि गे तीन से लेन्डर हैं मटीने व सत्ती जा सकती है
तो वह देवनागरी ने इससे आवे समाप्त ने ही सीखी वा युक्ती है। यदि
आप अपने गोरे सलाहकारों की मलाई पर विश्वास बरने के बजाय गण्डू-
भाषा प्रचार समिति, वर्धा, जो देवनागरी में हिन्दुस्तानी का प्रचार रखी है,
की रिपोर्ट पर दृष्टिपात करने का कष्ट करें तो आपको मालूम हो जायगा
कि देवनागरी में हिन्दुस्तानी चीज़ने में अहिन्दी जनता का किसी आपानी
होनी है। इसमें आश्चर्य करने की भी कोई वात नहीं। ” हमें आया
तो वह यी कि बिदेशी, अपूर्ण और अवैज्ञानिक रोमन लिपि को बढ़ावा देने
के बजाय आप प्रथम राष्ट्रीय सरकार के प्रथम शिक्षा मंदस्य ने नाते भारतीय
जनता के प्रति उस अन्याय को दूर करने के लिये कृदग्म उठायेंगे जो नक्षा-
विभाग ने भारतीय सेना पर गम्भीर लिपि लाद कर किया है, और रोमन
लिपि को निकाल कर त्वदेशी, पूर्ण और वैज्ञानिक लिपि देवनागरी की
प्रतिष्ठा करेंगे। आपको यह भी मालूम होगा कि महात्मा गांधी और
प० नेहरू ने खुले और स्पष्ट शब्द में भारतीय भाषाओं के लिये रोमन
लिपि का कहा चिरोऽ किया है। उद्दू लिपि को माँति रोमन लिपि भी
धिदेशी है और इस कारण स्वाभाविकतया भारतीय भाषाओं के लिये

ज्यह सब पन्न-च्यवहार और गोली में हुआ था।

अनुपयुक्त है और भारतीय ध्वनियों को प्रकट करने में असमर्थ है। हम राष्ट्र के ऊपर एक और विदेशी लिपि लादे जाने का तीव्र विरोध करते हैं।

हम देवनागरी के साथ साथ उदू' लिपि के अनिवार्य रूप से ढौमे जाने के भी विरुद्ध हैं, क्योंकि वह बिलकुल अनावश्यक है और समय तथा शक्ति के अपन्यय का कारण है। जब आप कम से कम समय में हिन्दुस्तानी सीखने पर इतना जोर देते हैं, और ठीक ही जोर देते हैं, तब आप किस मुँह से अनिवार्यतः दो लिपियों के सीखने के लिये कहते हैं, जब जरूरत केवल एक ही लिपि की है? मुझे यहाँ सैयद अली बिलग्रामी सदृश्य मुसलमान चिन्हानों के मत को दोहराने की जरूरत नहीं जिन्होंने कहा है कि उदू' लिपि की त्रुटियाँ स्वयं उदू' के प्रचार में सबसे बड़ी बाधा हैं। ... अबल की वात यह है कि उदू' के लिये देवनागरी स्थीकृत कर ली जाय, न कि यह कि देश पर रोमन लिपि लादी जाय। जो भी हो, यह अच्छा मजाक है कि पहले तो खुद एक अनावश्यक और वेकार लिपि, जो दुर्भाग्यवश अत्यन्त दूरूह और कष्ट-साध्य भी है, साथ लगा कर हिन्दुस्तानी का सीखना जानबूझ कर कठिन कर दिया जाय और फिर 'सुलभता' 'सरलता', 'कम समय' आदि की दलालें पेश करके रोमन लिपि की बकालत की जाय !

आपने सेना की 'रोमन उदू' को 'रोमन हिन्दुस्तानी' कह कर जनता को भ्रम में डालने का जो प्रयत्न किया है, हम उसका भी कड़ा विरोध करते हैं। राष्ट्र-भाषा के रूप में गाघो जी तथा काग्रेस जिस हिन्दुस्तानी का समर्थन करते हैं वह और उदू' एक ही चीज नहीं हैं। और यह सबका एक जमाने से मालूम है कि सेना की भाषा रोमन उदू' है, और सरकारी तौर से भी अर्भा तक इसी नाम का प्रयोग किया गया है। सेना की 'उदू' को निकाल कर सच्चा हिन्दुस्तानी को प्रतष्ठा करना है और तभी वह 'हिन्दुस्तानी' कहलाने की अधिकारिणी होगी।

(२) मौलाना आजाद के प्राइवेट सेक्रेटेरी श्री ई. वस. ब्रह्ममूर्ति
का लेखक को पत्र, ता० १-३-४७

इस पत्र को सम्पूर्ण रूप में और मूल अँगरेजी में देना ठीक होगा,
क्योंकि समव है अनुवाद म चाहित अर्थ और घनि में अन्तर पड़ जायः—

“Dear Sir,

Please refer to your letter dated the 22nd Feb.
1947, addressed to the Hon'ble Member incharge
of this Deptt. regarding the adoption of the Roman
script for Hindustani. I believe you have not gone
through the proceedings of the Press Conference
held by the Hon'ble Member on the 18-2-47, for
there you will find that the Hon'ble Member ex-
pressed the opinion that it is desirable that every
Indian should learn both Devnagri and Urdu scripts.
But during the War almost two millions of soldiers
were made literate by the Army through the use
of the Roman script and their experience showed
that they could acquire working knowledge of
Hindustani in about three to six months' time.
There is a feeling that this would have been impossi-
ble to achieve if the Devnagri or the Urdu script
had been used Roman has thus solved the pro-
blem of finding alternative scripts for men of differ-
ent provinces and if these men who have been made

literate during their service in the Army are not to lapse into illiteracy, they must be provided with suitable literature in Roman Hindustani. It will take time for every person to learn both Devnagri and Urdu scripts and till this is achieved, it would be worth considering whether the use of Roman as a supplementary script may not be a temporary expedient. There are millions of Bengalees, Madrasis, Oriyas, Assamese and men speaking other languages who can understand Hindustani and pick it up quickly but for the impediment in their progress because of the script. It is the case of these people that Hon'ble Member had in mind when he referred to the use of the Roman script for Hindustani."

(चाक्य रेखाक्रित लेखक ने किये हैं)

(३) लेखक का श्री टी. यस. कृष्णमूर्ति को पत्र, ता० ६-३-४७

प्रिय महोदय,

आपका १-३-४७ का पत्र मिला। धन्यवाद। अपना पत्र लिखने से पूर्व मैंने १८-२-४७ की प्रेस कान्फ्रेन्स का विवरण भली माँति पढ़ लिया था। आपको मेरे पिछले पत्र में उन सब तक्कों का उत्तर मिलेगा जो माननीय शिक्षा-सदस्य ने रोमन लिपि के पक्ष में उपस्थित किये थे और जिन्हे आपने अपने पत्र में दोहराया है।

मैनिकों के लाभार्थ अस्थायी रूप में रोमन लिपि को प्रयुक्त करने के अतिरिक्त और उसमें विलकुल अलग शिक्षा-सदस्य रोमन लिपि को बटाना

देना और उसे स्थायी स्वयं ने हिन्दुलाली के लिये अपनाना चाहते हैं, इस प्रियम में यदि कुछ गम्भैर्य या भी तो यह प्राप्तके पत्र के इन शब्दों से मिट गया है, “...There is a feeling.....provinces.” और “....There are millions ofuse of the Roman script for Hindustani.” इन महत्वों वा उत्तर देना चलती है।

यह भावना कि देखनागरी द्वारा ग्रनिकों वो हिन्दुलाली वी वाम चलाइ शिक्षा तीन से लेकर है नहींने ने देना समझ न होना, ग्रामके विभाग और सेना-विभाग के वेतन-भोगी कर्मचारियों वी है, देश की नहीं और न यह सत्य पर आधारित है। रोमनलिपि के मुफादले देखनागरी वी उत्कृष्टता की पारचात्य विद्वानों ने भी सर्व बाग है। हमें यह देन वर दुन दोना है कि पहली राष्ट्रीय सरकार का शिक्षा नदस्त जिसे इस शुद्ध, स्पष्टेशी वस्तु की उत्कृष्टता, जिने विदेशियों ने भी माना है, पर गर्व होना चाहिये या, रोमन लिपि का गुणगान करता है और उसे देखनागरी ने उत्तम दताता है। वह आश्चर्य वी वात है कि माननीय शिक्षा-सदस्य ने देखनागरी को विना गोका दिये और उसकी अपेक्षाकृत उत्कृष्टता वा निवृष्टता वी अमल में पालन में जोच किये विना ही अपने वेतन-भोगी अफसरों वा भत मान लिया। वे लड़ाइ के समय में तीन चार घण्टों में अर्जित मेना-विभाग के ‘experience’ की वात करते हैं, परन्तु यह भूल जाते हैं कि देश में जो गैर-सरकारी सत्यायें देखनागरी में हिन्दी या हिन्दुस्तानी का प्रचार कर रही हैं, विशेषरूप में अखिल मारनीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन और दक्षिण भारत हिन्दुस्तानी प्रचार समा जिसे गांधीजी ने इसी उद्देश्य ने २५ वर्ष पूर्व स्थापित किया था, उनका भत है कि यदि उन्होंने देखनागरी के बजाय विच्छी दूसरी लिपि ते काम लिया होता तो उन्हें इतनी अधिक उफलता कदापि न मिलती। यदि वे इन्हीं दो संस्थाओं की रिपोर्टों के आँकड़ों वो देखें, तो उनका भत बदल जाय। इन संस्थाओं के लिये ‘तीन से लेवर है नहींने’ से भी कम

समय में हिन्दुस्तानी की काम चलाऊ शिक्षा देना संभव हुआ है। जार्ज बर्नार्ड शा ने कहा है कि रोमन लिपि की अपूर्णता और त्रुटियों के कारण अँगरेजी सीखने में अँगरेज बच्चों का बहुत सा अमूल्य समय नष्ट होता है। फिर वह हिन्दुस्तानी जैसी एक भारतीय भाषा के लिये कितनी अपूर्ण, अपर्याप्त और अनुपयुक्त होगी, इसकी सहज में कल्पना की जा सकती है। काश, हम राजनीतिक दासता के साथ साथ सारकृतिक और मानसिक दासता से भी छुटकारा पा जाते !

विभिन्न प्रान्तों के लोगों के लिये एक कामन लिपि की समस्या को हल करने का काम एक विदेशी सरकार के शिक्षा-विभाग या सेना-विभाग के लिये नहीं छोड़ रखा गया था। इस समस्या को हल हुये हजारों वर्ष हुये—वह तभी हल हो गई जब ब्राह्मी लिपि का आविष्कार हुआ जिससे देवनागरी निकली है और जिसके विभिन्न रूपों में आज विभिन्न प्रान्तीय भाषायें लिखी जाती हैं। देवनागरी रोमनलिपि से अत्येक बात में वेवल उत्कृष्ट ही नहीं है, विभिन्न प्रान्तों के लोग उससे या उसके विभिन्न रूपों से पहले से ही परिचित हैं और इस कारण उन्हें देवनागरी सीखने में दिलकुल कठिनाई नहीं होती। रोमन लिपि पूर्णतया विदेशी है और उसका किसी भारतीय लिपि से कोई नाता, लगाव या साहश्य नहीं। लाखों बगाली, मढ़रासी, उड़िया, आसामी आदि जो हिन्दुस्तानी समझ लेते हैं, रोमन लिपि की अपेक्षा देवनागरी में लिखित हिन्दुस्तानी कहीं जल्दी और आसानी से सीख सकते हैं। यदि माननीय शिक्षा सदस्य का मतलब अँगरेजी पढ़े-लिखे लोगों से है, तो वे यह भी कह सकते हैं कि अँगरेजी ने विभिन्न प्रान्तों के लिये एक कामन भाषा की समस्या हल कर दी है। फिर वे हिन्दुस्तानी को ही क्यों नहीं निकाल देते? अँगरेजी के मुकाबले में हिन्दुस्तानी के पक्ष में जो कोई भी तर्क उपस्थित किया जा सकता है वह रोमन लिपि के मुकाबले में देवनागरी के पक्ष में और भी ज्यादा जोर के साथ उपस्थित किया जा सकता है।

जहाँ तक सैनिकों के लाभार्थ अस्थायी स्वर से रोमन लिपि के उपयोग का सम्बन्ध है, स्पष्टतः सेना के अधिकारियों ने देवनागरी जैसी अधिक उपयुक्त और वैज्ञानिक न्वेदेशी लिपि के होने हुए विंदेशी रोमन लिपि द्वारा सैनिकों को 'हिन्दुस्तानी' की शिक्षा देवर देश के साथ बहुत दर्जी ज्यादती की, यिंगे प्रथम से इसलिये कि देश में रोमन लिपि में वित्कुल हिन्दुस्तानी साहित्य नहीं था और न है, परन्तु देवनागरी में देरों पुगना और नवा साहित्य था और है। हमें प्रथम लोकप्रिय शिक्षा-सदस्य से आशा थी कि वह उस अन्याय को दूर करेगा, न कि यह कि वह उसे बनाये रखेगा और हिन्दुस्तानी के लिये रोमन लिपि के प्रयोग को और बढ़ावा देगा। इसके अतिरिक्त माननीय शिक्षा-सदस्य के तर्क सारहीन हैं। जिन सैनिकों ने रोमन लिपि और हिन्दुस्तानी भाषा दोनों तीन से लेकर छँड़ महीने में सीख लीं, वे देवनागरी दो महीने में बड़ी सरलता से सीख सकते हैं। क्या रोमन लिपि में हिन्दुस्तानी साहित्य के निर्माण में दो महीने से भी कम समय लगेगा? सैनिकों के लाभार्थ रोमन लिपि में हिन्दुस्तानी साहित्य के निर्माण में जो शक्ति और धन व्यय होगा उसका कहीं अधिक सहुपयोग सैनिकों को देवनागरी सिखाने में किया जा सकता है। स्पष्टतः उन्हें देवनागरी हिन्दुस्तानी की पाठ्य-पुस्तकों द्वारा ही सिखाई जायगी। इसलिये देवनागरी सीखते-सीखते तो उनकी साक्षरता लुप्त न हो जायगी। फिर वह साक्षरता किस काम की जिसे जीवित रखने के लिये इतने खर्चे पर, और वह भी आम करातारों के नर्चे पर, शिक्षा-विभाग को नित्य रोमन लिपि में नवा साहित्य प्रस्तुत करना पड़े? देश में तो रोमन लिपि में हिन्दुस्तानी साहित्य हुपता नहीं, और वह यिन्होंने सदस्य को मालूम है। जहाँ एक और रोमन लिपि में हिन्दुस्तानी साहित्य का निर्माण एक चक्र का रूप धारण कर लेगा, जिसे चालू रखने के लिये नित्य और रूपये की जरूरत पड़ेगी और इसलिये जो देश पर एक स्थायी दोभाव बनकर रह जायगा, वहाँ दूसरी और सैनिकों की

देवनागरी मात्र सिखाने के बाट शिक्षा-विभाग को और ध्यान देने की आवश्यकता न रह जायगी और इसलिये वह देश का स्थायी लाभ होगा। रोमन लिपि में हिन्दुस्तानी साहित्य सुलभ होने पर सैनिक किसी दूसरी लिपि सीखने के प्रति उदासीन भी हो जायेंगे और इसलिये रोमन लिपि में हिन्दुस्तानी साहित्य के निर्माण की सगत शिक्षा-सदस्य की इस इच्छा से नहीं बैठती कि सब हिन्दुस्तानी शीघ्र से शीघ्र देवनागरी और उर्दू लिपि सीख लें। फिर, सेना के बीस लाख सैनिक अब एक ही छत्र तले नहीं ह। उनमें में अधिकाश अलग किये जा चुके हैं और उन्होंने अन्य नागरिकों की भाँति विभिन्न नागरिक पेशे अखित्यार कर लिये हैं। स्वाभाविक रूप से अब उनका आकर्षण अपनी अपनी प्रान्तीय भाषा और साहित्य के प्रति है उन्हें अब रोमन लिपि में प्रकाशित सरकारी हिन्दुस्तानी साहित्य की पर्चाह नहीं, जो उन्हें केवल अपने सहनागरिकों से और देश में प्रचलित हिन्दुस्तानी साहित्य से भी दूर रखने में सहायक सिद्ध होगा। माननीय शिक्षा-सदस्य ने स्वयं कहा है कि 'लाखों बगाली, मद्रासी, आसामी, महाराष्ट्री ऐसे हैं जो हिन्दुस्तानी समझते हैं। उनकी साकृता जिस तरह भी हो उस तरह कायम रखने का सबाल ही नहीं उठता। केन्द्रीय शिक्षा-विभाग को चाहिए कि वह उन्हें देवनागरी सिखाने के लिये कदम उठाये। शेष सब अपने आप हो जायगा। यह रोमन लिपि में हिन्दुस्तानी साहित्य के निर्माण की अपेक्षा साकृता और हिन्दुस्तानी प्रचार की कहीं बड़ी, स्थायी और अत्यव्यय सापेक्ष सेवा होगी। जब हम भारत की भारती के लिये एक कामन लिपि के लद्दन को प्राप्त करने के लिये जी तोड़ प्रयत्न कर रहे हैं, अवश्य ही माननीय शिक्षा-सदस्य का यह इरादा नहीं हो सकता कि कृत्रिम उपायों से और जान वृभ कर एक तीसरी लिपि बुमेड कर—और वह भी करदाताओं के खर्चे पर—समस्या को और जटिल बना दिया जाय और हिन्दुस्तानी जानने वाली जनता तथा हिन्दुस्तानी साहित्य को तीन भागों में बॉट ठिया

जाय। किस लिपि को भारत की कामन लिपि का पद ग्राह्य करने के लिये प्रोत्साहन दिया जाय, इस विषय में रंच मान्न सन्देह नहीं हो सकता। वह लिपि देवनागरी है। कारणों को दोहराने की आवश्यकता नहीं।

सब भारतीयों के लिये दोनों लिपि सीखना क्यों चाहित है, इस प्रश्न का भी आपने अपने पत्र में कोई उत्तर नहीं दिया। जाहित तो प्रत्येक भारतीय के लिये भारत की सब लिपियाँ सीखना भी हो सकता है, परन्तु राष्ट्रमान्व के रूप में हिन्दुस्तानी के साथ दो लिपियाँ क्यों लगाई जायँ और हिन्दुस्तानी सीखने की इच्छा करने वाले प्रत्येक भारतीय से दो लिपियाँ सीखने के लिये क्यों कहा जाय, विशेषरूप ने तब चब समव के पहलू को इनना महत्व प्रदान किया जा रहा है और ठीक ही किया जा रहा है? इसके अतिरिक्त उर्दू लिपि जैसी लिपि के व्यवहार को बढ़ावा देना अन्य कारणों से भी अचाहित है। अदालतों की लिपि के प्रकरण में मानियर विलियम्स जैसे विद्वानों ने उर्दू लिपि के विषय में जो सम्मतियाँ दी हैं, उन्हे यहाँ दोहराने की आवश्यकता नहीं।

आपने अपने पत्र में मेरे इस प्रश्न का भी कोई उत्तर नहीं दिया कि माननीय शिक्षा-सदस्य ने सेना की उर्दू फो ‘हिन्दुस्तानी’ नाम से क्यों पुकारा। जैसा मैं अपने पिछले पत्र में कह चुका हूँ, सेना की उर्दू के लिये इस नाम का प्रयोग भ्रामक और घोखे में डालने चाला है और इसलिये तुरन्त बन्द हो जाना चाहिए।

अन्त में, शिक्षा सदस्य की रोमन लिपि की बकालत से देश में जो तीव्र क्षोभ उत्पन्न हुआ है उसे और राष्ट्रीयता, संस्कृति तथा उपयोगिता के दृष्टिकोण से इस मामले की महत्ता को देखते हुए मैं जोर दूँगा कि देश पर स्थाई रूप से अधिका अस्थाई रूप से रोमन लिपि लाठने की दिशा में कोई कदम उठाने से पूर्व देश के विद्वानों तथा नेताओं की सम्मति एवं अनुमति ली जाय।”

इस पत्र का अभी तक कोई उत्तर नहीं आया और न अब आने की आशा है। मौलाना आजाद के प्राइवेट सेक्रेटरी के पत्र (पत्र संख्या २) की एक नकल वर्तमान लेखक ने गांधीजी के पास भेजी थी। उनके पास से भी कोई उत्तर नहीं आया। आने भी क्यों लगा? अकेली देवनागरी न सुहाने के कारण राष्ट्र-लिपि के मामले पर गांधी जी सम्मेलन से त्याग-पत्र दे सकते हैं, और टड़न जी से युद्ध ठान सकते हैं, पर एक तीसरी चिदेशी लिपि के मामले पर मौलाना आजाद या डा. अब्दुल हक से युद्ध नहीं ठान सकते। राष्ट्र-लिपि के बने बनाये घर में, जिसे बनाने में स्वयं उनका हाथ कम नहीं था, 'दोनों लिपि' की फूट छालकर वे अब तटस्थ हो गये हैं, और दूर से बंदरवॉट का तमाशा देखने में सतुष्ट हैं।

२

यह सर्व-विदित है कि लखनऊ विश्वविद्यालय ने अँगरेजी माध्यम को बदल कर 'हिन्दुस्तानी' को शिक्षा का माध्यम बनाने का फैसला किया है। अन्य विश्वविद्यालय भी 'हिन्दुस्तानी' को बर रहे हैं। पता नहीं यह 'हिन्दुस्तानी' क्या है, परन्तु हमारे माननीय नेताओं को इसका मोह कुछ ऐसा लगा है कि लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रस्ताव में परिचित और अर्थ-युक्त शब्दों 'हिन्दी' और 'उदू' के बजाय 'हिन्दुस्तानी' धराने में स्वयं टंडन जी का बड़ा हाथ था। इससे जो होना था सो हो रहा है। अर्थात् एक ओर हिन्दी के एक अन्य प्रबल समर्थक श्री रूर्णानन्दजी 'हिन्दुस्तानी' की पारिभाषिक शब्दावली गढ़ने के लिये विश्वविद्यालयों के बाह्य-चासलरों की एक कानूनी संघीयता का आयोजन करके 'हिन्दुस्तानी' के पिछले इतिहास की पुनरावृत्ति कर रहे हैं, और दूसरी ओर लखनऊ विश्वविद्यालय के कोर्ट में शीघ्र ही यह प्रस्ताव पेश होने वाला है कि सब अध्यापकों के लिये हिन्दी और उदू दोनों का पूर्ण परिषिद्ध होना अनिवार्य होगा, और स्वाभाविकताः बाद को इस अभागे हिन्दू प्रात में जो होते हुये भी हिन्दुओं के

हाथ में नहीं है और हिन्दी का होते हुये भी हिन्दी का नहीं किमी 'हिन्दुस्तानी' का है, २४% सूसलमान छात्रों के कागण सब छात्रों के लिये भी यही शर्त लागू की जायगी। 'हिन्दुस्तानी' के भक्त 'हिन्दुस्तानी' माध्यम को किस प्रकार सिड़ करने का इगारा रखते हैं, इसे ल्होट कर अब जग घर्तमान पर दृष्टिपात कीजिये। मालूम हुआ है कि लाल्हनऊ विश्वविद्यालय में बहुत से दर्जों में 'हिन्दुस्तानी' में पढ़ाई आरम्भ हो गई है और उसका स्वरूप यह है— 'इन्स ने अब तक दो प्रोफ्रेस की है—', "अगर एक स्ट्रोट लाइन पर एक परपेन्डीकुलर फूर्ति किया जाय और सिक्कटी डिग्रीज़ का एंगिल बनाती हुई एक दूसरी लाइन खाली जाय—", "अगर एक मेटल के दो डिफरेन्ट ट्रेम्परेचर्स पर दो ढुकड़े मिलाये जायें तो एक बोल्टेज क्रियेट हो जाता है और इलेक्ट्रीसिटी की एक करेन्ट फ्लो होने लगती है—"; "हिन्दुस्तान की हिस्ट्री की जो किताबें इंडियन लैंगुएज़ में मिलती हैं या जो ट्रांसलेशन हुये हैं—", आदि, आदि। * अस्तु, हिन्दी की क्रियाओं के साथ किसी भी भाषा के शब्दों को प्रयुक्त करके 'हिन्दुस्तानी' का ढिढ़ोरा पीटना तो सभव था, परन्तु लिपि के मामले में क्या किया जाता अर्थात्

* ऐंग्लो-'हिन्दुस्तानी' स्कूलों में भी जहाँ 'हिन्दुस्तानी' को माध्यम हुये काफ़ी समय हो चुका है और जहाँ हिन्दी लेने वाले और उड़ौं लेने वाले विवादियों को एक साथ पृक ही रखने में 'हिन्दुस्तानी' के माध्यम से गणित, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, आदि विषय पढ़ाये जाते हैं, यही हाल है। यह 'ड़क्कलिस्तानी' का जयचयकार है! अध्यापकों को दोष देना बेकार है। 'हिन्दुस्तानी' की ठोरवी साथा में पढ़कर चेचारे क्या करें? 'हिन्दुस्तानी' कोई मंत्र तो है नहीं जिसे पढ़ने से हिन्दा और उड़ौं का अंतर छून्तर हो जायगा, परन्तु हिन्दुस्तानी वाले इस अत्तर को मानने को और उसे मान कर उचित व्यवस्था करने को तैयार नहीं। उनकी ज़िड़ का जो परिणाम हो गकता है वही हो रहा है। रेडियो की 'हिन्दुस्तानी' में भी 'ड़क्कलिस्तानी' की चाशनी कम नहीं।

ठंडे में किस लिपि मे पढ़ाया जाता ? इस भीषण कठिनाई का अनुभव 'हिन्दुस्तानी' वाली राष्ट्रीयता के ठेकेदारो ने भी किया, अतः लखनऊ विश्वविद्यालय के उसी प्रस्ताव में जिस में 'हिन्दुस्तानी' को माध्यम बनाना स्वीकार किया गया है, 'हिन्दुस्तानी' के लिये तीन लिपियाँ स्वीकार की गई हैं—देवनागरी, फारसी लिपि और रामन। और मालूम हुआ है कि इस समय लखनऊ विश्वविद्यालय में जितनी पढ़ाई 'हिन्दुस्तानी' में हो रही है, और जितना अन्य काम (जैसे विश्वविद्यालय के नोटिस, आज्ञा-पत्र, आदि) 'हिन्दुस्तानी' में हो रहा है, उस सब में अकेली और बेचल रोमन लिपि का प्रयोग हो रहा है। ऐसा होना अनिवार्य है। 'दोनों लिपि' वाद के रहते जो इस त्रितीय को बदलने की आशा रखता है उसे पहले मनव-प्रकृति द्वो बदलना पड़ेगा। जो लखनऊ विश्वविद्यालय में हो रहा है वही 'हिन्दुस्तानी' को माध्यम घोषित करके नाम लूटने वाले अन्य विश्वविद्यालयों में होगा। 'हिन्दुस्तानी' की यही हिन्दुस्तानी पोशाक होगी !

पाठ्डों का व्यान एक और तीसरी बात की आर भी खीचना उचित जान पृष्ठता है। बुळ दिन हुये (अडैल, १६४७), पत्रो में आया था कि विभान परिपद की अल्पसंख्यक-परामर्श समिति (Advisory Committee for Minorities) ने कच्ची तौर पर यह तथ किया है कि भारत की राष्ट्र-भाषा 'हिन्दुस्तानी' हो जो देवनागरी या फारसी लिपि में लिखी जाय, तथा इस पर यह सुभाष पेश किया गया है कि 'हिन्दुस्तानी' की लिपि रोमन हो क्योंकि 'इसे अभारतीयों को भारतीय मामले समझने में आसानी होगी', और समिति ने अभी तक इस सुभाष को पेश करने वाले कौन हैं। उनकी गय में भारतीयों की अपेक्षा अभारतीयों को भारतीय स्थानों समझना ज्यादा जरूरी है, और चाहे करोड़ों भारतीयों को एक नई विदेशी लिपि सीखना पड़े परन्तु थोड़े से विदेशियों को एक भारतीय

लिपि न सीधना पड़े। और किसी दूसरी बात का कोई महत्व नहीं। जो भी हो, लक्षणों से यही जान पड़ता है कि अबने 'दोनों लिपि'-बाट के काण्डा सम्बन्धित को या तो यह सुभाग मान सेगा परेगा, या रोमन लिपि को भी 'हिन्दुस्तानी' के लिये स्पीज़ा बना पाएगा। इस भी परिणाम देगा। यह सब क्यों न हो ! जिस दिन इस गढ़ का नवमे बदा देश नृका और उसने 'दोनों लिपि' की जिद परही, इस देश का राष्ट्रीयता ने सुन हो उसी दिन ने लग बदा। भीलाना आजाद ने अपना पर्वतमान पट नैयाजाने के बाद प्रान्तीय सरकारों को आदेश भेजे कि वे 'दोनों लिपियों' का अधिकार-धिक प्रचार करें। उन्हें मालूम था कि कौन सी प्रान्तीय सरकारें इन आदेशों का पालन करेंगी और कौन नहीं नहीं, अतः उद्दृ लिपि के प्रचार के लिये इसमें बहुकर दूसरी ओट नहीं बिल रखी गी। परन्तु उन्हें भय है कि देवनागरी अपने गुणों के कारण कहीं फिर भी उद्दृ लिपि पर दासी न हो जाय। उन्हें यह भी मालूम है कि पाकिस्तान 'दोनों लिपि' को दीमारी से आकान्त नहीं, और यहां रोमन लिपि का कोई समाज ए नहीं—उद्दृ लिपि यहां पूर्णतया सुनित है, अतः उधर ने निश्चिवन हो 'हिन्दुस्थान', और 'हिन्दुस्थान' के मुसलमानों को हिन्दुई देवनागरी के प्रतीक ने बनाने के लिये और अपने दिल के ढार को जड़ ने निकाज डालने के लिये उन्होंने रोमन लिपि को शरण गी, और उसे हिन्दुस्थान का गद्दी पर बैठाने के लिये अपने पद और अपनी काम्रेपी प्रतिष्ठा सा उपाग कर रहे हैं। परन्तु मूर्ख हिन्दू कांग्रेस की 'दोनों लिपि' भाली बाहियानी और उसकी ओट से मुसलमानों द्वारा खेले जाने चाले शिकाय को क्य तक 'राष्ट्रीयता' के नरमे से देखते रहेंगे ? जब लेखक यह सोचने लगता है तो उसकी व्यथा का अन्त नहीं रहता।

उत्तर-परिशिष्ट २

‘राष्ट्रीय’ सरकार की रेडियो की भाषा विषयक नीति

(लेखक—रविशंकर शुक्त्र)

१

हिन्दी वालों को टालने के लिये सर अकबर हैदरी ने एक हिन्दी-उर्दू परामर्श समिति बना दी थी जो प्रति दो महीने बाद एक डैटक करके कुछ करने का नाट्य करती थी। इस समिति में एक सम्मेलन का प्रतिनिधि था, एक अजुमनन्तरकी-उर्दू का और एक हिन्दुस्तानी प्रचार सभा, वधी का, और अध्यक्ष तथा संयोजक थे श्री बोखारी। पहला प्रश्न तो यही उठता है कि हिन्दी और उर्दू का ‘हिन्दुस्तानी’ से क्या वास्ता था, और हिन्दुस्तानी प्रचार सभा देश में भाषा और साहित्य के जगत में किसका प्रतिनिधित्व करती थी या करती है ? ‘हिन्दुस्तानी’ में अखबार नहीं निकलते, पुस्तकें नहीं छपती, कहीं पढ़ाई नहीं होती, ‘हिन्दुस्तानी’ के लेखक नहीं, साहित्य नहीं, फिर यह हिन्दुस्तानी प्रचार सभा जिसे स्थापित हुये केवल एक वर्ष हुआ है किसकी ओर से बोलने का दावा कर सकती है ? अस्तु, सर अकबर हैदरी का उद्देश्य यह था कि ‘हिन्दुस्तानी’ का खेड़ा खड़ा करके मामले को उलझा दिया जाय और ‘हिन्दुस्तानी’ की आँड में पूर्ववर्त् उर्दू का दोलशाला रहे, इसलिये उन्होंने इस बेजड और नवीन स्थान हि० प्र० रुभा का प्रातनिधि लेना आवश्यक समझा । हुआ भी वही जिसे सोचकर यह किया गया था, अर्थात् यह समिति मामला न सुलझा सकी और ताजों सदस्यों ने ‘हिन्दुस्तानी’ के शब्दों की तीन मिन्न सूचियाँ पेश कर दीं । यदि सर अकबर हैदरी की सरकार

होती तो पह उर्दू भाले की सूची पर 'हिन्दुस्तानी' की गोदर लगार रेटियो की प्रचलित 'हिन्दुस्तानी' तो चालू रहती। पर भाष्य में अथवा ट्राईयर में उस सरकार के स्थान में एक 'गण्डीय' नाम आज तकी थी जिसमें रेटियो के सदस्य वे सरदार पटेल। सरदार पटेल उत्तर प्राप्ति के एक दो नेता, गावी जी के अनन्य प्रशंसनीय और इतिहास तांगेल जी 'हिन्दुस्तानी' तथा हिन्दुस्तानी-पाठ के एक भक्त। उनकी पीठ पर स्वयं हिन्दुस्तानी प्रशंसन भाषा के सभारति ३० राजेन्द्रप्रसाद थे, प्रतः उनके लिये 'हिन्दुस्तानी' की विभासन करना और रेटियो को 'हिन्दुस्तानी'-प्रशंसन का नामन रखा वर गंधीजी का आरीयोद प्राप्त करना आवश्यक था। उन्होंने इन्हीं उर्दू परमर्श समिति की सिफारिशों पर यही निर्णय दिये जिन्होंने उनसे प्राप्त थी। उन निर्णयों की 'वोषणा' फलपर्याप्त, १६४७ में हुई और यही 'वोषणा' 'गण्डीय सरकार' की रेटियो की नाम विषयक नीति का प्राप्तार है। सचेत से, इन नीति के आवग में 'हिन्दुस्तानी' है, मात्र में 'हिन्दुस्तानी' है, और अन्य में 'हिन्दुस्तानी' है। इस जा सकता है कि बृदिश संघकार और उसके अधीनस्थ इन्द्रास्तानी संस्कारों ने इन्हीं का भाग दीन रुर उर्दू को दिया था और उसका नाम 'हिन्दुस्तानी' बना था, इस 'राष्ट्रीय' सरकार ने इन्हीं का स्थान अपनी 'हिन्दुस्तानी' दो दिया है जो आचार्य शुक्न जी के शब्दों में जग हती हुई उर्दू है। घोषणा की 'हिन्दुस्तानी' विषयक मुख्य वातों पर ध्यान दीजिये : (१) स्मानार रेष्टल 'हिन्दुस्तानी' में होगे, हिन्दी में नहीं (२) स्त्रियों और बच्चों के प्रोग्राम तथा इसी प्रकार के जा अन्य प्रोग्राम हिन्दी में होंगे उनका एक 'बचा भाग' 'हिन्दुस्ताना' में होगा, (३) हिन्दी-प्रदेश के सब स्टेशनों से उर्दू के अतिरिक्त एक निश्चित अनुपात में 'हिन्दुस्ताना' के प्रोग्राम होंगे—पेशावर से ५ प्रतिशत, लाहौर से ७½ प्रतिशत, दिल्ली से २० प्रतिशत और लखनऊ से १० प्रतिशत।

इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि 'हिन्दुस्तानी' के नाम पर सब भारतीय भाषाओं में से केवल हिन्दी के साथ अन्याय किया जायगा। सब मारतीय भाषाओं में खबरें होंगी, यहाँ तक पजाबी और पश्तो में भी खबरें होंगी, परन्तु हिन्दी में खबरें नहीं होंगी। सब प्रान्तीय भाषाओं में स्त्रियों, वालकों, आदि के प्रोग्राम अवाध रूप से होंगे, परन्तु हिन्दी के प्रोग्रामों का 'बड़ा भाग' 'हिन्दुस्तानी' में होगा। इस घोषणा का सबसे भयकर भाग वह है जिसमें 'हिन्दुस्तानी' के समर्थन में तर्क दिये गये हैं। प्रत्येक हिन्दी प्रेमी दिल पर हाथ रखकर सोचे कि इन तकों का क्या मतलब है और ये तर्क हिन्दी के कैने भविष्य की ओर संकेत करते हैं। मुख्य तकों पर व्यान दीजिये :

(१) 'हिन्दुस्तानी' उत्तरी भारत में आम तौर से बोली जाने वाली और समझी जाने वाली भाषा है जो देवनागरी या उर्दू लिपि में लिखी जाती है। (उर्दू लिपि किर 'उर्दू लिपि' क्यों कहलाई !) अपने दिल के चोर को न छिपा सकने के कारण घोपणा के अन्त में सरकार कहती है, "हिन्दुस्तानी की यह परिभाषा दोनों रेडियो-कमेटियों ने की है।"

(२) सरकार अनुभव करती है कि बहुत से सुनने वाले यह नहीं चाहते कि ऐसी ('यह' नहीं !) भाषा हिन्दीवालों और उर्दूवालों के विवाद में पिस जाय।

(३) अतः सरकार चाहती है कि आम जनता और आम सुनने वालों के लिये, साहित्यिक हिन्दी और साहित्यिक उर्दू के अतिरिक्त और उनसे अलग, 'सरल हिन्दुस्तानी' में प्रोग्राम हों, तथा साहित्यिक रुचि वालों के लिये हिन्दी और उर्दू में प्रोग्राम हों।

(४) सरकार को आशा है कि उसके निर्णय आम जनता को पसंद आवेगे, यद्यपि संभव है उनसे उन दो दलों को पूर्ण सतोप न हो जिनके बीच में विवाद है।

इन तकों का स्पष्ट अर्थ यह है कि सरकार की टॉप में हिन्दी उत्तरी

भारत में चोली जाने पाती और समझी जाने पाती प्राप्त नहीं है, हिन्दी केवल कविता और गाहिन्य की भाषा है और इसके बाहिर इनि भाषा के काम की है। प्राम जनता और प्राम गुनने जाता है अस्तु भी भाषा 'हिन्दुस्तानी' है।

उन पक्षियों का लेखक नहीं कह सकता। उ हिन्दी यात्रों ने इन गड़कामी तकों का पुण्य अर्थ नमझा दें या नहीं, क्योंकि इनका गठन करने लगे लेखक उसके देशने में नहीं आये। लेखक इनका ग्रन्थदर्शक गवाया है कि 'शास्त्रीय' सरकार ने हिन्दी की अर्थी तेवार कर ली है, इस देशल उसे फैक्टरी की देने है। और हिन्दी के रिक्त सिद्धान्त पर 'हिन्दुस्तानी' का प्रतिष्ठित करने का पूर्ण आशोजन ही तुका है।

हिन्दी भाले शायद वह सोचते होंगे कि और कुछ न नहीं, लग्ननज़ ने ७० प्रतिशत प्रोग्राम नो हिन्दी में होंगे। जिन तकों के बल पर श्राव लग्ननज़ अलग हिन्दी में समाचार देने को तेवार नहीं, हिन्दी में स्त्रियों, बच्चों, श्रावि के प्रोग्राम देने को तेवार नहीं और श्राव लग्ननज़ ने १० प्रतिशत प्रोग्राम 'हिन्दुस्तानी' में दे रही है, उन्हीं तकों के बल पर यदि सरकार कल यह कहे कि रेडियो आम जनता के लिये है, मुट्ठी भर 'साहित्यिक इनि' भालों के लिये नहीं और इसलिये १० प्रतिशत से अधिक प्रोग्राम हिन्दी में नहीं हो सकते, तो उस समय हिन्दी भाले क्या उत्तर देंगे? सब की समझ में आने वाली 'सरल हिन्दुस्तानी' जब है ही, तो कोई भी प्रोग्राम कुछ भी समझ में आने वाली हिन्दी में क्यों किया जाय? ऐसा इसका बोर्ड उत्तर हिन्दी भालों के पास! भाला गढ़ने से पहले सदैव भाले की नोक गड़ती है। शत्रु को दुर्बल चम्भनेवाला सदैव अन्त में मारा गया। जिसने भी झूटी उदारता या प्रमाद में आकर शत्रु को कधे पर हाथ रखने दिया, उसने घोसा खाया।

२

हिन्दुस्तानीवाले हिन्दी को समने से न घेर कर 'फ्लैक मूवमेन्ट' डारा

मारना चाहते हैं। उनकी चाल यह है कि हिन्दी को कविता की भाषा घोषित करके एक किनारे कर दिया जाय और सारा काम-काज ‘हिन्दुस्तानी’ में किया जाय। आगे चल कर हिन्दी अपने आप कविता की भाषा भी नहीं रहेगी। कायेसी सरकारें इसी चाल को चल रही हैं। वे हिन्दी को एक प्रातीय भाषा के अधिकार से भी बच्चित कर रही हैं। आज केन्द्र की ‘राष्ट्रीय’ सरकार हिन्दी में समाचार, आदि देने को तैयार नहीं। कल कहा जायगा कि युक्त-प्रात, विहार, मध्य-प्रात, आदि में सारा राज-काज, शिक्षाकार्य, आदि सबकी समझ में आने वाली ‘हिन्दुस्तानी’ में होगा, साहित्यिकों और कवियों के विलास की भाषा हिन्दी में नहीं। सरदार पटेल की रेडियो की भाषा-विप्रयक घोषणा हिन्दी के अस्थित्व पर क्रूर कुठाराघात है। हिन्दी पर कायेसी सरकारों और कायेसी नेताओं की ओर से आये हुये और आने वाले इस महान् सकट का मुकाबला करने के लिये हिन्दी वालों को तैयार हो जाना चाहिये। जहाँ तक सरदार पटेल की रेडियो की भाषा-निषयक नीति का सबन्ध है, हमें भी ‘हिन्दुस्तानी’ का सामने से विरोध करने की आवश्यकता नहीं, परन्तु हिन्दी की रक्षा के लिये युद्ध ठानना ही पड़ेगा। सरकार को रेडियो में हिन्दी को एक प्रादेशिक भाषा के नाते स्वतंत्र स्थान देना ही पड़ेगा। जिस प्रकार अन्य प्रातीय साहित्यिक भाषाओं में समाचार, स्त्रियों, बच्चों, आदि के प्रोग्राम होते हैं उसी प्रकार हिन्दी में समाचार, स्त्रियों, वालकों, आदि के अवाध प्रोग्राम होना परम आवश्यक है। रही ‘हिन्दुस्तानी’ की वात, सो हम किसी ऐसी ‘हिन्दुस्तानी’ से परिचित नहीं जिससे रेडियो का काम चल सके। मजे की वात यह है कि एक ओर सरकार ‘हिन्दुस्तानी’ के गुण गाती है, उसे ऐसी और वैसी भाषा बताती है, परन्तु दूसरी ओर उसकी शब्दावली बनाने के लिए कमेटी बैठाती है और उसके शब्द निरन्तर गढ़ने और बनाने के लिए एक स्थायी परामर्श समिति बनाने का इरादा प्रकट करती है। यदि ‘हिन्दुस्तानी’ कोई प्रचलित

भाषा है, 'सरल और सरकी समझ में आने पाली' भाषा है, तो उसकी शब्दावली निश्चित करने के लिये किसी कमेटी की क्षमा 'आवश्यकाना' है ! हिन्दी, उर्दू या फ़िरी अन्य भाषा के लिये तो आज वह सरकार ने ऐसी कोई कमेटी नहीं बनाई । यदि 'वहन में सुननेगाले' 'हिन्दुस्तानी' बाहने हैं तो उन्होंने उस 'हिन्दुस्तानी' का कोई न्य भी तो दत्ता नहीं होगा ? यदि 'हिन्दुस्तानी' उत्तरी भाषा में प्राम तौर ने दोनों और समझी जानी है, तो उत्तरी भाषा के लागतों ने उसका न्य भी तो नहीं लिया होगा, उसमें साहित्य का निर्माण भी तो किया होगा, उत्तरी भाषा में उसमें अवधार और पुस्तकों भी तो क्षयती होंगी ? यह न्य रि इस धरणट-वासी 'हिन्दुस्तानी' में तो कुछ नहीं होता, सब दुन्ह थोरे ने 'गाइडिंग रचना' पालों की समझ में आने पानी भाषा में तोता है ! फिर सरकार ने वह शर्त करों लगाड़ है कि रेटियो के जिन कर्मचारियों के जिन्हें 'हिन्दुस्तानी' के प्रोग्राम होंगे, उनके लिये 'हिन्दी और उर्दू टॉनों' का जानना आवश्यक होगा ? केवल 'हिन्दुस्तानी', पर जो कुछ भी है, का जानना यथेष्ट क्यों नहीं, घिशेप रूप से तब जब 'हिन्दुस्तानी' 'सबकी समझ' में आने चाली और 'उत्तरी भाषा में प्राम तौर से दोनों और समझी जाने पाली' भाषा है ? स्पष्ट है, सरकार अपने दिल का चौर छिपा नहीं सकी है । सरकार के हिन्दुस्तानी-चाद का खोलालापन धोपणा में ही पग-पग पर झलक रहा है । सरकार ने अन्त में 'दोनों रेटियो दस्तव्यों' का सदाग पकड़ना चाहा है, परन्तु वह भी व्यर्थ है । पहली कमेटी (जिसके एक सदस्य डा० ताराचन्द थे) के सदस्य सर अकबर हेदरी ने अपनी इच्छा में छुने थे, और एक मिशेप उद्देश्य से छुने थे । उनमें एमारा कोई प्रतिनिधि नहीं था । वह 'हिन्दुस्तानी' के पिट्ठुओं की कमेटी थी जिनका उद्देश्य 'हिन्दुस्तानी' के नाम से उर्दू का प्रचार करना और जारी रखना था । वह कमेटी 'हिन्दुस्तानी' की हिमायत क्यों न करती ? दूसरी कमेटी, जिसमें एक

सम्मेलन का प्रतिनिधि लिया गया था, के सामने ‘हिन्दुस्तानी’ पर राय देने का सवाल ही नहीं था। उसे तो केवल ‘हिन्दुस्तानी’ की शब्दाबली गढ़ने का आदेश दिया गया था, और वह यह कार्य न कर सकी। उसमें अजुमन तरक्की उदौँ के प्रतिनिधि ने स्पष्ट कहा कि ‘हिन्दुस्तानी’ का किसी खत्म किया जाय और हिन्दी और उदौँ में अलग अलग समाचार हो, तथा सम्मेलन के प्रतिनिधि ने इसका अनुमोदन किया। सरकार ने इस बात को क्यों छिपा लिया? दो सदस्यों की एक राय होते हुये अकेले सदस्य अर्थात् हिन्दुस्तानी प्रचार सभा के प्रतिनिधि की बात सरकार ने क्यों मानी? ऊपर से तुर्रा यह है कि सरकार ने हिन्दी और उदौँ के समर्थकों को विवादी दल ठहराया है और आप निष्पक्ष मध्यस्थ बनने का दावा किया है। भगड़ा केवल दो दलों—हिन्दी बालों और उदौँ बालों—के बीच में नहीं है। भगड़े में हिन्दुस्तानी बालों की पार्टी भी उतनी ही शामिल है। परन्तु सरकार ने इस तीसरे भगड़ालू दल का नाम नहीं लिया। उस्टे वह इसके साथ एकाकार हो गई है। वह निष्पक्ष जज नहीं रही बरन् इस तीसरी पार्टी का बकील बन गई है। सरकार के ‘हिन्दुस्तानी’ के साथ घोर पक्षपात का एक और सबूत है। सरकार घोषणा में सब्य कहती है कि पञ्च-पत्रिकाओं के सर्कुलेशन के आधार पर प्रत्येक स्टेशन में हिन्दी और उदौँ प्रोग्रामों का अनुपात निर्धारित किया गया है। हम जानना चाहते हैं कि वे ‘हिन्दुस्तानी’ की पञ्च-पत्रिकायें कौन सी हैं जिनके सर्कुलेशन के आधार पर सरकार ने सब स्टेशनों में ‘हिन्दुस्तानी’ को पृथक प्रतिनिधित्व दिया है, यहाँ तक कि दिल्ली में २० प्रतिशत दिया है? हम तो ‘हिन्दुस्तानी’ की एक भी पत्रिका का नाम नहीं जानते॥। फिर, दूसरी रेडियो कमेटी ने वह कहीं नहीं कहा

॥ केवल नाम रखने से भाषा ‘हिन्दुस्तानी’ नहीं हो जाती। गांधी जी के ‘हरिजनसेवक’ या पं० सुन्दरकाल की ‘विश्ववाणी’ या डा० ताराचन्द के ‘नया हिन्दू’ की भाषा हिन्दुस्तानी की किसी भी परिभाषा पर खरी नहीं उतरती। वह है स्वरात्र उदौँ, रेडियो की ‘हिन्दुस्तानी’ से भी बदतर।

है कि हिन्दुस्तानी नाम की ऐसी कोई भाषा है जिसमें समाचार हो सकते हैं, रेटियो का काम चल सकता है या कोई अन्य गम्भीर कार्य हो सकता है। इस कमेटी ने केवल इतना ही कहा है कि हिन्दुस्तानी एक बोली है जो उत्तरी भारत में बोली और समझी जाती है। इसका दूसरा नाम ‘बड़ी बोली’ है। इसी बोली के आधार पर हिन्दी और उर्दू लड़ो हैं और वह दोनों में निहित है। इस बोली से रेटियो का काम नहीं चल सकता। रेटियो का काम हिन्दी और उर्दू में चल सकता है। हिन्दी और उर्दू में ही उत्तरी भारत में सब काम होता है, पत्र, आड़ि निकलते हैं, और ‘कामन मैन’ इन्हें ही पढ़ता है और ये ही पढ़ाई जाती है। सरकार वह आदेश अवश्य दे सकती है कि रेटियो में सरल में सरल हिन्दी और सरल में सरल उर्दू का प्रयोग हो, परन्तु सरल से सरल हिन्दी और सरल से सरल उर्दू एक ही चीज़ नहीं। सरकारी बोपणा पर गेप प्रकट करने के लिये जब केन्द्रीय असेम्बली में नवाब सिद्दीकअली खाँ ने कटीती का प्रस्ताव नक़दा तब वहस का जवाब देने हुये सरठार पटेल ने बड़े नपाक से कहा कि अच्छा हो यदि साहित्यिक हिन्दी और उर्दू के हिमायती जनता के लाभार्थ निर्मित रेटियो को अपने विवाद में न घसीरें, और “मुझे ‘literary flourishes of Urdu or of Sanskrit’ से कोई चास्ता नहीं,” और इस पर काग्रेसी सटल्यों ने बड़े जोर से तालियाँ भी पीट दीं मानो जनता की बड़ी भारी विजय हो गई हो और आल इन्डिया रेटियो, जो घर्पों से ‘जनता की भाषा’ की विजय को प्रत्यक्ष कर ही रहा था, सदा के लिये भारत की राजधानी में इस विजय का साक्षात् प्रतीक बन कर गढ़ गया हो। परन्तु सच वह है कि बड़ा अच्छा हो यदि राजनीतिक नेता अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिये भाषा और साहित्य के मामले में ढखल न दें, और भाषा के साथ मनमानी न करें। वह ‘literary flourishes of Urdu or of Sanskrit’ का नहीं, भाव और अर्थ को प्रकट करने के लिये आवश्यक कम से कम शब्दों

का सवाल है। सरल से सरल हिन्दी और सरल से सरल उद्दू में वह भेद फिर भी रहेगा जो राजनीति, साहित्य, प्रतिनिधि, दशमलव, भाषण, सम्बाद-दाता, मन्त्र-मंडल, प्रदर्शन, भविष्य, केन्द्र, सभापति, सम्यता, प्रजान्त्र, विद्यार्थी, आदि, आदि और स्यासत, अदब, नुमायन्दा, आशार्या, तकरीर, नामानिगर, वजारन, मुजाहिरा, मुस्तकविल, मरकज, चदर, तहजीब, जमूरि-चत, तालिब इल्म आदि, आदि में है। इनसे अधिक सरल और 'Literary flourishes of Urdu or of Sanskrit' से रहित शब्द कहाँ से आंच, अथवा, जब ये दोनों प्रकार के शब्द उत्तरी भारत में प्रचलित हैं, इन्हें होड़कर इनके पर्यायवाची नये शब्द क्यों गढ़े जायें (यदि गढ़ना संभव भी हो तो) और वे कैसे 'सबकी समझ में आनेवाले' या 'उत्तरी भारत में आमतौर से बोले और समझे जानेवाले' हो जायेंगे, अथवा कुछ शब्द हिन्दी के और कुछ शब्द उद्दू के कैसे और क्यों छोटे जायें और क्या वह मिश्रण 'सबकी समझ में आने वाला' या 'ज्यादा लोगों की समझ में आनेवाला' या 'उत्तरी भारत में आम तौर से बोला और समझा जानेवाला' होगा? स्पष्ट है, सरकार को उत्तरी भारत की जनता तक पहुँचने के लिये हिन्दी और उद्दू—अवश्य ही सरलतम हिन्दी और सरलतम उद्दू—दो भाषाओं या 'शैलियों'—का उसी प्रकार आभ्य लेना पड़ेगा जिस प्रकार अहिन्दी प्रान्तों से प्रान्तीय भाषाओं का। सरकार को एक तीसरी भाषा या शैली, देश में प्रचलित भाषाओं या शैलियों से निराली भाषा या शैली, गढ़ने का कोई अधिकार नहीं। वह केवल प्रचलित भाषाओं या शैलियों का उपयोग कर सकती है। यदि वह एक नई भाषा या शैली गढ़ना ही चाहती है तो प्रथम वह अपने समर्थन में 'कामन मैन' का नाम न ले—'कामन मैन' के लिये हिन्दी और उद्दू जमाने से वन चुकी हैं और 'कामन मैन' उन्हीं को पढ़ता है। दूसरे, सरकार हिन्दी का हक छीन कर 'हिन्दुस्तानी' को नहीं दे सकती। यह तो एक चिकित्र घात है कि जिस हिन्दी में सैकड़ों अखबार निकलते हैं जिन्हें लाखों व्यक्ति पढ़ते हैं, उसमें समाचा-

ब्राह्मकास्ट न हो, परन्तु एक नई 'हिन्दुस्तानी' में हो जिसमें कोई अखंडार नहीं निकलता और जो केवल सरकार के दिमाग में है। सरकार अपनी 'हिन्दुस्तानी' के समर्थन में बहुत से 'कामन मैनों' और 'कामन लिसनरों' की दुहाई भेती है, परन्तु उन लिसनरों, आदि को क्या भूल जाती है जो वयों से हिन्दी में पृथक समाचारों की मौँग कर रहे हैं? उन पर सम्मान पट्टल, जो 'काम्रेस किसी को मजबूर नहीं कर सकती' इस मिद्दानत को मानकर देश के चिमाजन के लिये भी तैयार हैं, अपनी 'हिन्दुस्तानी' क्यों लाडना चाहते हैं? जब सरकार हिन्दी के पृथक अस्तित्व और व्यापकता ने दक्षाग नहीं करती—सबूत यह है कि उसने स्वयं हिन्दी को सभ व्येशनों में पृथक प्रतिनिधित्व दिया है, और लखनऊ में ७० प्रतिशत तक दिया है—तो वह उन्हीं कारणों से और उन्हीं के लिये जिनके लिये विभिन्न व्येशनों ने ये सब हिन्दी के प्रोग्राम होंगे, हिन्दी में पृथक समाचार क्यों नहीं देगी? जिन हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं के सर्कुलेशन के आधार पर सरकार ने प्रत्येक व्येशन में हिन्दी का अनुपात निर्धारित किया है, उन्हीं के आधार पर हिन्दी में पृथक समाचार भी होने चाहिये। एक मामूली रेडियो रखनेवाला एक मामूली अखंडार पढ़नेवाले से कम अपढ़ नहीं होता, और न हिन्दी के अखंडारों में केवल साहित्यिक चर्चा होती है और न उन्हें केवल 'साहित्यिक रचना' चाले पड़ते हैं। हिन्दी केवल साहित्य और साहित्यिक रचना चालों के काम नहीं आ रही है। हिन्दी में सब काम हो रहा है और सरकार की दिमागी 'हिन्दुस्तानी' के मुकाबले कहीं अधिक काम हो रहा है। हिन्दी का हिन्दी प्रदेश में बोली जानेवाली साधारण बोली या हिन्दुस्तानी से वही नंबद्ध है जो साहित्यिक बँगला का बगाल में बोली जानेवाली साधारण बोली से, या साहित्यिक गुजराती का गुजरात में बोली जानेवाली गुजराती से, आदि, आदि। केवल हिन्दी के पीछे 'साहित्यिक' चिशेषण लगाकर सरकार उने क्यों वदनाम करना चाहती है? आज सरकार कहती है कि 'कामन मैन'

हिन्दी नहीं चाहता, हिन्दी नहीं समझता, ‘हिन्दुस्तानी’ चाहता और समझता है, कल सरकार कहेगी कि हिन्दी प्रदेश का ‘कामन मैन’ तुलसी और सूर को नहीं समझता, रामचरित-मानस पढ़ना नहीं चाहता वरन् उसका ‘हिन्दुस्तानी’ में सरकारी अनुवाद पढ़ना चाहता है ! जिस प्रकार सरकार ने हिन्दी के प्रोग्रामों को ‘साहित्यिक रुचि’ वालों के निमित्त बताकर हिन्दी को एक किनारे कर दिया है उसका तो यही अर्थ निकलता है कि सरकार की राय में जो भी व्यक्ति हिन्दी पढ़ता है वह ‘साहित्यिक रुचि’ वाला है और सिवा ‘साहित्यिक रुचिवालों’ के कोई और हिन्दी नहीं समझता ! जो भी हो, जब सरकार ने स्वयं हिन्दी, उर्दू और ‘हिन्दुस्तानी’ का पृथक पृथक आस्तित्व स्थीकार किया है और तीनों को पृथक प्रतिनिधित्व दिया है, तो सरकार तीनों में पृथक समाचार भी क्यों नहीं देगी ? जब सरकार बँगला जाननेवालों के लिये (साहित्यिक) बँगला में, गुजराती जाननेवालों के लिये (साहित्यिक) गुजराती में यहाँ तक कि अँगरेजी जाननेवालों के लिये (साहित्यिक) अँगरेजी में खबरे देगी और दे रही है, तो हिन्दी जाननेवालों के लिये हिन्दी में खबरें क्यों नहीं देगी ? हिन्दी के साथ ही विशेष व्यवहार क्यों ? क्या हिन्दी समझनेवालों की संख्या अँगरेजी समझनेवालों की संख्या से भी कम है ? क्या ‘कामन मैन’ और ‘कामन लिसनर’ उस अँगरेजी को समझता है जिसमें खबरें होती हैं, परन्तु हिन्दी नहीं समझता ? यदि सरदार पटेल को ‘कामन मैन’ की इतनी चिन्ता है तो वे अँगरेजी की खबरें और अँगरेजी के प्रोग्राम क्यों नहीं बन्द करते ? लखनऊ से, उदाहरण के लिये, अँगरेजी में भी खबरे होती हैं। क्या सरकार कोई कारण बता सकती है कि इन अँगरेजी की खबरों के स्थान में हिन्दी की खबरें ब्राडकास्ट करने से ‘कामन मैन’ का अधिक लाभ क्यों न होगा ? स्पष्ट है, सरकार हिन्दी के साथ भारत की अन्य भाषाओं के साथ किये गये व्यवहार से भिन्न व्यवहार नहीं कर सकती। जिस प्रकार सरकार यगालियों, गुजरातियों, आदि

मेरे यह नहीं कह सकती कि तुम्हें अपनी चिर-परिचित वैगला और गुजराती के स्थान मे किसी सरकारी और नई वैगला और गुजराती मे खबरें सुननी पड़ेगी और तुम्हारी स्त्रियों, वालकों, आदि के प्रोग्रामों का 'वडा भाग' किसी सरकारी और नई वैगला और गुजराती मे होगा, उसी प्रकार सरकार हिन्दियों मे यह नहीं कह सकती कि तुम्हें अपनी चिर-परिचित हिन्दी के स्थान मे सरकारी 'हिन्दुस्तानी' मे खबरें सुननी पड़ेगी और तुम्हारी स्त्रियों, वालकों, आदि के प्रोग्रामों का 'वडा भाग' नरकारी 'हिन्दुस्तानी' मे होगा। यदि सरकार हिन्दुस्तानी गढ़ना ही चाहती है तो भारत के सभी प्रमुख विद्वानों की समिति बना कर उससे गढ़वायें और जब वह गढ़ जाय और उसे सब स्वीकार कर लें तब—उससे पहले नहीं—उसे भारत भर के स्टेशनों मे समान स्थान दे और ऑगरेजी के स्थान मे उसका प्रयोग करे। हिन्दी मे ग्रुथक समाचारों की और स्त्रियों, वालकों, आदि के अवाध प्रोग्रामों की तुरन्त व्यवस्था होनी चाहिये। हम यहाँ यह भी बताना आवश्यक समझते हैं कि ऑगरेजी के समान समृद्ध तो 'हिन्दुस्तानी' की कौन कहे, आज तक की साहित्यिक हिन्दी भी नहीं है। आजकल हमें पूरा अर्थ और ध्वनि जानने के लिए ऑगरेजी की खबरों को सुनने के लिए वाध्य होना पड़ता है। यदि केन्द्रीय सरकार के काग्रेसी सदस्य दिखाने के लिये पहले सही सी 'हिन्दुस्तानी' मे भाषण देकर फिर असली भाषण ऑगरेजी मे देकर संतुष्ट हैं, तो उनको 'हिन्दुस्तानी' उन्टे मूवारक हो। हमें ऑगरेजी की खबरे सुनने के लिये विवश न किया जाय। हम पूरा अर्थ, ठीक ठीक भाव और ध्वनि जानने के लिये भी अपनी हिन्दी मे खबरें चाहते हैं। जो 'हिन्दुस्तानी' मे खबरें सुनना चाहते हैं या 'हिन्दुस्तानी' की खबरें 'सुनकर सतुष्ट हैं, वे शौक से 'हिन्दुस्तानी' मे सुनें। सरकार हिन्दी का गला काट कर रेडियो को एक राजनीतिक दल की भाषा के प्रचार का साधन नहीं बना सकती। देश मे हिन्दी भी है और उसे भी रेडियो मे अपना उचित स्थान और रेडियो द्वारा प्रोत्साहन पाने का पूरा अधिकार है।

हिन्दी-प्रेमियों को इन्हीं तकों और युक्तियों को अपनी दाल और तलबार बनाकर आगे बढ़ना चाहिये।

३

सरकार की घोषणा की कुछ अन्य बातों पर भी दृष्टि ठालना आवश्यक है। सरकार ने बम्बई, पेशावर, लाहौर, दिल्ली, लखनऊ, कलकत्ता और ढाका में हिन्दी, उर्दू और ‘हिन्दुस्तानी’ के प्रोग्रामों का सापेक्षिक अनुपात निर्धारित कर दिया है—पेशावर में पश्तो को ५० प्रतिशत, उर्दू को ४५, हिन्दुस्तानी को ५ प्रतिशत, हिन्दी को शान्ति, लाहौर में पजाबी को २५ प्रतिशत, उर्दू को ५६½, हिन्दी को ११½, हिन्दुस्तानी को ७½ प्रतिशत, दिल्ली में हिन्दी को ४०, उर्दू को ४०, हिन्दुस्तानी को २० प्रतिशत, लखनऊ में हिन्दी को ७०, उर्दू को २०, हिन्दुस्तानी को १० प्रतिशत, और बम्बई, कलकत्ता और ढाका में हिन्दी, उर्दू और हिन्दुस्तानी को बराबर बराबर। अर्थात् सब जगह हिन्दी को अपने प्राप्त से बहुत कम और उर्दू को अपने प्राप्त से बहुत अधिक दिया गया है, और हिन्दुस्तानी प्रिया को सब जगह बिना किसी तर्क या सिद्धान्त के यो ही बुसा दिया गया है—कालान्तर में हिन्दी और उर्दू को विलकुल चट कर जाने के लिये। क्या सरकार इस बात से इन्कार कर सकती है कि सीमा-प्रगत की ‘आम तौर से बोली और समझी जाने चाली’ भाषा पश्तो, पजाब की पंजाबी, बगाल की बैंगला, और बम्बई की मराठी है? फिर पेशावर, लाहौर, कलकत्ता, ढाका और बम्बई में इन भाषाओं के बजाय ‘हिन्दुस्तानी’ में कोई भी प्रोग्राम क्यों किया जाय? क्या इन प्रान्तों का ‘कामन मैन’ या ‘कामन लिसनर’ इन भाषाओं की अपेक्षा ‘हिन्दुस्तानी’ को ज्यादा अच्छी तरह समझता है? इन प्रान्तों में तो केवल हिन्दी और उर्दू को पठित साहित्यक भाषाओं के नाते स्थान मिल सकता था। फिर इन प्रान्तों में जो भी हिन्दुस्तानी बोली या समझी जाती है उसका स्वरूप सब प्रान्तों में एक नहीं। उदा-

हरण के लिये, वगाल और बम्रई में ‘आम तौर से बोली और समझी जाने वाली’ हिन्दुस्तानी, जिसे वहाँ का ‘कामन मैन’ समझ सकता है, हिन्दी से मिल नहीं, फिर कलकत्ता, दाका और बम्रई में ‘हिन्दुस्तानी’ को हिन्दी से पृथक प्रतिनिधित्व क्यों दिया गया और हिन्दी को उदूँ के समकक्ष क्यों रख दिया गया ? क्या हम कम से कम यह आशा रखते कि न्याय के नामे इन स्टेशनों में ‘हिन्दुस्तानी’ की चीजे उन्हीं को दी जायेंगे जो प्रान्त के स्थायी निवासी हैं और जिनकी मातृभाषा प्रान्तीय भाषा है ? यदि इन सब स्टेशनों में ‘हिन्दुस्तानी’ को ‘राष्ट्र-भाषा’ के नामे स्थान दिया गया है तो मद्रास और ट्रैक्ची में भी स्थान क्यों नहीं दिया गया, और क्या ‘हिन्दुस्तानी’ की शब्दावली के विषय में परामर्श देने वाली स्थायी समिति में सब प्रान्तीय भाषाओं के विद्वान् लिये जायेंगे और क्या प्रान्तीय स्टेशनों में ‘हिन्दुस्तानी’ की सब चीजें प्रान्त के स्थायी निवासियों को, जिनकी मातृ-भाषा प्रान्तीय भाषा हो, दी जायेंगी ? क्या ‘राष्ट्र-भाषा’ का यही अर्थ और न्याय का यही तकाला नहीं है ?

अब हिन्दी और उदूँ को लीजिये । नवाब सिंहीक अलीखाँ के कटौती के प्रस्ताव पर बोलते हुये सरदार पटेल ने असेम्जली में समय स्वीकार किया कि उदूँ को ‘वेटेज’ दिया गया है । हमारी समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों किया गया । क्या अब तक रेडियो में उदूँ की जो तृतीय बोल रही थी उसका यही तकाजा था ? फिर, यदि सरकार ने उदूँ को वेटेज दिया ही, शायद इसलिये कि उदूँ अल्पमत में है, तो सरकार ने हिन्दी को नहाँ वेटेज क्यों नहीं दिया जहाँ हिन्दी अल्पमत में है अर्थात् लाहौर और पेशावर में, और वह कहाँ का न्याय है कि अल्पमत को इतना वेटेज दिया जाय कि वह वहुमत के बराबर हो जाय जैसा कि दिल्ली में किया गया है ? दिल्ली पूरे भारत का स्टेशन है, दिल्ली भारत भर में सुना जाता है और इस समय विहार, मध्य-ग्रान्त, पूर्ची युक्तप्रान्त और राजस्थान जैसे हिन्दी-प्रधान ज़ोनों में दिल्ली के

अलावा कोई वूसरा स्टेशन नहीं पहुँचता। और देश में अथवा इन हिन्दी-प्रधान ज्ञेयों में हिन्दी का प्रचार उदौँ के प्रचार से कई गुना है। ऐसी स्थिति में दिल्ली में हिन्दी और उदौँ को वरावर प्रतिनिधित्व क्यों दिया गया? लाहौर और पेशावर में हिन्दी को वेटेज देना तो दूर रहा, सरकार ने हिन्दी को उसके प्राप्त से भी कम दिया है। पजाव में सब हिन्दू वालिकायें और स्त्रियाँ हिन्दी पढ़ती और जानती हैं। लाहौर में हिन्दी को १५ प्रतिशत तो बैचल इसी आधार पर मिलना चाहिये, परन्तु सच यह है कि वालकों के मामले में भी पजाव विश्वविद्यालय की हिन्दी की परीक्षाओं में बैठने वालों की सख्त उदौँ की परीक्षाओं में बैठने वालों से अधिक है। ऐसी स्थिति में लाहौर में हिन्दी को क्या उदौँ के मुकाबिले $\frac{1}{2}$ मिलना चाहिये था? और पेशावर में हिन्दी बिलकुल नदारद है, यद्यपि सीमा-प्रान्त में अनेक हिन्दी स्कूल हैं और वहाँ की सब हिन्दू वालिकायें और स्त्रियाँ हिन्दी ही पढ़ती और जानती हैं और बहुत से हिन्दू वालक भी हिन्दी पढ़ते और जानते हैं। लखनऊ में भी हिन्दी को उसके प्राप्त से कम दिया गया है, और ‘हिन्दुस्तानी’ का पूरा भाग हिन्दी के हिस्से में से छीना गया है। यह है सरदार पटेल का ‘राष्ट्रीय न्याय’! एक हिन्दू के लिए हिन्दी का गला काट कर उदौँ का घर भरना और हिन्दी के भाग को कम करके उदौँ के साथ उदारता दिखाना उससे भी निकृष्ट सम्प्रदायिकता है जितनी हिन्दी को उसके प्राप्त से अधिक देना होती।

घोपणा की कुछ अन्य उल्लेखनीय बातें ये हैं (१) घोपणा में कहा गया है कि ‘हिन्दुस्तानी’ के प्रोग्रामों की व्यवस्था हेडक्टर्टर का स्टाफ करेगा, परन्तु यह नहीं बताया गया कि किस प्रकार करेगा। ‘हिन्दुस्तानी’ का कोई निश्चित स्वरूप नहीं, ‘हिन्दुस्तानी’ के लेखक नहीं, फिर लेखकों को ‘हिन्दुस्तानी’ की चीजें सरकारी हिन्दुस्तानी में लिखने के लिये कैसे विवश किया जायगा? यदि इस दिशा में कुछ न किया गया और लेखकों को अपनी

मनमानी हिन्दुस्तानी में लिखने दिया गया तो इसकी क्या गारंटी है कि उनकी भाषा हिन्दी या उदूँ न हो जावगी और वही भगड़ा फिर न खड़ा हो जायगा जिसके कारण आज हिन्दी और उदूँ प्रोग्रामों का अनुपात निर्धारित किया गया है। विशेषरूप से रेडियो के चर्तमान उदूँ-पक्षपाती और हिन्दी-ओही स्टाफ पर कैसे निश्वास किया जा सकता है? अथवा क्या हम सरकार के कथन का यह अर्थ समझें कि 'हिन्दुस्तानी' की सब चीजें रेडियो का वेतन भोगी स्टाफ लिखेगा? (२) सरकार ने यह नहीं बतलाया कि 'हिन्दुस्तानी' की चीजें, खबरें, आदि किस लिपि में लिखी जायेंगी। यदि उदूँ लिपि में भी लिखने की छूट होगी तो उसमें हिन्दी के अधिकाश शब्द और हिन्दुओं के नाम किस प्रकार लिखे जायेंगे, शुद्ध उच्चारण का क्या प्रबन्ध किया जायगा और चर्तमान घोर अशुद्ध उच्चारण का किस प्रकार सुधार किया जायगा? चूंकि रेडियो के दफ्तर में 'हिन्दुस्तानी' की चीजें किस लिपि में लिखी जाती हैं, इससे जनता और सुननेवालों को कोई मतलब नहीं, और चूंकि सरकार स्वयं कहती है कि 'हिन्दुस्तानी' जाले स्टाफ के लिये हिन्दी और उदूँ दोनों का जानना आवश्यक होगा, हम यह जानना चाहते हैं कि शुद्ध उच्चारण की हाइट से सरकार यह आशा क्यों नहीं दे सकती कि 'हिन्दुस्तानी' की खबरें, घोषणायें,

* इस समय अवस्था यह है कि 'हिन्दुस्तानी' की चीजें वही पुराने लेखक लिख कर दे रहे हैं और उनकी भाषा या हिन्दी है (कुछ की), या उदूँ—रेडियो के पत्रों में जिन चीजों के आगे स्पष्टत 'हिन्दी में' और 'उदूँ में' लिखा जा रहा है उनकी भाषा से विवरण भिन्न नहीं। केवल सरकार की ज़िद पूरी करने के लिये प्रोग्राम वाले 'हिन्दुस्तानी' के लिये निश्चित अनुपात में कुछ हिन्दी की और शेष उदूँ की मनमानी चीजें छाँटकर उनके ऊपर 'हिन्दुस्तानी में' की मुहर लगा देते हैं। अर्थात् वही पुराना मालाडे का मूल यना दुश्मा है जिसके कारण सरकार को हिन्दी और उदूँ का अनुपात निश्चित करने के लिये विवश होता पड़ा।

सूचनायें और अन्य चीजें सदैव देवनागरी में लिखी और पढ़ी जायें ? (३) घोषणा में कहा गया है कि रेडियो के वर्तमान स्थायी स्टाफ को हिन्दी और उदूँ दोनों जानने के लिये मजबूर नहीं किया जा सकता । क्यों ? यदि वह किसी कारण सभव नहीं, तो कम से कम हिन्दी न जानने वाले अस्थायी स्टाफ को अलग करना और अस्थायी रूप से उच्च पदों पर आसीन हिन्दी न जाननेवाले व्यक्तियों को अपने स्थायी पदों पर बापस भेजना तो सभव है । हिन्दी जानने वाले व्यक्तियों की कमी को इस प्रकार पूरा क्यों नहीं किया जाता ? श्री बोखारी ने तो कितने ही कर्मचारियों को इस ‘कसूर’ पर निकाल दिया कि उनका उदूँ का ज्ञान विस्तृत नहीं था, क्या राष्ट्रीय सरकार हिन्दी के लिये इतना भी नहीं कर सकती ? फिर, हिन्दी और उदूँ दोनों के ज्ञान की जाँच क्या और किस प्रकार होगी ? क्या देवनागरी में चार पक्षियाँ लिख और पढ़ सकना हिन्दी की योग्यता का प्रमाण मान लिया जायगा ? ‘हिन्दु-स्तानी’ वाले स्टाफ की हिन्दी और उदूँ की योग्यता की जाँच करने के लिये सरकार एक निष्पक्ष और बाहरी परीक्षा-बोर्ड द्वारा समान स्टैंडर्ड की हिन्दी और उदूँ की निभागीय परीक्षाओं की व्यवस्था क्यों नहीं कर सकती ? (४) सरकार ने इस बात को मान लिया है कि हिन्दी के प्रोग्रामों की व्यवस्था करने के लिये स्टाफ में हिन्दी की यथेष्ट योग्यता रखने वाले व्यक्तियों की सख्त्या काफी हो, परन्तु सरकार ने इस बात को अमली रूप देने का कोई प्रबंध नहीं किया है । कम से कम सरकार यह आदेश दे सकती थी कि भविष्य में स्टाफ में केवल हिन्दी जाननेवालों की भरती हो जब तक उनकी सख्त्या यथेष्ट न हो जाय । (५) यद्यपि सरकार ने यह स्वाकार किया है कि उदूँ ग्रजलों के मुकाबले हिन्दी के लघ्ब-प्रतिष्ठ कवियों की कविताएँ गाई जायें, परन्तु किस अनुपात में गाई जायें, वह रेडियो के वर्तमान उदूँ-पोपक स्टाफ पर छोड़ दिया गया है । (६) रेडियो-कमेटी की इस सिफारिश पर कि ‘आदावत्र्यज्ज, ‘खुदा हाफिज है’, आदि अभिवादनों का प्रयोग विलक्ष्यता

बन्द कर दिया जाय, सरकार ने निर्णय दिया है कि जनता में आमतौर
में प्रचलित ('popularly used') अभियादन का प्रयोग किया जाय,
परन्तु यह नहीं बतलाया कि किस स्टेशन में किस अभियादन का प्रयोग
किया जाय। यह रेडियो के वोमारी-परन्तु अफसरों पर छोड़ दिया गया है।

४

यह लेख इसका आभास दिये बिना पूर्ण न होगा कि घोषणा दोनों के
तीन महीने बाद भी आज उसका पालन किस प्रकार हो रहा है। इसमें
घोषणा की कितनी ही अत्यधि बातों का उत्तर भी मिल जायगा। नवरों की
भाषा में कोई उल्लेखनीय या निश्चित परिवर्तन नहीं हुआ है। वहीं लिखने
पाले हैं, वहीं पढ़ने पाए। स्टाफ में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है
और पुराने स्टाफ से किसी तुधार की आशा करना दुराशा मात्र है। वहाँ
तक कि कोई घोषक (announcer) भी, जो स्थायी छोड़ अत्यधिकी
नौकर भी नहीं हैं परन्तु कलाकारों की भाँति नियुक्त किये जाते हैं, नहीं बदला
गया है। 'हिन्दुस्तानी' की सब लिसाई पूर्वस्थ उद्भूत लिपि में हो रही है
और उच्चारण का भी वही हाल है। रेडियो के किसी घोषक के मुँह से
'गमायण' या 'नागायण' तो स्वप्न में भी नहीं निकल सकता। 'हिन्दी' और
उद्भूत दोनों का जानना आवश्यक होगा, यह केवल फाइलों में धरा हुआ है।
स्वयं सरकार ने अभी तक 'हिन्दुस्तानी' को परामर्श-समिति का निर्माण
नहीं किया है। कव कमेटी बनेगी, कव वह बैठेगी और कव वह 'हिन्दुस्तानी'
का निर्माण करेगी! एक ओर राष्ट्रीय सरकार हिन्दी में स्वरूप देने को
तैयार नहीं, दूसरी ओर रेडियो की वर्तमान 'हिन्दुस्तानी' बदलने के लिये
क्रियाशील नहीं। निचोड़ यह है कि हम 'राष्ट्रीय सरकार' के व्यर्थ, अनुचित
और निराधार हिन्दुस्तानोबाद के कारण इसी वर्तमान 'हिन्दुस्तानी' नामधारी
उद्भूत को सुनने के लिये विवश हैं। 'हिन्दुस्तानी' की सचनाओं, घोषणाओं,
आदि की भाषा में तो कोई अन्तर हुआ ही नहीं है। केवल लखनऊ से

(दिल्ली से वह भी नहीं) 'मजलिस' शब्द निकाल दिया गया है, परन्तु चूँकि हिन्दुस्तानी 'सभा' नहीं समझ सकते, उसके स्थान में 'मुमू का प्रोग्राम', 'दोपहर का प्रोग्राम' और 'शाम का प्रोग्राम' धर दिया गया है। 'हिन्दुस्तानी' की चीजें पूर्ववत् उर्दू वालों और मुसलमानों को दी जा रही हैं और उनकी भाषा पूर्ववत् शुद्ध उर्दू है जिसका अर्थ यह है कि उर्दू पेशावर, लाहौर, दिल्ली, और लखनऊ में ४५, ५६^३, ४० और २० प्रतिशत नहीं, ५०, ६३^४, ६० और ३० प्रतिशत है, और बम्बई, कलकत्ता और हाका में हिन्दी के बराबर नहीं, दूनी है, और स्त्रियों, बालकों, आदि के तथाकथित हिन्दी प्रोग्रामों का दो-तिहाई भाग उर्दू में होता है। पेशावर और बम्बई में स्त्रियों, बालकों, आदि के प्रोग्रामों को हिन्दी में अलग किया ही नहीं गया है, अर्थात् वहाँ वे पूर्ववत् केवल 'हिन्दुस्तानी' अर्थात् उर्दू में हो रहे हैं। इसी प्रकार सैनिकों के प्रोग्राम, प्रवासी भारतीयों के प्रोग्राम, आदि भी हिन्दी में अलग नहीं किये गये हैं और पूर्ववत् केवल 'हिन्दुस्तानी' अर्थात् उर्दू में हो रहे हैं। हिन्दी वालों को उनके पत्रों के उत्तर भी 'पवारी', 'जवाबी' गण पूर्ववत् अपनी 'हिन्दुस्तानी' अर्थात् उर्दू में सुना रहे हैं। रेडियो की किसी पत्रिका से यह भी पता नहीं चल सकता कि कौन सा स्त्रियों वा बालकों का प्रोग्राम हिन्दी का है, और कौन सा उर्दू का। रेडियो वालों की गय में दोनों प्रोग्राम सब स्त्रियों वा बच्चों के लिये एक समान उपयुक्त है और सरकार ने महज मजाक के लिये इन प्रोग्रामों को अलग-अलग हिन्दी और उर्दू में करने के लिये कहा है, और इसीलिये सप्ताह के दोनों स्त्रियों (वा बालकों) के प्रोग्रामों में कोई अन्तर नहीं—दोनों के सचालक वही पुराने उर्दूदौलोग ('आपा', 'बाजी', आदि) हैं जो हिन्दी के पत्रों के उत्तर भी पहले दफ्तर से उनकी उर्दू में नकल करा कर देते हैं, दोनों में वही 'आदादश्वर्ज' चलता है और दोनों में हिन्दी और उर्दू की चीजें मिली-जुली होती हैं, अर्थात् केवल एक बार के बजाय दो बार प्रोग्राम होता है, और कुछ नहीं। प्रत्येक

प्रोग्राम दा समय भी पढ़ने का प्राप्त है। 'आदाप्रणाली' और 'जल्दी हानिर है' का सब नवेशनों में पूर्वसंग प्रयोग हो रहा है। ऐसीजौ याता भी राय में पेशाकर ने पढ़ना तभा और डिल्डी में उच्चाधर लकड़ी यज्ञों में यही प्रभिपादन 'आद तौर ने प्रवत्तित है, और 'नमस्कार', 'नमस्ते', 'प्रणाम', दा 'शम गम' देख दो जाए ताकि पर्लिंग रहता है। मर्दीज का भी यही दाना है। पन्डित दिन दा समीक्षा का प्रोफेसर देवा आज ऐ, उन्हें का एमा कोई किंवद्दन नहीं मिलेगा जिसका 'जलाम दै भाग दृष्टि न रहा गया हो, परन्तु हिन्दी के प्राचीन कविता में ऐसा गुलामी, मर्द और महिला के और आनुनिक कविता में ऐसा वर्णन, कोरिन और इष्ट और प्रीति के नाम मिलेंगे और वे भी कही रहेंगे और उभी सभी। शायद राष्ट्रों भने हिन्दी के किसी और अपि का नाम लाने वही नहीं। वर्षदन अध्युक्तमानिक भर्त, सलाम मछुलीगहरी, दर्कोज जलन्धरी, नमयीर, अराम औरनी अत्यन्त कोफ, गुलशन, आदि उद्दूर कवियों के नाम हुए, अर्थात् दिना मिठ्कर ने थोड़े मे हिन्दी गीत भी गाए जा रहे हैं। इन राज्यों दे आगा, जीकन और आकाश जैसे दो-तीन दर्जन हिन्दी शब्द वाक यज लिए हैं और उनकी बला की पराकारा है इन शब्दों को धुमा किया कर किसी प्रसार नुस्खानी में पिरो देना। हिन्दी कविया ने न कभी गीत लिने न हिन्दना जानते हैं, इसलिये हिन्दी गीतों के लिये मिला हुआ नपता भी उद्दूर कविता की उच्च में पहुँचना आवश्यक है। वे ही तो हिन्दी के 'हेउद्दूर' कहते हैं।

वह कहना अत्युक्ति न होगा कि अमल में मन्दारी घोषणा जे रेडियो की दुनिया में कोई उत्त्सवनीय तुष्टार नहीं हुआ है।

५

अन्त में 'राष्ट्रीय' सरकार, सरदार पटेल और उनके सहयोगियों से एक बात पूछे जिना नहीं रहा जाता। कांग्रेस के गर्जन-नर्जन, बांगों तक हिन्दुओं की गर्दन रेतने और मुसलमानों की खुशामद तथा जिन्ना साइब के तलवे सह-

लाने के बाबजूद पाकिस्तान तो बन कर रहा, और उन्हें ही जिन्होंने जन्म भर अपने आप को हिन्दू नहीं बरन् ‘हिन्दुस्तानी’ नाम की किसी चिह्निया, और हिन्दुओं के नहीं बरन् ‘हिन्दुस्तानी’ नामक किसी जाति का प्रतिनिधि सिद्ध करने में एडी-चोटी का जोर लगाया है, हम अभागे और मूर्ख हिन्दुओं की ओर से पाकिस्तान के पट्टे पर सही करनी पड़ी। अस्तु, पाकिस्तान का रेडियो तो डके की चाँट शुद्ध उदूँ में बोलेगा। क्या अब भी अभागे हिन्दुओं के इस अभागे ‘हिन्दुस्थान’ के रेडियो में कांग्रेसी नेताओं के परम ‘राष्ट्रीय’ अधिनायकत्व में इस कमवर्खत ‘हिन्दुस्तानी’ का रगड़ा रहेगा और बेचारी हिन्दी को कहीं ठौर न होगी ? और इसी प्रकार दिल्ली में ‘हिन्दी उर्दू पैरिटी’ रहेगी ? और ‘हिन्दुस्तान’ की राष्ट्र भाषा यही कांग्रेस-पूजित ५० प्रतिशत हिन्दी ५० प्रतिशत उदूँ वाली ‘हिन्दुस्तानी’ तथा राष्ट्रलिपि ‘देवनागरी और फारसी (!) लिपि दोनों’ रहेंगी ? नेता दिल पर हाथ रखकर उत्तर दें।

उत्तर-परिशिष्ट ३

‘हिन्दुस्तानी’ का रहस्य

—एक हिन्दी के मुख से—

१

अहिन्दी प्रान्त और ‘हिन्दुस्तानी’

अभी हाल में (अक्टूबर, १९४६) पत्रों में यह समाचार पढ़ने को मिला कि आनंद के ‘नेशनलिस्ट’ मुसलमानों का एक शिष्ट-मठल मौलाना आजाद से मिला और वह इच्छा प्रकट की कि आनंद के मुसलमानों की शिक्षा का माध्यम तेलगू के बजाय उर्दू कर दिया जाय, और मौलाना आजाद ने उसके दृष्टिकोण का आदर किया और मटास के प्रधानमंत्री ने उसकी माँग मान लेने की सिफारिश की है। इस समाचार से शायद वहुतों को आश्चर्य हुआ होगा, परन्तु मार्तीय मुसलमानों की तो वही मनोवृत्ति है। चिचित्र बात यह नहीं है कि मुसलमानों ने—‘राष्ट्रीय’ अथवा लीगी, क्योंकि उर्दू के मामले में दोनों में कोई अतर नहीं—ऐसी माँग पेश की है; चिचित्र बात यह है कि मौलाना आजाद ने इस माँग का समर्थन किया है। अस्तु, आशा है अब हिन्दुस्तानीचालों को इसका विश्वास हो जावगा कि काग्रेसी मुसलमान भी (जो दाल में नमक के बराबर वैसे ही है) भापा के मामले में अन्य मुसलमानों के साथ हैं। यह भली भाँति समझ लेना चाहिये कि ऐसी माँगें सभी अहिन्दी प्रान्तों—तामिल नाड, महाराष्ट्र, गुजरात,

उडीसा, बगाल, आसाम, आदि—के मुसलमानों द्वारा पेश की जायेंगी। इन मॉगों का अर्थ भी समझ लेना चाहिये। आन्ध्र को ही लीजिये। आन्ध्र के मुसलमानों की मॉग का सीधा-सादा अर्थ यह है कि आन्ध्र के सामाजिक, सास्कृतिक और राजनीतिक जीवन को वीच से दोटूँक कर दिया जाय, साम्राज्यिक अलगाव और कटुता के बीज बोये जायें, करदाताओं का रूपया (जो हिन्दुओं की जेव से ही आवेगा) अलग उर्दू स्कूल और कालेज खोलने में फूँका जाय, शिक्षा के व्यय को व्यर्थ ढूना किया जाय और शासन की कठिनाईयों सहस्र गुना बढ़ाई जायें, क्योंकि यह निश्चिन है कि इस मॉग के बाद यह मॉग पेश की जायगी कि राजकार्य में उर्दू को तेलगू के समकक्ष स्थान दिया जाय। एक ओर तो भाषा के आधार पर प्रान्तों के पुनर्निर्माण की चर्चा ज़ोरों से चल रही है, दूसरी ओर गांधीजी हिन्दी की 'हिन्दुस्तानी' करने और उर्दू लिपि के प्रचार में इस उद्देश्य से जुटे हुये हैं कि मुसलमान खुश हो जायें और भाषा की 'एकता' स्थापित हो जाय, और इधर मुसलमान एक ऐसे प्रान्त में ही भाषा का पाकिस्तान बनाने की मॉग कर रहे हैं जो अब तक भाषा और सङ्कृति की दृष्टि से एक रहा है! पता नहीं, डा० पट्टाभि सीतारमैया को, जो तेलगू भाषी आन्ध्र की भीतर ही एक अलग उर्दुस्तान बनाने की मॉग कहाँ तक रुचेगी, और गांधीजी, जो प्रान्तीय प्रकरणों में प्रान्तीय भाषा के प्रयोग पर और राष्ट्रीय प्रकरणों में राष्ट्र-भाषा (अर्थात् अपनी 'हिन्दुस्तानी') के प्रयोग पर जोर देते हैं, अहिन्दी प्रान्तों के मुसलमानों की इस प्रकार की मॉगों का कहाँ तक समर्थन करेंगे।

कहना कठिन है कि विभिन्न अहिन्दी प्रान्तों (बगाल को छोड़कर, जहाँ की लीगी सरकार 'हिन्दुई भाषा' बँगला को निकाल कर उर्दू की प्रतिष्ठा करने में कोई कसर नहीं उठा सकेगी) की काग्रेसी सरकारें इस

प्रकार की प्रतिक्रियावादी मार्गों का क्या उत्तर देंगी। जग देव में लिये मान लीजिये कि वे भौलाना आजाद की भिजारिश की भी पर्याए न कर कम में कम इस मामले में अपनी 'अपीजमेट पालिमी' का परित्याग कर इन माँगों को दुकरा देंगी। परन्तु असली प्रश्न यह है कि यदि कांग्रेसों सरकार राष्ट्रभाषा की गाधीजी की दी हुई नई परिभाषा मान कर उनकी 'हिन्दुस्तानी' ($\frac{\text{हिन्दी} + \text{उर्दू}}{2}$) और देवनागरी के साथ उर्दू लिपि को स्कूलों में अनिवार्य (या बेकलिपक ही, क्योंकि मुसलमान अब सर चूकने वाले नहीं) विषय के रूप में धर देते हैं, तो क्या उस प्रकार में ही अहिन्दी मुसलमानों का वह उद्देश्य पूर्ण न हो जायगा जो इन माँगों में निहित है ? जब अहिन्दी प्रान्तों के मुसलमान इस प्रजात न-कारी खच्चे में ही उर्दू लिपि सीए लेंगे तो उन्हें शुद्ध उर्दू सीखने से, प्रान्तीय भाषा के माहित्य को छोड़कर उर्दू नाहित्य अपनाने में, अपना साम काज प्रान्तीय भाषा के बजाय उर्दू में करने में, अर्थात् प्रान्तीय भाषा ल्याग कर उर्दू अपनाने से कौन गोक नहेगा ? सरकारी खच्चे में ही 'हिन्दुस्तानी' की शिक्षा के द्वारा उन्हें उर्दू शब्दों, उर्दू के ढाँचे, व्याकरण, आदि का जो ज्ञान होगा उसके कारण उनके लिये अपना लक्ष्य प्राप्त करना बहुत आसान हो जावगा, और चूंकि हिन्दू भी उर्दू लिपि और ५०-५० प्रतिशत पाली 'हिन्दुस्तानी' जानते होंगे, उनके मार्ग की एक वाधा और दूर हो जायगी। इसके अतिरिक्त अहिन्दी हिन्दू भी अन्तत गाधीजी की 'हिन्दुस्तानी' को, जिसे वे देवल स्कूलों में पढ़ेंगे, नहीं बरन् उस 'हिन्दुस्तानी' को (अर्थात् उर्दू) अपनायेंगे जिसे वे नित्य अपने पढ़ोत्ती मुसलमानों के मुख से तुरेंगे। उपरेश से उदाहरण में अधिक बल होता है। एक नई भाषा पढ़ने की अपेक्षा जुनने से ज्यादा बल्दी आती है। चूंकि मुसलमान प्रान्तीय भाषा का व्याप्तिकार कर उर्दू पर जोर देंगे और चूंकि हिन्दुओं को 'हिन्दुस्तानी' के ज्ञान के

कारण उर्दू समझने में कोई विशेष अवध्यन नहीं पड़ेगी, उर्दू अपने अप्रान्त की कामन भाषा हो जायगी, और फलस्वरूप सारे देश की वासनिक राष्ट्र-भाषा भी हो जायगी। लिपि के मामले में भी वही होंगा। अपने दस करोड़ अखड़ अनुयायियों के बल पर उर्दू भारत की सब से अधिक शक्ति-शाली भाषा और उसका साहित्य सबसे अधिक समृद्ध हो जायगा, और उसके सामने सभी प्रान्तीय भाषाये और उनके साहित्य फीके पड़ जायेंगे। दूसरे शब्दों में, उर्दू सब प्रान्तीय भाषाओं पर अमरवेलि की तरह छु जायगी। उर्दू की विदेशी सकृति, विदेशी प्रवृत्ति, वातावरण, शब्दावली और साज-सज्जा का प्रान्तीय भाषाओं और उनके द्वारा प्रतिध्वनि होने वाली स्वदेशी सकृति पर अत्यन्त विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा—उसी प्रकार जिस प्रकार आज अँगरेजी का पड़ रहा है, केवल उर्दू का प्रभाव इसमें भी अधिक पड़ेगा।

वह भी निश्चित है कि कुछ समय बाद मुसलमान प्रान्तीय भाषा में अनावश्यक उर्दू शब्द 'युसेइना' आरम्भ करेंगे, और इस प्रकार प्रान्तीय भाषा की एक अलग शैली की ही सृष्टि कर डालेंगे, जिसके परिणामस्वरूप हिन्दू बँगला—मुस्लिम बँगला, हिन्दू तेलगू—मुस्लिम तेलगू जैसी समस्याये प्रकट हो जायेंगी। उत्तर में मुसलमानों ने ऐसा ही किया। उन्होंने हिन्दी से से हिन्दी शब्द निकाल निकाल कर अस्त्री और फारसी के शब्द ठूँमें, और इस प्रकार उर्दू की सृष्टि कर डाली, और इस का परिणाम यह हुआ है कि शिक्षा, राजकार्य आदि, आठि के क्षेत्रों में हिन्दी—उर्दू समस्या भीप्रण रूप घारण कर रही है। प्रान्तीय भाषा की मुस्लिम शैली का निर्माण इस कारण और भी सरल होगा कि हिन्दू भी 'हिन्दुस्तानी' द्वारा उर्दू शब्दों से परिचित होंगे। यदि प्रान्तीय भाषा को विकृत करने का जानवूभु कर प्रयत्न न भी किया गया, तो भी ऐसा ही होगा क्योंकि प्रात की व्यापक भाषा, राष्ट्र की कामन भाषा और मुसलमान पडोसियों की भाषा के नाते

उद्धू का प्रान्तीय भाषा पर अत्यन्त व्यापक प्रभाव पड़ेगा। ऐसा मर्दैव हुआ है। भूतकाल में राज-भाषा फारसी का प्रान्तीय भाषाओं पर प्रभाव पड़ा और चर्त्तमान काल में तो अँगरेजी का ऐसा प्रभाव पड़ा है कि प्रान्तीय भाषाओं की आधी देशी और आधी अँगरेजी वालू गैलियाँ ही बन गई हैं। यदि 'हिन्दुस्तानी' उद्धू में परिणित न भी हुई, तो 'हिन्दुस्तानी' का शब्द अरबी-फारसी शब्दावली प्रान्तीय भाषा को विकृत करने और उसके साइन्य को आने वाली पीढ़ियों के लिये मूल-साहित्य बनाने के लिये पर्याप्त होगी। यह भी निश्चित है कि उद्धू लिपि साथ जाने के बाद मुसलमान प्रान्तीय भाषा को उद्धू लिपि में लिखने। बहुत समझ है कि प्रान्तीय भाषा की लिपि के विभाजन ने ही उसकी शैली के विभाजन का श्रीगणेश हो दू। चैक्कि हिन्दू भी 'हिन्दुस्तानी' की एक लिपि के नाते उद्धू लिपि जानते होंगे, उन्हें भी उद्धू लिपि में लिखित प्रान्तीय भाषा को स्वीकार करने में या कम से कम उसे सहन करने में कठिनता महसूस न होगी।

ऊपर जो कुछ कहा गया है, वह कोरो ऊपोल-कल्पना नहीं है। भारतीय

लि. लिपि का भाषा पर गहरा प्रभाव पड़ता है। उद्धू के पृथक विकास का एक कारण यह था कि मुसलमानों ने हिन्दी फारसी लिपि में लिखी। पारसियों की गुजराती रोमन लिपि में खिली जाने के कारण ही हिन्दुओं की गुजराती से सर्वथा भिन्न है और गोशा के इंसाद्रियों की कॉकणी रोमन लिपि में खिली जाने के कारण ही हिन्दुओं की कॉकणी (देवनागरी में लिखित) से सर्वथा भिन्न है। लिपि और भाषा का अद्वृट सबव होता है। जिस प्रकार रोमन लिपि के प्रभाव से अँगरेजी शब्द पारसी गुजराती और ईसाई-कॉकणी में अनायास बर करते जाते हैं और फारसी लिपि के प्रभाव से फारसी शब्द सिन्धी और उद्धू में, और उद्धू शब्द मुस्लिम (१) पजावो में घर करते जाते हैं, उसी प्रकार फारसी लिपि के प्रभाव से उद्धू शब्द प्रान्तीय भाषाओं की मुस्लिम शैली में (फारसी लिपि में लिखित) अनायास बर करते जायेंगे। प्रान्तीय भाषा के बहुत से शब्दों का उद्धू लिपि में न लिखे जा सकने के कारण वहिकार होगा। जेप शब्दों का उच्चारण अट होगा, सो अलग।

मुसलमानों की मनोवृत्ति और उदूँ के प्रति उनके अनुचित आकर्षण के इतने सबूत मिल चुके हैं कि इसमें सन्देह करने की कोई गुजाड़श नहीं कि विभिन्न अहिन्दी प्रान्तों के मुसलमान प्रान्तीय भाषाये त्याग कर उदूँ अपनायगे, और इसके वही परिणाम होंगे जो ऊपर बतलाये गये हैं। उदूँ और उदूँ लिपि के स्टीमरोलर के नीचे काश्मीर, पजाब और हैदराबाद की देशी भाषायें और लिपियों पिस चुकी हैं। पजाबी पर उदूँ का इतना ज़बरदस्त प्रभाव पड़ा है कि उसका मूल सूखूत-बहुल रूप विलकुल बदल गया है। पजाबी मुसलमान जब पंजाबी लिखते ही हैं तो उसे उसकी स्वाभाविक लिपि गुरुमुखी के 'पजाय उदूँ' लिपि में लिखते हैं, और पजाब विश्व-विद्यालय को पजाबी के लिये गुरुमुखी और उदूँ लिपि दोनों को स्वीकार करना पड़ा है। सीमा-प्रात में पश्तो पर उदूँ छाती जा रही है। सिन्ध में मुसलमानों को सिन्धी तभी सद्य हुई जब उन्होंने उसमें जी भर कर अरबी और फ़ारसी ठँस ली और उसकी मूल लिपि देवनागरी हटा कर फ़ारसी लिपि धर ली। सिन्धी का अरबीकरण अब भी जारी है, और चूँकि सिन्ध में मुसलमानों का बहुत बड़ा बहुमत है, उन्होंने सिन्धी हिन्दुओं को भी अपनी अरबी फ़ारसी-मधी सिन्धी और फ़ारसी लिपि स्वीकार करने पर मजबूर कर दिया है। तिस पर भी सिन्ध में उदूँ को खूब प्रोत्साहन दिया जा रहा है।[#] यह कहना विलकुल यथार्थ होगा कि गांधीजी की 'हिन्दुस्तानी' नहीं 'बरन् उदूँ, और दोनों लिपि' नहीं, बरन् वेवल उदूँ लिपि इस समय भी पूरे पश्चिमी पाकिस्तान की और उसके अलग अलग भागों—पजाब, काश्मीर, सीमा-प्रान्त, वलूचिस्तान—की भी, कामन भाषा और लिपि बन चुकी है। उदूँ पूरे हैदराबाद की भी डीफैक्टो कामन भाषा और साहित्यिक भाषा है। उदूँ के प्रभाव के कारण हैदराबाद की देशी भाषाओं भराठी और तेलगू का

[#] अब तो सिन्धी का विलकुल अहिन्दीकार किया जा रहा है और उसके स्थान में उदूँ की प्रतिष्ठा की जा रही है। आगे 'पुनर्लेख' देखिये।

स्वस्प अत्यन्त पिछुत और कल्पित होना जा रहा है। बंगाल में 'हिन्दू बँगला' और 'मुन्निम बँगला' के नाम अभी में सुनाई पढ़ने लगे हैं, फरवरी, १९४७ के 'माहन् रिव्यू' में प्राक्षेपर एमन्तकुमार सरकार लिखते हैं।

"The writing of primary text-books has been taken up by the League Government. A new type of language advocated by newspapers is also the azad with Arabic and Persian words preponderating is coming to vogue. The peculiar phonetics and Islamic idioms are absolutely foreign to Bengalis. Primary schools are now called *Muktabs*, it is likely that the secondary schools, mostly built up by the money and energy of the Hindus, will be called *Madrassas* ... The Hindus will soon have to read accounts of 'Janab Ramehandia and his Begum' Sita,' अर्थात्

'(बगाल में) लीगी सरकार ने ग्राधमिक पाठ्य-पुस्तकों का लेखन-कार्य अपने कब्जे में कर लिया है। भाषा का एक नया रूप जिसकी बाकालन आज्ञाद जैसे अद्विश्वार करते हैं और जिसमें अरबी और फारसी शब्द भरे हुये हैं, सामने आरहा है। इसकी विचित्र ध्वनि-ग्रणाली और सुखलमानी सुहावरे तथा शब्द-विन्यास बगालियों के लिये विलकृत विदेशी और अधिनियत है। प्राइमरी स्कूलों को अब 'मक्कन्य' कहा जाता है और संभावना है कि संकन्द्री स्कूलों का, जो अधिकतर हिन्दुओं के नपये और धर्म से न्यायिन हुये हैं, नामकरण 'मदरसा' होगा। हिन्दुओं को अब शीघ्र ही 'जनाय' रामचन्द्र और उनकी बेगम सीता की कहानियों पढ़नी पड़ेगी।"

जहाँ-जहाँ मुसलमानों के हाथ में शक्ति है वहाँ-वहाँ उन्होंने भारतीय जापायों का अरबी और फारसी-करण या तो कर लिया है या अब कर रहे हैं, और फारसी लिपि को भी या तो बुसेड लिया है या अब बुसेड रहे हैं। जहाँ जहाँ हिन्दुओं का बहुमत है वहाँ-वहाँ यही काम अपनी 'हिन्दुस्तानी' और 'डोनों लिपि' द्वारा करने का ज़िम्मा कांप्रेस ने ले लिया है। जो हिन्दुस्तानी वाले इस धर्म में हैं कि हिन्दुस्तानी-बाद के पीछे सबसे

और चूँकि उर्दू को जोर शोर से सरकारी प्रोत्साहन मिल रहा है, धीरे धीरे एक उर्दू—बंगला समस्या आकार धारण करती जा रही है। बंगाल की लीगी सरकार के 'सेकड़ी एजूकेशन विल' का एक गुप्त उद्देश्य उर्दू का प्रचार और प्रसार है। वर्माई प्रान्त में मुसलमानों ने अभी से अपनी मातृ-भाषायें मराठी और गुजराती त्याग कर उर्दू को अपना लिया है, और उदारहृदया वर्माई सरकार ने उनके लिये पृथक उर्दू स्कूलों का प्रबन्ध कर दिया है। अभी हाल में जब वर्माई में एक मराठी विश्वविद्यालय खोलने की चर्चा चल रही थी, वर्माई में एक उर्दू कान्फ्रेन्स (जिसको गांधीजी ने भी आशीर्वाद दिया) बुलाई गई और उसमें यह मौंग पेश की गई कि वर्माई-प्रान्त के मुसलमानों के लिये एक अलग उर्दू विश्वविद्यालय खोला जाय, क्योंकि 'मराठी के कारण मुसलमानों की सस्कृति खतरे में पड़ जायगी।' जब राष्ट्रवादी झंगरेजी का पूर्ण बहिष्कार कर देंगे तब देखेंगे वर्माई की असेम्बली कैसे अर्थात् किस भाषा में अपना काम करती है जिससे वह सब सदस्यों की समझ में आजाय, परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि यदि वहाँ यही स्थिति रही, और यदि श्रीयुत खेर ने जो प्रधान-मंत्री और शिक्षा मंत्री होने के साथ साथ गांधी जी की हिन्दुस्तानी-प्रचार-सभा के एक प्रमुख सदस्य हैं, वर्माई में गांधीजी की 'हिन्दुस्तानी' और 'दोनों लिपि' का प्रचार किया, तो उर्दू वर्माई प्रान्त की डीफैक्टो कामन भाषा हो जायगी, और उसके नीचे मराठी और गुजराती की दुर्दशा होती चली जायगी। यह सर्व-विदित है कि मुसलमान वक्ता शुद्ध उर्दू के सिवा अधिक बोधगम्यता का मिद्दान्त है, वे भी ओर्ख खोलकर देख लें कि यह बोधगम्यता का नहीं, सस्कृति का सवाल है, नहीं तो बगाली मुसलमान आज बंगला के अपने चिरपरिचित संस्कृतज शब्दों को निकाल कर उनके स्थान में अपरिचित विदेशी शब्द न भरता। 'हिन्दुस्तानी' को मुसलमानों से मजूर कराने के लिये उसे अरबी और फारसी मथ कर बनाना पड़ेगा।

किसी दूसरी हिन्दुस्तानी में नहीं बोलते, और उत्तर में ही नहीं, प्रयत्न करके वगाल और मद्रास में भी उदूर् में (गांधीजी की 'हिन्दुस्तानी' या कांग्रेस के हिन्दू नेताओं की ५०-५० प्रतिशत चाली हिन्दुस्तानी में नहीं) भाषण करते हैं, जाहे वे प्रादेशिक भाषा क्यों न जानते हैं। इसमें मुसलमानों की मनोवृत्ति पर भग्पूर प्रकाश पढ़ता है। रहा महा सन्देश आनंद के मुसलमानों की इस माँग से दूर हो जाता है कि उनकी शिक्षा का माध्यम तेलगू और वजाय उदूर् कर दिया जाय।

क्या हम अहिन्दी प्रान्तों की कांग्रेसी सरकारों से और गांधीजी के हिन्दुस्तानी-प्रचार के पीछे मतवालों से पृछ सकते हैं, कि यदि अहिन्दी प्रान्तों के मुसलमानों को राष्ट्र-भाषा के रूप में 'हिन्दुस्तानी' के बजाय हिन्दी, और गण्डू-लिपि के रूप में 'दोनों लिपि' के बजाय केवल देवनागरी सिखाई जाय, तो भी क्या उन्हें अपनी मातृ-भाषा और प्रान्त-भाषा को निगद्धत करने, त्यागने या विकृत करने की अथवा उसे उसकी स्वाभाविक लिपि के बजाय किसी दूसरी लिपि में लिखने की कोई प्रेरणा होगी अथवा साधन ही लम्ब्य होगे ? उस हालत में भी क्या उन्हें सार्वदेशिक प्रकरण के सिवा दूसरे प्रकरण में 'राष्ट्र-भाषा हिन्दी' का प्रयोग करने की इच्छा होगी ? रही अहिन्दी हिन्दुओं की वात, सो वे तो अपनी मातृ-भाषाओं और लिपियों से प्रेम करते हैं। उनके द्वारा तो प्रान्तीय भाषाओं की हानि कभी हो ही नहीं सकती। इसके अतिरिक्त हिन्दी, और वगाला, आसामी, उडिया, तेलगू, तामिल मराठी, गुजराती, आदि प्रान्तीय भाषाओं की स्थृति, प्रवृत्ति और शब्दावली में इतना साम्य है कि उनका एक दूसरे पर प्रभाव एक दूसरे के लिये लाभदायक ही सिद्ध हो सकता है।

समस्या को भली भाँति समझ लेना चाहिये। हिन्दी और उदूर् एक भाषा की केवल दो शैलियों हो अथवा न हो, वे भाषा की दो सर्वथा भिन्न दिशायें अवश्य हैं। एक की दिशा भारत की ओर जाती है और दूसरी की

फारस और अरब की ओर, केवल शब्दों में ही नहीं बल्कि प्रत्येक महत्व-पूर्ण बात में—शब्दों के रूपों में, अलकारों में, उपमाओं में, छन्दों में, व्याक-रण में, स्थकृति में और लिपि में। जब तक दोनों की दिशा एक न हो, तब तक उनका एक होना और गांधीजी की सरस्वती का प्रकट होना असंभव है। और बात यह है कि हिन्दी की दिशा या प्रवृत्ति वही है जो अन्य प्रान्तीय भाषाओं की। प्रत्येक प्रान्तीय भाषा और उदूँ में सधर्ष का यही मूल कारण है। 'यह हिन्दी—उदूँ' की समस्या' नहीं, भाषा के क्षेत्र में हमारी वही चिर-परिचित हिन्दू—मुसलिम समस्या है। अभी यह हिन्दी—उदूँ के सधर्ष के रूप में दिखाई देती है, शीघ्र ही वह उदूँ—बंगला सधर्ष, उदूँ—तेलगू सधर्ष, उदूँ—तामिल सधर्ष, उदूँ—मराठी सधर्ष, उदूँ—गुजराती सधर्ष, आदि के रूप में दिखाई पड़ने लगेगी। वर्मई में उदूँ—मराठी और उदूँ—गुजराती युद्ध अपनी मव्यम अवस्था में पहुँच चुका है, बंगला में उदूँ और बंगला का युद्ध आरम्भ हो गया है और मद्रास में उदूँ—तेलगू और उदूँ—तामिल युद्ध आरम्भ होने जा रहा है। गांधी जी ने बीमारी की जड़ तक न पहुँच कर बीमारी के एक चिन्हमात्र की चिकित्सा करनी चाही है, और उनका इलाज—५०-५० प्रतिशतवाली 'हिन्दुस्तानी' और 'दोनों लिपि'—बीमारी से भी अधिक भयकर है। जैसा ऊपर बताया जा चुका है, उससे बीमारी और बढ़ेगी। गांधी जी का हिन्दुस्तानी-बाद उदूँ और विभिन्न प्रातीय भाषाओं के युद्ध में सभी प्रान्तीय भाषाओं के परास्त और पददलित होने का कारण बनेगा। वह केवल हिन्दी की अखड़ता, शुद्धता और अस्तित्व पर ही नहीं, वरन् सभी प्रान्तीय भाषाओं की अखड़ता, शुद्धता और अस्तित्व पर कुठाराधात है। हिन्दुओं की शक्ति विभिन्न प्रातीय भाषाओं के बीच में, उनके पृथक पृथक विकास और साहित्य की अभि वृद्धि करने में वैसे ही बँटी हुई थी, आज गांधी जी ने हिन्दी के केम्प में जो फूट डाली है और जिस बाद को 'राष्ट्रीयता' का जामा पहनाया है, उसका

परिणाम यही होगा कि उदू इस बाट को अपनी दाल और नलचार दोनों वनाकर पहले हिन्दी को और फिर एक एक करके प्रान्तीय भाषाओं का चौपट कर देगी। दूसरे शब्दों में, गाधी जी, काश्रेम और अन्य हिन्दुस्तानी बालों ने अपने हिन्दुस्तानी-ग्रान्टोलन द्वारा हिन्दी को जो कृति पहुँचाई है और पहुँचा रहे हैं, वह केवल हिन्दी की नहीं, सब प्रान्तीय भाषाओं की कृति है। आज सब भारतीय मायाओं में ने नेवल हिन्दी वह भाषा ही ही जो सख्त का उत्तराधिकार प्राप्त करके समृद्ध की भौति विभिन्न प्रान्तीय भाषाओं को एक वधन में वॉयने का एनिहासिक कर्तव्य पूरा करने में समर्थ है, वह उदू के प्रदारों से प्रान्तीय भाषाओं की ज्ञान के लिये उनका वाहनी दुर्ग भी है। अहिन्दी जन इस दुर्ग को नष्ट करके स्वयं अपनी भाषाओं के विनाश का मार्ग खोलेगे। अभी हाल की (अक्टूबर, १९५६) की खबर है कि मद्रास को काश्रेमी मण्डाल ने मद्रास-प्रान्त के सब स्कूलों के लिये राष्ट्र-भाषा के रूप में 'हिन्दुस्तानी' और 'दोनों लिपि' की शिक्षा का प्रबन्ध करना अनिवार्य करार दे दिया। कहना कठिन है यह 'हिन्दुस्तानी' कौनसी हिन्दुस्तानी है। यदि यह उत्तरी-भारत की बोलचाल की हिन्दुस्तानी, जिसे बोलचाल की हिन्दी कहना अधिक उचित होगा, है और मद्रास तरकार यह समझती है कि उससे राष्ट्र का काम चल सकता है और वह सार्व-इशिक भाषा के रूप में अँगरेजी को निकालने में समर्थ है तो वह अम में है। अगर यह कोई साहित्यिक हिन्दुस्तानी है जिससे बच्चों को कहानियां के अतिरिक्त कोई और काम भी निकल नकता है, तो कहना कठिन है वह क्या है, क्योंकि यहाँ उत्तर में तो हमें हिन्दी और उदू' के अतिरिक्त किसी साहित्यिक हिन्दुस्तानी का अथवा हिन्दी साहित्य या उदू' साहित्य के अतिरिक्त किसी 'हिन्दुस्तानी' साहित्य का पता नहीं। उत्तर के स्कूलों में तो कोई 'हिन्दुस्तानी' नहीं, वरन् 'हिन्दी' और 'उदू' पढ़ाई जाती है। हमें किसी ऐसी साहित्यिक 'हिन्दुस्तानी' का (या उसके सिद्धान्तों का) भी पता नहीं जिसे पूरे देश ने

राष्ट्र-भाषा के रूप में स्वीकृत कर लिया हो। यदि मंद्रास-सरकार यह समझती है कि उत्तर की पर्वाह न करके वह अपनी अलग साहित्यिक हिन्दुस्तानी का और उसके साहित्य का निर्माण कर सकती है और उसे जीवित भी रख सकती है, तो फिर उसे धोर भ्रम हुआ है (कम से कम फिर उसे वह 'राष्ट्र-भाषा' कहकर तो न पुकारे)। जो कुछ भी हो, वह तो स्पष्ट है कि वह 'हिन्दी' नहीं है। शायद वह हिन्दी और उदूँ का एक वैसा ही मनमाना घोल है जैसा गाधीजी के पत्र 'हरिजन-सेवक' में काम में लाया जाता है, जिसके कोई सिद्धात नहीं, कोई आदर्श नहीं और जो कुछ व्यक्तियों की जिद रखने के लिये तैयार किया गया है (इस घोल के विशेषज्ञ सब जगह, वा सीखे सिखाये नहीं मिलते—खास तौर से तैयार किये जाते हैं)। और उदूँ लिपि तो साफ़ साफ़ रक्खी ही रही है। अतः यह निश्चय के साथ कहा जा सकता है कि मंद्रास की कायेसी सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया है जो तामिल और तेलगू का सत्यानाश करके रहेगा। ऊपर से तुर्रा यह है कि फिर भी इससे कोई समस्या हल नहीं होगी, क्योंकि स्थिति यह है कि मुसलमान प्रान्त फिर भी शुद्ध उदूँ के सिवा किसी भी दूसरी हिन्दुस्तानी को और उदूँ लिपि के सिवा किसी दूसरी लिपि को आश्रय देने को तैयार नहीं (सिन्ध का उदाहरण सामने है जहाँ लीगी सरकार ने अभी हाल में 'हिन्दुस्तानी' नाम धरकर उदूँ को शिक्षा का अनिवार्य बिप्रव घोषित कर दिया, और चूंकि लिपि के मामले में धोखा देना सभव न था, इसलिये उस 'हिन्दुस्तानी' के लिये लिपि डके की चोट

३८ दक्षिण भारत हिन्दी (१) प्रचार सभा की 'हिन्दुस्तानी' पुस्तकों की 'हिन्दुस्तानी' का पता तो निश्चित रूप से लग गया है। उसके विधाता सभा के प्रधान-मंत्री श्री सत्यनारायण तथा कुछ अन्य दक्षिण-स्थित व्यक्ति हैं, और वह है उदूँ लिपि में शुद्ध उदूँ और देवनागरी में उदूँ जिसमें कहीं कहीं अकेले या कोष्ठकों में उदूँ पर्यायों के साथ हिन्दी के सरल शब्द धर दिये गये हों।

केवल उद्दे० लिखि रखी हुा गो, गाधीजी, कांग्रेस और आनंद सुरक्षानी तुप है)। यम्बई और अन्य अटिन्डी प्रान्तों की कामियी मरणाएँ ऐसी घटेंगी जो मद्रास नगरकार ने किया है। ऐसी नियमी ने एक दिनी-प्रेमी और विभिन्न प्रान्तीय भाषाओं के प्रेमी का प्रदिन्दी भारी जन्मा प्रीर जनायकों से यही नियोग है, नविक उत्तरी और मिचार राजी, प्रबलिना नाम प्रीर उद्य व्यक्तियों में, जो जांट किन्हें ही महान रही है, अन्य प्रदिन्दी भाषा मत रहा और अपने ही दृष्टियों अपने नपरे और गाधीजों ने बहु न कर्म, जो तुम्हारे नज़र पर ही उडाराकान रहेगा, इस प्रान्तीन देश की जगता एवं पुरानी गस्तीत पर मनकर आशान रहेगा और जिसे उस उद्देश्य पर गफन होना तो दूर रहा जिसे लेकर तुम यह परना नहाने ही, उहाँ प्रतिमिनाकादिया और साढ़े-दोहियों को प्रतिगामी गोंगों की दृष्टि हो जायगी। इस उत्तरवासी ने किसी प्रकार अपना जाग जना लेने ही कोड़ि दिन्दी और उद्दे० फिर एक ही बोली के व्यापार पर गढ़ी है, वग्नु उद्दे०—वैगला, उद्दे०—तेलगु, उद्दे०—तामिळ, उद्दे०—मराठी जैसी समस्याएँ तुम्हारी प्रगति के मार्ग में ऐसी रक्षाजंड बनकर रही हीं जायेंगी जिनका योहु इलाज न होगा।

२

कांग्रेस और 'हिन्दुस्तानी'

यह स्पष्ट है कि विभिन्न प्रान्तीय कांग्रेसी सरकारें कांग्रेस रे प्रत्यक्ष ग्रांट अप्रत्यक्ष दवाप के कारण ही गाधीजी के हिन्दुस्तानी-कार्यक्रम को प्रयत्न रही है, अत कांग्रेस की हिन्दुस्तानी चिपक नीति के सम्बन्ध में भी कुछ कहना आवश्यक हो जाता है। कहना न होगा, राजनीति के क्षेत्र में कांग्रेस की अभीजमेट पालिसी पूर्णत असफल रही है। उससे केवल साम्प्रदायिकना को और शह मिली है। और कितनी ही नई समस्याएँ उसले ही गई हैं।

भाषा के क्षेत्र में अपीजमेन्ट पालिसी—'हिन्दुस्तानी' और 'दोनों लिपि'-वाद अपीजमेन्ट के सिवा और कुछ नहीं—की भी वही गति होगी। उसमें केवल समस्या और दुर्लाल होगी (पहले बतलाया जा चुका है) और देश की वास्तविक राष्ट्र-भाषा हिन्दी का घोर अहिन होगा। मुसलमान, जिनके लिये हो यह सब खेड़ा खड़ा किया जा रहा है, हिन्दुस्तानी-वाद से रक्ती भर प्रभावित नहीं। उनकी मातृ-भाषा चाहे हिन्दी हो, चाहे बँगला, तेलगू, तामिल, मराठी, या गुजराती, उन्हें उदूँ छोड़कर किसी दूसरी हिन्दुस्तानी से और उदूँ लिपि छोड़कर किसी दूसरी लिपि से कोई मतलब नहीं। वे 'दोनों लिपि' और गाधीजी के 'हरिजनसेवक' की हिन्दुस्तानी भी कदापि स्वीकार नहीं करेंगे। 'हिन्दुस्तानी' का रहस्य उसी दिन खुल गया जिस दिन रेडियो हिन्दी उदूँ सलोहकार कमेटी में अजुमन-तरक्की-उदूँ के प्रतिनिधि ने घोषित किया कि उसकी और अंजुमन की राय है कि 'हिन्दुस्तानी' के प्रदोग में समय नष्ट न किया जाय। इस मामले में कांग्रेसी मुसलमान और 'नेशनलिस्ट' मुसलमान लीगी मुसलमानों के साथ हैं। यह पहले कहा जा चुका है कि मौलाना आजाद ने आन्द्र के मुसलमानों की प्रतिक्रियावादी मौग का समर्थन किया। जब सब से बड़े कांग्रेसी मुसलमान का यह हाल है तो दूसरे मुसलमानों का क्या कहना। एक दूसरा सबूत यह है कि यद्यपि हिन्दू कांग्रेसी नेता अपने भाषणों में निश्पक्षता, उदारहृदयता, 'एकता'-प्रियता और न जाने क्या क्या दिखाने को उदूँ शब्द जानत्रभ कर भरते हैं, कांग्रेस के मुसलमान नेता सदेच शुद्ध उदूँ में बोलते हैं (लीगी मुसलमानों के मुकाबले में कांग्रेसी मुसलमानों का कोई विशेष महत्व नहीं, यह बात अलग है।) फलतः राष्ट्रीय प्रकरणों में या चर्चा की 'हिन्दुस्तानी' चलती है या उदूँ। हिन्दी कहीं दिखाई नहीं देती। आज की अन्तर्कालीन सरकार को ही देख लीजिये। उसमें या उदूँ पर जान देनेवाले हैं या 'हिन्दुस्तानी' पर मरने वाले अर्थात् आवे उदूँ शब्द और देवनागरी के साथ साथ उदूँ लिपि का प्रचार करने वाले और चाहने

साले। मेजावी हिन्दी को पृष्ठनेपाला के नहीं है। इन गानों का परिचयम् यह हो रहा है कि उदूँ, उदूँ शब्दों और उदूँ लिखि का प्रयोग कौन है, हिन्दी कामयों पर रही है और कमज़ोर ‘हिन्दुस्तानी’ कि भी गाएँ भाषा नहीं होती। ‘हिन्दुस्तानी’ तो हुआ हुआ नहीं, वह ऐफल हिन्दी का दरिकाह ए हो गया। गावी-गावी और नामेग पाली किंवदु आरट पुस्टों, जिस मुख्लमान ‘हिन्दुस्तानी’ स्वीकार नहीं पाने तो इन द्विंगे गाएँ द्वारा से चमुा हो जाएँ? प्रथम तो यह ममाह में नहीं पाला हि ‘हिन्दुस्तानी’ ‘गाएँधीय’ किस प्रकार है? अपनी निंदि और शब्दों से द्वैनवाद (प्रत्यक्ष है) के कामण ‘हिन्दुस्तानी’ तो भाषा का साक्षात् पाकिस्तान है जिसमें दो लिपियाँ इस बाब्त रक्की जाती हैं कि प्रथम हिन्दुओं की लिपि है और एक मुख्लमानों की, और शब्दों के तो इस कारण रक्तों जाते हैं कि मन्दुन हिन्दुओं की परिण भाषा है और अर्द्धी मुख्लमानों की (और फारमी?)। भला वही इस द्वैनवाद से ‘एक राष्ट्र’ की गाएँधीयता सध नहीं है? डिनीव, वामेस ने सुरिलम होगे रे पारित्तानी नारे के यिच्छ लक्ष्म रुस्तिम लंग दो प्रदनी। ‘एक हिन्दुस्तान’ की गाएँधीयता स्वीकार करने पर तो नटचूर कर लिया (शा देना करने का दावा रखी है)। एपरन्तु पर मुख्लमानों दो ‘हिन्दुस्तानी’ में दोलने और तिखने के जिये द्वेष सिद्धग कर्नी, और रुस्तिम प्रदनों दे मुख्लमानों को ‘हिन्दुस्तानी’ और देवनागरी वेने सिद्धग कर्नी। एता कामेग आज भी यह ग्रामा करनी है कि यदि वारेसो हिन्दू इसी प्रदान ‘हिन्दुस्तानी’ के नाम पर हिन्दी को इत्या क ते रहेगे, तो गविष्य में सुरुमन भी दिल पिघलाव-योग के वशीभूत होगर ‘हिन्दुस्तानी’ वे दोलने लगेंगे?

जैसा पहले वहा जा चुका है, उदूँ की दिशा या प्रवृत्ति हिन्दी और हि अन्य सभी भारतीय भाषाओं की दिशा या प्रवृत्ति से मलतः भिन्न है। जन्मरत प्रथम वह यात भी नहीं रही। आगे ‘पुनरुच्च’ देखिये।

उर्दू की दिशा बदलने की है, हिन्दी की दिशा बदलने की नहीं। अगर उर्दू अपनी दिशा बदलने को तैयार नहीं, तो उसका दड हमें न दिया जाय— हमें अपनी दिशा में चलने दिया जाय। उर्दू वालों को उर्दू छोड़कर हिन्दी ग्रहण करने पर तैयार करना है, हमें हिन्दी छोड़कर आधी उद्दे, आधी विदेशी 'हिन्दुस्तानी' ग्रहण करने पर नहीं। हम पर 'हिन्दुस्तानी' और 'दोनों लिपि' न लादी जाएँ। हमारा काग्रेस से करबच्चा निवेदन है कि वह शुद्ध साम्प्रदायिकता को राष्ट्रीयता समझने की भूल न करे और अस्थायी लाभ, जो भी सदिग्ध है, की खातिर राष्ट्रीयता को सदैच के लिये पगु न करे। यदि मुसलमान अपनी पर-देश-भक्ति (extra-territorialism) नहीं छोड़ सकते, तो क्या काग्रेस 'एकता' के नारे लगाकर हम भी भारत और भारतीयता से कम प्रेम करना सिखायगी? यदि अन्य देशों के अपने सहधमियों की भाँति (उदाहरणाथ फारसी मुसलमान, जो फारसी में से अनावश्यक अरबी शब्द चुन चुन कर निकाल रहे हैं—यहाँ तक कि यदि कोई फारसी मुसलमान भूल से अपनी अर्जी में किसी विष्वृत अरबी शब्द का प्रयोग कर देता है तो सरकार उसकी अर्जी अरबीवृत कर देती है) भारतीय मुसलमान राष्ट्रीय दृष्टि-कोण नहीं अपना सकते, तो क्या काग्रेस 'एकता' के नाम पर हमें भी अराष्ट्रीय दृष्टि-कोण अपनाने पर विषय करेगी?

काग्रम सोशलिस्ट पार्टी कहती है और ठाक कहती है, स्वतन्त्रता और राजनीतिक एकता मुस्लिम लग्जो और कसेशन देने से नहीं हो सकती। हम कहते हैं, भाषा की एकता भी उर्दू वालों को और कसेशन देने से नहीं हो सकती। यह यथेष्ट कमशन है कि उर्दूवालं वो उर्दू और उर्दू लिपि सीखने पढ़ने दिया जाय, परन्तु राष्ट्र-भाषा हो 'हिन्दुस्तानी' एक 'और कसेशन' है। यह यथेष्ट कसेशन है कि उर्दू को हिन्दी न बनाया जाय, परन्तु "हिन्दी को 'हिन्दुस्तानी' बनाया जाय" एक 'और कसेशन' है जो राजनीतिक 'और कसेशनों' की भाँति निष्कल तो होगा ही, हिन्दी और हिन्द की असीम

हानि करेगा और 'एकता' किर मी उतनी ही दूर रहेगी जितनी पहले थी।

साम्राज्यिक समस्या पर विष्णुपात करते हुए आचार्य कृपलानी ने मेरठ में अपने राष्ट्रपति के पद से दिये गये भाषण में कहा, “— हम जो कुछ भी करें उसमें हमें गण्डीयता और जनतंत्र पर साम्राज्यिक और जनतंत्र-विरोधी सिद्धान्तों को विजय नहीं पाने देना चाहिए। —— मेरा विश्वास है कि यदि हमने पृथक-निवाचन के आराष्ट्रीय और अजनतत्रात्मक सिद्धान्त को मानने से साझ साझ इनकार कर दिया हो—, तो हम अपनी चर्तमान सुभीवन से बहुत कुछ बच गये होते। ——” भविष्य के लिये चेतावनी देते हुए उन्होंने किर कहा, “———— सभव है, तात्कालिक कटिनाई से दबने के लिए हम किर ऐसे सिद्धान्तों को स्वीकार कर लें जो गण्डीयता और जनतंत्र के मूल पर कुठाराधात करने वाले हों। — मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में हमारे बयोवृद्ध नेता सब्य मावधान रहेंगे और देश को भी सावधान रखेंगे कि कहीं वे दबाव या कहने-सुनने में आकर गण्डीघाती, अजनतत्रात्मक समझौते न कर दें। ——” हम कांग्रेस के बयोवृद्ध नेताओं और सबसे बयोवृद्ध नेता महात्मा गांधी से प्रार्थना करते हैं कि वे हिन्दी-उद्दू समस्या को, जिसे सब एक साम्राज्यिक समस्या मानने को तैयार होंगे, और अपने हिन्दुभूती चाद को गण्डूपति की इन उक्तियों की रोशनी में दें। राष्ट्र-भाषा में एक स्वदेशी शब्द, जिसे ८० व्यक्ति समझते हों, के बजाय एक विदेशी शब्द, जिसे केवल २० व्यक्ति समझते हों, रखना कहाँ तक राष्ट्रीय है और कहाँ तक जनतत्रात्मक है? और राष्ट्र-भाषा के निमित्त एक विदेशी, अवैज्ञानिक, अनुपयुक्त और अपूर्ण लिपि को जिसे अधिक से आधक ३ करोड़ व्यक्ति जानते या मानते हों और जिसे ल्यागना फरस और तुर्बी जैसे मुरुलमान देरां ने हो अपनी उच्चति के लिए आवश्यक समझा हो, एक स्वदेशी, वैज्ञानिक, उपयुक्त और पूर्ण लिपि, जिसे कम से कम १४ करोड़ व्यक्ति मूल रूप में और लगभग १० करोड़ व्यक्ति और

कुछ परिवर्तित रूपों में जानते या मानते हों, के समान स्थान देना कहाँ तक राष्ट्रीय, जनतंत्रात्मक या विज्ञान-सम्मत ही है ? क्या राष्ट्र-भाषा के निमित्त दो लिपि के सिद्धान्त को मान कर केवल तात्कालिक कठिनाई को दूर करने के उद्देश्य से एक राष्ट्र भाषी, अ-जनतंत्रात्मक समझौता नहीं किया जा रहा है, और क्या वह अव्याचलात्मक होने के अतिरिक्त राष्ट्रीयता, जनतंत्र और एकता के मूल पर कुठारावात नहीं करता और क्या इसे मानने से, यदि देश को ऐसी मुसीबतों से बचाना है जिनका अत कभी न होगा, इमें साफ इन्कार न कर देना चाहिये ?

३

'हिन्दुस्तानी' का रहस्य

—भाषा-त्रैताओं के मुख से—

हिन्दी के प्रसिद्ध विद्वान श्रीचन्द्रबली पाडे अपने 'True Genesis of Hindusthani' शीर्षक लेख में लिखते हैं :—

"It is generally alleged that the question of high Hindi first sprang up from the establishment of Fort William College (1800) under the patronage of Dr. Gilchrist. But the policy as regards Hindi, Urdu and Hindustani followed by the Fort William College, as it has been explained by Gilchrist himself was that—"In the Hindustani, as in other tongues, we might enumerate a great diversity of styles, but for brevity's sake, I shall only notice three here, leaving their sub-divisions to be discussed along, with the history of the language which has been reserved for the second volume First, the High Court or Persani

style. Second, the middle or genuine Hindustani style; third, the vulgar or Hinduwee.

"In the more elevated poems of Saqda, Walee and others and in the affected, pompous, pedantic language or literature and politics, the first is predominant and leans to Arabic and Persian agreeably to circumstances.

"The elegy of Mirkeen, the satires of Sanda, Hindustani Tales and Articles of War in the Oriental Linguist, the speech of wellbred Hindustani Munshees and servants are the best specimens I can recollect of the middle style, while the third or Hinduwee is evident in Mr. Fostor's unaffected translations of the Regulations of Government, in all or greatest part of Hindustani Compositions written in the Nagri character, in the dialect of the lower order of servants and Hindus, as well as among the peasantry of Hindustan. The preference which I give to the middle style over the others, must appear in every page of my works, as it is in truth central regulator or tongue by which we perceive the ascending and descending scales on either side" (From Appendix to Gilchrist's Dictionary).

It must be noted here that the regulations of the Government of Fort William were translated into the genuine Hindi language and Nagari character commonly spoken and used by the Indian masses.

But the authorities of the Fort William College gave preference to the Munshee's Hindustani about which Sir C. E. Trevelyan (afterwards the Governor of the Madras Presidency) in 1834 remarks that —

"The Arabian Hindustani, which has grown up at Calcutta under the fostering patronage of Government, and is spoken by the Munshees of the College of Fort William, and the Maulvees and students of the Mohamedan College, is quite a different language from that which prevails in any other part of India" (From the History of the Application of the Roman Alphabet, by M. Williams, Published by Longmans, London, 1859, page 29)

And it is no wonder that in the middle of the 19th century Hindooostani becomes the synonym for Urdu, Sir Richard Temple (the Governor of Bombay, 1877-1880) observes that—

"The tongue of Moslems in India was most largely to be Persian, but since the middle of the century it has become Hindustani, formerly called Urdu, which is still the official language of the Courts in the districts round Lahore, Delhi, Agra, Lucknow. Elsewhere the official language of the Courts is the language of the region, that is to say, Bengali for Bengal, Oriya for Orissa, Hindi for Bihar and Benares, Maharatti for Nagpore and the Central Deccan to

Bombay, Gujrati for the Western Coast, Telugu for the Southern Deccan and the Eastern Coast, Kannarese for the South Western Coast and Tamil for the Southern Peninsula. Of these main languages, all save Hindustani and the Tamil are derived from Sanskrit." (From Progress of India, Japan and China in the Century, W. and R. Chambers, Ltd., London, 1902, p. 181).

And that is why the Concise Oxford Dictionary maintains "Hindustani—Language of Mohammedan conquerors of Hindustan, Urdu"

प्रसिद्ध भाषा-वेत्ता डा० सुनीतिकुमार नटर्ज्जुं अपनी पुस्तक 'हन्दो-एस्ट्रियन ऐड हिन्दी' (Indo-Aryan and Hindi) में लिखते हैं—

"बाहरही और तेरही शताव्दियों की तुर्क-मिजां के पश्चात् उत्तरी भारत (पूर्वी पंजाब से लेकर बगाल तक) की प्रचलित भाषा के नामों में मैं हिन्दी सबसे प्राचीन और सरल नाम है, और भी इसका प्रयोग इसी पुराने अर्थ और चौनि में करता हूँ और जनता में भी अभी तक इस नाम से वही भाषा ग्रहण किया जाता है। 'हिन्दुस्तानी' बहुत बाद की और अधिक बोभीली उपज है—शुद्ध फ़ारसी शब्द के नाते अब यह शब्द मुसलमानी हिन्दी अर्थात् उर्दू, जिसमें फ़ारसी और अरबी शब्दों की भरमार रहती है और देशज हिन्दी तथा मस्वृत शब्द यशाशक्ति न्यून और बहिर्वृत रहते हैं, का पर्याय हो गया है। भारतीय भाषाओं के कुछ विद्यार्थियों और कानूनी तथा अन्य स्थानों के राजनीतिक तथा सामाजिक कार्यवर्तीओं वीं और से इस फ़ारसी शब्द 'हिन्दुस्तानी' को अधिक व्यापक अर्थ में प्रयुक्त करने का और उसे साहित्यिक हिन्दी (नामरी हिन्दी) और उर्दू दोनों वीं आधार-

भूत बोली के अर्थ में प्रयुक्त करने का प्रयत्न हूँआ है, परन्तु इन कौशिशों के बावजूद लगभग सब ऑगरेज और अन्य विदेशी लोग अब भी ‘हिन्दुस्तानी’ और ‘उदू’ दोनों शब्दों को हिन्दी भाषा की एक ही शैली अर्थात् उस शैली का बोधक समझते हैं जो फारसी लिपि में लिखी जाय और जिसमें अरबी फारसी शब्दावली प्रयुक्त की जाय।’

काग्रेस की हिन्दुस्तानी के विषय में डा० चटर्जी उसी पुस्तक में आगे फिर लिखते हैं—

“अब काग्रस हिन्दुस्तानी के ठेठ आधार अर्थात् खड़ी बोली, जिस पर साहित्यिक हिन्दी और उदू दोनों की नींव रखती हुई है, के आधार पर एक नई भाषा या साहित्यिक शैली गढ़ने का चिन्हार इस कथित झरादे के साथ कर रही है कि विदेशी अरबी-फारसी शब्दों, जिन पर मुस्लमान नेता ज़ोर देते हैं, और देशज हिन्दी और स्वतंत्र शब्दों, जिन पर हिन्दुस्तानी-भाषी क्षेत्र के तथा शेष भारत के हिन्दू ज़ोर देते हैं, के बीच में एक उचित और न्याय सन्तुलन रखा जाय। परन्तु व्यवहार में यह फारसी-निष्ठ हिन्दुस्तानी बन रही है जिसे गुजराती, बगाली, महाराष्ट्री, उडिया और दक्षिण के लोग नहीं समझ पाते (परन्तु फिर भी उनसे हिन्दुस्तानी के इस रूप को गण्डी-भाषा के रूप में ग्रहण करने के लिये कहा जाता है) + और जिसमें विदार और

+ उदाहरण के लिये दी० दी० सी०, मास्को रैडियो, श्रकारा रैडियो और अन्य विदेशी रेडियो रेशनों की ‘हिन्दुस्तानी’ सुन कीजिये, जो शुद्ध उदू है— आत इडिया रेडियो की ‘हिन्दुस्तानी’ नामधारी अपेक्षाकृत पतला चाशनी बाली उदू भी नहीं।

+अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी के गुजराती, महाराष्ट्री, बगाली, आमामी, उडिया और दक्षिण भारतीय सदस्य प्रायः यह शिकायत करते सुने जाते हैं कि हम पं० बालकृष्ण शर्मा और श्री टरडनजी के हिन्दी मापण तो काफी अच्छी तरह समझ लेते हैं परन्तु द० नेइरु, सीजाना आज्ञाद और आचार्य कृपलानी की ‘हिन्दुस्तानी’ ठीक ठीक हमारी समझ में नहीं आती।

सयुक्त-प्रान्त, राजपूताना, मध्य भारत और मध्य-प्रान्त की जनता जो संस्कृतज शब्दावली की अभ्यस्त है, आराम और सुविधा का अनुभव नहीं करती। यह भाषा शायद सयुक्त-प्रान्त, विहार, हिन्दी-भाषी मध्य-प्रान्त तथा पञ्चाब के पढ़े लिखे लिखां और हिन्दुओं की एक विशिष्ट संख्या को सुविधा-जनक जान पड़े।

“यह भली भाँति समझ लेना चाहिये कि पूर्वी संयुक्त-प्रान्त, विहार, नैपाल, बगाल, आसाम, उडीसा, ओण्ड, तामिल नाड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के लोग हिन्दौ-हिन्दुस्थानी के प्रति जो आकर्षण अनुभव करते हैं वह मूनतः दो बातों पर निर्भर है—उसकी देवनागरी लिपि और उसकी संस्कृत-निष्ठ शब्दावली। हमें इस बड़ी सच्चाई को कभी नहीं भूलना चाहिये और न यह कभी भुलाई जा सकती है।”*

४

कैबीनेट मिशन की विधान-योजना और ‘हिन्दुस्तानी’

यह भली भाँति स्पष्ट हो चुका है कि मुसलमान गाघी जी द्वारा प्रस्तावित ‘हिन्दुस्तानी’ और ‘दोनों लिपि’ मानने को भी तैयार नहीं। पञ्चाब, सीमा-प्रान्त, सिन्ध और वल्लचिस्तान, इन मुस्लिम प्रान्तों के प्रकारण में इस बात

४८८ से-४८ ‘हिन्दुस्तानी’ की रट शब्द क्यों जब भारत के वही मांग कांग्रेस की मुद्दी में से निकल गये जिनसे अपनी ‘राष्ट्र-भाषा’ मनवाने के लिये घूस देने के विचार से कांग्रेस, विशेष रूप से कांग्रेस के हिन्दू नेता इतने वर्षों से वास्तविक राष्ट्र-भाषा हिन्दौ की सुचत करके ‘हिन्दुस्तानी’ बनाने में लगे हुये थे।

अब तक कहा जाता था कि देश में उदौँ-भाषी प्रदेश भी हैं, राष्ट्र-भाषा ‘हिन्दुस्तानी’ ऐसी हो जिसे क्रांतियर के लोग भी समझ सकें; अब शायद यह कहा जाय कि रवर्थ की अपेक्षा एक पढ़ोसी राष्ट्र को अपनी राष्ट्र-भाषा समझाना ज्यादा ज़रूरी है।

का दो-टूक महत्व है। इन प्रान्तों में ५०-५० प्रतिशत वाली 'हिन्दुस्तानी' और देवनागरी का न कोई स्थान है और न कभी होगा। उर्द्द, शुद्ध उर्द्द, और उर्द्द लिपि इस समय भी उनकी डी फैक्टो कामन भाषा और कामने लिपि हैं। कैवीनेट मिशन ने जो विधान योजना प्रस्तुत की है, उसके अनुसार इन प्रान्तों पर सदैव मुस्लिम वहुमत वाली सरकारों का जो शायद लीगी ही होंगी, राज्य होगा। बेन्द्रीय सरकार के पास इन प्रान्तों की सरकारों को अपने अपने प्रान्त के स्कूलों में वर्धा को 'हिन्दुस्तानी' और 'दोनों लिपि' की शिक्षा का प्रबन्ध करने के लिये या अपनी दोनों लिपियों सहित वर्धा की 'हिन्दुस्तानी' को शिक्षा का एक अनिवार्य चिपय करार देने के लिये मजबूर करने का कोई वैधानिक साधन न होगा। फिर ये प्रान्त एक ग्रूप (ग्रूप 'बी') बनायेंगे, और यह निश्चित है कि उर्द्द, और उर्द्द लिपि ग्रूप की कामन या राष्ट्र-भाषा और लिपि घोषित की जायेगी और उनका पढ़ना और सीखना ग्रूप के प्रत्येक निवासी के लिये अनवार्य करार दिया जायगा। ऐसी परिस्थिति में सारे राष्ट्र को एक कामन राष्ट्र-भाषा के बन्धन में बॉबने का इसके भिना कोई दूसरा उपाय न होगा कि ५०-५० प्रतिशत वाली 'हिन्दुस्तानी' नहीं बरन शुद्ध उर्द्द, और उर्द्द लिपि कांग्रेस प्रान्तों अर्थात् हिन्दुस्तान ग्रूप (ग्रूप 'ए') की भी कामन भाषा या राष्ट्र-भाषा और लिपि घोषित कर दी जायें, और उनका पढ़ना और सीखना ग्रूप के प्रत्येक निवासी के लिये अनिवार्य करार दिया जाय। यदि आगम में कांग्रेस ने किसी उर्द्द से कम फारसीमयी 'हिन्दुस्तानी' को ही ग्रूप 'ए' की कामन भाषा करार दिया, तो भी परिस्थितियाँ और आवश्यकतायें उसे शीघ्र ही उर्द्द से अभिन्न बना देंगी, क्योंकि एक ओर तो 'हिन्दुस्तानी' के स्वरूप को निर्धारित करने वाले कोई नियम या मिहान्त नहीं है और प्रत्येक उर्द्द शब्द उसमें लिया जा सकता है, और दूसरी ओर ग्रूप 'बी' की सरकार या सरकार उर्द्द के स्वरूप में कोई परिवर्तन न होने देंगी और उसमें कोई हिन्दी सत्कृत

गव्व न घुसने देंगी। और यदि ग्राम्यभ में कामने ने दोनों निवासियों को ही ग्रूप 'ए' की कामन और राष्ट्र-लिपि करार दिया, तो उद्दू लिपि अपने आप वास्तविक राष्ट्र-लिपि अर्थात् सारेगण्ड की लिपिनों दोही गढ़, देवनागरी को योड़े दिनों बाद वेकार वताकर छोड़ भी दिया जायगा। यदि उसे न भी छोड़ा गया (जिसकी रौद्र मुभायना नहीं, क्योंकि वेकार और अनामश्यक चौड़े कभी अधिक समय तक नहीं ठिकरा) तो हिन्दू यह सोननोन कर युन-कायमान तो न होगे कि ग्रूप 'बी' के हिन्दू-मुसलमानों दो देवनागरी नहीं नीसनी पड़ती तो न सही, ग्रूप 'ए' के मुद्दों भर मुसलमानों को तो उद्दू लिपि के साथ नाथ देवनागरी सीखनी पड़ती है। फिर यदि ग्रूप 'ए' के निवासियों को यह विकल्प ही दिया गया कि जो चाहे वह उद्दू लिपि और जो चाहे वह देवनागरी सीखे, तो इसमें या तो “एक कामन राष्ट्र-भाषा जो सब भारतीयों द्वारा सीखी हुई दो लिपियाँ में से किसी भें लिखी जाय” का लद्दन ही भए हो जायगा या ग्रूप 'ए' के हिन्दू अमल में उद्दू लिपि चुनने पर वाच्य होंगे या किये जायेंगे और वही सारे राष्ट्र की टोफ़ कटो कामन लिपि या राष्ट्र-लिपि होगी। यह भी स्वप्न है कि इस परिस्थिति में हिन्दी और उद्दू दोनों को ग्रूप 'ए' को राष्ट्र-भाषा घोषित करने में भी समत्वा हल नहीं होगी, क्योंकि इसका अर्थ होगा उद्दू को ही पात्तविक राष्ट्र-भाषा अर्थात् सारे राष्ट्र की भाषा बनाना, और चूंकि हिन्दी की कोई आवश्यकता न होगी, उसे शीघ्र ही एक वेकार का बोझ समझ कर हटा भी दिया जायगा। यदि उसे न भी हटाया गया, तो हिन्दू यह सोच-सोच कर आत्म-मतोयं गे विभोर तो न होंगे कि ग्रूप 'बी' के हिन्दू-मुसलमानों को हिन्दी नहीं सीखनी पड़ती तो न सही, ग्रूप 'ए' के मुट्ठी भर मुसलमानों को तो उद्दू के साथ हिन्दी भी सीखनी पड़ती है। और यदि ग्रूप 'ए' के निवासियों को यह विकल्प ही दिया गया कि जो चाहे वह उद्दू सीखे और जो चाहे वह हिन्दी सीखे तो इससे या तो “सम्पूर्ण राष्ट्र की एक कामन राष्ट्र-भाषा

जिसे सब भारतीय जानते और सीखते हों” का लक्ष्य ही भ्रष्ट हो जायगा या ग्रूप ‘ए’ के हिन्दू अमल में उदौँ चुनने पर वाध्य होंगे या किये जायेंगे और वही सारे राष्ट्र की डी पैकटो कामन भाषा या राष्ट्र-भाषा होगी।

प्रत्यक्ष है, परिस्थिति ऐसी है कि कांग्रेस के हिन्दुस्तानी-वाद का अर्थ है उदौँ और उदौँ लिपि को पिछुवाडे के रास्ते से प्रचिष्ट कर राष्ट्र पर राष्ट्र-भाषा और राष्ट्र-लिपि के रूप में लाद देना।

यह भली भाँति समझ लेना चाहिये कि ऊपर जो कुछ कहा गया है उसके सत्य होने के लिये कैबीनेट मिशन की योजनानुसार ग्रूपों का बनना आवश्यक नहीं है। ग्रूप ‘बी’ में वही प्रान्त ही तो हैं जिन्होंने न आज तक वर्धा के हिन्दुस्तानी वाद से बास्ता रक्खा है, और न कभी रक्खेंगे, चाहे वे अलग अलग रहें और चाहे एक ग्रूप में आबद्ध हो जायें। और ग्रूप ‘ए’ में वही प्रान्त हैं जिनकी पृथक पृथक सरकारें कांग्रेसी होने के नाते उसी नीति का अनुसरण करेंगी जो उन सब की एक कांग्रेसी, सम्मिलित वेन्द्रीय सरकार की हो सकती है। कैबीनेट मिशन की ग्रूप-योजना ने केवल उसी बात को स्पष्ट-तर कर दिया है जो भाषा के मामले में उसके बिना ही काफी स्पष्ट थी और है। इसके अतिरिक्त, यदि मन के लड्डू फोड़ना छोड़ दिया जाय तो इसका कोई चिन्ह दृष्टिगोचर नहीं होता कि प्रान्तों के ग्रूप नहीं बनेंगे, अथवा यदि बनेंगे तो वे भाषा और संस्कृति का विपर्य केन्द्रीय सरकार को सौप देंगे। कम से कम ग्रूप ‘बी’ का बनना निश्चित है, और इतना काफी है। कोई यह भी न समझे कि इस ग्रूप वाजी के बाद कांग्रेस ५०-५० प्रांतशत वाली ‘हिन्दुस्तानी’ और ‘दोनों लिपि’ (अथवा हिन्दी और उदौँ दोनों) को ग्रूप ‘ए’ की कामन भाषा और लिपि, और इसलिये शिक्षा का अनिवार्य चिपय, घोषित करने की मूर्खता नहीं करेगी। जो कांग्रेस (अर्थात् विभिन्न कांग्रेसी प्रान्तीय सरकारे) सन् १९३८-३९ के अपने अल्प राज्य-काल में यह भली भाँति जानते हुये भी कि मुस्लिम प्रान्त वर्धा की ‘हिन्दुस्तानी’ और ‘दोनों

लिपि' (अथवा हिन्दी उद्दू दोनों), की वात विलक्षण नहीं पड़ती है (और न उन्होंने पढ़ी), युक्त-प्रान्त, विद्वार और मध्य-प्रान्त ऐसे हिन्दी-भाषा प्रान्तों में, जहाँ सुन्दी भर, और वे भी हिन्दी भाषी, सुनलमान रहते हैं, दिन्धी को निकाल कर 'हिन्दुस्तानी' और 'दोनों लिपि' (अथवा हिन्दी उद्दू दोनों) को मवरे निर पर लादने, और गज-भाषा, शिक्षा के माध्यम, आदि के पद पर प्रतिष्ठित करने वे, और व्यभिदे ऐसे स्वतंत्र-निष्ठ भाषाएँ बोलने वाले प्रान्त में राष्ट्र-भाषा वे रूप में ५० ५० प्रतिशत घाली 'हिन्दुस्तानी' और उद्दू लिपि की अनिवार्य शिक्षा जारी करने से बाज न आई, वह ग्रूप 'बी' के (अर्थात् उन्हीं सुलिलम प्रान्तों के) उद्दू वो अपनी भाषा बनाने पर भी नैयल १० प्रतिशत (१८८ में २०) सुन्दरमानों के बाण (जिनमें से अधिकाश हिन्दी और अन्य स्वतंत्र-निष्ठ भाषाएँ बोलते और समझते हैं और देवनागरी या उसके किसी रूप में लिखते हैं) इपू 'ए' की (अर्थात् अपने अधीनस्थ हिन्दू प्रान्तों की) कामन भाषा हिन्दी वे बजाय 'हिन्दुस्तानी' और 'दोनों लिपि' (अथवा हिन्दी उद्दू दोनों) पर धोषित कर सकती है—वस, वैचल 'महात्मा' की उपाधि धारण करने वाले गांधी जी, 'तग-खयाली' से दूर रहने वाले और अन्तरगामीयता में विचरने वाले प० नंदल, सदा एक-स रहने वाले द्वा० राजन्द्रप्रभाद, और मौलाना अबुलवलाम ग्राजाद, श्री ग्रामफल्गुली, द्वा० मैयटमहमद और श्री रफीअहमद किंवद्दि सरीखे काग्रसी और मौजाना मदनी जैसे 'नेशनलिस्ट' सुन्दरमान सलाभत रहे। राज्य की वागडोर फिर सँभालने के ६ महीने के अन्दर अन्दर ही सयुक्त-प्रान्त की काग्रसी सरकार का 'हिन्दु-तानी' वो संयुक्त प्रान्त की देशज भाषा ('वर्नाकुलर') घ पित करना, सयुक्त-प्रान्त और विद्वार की काग्रसी सरकारों का 'हिन्दुस्तानी' को कालजों और विश्वविद्यालयों की शिक्षा का माध्यम बनाने वे लिये कदम उठाना और सयुक्त-प्रान्त की सरकार का 'हिन्दुस्तानी' के साहित्य की अभिवृद्धि के लिये ५० हजार रूपया स्वोकृत करना, आदि और मद्रास की काग्रसी

सरकार का अपने प्रान्त के सब स्कूलों में 'हिन्दुस्तानी' और 'दोनों लिपि' की शिक्षा का प्रबन्ध अनिवार्य करार देना हवा का रुख बताने के लिये काफी है।

इतिहास साक्षी है कि एक बनावटी समझौते पर आधारित या आथित एकता कभी स्थायी नहीं देती। परन्तु "हिन्दुस्तानी और दोनों लिपि" तो एक ऐसा समझौता भी नहीं है जिसे दोनों विराधी दलों ने मान लिया हो। यह तो एक दल का दूसरे के सामने आत्म समर्पण है। मडास, वर्मर्ड, आदि अहिन्दी प्रान्तों की कांगड़ी सरकारों द्वारा अपने अधीनरथ स्कूलों में 'हिन्दुस्तानी' और 'दोनों लिपि' की शिक्षा के प्रचलित किये जाने का परिणाम यही होना है कि उद्दूर्द और उद्दूर्द लिपि भारत की एकमात्र छोटी फैक्टो राष्ट्र-भाषा और राष्ट्र-लिपि हो जाएँगी। इसमें सन्देह करने की कोई गुजाहश नहीं। भाषा की समस्या को कैदीनेट मिशन की विधान-योजना की रोशनी में देखते हुये क्या कांगड़े के लिये यह उचित नहीं है कि इसके पूर्व कि वह हिन्दू प्रान्तों पर, जो उसकी मुट्ठी में हैं, अपनी 'हिन्दुस्तानी' और 'दोनों लिपि' (या हिन्दी उद्दूर्द दोनों) लादे और इस प्रकार उनका समय, शक्ति और पैसा बरबाद करे, उनकी भाषा-समस्या को और जटिल बनाये और हिन्दुओं में फूट डाले और सघर्ष उत्पन्न करे—और यह सब उनमें रहनेवाले मुट्ठी भर (१८७ में २०) मुसलमानों (जिनमें से अधिकांश हिन्दी या अन्य संस्कृत-निष्ठ भाषायें बोलते और समझते हैं) के बारण, कम से कम वह अपनी 'हिन्दुस्तानी' और 'दोनों लिपि' को राष्ट्र-भाषा के रूप में मुसलमान प्रान्तों से भी, कहने के लिये भी और अमल में भी, मनवा ले। अगर वह ऐसा नहीं कर सकती या करने में असमर्थ है, तो न्याय और तकँ का तकँ जायह है कि ग्रूप 'ए' की कामन भाषा और लिपि हिन्दी और वेबल देवनागरी हों और ग्रूप के प्रत्येक निचासी के लिये हिन्दी और देवनागरी का सीखना अनिवार्य हो। चेन्नीय सरकार हिन्दी और उद्दूर्द दोनों को राष्ट्र-भाषा रखीकृत करे और दोनों को

समान पढ़ दे। यह कोई नई वात न होगी। केनाटा में पृथीं किनाड़ा, जट्टौं क्रैंच भाषी जनता का वहुमत है, की राष्ट्र-भाषा क्रैंच है, और क्रैंच-जोन की धारा-सभा और सरकार की सारी कार्यवाहि क्रैंच में होती है, और पश्चिमों कैनाटा, जहाँ अँगरेजी भाषी जनता का वहुमत है, की राष्ट्र-भाषा अँगरेजी है और अँगरेजी-जोन की धारा-सभा और सरकार की सारी कार्यवाहि अँगरेजी में होनी है। कैनाटा की केन्द्रीय सरकार अँगरेजी और क्रैंच दोनों को राष्ट्र-भाषा मानती है और दोनों को समान पद देती है। इसी प्रकार स्वीटजरलैंट ने तर्तन राष्ट्र भाषाएँ हैं और तीनों के अलग अलग जोन हैं। भारत में ग्रूप ‘ए’ की कामन भाषा या राष्ट्र-भाषा हिन्दी होगी, ग्रूप ‘बी’ को उर्दू, और केन्द्र दोनों को राष्ट्र-भाषा मानेगा। यह भारत की राष्ट्र-भाषा स्मस्या का आदर्श नहीं, तो यथेष्ट सतोपजनक और व्यापद्वारिक हल होगा। हिन्दी और उर्दू तो अँगरेजी और क्रैंच (या जर्मन) की अपेक्षा फिर एक दूसरे के अधिक निकट हैं। ग्रूप ‘सी’ के बगाल-प्रान्त की प्रान्त भाषा होगी बँगला। और आसाम की अमसी। यह ग्रूप बँगला को अपनी कामन भाषा या राष्ट्र-भाषा बना सकता है (और उस अवस्था में केन्द्र के लिये बँगला को भी राष्ट्र-भाषा स्वीकृत करना आवश्यक होगा), यद्यपि उदादा अच्छा यह होगा कि ये प्रान्त हिन्दी और उर्दू को राष्ट्र-भाषा के रूप में त्वोकार कर लें या हिन्दी वा उर्दू बतोर राष्ट्र-भाषा के सीखना प्रत्येक वी इच्छा पर होइ दें।

५

कांग्रेस से एक अपील

अन्त में हम कंग्रेस से अपील करते हैं कि उसके ‘हिन्दुस्तानी’ के निषय में चाहे जो विचार हों पर हमारी हिन्दी को बख्श दे। वह ‘हिन्दुस्तानी’ के जोश में आकर हिन्दी का अस्तित्व मिटाने की चेष्टा न करे। कांग्रेस ने वार गार यह धोषणा की है कि वह जनता के प्रत्येक भाग की भाषा और स्स्कृति

की रक्षा और आठर करेगी। कांग्रेस अपनी इस धोषणा का पालन करे। कम से कम हिन्दी के अपने निजी प्रदेश में अर्थात् सयुक्त-प्रान्त, बिहार और मध्य-प्रान्त, इन हिन्दी प्रान्तों में हिन्दी का अखण्ड राज्य रहना चाहिये और इनमें सारा काम-काज जैसे राज्य-व्यवहार, शिक्षा का काम और सार्वजनिक व्यवहार परंपरागत शुद्ध हिन्दी में होना चाहिये। कांग्रेस इन हिन्दी प्रान्तों पर अपनी 'हिन्दुस्तानी'-उसकी अन्तिम रूप-रेखा कांग्रेस चाहे जो भी निश्चित करे—प्रान्तीय भाषा के तौर पर न लादे। इन प्रान्तों की जनता ने विगत शताब्दियों में हिन्दी को रूप दिया है और उसकी वाणी हिन्दी साहित्य के रूप में प्रस्फुटित हुई है, इत्तिये इन प्रान्तों में हिन्दी को छोड़कर प्रादेशिक भाषा के बतौर किसी दूसरी हिन्दुस्तानी का कोई अधिकार नहीं, उसी प्रकार जिस प्रकार अन्य प्रान्तों में परंपरागत प्रान्तीय भाषा को छोड़कर किसी दूसरी भाषा का प्रान्तीय प्रकरण में कोई स्थान नहीं। कांग्रेस वो धोषणा का यही अर्थ निकलता है और इसी प्रकार हिन्दी, परंपरागत हिन्दी, के हितों की रक्षा हो सकती है। राष्ट्र को, यदि वह ऐसा करना ही चाहे तो, राष्ट्र-भाषा निर्माण करने का अधिकार हो सकता है परंतु उसे राष्ट्र के किसी भाग या राष्ट्र की जनता के किसी भाग पर उसकी निजी परंपरागत भाषा हटा कर उसके स्थान में राष्ट्र-भाषा लादने का कोई अधिकार नहीं। यदि राष्ट्र-भाषा को ऐसा और वैसा होना चाहिये, ऐसी और वैसी सकृति का प्रतीक होना चाहिये, तो खुशी से राष्ट्र उसे इच्छानुसार गढ़े, परन्तु, हमारी निजी भाषा हिन्दी और हमारी निजी सकृति के प्रतीक हिन्दी का भी तो अपने प्रदेश में पूर्ण अधिकार रहना चाहिये। हम कांग्रेस से अपील करते हैं कि वह हिन्दी को अपने घरमें से निकाल कर 'हिन्दुस्तानी' को व्रताने का प्रत्यन्त करना छोड़ दे।

केन्द्र में भी (जैसे आल इन्डिया रेडियो, सरकारी फिल्म, केन्द्रीय सूचना विभाग, आदि) हिन्दी, परंपरागत शुद्ध हिन्दी, को कम से कम वह स्थान दिया जाय जो अन्य प्रान्तीय भाषाओं को दिया जाय। हम कांग्रेस से, जिसके

हाथ में आज केन्द्रीय- सरकार की भी वागडोर है, अपील करने हैं कि वह हिन्दी के साथ कम से कम इतना न्याय करे। यदि उसे हिन्दुस्तानी चाद में चास्तब में विश्वास है तो इसके पूर्व कि वह ऐसे प्रकरणों में हिन्दी के स्थान में 'हिन्दुस्तानी' धरे जहाँ अन्य प्रान्तीय भाषाओं को स्वतन्त्र स्थान प्राप्त हैं, जैसे आल इंडिया रेडियो में, और इसलिये जहाँ हिन्दी का भी एक प्रान्तीय भाषा के नाते ही स्वतन्त्र स्थान होना चाहिये, वह पहले अपनी 'हिन्दुस्तानी' और 'दोनों लिपि' को वहाँ प्रतिष्ठित करे जहाँ केवल एक भाषा है और इसलिये जहाँ केवल गान्धी-भाषा को ही होना चाहिये, अर्थात् वह पहले, उदाहरण के लिये, सेना और रक्षा-विभाग की रोमन उर्दू और होम-विभाग तथा अन्य विभागों की राजभाषा उर्दू के स्थान में अपनी 'हिन्दुस्तानी' और 'दोनों लिपि' को प्रतिष्ठित करे (यदि सेना में 'दोनों लिपि' की गुंजाई नहीं, तो विदेशी गेमन लिपि के स्थान में दो 'शहू-लिपियों' में मे अधिक प्रचलित निपि अर्थात् देवनागरी प्रतिष्ठित करे)। जहाँ जहाँ अब तक हिन्दी थी वहाँ वहाँ हिन्दी को निकालकर अपनी 'हिन्दुस्तानी' घरने में कांग्रेस ने देर नहीं की, हमें वह भी तो मालूम हो कि जहाँ जहाँ अब तक उर्दू का अखण्ड गाज़िय रहा है और है वहाँ वहाँ उर्दू को निकालकर अपनी 'हिन्दुस्तानी' प्रतिष्ठित करने के लिये कांग्रेस कहाँ तक तैयार है, कहाँ तक समर्थ है और उसमें ऐसा करने का वहाँ तक साहस है। यह तो चिचित प्रकार का न्याय होगा कि केन्द्र में प्रान्तीय भाषाओं का स्थान हो और 'हिन्दुस्तानी' का भी स्थान हो जैसे आल इंडिया रेडियो में, और उर्दू का स्थान भी अक्षुण्ण रहे जैसे सेना और रक्षा-विभाग में (और संयुक्त प्रान्त, विहार और मध्य-प्रान्त की अदालतों, पुलिस, दफ्तरों, आदि में भी), परन्तु हिन्दी वहीं दिखाई न दे।

पुनरश्च

जिस बात का दर या, अन्त में वह होकर रही। पाकिस्तान वन गया।

जिस कमजौर और सीमित केन्द्र की कैबिनेट मिशन ने व्यवस्था की थी, अब वह भी नहीं रहा। कांग्रेस ने शेर की खाल उतार फैंकी और जनता से किये गये अपने बादों को भूल कर, बिना चाँचपड़ किये, बिना हाथ-पैर मारे चुपचाप पाकिस्तान स्वीकार कर लिया। हमारा प्रिय आर्यानित्त जिसकी एकता का उच्च घोष वेदों ने किया था और जिसने अपनी सास्कृतिक एकता को अब तक अखड़ बनाये रखा था, आज टूक-टूक हो गया। हिन्दुओं के साथ, जिन्होंने भारत-माता की वेदियों को काटने के लिये और उसके शरीर को अक्षत रखने के लिये अपना खून और पसीना बहाया था, कांग्रेस ने वोर निश्वासघात किया है। हिन्दुओं की वर्तमान दयनीय स्थिति का सबसे करण पहलू यह है कि हिन्दुओं का ऐसा कोई नेता नहीं है जो मिं० जिन्ना से टक्कर ले सके और हिन्दुओं की ऐसी कोई स्थथा नहीं जो हिन्दुओं की की ओर से बोल और कर सके। पाकिस्तान मुसलमानों का हो गया, परन्तु हिन्दुस्तान अब भी हिन्दुओं का नहीं है। कांग्रेस नेताओं ने जिन्हे पग पग पर हिन्दुओं का प्रतिनिधित्व करने, उनकी ओर से बोलने और सही करने के लिये बुलाया जा रहा है, जन्म भर मनसा, वाचा और कर्मणा यह सिद्ध करने की भरसक चेष्टा की है, और अब भी कर रहे हैं, कि वे हिन्दू नहीं हैं। गांधीजी जिन्होंने हिन्दुओं को मनचाहा नाच नचावा है और जो हिन्दुओं को वर्तमान दशा पर पहुँचाने के लिये सबसे अधिक जिम्मेदार हैं, हार गये हैं परन्तु अपनी हार मानने को तैयार नहीं। वे चाहते हैं कि उनके आत्मिक लाभ के लिये अब हिन्दुस्तान के हिन्दू जिन्ना साहब के दो राष्ट्र-वाद (दू नेशन ध्योरी) को अपने कमाँ से गलत सिद्ध करें, जिसका अर्थ केवल यह है कि यदि हिन्दुस्तान के मुसलमान हिन्दुस्तान में एक जगह (जो सम्भवतः पूर्वी पजाव और पश्चिमी बगाल ही होगी) क़ाफी सख्त्या में जाकर बस जायें तो वे फिर उसे अपना घर बताकर हिन्दुस्तान और हिन्दुस्तान की सम्पत्ति और साधनों के दुवारा धैंटबारे की माँग कर सकें। और कांग्रेसी

नेता जो शुद्ध अहिंसात्मक उपायों से व्रतिंश सत्ता को भारत छोड़ने पर मजबूर कर सकते हैं परन्तु उन्हीं उपायों ने मुसलमानों को भारत में रहने पर मजबूर करने में 'हिंसा' समझते हैं, दो-चार आईंट्रॉफरकाकर उस माँग को मान लें ! (हिटलरशाही में इन्हीं पाकिस्तानी भरकार भी तो उस माँग के पीछे होगी, और फिर 'आत्म-निर्णय' के काग्दे सी भिद्धान्त को किसे भुलाया जा सकेगा !) दूसरे शब्दों में, गांधी जी चाहते हैं कि हिन्दू अवभी आस्तीन के सांप का दूध पिलाने रहे और हिन्दुस्तान को उनके आध्यात्मिक प्रयोगों के लिये विलिदान का बकरा बने रहने दें। दूसरी ओर पं० नेहरू है, जिन्हें अपने नाम के पहले 'पडित' (जिसका अर्थ है 'विद्वान्') लगने से इसलिये चिढ़ थी और है कि उस शब्द का नवन्व हिन्दुओं से है, और जो अब चाहते हैं कि भारत का जो भाग हिन्दुओं के हिस्से पढ़ा है, उसका भी नाम 'हिन्दुस्तान' (जो अभी कल तक सम्पूर्ण भारत के लिये आता रहा है) न रहे क्योंकि उसमें 'हिन्दू' शब्द वर्तमान है, और उसका नाम 'हन्डिया' रखा जाय। और गांधी जी उनकी पीठ थपथपा रहे हैं। कांग्रेस नेताओं का शब्द-जाल द्वारा अपनी हार, शर्म और झेंड को छिपाने का प्रयत्न करना और पुनर्मिलन आदि का सब्ज बाग देखना और दिखाना बास्तव में एक अनोद्या दृश्य उपस्थित कर रहा है।

जो होना या सो हो गया। अब भविष्य का क्या हो ? त्वष्ट है, हिन्दुस्तान एक हिन्दू राष्ट्र हो जिसका राज-धर्म हिन्दू-धर्म हो और जिसमें सब प्रमुख पदों पर हिन्दुओं और अमुस्लिमों की नियुक्ति हो। ऐसा कोई व्यक्ति जो स्पष्ट रूप से हिन्दू-धर्म न मानता हो और जो हिन्दू-स्त्रृति में छवा हुआ न हो, हिन्दुस्तान-सरकार का प्रधान नहीं हो सकता। सारा संसार 'नेहरू-सरकार' को हिन्दू-सरकार बताता और समझता है, जब कि बास्तव में अर्थात् अमल में वह हिन्दू-सरकार नहीं है। ऐसी आति का कारण नहीं रहने या भविष्य में उत्तन होने दिया जा सकता। और मुसलमानों को,

जैसा कि मध्य-प्रांत के प्रधान-मंत्री ने कहा है, हिन्दुस्तान राष्ट्र की नागरिकता के अधिकार न दिये जायें। पूरे भारत के मुसलमानों ने अपने आप को एक पृथक राष्ट्र बताते हुये एक पृथक वास-भूमि की माँग की है, और उन्हें अब यह मिल चुकी है और स्पष्टतः भारत का बँटवारा धर्म के आधार पर हुआ है, अतः इस्लाम धर्म के किसी अनुयायी को हिन्दुस्तान में नागरिकता के अधिकार नहीं मिल सकते। चित और पट दोनों मुसलमानों की नहीं हो सकतीं। गांधी जी के कहने पर पाकिस्तान जैसे स्थूल सत्य को नज़रअन्दाज नहीं किया जा सकता। ‘श्रात्पसख्यक’ के किसी भूठे नाम पर पाकिस्तान के फिफ्थ कालम को स्वच्छन्द नहीं छोड़ा जा सकता। जहाँ तक नाम का सम्बन्ध है, ‘हिन्डिया’ ८० नेहरू की, जो मौलाना आजाद की साद्यानुसार स्वप्न भी अँगरेजी में देखते हैं, स्व-भाषा का शब्द होगा, परन्तु ६६ '६ प्रतिशत भारतीयों की मातृ-भाषा का शब्द नहीं है। ८० नेहरू की सनक पूरी करने के लिये इतिहास नहीं बदला जा सकता। नाम में केवल एक परिवर्तन हो सकता है और अवश्य होना चाहिये। वह यह कि फारसी ‘स्तान’ बदल कर ‘स्थान’ अर्थात् ‘हिन्दुस्तान’ अब ‘हिन्दुस्थान’ कर दिया जाय।

‘हिन्दुस्तानी’ की टॉय-टॉय फिस

इन वारों को छोड़कर अब मूल विषय पर आइये। हिन्दुस्थान की राष्ट्रभाषा क्या हो? स्पष्ट है, हिन्दुस्थान की राष्ट्र-भाषा हिन्दी हो। ‘हिन्दुस्तानी’ और ‘दोनों लिपि’ के मुकाबले में हिन्दी और देवनागरी का पक्ष शास्त्रत तकों और सिद्धान्तों पर आधारित है और उसका राजनीतिक लौट-पौट से कोई लगाव नहीं रहा है, परन्तु अब तो हिन्दुस्तानी-भाद की काई जड़ ही नहीं रह गई। जिन प्रदेशों और जिन लोगों को फॉसने के लिये काग्रेस ने हिन्दुस्तानी-भाद अपनाया था अब वे ही अलग हो गये। काग्रेस ने ५०-५० प्रतिशत भाली ‘हिन्दुस्तानी’ और ‘दोनों लिपि’ का बखेड़ा मुसलमानों को राष्ट्र-

भाषा के मामले पर राजी करने के लिये रगड़ा किया था। अब नेतृत्व हिन्दू भारत का सबाल है जो सदा से हिन्दी को राष्ट्र-भाषा और देवनागरी को राष्ट्र-लिपि मानता आ रहा है क्योंकि उसके लिये यही भाषा और लिपि सबसे अधिक मुलभ, सरल और उपयुक्त हैं। इसके अनियन्त्रित, यह निश्चेत है कि पाकिस्तान उदूँ को अपनी राष्ट्र-भाषा बनायगा। इतना ही नहीं, पाकिस्तान से हिन्दी और देवनागरी के सर्वथा विहित कर दिया जायगा। इन दोनों वातां का सिन्ध म श्रीगणेश हो चुका है। सिन्ध की अपनी अलग भाषा है, परन्तु सिन्ध की पाकिस्तानी सरकार ने उदूँ को सिन्ध की राज-भाषा और कच्छहरियां को भाषा घोषित कर दिया है, और सिन्ध के शिक्षा मंत्री पार हलाही वर्खण ने बताया है कि कराची विश्वविद्यालय की शिक्षा का माध्यम उदूँ होगी, और उदूँ भाषा का विषय सब के लिए प्राइमरी स्टेज से ही अनिवार्य होगा। सिन्ध-सरकार ने हिन्दी और देवनागरी पर भी खुल्लम-खुल्ला प्रहार करना आरम्भ कर दिया है, और हिन्दुओं की मव शिक्षा-संस्थाओं को स्वतन्त्रता अपहरण करने या उन्हें विलकुल भिटा डालने का आयोजन किया है। जो भी शिक्षा-संस्था, चाहे वह हिन्दुओं की निजी मन्था ही क्यों न हो, कराची मिशन-विद्यालय की अधीनता स्वीकार नहीं करेगी, उसे नहीं रहने दिया जायगा। प्रश्न उठता है कि क्या काप्रेस अब भी इस कमवर्खत 'हिन्दुस्तानी' और 'दोनों लिपि' का रगड़ा हिन्दुस्थान पर लादेगा? ताली दोनों हाथों से बजती है। क्या वह बात ज्ञान भर के लिये भी सहन की जा सकती है कि उदूँ तो पाकिस्तान में राष्ट्र भाषा, राज भाषा, शिक्षा का माध्यम, रेडियो का भाषा, आदि के बतौर अखड़ा राज्य करे परन्तु हिन्दुस्थान में हिन्दी की सुन्नत करके 'हिन्दुस्तानी' को प्रकट किया जाय, और हिन्दी कहीं को न रहे? जब उदूँ ऐसी ही रही, तो हिन्दी को भिटाने से क्या होगा? जब 'उदूँ' नाम वर्तमान रहा, तो 'हिन्दी' नाम भिटाने से क्या होगा? ऊपर कैवीनेट-मिशन की विद्यान-

योजना की रोशनी में जो कुछ कहा जा चुका है, उसके बाद इसके सिवा कुछ और कहने की आवश्यकता नहीं कि चूँकि अब हिन्दुस्थान और पाकिस्तान का कामन केन्द्र भी नहीं रहा, अब हिन्दी और उर्दू दोनों को केन्द्र की भाषा स्वीकृत करने का भी प्रश्न नहीं रहा। अब हिन्दी, और केवल हिन्दी, को हिन्दुस्थान की केन्द्रीय भाषा, राष्ट्र-भाषा, शिक्षा का प्रमुख माध्यम और रेटियो की प्रमुख भाषा, आदि होना चाहिये, और हिन्दी भाषा का विषय हिन्दुस्थान भर के शिक्षा क्रम में सबके लिये उसी प्रकार अनिवार्य होना चाहिये जिस प्रकार आज अँगरेजी का है। हिन्दी प्रान्तों में भी अब हिन्दी और केवल और अकेली हिन्दी राज-भाषा, कच्छरियों की भाषा और शिक्षा का माध्यम हो सकती है, और हिन्दी भाषा का विषय प्राइमरी स्टेज से सबके लिये अनिवार्य होना चाहिये। इसी प्रकार हिन्दी अपने अपने प्रान्तों में अखड़ राज्य करने वाली प्रान्तीय भाषाओं की भाँति फल-फूल और अवाध रूप से उन्नति कर सकती है और इसी प्रकार हिन्दी प्रान्तों में भाषा के आधार पर निर्मित अन्य प्रान्तों की भाँति भाषा की एकता स्थापित की जा सकती है। उर्दू वेकल्पिक विषय रह सकती है और वह भी तभी जब पाकिस्तान में हिन्दी को यही स्थान दिया जाय। हिन्दुस्थान में उर्दू को उससे ऊँचा पद नहीं दिया जा सकता जो पाकिस्तान में हिन्दी को दिया गया है या भाविष्य में दिया जाय। गांधी जी के उदारता-बाद के लिये जो हिन्दुओं और हिन्दी को इस गिरी हुई दशा पर पहुँचाने के लिये जिम्मेदार है, अब विलकुल गु जाइश नहीं। मुसलमानों की हम बहुत खुशामद-चिरौरी कर चुके। हिन्दुस्थान या हिन्दी प्रान्तों पर दो-दो राज-भाषाओं और राज-लिपियों का फिजूल खर्च और भर्मेला नहीं लादा जा सकता। हिन्दू बालकों पर एक विदेशियत में रँगी हुई भाषा और एक व्यर्थ लिपि का बोझ नहीं डाला जा सकता। हिन्दुस्थान की विधान परिषद का कर्तव्य है कि वह विधान में हिन्दी और देवनागरी को राष्ट्र-भाषा और राष्ट्र-लिपि के पद

पर विधिवत् प्रतिष्ठित करे। सभम् है, गांधीजी का सकेन पाकर या अपनी जिद रनने के लिये अथवा आत्म-सम्मान की झूठी मावना में प्रेरित होकर कुछ कांग्रेसी नेता अब भी अपनी ५०-५० प्रतिशत वाली 'हिन्दुस्तानी' (५० नेहरू के संगोपार्थ सब दिन्दूपना निकाल डालने के लिये इसका नाम 'ह टिश' रख कर !) और 'दोनों लिपि' हिन्दुस्थान के गले मढ़ने का प्रयत्न करें, और 'पुनर्मिलन की सभावना' (यदि सत्य दो भी जाय तो उसका भाषा की समस्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?), 'अल्पस्ल्यकों के साथ न्याय' (वे 'अल्पस्ल्यक' कौन है ?), 'जनना की भाषा' (वह क्या है ?), आदि, आदि जैसे सारहीन और खोबले तकों को उपरिथित करें, परंतु विधान-परिषद के हिन्दू सदस्यों को जो वहाँ हिन्दुओं की ओटों ने पहुँचे हैं और जिन्होंने अनने आपको हिन्दू समझना नहीं छोड़ दिया है, और अधिक मूर्ख बनने से साफ़ इन्कार कर देना चाहिये। हिन्दुस्थान की विधान-परिषद चसार को दिखा दे कि भगतवशी अब भी अपनी जन्म भूमि और पुण्य भूमि में वसते हैं और अपनी पुरानी, प्रिय भारती को भूले नहीं हैं।

१६ जून, १९४७

रविशकर शुक्र

